जामेअ सुनन तिर्मिजी

0965-2035

جامع سنن ترمذی

تالیف : الامام الحافظ ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ

जामेअ सुनन तिर्मिज़ी

मय शरह

तालीफ़

इमाम हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद
बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी (रह.)

तहक़ीक़

अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी (रह.)

तख़रीज

फ़ज़ीलतुश्शैख़ हाफ़िज अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर

بِسْـــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू

बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व-करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए-मुस्लिमा के ख़िदमात में PDF की शकल में पेश है।

तफसीर ईब्ने क़सीर (8 जिल्द)

1. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द)
2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द)
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द)
4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द)
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द)
6. सुनन इब्ने माजह (1 जिल्द)

इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे।

अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए हिदायत का सबब बनाए।

शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) M.: +91 9825 696 131

جامع سُنن ترمذی

تالیف: الامام الحافظ ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ

जामेअ सुनन तिर्मिज़ी

मय शरह

तालीफ़

इमाम हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी (रह.)

तहक़ीक़

अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी (रह.)

तख़रीज

फ़ज़ीलतुश्शैख़ हाफ़िज अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर

ज़िल्द नम्बर

2

हदीस नम्बर 965 से 2035

नाम किताब	**जामेअ सुनन तिर्मिज़ी (जिल्द - 2)**
तालीफ़	**इमामुल हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी**
उर्दू तर्जुमा	**मौलाना अ़ली मुर्तज़ा ताहिर (हफिजहुल्लाह)**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़	**मौलाना मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी (رحمه الله)**
तख़रीज	**हाफ़िज़ अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी**
तस्हीह व नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी** (97857-69878)
लेज़र टाइपसेटिंग	**मोहम्मद शकील, (9351998441)**
मेनेजिंग डायरेक्टर	**अली हम्जा,** (82338-55857)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट**, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	688	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	नवम्बर 2020	क़ीमत	800/- (आठ सौ रुपये)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन खुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
जेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

फरमाने रसूले अकरम (ﷺ)

مَنْ أَطَاعَنِي
فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ
وَمَنْ عَصَانِي
فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

जिसने मेरी इताअत की तो बिलाशुबा उसने
अल्लाह तआला की इताअत की
और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बिलाशुबा
उसने अल्लाह तआला की नाफरमानी की।

[सहीह मुस्लिम (1835) 4739]

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज.) 82091-64214

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 94141-920119

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

मकतबा दारूस्सलाम, मऊ: इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101

मकतबा अस्सून्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफ़ुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वारणासी 094519-15874

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

सल्फ़ी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves, Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025, 9899693655, 9958923032

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते मज़ामीन

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

Sherkhan
9825 696 131

मज़मून नम्बर 25

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी नेकी और सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल

Sherkhan
9825 696 131

मज़मून नम्बर 8

أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जनाज़ा के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

- मौत के वक़्त कैसी क़ैफ़ियत होती है.
- मय्यत के क्या हुक़ूक़ हैं?
- तज्हीज़ व तक्फ़ीन कैसे की जाए?
- अज़ाबे क़ब्र का इस्बात। (कब्र में अज़ाब का होना साबित है)

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ

1 - बीमारी का सवाब.

965 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

965 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " मोमिन को एक कांटे [1] या इस से भी कम तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह तआला उसके साथ एक दर्जा बलंद करते हैं और उसकी वजह से एक गुनाह मिटा देते हैं। "

(965) बुख़ारी:5640.मुस्लिम:2572.

तौज़ीह: (1) شَوْكَةٌ: काँटा, सख़्ती, तकलीफ़, (अल्कामूसुल वहीद :पृ. 899)

वज़ाहत: इस मसले में साद बिन अबी वक्क़ास, अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू हुरैरा, अबू उमामा, अबू सईद, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, असद बिन कुर्ज़, जाबिर बिन अब्दुल्लाह,अब्दुर्रहमान बिन अज़हर और अबू मूसा (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

966 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ حَزَنٍ، وَلاَ وَصَبٍ حَتَّى الهَمُّ يَهُمُّهُ إِلاَّ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

966 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन को कोई थकावट, ग़म, बीमारी पहुंचे, यहाँ तक कि फ़िक्र भी जो उसे लाहिक़ होती है तो अल्लाह तआला उसकी वजह से उसकी बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं।

बुख़ारी:5642.मुस्लिम:2573.

तौज़ीह: نصب : तकलीफ़ और दर्द जिसका ताल्लुक़ बदन में ज़ख्म वग़ैरह या तकलीफ़ की वजह से होता है। وَصَب : थकावट या दायमी बीमारी की वजह से ज़िस्म में गिरानी आ जाना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बाब में यह हदीस हसन है। जारूद कहते हैं: वकीअ फ़रमाते हैं कि मैंने सिर्फ इस हदीस में सुना है कि फ़िक्र भी गुनाहों का कफ़्फ़ारा है।

नीज बाज़ रावियों ने यह हदीस अता बिन यसार से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ

2 - मरीज़ की बीमारपुर्सी करना.

967 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ.

967 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान जब तक अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी करता है तो वह जन्नत के फल तोड़ने में मसरूफ रहता है।

मुस्लिम: 2568.मुसनद अहमद:5/275. इब्ने अबी शैबा:3/233.

तौज़ीह: خرفة : फल तोड़ना, फलों को चुनना, अच्छे अच्छे मेवे उतारना।

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू मूसा, बरा, अबू हुरैरा, अनस और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सौबान (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। अबू गिफ़ार और आसिम अल-अहवल ने यह हदीस अबू किलाबा से उन्होंने अबुल अशअस से बवास्ता अबू अस्मा सौबान (رضي الله عنه) से उन्होंने नबी(ﷺ) इसी तरह रिवायत की है।

अबू ईसा तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना जो इस हदीस को अबुल अशअस से बवास्ता अबू अस्मा रिवायत करता है वह ज़्यादा सहीह है।

नीज मुहम्मद फ़रमाते हैं: अबू किलाबा की अहादीस मेरे नज़दीक इस हदीस के अलावा अबू अस्मा से मर्वी हैं। यह मेरे नज़दीक अबुल अशअस के वास्ते के साथ अबू अस्मा से मर्वी है।

968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قِيلَ: مَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

968 - अबू अस्मा (رحمه الله) बवास्ता सौबान (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से इस तरह ही बयान करते हैं और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि कहा गयाः खिर्फ़तुल जन्ना का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया, "उस के फल तोड़ना।"

(968) सहीह; मुस्लिम: 2568.

वज़ाहतः अबू मूसा कहते हैं: हमें अहमद बिन अब्दा अज्ज़बी ने (वह कहते हैं) हमें हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब से (उन्हें) अबू किलाबा ने अबू अस्मा से बवास्ता सौबान (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से ख़ालिद की बयान कर्दा हदीस की तरह हदीस रिवायत की है और इसमें अबुल अशअस का ज़िक्र नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: बाज़ ने यह हदीस हम्माद बिन ज़ैद से रिवायत की है तो उसे मर्फ़ूअ ज़िक्र किया।

969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ: لَا

969 - सुवैर बिन अबू फ़ाख़्ता अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अली (رضي الله عنه) ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा: हमारे साथ चलो हम हसन की इयादत करें, तो हमने वहाँ अबू मूसा को पाया तो अली (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अबू मूसा! आप बीमारपुर्सी करने के लिए आए या मिलने के लिए? उन्होंने कहा: बीमारपुर्सी करने। तो अली (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को

بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

फ़रमाते हुए सुना, "जो शख्स सुबह के वक़्त किसी मुसलमान की इयादत करता है तो शाम तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते हैं और अगर शाम को इयादत करता है तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और उसके लिए (इयादत की वजह से) जन्नत में एक बाग़ होगा।

सहीह: अबू दाऊद: 3098. इब्ने माजा: 1442.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। नीज अली (رضي الله عنه) से कई तुरुक (सनदों) के साथ मर्वी है कुछ रावी ऐसे भी हैं जिन्होंने मर्फ़ूअ की बजाये मौकूफ़ रिवायत की है। अबू फ़ाख़्ता का नाम सईद बिन इलाका है।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّي لِلْمَوْتِ

3 - मौत की ख्वाहिश करना मना है.

970 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا، وَلَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ.

970 - हारिसा बिन मुज़र्रिब (رحمه الله) कहते हैं कि मैं सय्यदना खब्बाब (رضي الله عنه) के पास गया उनके पेट को दाग़ा [1] गया था उन्होंने फ़रमाया, "मैं नबी (ﷺ) के सहाबा में से किसी को नहीं जानता जिसे इस क़दर आजमाइशें आती हों जितनी मुझे आती हैं, यकीनन नबी (ﷺ) के दौर में मेरे पास एक दिरहम भी नहीं होता था और आज मेरे घर के कोने में चालीस हज़ार हैं और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मौत की आरज़ू करने से मना ना किया होता तो मैं आरज़ू करता।

बुख़ारी: 5672. मुस्लिम: 2671. इब्ने माजा: 4163. निसाई: 1823.

तौज़ीह: (1) यह एक क़िस्म का इलाज है जिसमें बीमारी से प्रभावित जगह को आग से किसी लोहे की चीज़ को गर्म कर के ज़िस्म दागा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: खब्बाब (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "किसी आने वाली तकलीफ़ की वजह से कोई शख़्स मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे बल्कि यह कहे: ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख और जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे फ़ौत करना। "

971 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.

971 - (अबू ईसा رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें अली बिन हुज्र ने इस्माईल बिन इब्राहीम से बवास्ता अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की यह (ऊपर बयान की गई) हदीस बयान की।

बुख़ारी:5671. मुस्लिम:2670. अबू दाऊद: 3108 इब्ने माजा:4265 निसाई:1822, 1820

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ

4 - मरीज़ के लिए पनाह मांगना.

972 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ البَصْرِيُّ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ.

972 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जिब्रील (عليه السلام) नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगे: ऐ मुहम्मद! क्या आप बीमार हैं? आप ने फ़रमाया, "हाँ" उन्होंने कहा: ' अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ देती है, हर हसद करने वाले नफ़्स और आँख के शर से अल्लाह के नाम के साथ आपको दम करता हूँ और अल्लाह आपको शिफा देगा।

मुस्लिम:2186. इब्ने माजा: 3523.

973 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

973 - अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब (رحمه الله) कहते हैं मैं और साबित बुनानी (رحمه الله) सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के पास गए तो साबित ने कहा: ऐ अबू हम्ज़ा मैं बीमार हूँ, तो अनस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) के दम के साथ दम न करूं? उन्होंने कहा: "ऐ अल्लाह लोगों के रब! बीमारी को दूर करने वाले तू शिफा दे तू ही शिफा देने वाला है। नहीं कोई शिफा देने वाला मगर तू ही, ऐसी शिफा दे जो कोई बीमारी ना छोड़े।

5742. अबू दाऊद: 3890 मुसनद अहमद: 3/ 151

वज़ाहत: इस मसले में अनस और आयशा (رضي الله عنها) से भी रिवायात मर्वी हैं, इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं:अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: क्या अब्दुल अज़ीज़ की बवास्ता अबू नजरह, अबू सईद (رضي الله عنه) से ली गई ज़्यादा सहीह है या अब्दुल अज़ीज़ की अनस (رضي الله عنه) से? उन्होंने फ़रमाया, दोनों ही सहीह हैं।

अबू ईसा رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस ने अपने बाप से उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब से बवास्ता अबू नजरह, सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से भी और अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब के वास्ते के साथ अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस बयान की।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

5 - वसीयत करने की तर्गीब.

974 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ)قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.

974 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान आदमी पर ज़रूरी है कि अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वसीयत कर सकता है तो वह दो रातें भी गुज़ारे तो उसकी वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।

बुख़ारी:2738. मुस्लिम:1627. अबू दाऊद: 2862. इब्ने माजा:2699. निसाई:3615.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है, इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं:इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

6-तिहाई और चौथे हिस्से की वसीयत हो सकती है

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

975 - सय्यदना साद बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि मैं बीमार था रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरी इयादत की तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुमने वसीयत कर दी है? मैंने कहा: "जी हाँ" आप(ﷺ) ने फ़रमाया; "कितने (माल) की? मैंने कहा: "अपने सारे माल को अल्लाह के रास्ते में देने की" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? मैंने कहा: वह माल के साथ गनी हैं। " आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "दस्वें हिस्से की वसीयत करो। " रावी कहते हैं: "मैं आप से कमी का कहता रहा, यहाँ तक कि आप ने फ़रमाया, "तिहाई हिस्से की वसीयत करो और तिहाई भी ज़्यादा है। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं: हम इस बात को मुस्तहब समझते हैं कि तीसरे हिस्से से भी कम हो क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था: तीसरा भी ज़्यादा है।

बुख़ारी:1295.मुस्लिम:1628. अबू दाऊद: 2864. इब्ने माजा:2708. निसाई:3626-3628.

975 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: أَوْصِ بِالعُشْرِ، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सईद (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और कई तुरुक (सनदों) से मर्वी है। उनसे क़बीर का लफ़्ज़ भी रिवायत किया गया है। और कसीर का भी।

नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी तिहाई हिस्से से ज़्यादा वसीयत न करे और तिहाई से कम करने को मुस्तहब कहते हैं।

सुफ़ियान सौरी कहते हैं उलमा वसिय्यत में चौथे से कम पांचवें हिस्से की और तिहाई से कम चौथे हिस्से की वसीयत को मुस्तहब कहते हैं और जिसने तिहाई की वसीयत की उसने (वारिसीन के लिए) कुछ नहीं छोड़ा और तिहाई तक ही वसीयत जायज़ है।

7 - मौत के वक़्त मरीज़ को तलक़ीन करना और उसके पास उसके लिए दुआ करना.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ

976 - सय्यदना अबू सईद अल-ख़ुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने क़रीबुल मर्ग लोगों को لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ की तलक़ीन करो।"

मुस्लिम:916. अबू दाऊद: 3117. इब्ने माजा:1445. निसाई:1826.

976 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

वजाहत: तलक़ीन से मुराद यह है कि उसके पास यह कलिमा पढ़ा जाए ताकि वह भी पढ़ ले।

इस मसले में अबू हुरैरा, उम्मे सलमा, आयशा, जाबिर और सादी अल-मुरिय्या (رضي الله عنها) जो सय्यदना तल्हा बिन उबैदुल्लाह की बीवी हैं उन से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

977 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हम से फ़रमाया, "जब तुम बीमार या मय्यत के पास जाओ तो भलाई की बात ही कहो, बेशक जो तुम कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं।" कहती हैं: जब अबू सलमा फ़ौत हुए तो मैंने नबी(ﷺ) के पास जाकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सलमा फ़ौत हो गए आप ने फ़रमाया, "तुम कहो ऐ अल्लाह मुझे और उन्हें बख़्श दे और मुझे उनकी जगह बेहतर

977 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا

سَلَمَةَ مَاتَ، قَالَ: فَقُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

शौहर अता कर। " फ़रमाती हैं, मैंने दुआ की तो अल्लाह तआला ने मुझे उनसे बेहतर रसूलुल्लाह(ﷺ) बतौर शौहर अता कर दिए।

मुस्लिम:918. अबू दाऊद: 3115. इब्ने माजा:1447.निसाई:1825.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शकीक़ अबू सलमा के बेटे हैं: (उन की कुनियत) अबू वाइल अल-असदी है। नीज फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा की हदीस हसन सहीह है और मरीज़ को मौत के वक़्त لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ की तलक़ीन करना मुस्तहब है। बाज़ उलमा कहते हैं जब कोई एक मर्तबा यह कहे और (मरीज़) बात ना करे तो दोबारा तलक़ीन करना जायज़ नहीं है और ना ही इस मुआमले में बहुत इस्रार किया जाए, इब्ने मुबारक से मर्वी है कि जब उनकी वफ़ात का वक़्त आया तो एक आदमी उन्हें لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ की तलक़ीन करने लगा और बहुत ज़्यादा करने लगा तो अब्दुल्लाह ने उससे कहा जब मैंने एक मर्तबा कह दिया है तो मैं इसी पर क़ायम हूँ जब तक कोई और बात न करूं और अब्दुल्लाह की बात का मतलब यह था। कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसकी आख़िरी बात لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ हुई वह जन्नत में दाख़िल हो गया। "

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

8 - मौत की सख़्ती का बयान.

978 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

978 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को वफ़ात के वक़्त देखा आपके पास एक प्याला था जिसमें पानी था आप अपना हाथ प्याले में दाख़िल करते फिर अपने चेहरे को पानी लगाते फिर फ़रमाते: "ऐ अल्लाह! मौत की सख़्तियों और बेहोशियों पर मेरी मदद फ़रमा। "

ज़ईफ़: इब्ने माजा:1623. इब्ने अबी शैबा:10/256. मुसनद अहमद:6/64.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

979 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ العَلاَءِ؟ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ الْعَلاَءِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، وَإِنَّمَا أَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

979 - आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की मौत की शिद्दत देखने के बाद किसी के लिए आसान मौत की आरज़ू नहीं करती।

बुख़ारी: 4446. निसाई: 1830.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा, मैंने कहा, अब्दुर्रहमान बिन अला कौन है? तो उन्होंने फ़रमाया, “अला बिन लज्लाज़ का बेटा है और मैं भी सिर्फ इसी सनद से उसे जानता हूँ।

980 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنُ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَلاَ أُحِبُّ مَوْتًا كَمَوْتِ الْحِمَارِ. قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الْحِمَارِ؟ قَالَ: مَوْتُ الْفَجْأَةِ.

980 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: “बेशक मोमिन की जान पसीना बहने के साथ निकलती है और मैं गधे की तरह मरने को पसंद नहीं करता।” कहा गया: गधे की मौत क्या है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “अचानक मौत।”

ज़ईफ़ जिद्दा: फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की.

9- بَابٌ فِي فَضْلِ طَرَفَيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

981 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ حَافِظَيْنِ، رَفَعَا إِلَى اللهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ.

9-दिन और रात को नेकियाँ करने की फजीलत

981 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "निगहबानी करने वाले दो फ़रिश्ते जो आमाल अल्लाह की तरफ ले कर जाते हैं, रात या दिन के जो आमाल लेकर जाते हैं तो अल्लाह तआला उसके नाम-ए-आमाल के शुरू और आखिर में भलाई ही पाता है। (फिर) अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: ऐ फरिश्तो! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस सहीफा के दोनों जानिब के दर्मियान (लिखे गए गुनाह) को अपने बन्दे के लिए बख़्श दिए हैं। "

ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला:2775.

10 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ

982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ.

10 - मोमिन की मौत के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाना.

982 - अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप (सय्यदना बुरैदा رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन पेशानी के पसीने के साथ फ़ौत[1] होता है। "

सहीह: इब्ने माजा: 1452. निसाई: 1828. मुसनद अहमद: 5/350.

तौज़ीह: 1. यानी वफ़ात के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन है। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि क़तादा का अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से सिमा (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है।

11 - بَابُ الرجاء بالله والخوف بالذنب عند الموت

11 - मौत के वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखना और गुनाहों की वजह से डरना.

983 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

983 - सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) एक नौजवान के पास गए, वह मौत की सख़्तियों में था। आप(ﷺ) ने फ़रमाया क्या हाल है? उसने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम मैं अल्लाह की (रहमत की) उम्मीद करता हूँ और अपने गुनाहों की सज़ा से डरता हूँ तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसे मौक़े पर यह दो चीजें किसी बन्दे के दिल में जमा हो जाएँ तो जिसकी उम्मीद रखता है अल्लाह उसे अता कर देता है और जिससे डरता है अल्लाह उससे महफ़ूज़ कर देता है।"

हसन: इब्ने माजा:4261.अब्द बिन हुमैद: 1370.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) रावियों ने इसको बवास्ता साबित, नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

12 - किसी की मौत की ख़बर देना मना है.

984 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَهَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

984 - सय्यदना अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "नआ से बचो क्योंकि नआ जाहिलियत का अमल है।" अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं: नआ मय्यत का ऐलान करना है।

ज़ईफ़.

إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَالنَّعْيُ: أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.

तौज़ीह: नआ: नआ का मतलब है ख़बर देना, ऐलान करना वगैरह यहाँ उस तरीक़े की मनाही की गई है जो जाहिलियत में राइज था वह तरीक़ा यह था कि जब कोई आदमी मर जाता तो एक शहसवार घोड़े पर सवार हो कर लोगों में फिरता और किसी के मरने की ख़बर देता, इसी तरह आग जला कर भी लोगों को बताया जाता था।

वज़ाहत: इस मसले में हुज़ैफ़ा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

985 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.

985 - सुफ़ियान सौरी भी अबू हम्ज़ा से और वह इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा अब्दुल्लाह (ﷺ) नबी(ﷺ) की हदीस इसी तरह रिवायत करते हैं वह मर्फ़ूअ नहीं है और इस जुम्ला (नआ मय्यत का ऐलान करना है" नहीं है।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस अंबसा की अबू हम्ज़ा से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज अबू हम्ज़ा मैमून अलआवर है। जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मजबूत रावी नहीं है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस हसन गरीब है और बाज़ उलमा ने नआ को मकरूह कहा है। उनके नज़दीक नआ यह है कि ऐलान किया जाए फुलां शख़्स मर गया है ताकि लोग उसके जनाज़ा में शरीक हों।

बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि आदमी अपने रिश्तेदारों और भाइयों को बता सकता है। इब्राहीम नखई से उनका कौल मर्वी है कि कराबतदारों को बताने में कोई हर्ज नहीं है।

986 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ

986 - बिलाल बिन यहया अल-अब्सी (ﷺ) से रिवायत है कि सय्यदना हुज़ैफ़ा बिन यमान (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब मैं फ़ौत हो

يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

जाऊं तो मेरे बारे में किसी को ना बताना मुझे डर है कि कहीं यह नआ न हो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुना आप नआ से मना करते थे।

हसन इब्ने माजा:1476. मुसनद अहमद: 5/385. बैहक़ी:4/74.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है।

13 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى

13 - सब्र वही है जब मुसीबत के शुरू में किया जाए.

987 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى.

987 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सब्र वही है जो मुसीबत के शुरू में हो।"

बुख़ारी:1283. मुस्लिम:926. इब्ने माजा:1596. निसाई:1869.

सब्र करने का मौक़ा मुसीबत के शुरू में होता है वक़्त गुजरने के साथ साथ तो हर किसी को सब्र आ जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है।

988 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.

988 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सब्र वही है जो मुसीबत की इब्तिदा (शुरूआत) में हो।"

बुख़ारी: 1252. मुस्लिम:926.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

Sherkhan
9825 696 131

14 - मय्यत को बोसा देना.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

989 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उस्मान बिन मज़ऊन (رضي الله عنه) को बोसा दिया और वह फ़ौत हो चुके थे, आप(ﷺ) रो रहे थे, या रावी ने यह कहा कि आप की आँखें आंसू बहा रही थीं।

सहीह: अबू दाऊद: 3163. इब्ने माजा:1456. मुसनद अहमद:6/43.

989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي، أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर और आयशा (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं कि जब नबी(ﷺ) फ़ौत हो चुके थे तो अबू बक्र (رضي الله عنه) ने आपको बोसा दिया।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

15 - मय्यत को ग़ुस्ल देने का बयान.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

990 - सय्यदा उम्मे अतिय्या (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) की एक बेटी वफ़ात पा गयीं तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "इसे तीन, पांच या ज़्यादा मर्तबा पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और आख़िरी बार पानी में कुछ काफ़ूर भी मिला लो, जब तुम फ़ारिग़ हो जाओ तो मुझे बताना।" फिर जब हम फ़ारिग़ हुए हमने आप को बताया तो आपने अपनी तहबन्द हमारी तरफ फैंक दी फ़रमाया, "उसको यह लपेट दो।

990 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ فَقَالاَ: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ

وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا بِهِ. قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلاَءِ، وَلاَ أَدْرِي وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ: وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ. قَالَ هُشَيْمٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. قَالَ هُشَيْمٌ، فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ.

"हमने ग़ुस्ल के बाद उनके बालों की तीन चोटियाँ गूंधीं हुशैम कहते हैं: शायद रावी ने यह कहा कि (उम्मे अतिय्या कहती हैं:) हमने उन्हें पीछे की तरफ डाल दिया। ख़ालिद हफ्सा और मुहम्मद से रिवायत करते हैं कि उम्मे अतिय्या (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमसे फ़रमाया, "ग़ुस्ल उसकी दायें तरफ से और आज़ाए वुज़ू(वुज़ू के अंगों) से शुरू करो।"

बुख़ारी:1253. मुस्लिम: 939. अबू दाऊद: 2142. निसाई:1881. इब्ने माजा:1495.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा उम्मे अतिय्या (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

इब्राहीम नखई फ़रमाते हैं: मय्यत का ग़ुस्ल जनाबत के ग़ुस्ल की तरह है मालिक बिन अनस कहते हैं: हमारे नज़दीक मय्यत के ग़ुस्ल की कोई मुक़र्रर हद नहीं है और न ही उसका कोई मुतअय्यन तरीक़ा है। लेकिन मय्यत को पाक किया जाएगा।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मालिक ने मुजमल (अस्पष्ट) बात की है कि उसे ग़ुस्ल दे कर साफ़ किया जाएगा और जब मय्यत बेरी के पत्ते मिले हुए या सादा पानी से साफ़ हो जाए तो ग़ुस्ल पूरा हो जाएगा लेकिन मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तीन या ज़्यादा मर्तबा ग़ुस्ल दिया जाए तीन मर्तबा से कम न हों क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था "इसे तीन या पांच मर्तबा ग़ुस्ल दो।"

और अगर तीन से कम दफा में साफ़ कर दें तो काफ़ी होगा और शाफ़ेई ने यह ख़याल नहीं किया कि तीन या पांच मर्तबा का मक़सद अच्छी तरह साफ़ करना है, मुक़र्ररह हद नहीं है और फ़ुक़हा भी यही कहते हैं और वह हदीस के मानी को ज़्यादा जानते हैं।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ग़ुस्ल पानी और बेरी के पत्तों के साथ होंगे और आख़िरी मर्तबा में कुछ काफ़ूर शामिल होगा।

16- मय्यत के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल.

16 بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

991 - सय्यदना अबू सईद अल-ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह तुम्हारी ख़ुशबुओं में सब से बेहतरीन ख़ुशबू कस्तूरी है।"

मुस्लिम:2252. अबू दाऊद: 3158. निसाई: 1805.

991 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَشَبَابَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

992 - सय्यदना अबू सईद अल-ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) से कस्तूरी के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह तुम्हारी ख़ुशबुओं में सबसे बेहतर है।

मुस्लिम:2252. अबू दाऊद: 3158.

992 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ؟ فَقَالَ: هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा मय्यत के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल मकरूह समझते हैं। नीज मुस्तमिर बिन रय्यान ने भी इसी तरह अबू नजर: से बवास्ता अबू सईद (رضی اللہ عنہ), नबी(ﷺ) से रिवायत की है। अली बिन मदीनी कहते हैं: यह्या बिन सईद फ़रमाते हैं कि मुस्तमिर बिन रय्यान और खुलैद बिन जाफ़र सिक़ह् रावी हैं।

17 - मय्यत को ग़ुस्ल देने की वजह से ग़ुस्ल करना.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

993 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मय्यत को ग़ुस्ल देने की वजह से ग़ुस्ल और उठाने की

993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ

الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ يَعْنِي: الْمَيِّتَ.

वजह से वुज़ू ज़रूरी है। "

सहीह:अबू दाऊद: 3161. इब्ने माजा:1463. मुसनद अहमद:2/272. इब्ने माजा:1161.

वज़ाहत: इस मसले में अली और आयशा (رضي الله) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله) की हदीस हसन है और अबू हुरैरा से मौक़ूफ़न भी मर्वी है। मय्यत को ग़ुस्ल देने वाले के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: जब कोई मय्यत को ग़ुस्ल देता है तो उस पर ग़ुस्ल करना वाजिब है। बाज़ कहते हैं: वुज़ू ज़रूरी है।

इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं: मैं मय्यत को ग़ुस्ल देने की वजह से ग़ुस्ल करने को मुस्तहब समझता हूँ वाजिब नहीं। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) भी इसी तरह कहते हैं।

इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जो शख़्स मय्यत को ग़ुस्ल दे मुझे तो यही उम्मीद है कि उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता लेकिन वुज़ू कम अज कम कहा गया है।

इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वुज़ू ज़रूरी है। नीज अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि मय्यत को ग़ुस्ल देने वाला न ग़ुस्ल करे और न ही वुज़ू।

18 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَكْفَانِ

18 - कौनसा कफ़न मुस्तहब है?

994 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

994 - इब्ने अब्बास (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने कपड़ों में सफ़ेद रंग (के कपड़े) पहनो, यह तुम्हारे बेहतरीन कपड़े हैं और इसी में अपने मुर्दों को कफ़न दिया करो। "

सहीह: अबू दाऊद: 3878. इब्ने माजा:1472.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा, इब्ने उमर और आयशा (رضي الله) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसे ही मुस्तहब

समझते हैं। इब्ने मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ कि जिन कपड़ों में नमाज़ पढ़ता हूँ उसमें कफ़न दिया जाए। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें यह पसंद है सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया जाए और अच्छा कफ़न देना मुस्तहब है।

19 بَابُ أمر المومن باحسان كفن أخيه

19- मोमिन को हुक्म है कि अपने भाई को अच्छा कफ़न दे

995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

995 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख़्स अपने भाई का वली (वारिस) बने तो उसे चाहिए कि वह उसको अच्छा कफ़न दे।"

सहीह: इब्ने माजा: 1474.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। इब्ने मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) के फ़रमान: "अपने भाई को अच्छा कफ़न दे" के बारे में सलाम बिन अबी मुतीअ कहते हैं: इस से मुराद साफ़ सुथरा कपड़ा है मंहगा नहीं।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ

20 - नबी(ﷺ) को कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया था?

996 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.

996 - आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि नबी(ﷺ) को सफ़ेद रंग के तीन सूती[1] कपड़ों में कफ़न दिया गया उनमें कुर्ता और अमामा न था। रावी कहते हैं: लोगों ने आयशा (رضي الله عنها) से ज़िक्र किया कि लोग कहते हैं: दो कपड़े और एक यमनी चादर थी तो उन्होंने फ़रमाया, चादर लायी गई थी लेकिन उन्होंने वापस कर दी और उसमें कफ़न नहीं दिया।

बुख़ारी: 1664. मुस्लिम: 194. अबू दाऊद: 3151. इब्ने माजा: 1469. निसाई: 1899, 1897.

तौज़ीह: (1) यह कपड़े सूती होते थे जो यमन में बनाए जाते थे इसीलिए उनकी यमन की तरफ निस्बत की जाती थी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

997 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

997 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब (رضي الله عنه) को ऊन की एक चादर में सिर्फ एक कपड़े में कफ़न दिया।

हसन.

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) के कफ़न के बारे में मुख़्तलिफ़ अहादीस मर्वी हैं। लेकिन नबी(ﷺ) के कफ़न के बारे में रिवायत की गई आयशा (رضي الله عنها) की हदीस ज़्यादा सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है।

सुफ़ियान सौरी कहते हैं: मर्द को तीन कपड़ों में कफ़न दिया जाए, अगर चाहें तो एक क़मीस और दो लिहाफ़ बना लें, अगर चाहें तो तीनों लिहाफ़ बना लें। अगर दो कपड़े न मिल सकें तो एक कपड़ा ही काफ़ी है। दो भी जायज़ हैं और इस्तिताअत वालों के लिए तीन हैं और फ़ुक़हा के नज़दीक मुस्तहब हैं। शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही कौल है, वह मजीद कहते हैं कि औरत को पांच कपड़ों में कफ़न दिया जाए।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ

21 - मय्यत के घर वालों के लिए खाना बनाया जाए.

998 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

998 - अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जब जाफ़र की शहादत की ख़बर आयी तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जाफ़र के घर वालों के लिए

جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.

खाना तैयार करो उनके पास ऐसी ख़बर आयी है जिसने उन्हें ग़म में मुब्तला कर दिया है."

हसन: अबू दाऊद: 3132. इब्ने माजा:1610. मुसनद अहमद: 1/205.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इस बात को मुस्तहब समझते हैं कि मय्यत के घर वालों की तरफ उनके ग़म में मुब्तला होने की वजह से (खाने के लिए) कोई चीज़ भेज़ी जाए, इमाम शाफ़ेई का भी यही कौल है। इमाम अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: जाफ़र बिन ख़ालिद इब्ने सारा हैं जो कि सिक़ह् रावी हैं उनसे इब्ने जुरैज रिवायत करते हैं।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ، وَشَقِّ الجُيُوبِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

22 - मुसीबत के वक़्त रूख़्सार पीटना और गिरेबान चाक करना मना है.

999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الأَيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ.

999 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स हम में से नहीं है जो गिरेबान[1] फाड़े रूख़्सार पीटे और जाहिलियत की पुकार पुकारे।"

बुख़ारी: 1294. मुस्लिम: 103. इब्ने माजा:1584. निसाई:1860.

वज़ाहत: (1) جُيُوب इसकी वाहिद جيب आती है, जिसका मतलब है गिरेबान और خُدُودَ की वाहिद خد आती है- रूख़्सार, गाल।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

23 - नौहा करने की मनाही.

1000 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ

1000 – अली बिन रबीआ रिवायत करते हैं कि अंसार का एक आदमी फ़ौत हो गया, जिसका नाम करज़ा बिन काब था, उस पर

هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلاَمِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

नौहा किया गया तो मुगीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) तशरीफ़ लाये, मिम्बर पर खड़े हो कर अल्लाह की हम्दो सना की और फ़रमाया, "इस्लाम में नौहा [1] का क्या काम है? मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जिस पर नौहा किया जाता है (तो) उसे नौहा की वजह से अज़ाब दिया जाता है।"

बुख़ारी:1291. मुस्लिम:933.

तौज़ीह: النَّوْح : नौहा करना, मय्यत पर गिर्या जारी करना, रोना पीटना और चिल्लाना, (तफ़सील के लिए देखिये: अल्कामूसुल वहीद: प 1722)

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, अबू मूसा, कैस बिन आसिम, अबू हुरैरा, जुनादा बिन मालिक, अनस, उम्मे अतिय्या, समुरा और अबू मालिक अशअरी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुग़ीरह (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब हसन सहीह है।

1001 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَالمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ، وَالأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا.

1001 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मेरी उम्मत में जाहिलियत के चार काम ऐसे हैं जिन्हें लोग हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे: नौहा, खानदान [1] में तअन, अदवा [2] (यह अकीदा) कि एक ऊँट खारिशज़दा था उसने सौ ऊंटों को खारिशज़दा कर दिया (लेकिन) पहले ऊँट को खारिश किसने लगायी? और चौथी चीज़) अनवा [3] (यानी यह एतक़ाद) कि हमें फुलां फुलां सितारे की वजह से बारिश दी गई है।"

हसन: मुसनद अहमद:2/ 291.

तौज़ीह: 1) किसी के खानदान को छोटा, अछूत और अपने से कमतर व हकीर जानना। (2) बीमारी के

मुतअद्दी होने का अक़ीदा यानी बीमारी एक से दुसरे को मुन्तकिल हो जाती है इसकी वजाहत हदीस के अन्दर ही मौजूद है। (3) सितारों की गर्दिश की वजह से बारिश तलब करना या यह अक़ीदा रखना कि उन सितारों की गर्दिश की वजह से बारिश हुई है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

24 - मय्यत पर रोना मना है.

1002 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

1002 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मय्यत को घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है। "

बुख़ारी:1287. मुस्लिम:927. इब्ने माजा: 1593.निसाई:1853.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज उलमा की एक जमाअत मय्यत पर रोने को मकरूह समझते हुए कहती है कि मय्यत को उसके घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब होता है और उनका मज़हब इस हदीस के मुताबिक़ है।

इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: मुझे उम्मीद है कि अगर वह अपनी ज़िन्दगी में उनको नौहा से मना करता था तो उस पर अज़ाब नहीं होगा।

1003 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ

1003 - मूसा बिन अबी मूसा अशअरी (رضي الله عنه) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब मरने वाला मरे फिर उसको रोने वाले खड़े हो कर कहें: हाय हमारा पहाड़! हाय हमारा सरदार! या ऐसे जुम्ले कहें तो उस पर दो फ़रिश्ते मुक़र्रर कर दिए जाते हैं जो दोनों ही उसे घूंसे मारते हैं (और

بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟

कहते हैं:) क्या तुम ऐसे ही थे।

हसन: इब्ने माजा:1594. मुसनद अहमद: 4/414.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

25 - मय्यत पर रोने की इजाज़त.

1004 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ.

1004 - यह्या बिन अब्दुर्रहमान (رحمه الله) कहते हैं कि सय्यदना इब्ने उमर (रज़ि0) ने रिवायत की कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब होता है तो आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया, "अल्लाह उन पर रहम करे उन्होंने झूठ नहीं बोला, बल्कि उनको वहम हुआ है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तो एक यहूदी आदमी के मरने पर फ़रमाया था; "बेशक इस मय्यत को अज़ाब हो रहा है और उसके घर वाले उस पर रो रहे हैं।"

बुख़ारी:1287. मुस्लिम:927. इब्ने माजा: 1593. निसाई:1853.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, करज़ा बिन काब, अबू हुरैरा, इब्ने मसऊद और उसामा बिन ज़ैद(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ (सनदों) से आयशा (رضي الله عنها) से मर्वी है। अहले इल्म का भी यही मज़हब है वह भी इस आयत (तर्जुमा) "कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी।" (अल-इस्रा : 15) की तावील करते हैं और इमाम शाफ़ेई भी इसी के क़ायल हैं।

1005 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ

1005 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) का हाथ पकड़ा और उनको लेकर अपने बेटे इब्राहीम की तरफ़ गए तो उसे इस हालत में पाया कि वह अपनी

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ. وَفِي الْحَدِيثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

जान आफ़रीन के हवाले कर रहा था, नबी(ﷺ) ने उसे पकड़ कर अपनी गोद में रखा तो आप रो दिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) ने कहा: आप रो रहे हैं! क्या आपने रोने से मना नहीं किया? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "नहीं बल्कि मैंने दो अहमक़ और फाजिर आवाजों से मना किया है।" मुसीबत के वक़्त आवाज़ निकालने, चेहरा नोचने और गिरेबान चाक करने और दूसरा शैतान की तरह आवाज़ निकालने से।" इस हदीस में इस से ज़्यादा भी कलाम है।

हसन: अब्द बिन हुमैद: 1006.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1006 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

1006 – कुतैबा इब्ने मालिक (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से ज़िक्र किया गया कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मय्यत को ज़िंदा के रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है तो आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला अबू अब्दुर्रहमान को बख्शे उन्होंने झूठ नहीं बोला बल्कि वह भूल गए हैं या गलती लग गई है। बेशक रसूलुल्लाह(ﷺ) एक यहूदिया औरत के पास से गुज़रे उस पर रोया जा रहा था तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह लोग इस पर रो रहे हैं और इस औरत को उसकी क़ब्र में अज़ाब हो रहा है।"

बुख़ारी: 1289. मुस्लिम:931.

Sherkhan
9825 696 131

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

26 - जनाज़ा के आगे चलने का बयान.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

1007 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

1007- सालिम (رحمه الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) और अबू बक्र व उमर (رضي الله عنهما) को देखा वह जनाज़ा[1] के आगे चलते थे।

अबू दाऊद: 3179. इब्ने माजा:1482. निसाई:1944.

तौज़ीह: मय्यत को जब चार पाई पर रख दिया जाए तो उसे जनाज़ा कहा जाता है।

1008 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَبَكْرٍ الْكُوفِيِّ، وَزِيَادٍ، وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

1008 - सालिम बिन अब्दुल्लाह(رحمه الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) और अबू बक्र व उमर (رضي الله عنهما) को देखा वह जनाज़ा[1] के आगे चलते थे।

सहीह: तयालिसी: 1817. हुमैदी:607. अबू दाऊद: 3179. इब्ने माजा:1482.

1009 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

1009 - ज़ोहरी रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) और अबू बक्र व उमर (رضي الله عنهما) जनाज़ा के आगे चलते थे। ज़ोहरी कहते हैं: मुझे सालिम (رحمه الله) ने बताया कि उनके वालिद भी जनाज़ा के आगे चलते थे।

सहीह: अब्दुर्रज्जाक़: 6259. मोत्ता मालिक: 1024.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنهما) की हदीस को इसी तरह इब्ने जुरैज, जियाद बिन साद और दीगर रावियों ने ज़ोहरी से बवास्ता

सालिम उनके बाप इब्ने उयय्ना की हदीस की तरह रिवायत किया है। नीज़ मामर, यूनुस बिन यजीद और मालिक जैसे हुफ्फाज़ ने जोहरी से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) जनाज़ा के आगे चला करते थे और मुझे सालिम ने बताया कि उनके वालिद भी जनाज़ा के आगे चलते थे और तमाम मुहद्दिसीन के मुताबिक़ इस मसले में मुर्सल हदीस सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: यह्या बिन मूसा फ़रमाते हैं: मैंने अब्दुर्रज्जाक से सुना वह कह रहे थे कि इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: इस मसले में जोहरी की मुर्सल रिवायत इब्ने उयय्ना की हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: मेरे ख़याल में इब्ने जुरैज ने इसे इब्ने उयय्ना से ही लिया है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: हम्माम बिन यह्या ने इस हदीस को ज़ियाद बिन साद, मंसूर और सुफ़ियान से बवास्ता ज़ोहरी सालिम से और उन्होंने अपने बाप से रिवायत किया है और यह सुफ़ियान बिन उयय्ना ही हैं, जिनसे हम्माम ने रिवायत की है।

नीज जनाज़ा के आगे चलने के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है: नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जनाज़ा के आगे चलना अफ़ज़ल है। इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं। इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से मर्वी हदीस गैर महफ़ूज़ है।

1010 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जनाज़ा के आगे चला करते थे इसी तरह अबू बक्र, उमर और उस्मान (رضي الله عنه) भी।

सहीह: इब्ने माजा: 1483. अबू याला:3608. शरहुल मआनी. 1/482.

1010 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने इस हदीस के बारे में मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "यह हदीस खता है इस में मुहम्मद बिन बक्र ने ग़लती की है। यह हदीस तो बवास्ता यूनुस, ज़ोहरी से मर्वी है कि नबी(ﷺ), अबू बक्र और उमर (رضي الله عنه) जनाज़े के आगे चलते थे। ज़ोहरी कहते हैं: मुझे सालिम (رحمه الله) ने बताया कि उनके वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) भी जनाज़े के आगे चलते थे। मुहम्मद बुख़ारी फ़रमाते हैं यह ज़्यादा सहीह है।

27 - जनाज़ा के पीछे चलना.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

1011 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से जनाज़े के पीछे चलने के बारे में पूछा आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "दौड़ने से कम चाल हो, पस अगर वह नेक है तो तुम उसे जल्दी पहुँचाओगे और अगर बुरा है तो जहन्नम वालों को दूर ही किया जाता है, जनाज़ा के पीछे चला जाता है। वह पीछे नहीं चलता और उसके आगे चलने वालों को इस से कोई गरज नहीं।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3184. इब्ने माजा: 1484.

1011 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلاَ يُبَعَّدُ إِلاَّ أَهْلُ النَّارِ، الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلاَ تَتْبَعُ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ इसी सनद से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मर्वी है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी رحمه الله) को सुना वह अबू माजिद की इस रिवायत को ज़ईफ़ कहते थे। और मुहम्मद फ़रमाते हैं: हुमैदी, इब्ने उयय्ना से नक़ल करते हैं कि यहया से पूछा गया: यह अबू माजिद कौन है? उन्होंने फ़रमाया, "एक उड़ता हुआ परिंदा था जिसने हमें हदीस बयान की।

नीज नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का यही मज़हब है कि जनाज़ा के पीछे चलना अफ़ज़ल है। सुफ़ियान सौरी और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं और यह्या बनी तैमुल्लाह का इमाम था सिक़ह् रावी था उसकी कुनियत अबू हारिस थी, उसे यह्या अल जाबिर भी कहा जाता था, इसी तरह यह्या मुज्बिर भी यह कूफी है इस से शोबा, सुफ़ियान सौरी, अबू अहवस और सुफ़ियान बिन उयय्ना रिवायत लेते हैं।

28-जनाज़ा के पीछे सवार होना मकरूह है

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

1012 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ एक जनाज़ा में निकले तो आप(ﷺ) ने कुछ सवार लोगों को देखा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम शर्म

1012 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: أَلاَ تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلاَئِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ.

क्यों नहीं करते अल्लाह तआला के फ़रिश्ते तो अपने पाँव पर चल रहे हैं और तुम जानवरों की पीठों पर सवार हो।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा:1480. हाकिम:1/356. बैहक़ी:4/23.

वज़ाहत: इस मसले में मुग़ीरह बिन शोबा और जाबिर बिन समुरा (رضي الله) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सौबान (رضي الله) की हदीस उनसे मौक़ूफ़न भी मर्वी है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उन से मौक़ूफ़ रिवायत ज़्यादा सहीह है।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

29 - उसकी रुख़्सत का बयान.

1013 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ.

1013 - जाबिर बिन समुरा (رضي الله) फ़रमाते हैं: हम नबी(ﷺ) के साथ अबू दह्दाह़ (رضي الله) के जनाज़ा में थे और आप(ﷺ) अपने घोड़े पर सवार थे, वह दौड़ता था हम उसके इर्द गिर्द थे और आप इसे छोटे छोटे क़दमों के साथ ले जा रहे थे।

मुस्लिम:965. अबू दाऊद: 3178. निसाई:2026.

1014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنِ الجَرَّاحِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ.

1014 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा से रिवायत है कि नबी(ﷺ) अबू दह्दाह़ के जनाज़े के पीछे पैदल गये और घोड़े पर वापस आए।

सहीह: गुज़िश्ता हदीस में तख़रीज गुज़र चुकी है.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

1015 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

30 - जनाज़ा में जल्दी करना.

1015 - अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जनाज़ा को जल्दी करो, पस अगर वह नेक है तो उसे उसकी नेकी की तरफ जल्दी पहुँचाओ और अगर बुरा है तो तुम जल्दी उसे अपनी गर्दनों से उतारो।

बुख़ारी: 1315.मुस्लिम:944. अबू दाऊद: 3181. इब्ने माजा:1477.निसाई:1910.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बक्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ

1016 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ، حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ

31 - उहुद के शोहदा और हम्ज़ा (رضي الله عنه) का तज़किरा.

1016 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उहुद के दिन हम्ज़ा (رضي الله عنه) की लाश पर आकर खड़े हुए तो देखा उनका मुसला किया हुआ था आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर यह बात ना होती कि सफिय्या (رضي الله عنها) उन पर गम करेंगी तो मैं उन्हें छोड़ देता यहाँ तक की उन्हें जानवर खा जाते। यहाँ तक कि क़यामत के दिन उनको उनके पेटों से जमा किया जाता। "रावी कहते हैं: फिर आप ने एक चादर मंगवाई उसमें उनको कफ़न दिया, जब वह चादर उनके सर पर फैलाई जाती तो उनके पाँव नंगे हो जाते और

عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ. قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ. قَالَ: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

जब उनके पाँव पर बिछाई जाती तो उनका सर नंगा हो जाता। रावी कहते हैं: शोहदा ज़्यादा थे और कपड़े कम तो एक कपड़े में एक, दो और तीन आदमियों को लपेटा जाता फिर एक ही क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता। रावी कहते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके बारे में पूछते कि इन में से कौन ज़्यादा कुरआन (याद रखने वाला है आप उसे आगे किब्ले की तरफ रखते। रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको दफ़न कर दिया उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।

सहीह: अबू दाऊद: 3136. मुसनद अहमद: 3/ 128. दार कुत्नी:4/ 116. हाकिम:1/ 365.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है अनस (رضي الله عنه) से सिर्फ़ इसी सनद से हम इसे पहचानते हैं। (और) नमिरा ऊपर ली जाने वाली पुरानी चादर को कहते हैं। नीज इस हदीस में उसामा बिन ज़ैद की रिवायत में इख़्तिलाफ़ किया गया है। लैस बिन साद ने इब्ने शेहाब से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत की है और मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन सालबा, जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत की है और उसामा बिन ज़ैद के अलावा हम किसी रावी को नहीं जानते जिसने ज़ोहरी से बवास्ता अनस (رضي الله عنه) रिवायत की हो।

और मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा? तो उन्होंने फ़रमाया, लैस की इब्ने शेहाब से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी हदीस ज़्यादा सहीह है।

32 بَابٌ آخَرُ فِي سنة عيادة المريض و شهود الجنازة

32 - मरीज की इयादत करना और जनाज़ा में शरीक होना सुन्नत है.

1017 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

1017 – अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मरीज़ की इयादत करते, जनाज़ा में शरीक होते, गधे पर सवार होते और गुलाम की भी दावत कुबूल किया करते थे और बनू कुरैज़ा (के मुहासरे)के दिन

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ العَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، عَلَيْهِ إِكَافُ لِيفٍ.

आप एक गधे पर सवार थे जिसे खुजूर के पत्तों की रस्सी की लगाम दी हुई थी (और) उस पर खुजूर के पत्तों की ही जीन थी।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:4187. तयालिसी:2425. अब्द बिन हुमैद:1229.

तौज़ीह: اِكاف :गधे वगैरह की पीठ पर बैठने के लिए नीचे रखा जाने वाला पालान या ज़ीन तफ़्सील के लिए देखें अल-क़ामूसुल वहीद प। 129)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ मुस्लिम के तरीक़ (सनदों) से ही अनस (رضي الله عنه) से मिलती है और मुस्लिम अल-आवर ज़ईफ़ है। और मुस्लिम बिन कैसान अल-मलाई भी यही है जिसके बारे में कलाम किया गया है। शोबा और सुफ़ियान ने इस से रिवायत की है।

33- بَابُ أَين تدفن الانبياء؟

33 - नबियों को कहाँ दफ़न किया जाता है?

1018 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

1018 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़ौत हुए तो लोगों ने आप की तद्फीन में इख़्तिलाफ़ किया तो अबू बक्र (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक बात सुनी थी जिसे मैं भूला नहीं हूँ, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला नबी को उस जगह फ़ौत करता है जहां उसका दफ़न होना पसन्द करता है।" (इस वजह से सहाबा (رضي الله عنهم) ने) आपको आपकी बिस्तर की जगह पर ही दफ़न किया।

सहीह: अबू याला:45. शमाइले तिर्मिज़ी:398.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र अल-मुलैकी को उसके हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है। लेकिन यह हदीस उसके अलावा भी एक सनद से मर्वी है। इसे इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने भी अबू बकर सिद्दीक के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

34-मुर्दों की अच्छी बातें ज़िक्र करने और उनकी बुरी बातों के तज़किरे से बाज़ रहने का हुक्म.

34 بَابٌ آخَرُ فِي الأمر بذكر محاسن الموتى والكف عن مساويهم

1019 - इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने फ़ौत शुदा लोगों की अच्छी बातें ज़िक्र करो और उनकी बुरी बातों को (बयान करने) से बाज़ रहो।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4900.इब्ने हिब्बान:3020. बैहक़ी:4/75.

1019 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है मैंने मुहम्मद (رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि इमरान बिन अनस अल-मक्की मुन्करूल हदीस है। और बाज़ रावियों ने इस हदीस को बवास्ता अता सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है। (अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इमरान बिन अबी अनस मिस्त्री है और इमरान बिन अनस से अस्बत और बड़ा रावी है।

35 - जनाज़ा रखे जाने से पहले बैठना.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ

1020 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब जनाज़ा के पीछे जाते तो जब तक क़ब्र में न रख दिया जाता, आप बैठते नहीं थे तो एक यहूदी आलिम आप के पास आकर कहने लगा: ऐ मुहम्मद(ﷺ) ! हम भी ऐसे ही करते हैं। रावी कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) बैठ गए और फ़रमाया, "इन यहूदियों की मुख़ालिफ़त करो।"

हसन: अबू दाऊद: 3176. इब्ने माजा: 1545.

1020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ الجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: خَالِفُوهُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और बिश्र बिन राफे हदीस में क़वी नहीं है।

36 بَابُ فَضْلِ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

36 - मुसीबत आने पर सवाब की उम्मीद से सब्र करने की फ़ज़ीलत.

1021 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ.

1021 - अबू सिनान (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैंने अपने बेटे सिनान को दफ़न किया जबकि अबू तल्हा खौलानी (رحمه الله) क़ब्र के किनारे पर बैठे हुए थे जब मैं क़ब्र से निकलने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर फ़रमाया, "ऐ अबू सिनान! क्या मैं आप को ख़ुशख़बरी न दूं? मैंने कहा क्यों नहीं उन्होंने कहा: मुझे ज़हहाक बिन अब्दुर्रहमान बिन अरज़ब ने सय्यदना अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) के हवाले से बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब किसी बन्दे का बेटा फ़ौत होता है तो अल्लाह तआला अपने फरिश्तों से कहते हैं, तुमने मेरे बन्दे के बेटे की रूह को कब्ज़ किया है? तो वह कहते हैं जी हाँ, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं, तुमने उसके दिल का फल छीन लिया है? वह कहते हैं : हाँ , अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे ने इस मौक़ा पर क्या कहा था? वह कहते हैं: उसने तेरी हम्द की और إنا لله وإنا إليه راجعون पढ़ा तो अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतूल हम्द रख दो।

हसन: मुसनद अहमद: 4/415. तयालिसी: 508. इब्ने हिब्बान:2948.

तौज़ीह: إنا لله وإنا إليه راجعون कहने को इस्तिर्जा कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

37 - जनाज़ा पर तक्बीरात कहना.

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ

1022 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढी तो चार तक्बीरें कहीं।

बुख़ारी: 1245. मुस्लिम:951. अबू दाऊद: 3204. इब्ने माजा:1534. निसाई:1971.

1022 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

तौज़ीह: नजाशी का नाम अस्महा था। हब्शा के बादशाह थे। इस्लाम क़ुबूल किया लेकिन नबी(ﷺ) से मुलाक़ात का शरफ़ हासिल ना कर सके अल्लाह तआला ने बज़रिये वह्य आप(ﷺ) को उनकी वफ़ात की इत्तला (सूचना) दी तो आप(ﷺ) ने उनकी गायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। इस हदीस में गायबाना नमाज़े जनाज़ा का वाज़ेह सबूत मौजूद है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, इब्ने अबी औफ़ा, जाबिर, अनस और यज़ीद बिन साबित (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना यजीद बिन साबित, सय्यदना ज़ैद बिन साबित (ﷺ) के बड़े भाई हैं। यह बद्र में शरीक थे जब कि ज़ैद (ﷺ) बद्र में शरीक नहीं हुए थे।

अबू ईसा (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है कि जनाज़ा पर चार तक्बीरें होंगी। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी इसी के क़ायल हैं।

1023 – अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि ज़ैद बिन इक्रिमा (ﷺ) हमारे फ़ौत शुदा लोगों के जनाजों पर चार तक्बीरें कहते थे और उन्होंने एक जनाज़ा पर पांच तक्बीरें कहीं, हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “रसूलुल्लाह(ﷺ) यह तक्बीरें कहा करते थे।

मुस्लिम: 957. अबू दाऊद: 3197. इब्ने माजा:1505. निसाई:1982.

1023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन इक्रिमा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा (ﷺ) और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए जनाज़ा पर पांच तकबीरों के क़ायल हैं।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) कहते हैं: जब इमाम जनाजे पर पांच तक्बीरें कहे तो (पढ़ने वाला) इमाम की पैरवी करेगा।

38 بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

1024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ: اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ.

38- मय्यत पर नमाज़े जनाज़ा में क्या दुआ पढ़े?

1024 - अबू इब्राहीम अशहली अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ते तो कहते "ऐ अल्लाह! हमारे ज़िंदा और मुर्दे को, हाज़िर और ग़ायब को, छोटे और बड़े को, मर्द और औरत को बख़्श दे। " यह्या कहते हैं: अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बवास्ता अबू हुरैरा (ﷺ) नबी(ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा थे "ऐ अल्लाह! हम में से जिसे तु ज़िन्दा रखे तू उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हम में से जिसे तु फ़ौत करे उसे ईमान पर फ़ौत कर। "

सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन औफ़, आयशा, अबू क़तादा, जाबिर और औफ़ बिन मालिक (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू इब्राहीम के वालिद की हदीस हसन सहीह है। नीज हिशाम दस्तवाई और अली बिन मुबारक ने इस हदीस को यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान (ﷺ) नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है और इक्रिमा बिन अम्मार ने यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा सय्यदा आयशा (ﷺ) के ज़रिया

नबी(ﷺ) से रिवायत की है। इक्रिमा बिन अम्मार की हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है (क्योंकि) इक्रिमा बसा औक़ात यह्या की हदीस में वहम कर जाते थे। और यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अन अबीह भी नबी(ﷺ) से मर्वी है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को सुना वह फ़रमा रहे थे: इस मसले में सब से सहीह रिवायत यह्या बिन अबी कसीर की बवास्ता अबू इब्राहीम अशहली उनके बाप के ज़रिया नबी(ﷺ) से रिवायत कर्दा है। कहते हैं: मैंने उनसे इब्राहीम अशहली के वालिद का नाम पूछा तो उन्हें पता नहीं था।

1025 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ.

1025 - सय्यदना औफ़ बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को एक मय्यत पर नमाज़ पढ़ते हुए सुना तो मैंने आपकी दुआ में से यह दुआ सीखी: "ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे, इस पर रहम फ़रमा, इस (के गुनाहों) को (रहमत के) ओलों से धो दे और उसे ऐसे धो दे जैसे कपड़ा धोया जाता है।"

मुस्लिम:963. इब्ने माजा:1500. निसाई:1983.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में सबसे सहीह चीज़ यह हदीस है।

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

39 - नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातिहा की किरअत करना.

1026 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ

1026 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने जनाज़ा पर सूरह फातिहा पढ़ी।

सहीह: इब्ने माजा:1498.

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे शरीक (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस की सनद कवी नहीं है। इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा वास्ती मुन्करूल हदीस है। और सहीह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का कौल है कि जनाज़ा पर सूरह फातिहा को पढ़ना सुन्नत है।

1027 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.

1027- तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ (رحمه الله) बयान करते हैं कि सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "यह सुन्नत है या (यह कहा कि) इस से सुन्नत पूरी होती है।

सहीह: बुख़ारी: 1335. अबू दाऊद: 3198. इब्ने जारूद:263. हाकिम:358.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ने को पसन्द करते हैं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं।

बाज़ उलमा कहते हैं नमाज़े जनाज़ा में किरअत न करे इसमें तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ उस के नबी(ﷺ) पर दरूद और मय्यत के लिए दुआ है इस के क़ायल सुफ़ियान सौरी और दीगर अहले कूफा हैं।

तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि0) के भतीजे हैं. उन से ज़ोहरी भी रिवायत लेते हैं।

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ

40 - नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा और मय्यत के लिए शफ़ाअत करना.

1028 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ

1028- मर्सद बिन अब्दुल्लाह यजनी (رحمه الله) रिवायत करते हैं सय्यदना मालिक बिन हुबैरह (رضي الله عنه) जब नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते तो अगर

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ، إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ.

लोग कम होते तो उन्हें तीन हिस्सों (सफों) में तक़सीम कर लेते, फिर फ़रमाते: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस पर तीन सफों (के लोगों) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

हसन: अबू दाऊद: 3166. इब्ने माजा:1390. मुसनद अहमद:4/79. इब्ने अबी शैबा:3/322.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे हबीबा, अबू हुरैरा और नबी(ﷺ) की बीवी मैमूना (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मालिक बिन हुबैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और कई रावियों ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से इसी तरह रिवायत की है। और इब्राहीम बिन साद ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत करते वक़्त मर्सद और इमाम मालिक बिन हुबैरा के दर्मियान एक आदमी को दाख़िल किया है और हमारे नज़दीक इन लोगों की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

1029 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ. وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا.

1029 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमानों में जब कोई आदमी फ़ौत हो जाए और उस पर मुसलमानों की एक जमाअत जिनकी तादाद सौ के करीब हो वह नमाज़ पढ़ कर सिफारिश करें तो उनकी सिफारिश कुबूल की जाती है।" अली बिन हुज्र ने अपनी हदीस में: "सौ से ज़्यादा" का ज़िक्र किया है।

मुस्लिम:947. निसाई:1991.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन है और बाज़ ने इसे मौक़ूफ़ ज़िक्र किया मर्फ़ूअ ज़िक्र नहीं किया।

41 - सूरज निकलते और गुरूब होते वक़्त नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मना है.

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

1030 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

1030 - उक़्बा बिन आमिर अल-जुहनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) तीन घड़ियों में हमें नमाज़ पढ़ने और मुर्दों को दफ़नाने से मना करते थे जब सूरज चमकता[1] हुआ निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, जब दोपहर कायम होती है यहाँ तक कि ढल जाए और जब सूरज गुरूब होने के लिए झुके यहाँ तक कि गुरूब हो जाए।

मुस्लिम:831. अबू दाऊद: 9231. इब्ने माजा:1519. निसाई:560.

तौज़ीह: [1]तुलू के लिए ज़ाहिर हो रहा हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए इन औक़ात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को मकरूह (नापसंदीदा) कहते हैं।

इब्ने मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुर्दे दफ़नाने से मुराद भी नमाज़े जनाज़ा ही है और उन्होंने सूरज तुलू होते, गुरूब होते और दोपहर के वक़्त ढलने तक नमाज़े जनाज़ा को मकरूह कहा है। अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जिन औकात (वक़्तों) में नमाज़ पढ़ना मना है उनमें नमाज़े जनाज़ा पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं है।

42 - बच्चों की नमाज़े जनाज़ा.

42 مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الأَطْفَالِ

1031 - मुग़ीरह बिन शोबा से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सवार जनाज़े के पीछे रहे, पैदल जहां चाहे चल सकता है और बच्चे की नमाज़ पढ़ी जाएगी।"

अबू दाऊद: 3180. इब्ने माजा:1481. निसाई:1942.

1031 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस्त्राईल वग़ैरह ने सईद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं: जब पता चल जाए कि बच्चे में रूह फूँक दी गई है अगरचे वह पैदा होने के बाद चीख़ ना भी मारे तो भी बच्चे की नमाज़े जनाज़ा अदा की जाए।

43 - जब तक बच्चा रोये न उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ने का जवाज़.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

1032 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तक बच्चा (विलादत (पैदाइश) के बाद) रोये न, उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए न वह ख़ुद वारिस बन सकता है।"

इब्ने माजा: 1508. इब्ने हिब्बान:6032.

1032 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस में रावियों ने इज़्तिराब किया है बाज़ ने बवास्ता अबू ज़ुबैर सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से मर्फ़ूअ रिवायत की है जबकि अशअस बिन सिवार वग़ैरह ने

बवास्ता अबू ज़ुबैर, जाबिर (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत की है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी बवास्ता अता बिन अबी रबाह, सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत की है। गोया यह (मौकूफ़ हदीस) मर्फ़ूअ हदीस से ज़्यादा सहीह है।

नीज बाज़ अहले इल्म का यही मज़हब है कि बच्चा जब रोये न, तो उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए। यह कौल सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का है।

44 - मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना.

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

1033 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुहैल बिन बैजा की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी।

मुस्लिम:973. अबू दाऊद: 3189.इब्ने माजा:1518. निसाई:1967.

1033 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक का कहना है मय्यत की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में न पढ़ी जाए जबकि शाफ़ेई (رحمه الله) कहते हैं: मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। और उन्होंने इसी हदीस से दलील ली है।

45 - मर्द और औरत के जनाज़े में इमाम कहाँ खड़ा हो?

45 بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

1034 - अबू ग़ालिब (رحمه الله) कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के साथ एक आदमी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उसके सिर के बराबर खड़े हुए फिर लोग कुरैशी औरत का जनाज़ा लाये, उन्होंने कहा: ऐ अबू हम्ज़ा!

1034 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ

قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ. قَالَ: احْفَظُوا

इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें तो वह चारपाई के दर्मियान के बराबर खड़े हुए तो अला बिन जियाद ने कहा क्या आप ने (रसूलुल्लाह(ﷺ)) को देखा था कि वह औरत के जनाज़े में यहाँ और मर्द के जनाज़ा में भी आपकी जगह खड़े होते थे? उन्होंने फ़रमाया, "हाँ, फिर जब फ़ारिग हुए तो कहने लगे: इस बात को याद कर लो।

वज़ाहत: इस मसले में समुरा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अनस (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन है और कई रावियों ने हम्माम से इस जैसी हदीस रिवायत की है। और वकीअ ने हमाम से यह हदीस बयान करते वक़्त ग़ालिब बवास्ता अनस कहा है जबकि सहीह नाम अबू ग़ालिब है। नीज अब्दुल वारिस बिन सईद वगैरह ने भी इस हदीस को अबू ग़ालिब के वास्ते के साथ हम्माम की रिवायत की तरह बयान किया है और मुहद्दिसीन ने अबू ग़ालिब के नाम के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है: बाज़ इसका नाम नाफ़े जबकि बाज़ राफ़े कहते हैं। नीज बाज़ उलमा का इसी (हदीस) पर अमल है इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمہما اللہ) भी इसी के क़ायल हैं।

1035 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا.

1035 - समुरा बिन जुन्दुब (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने एक औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो आप उसके दर्मियान खड़े हुए।

बुख़ारी: 322. मुस्लिम:964. अबू दाऊद: 3195. इब्ने माजा:1493. निसाई:1976.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे शोबा ने हुसैन अल मुअल्लिम से रिवायत किया है।

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

46 - शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना.

1036 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ

1036 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) शोहदाए उहुद में से दो आदमियों

بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يُغَسَّلُوا

को एक कपड़े में जमा करते फिर फ़रमाते: "इन दोनों में से ज़्यादा कुरआन किसे याद था?" जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाता आप क़ब्र में उसे आगे रखते और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "मैं क़यामत के दिन इन लोगों पर गवाह हूंगा और आप ने उनके खून (वाले कपड़ों) में ही उन्हें दफ़न करने का हुक्म दिया, न उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और न ही उनको गुस्ल दिया गया।

बुख़ारी: 1343. अबू दाऊद: 3138. इब्ने माजा: 1514. निसाई: 1955.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता अनस (رضي الله عنه) भी नबी(ﷺ) से मर्वी है और ज़ोहरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन सालबा बिन अबी सईद भी नबी(ﷺ) से रिवायत की गई है और बाज़ ने इसे जाबिर (رضي الله عنه) से भी ज़िक्र किया है। नीज अहले इल्म का शहीद की नमाज़े जनाज़ा के बारे में इख़्तिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं: शहीद की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए यह कौल अहले मदीना का है। इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं।

जबकि बाज़ कहते हैं कि शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये और उनकी दलील नबी(ﷺ) की यह हदीस है कि आप(ﷺ) ने हम्ज़ा (رضي الله عنه) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है। नीज इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं।

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ

47 - क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान.

1037 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ

1037 - शाबी कहते हैं मुझे उस शख़्स ने बयान किया जिस ने नबी(ﷺ) को देखा कि आप ने (आम क़ब्रों से) दो अकेली क़ब्र देखी तो आप(ﷺ) ने अपने पीछे अपने सहाबा की सफें बनाई और उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। शाबी से कहा गया: आपको किसने ख़बर दी? तो

أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَهُ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

उन्होंने फ़रमाया, "इब्ने अब्बास (ﷺ) ने।
बुख़ारी:857. मुस्लिम:954. अबू दाऊद: 3196. इब्ने माजा:1530. निसाई:3023.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, बुरैदा, यज़ीद बिन साबित, अबू हुरैरा, आमिर बिन रबीआ, अबू क़तादा और सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास(ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा (ﷺ) और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है नीज इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए, यह कौल मालिक बिन अनस (ﷺ) का है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़े बगैर मय्यत को दफ़ना दिया जाए तो क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है।

इमाम अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: क़ब्र पर एक महीने तक नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है और वह कहते हैं: हमने इब्ने मुसय्यब की तरफ से अक्सर यही सुना है कि नबी(ﷺ) ने साद बिन उबादा (ﷺ) की माँ की क़ब्र पर एक महीने के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी।

1038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ.

1038 - सईद बिन मुसय्यब (ﷺ) से रिवायत है कि सय्यदा उम्मे साद (ﷺ) फ़ौत हो गयीं और नबी(ﷺ) (मदीना में) मौजूद नहीं थे तो जब आप आए आप(ﷺ) ने उनकी क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी हालांकि इस बात को एक महीना गुज़र चुका था।
ज़ईफ़: बैहक़ी: 4/48. इब्ने अबी शैबा:3/360.

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ

48 - नबी(ﷺ) का नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना.

1039 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ

1039 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हम से फ़रमाया, "बेशक तुम्हारा भाई नजाशी फ़ौत हो गया है सो तुम खड़े हो जाओ और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो।" कहते हैं, हम खड़े हुए और ऐसे

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ.

ही सफें बनायीं जिस तरह मय्यत पर सफें बनाई जाती हैं और ऐसे ही नमाज़ पढ़ी जैसे मय्यत पर पढ़ी जाती है।

मुस्लिम: 953. इब्ने माजा: 1535. निसाई: 1975.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद, हुज़ैफा बिन उसैद और जरीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू किलाबा ने अपने चचा अबू मुहल्लब के वास्ते के साथ इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। अबू मुहल्लब का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुर्रा है उन्हें मुआविया बिन मुर्रा भी कहा जाता है।

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

49 - नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की फजीलत.

1040 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

1040 - अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी उसके लिए एक कीरात (का सवाब) होता है और जो उसके पीछे चले यहाँ तक कि उसकी तद्फीन मुकम्मल हुई तो उसके लिए दो कीरात हैं। उनमें से एक या छोटा क़ीरात उहुद की तरह होता है।" अबू सलमा (رضي الله عنه) कहते हैं: मैंने इसका ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से किया तो उन्होंने आयशा (رضي الله عنها) को पैगाम भेज कर इसके बारे में उन से पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: "अबू हुरैरा (رضي الله عنه) सच कहते हैं। इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाने लगे: हमने तो बहुत से कीरात (हासिल करने) में सुस्ती कर ली।

बुख़ारी: 47. मुस्लिम: 945. इब्ने माजा: 1539. निसाई: 1994- 1997.

वज़ाहत: इस मसले में बरा, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद, उबय बिन काब, इब्ने उमर और सौबान (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। । तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक़ से मर्वी है।

50 - जनाज़ा के पीछे किस क़दर चलना या उसे उठाना काफ़ी होता है?

50 بَابٌ آخَرُ قدر ما يجزي من إتباع الجنازة وحملها

1041 - अबू मुहज़्ज़िम (رحمه الله) कहते हैं: मैंने दस साल सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के साथ रहा हूँ मैंने उनको फ़रमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना आप ने फ़रमाया, "जो शख़्स जनाज़े के पीछे चला और उसे तीन दफ़ा उठाया तो उसने अपने ज़िम्मे हक़ को अदा कर दिया।

ज़ईफ़; इब्ने अबी शैबा:3/ 283.

1041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزِّمِ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है बाज़ ने इसी सनद के साथ रिवायत की है लेकिन इसे मर्फ़ूअ बयान नहीं किया और अबू मुहज़्ज़िम का नाम यज़ीद बिन सुफ़ियान है। इसे शोबा ने ज़ईफ़ कहा है।

51 - जनाज़ा देख कर खड़े हो जाना.

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

1042 - सय्यदना आमिर बिन रबीआ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम जनाज़ा को देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि वह तुम्हें पीछे छोड़ जाए या उसे रख दिया जाए। "

बुख़ारी: 1307. मुस्लिम: 958. अबू दाऊद: 3172. इब्ने माजा:1542. निसाई:1915.

1042 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ

بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, जाबिर, सहल बिन हुनैफ़, कैस बिन साद और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना आमिर बिन रबीआ (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

1043 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ.

1043 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तुम जनाज़े को देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ (और) जो शख़्स उसके पीछे जाता है तो जब तक उसे रख ना दिया जाए वह हरगिज़ न बैठे।"

बुख़ारी:1310 मुस्लिम:959 अबू दाऊद: 3173 निसाई:1914 तोहफतुल अशराफ़ :4420.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू सईद (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और इमाम अहमद व इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि जो शख़्स जनाज़े के पीछे जाए तो वह उस वक़्त तक न बैठे जब तक उसे आदमियों के कन्धों से उतार दिया जाए। जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ से मर्वी है कि वह जनाज़े के आगे चलते थे और जनाज़ा उन तक पहुँचने से पहले बैठे रहते थे। इमाम शाफ़ेई (ﷺ) भी इसी के क़ायल हैं।

52 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ القِيَامِ لَهَا

52-जनाज़ा के लिए खड़े न होने की रुख़्सत

1044 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

1044 - मसऊद बिन हकम (ﷺ) बयान क़रते हैं कि सय्यदना अली बिन अबी तालिब (ﷺ) के पास जनाज़े रखे जाने तक खड़े रहने का तज़किरा किया गया तो अली (ﷺ) ने

Sherkhan
9825 696 131

مَسْعُودِ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ القِيَامُ فِي الجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَعَدَ.

फ़रमाया, "रसूलुल्लाह(ﷺ) पहले खड़े हुआ करते थे फिर (बाद में) बैठने लग गए थे।

मुस्लिम: 962. अबू दाऊद: 3175. इब्ने माजा: 1544. निसाई:1999.

वज़ाहत: इस मसले में हसन बिन अली और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और इसकी सनद में चार ताबेई एक दूसरे से रिवायत कर रहे हैं और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है।

शाफ़ेई फ़रमाते हैं: यह इस मसले में सब से सहीह हदीस है। और यह हदीस पहली हदीस जब तुम जनाज़ा को देखो खड़े हो जाओ की नासिख़ (हुक्म उठाने वाली) है।

इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर चाहे खड़ा हो जाए, चाहे तो न खड़ा हो और उनकी दलील यह है कि नबी(ﷺ) खड़े होते थे फिर बैठने लगे। इस्हाक़ बिन इब्राहीम भी इसी तरह कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) के कौल कि नबी(ﷺ) जनाज़ा देख कर खड़े हुए थे फिर बैठने लगे का मतलब यह है कि जब नबी(ﷺ) कोई जनाज़ा देखते तो खड़े हो जाते फिर उसके बाद आप(ﷺ) ने यह काम छोड़ दिया आप जनाज़ा देख कर खड़े नहीं होते थे।

53 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

53 -नबी(ﷺ) का फ़रमान कि लहद हमारे लिए और शक़्क़ दूसरे लोगों के लिए.

1045 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ البَغْدَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

1045 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "लहद हमारे लिए और शक दूसरे लोगों के लिए है।

सहीह: अबू दाऊद: 3208. इब्ने माजा:1554. निसाई:2009.

तौज़ीह: लहद:- बगली क़ब्र को लहद कहा जाता है, यह इस तरह तैयार होती है कि पहले ऊपर एक चार कोनों वाला गढ़ा खोद कर फिर उसके अन्दर क़िब्ला की जानिब एक और गढ़ा खोदा जाता है।

लहद का मानी होता है एक तरफ होना इसीलिए उसको लहद कहा जाता है और **शक्क:**- यह है कि ऊपर वाले गढ़े के दर्मियान में नीचे दूसरा गढ़ा खोदना।

वज़ाहत: इस मसले में जरीर बिन अब्दुल्लाह, आयशा, इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की इस सनद से मर्वी हदीस हसन ग़रीब है।

54 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

54 - जब मय्यत को क़ब्र में दाख़िल किया जाए तो क्या कहना चाहिए?

1046 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ القَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1046 - सय्याना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जब मय्यत को क़ब्र में दाख़िल किया जाता तो नबी(ﷺ) कहते: (राविए हदीस) अबू ख़ालिद ने एक मर्तबा यह कहा कि मय्यत को जब लहद में रखा जाता तो आप कहते: "अल्लाह के नाम के साथ, उसकी तौफीक़ से और अल्लाह के रसूल(ﷺ) की मिल्लत पर" और एक मर्तबा यह अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हैं: "अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तौफीक़ के साथ और अल्लाह के रसूल(ﷺ) की सुन्नत पर।" सहीह: अबू दाऊद: 3213. इब्ने माजा: 1550.

तौज़ीह: एक दफ़ा रावी ने وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ، और एक मर्तबा عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ के अल्फ़ाज़ बयान किये। आप अंदाजा फ़रमाएं कि मुहद्दिसीन ने किस तरह एहतियात से काम लेते हुए अहादीस को बयान किया है कि अगर रावी ने दो मजलिसों में हदीस बयान की है और दोनों दफ़ा अल्फ़ाज़ बदल कर रिवायत की है तो इसी तरह साहिबे किताब ने बयान कर दिये कि कहीं हदीसे रसूल में झूठ न बन जाए लेकिन आज नाम निहाद उलमा अपनी मर्ज़ी से फ़ज़ाइल की अहादीस गढ़ कर लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज यह हदीस कई तुरूक़ से सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और अबू सिद्दीक़ अन्नाजी ने भी इसे बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। इसी तरह अबू सिद्दीक़ अन्नाजी इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़न भी रिवायत करते हैं।

Sherkhan
9825 696 131

55 - क़ब्र में मय्यत के नीचे कपड़ा रखना.

55 بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ فِي القَبْرِ

1047 - जाफ़र बिन मुहम्मद (रहमतुल्लाह) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की क़ब्रे मुबारक तैयार की थी वह सय्यदना अबू तल्हा (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे और जिसने क़ब्र में रसूलुल्लाह(ﷺ) के नीचे चादर बिछाई थी वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के आज़ादकर्दा शुक्रान (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे। जाफ़र कहते हैं: "मुझे उबैदुल्लाह बिन अबू राफे ने बताया कि मैंने शुक्रान (रज़ियल्लाहु अन्हु) को फ़रमाते हुए सुना, ''अल्लाह की क़सम! मैंने ही रसूलुल्लाह(ﷺ) के नीचे क़ब्र में चादर बिछाई थी।''

सहीहुल इस्नाद.

1047 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى القَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ طَرَحْتُ القَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القَبْرِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं: शुक्रान (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस हसन ग़रीब है और अली बिन मदीनी ने भी उस्मान बिन फ़र्कद से इस हदीस को रिवायत किया है।

1048 - सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) की कब्रे मुबारक में सुर्ख चादर रखी गई थी।

मुस्लिम: 967. निसाई: 2012.

1048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.

वज़ाहत: मुहम्मद बिन बश्शार दूसरी जगह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन जाफ़र और यह्या ने शोबा से बवास्ता अबू हम्ज़ा सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज शोबा ने इसे अबू हम्ज़ा क़साब से रिवायत किया है, जिनका नाम इमरान बिन अबी अता है और अबू ज़म्रा अज़्ज़बई से भी जिनका नाम नसर बिन

इमरान है, मर्वी है और यह दोनों (अबू हम्ज़ा और अबू जम्रा) इब्ने अब्बास (رضي الله) के शागिर्द हैं.

नीज इब्ने अब्बास (رضي الله) से यह भी मर्वी है कि वह क़ब्र में मय्यत के नीचे कोई चीज़ बिछाने को नापसन्द करते थे। और बाज़ उलमा का भी यही मज़हब है।

56 - क़ब्र को (ज़मीन के) बराबर करना.

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ القُبُورِ

1049 - अबू वाइल (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि अली (رضي الله) ने अबू हय्याज असदी से कहा, मैं तुम्हें उस काम पर भेज रहा हूँ जिस पर मुझे नबी(ﷺ) ने भेजा था कि किसी बलन्द क़ब्र को न छोड़ो मगर उसे बराबर कर दो और न किसी मूर्ती को मगर उसे मिटा डालो।

सहीह: अबू दाऊद: 3218. निसाई: 2031. मुसनद अहमद: 1/89. मुस्लिम: 3/61.

1049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ، وَلاَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ.

तौज़ीह: जो क़ब्र एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची हो उसे एक बालिश्त तक बाक़ी रखा जाए।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله) की हदीस हसन है और बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए क़ब्र को ज़मीन से बलन्द करने को मकरूह (नापसंद) कहते हैं।

शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते है: मैं क़ब्र बलन्द करने को मकरूह समझता हूँ, मगर इतनी जायज़ है जिस से पता चल जाए कि यह क़ब्र है ताकि उसे रोंदा या उस पर बैठा ना जाए।

57 - क़ब्रों पर चलना, बैठना और उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना मना है.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المَشْيِ عَلَى القُبُورِ، وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا، وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا

1050 - सय्यदना अबू मर्सद अल-गनवी (رضي الله) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "न तुम क़ब्रों पर बैठो और न उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो।"

मुस्लिम: 972। अबू दाऊद: 3229। निसाई: 760

1050 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ

الغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا. وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَبَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अम्र बिन हज्म और बिश्र बिन खसासिया (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक इसी सनद से इसी तरह हदीस बयान की है।

1051 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ.

1051 - वासिला बिन अस्क़ा बवास्ता अबू मर्सद अल-गनवी नबी(ﷺ) से इसी तरह बयान करते हैं और इस सनद में अबू इदरीस का वास्ता नहीं है। और यही सहीह है।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمہ اللہ) कहते हैं: मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी رحمہ اللہ) कहते हैं: इब्ने मुबारक की हदीस खता है। इसमें इब्ने मुबारक ने ग़लती की है और इस में अबू इदरीस खौलानी के वास्ते को ज़्यादा किया है। यह तो बुस्र बिन उबैदुल्लाह वासिला से बयान करते हैं। इसी तरह कई रावियों ने अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर से रिवायत की है। इस में अबू इदरीस खौलानी का ज़िक्र नहीं है और बुस्र बिन उबैदुल्लाह ने वासिला बिन अस्क़ा से सिमा (सुनना) किया है।

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجْصِيصِ القُبُورِ، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا

58 - क़ब्रों को पक्का करना और उन पर लिखना मना है.

1052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

1052 - जाबिर (رضی اللہ عنہ)से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ब्रों को पुख्ता बनाने उन पर लिखने, उस पर इमारत बनाने और उन्हें

رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ.

रौंदने से मना किया है.

मुस्लिम: 970. अबू दाऊद:3225. इब्ने माजा:1562.

तौज़ीह: تَجْصِيص : पुख्ता करना या चूना गच करना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है। और बाज़ उलमा जिन में हसन बसरी भी शामिल हैं, क़ब्रों की लिपाई की इजाज़त देते हैं, शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: क़ब्र की लिपाई में कोई हर्ज नहीं है।

तौज़ीह: शारिहीन ने इस से मुराद यह ली है कि क़ब्र की मिट्टी पर पानी छिड़क लेने में कोई हर्ज नहीं है फिर उसके ऊपर हाथ मार दिया जाए। अल्लाह तआला बेहतर जानता है।

59 بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

59 - क़ब्रिस्तान में दाख़िल होने की दुआ.

1053 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ.

1053 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) मदीना की क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आप(صلى الله عليه وسلم) ने अपना चेहरा उनकी तरफ किया और कहा: "ऐ क़ब्रिस्तान वालो! तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह हमें और तुम्हें बख़्शे, तुम हमारे पेशखेमा हो और हम (तुम्हारे) पीछे (आने वाले) हैं।

ज़ईफ़: तबरानी फ़िल कबीर: 12613.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा और आयशा (رضي الله عنها) से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। अबू कुदैना का नाम यह्या बिन मुहल्लब और अबू ज़िब्यान का नाम हुसैन बिन जुन्दुब है।

60 - क़ब्रों की ज़ियारत करने की रुख़्सत.

60 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

1054 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, **"मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था। पस तहक़ीक़ मुहम्मद(ﷺ) को अपनी मां की कब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त मिल गई है, सो तुम भी उन कुबूर की ज़ियारत करो, यह आखिरत की याद दिलाती हैं।"**

सहीह: मुस्लिम: 977. अबू दाऊद: 3235.निसाई:2032.

1054 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, इब्ने मसऊद, अनस, अबू हुरैरा और उम्मे सलमा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बुरैदा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा का इसी पर अमल है। वह क़ब्रों की ज़ियारत में कोई हर्ज नहीं समझते। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

61 - औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत करना.

61 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ

1055- अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका (رحمه الله) **रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (رضي الله عنه) हुब्शी जगह पर वफ़ात पा गए तो उनकी मय्यत को मक्का लाया गया और वहीं दफ़न किया गया, जब सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) मक्का आयीं (तो) अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (رضي الله عنه) की कब्र पर आकर (यह अशआर) कहने लगीं: हम दोनों जजीमा के दो हम नशीनों की तरह एक लंबा अर्सा इस तरह इकट्ठा रहे यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि यह**

1055- حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً ... مِنَ الدَّهْرِ

حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا ... لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ.

दोनों कभी जुदा न होंगे, फिर जब हम जुदा हुए तो ऐसे लगता है कि मैं और मालिक इतनी मुद्दत इकट्ठे रहने के बावाजूद एक रात भी इकट्ठे नहीं रहे। फिर कहने लगीं अल्लाह की क़सम! अगर मैं तुम्हारी वफ़ात पर मौजूद होती तो तुम्हें वहीं दफ़न किया जाता जहां वफ़ात हुई थी, और अगर मैं तुम्हारी कफ़न व दफ़न में शरीक होती तो तुम्हारी (क़ब्र की) ज़ियारत न करती.

ज़ईफ़: अब्दुर्रज्जाक़: 6535.

तौज़ीह: यह दो साथी थे एक का नाम अकील और दूसरे का नाम मालिक था और इराक के बादशाह जजीमा के अहले मजलिस में से थे यह दोनों तकरीबन चालीस साल इकट्ठे रहे फिर मालिक की वफ़ात पर अकील ने यह अशआर कहे थे और सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) ने भी अपने भाई अब्दुर्रहमान की वफ़ात पर इन अशआर के साथ तम्सील (मिसाल) दी है।

62 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

62 - औरतों को क़ब्रों की ज़ियारत की कराहत का बयान.

1056 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

1056 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ब्रों की बहुत ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।

हसन: इब्ने माजा:1576. मुसनद अहमद: 2/337. अबू याला:5907

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और हस्सान बिन साबित (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा के मुताबिक यह हुक्म (नबी(ﷺ) की ज़ियारते क़ुबूर की इजाज़त देने से पहले था, फिर जब आप(ﷺ) ने रुख़सत दे दी तो आप की रुख़सत में मर्द और औरतें सब दाख़िल हो गये।

बाज़ कहते हैं कि खवातीन के लिए क़ब्रों की ज़ियारत की मनाही उनके कम सब्र और ज़्यादा रोने पीटने की वजह से है।

63 - रात के वक़्त दफ़न करना.

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

1057 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) रात के वक़्त (मय्यत को दफ़न करने के लिए) क़ब्र में उतरे तो आपके लिए एक चिराग़ जलाया गया आप(ﷺ) ने उस मय्यत को क़िब्ले की तरफ से पकड़ा और फ़रमाया, "अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे तू अल्लाह के ख़ौफ़ से बहुत ज़्यादा रोने वाला और बहुत ज़्यादा क़ुरआन की तिलावत करने वाला था।" और आप ने उस पर (नमाज़े जनाज़े में) चार तक्बीरें कही थीं।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1520.

1057 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتَ لأَوَّاهًا تَلاَّءً لِلْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

वजाहत: इस मसले में जाबिर और ज़ैद बिन साबित के बड़े भाई यज़ीद बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा का भी यही मज़हब है। और फ़रमाते हैं: मय्यत को क़िब्ला की तरफ से क़ब्र में दाख़िल किया जाए। बाज़ कहते हैं कि (सिरहाने या पैटी की तरफ रख कर) खींच लिया जाए नीज बाज़ उलमा ने रात को दफ़न करने की रुख़्सत दी है।

64 - मय्यत की अच्छी तारीफ़ करना.

64 بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ

1058 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास से एक जनाज़ा ले जाया गया, लोगों ने उसकी अच्छी तारीफ़ की तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "(इसके लिए जन्नत) वाजिब हो गई, फिर फ़रमाया, "तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो।"

बुख़ारी:1367. मुस्लिम:949. इब्ने माजा: 1491. निसाई:1932.

1058 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ.

वजाहत: इस मसले में उमर, काब बिन उज्रह् और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1059 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَثَةٌ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، قَالَ: قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ، قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوَاحِدِ.

1059 - अबू अस्वद दैली कहते हैं: मैं मदीना में आया तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) के पास बैठा लोग एक जनाज़ा ले कर गुज़रे, लोगों ने उसकी तारीफ़ की तो उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "वाजिब हो गई, मैंने उमर (رضي الله عنه) से कहा: "वाजिब हो गई? उन्होंने कहा: मैं वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह ने कहा था, आप(ﷺ) ने फ़रमाया था: जिस मुसलमान के लिए तीन आदमी गवाही दे दें तो उस के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है" उमर (رضي الله عنه) कहते हैं: हम ने कहा "दो भी?" कहते हैं: और हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसके बारे में नहीं पूछा।

बुख़ारी: 1368. निसाई:1908.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अस्वद अद्दैली का नाम ज़ालिम बिन अम्र बिन सुफ़ियान था।

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

65-जिसका बेटा फ़ौत हो जाए उसका सवाब

1060 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

1060 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "किसी मुसलमान के तीन बच्चे फ़ौत हो जाए तो जहन्नम की आग उसे सिर्फ क़सम को पूरा करने के लिए छुएगी।"

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ.

बुख़ारी: 1251. मुस्लिम:2632. इब्ने माजा: 603. निसाई:1875.

यह अल्लाह तआला की क़सम जिसका ज़िक्र क़ुरआन में भी है। و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً यानी अल्लाह का फैसला है कि हर एक उस पर वारिद होगा और अल्लाह बेहतर जानता है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, मुआज़, काब बिन मालिक, उत्बा बिन अब्द, उम्मे सुलैम, जाबिर, अनस, अबू ज़र, इब्ने मसऊद, अबू सालबा अश्जई, इब्ने अब्बास, उक़्बा बिन आमिर, अबू सईद और कुर्रा बिन इयास अल्मुज़नी (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सालबा अश्जई की नबी(صلى الله عليه وسلم) से सिर्फ एक हदीस है और वह यही हदीस है और यह अबू सालबा अल-खुश्नी नहीं हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1061 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ.

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: وَاثْنَيْنِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ القُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: وَوَاحِدًا، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.

1061 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "जिसने अपने तीन बच्चे आगे भेजे जो अभी तक बुलूगत को न पहुंचे हों (तो) वह बच्चे उसके लिए आग से बचाने के लिए एक मज़बूत किला बन जायेंगे। "अबू ज़र (رضي الله عنه) ने कहा: "मैंने दो भेजे हैं, आप ने फ़रमाया, "वह भी (किला बन जायेंगे)" तो कुर्रा के सरदार उबय बिन काब ने कहा मैंने एक आगे भेजा है, आप(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "एक भी लेकिन यह (क़िला तब बनेंगे) जब मुसीबत आने पर सब्र किया होगा।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1606. मुसनद अहमद: 1/375. अबू याला: 5116.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबू उबैदा ने अपने बाप से सिमा (सुनना) नहीं किया।

1062 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الوَلِيدِ الحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الجَنَّةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ، قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي.

1062 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना "मेरी उम्मत में से जिस शख़्स के दो पेशखेमा होंगे अल्लाह तआला उनकी वजह से उसे जन्नत में दाख़िल कर देगा। तो आयशा (رضي الله عنها) ने आप से कहा: आप की उम्मत में जिसका पेशखेमा हुआ, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ नेकी की तौफीक़ दी गई खातून! जिसका एक पेशखेमा भी हुआ (वह भी दाख़िल होगा)" कहने लगीं: आप की उम्मत में से जिसका कोई पेशखेमा न हुआ। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तो मैं अपनी उम्मत का मीरे कारवां हूँ, किसी की जुदाई की तकलीफ़ उन्हें मेरी जुदाई की तकलीफ़ से ज्यादा नहीं है।"

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 1/334. शमाइले तिर्मिज़ी: 398. बैहक़ी: 4/68.

तौज़ीह: **فَرَط** : पेश खेमा, मीरे कारवां जो मंजिल पर पहले पहुँच कर दुसरे साथियों का इन्तिज़ार करता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ अब्दे रब्बिही बिन बरीक की सनद से ही जानते हैं और उनसे कई अइम्मा ने रिवायत की है।

अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें अहमद बिन सईद अल-मुराबिती ने (वह कहते हैं:) हमें हिब्बान बिन हिलाल ने अब्दे रब्बिही बिन बरिक से इसी के मुताबिक़ रिवायत की है। सिमाक बिन वलीद हनफ़ी अबू ज़ुमैल हनफ़ी ही है।

66 - शोहदा कौन-कौन से लोग हैं?

66 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

1063 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "शोहदा पांच हैं: ताऊन में मरने वाला, पेट की बीमारी में मरने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर[1] मरने वाला, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला।"

बुख़ारी: 653. मुस्लिम: 1914. इब्ने माजा:2804.

1063 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ: الْمَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

तौज़ीह: [1]किसी दीवार या इमारत के गिरने से उसके नीचे या कुंए में डूब कर मर जाने वाला।

वज़ाहत: इस मसले में अनस, सफ़वान बिन उमय्या, जाबिर बिन अतीक, ख़ालिद बिन उर्फुता, सुलैमान बिन सुर्द, अबू मूसा और आयशा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

1064 - इस्हाक़ अस्सबीई से रिवायत है कि सुलैमान बिन सुर्द ने ख़ालिद बिन उर्फुता या ख़ालिद बिन अर्फुता ने सुलैमान (ﷺ) से कहा: कि क्या आप ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जिसको उसके पेट की बीमारी ने क़त्ल कर दिया उसे उसकी क़ब्र में अज़ाब नहीं होगा। तो एक ने दूसरे साथी से कहा: हाँ"

सहीह: मुसनद अहमद: 4/262. निसाई: 2052.

1064 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस मसले में हसन ग़रीब है नीज इसके अलावा भी एक सनद से मर्वी है।

Sherkhan
9825 696 131

67 - ताऊन (के डर) से भागना मना है.

67 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

1065 - सय्यदना उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने ताऊन का तज़किरा करते हुए फ़रमाया, "यह बनू इस्राईल के एक गिरोह पर भेजे गए अज़ाब[1] का बाकी मांदा हिस्सा है, सो जब यह किसी इलाके में आ जाए और तुम वहाँ पर मुकीम (ठहरे हुए) हो तो उस से न निकलो और जब किसी इलाके में आ जाए और तुम वहाँ पर रिहाइश पज़ीर नहीं हो तो वहाँ न जाओ।"

बुख़ारी: 3473. मुस्लिम: 2217.

1065 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: بَقِيَّةُ رِجْزٍ، أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بني إسرائيل، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا.

तौज़ीह: (1) दो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं "रिज्ज़ और अज़ाब" दोनों एक मानी में आते हैं और क़ुरआन में इसकी कसरत के साथ मिसालें मौजूद हैं।

वज़ाहत: इस मसले में साद, ख़ुज़ैमा बिन साबित, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, जाबिर और आयशा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

68 - जो शख़्स अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को पसंद करता है.

68 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

1066 - उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता हो (तो) अल्लाह तआला भी उस से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता है और जो शख़्स अल्लाह की

1066 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الأَشْعَثِ العِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

मुलाक़ात को नापसंद करता है अल्लाह भी उस से मिलना नापसंद करता है। "
बुख़ारी: 5607. मुस्लिम:2683. निसाई: 1836.

वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा, अबू हुरैरा और आयशा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1067 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

1067 - आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, जो शख़्स अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता हो (तो) अल्लाह तआला भी उस से मुलाक़ात की मोहब्बत रखता है और जो शख़्स अल्लाह की मुलाक़ात को नापसंद करता है तो अल्लाह भी उससे उसकी मुलाक़ात को नापसंद करता है" फ़रमाती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सब ही मौत को नापसन्द करते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह बात ऐसी नहीं है बल्कि मोमिन को जब अल्लाह की रहमत, ख़ुशनूदी और उसकी जन्नत की बशारत दी जाती है तो वह अल्लाह की मुलाक़ात से मोहब्बत करता है और अल्लाह भी उसकी मुलाकात से मोहब्बत करता है और काफिर को जब अल्लाह के अज़ाब और उसकी नाराजगी का बताया जाता है (तो) वह अल्लाह की मुलाक़ात को नापसंद करता है (इसलिए) अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को नापसंद करता है।

मुस्लिम: 2684. इब्ने माजा:4264. निसाई: 1834.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

69 - ख़ुद कुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए.

69 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

1068 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने अपने आपको क़त्ल कर लिया था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई थी।

मुस्लिम: 978. अबू दाऊद: 3185. इब्ने माजा:1526. निसाई:1964.

1068 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इस मसले में इख़्तिलाफ़ है: बाज़ उलमा कहते हैं कि हर उस शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है जो क़िब्ला की तरफ़ (मुंह करके) नमाज़ पढ़ता है और खुदकुशी करने वाले की भी। यह कौल सुफ़ियान सौरी और इस्हाक़ का है।

इमाम अहमद (ﷺ) फ़रमाते हैं: इमाम खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न पढ़े दूसरे लोग पढ़ लें।

70 - मक़रूज़ की नमाज़े जनाज़ा.

70 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ

1069 - सय्यदना अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) के पास एक आदमी (के जनाज़े) को लाया गया ताकि आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम अपने साथी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो उस के ऊपर कर्ज़ है।" अबू क़तादा ने कहा: "वह (कर्ज़) मेरे जिम्मे है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सारा कर्ज़?" अर्ज़ किया, सारा क़र्ज़। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दी।

सहीह: इब्ने माजा: 2407. निसाई: 1960.

1069 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, सलमा बिन अक्वा और अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1070 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

1070 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास कोई फ़ौतशुदा आदमी लाया जाता जिस पर कर्ज़ होता तो आप(ﷺ) फ़रमाते: "क्या उसने अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए माल छोड़ा है? अगर बयान किया जाता कि उसने अदायगी कर्ज़ (के माल) को छोड़ा है तो आप नमाज़ पढ़ा देते वर्ना मुसलामानों से कहते: "तुम अपने साथी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो। "फिर जब अल्लाह तआला ने आपको फुतूहात दीं तो आप खड़े हुए और फ़रमाया, "मैं मोमिनों का उनकी जानों से भी ज़्यादा खैरख्वाह हूँ पस मोमिनों में जो फ़ौत हो जाए और क़र्ज़ छोड़े तो उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मा है। और जो माल छोड़ कर जाए वह उसके वारिसों के लिए है।"

बुख़ारी: 2298. मुस्लिम: 1619. अबू दाऊद: 2955. इब्ने माजा:2415. निसाई: 1963.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज यह्या बिन बुकैर और दीगर रावियों ने भी लैस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन सालेह की हदीस की तरह रिवायत की है।

71 بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

71 - अज़ाबे क़ब्र का बयान.

1071 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

1071 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब मय्यत को क़ब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास सियाह रंग की नीली आँखों वाले

سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ، أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلآخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُولاَنِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: التَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاَعُهُ، فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

दो फ़रिश्ते आते हैं: उन में से एक को मुन्कर और दुसरे को नकीर कहा जाता है। वह दोनों कहते हैं: "तू उस आदमी मुहम्मद(ﷺ) के बारे में क्या कहता है? वह कहता है: "वह अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद(ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।" वह दोनों फ़रिश्ते कहते हैं: "यकीनन हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। फिर उसकी क़ब्र को सत्तर हाथ लम्बाई और चौड़ाई में खोल दिया जाता है, फिर उसके लिए उसमें रोशनी कर दी जाती है फिर उस से कहा जाता है सो जा। वह कहता है: "मैं अपने घर वालों की तरफ़ जाकर उनको बता दूं? वह दोनों कहते हैं: दुल्हन की तरह सो जा, जिसे सिर्फ उसका सबसे प्यारा ही जगाता है। यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसे उसकी उस जगह से उठाएगा। और अगर मरने वाला मुनाफ़िक़ है तो वह कहता है: मैंने लोगों को सुना था जो वह कहते मैं भी उसी तरह कह देता, मैं नहीं जानता, तो वह दोनों फ़रिश्ते कहते हैं: यकीनन हम जानते थे कि तु यही कहेगा, फिर ज़मीन से कहा जाता है: इस पर मिल जा। वह उस पर मिल जाती है, जिससे उसकी पसलियाँ इधर- उधर हो जाती हैं, उसे इसमें अज़ाब दिया जाता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह उसे उसके ठिकाने से उठाएगा।"

हसन: इब्ने हिब्बान: 3117. अस्सुन्नह व इब्ने अबी आसिम: 864. अश्-शरीया:365.

तौज़ीह: (1) أزرق: : जिनकी आँखें खूब नीली होंगी, इसी तरह उनके चेहरे खौफ़नाक लगेंगे। (2) सत्तर

में सत्तर का मतलब सत्तर ज़र्ब (70 X 70) यानी मुरब्बा की शक्ल में हर तरफ से सत्तर सत्तर हाथ खुल जाएगी। (3) पहली रात की दुल्हन उसके खाविंद के अलावा कोई नहीं जगाता, वह खूब बे फ़िक्र हो कर सोती है। इसी तरह यह बन्दा भी अपनी कब्र में सोयेगा उसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन ही जगायेंगे।

वज़ाहत: इस मसले में अली, ज़ैद बिन साबित, इब्ने अब्बास, बरा बिन आज़िब, अबू अय्यूब, अनस, जाबिर, आयशा और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। यह सब ही अज़ाबे क़ब्र के बारे में नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

1072 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

1072 - इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब मरने वाला मर जाता है तो उस पर सुबह व शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। सो अगर वह जन्नत वालों में से होता तो जन्नत वालों के ठिकानों में से अपनी जगह देख लेता है। और अगर जहन्नमियों में से होता है तो जहन्नम वालों के ठिकानों में से अपनी जगह देख लेता है।) फिर उस से कहा जाता है क़यामत के दिन अल्लाह तआला के तुझे उठाने तक यही तेरी जगह है। "

बुख़ारी: 1379. मुस्लिम: 2866. इब्ने माजा:4270. निसाई:2070-2072.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

72 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

72-मुसीबत ज़दा को तसल्ली देने वाले का सवाब

1073 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

1073 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी मुसीबत ज़दा को तसल्ली दी तो उसके लिए उसके अज्र की तरह अज्र है। "

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1602. बैहक़ी: 4/59.

: عَزّٰى यह लफ़्ज़ تعزيه से निकला है। जिसका मानी है ताजियत करना, तसल्ली देना यानी किसी मुसीबत ज़दा को ऐसे कलिमात कहे जिस से उसका गम कम हो जाए। मसलन अल्लाह तुझे इसका बदल अता करे, अल्लाह तुम्हें बड़ा अज्र दे वगैरह वगैरह।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे अली बिन आसिम की सनद से ही मर्फ़ूअ जानते हैं और बाज़ रावियों ने इस सनद के साथ इसी तरह की एक रिवायत मुहम्मद बिन सूका से भी की है और वह मर्फ़ूअ नहीं है। कहा जाता है कि अली बिन आसिम पर इसी हदीस की वजह से ज़्यादा आज़माइश आयी, लोगों ने उस पर तअन किया।

73 - जो शख़्स जुमा के दिन फ़ौत हो जाए.

73 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1074 - सय्यदना अली बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स जुमा के दिन या जुमा की रात फ़ौत होता है तो अल्लाह तआला उसे क़ब्र के फ़ित्ने से बचा लेता है।"

हसन: अब्दुर्रज्ज़ाक़: 5596. मुसनद अहमद: 2/ 169.

1074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ القَبْرِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। रबीआ बिन सैफ, अबू अब्दुर्रहमान हुबली के वास्ते के साथ सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं और हम रबीआ बिन सैफ के अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) को नहीं जानते।

74 - जनाज़ा में जल्दी करना.

74 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الجَنَازَةِ

1075 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन से फ़रमाया, "ऐ अली! तीन चीजों में देर न करना। "नमाज़ का वक़्त जब हो जाए, जनाज़ा

1075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا.

जब मौजूद हो और बेवा औरत जब तुम्हें उसका हम पल्ला रिश्ता मिल रहा हो।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और मेरे मुताबिक इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है।

75 بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

75 - ताज़ियत की फ़ज़ीलत में एक और बयान.

1076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الأَسْوَدِ، عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الجَنَّةِ.

1076 - मुनिया बिन्ते उबैद बिन अबू बरजा अपने दादा सय्यदना अबू बर्जा (رضي الله عنه) से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स फ़ौत होने वाले बच्चे की मां को[1] तसल्ली दे उसे जन्नत में एक चादर पहनाई जाएगी।"

ज़ईफ़.

तौज़ीह: ثَكْلَى : जिसका बच्चा फ़ौत हो जाए। एक मानी यह भी किया जाता है कि जिसका खाविंद फ़ौत हो जाए। तफ़सील के लिए देखिए ; अल-कामूसुल वहीद: पृ. 219)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी क़वी नहीं है।

76 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الجَنَازَةِ

76 - नमाज़े जनाज़ा ,में दोनों हाथों को उठाना (रफउल यदैन करना)

1077 - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ

1077 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जनाज़ा पर नमाज़ में तक्बीरात कही तो पहली तकबीर में अपने दोनों हाथों को बलंद किया और दायाँ हाथ बाएं हाथ पर रखा।

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

हसन अबू याला: 5858. दार क़ुत्नी: 2/74. बैहक़ी: 4/38

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं और इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है: नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा के नज़दीक आदमी अपने हाथों को नमाज़े जनाज़ा में हर तकबीर के साथ उठाए। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं। जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: अपने हाथों को सिर्फ पहली मर्तबा ही उठाए, यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है।

इब्ने मुबारक से मर्वी है कि नमाज़े जनाज़ा में अपना बायाँ हाथ अपने दायें हाथ से ना पकड़े और बाज़ उलमा कहते हैं कि दायें हाथ से बाएं हाथ को पकड़ सकता है जैसा कि नमाज़ में करता है।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: (दाएं से बाएं को) पकड़ना मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छा है।

77 بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

77 - मोमिन की जान क़र्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए.

1078 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

1078 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए। "

सहीह: इब्ने माजा: 2413. मुसनद अहमद: 2/440. दारमी: 2594

1079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

1079 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन की जान कर्ज़ की वजह से लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ़ से अदायगी हो जाए।"

सहीह: गुज़िश्ता हदीस में तख़रीज देखें

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है।

ख़ुलासा

- बीमारी से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं।
- बीमार की बीमारपुर्सी मुसलमान का हक़ है।
- मौत की आरज़ू (ख़्वाहिश करना) हराम है.।
- मौत की सख़्तियाँ बरहक़ हैं.।
- मय्यत को तीन मर्तबा या पांच मर्तबा ग़ुस्ल देना मुस्तहब है।
- नौहा करना (चीख़- चीख़ कर रोना) हराम है.।
- इसी तरह गिरेबान चाक करना भी जहालत का काम है।
- पैदल आदमी जनाज़े के आगे और पीछे जहां चाहे चल सकता है जबकि सवार आदमी पीछे ही रहे।
- नमाज़े जनाज़ा की चार तक्बीरें हैं।
- मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है।
- जनाज़ा में शिर्कत पर एक क़ीरात जबकि तद्फीन में भी शमूलियत पर दो क़ीरात सवाब मिलता है।
- ख़ुदकुशी हराम है।
- क़ब्र को पक्का करना और उस पर लिखना हराम है।
- शोहदा पांच किस्म के हैं।
- मय्यत की तरफ से क़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है।

मज़मून नम्बर-9

أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी निकाह के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

44 अबवाब 66 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे:

- निकाह की अहमियत व फायदे क्या हैं?
- शादी के लिए कैसी औरत का इंतेखाब (चयन) किया जाए?
- निकाह के लिए क्या शराइत हैं?
- तलाक़ के मसाइल.
- हलाला को इस्लाम किस नज़र से देखता है?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ، وَالحَثِّ عَلَيْهِ

1080 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

1 - शादी करने की फजीलत और उसकी तर्गीब.

1080 - सय्यदना अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ)ने फ़रमाया: "चार चीजें अंबिया की सुन्नत में से हैं: हया,खुशबू लगाना, मिस्वाक करना और निकाह।"

ज़ईफ़: अब्दुर्रज्जाक़: 10390. तबरानी फ़िल कबीर: 4085.

तौज़ीह: اَلنِّكَاحُ: लुग़त में इसका मानी औरत से मुबाशिरत करना या गिरह लगाना है। लेकिन दोनों मानी ही सहीह हैं, गिरह (अक़्दे निकाह) के साथ औरत हलाल हो जाती है और फिर उस से मुबाशिरत जायज़ होती है।

वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, सौबान, इब्ने मसऊद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू नजीह, जाबिर और एकाफ़ (رضی اللہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू अय्यूब (رضی اللہ) की हदीस हसन ग़रीब है। अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन खदाश अल-बगदादी ने (वह कहते हैं) हमें अब्बाद बिन अव्वाम ने हज्जाज से उन्होंने मकहूल से बवास्ता अबू शिमाल सय्यदना अबू अय्यूब (رضی اللہ) से नबी(ﷺ) से हफ्स की रिवायतकर्दा हदीस जैसी हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: हुशैम, मुहम्मद बिन यज़ीद अल-वास्ती, अबू मुआविया और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को हज्जाज से बवास्ता मकहूल रिवायत किया है। लेकिन इसकी सनद में अबू शिमाल का ज़िक्र नहीं किया। जबकि हफ्स बिन गयास और अब्बाद बिन अव्वाम की हदीस ज़्यादा सहीह है।

1081 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَ نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.

1081 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ निकले और हम नौजवान थे हमारे पास कुछ नहीं था तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "ऐ नौजावानों की जमात! निकाह ज़रूर करो, बेशक वह नज़र को बहुत झुकाने वाला और शर्मगाह को महफ़ूज़ रखने वाला है। जो शख़्स तुमसे निकाह की ताक़त नहीं रखता तो वह रोज़े रखे, बेशक रोज़ा उसके लिए खसी होने का ज़रिया है।"

बुख़ारी: 5065. मुस्लिम: 1400. अबू दाऊद: 2046. इब्ने माजा: 1845. निसाई: 2242, 2239.

तौज़ीह: البَاءَةِ : लफ़्ज़ी मानी जगह लेना इस से मुराद शादी और निकाह करना है क्योंकि निकाह के बाद वह अपनी बीवी के साथ रहता है।

2) किसी भी सांड की दो ढेलों (खुस्यतैन) के दर्मियान रगों को छेड़ना या फाड़ देना जिससे उसकी शहवत चली जाए उसे وِجَاءٌ कहा जाता है। इसी तरह रोज़ों की वजह से मर्द की शहवत जाती रहेगी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन अली अल-खल्लाल ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बवास्ता आमश, उमारा से इसी तरह रिवायत की है।

अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने आमश से (उन्होंने) इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है। तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: दोनों ही सहीह हैं।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

2-निकाह न करने की मुमानअत (मनाही)

1082 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.

1082 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने निकाह न करने से मना फ़रमाया है।

सहीह: इब्ने माजा: 1849. निसाई: 3214.

तौज़ीह: التَّبَتُّلِ: तरके दुनिया की बिना पर शादी न करना (यानी सन्यासी बन जाना)इसी लफ़्ज़ से बतूल निकला है। बतूल ऐसी औरत को कहते हैं: जिसे दुनिया की चाहत न हो, जाहिदा हो, (तफसील के लिए देखिये: अल-कामूसुल वहीद: पृ. 147)

वज़ाहत: इस मसले में साद, अनस बिन मालिक, आयशा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन अख्ज़म ने अपनी हदीस में यह अल्फ़ाज़ बढाए हैं कि क़तादा ने यह आयत पढ़ी: तर्जुमा: और हमने आप से पहले भी रसूल भेजे और उनकी अज्वाज व औलाद बनाई। ”

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: समुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज अशअस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी यह हदीस हसन से बवास्ता साद बिन हिशाम के ज़रिया नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है और कहा जाता है कि यह दोनों हदीसें सहीह हैं।

1083 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

1083 - सय्यदना साद बिन अबी वक्क़ास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस्मान बिन मज़ऊन (رضي الله عنه) की औरतों से अलग रहने की ख़्वाहिश को रद्द कर दिया था

الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

और अगर आप उनको इजाज़त दे देते तो हम खसी हो जाते।

बुख़ारी: 5074. मुस्लिम:1402. इब्ने माजा:1848. निसाई:3212.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

3 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

3 - जिसके दीनदार होने को तुम पसंद करते हो उस से अपनी बेटी की शादी कर दो.

1084 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

1084 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "जब कोई ऐसा शख़्स तुम्हें निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अख़्लाक़ को तुम पसंद करते हो तो उस से अपनी बेटी या बहन की शादी कर दो, और अगर तुम यह ना करोगे तो ज़मीन में फित्ना और बहुत बड़ा फसाद[1] फैल जाए।"

हसन सहीह: अल-इर्वा. 1868. इब्ने माजा: 1967.

तौज़ीह: [1]अगर दीन वाले को रिश्ता ना दिया और किसी बे दीन के पल्ले बाँध दिया जाए तो इस तरह दीन से ना वाक्फिय्यत की बिना पर घर में ना चाकियाँ और फ़साद जन्म लेते हैं।

वज़ाहत: इस मसला में अबू हातिम मुज़नी और आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस (की सनद) में अब्दुल हमीद बिन सुलैमान पर इख़्तिलाफ़ किया गया है: लैस बिन साद ने इब्ने अजलान के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस रिवायत की है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: लैस की हदीस ज़्यादा मुनासिब है और उन्होंने अब्दुल हमीद की हदीस को महफ़ूज़ क़रार नहीं दिया।

1085 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

1085 - सय्यदना अबू हातिम अल-मुज़नी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "जब तुम्हारे पास ऐसा शख़्स (रिश्ता लेने) आए जिसके दीन और अख़्लाक़ को तुम पसंद करते हो तो (अपनी बेटी या बहन) का उस से निकाह कर दो, अगर तुम यह नहीं करोगे तो ज़मीन में फित्ना और फसाद होगा, सहाबा (ﷺ) ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे उसके घर में फ़ाका और तंगदस्ती भी हो? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा शख़्स आए जिसके दीन और अख़्लाक़ को तुम पसंद करते हो तो तुम उस से निकाह कर दो।" आप ने तीन मर्तबा यही कहा।

हसन: बैहक़ी: 7/82.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू हातिम अल-मुज़नी (ﷺ) सहाबी हैं और उनकी नबी(ﷺ) से सिर्फ़ यही एक हदीस हमारे इल्म में है।

4 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ

4 - लोग तीन चीजों की बिना पर किसी से निकाह करते हैं.

1086 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

1086 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "बेशक औरत उसके दीन, माल और उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाता है। तो तुम दीन वाली को लो, तेरे हाथों को ख़ाक लगे।

मुस्लिम: 1466. निसाई: 3226.

वज़ाहत: इस मसले में औफ़ बिन मालिक, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

5 - जिस औरत को निकाह का पैगाम भेजा है उसे देखना.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ

1087 - सय्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "उस औरत को देख लो, इससे ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में उल्फ़त पैदा हो जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 1866. निसाई: 3235. मुसनद अहमद:4/244.

1087 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

वज़ाहत: इस मसले में मुहम्मद बिन मस्लमा, जाबिर, अनस, अबू हुमैद और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ उलमा इसी हदीस के मुताबिक़ मौकिफ़ रखते हैं कि आदमी औरत को देख ले, लेकिन जिस जगह का देखना हराम है उसे ना देखे। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

नीज आप(ﷺ) के फ़रमान: "कि ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में उल्फ़त पैदा हो जाए" का मतलब यह है कि इस से ज़्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में हमेशा मोहब्बत रहे।

6 - निकाह का ऐलान करना.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

1088 - सय्यदना मुहम्मद बिन हातिब अल-जुमही (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "हलाल और

1088 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ.

हराम के दर्मियान फ़र्क़ दुफ़ बजाने और आवाज़ सुनाने का है। "

हसन: इब्ने माजा:1896. निसाई:3369. मुसनद अहमद: 3/418.

तौज़ीह: बाज़ (कुछ) अहमक़ लोग इससे शादी ब्याह के मौक़ा पर गाने बजाने की दलील लेते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन से दूरी और अरबी ज़बान से नावाक़्फ़ियत का नतीजा है। आवाज़ से मुराद सिर्फ़ ऐलान और तशबीह है और यह वही चीज़ है जो आज राइज है। हलाल व हराम के दर्मियान फ़र्क़ करने वाली इसलिए है कि ज़िना (हराम काम) चोरी ख़ुफिया और निकाह जो कि हलाल काम है एलानिया किया जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जाबिर और रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन हातिब (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और अबू बल्ज का नाम यह्या बिन अबी सुलैम या इब्ने सुलैम था। और मुहम्मद बिन हातिब ने जब नबी(ﷺ) को देखा था तब यह बच्चे थे।

1089 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ.

1089 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "इस निकाह का ऐलान करो, इसे मस्जिद में मुनअकिद करो और इस पर दुफ़ बजाओ। "

यह हदीस ज़ईफ़ है लेकिन इसका पहला हिस्सा सहीह है. इब्ने माजा: 1895. बैहक़ी: 7/289.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में यह हदीस हसन ग़रीब है और ईसा बिन मैमून अंसारी को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। ईसा बिन मैमून जो इब्ने अबी नजीह से तफ़सीर रिवायत करते हैं वह सिक़ह् रावी हैं।

1090 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

1090 - सय्यदा रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे घर में उस सुबह तशरीफ़ लाए जिसकी रात मुझ से

خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي، كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا.

ज़फाफ किया गया था (यानी सुहागरात की सुबह) और मेरे बिस्तर पर बैठे जैसे तुम बैठे हो और हमारी कुछ बच्चियां दुफ़ बजाती हुई मेरे आबा (पुर्वज) में बद्र में शहीद होने वाले लोगों की खूबियाँ बयान कर रही थीं, यहाँ तक कि उनमें से एक ने कहा: "हम में एक नबी है जो कल की बात को जानता है।" तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया: "इस बात से खामोश रहो और जो पहले कह रही थीं वह कहती रहो।"

बुख़ारी: 1004. अबू दाऊद: 4922. इब्ने माजा: 1897.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

7 - दूल्हे को क्या दुआ दी जाए?

1091 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ.

1091 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, नबी(ﷺ) जब किसी आदमी को शादी की[1] मुबारकबाद देते तो आप कहते: अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बरकत रखे और तुम पर बरकत करे और तुम दोनों (मियाँ बीवी) को भलाई में इकट्ठा करे।

मुसनद अहमद: 2/381. दारमी: 2180. अबू दाऊद: 2130.

तौज़ीह: (1) इस दुआ में अहले जाहिलियत की मुख़ालिफ़त है। जाहिलियत में लोग शादी की मुबारक बाद देते तो कहा करते थे: بالرفاء والبنين : (तुम दोनों में मिलाप हो और बेटे मिलें) क्योंकि वह बेटियों से नफ़रत करते थे। नबी(ﷺ) ने मुबारकबाद के वक़्त यह दुआ दी जिसमें अल्लाह से बरकत व भलाई का सवाल है।

वज़ाहत: इस मसले में अकील बिन अबी तालिब (ﷺ) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

8 - बीवी के साथ सोहबत करते वक़्त की दुआ.

8 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

1092 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.

1092 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "अगर तुम में से कोई शख़्स अपनी बीवी के पास जाते वक़्त यह कलिमात कहे : "अल्लाह के नाम के साथ ऐ अल्लाह शैतान को हम से दूर रख और (जो औलाद) तु हमें अता करे उसे भी शैतान को दूर रख, तो अगर अल्लाह तआला ने उनके दर्मियान औलाद का फ़ैसला किया है तो शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता।"

बुख़ारी: 141. मुस्लिम: 1434. अबू दाऊद: 1261. इब्ने माजा: 1919.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

9-किन औक़ात में निकाह करना मुस्तहब है?

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ

1093 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ.

1093 - सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शव्वाल में मुझसे निकाह किया और शव्वाल में ही मुझसे सोहबत की। और आयशा(ﷺ) इस बात को पसंद करती थीं कि औरतों से शव्वाल में सोहबत की जाए।

मुस्लिम: 1423. इब्ने माजा: 1990. निसाई: 3236.

तौज़ीह: इस जगह सोहबत से मुराद पहली रात की सोहबत यानी सोहबत की इब्तिदा और रुख़सती करना है।

10 - वलीमा का बयान.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيمَةِ

1094 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

1094 - अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) पर ज़र्द निशान देखा तो आप ने फ़रमाया: " यह क्या है?" उन्होंने कहा : मैंने एक औरत से खुजूर की गुठली के बराबर सोने के एवज़ शादी की है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "अल्लाह तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही हो। "

बुख़ारी: 2094. मुस्लिम: 1427. अबू दाऊद: 2109. निसाई: 3351.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, जाबिर और ज़ुहैर बिन उस्मान (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: गुठली बराबर सोने का वज़न तीन दिरहम और एक दिरहम का तीसरा हिस्सा होता है। इस्हाक़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: पांच दिरहम और एक दिरहम का तीसरा हिस्सा वज़न बनता है।

1095 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ.

1095 - सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने सफिय्या बिन्ते हुई (ﷺ) के साथ शादी के मौक़े पर सत्तू और खुजूर के साथ वलीमा किया था।

बुख़ारी: 371. अबू दाऊद: 3744. इब्ने माजा:1909. निसाई:3380.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1096 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، نَحْوَ هَذَا، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَائِلٍ، عَنْ ابْنِهِ.

1096 - अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यह्या ने वह कहते हैं : हमें हुमैदी ने सुफ़ियान से इसी तरह बयान की है और कई रावियों ने यह हदीस इब्ने उयय्ना से बवास्ता ज़ोहरी सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत की है। और इस में यह ज़िक्र नहीं है कि वाइल अपने बेटे नौफ़ से रिवायत करते हैं।

सहीह: अबू दाऊद: 3740. इब्ने माजा: 1909.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना इस हदीस में तद्लीस करते हैं बाज़ दफ़ा वह इसमें यह ज़िक्र नहीं करते कि वाइल ने अपने बेटे से रिवायत की है और बाज़ दफ़ा ज़िक्र किया है।

1097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ.

1097 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "पहले दिन का खाना हक़, दुसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना खिलाना (लोगों में) मशहूरी का अमल है और जो मशहूरी (के लिए अमल करेगा) अल्लाह भी उसकी तश्हीर करेगा।

ज़ईफ़; अल-कामिल: 3/150. बैहक़ी: 7/270.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस सिर्फ़ जियाद बिन अब्दुल्लाह के तरीक (सनद) ही मर्फूअ है और ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बहुत ज़्यादा अजीब और मुन्कर रिवायात बयान करने वाला था।

नीज फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को मुहम्मद बिन उक़्बा के हवाले से ज़िक्र करते हुए सुना वह कहते हैं कि वकीअ ने कहा: जियाद बिन अब्दुल्लाह अपने शर्फ़ के बावजूद हदीस में झूठ बोलते थे।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي

11 - दावत देने वाले की दावत क़ुबूल करना.

1098 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.

1098 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "जब तुम्हें दावत दी जाए तो दावत में जाओ।"

बुख़ारी: 5173. मुस्लिम: 1429. अबू दाऊद: 3736. इब्ने माजा: 1914.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, बरा, अनस और अबू अय्यूब (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

12 - जो शख़्स बग़ैर दावत वलीमा खाने आ जाए.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

1099 - सय्यदना अबू मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी जिसका नाम अबू शोऐब था अपने गोश्त बेचने वाले गुलाम के पास आकर कहने लगा: मेरे लिए खाना तैयार करो जो पांच आदमियों के लिए काफी हो, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के चेहरे में भूक के आसार देखे हैं। रावी कहते हैं: उसने खाना बनाया, फिर नबी(ﷺ) की तरफ़ पैगाम भेज कर आप(ﷺ) को और आप(ﷺ) के साथ बैठे हुए लोगों को बुलाया, जब नबी(ﷺ) खड़े हुए तो आपके पीछे एक आदमी चला आया जो दावत दिए जाने के वक़्त उनके साथ नहीं था। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) दरवाज़े पर पहुंचे आप(ﷺ)ने घर वाले से कहा : “हमारे पीछे एक आदमी आया है जो दावत के वक़्त हमारे साथ नहीं था, अगर तुम इजाज़त दो तो वह भी आ जाए। "उसने कहा दाखिल'' हमने उसे भी इजाज़त दे दी वह भी आ जाए।

1099 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُوعَ، قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى البَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، قَالَ: فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ.

मुसनद अहमद: 3/396. बुख़ारी: 5/123. मुस्लिम: 6/115.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

13 - कुंवारी लड़कियों से शादी करना.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

1100 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से शादी की तो नबी(ﷺ) के पास आया, आप(ﷺ) ने फ़र्माया: " ऐ जाबिर क्या तूने शादी कर ली है?" मैंने कहा: जी हाँ" आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "कुंवारी से या बेवा से ?" मैंने कहा: "बेवा से, आप(ﷺ) ने फ़रमाया: किसी कुंवारी लड़की से क्यों नहीं की तुम उस से खेलते और वह तुमसे खेलती?" मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक मेरे वालिद अब्दुल्लाह शहीद हो गए हैं और सात या नौ बेटियाँ छोड़ कर गए हैं मैं उस औरत को लाया हूँ जो उनकी परवरिश करे, रावी कहते हैं: फिर आप(ﷺ) ने मेरे लिए दुआ की।

बुख़ारी: 5079. मुस्लिम: 1466. अबू दाऊद: 2048. इब्ने माजा: 1860. निसाई: 3219.

1100 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟، فَقُلْتُ: لاَ، بَلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: فَدَعَا لِي.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

14 - वली के बगैर निकाह नहीं होता.

14 بَابُ مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

1101 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "वली के बगैर निकाह नहीं।"

सहीह: अबू दाऊद: 2085. इब्ने माजा: 1881. मुसनद अहमद: 4/394

1101 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

वज़ाहतः इस मसले में आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इमरान बिन हुसैन और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1102 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

1102 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः "जो औरत अपने वली (सरपरस्त) की इजाज़त के बग़ैर निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है अगर आदमी उसके साथ हमबिस्तरी कर लेता है तो उसके लिए शर्मगाह को हलाल करने की वजह से हक़ महर होगा, फिर अगर वली के बारे में झगड़ा हो तो जिसका कोई वली न हो हाकिम (या क़ाज़ी) उसका वली है।"

सहीहः अबू दाऊदः 2083. इब्ने माजाः 1879.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज यह्या बिन सईद अंसारी, यह्या बिन अय्यूब, सुफ़ियान सौरी और दीगर हुफ्फ़ाज़े हदीस ने भी इसे इब्ने जुरैज से ऐसे ही रिवायत की है।

नीज फ़रमाते हैं: अबू मूसा की हदीस में इख़्तिलाफ़ है, शरीक बिन अब्दुल्लाह, अबू उयय्ना, ज़ुहैर बिन मुआविया और कैस बिन रबी ने इसे अबू इस्हाक़ से बवास्ता अबू बुर्दा, सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। जबकि अस्बात बिन मुहम्मद और ज़ैद बिन हुबाब, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से बवास्ता अबू बुर्दा, अबू मूसा से और वह नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं। वह इसकी सनद में अबू इस्हाक़ का ज़िक्र नहीं करते।

नीज यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से बवास्ता अबू इस्हाक़ फिर अबू बुर्दा के ज़रिये अबू मूसा की नबी(ﷺ) की इसी तरह हदीस मर्वी है।

शोबा व सौरी, अबू इस्हाक़ से बवास्ता अबू मूसा नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि "वली के बगैर निकाह नहीं होता।"

सुफ़ियान के बाज़ शागिर्दों ने सुफ़ियान से बवास्ता अबू इस्हाक़ अबू बुर्दा से और उन्होंने अबू मूसा से रिवायत की है लेकिन वह सहीह नहीं है।

अबू ईसा कहते हैं जिन लोगों ने अबू इस्हाक़ से अबू बुर्दा, अबू मूसा से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: " वली के बगैर निकाह नहीं होता।" उनकी रिवायत मेरे नज़दीक ज़्यादा सहीह है क्योंकि अबू इस्हाक़ से उनका सिमा (सुनना) मुख़्तलिफ़ औकात में हुआ है। अगरचे शोबा और सौरी उन तमाम रावियों से बड़े हाफ़िज़ और अस्बत रावी हैं, जिन्होंने अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत किया है। उन लोगों की रिवायत मेरे नज़दीक ज़्यादा उम्दा और सहीह है क्योंकि शोबा और सौरी ने अबू इस्हाक़ से इस हदीस को एक मजलिस में सुना है और इसकी दलील यह रिवायत भी बन जाती है जो हमें महमूद बिन ग़ैलान ने उन्हें अबू दाऊद ने (वह कहते हैं:) हमें शोबा ने बताया कि मैंने सुफ़ियान सौरी को अबू इस्हाक़ से सवाल करते हुए सुना कि क्या आप ने अबू बुर्दा (رضي الله عنه) को बयान करते सुना है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: " वली के बगैर निकाह नहीं होता?" तो उन्होंने कहा: हाँ। यह हदीस इस बात की दलील है कि शोबा और सौरी ने मकहूल से इस हदीस को एक ही वक़्त में सुना है। और इस्राईल सिक़ह रावी हैं अबू इस्हाक़ की रिवायात को खूब याद रखने वाले हैं।

मैंने मुहम्मद बिन मुसन्ना को बयान करते हुए सुना कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन महदी से सुना वह फ़रमा रहे थे मुझसे सौरी की अबू इस्हाक़ से बयान कर्दा अहादीस इस लिए रह गयीं कि मैंने इस्राईल पर एतमाद किया क्योंकि वह उन रिवायात को मुकम्मल बयान करते थे।

और इस मसले में मर्वी आयशा (رضي الله عنها) की हदीस कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "वली के बगैर निकाह नहीं होता।" मेरे नज़दीक हसन है। इसे इब्ने जुरैज ने सुलैमान बिन मूसा से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से उन्होंने बवास्ता आयशा (رضي الله عنها) नबी(ﷺ) से रिवायत की है।

नीज हज्जाज बिन अर्तात और जाफ़र बिन रबीया ने भी बवास्ता ज़ोहरी उर्वा से उन्होंने आयशा (رضي الله عنها) के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत की है। और हिशाम बिन उर्वा से भी उनके वालिद के वास्ते के साथ आयशा (رضي الله عنها) की नबी(ﷺ) से इसी तरह की हदीस मर्वी है।

बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से मर्वी नबी(ﷺ) की हदीस

में कलाम किया है। इब्ने जुरैज कहते हैं; मैं ज़ोहरी से मिला और इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। यह्या बिन मईन कहते हैं: इब्ने जुरैज से यह अल्फ़ाज़ सिर्फ़ इस्माईल बिन इब्राहीम ने ज़िक्र किये हैं।

नीज फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन इब्राहीम का इब्ने जुरैज से सिमा (सुनना) ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। उन्होंने तो इब्ने जुरैज से सुनी हुई हदीसों पर मुश्तमिल किताब की तस्हीह अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू दाऊद की किताबों से की थी। और यह्या इस्माईल बिन इब्राहीम की इब्ने जुरैज से ली गई रिवायत को ज़ईफ़ क़रार देते हैं।

नबी करीम(ﷺ) के उलमा सहाबा, जिनमें उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) वग़ैरह भी शामिल हैं, उनका इस मसले में अमल इसी हदीस कि "वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता" पर ही है।

बाज़ फ़ुक़हा ताबेईन भी कहते हैं कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। इन में सईद बिन मुसय्यब, हसन बसरी, शुरैह, इब्राहीम नखई, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمهم الله) वग़ैरह भी शामिल है।

नीज सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, मालिक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी इसी के कायल हैं।

15 - निकाह गवाहों के साथ ही मुनअकिद होता है.

15 بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

1103 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "वह औरतें जिनाकार हैं जो बग़ैर गवाहों के अपना निकाह करती है। "

ज़ईफ़: बैहक़ी: 7/ 125.

1103 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

वज़ाहत: यूसुफ़ बिन हम्माद कहते हैं: अबुल आला ने तफ़सीर में इस हदीस को मर्फ़ूअ और तलाक़ की किताब में इसे मौक़ूफ़ ज़िक्र किया है, मर्फ़ूअ नहीं।

1104 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَذَا أَصَحُّ.

1104 - अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें कुतैबा ने वह कहते हैं, हमें गुन्दर मुहम्मद बिन जाफ़र ने, सईद बिन अबी अरूबा से इसी तरह हदीस बयान की है और वह मर्फ़ूअ नहीं है यह ज़्यादा सहीह है।

मुहक्क़िक़ ने इसकी तख़रीज और हुक्म ज़िक्र नहीं किया.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: "यह हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है, हमारे इल्म में सिर्फ़ अब्दुल आला ही ने इसे मर्फ़ूअ कहा है। वह सईद से बवास्ता क़तादा मर्फ़ूअ रिवायत करते हैं।

नीज अब्दुल आला ने बवास्ता सईद इस हदीस को मौक़ूफ़ रिवायत किया है। लेकिन सहीह इब्ने अब्बास का कौल है कि निकाह बगैर गवाहों के नहीं होता। कई रावियों ने इसी तरह सईद बिन अबी अरूबा से मौक़ूफ़ रिवायत की है।

इस मसले में इमरान बिन हुसैन, अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

नीज नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और दीगर लोगों में उलमा का इसी पर अमल है वह कहते हैं: निकाह गवाहों के साथ ही मुन्अकिद होगा, हमारे नज़दीक उन लोगों के यहाँ तो इस बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं था लेकिन मुताख्खिरीन उलमा ने इस बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ तो इस बात में था कि जब एक के बाद दूसरा गवाह बनाया जाए (तो उस वक़्त क्या निकाह जायज़ होगा?) कूफा के अक्सर उलमा कहते हैं: निकाह उस वक़्त तक जायज़ नहीं है जब तक अक़्दे निकाह में इकट्ठे दो गवाह ना बनाए जाएँ।

जबकि बाज़ अहले मदीना कहते हैं कि जब एक के बाद दूसरा गवाह बनाया जाए तो अगर उसका ऐलान कर दें तो जायज़ है। मालिक बिन अनस वग़ैरह भी इसी के कायल हैं। इस्हाक़ बिन इब्राहीम अहले मदीना की तरफ़ से बयान करते हैं कि बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह में एक मर्द और दो औरतों की गवाही भी जायज़ है। अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

17 – ख़ुत्ब-ए-निकाह का बयान.

1105 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

1105 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें नमाज़ का तशह्हुद और हाजत के मौक़े पर (पढ़ा जाने

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ.

قَالَ عَبْثَرٌ: فَفَسَّرَهُ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ:{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}،{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}،{اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}.

वाला) तशह्हुद सिखाया। इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: " नमाज़ का तशह्हुद यह है: " मेरी सारी कौली, बदनी और माली इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है। ऐ नबी! आप पर अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के (दूसरे) नेक बन्दों पर (भी) सलामती हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। "

सहीह: अबू दाऊद: 2118. इब्ने माजा: 1192.

हाजत का तशह्हुद (खुत्बा यह है। : बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए ख़ास हैं, हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख़्शिश चाहते हैं और हम अपने नफ्सों के शर और अपने बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है और जिसे गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद{सल्ल।} उसके बन्दे और रसूल हैं- नीज फ़रमाया: " तीन आयतें भी पढ़े। अब्सर कहते हैं: सुफ़ियान सौरी ने हमें इसकी तफ़सीर भी करके दी (कि वह आयात यह हैं){اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} **(आले इमरान: 102)**{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} **(अन्निसा: 1)**{اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا} **(अल-अहज़ाब: 70)**

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। आमश ने इसको अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है वह अहवस से बवास्ता अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

शोबा ने इसको अबू इस्हाक़ से और उन्होंने अबू उबैदा से बवास्ता अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है और दोनों हदीसें ही सहीह हैं क्योंकि इस्राईल ने इन दोनों (अहवस और अबू उबैदा) को जमा करते हुए कहा है कि अबू इस्हाक़ रिवायत करते हैं अहवस और अबू उबैदा से (वह दोनों) बवास्ता अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह बग़ैर खुत्बा के भी जायज़ है यह क़ौल सुफ़ियान सौरी और दीगर उलमा का है।

1106 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

1106 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "हर वह खुत्बा जिसमें तशह्हुद न हो वह कटे हुए हाथ की तरह है।"

सहीह: अबू दाऊद: 4841. मुसनद अहमद: 2/302. इब्ने हिब्बान:2796.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

18 - कुंवारी और बेवा से (निकाह करने की) इजाज़त लेना.

1107 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى

1107 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "बेवा औरत का निकाह उसके फ़ैसले के बग़ैर न किया जाए और कुंवारी लड़की का निकाह भी न किया जाए यहाँ तक कि उस से इजाज़त ले ली जाए और उसकी इजाज़त (उसकी) ख़ामोशी है।"

تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.

बुख़ारी: 5136. मुस्लिम: 1419. अबू दाऊद: 2092. इब्ने माजा:1871. निसाई:3265.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, आयशा और उर्स बिन उमैरह (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है कि सय्यबा (बेवा या मुतल्लक़ा) औरत का निकाह उसके फ़ैसले के बग़ैर ना किया जाए और अगर बाप उसके फ़ैसले (या मशवरे) के बग़ैर उसकी शादी कर दे और वह उस निकाह को नापसंद करती हो तो आम उलमा के नज़दीक वह निकाह फ़स्ख (ख़त्म) हो जाएगा।

कुंवारी लड़कियों की शादी के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि जब उनके बाप उनकी शादियां करदें: अहले कूफा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा कहते हैं कि बाप जब कुंवारी बालिगा लड़की का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर करदे और वह बाप की शादी करने से राजी ना हो तो निकाह फ़स्ख होगा। जबकि बाज़ अहले मदीना कहते हैं कि बाप का कुंवारी लड़की की शादी करना जायज़ है अगरचे वह नापसंद करती हो। यह कौल मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का है।

1108 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

1108 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "बेवा औरत अपने नफ़्स की वली से ज़्यादा हक़दार है और कुंवारी लड़की से उसके नफ़्स के बारे में इजाज़त ली जाए और उसकी इजाज़त उसका ख़ामोश रहना है।"

मुस्लिम: 1421. अबू दाऊद: 2098. इब्ने माजा:1870. निसाई: 3260-3264.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज शोबा और सुफ़ियान ने भी इस हदीस को मालिक बिन अनस (رحمه الله) से रिवायत किया है।

बाज़ लोगों ने इस हदीस के बग़ैर वली के निकाह के जायज़ होने की दलील ली है। हालांकि इसमें उनकी दलील नहीं है क्योंकि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से कई सनदों से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: " वली के बग़ैर निकाह नहीं होता" और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने नबी(ﷺ) के बाद फ़तवा देते हुए यही कहा था कि वली के बग़ैर निकाह नहीं होता और अक्सर उलमा के नज़दीक बेवा औरत अपने नफ़्स की वली से ज़्यादा हक़दार है का मतलब यह है कि वली उसकी रज़ामंदी और उसकी इजाज़त से निकाह करे। अगर

वह (अपनी मर्ज़ी से) निकाह कर देता है तो उसका निकाह मंसूख होगा। क्योंकि खन्सा बिन्ते हिज़ाम की हदीस है कि उसके बाप ने उसका निकाह कर दिया था जब कि वह बेवा थी और उसे नापसंद करती थी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके निकाह को मरदूद क़रार दे दिया था।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ

19 - यतीम लड़की पर निकाह के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती.

1109 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا. يَعْنِي: إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ.

1109 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "यतीम लड़की से उसके नफ़्स के बारे में उसकी इजाज़त ले ली जाए, अगर वह खामोश रहे तो वह उसकी इजाज़त है और अगर वह इनकार करदे तो उस पर ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है" यानी जब वह बालिगा हो तो उस रिश्ते को रद्द कर दे।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 2093. निसाई: 3270.

वज़ाहत: इसी मसले में अबू मूसा, इब्ने उमर और आयशा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

नीज अहले इल्म ने यतीम लड़की की शादी के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है: बाज़ उलमा कहते हैं कि यतीम लड़की का अगर निकाह कर दिया जाए तो उसके बालिग़ होने तक उसका निकाह मौक़ूफ़ रहेगा जब वह बालिगा हो जाएगी तो उसे निकाह को क़ायम रखने या फ़स्ख करने का इख़्तियार होगा। यह कौल बाज़ ताबेईन और दीगर लोगों का है।

बाज़ कहते हैं यतीम लड़की का निकाह उसके बालिग़ होने तक जायज़ नहीं है और निकाह में इख़्तियार भी जायज़ नहीं होता यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई और उनके अलावा दीगर उलमा का है।

अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: जब यतीम लड़की की उमर 9 साल हो जाए फिर उसका निकाह किया जाए और वह राजी हो तो निकाह जायज़ है और जवान होने पर उसे इख़्तियार नहीं होगा और उनकी दलील आयशा (رضي الله عنها) की हदीस है कि नबी(ﷺ) ने जब उनसे सोहबत की तो उनकी उमर 9 साल की थी और आयशा (رضي الله عنها) ख़ुद फ़रमाती हैं कि जब लड़की 9 साल की हो जाए तो औरत बन जाती है।

20 - अगर किसी लड़की के दो वली निकाह कर दें.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

1110 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

1110 - समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "जिस औरत का निकाह दो वली कर दें तो वह पहले निकाह करने वाले के लिए होगी और जो शख़्स दो आदमियों के हाथ कोई चीज़ बेच दे तो वह पहले खरीदने वाले की होगी।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2088. इब्ने माजा:2190. निसाई:4682.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और उलमा का इसी पर अमल है और हमारे इल्म में उनके दर्मियान इस मसले में इख़्तिलाफ़ नहीं है कि जब एक वली दूसरे से पहले शादी कर देता है तो पहले कर देने वाले का निकाह करना जायज़ जबकि दुसरे का निकाह फ़स्ख होगा और जब दोनों इकट्ठे ही निकाह कर दें तो दोनों का निकाह फ़स्ख होगा। यह कौल सौरी, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का है।

21 - गुलाम का अपने मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह करना.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

1111 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

1111 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "जो गुलाम अपने सरदार की इजाज़त के बगैर निकाह करता है तो वह ज़ानी है।"

हसन: अबू दाऊद: 2078. मुसनद अहमद: 3/300. दारमी: 2239. तयालिसी: 1675.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और बाज़ ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है लेकिन वह सहीह नहीं है। सहीह अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ही है।

नीज नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि गुलाम का निकाह अपने मालिक की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है और बगैर इख़्तिलाफ़ के यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी है।

1112 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

1112 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "जो गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह करता है तो वह जानी है।"

हसन.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

22 - औरतों के हक़्क़े महर का बयान.

1113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ.

1113 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ अपने बाप से रिवायत करते हैं कि बनी फ़ज़ारा की एक औरत ने दो जूतों (के हक़ महर) पर निकाह कर लिया तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: " क्या तू अपने दिल और माल से दो जूतों पर राजी है? उसने कहा जी हाँ"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1888. मुसनद अहमद: 3/445. तयालिसी: 1558. अबू याला:7194.

रावी कहते हैं: आप ने इस निकाह को जायज़ करार दे दिया।

वजाहत: इस मसले में उमर, अबू हुरैरा, सहल बिन साद, अबू सईद, अनस, आयशा, जाबिर अबू हदरद अलअस्लमी (رضي الله) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आमिर बिन रबीया (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और हक़ महर के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं: महर वही होगा जिस पर आपस में राजी हो जाएँ। यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है। मालिक बिन अनस (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि महर एक चौथाई दीनार से कम नहीं होना चाहिए और बाज़ कूफी कहते हैं कि दस दिरहम से कम न हो।

23 - इसी मसले के मुताल्लिक़ बयान.

1114 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक औरत आकर कहने लगी: मैंने अपने आप को आप(ﷺ) के लिए हिबा कर दिया, फिर वह काफी देर खड़ी रही तो एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसकी ज़रुरत नहीं है तो आप इसके साथ मेरी शादी कर दें आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "क्या इसके हक़्के महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा: मेरे पास सिर्फ़ यह चादर है। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया; " अगर तुमने अपनी चादर उसे दे दी तो तुम बैठे रहोगे, तुम्हारे पास चादर नहीं होगी सो तुम कोई चीज़ तलाश करो। "उस ने कहा: "अगर लोहे की अंगूठी ही (मिल जाए) रावी कहते हैं: उसने तलाश की लेकिन उसे कुछ ना मिला तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: " क्या तुम्हारे पास कुछ याद किया हुआ कुरआन है? उसने कहा : जी हाँ,फलां

23 بَابٌ مِنْهُ

1114 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلاً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزَارُكَ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ، وَلاَ إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَالتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ: فَالتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

फलां सूरत याद है। उसने उन सूरतों के नाम लिये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: जो कुरआन तुम्हें याद है उसके एवज़ मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर देता हूँ।

बुख़ारी: 2310. मुस्लिम: 1425. अबू दाऊद: 2111. निसाई: 3200.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इमाम शाफ़ेई इस हदीस के मुताबिक़ मज़हब रखते हैं वह कहते हैं कि अगर हक़ महर के लिए कुछ भी न हो वह कुरआन की सूरतों के एवज़ निकाह कर सकता है और वह निकाह जायज़ होगा। और उसको कुरआन की सूरत सिखाये।

बाज़ उलमा कहते हैं कि निकाह जायज़ होगा लेकिन महरे मिस्ल देना वाजिब होगा यह कौल अहले कूफा, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

1114م- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلاَ لاَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

1114 - अबू अज्फ़ा सुलमी (رحمه الله) बयान करते हैं कि सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: "खबरदार औरतों का हक़ महर ना बढ़ाओ, अगर यह (महर) दुनिया में इज्ज़त और अल्लाह के यहाँ तक़्वा का बाइस होता तो उसके लिए सब से बेहतर रसूलुल्लाह(ﷺ) थे मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी किसी बीवी से निकाह किया हो और अपनी किसी बेटी का निकाह 12 उकिया से ज़्यादा (हक़ महर) पर किया हो।

अबू दाऊद: 2106. इब्ने माजा: 1887. निसाई:3349.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अज्फ़ा सुलमी (رحمه الله) का नाम हरम है और एक उकिया उलमा के नज़दीक चालीस दिरहम और 12 उकिये (480) दिरहम होते हैं।

24 - जो आदमी लौंडी को आज़ाद करके उसके साथ निकाह करता है.

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

1115 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सय्यदा सफिय्या (رضي الله عنها) को आज़ाद किया और उनकी आजादी को ही उनका महर मुक़र्रर किया।

बुख़ारी: 371. मुस्लिम: 1427. अबू दाऊद: 2054. इब्ने माजा: 1957. निसाई: 3342.

1115 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा सफिय्या (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से भी बाज़ उलमा इसी के कायल हैं। नीज शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ उलमा उसकी आजादी को हक़ महर ठहराना मकरूह करार देते हैं यहाँ तक कि आजादी के अलावा हक़ महर मुक़र्रर किया जाए लेकिन पहली बात सहीह है।

25 - उस काम की फ़ज़ीलत.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَضْلِ فِي ذَلِكَ

1116 - अबू बुर्दा बिन अबू मूसा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: " तीन आदमियों को उनका अज्र दो मर्तबा दिया जाएगा: एक वह गुलाम जो अपने मालिकों और अल्लाह तआला का हक़ अदा करता है। उसे उसका अज्र दो मर्तबा दिया जाएगा। और दूसरा वह आदमी जिसके पास कोई खूबसूरत लौंडी हो तो वह उसे अच्छा अदब सिखाये, उसे आज़ाद करे फिर उस से

1116 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ فَأَدَّبَهَا،

فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِالكِتَابِ الأَوَّلِ، ثُمَّ جَاءَ الكِتَابُ الآخَرُ فَآمَنَ بِهِ، فَذَلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.

शादी कर ले और इस काम के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा मंदी चाहता हो तो उस आदमी को भी उसका अज्र दो मर्तबा दिया जाएगा। और तीसरा वह आदमी जो पहली किताब पर ईमान लाया फिर उसके बाद दूसरी किताब आ गई तो वह उस पर भी ईमान ले आया। उसे भी इसका अज्र दो मर्तबा दिया जाएगा।

बुख़ारी: 97, मुस्लिम: 154.अबू दाऊद: 2053. इब्ने माजा:1956. निसाई:3344.

वजाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान ने सालेह बिन सालेह से बवास्ता शाबी अबू बुर्दा से उन्होंने अबू मूसा (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू मूसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अबू बुर्दा बिन अबी मूसा का नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस है। नीज शोबा और सुफ़ियान सौरी ने भी सालेह बिन सालेह बिन हुई से इस हदीस को रिवायत किया है और सालेह बिन सालेह बिन हुई, हसन बिन सालेह बिन हुई के वालिद हैं।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لاَ

26 - जो शख़्स किसी औरत से शादी करके सोहबत से पहले उसे तलाक़ दे दे तो क्या वह उस औरत की बेटी से शादी कर सकता है या नहीं?

1117 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ

1117 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "जो आदमी किसी औरत से निकाह करे और उससे सोहबत करे तो उसके लिए उस औरत की बेटी से निकाह करना जायज़ नहीं है और अगर वह उस से सोहबत नहीं कर सका तो वह उसकी बेटी से निकाह कर सकता है और जो आदमी

لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا.

किसी औरत से निकाह करे ख़्वाह उस से सोहबत की हो या नहीं उसके लिए उसकी मां से निकाह करना हलाल नहीं है।"

ज़ईफ़: अब्दुर्रज्ज़ाक़: 10821. बैहक़ी: 7/160.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सनद के लिहाज़ से यह हदीस सहीह नहीं है। क्योंकि इसे इब्ने लहीया और मुसन्ना बिन सबाह ने अम्र बिन शोऐब से रिवायत किया है। जबकि मुसन्ना बिन सबाह और इब्ने लहीया दोनों हदीस में ज़ईफ़ हैं। नीज अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से निकाह करे फिर सोहबत से पहले तलाक़ दे दे तो उसे उसकी बेटी के साथ निकाह करना जायज़ है और जब बेटी से निकाह करे और दुख़ूल से पहले तलाक़ दे दे तो उसकी मां से निकाह हलाल नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है "और तुम्हारी बीवियों की माँए भी (हराम कर दी गई हैं)" (अन्निसा: 23)

इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक (رحمهم الله) का भी यही कौल है।

27 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

27 – दुख़ूल (हमबिस्तरी) से पहले तलाक़ दे दे तो.

1118 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

1118 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रिफ़ाआ कुर्ज़ी (رضي الله عنه) की बीवी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर कहने लगी: मैं रिफ़ाआ कुर्ज़ी के पास थी, उसने मुझे तलाक़े[1] बत्ता दे दी तो मैंने अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से शादी कर ली और उसके साथ तो कपड़े की किनारे की तरह है[2] तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "क्या तुम रिफ़ाआ के पास जाना चाहती हो? नहीं (जा साकती), यहाँ तक कि तुम उसकी और वह तुम्हारी लज़्ज़ते जिमा (हमबिस्तरी की लज़्ज़त) ना चख ले।"

बुख़ारी: 2639. मुस्लिम: 1433. अबू दाऊद: 2309. इब्ने माजा: 1932. निसाई: 3283.

तौज़ीह: (1) तलाक़े बत्ता से मुराद आख़िरी यानी तीसरी तलाक़ है जिसके बाद रुजू का हक़ बाकी नहीं रहता। (2) यानी वह जिमा (हमबिस्तरी) करने पर क़ादिर नहीं है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अनस, रूमैसा या गुमैसा और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आयशा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से आम अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी जब अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे चुके और वह किसी और से निकाह कर ले तो अगर वह खल्वते सहीहा (हमबिस्तरी) से पहले तलाक़ दे दे तो वह पहले खाविंद के लिए हलाल नहीं होगी जब दूसरा खाविंद उस से सोहबत न कर सका हो।

28 - हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

1119 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और सय्यदना अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला[1] किया जाए उस पर लानत की है।

सहीह: अबू दाऊद: 2076. इब्ने माजा:1935. मुसनद अहमद:1/83.

1119 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ.

तौज़ीह: 1) मुतल्लक़ा औरत को पहले खाविंद के लिए हलाल करने की नीयत से वक़्ती निकाह को हलाला कहा जाता है। बाज़ जाहिल उलमा इस काम को सनदे जवाज़ फ़राहम करते हैं। लेकिन इस्लाम ने इस बेगैरती को हराम ठहराया है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर और इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अली और जाबिर की हदीस मालूल है। नीज अशअस बिन अब्दुर्रहमान ने मुजालिद से बवास्ता आमिर शाबी हारिस से, उन्होंने बवास्ता आमिर और अली सय्यदना जाबिर (ﷺ) की नबी(ﷺ) से इसी तरह की हदीस रिवायत की है और इस हदीस की सनद भी कायम नहीं है क्योंकि मुजालिद बिन सईद को बाज़ अहले इल्म ने ज़ईफ़ कहा है। जिन में अहमद बिन हंबल भी

हैं और अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने इस हदीस को मुजालिद से उन्होंने आमिर बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत किया है और इसमें इब्ने नुमैर को वहम हुआ है और पहली हदीस ज़्यादा सहीह है उसे मुग़ीरह और इब्ने अबी खालिद वग़ैरह ने भी शाबी से बवास्ता हारिस सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

1120 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

1120 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा है (दोनों) पर लानत की है।

सहीह: निसाई: 3416. मुसनद अहमद:1/448. दारमी:2236.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू कैस अहदी का नाम अब्दुर्रहमान बिन सर्वान है। नीज यह हदीस नबी(ﷺ) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

और नबी(ﷺ) के सहाबा जिन में उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) भी शामिल हैं और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है, ताबेईन फ़ुक़हा का भी यही कौल है नीज सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मैंने जारूद बिन मुआज़ को सुना वह बयान कर रहे थे कि वकीअ भी इसी के क़ायल थे। वह मजीद कहते हैं कि इस मसले में अस्हाबे राय की बात फेंकने के लायक़ है। वकीअ फ़रमाते हैं: सुफ़ियान का कौल है कि जब आदमी किसी औरत से हलाला की नीयत से निकाह करता है फिर उसे अपने पास रखना चाहे तो उसे अपने पास रखना उस वक़्त तक हलाल नहीं है जब तक उस से नया निकाह न करे।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

29 निकाहे मुतआ हराम है.

1121 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا،

1121 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने खैबर के मौक़े पर औरतों से मुतआ[1] करने और घरेलू (पालतू) गधों के गोश्त (खाने) से मना कर दिया था।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

बुख़ारी: 4216. मुस्लिम:1407. इब्ने माजा: 1961. निसाई:4334.

तौज़ीह: (1) मुलाहज़ा फ़रमाएं: मुत्आ की हुर्मत की रिवायत सय्यदना अली (رضي الله عنه) से मर्वी है। लेकिन आज अली (رضي الله عنه) की मोहब्बत में कुफ्र तक पहुंचे हुए लोग इस ज़िल्लत आमेज़ काम को अपने मज़हब में अहम् फ़रीज़ा समझते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में सबुरह अल-जुहनी और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। जब कि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से इसकी रुख़्सत में कुछ मर्वी है लेकिन जब उनको नबी(ﷺ) से बयान किया गया तो उन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया था।

नीज जुम्हूर उलमा मुत्आ की हुर्मत के क़ायल हैं, इमाम सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं।

1122 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ:{إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ.

1122 - एक आदमी किसी शहर में जाता जहां उसकी जान पहचान न होती तो वह अपने वहाँ पर ठहरने के मुताबिक़ किसी औरत से शादी कर लेता वह उसके सामान की हिफाज़त करती और उसकी अश्या को दुरुस्त रखती। यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई: " मगर अपनी बीवियों पर या उन औरतों पर जिन पर उनके हाथ मालिक हैं। " (अल-मोमिनून:6) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: इन दोनों औरतों के अलावा हर शर्मगाह हराम है।

मुन्कर: बैहक़ी: 7/205.

30 - निकाहे शिगार की मुमानअत (मनाही)

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

1123 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "इस्लाम में जलबा[1] जनबा[2] और शिगार[3] का तसव्वुर भी नहीं है। और जिसने डाका वह हम में से नहीं है। "

सहीह: अबू दाऊद: 2581. इब्ने माजा: 3937. निसाई: 3335.

1123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَ الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

तौज़ीह: جَلَب : जलबा ज़कात वसूल करने में होता है, उस की सराहत यह है कि ज़कात वसूल करने वाला आमिल दूर किसी मक़ाम पर बैठ कर मवेशी पालने वालों को पैगाम भेजे कि अपने मवेशियों की ज़कात मुझे पहुँचाओ, इस काम से मना किया गया है बल्कि वह खुद उनके ठिकानों तक जाकर ज़कात का माल वसूल करे।

(2) جَنَب यह है कि घुड़दौड़ में कोई शख़्स अपने साथ एक इजाफी घोड़ा ले कर चले जबकि एक थक जाएगा तो दूसरे पर सवार हो जाएगा।

(3) شِغَار : तबादला की शादी इस तौर पर कि अपनी बहन या बेटी इस शर्त पर किसी के निकाह में देना कि वह भी अपनी बहन या बेटी को बगैर महर उसके निकाह में देगा। (अल-मोजमुल वसीत:574)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में अनस, अबू रैहाना, इब्ने उमर, जाबिर, मुआविया,अबू हुरैरा और वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1124 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने तबादले के निकाह से मना फ़रमाया है।

1124 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

Sherkhan
9825 696 131

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

बुख़ारी: 5112. मुस्लिम: 1415. अबू दाऊद: 2084. इब्ने माजा: 1883. निसाई: 3334.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और आम उलमा इसी पर अमल करते हुए निकाहे शिगार को सहीह नहीं समझते और शिगार यह होता है कि आदमी अपनी बेटी का निकाह इस शर्त पर करे कि दूसरा शख़्स अपनी बेटी या बहन का निकाह उसके साथ करे और उन दोनों के दर्मियान महर न हो। बाज़ उलमा कहते हैं कि शिगार के निकाह को फ़स्ख कर दिया जाएगा और अगर उन दोनों का हक़ महर मुक़र्रर भी कर दिया जाए तो भी हलाल न होगा। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

अता बिन अबी रबाह (رحمه الله) कहते हैं कि उनका निकाह बरक़रार रख कर और उनके लिए महरे मिस्ल मुक़र्रर किया जाएगा, अहले कूफ़ा भी यही कहते हैं।

31 بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

31 - फूफी या खाला के होते हुए भतीजी या भांजी से निकाह जायज़ नहीं:

1125 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

1125 - सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ि0) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने किसी औरत के साथ उसकी फ़ूफ़ी या खाला के होते हुए निकाह करने से मना फ़रमाया है।

सहीह: अबू दाऊद: 2067. मुसनद अहमद: 1/217. इब्ने हिब्बान: 4116.

वज़ाहत: अबू हरीज का नाम अब्दुल्लाह बिन हुसैन है।

(अबू ईसा कहते हैं:) हमें नस्र बिन अली ने (वह कहते हैं:) अब्दुल आला ने हिशाम बिन हस्सान से (उन्होंने) इब्ने सीरीन से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है नीज इस मसले में अली, इब्ने उमर, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू सईद, अबू उमामा, जाबिर, आयशा, अबू मूसा और समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1126 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلاَ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

1126 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस काम से मना फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी के होते हुए या फूफी से भतीजी के होते हुए या भांजी से खाला के होते हुए या खाला से भांजी के होते हुए निकाह किया जाए। और बड़ी बहन के होते हुए छोटी से और छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन से निकाह न किया जाए।[1]

सहीह: अबू दाऊद: 2065. निसाई:3296.

तौज़ीह: (1) यानी एक वक़्त में इन रिश्तों को अपने निकाह में जमा करना हराम है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और सब उलमा के नज़दीक इसी पर अमल होगा। हमारे इल्म के मुताबिक उनके दर्मियान इख़्तिलाफ़ नहीं है कि किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वह भतीजी और फूफी या भांजी और खाला को एक वक़्त में जमा करे, अगर वह फूफी की मौजूदगी में भतीजी से या खाला की मौजूदगी में भांजी से इसी तरह भांजी की मौजूदगी में फूफी से निकाह करता है तो दूसरी का निकाह फ़स्ख होगा। सब उलमा यही कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं शाबी ने अबू हुरैरा को पाया है और मैंने इस बारे में मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: यह बात सहीह है। नीज फ़रमाते हैं: शाबी ने एक आदमी के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत की है।

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

32 - अकदे निकाह के वक़्त की शराइत (शर्तें)

1127 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

1127 - उक़्बा बिन आमिर अल-जुहनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "बेशक सब से ज़्यादा पूरी करने के लायक़ वह शराइत हैं जिनके साथ तुम शर्मगाहों को हलाल करते हो।"

عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

बुख़ारी: 2721. मुस्लिम: 1418. अबू दाऊद: 2139. इब्ने माजा: 1954. निसाई: 3281-3282.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना ने भी बवास्ता यह्या बिन सईद, अब्दुल हमीद बिन जाफ़र से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के बाज़ अहले इल्म सहाबा, जिनमें उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) भी हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से इस शर्त पर निकाह करे कि उसे उसके मुल्क या शहर से बाहर नहीं ले जाएगा तो उसके लिए बाहर ले जाना जायज़ नहीं है. बाज़ अहले इल्म भी यही कहते हैं और इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के कायल हैं. अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से मर्वी है की अल्लाह की शर्त (हुक्म) औरत की शर्त पर मुक़द्दम है गोया उनके मुताबिक अगरचे औरत ने बाहर न ले जाने की शर्त लगाई भी हो तो भी खाविंद उसे बाहर ले जा सकता है. बाज़ उलमा भी इसी तरफ़ गए हैं. नीज सुफ़ियान सौरी और बाज़ अहले कूफा का भी यही कौल है.

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

33 - जिस आदमी के पास इस्लाम कुबूल करते वक़्त दस बीवियां हों.

1128 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

1128 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि गैलान बिन सलमा सक्फी मुसलमान हुआ और जाहिलियत में उसकी दस बीवियां थीं तो वह भी उसके साथ मुसलमान हो गयीं, नबी(ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि उन में से चार को पसंद कर ले।

सहीह: इब्ने माजा: 1953. मुसनद अहमद: 2/13. इब्ने हिब्बान: 4156.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता सालिम उनके बाप से इसी तरह रिवायत की है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी ﷫) को फ़रमाते हुए सुना कि यह हदीस महफ़ूज़ नहीं है और सहीह वह है जिसे शोऐब बिन अबी हम्ज़ा और दीगर रावियों ने जोहरी और हम्ज़ा से रिवायत किया है। कहते हैं मुझे मुहम्मद बिन सुवैद सक्फी की तरफ़ से बयान किया गया कि गैलान बिन सलमा मुसलमान हुआ तो उसकी दस बीवियां थीं। मुहम्मद (अल बुख़ारी﷫) फ़र्माते हैं, ज़ोहरी की सालिम से बयानकर्दा उनके वालिद की हदीस ये है कि सकीफ़ क़बीले के एक आदमी ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी तो उमर (﵁) ने फ़रमाया: तुम ज़रूर अपनी बीवियों से रुजू करोगे वना मैं तुम्हारी क़ब्र को ऐसे ही रजम करूंगा जिस तरह अबू रिगाल की क़ब्र को पत्थर मारे गए थे।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : हमारे अस्हाब का गैलान बिन सलमा की हदीस पर ही अमल है। जिनमें इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (﵏) भी हैं।

34 - कुबूले इस्लाम के वक़्त जिसकी निकाह में दो बहनें हों.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

1129 - फ़ैरूज़ दैलमी (﵁) से रिवायत है कि मैंने नबी(ﷺ) के पास आकर अर्ज़ किया, ''ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मेरे निकाह में दो बहनें हैं।'' तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: " उन दोनों में से जिसे चाहो इख़्तियार कर लो। "

हसन: अबू दाऊद: 2243. इब्ने माजा: 1950.

1129 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجَيْشَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

1130 - सय्यदना फ़ैरूज़ दैलमी (﵁) रिवायत करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मेरे निकाह में दो बहनें हैं, तो अल्लाह के

1130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ

بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: "उन दोनों में से जिसे चाहो इख़्तियार कर लो।"

हसन: तोहफतुल अशराफ़: 11061.

वज़ाहत: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू वहब जैशानी का नाम दैलम बिन होशअ है।

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

35 - अगर कोई आदमी किसी हामिला लौंडी को खरीद ले.

131 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

1131 - सय्यदना रुवैफे बिन साबित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: "जो शख़्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वह अपना पानी किसी दूसरे की औलाद को ना पिलाए।" (1)

हसन: अबू दाऊद: 2158. दारमी: 2480. मुसनद अहमद:4/ 108.

तौज़ीह: (1) यानी जो शख़्स किसी हामिला लौंडी को खरीदे तो जब तक वह बच्चे को जन्म न दे उस वक़्त तक उस से सोहबत न करे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और रुवैफे बिन साबित (رضي الله عنه) से कई इस्नाद के साथ मर्वी है।

नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी जब किसी हामिला लौंडी को खरीदे तो बच्चा जन्म देने तक उस से सोहबत न करे। इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू दर्दा, इर्बाज़ बिन सारिया और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

36 - अगर आदमी किसी औरत को लौंडी बना ले और उसका खाविंद भी हो तो क्या उस से सोहबत करना जायज़ है.

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

1132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

1132 - सय्यदना अबू सईद अल-खुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि औतास[1] के दिन हमने कुछ औरतों को कैदी बनाया और उनकी कौम में उनके खाविंद भी थे, सहाबा ने यह बात रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र की तो यह आयत नाजिल हुई: "और शादी शुदा औरतें भी (तुम पर हराम है) मगर जिन को तुम लौंडी बना लो।" (अन्निसा: 24)

मुस्लिम: 1456. अबू दाऊद: 2155. निसाई:3333.

तौज़ीह: (1) औतास हवाज़िन के इलाके में एक वादी का नाम है। यहाँ पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुनैन की ग़नीमतों को सहाबा में तक्सीम किया था और उन्हीं ग़नीमातों में यह औरतें भी थीं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और सौरी ने भी इसी तरह ही उस्मान अल बत्ती से बवास्ता अबू खलील सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत की है। अबू खलील का नाम सालेह बिन अबू मरियम है। जब कि हम्मान ने इस हदीस को क़तादा से उन्होंने सालेह बिन अबी खलील से बवास्ता अल्क़मा हाशिमी, अबू सईद (ﷺ) से उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। (अबू ईसा कहते हैं:) हमें यही हदीस उमर बिन हुमैद ने उन्हें हिब्बान बिन हिलाल ने वह कहते हैं: हमें हम्माम ने रिवायत की है।

37 - जानिया औरत को उजरत देना मना है

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

1133 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

1133 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुत्ते की कीमत (लेने), जानिया को उजरत[1] देने

الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ.

और काहिन की मिठाई (2) से मना किया है।

बुख़ारी: 2237. मुस्लिम: 1567. अबू दाऊद: 3428. इब्ने माजा:2157. निसाई:4292.

तौज़ीह: (1) शादी के मौक़ा पर आदमी जो कुछ अपनी बीवी को देता है उसे महर कहा जाता है उस के साथ उस औरत का वजूद मर्द के लिए हलाल हो जाता है। यहाँ मजाज़ी तौर पर महर का लफ़्ज़ जानिया को दी जाने वाली उज्रत पर बोला गया क्योंकि यह भी पैसे लेकर अपने जिस्म को उस के सुपुर्द कर देती है। (2) काहिन को मिठाई देने का मतलब है कि नुजूमी से आइन्दा की ख़बरों के बारे में पूछ कर उसे नज़राना के तौर पर कुछ पेश करना।

वज़ाहत: इस मसले में राफे बिन ख़दीज, अबू जुहैफा, अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

38 بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

38 - कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के पैगाम पर (किसी औरत को) अपना पैगामे निकाह न भेजे.

1134 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

1134 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "कोई आदमी अपने भाई की ख़रीदो फरोख्त पर बै (सौदा) न करे और न ही अपने भाई की पैगामे निकाह पर निकाह का पैगाम भेजे।"

बुख़ारी: 2140. मुस्लिम: 1413. अबू दाऊद: 2080. इब्ने माजा:1867. निसाई:3239.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इमाम मालिक बिन अनस (رحمه الله) फ़रमाते हैं: पैगामे निकाह पर निकाह का पैगाम भेजने की कराहत (मनाही) का मतलब यह है कि जब कोई आदमी किसी औरत को निकाह का पैगाम भेजे और वह औरत उस पर राजी

हो जाए तो किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई के पैगाम पर पैगाम दे।

इमाम शाफ़ेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस कि "कोई शख़्स किसी के पैगामे निकाह पर पैगाम न भेजे" का मतलब यह है कि जब कोई शख़्स किसी औरत को निकाह करने का पैगाम दे वह उस पर खुश हो और उसकी तरफ़ माइल भी हो तो किसी शख़्स को उसके पैगाम पर पैगाम भेजना जायज़ नहीं है । उस औरत की रज़ामंदी या माइल होने के इल्म से पहले उसको पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी दलील सय्यदा फातिमा बिन्ते कैस (ﷺ) की हदीस है कि जब वह नबी करीम(ﷺ) के पास आकर ज़िक्र करने लगीं कि अबू जहम बिन हुज़ैफा और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान दोनों ने उसको निकाह का पैगाम दिया है तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "अबू जहम तो ऐसा आदमी है जो अपनी लाठी औरतों से उठाता नहीं है और मुआविया फकीर आदमी है उसके पास माल नहीं है लेकिन तुम उसामा से निकाह कर लो। " हमारे नज़दीक तो इस हदीस का यही मतलब है और अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाला है कि फातिमा (ﷺ) ने इन में से किसी के साथ रज़ामंदी का इज़हार नहीं किया था और अगर वह आप को बता देतीं तो नबी करीम(ﷺ) उन्हें किसी दूसरे की तरफ़ इशारा न देते जिसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया था।

1135 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنَا، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ، خَمْسَةً شَعِيرًا , وَخَمْسَةً بُرًّا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ: صَدَقَ، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

1135 - अबू बक्र बिन जहम (ﷺ) कहते हैं कि मैं और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान सय्यदा फातिमा बिन्ते कैस (ﷺ) के पास गए तो उन्होंने हमें बयान किया कि उनके खाविंद ने उन्हें तीन तलाक़ें दे दी और उसके लिए रिहाइश और ख़र्च भी मुक़र्रर न किया, कहती हैं: उसने अपने चचा के बेटे के पास मेरे लिए दस क़फीज़[1] रखे पांच क़फीज़ जौ के और पांच गंदुम के, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर इसका तज़किरा किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "उसने सही काम किया" फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उम्मे शरीक के घर इद्दत के दिन गुजारूं, फिर अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: "उम्मे शरीक के घर में मुहाजिरीन आते जाते हैं। तुम इब्ने उम्मे मक़्तूम के घर में इद्दत गुज़ार लो ताकि तुम अपने

بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ، وَلَكِنْ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَعَسَى أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلاَ يَرَاكِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ. قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَزَوَّجَنِي، فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أُسَامَةَ.

कपड़े भी उतार दो तो वह तुम्हें न देख सके जब तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाए फिर कोई शख़्स तुम्हें पैगामे निकाह दे तो तुम मेरे पास आना।" जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो मुझे अबू जहम और मुआविया ने निकाह का पैगाम दिया, कहती हैं: मैं अल्लाह के रसूल(ﷺ) के पास आयी आप(ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "मुआविया ऐसा आदमी है जिसके पास माल नहीं है और अबू जहम औरतों पर सख़्ती करने वाला आदमी है।" कहती हैं: फिर मुझे उसामा बिन ज़ैद ने निकाह का पैगाम दिया फिर मुझ से शादी कर ली तो अल्लाह तआला ने उसामा में मेरे लिए बरकत डाल दी।"

मुस्लिम: 1480. अबू दाऊद: 2248. इब्ने माजा: 1869. निसाई:3222.

तौज़ीह: القفيز : क़दीम ज़माना का एक पैमाना है जिसकी मिक़्दार मुख़्तलिफ़ शहरों में मुख़्तलिफ़ थी, मिस्त्री पैमाने के मुताबिक़ वह तक़रीबन सत्तरह (17) किलो ग्राम था। (मोजमुल वसीत :906)

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है और सुफ़ियान सौरी ने भी अबू बकर बिन अबू जहम से इसी तरह की हदीस रिवायत की है। और इसमें यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि नबी(ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: "तुम उसामा से निकाह कर लो।" (अबू ईसा कहते हैं:) महमूद बिन गैलान ने हमें वकीअ से वह सुफ़ियान से बवास्ता अबू बकर बिन जहम भी यही बयान करते हैं।

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي العَزْلِ

39 - अज़्ल का बयान.

1136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ:

1136 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! हम अज़्ल[1] करते हैं तो यहूदियों का ख़याल है कि

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ، فَزَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُودُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ.

यह लड़कियों को ज़िंदा दफ़न करने का छोटा तरीक़ा है तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "यहूदी झूठ कहते हैं। बेशक अल्लाह तआला जब किसी को पैदा करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता।"

सहीह: अबू दाऊद: 2173. मुसनद अहमद: 3/309.

(1) अज़्ल का लुग्वी मानी है: अलग होना, इस्तिलाह में इस का मतलब है कि आदमी जब अपनी बीवी से सोहबत करे तो इन्जाल के वक़्त अपनी शर्मगाह को बाहर निकाल कर बाहर ही इन्जाल करे ताकि उस नुत्फ़े से बच्चा पैदा ना हो।"

वज़ाहत: इस मसले में उमर, बरा, अबू हुरैरा, अबू सईद (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

1137 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ.

1137 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि हम अज़्ल किया करते थे जब कि कुरआन भी नाज़िल होता था।

बुख़ारी: 5207. मुस्लिम: 1440. इब्ने माजा: 1927.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक़ के साथ मर्वी है नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने अज़्ल की रुख़सत दी है।

इमाम मालिक बिन अनस (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आज़ाद औरत से अज़्ल की इजाज़त ले ली जाए और लौंडी से इजाज़त न ली जाए।

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَزْلِ

40 - अज़्ल करने की कराहत का बयान.

1138 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،

1138 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास अज़्ल का तजकिरा हुआ तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "तुम

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ:

में से कोई शख़्स यह काम क्यों करता है।"

बुख़ारी: 2229. मुस्लिम: 1438. अबू दाऊद: 2170. इब्ने माजा: 1926. निसाई: 3327.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी उमर ने अपनी हदीस में यह जुम्ला नहीं कहा कि तुम में से कोई शख़्स यह काम क्यों करता है? दोनों (यानी इब्ने उमर और कुतैबा) अपनी हदीस में कहते हैं कि (नबी करीम(ﷺ)) ने फ़रमाया: "कोई पैदा होने वाली जान नहीं है मगर अल्लाह उसे पैदा करेगा।"

इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। अबू ईसा फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई तुरूक़ से मर्वी है। नीज अहले इल्म के एक गिरोह ने अज़्ल को नापसंद किया है।

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

41 - कुंवारी और बेवा या मुतल्लक़ा के लिए दिनों की तक़सीम.

1139 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

1139 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: अगर तुम चाहो तो मैं कह देता हूँ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "लेकिन आप(ﷺ) ने फ़र्माया: "सुन्नत यह है कि जब आदमी अपनी बीवी के होते हुए कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके पास सात दिन ठहरे और जब बीवी के होते हुए बेवा या मुतल्लक़ा से शादी करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे।

बुख़ारी: 5213. मुस्लिम: 1461. अबू दाऊद: 2124. इब्ने माजा: 1916.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अय्यूब से बवास्ता अबू किलाबा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से मर्फ़ूअ रिवायत की है। और बाज़ ने मर्फ़ूअ रिवायत नहीं की।

नीज बाज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी जब अपने बीवी के होते हुए कुंवारी लड़की से शादी करे तो उसके पास सात दिन और रात ठहरे, फिर उन दोनों के दर्मियान अदल के साथ तकसीम करे और जब पहली बीवी की मौजूदगी में मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह करे तो उसके पास तीन दिन क़याम करे। यह कौल मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का है।

जबकि ताबेईन में से बाज़ उलमा कहते हैं कि जब बीवी की मौजूदगी में कुंवारी लड़की से शादी करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे और जब मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह करे तो उसके पास दो रातें ठहरे लेकिन पहला कौल सहीह है।

42 – बीवियों के दर्मियान इन्साफ करना.

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

1140 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) अपनी बीवियों के दर्मियान तक्सीम करते तो इन्साफ करते थे और आप कहते: "ऐ अल्लाह ! यह मेरी तक्सीम है, जिसमें मैं मालिक हूँ, तु मुझे उस काम में मलामत ना करना जिसका तू मालिक है मैं नहीं हूँ।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2134. इब्ने माजा: 1981. निसाई: 3943

1140 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हदीसे आयशा को बहुत से रावियों ने इसी तरह ही हम्माद बिन सलमा से उन्होंने अय्यूब से उन्होंने अबू किलाबा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) तक्सीम करते थे। और हम्माद बिन ज़ैद वग़ैरह ने बवास्ता अय्यूब, अबू किलाबा से मुर्सल रिवायत भी की है कि नबी करीम(ﷺ) तक्सीम करते थे और यह हम्माद बिन सलमा की (पहली) हदीस से ज़्यादा सहीह है और मुझे उस चीज़ में मलामत ना करना जिसका तू मालिक है मैं नहीं।" का अक्सर उलमा के नज़दीक यह मतलब है कि इस से आप(ﷺ) की मुराद मोहब्बत और प्यार है।

1141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ.

1141 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमायाः "जब किसी आदमी के पास दो बीवियां हों और वह उनके दर्मियान इन्साफ़ न करे तो क़यामत के दिन आयेगा तो उसका पहलू मफ्लूज (फालिज ज़दा) होगा। "

सहीह: अबू दाऊद: 2133. इब्ने माजा: 1969. निसाई: 3942.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को सिर्फ़ हम्माम बिन यह्या ने ही क़तादा से मुसनद बयान किया है और हिशाम दस्तवाई इसे क़तादा से बयान करते वक़्त कहते हैं कि "कहा जाता है" और हम इस हदीस को सिर्फ़ हम्माम की सनद से ही मर्फ़ूअ जानते हैं और हम्माम सिक़ह् और हाफ़िज़ रावी है।

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

43 – मुश्रिक मियाँ बीवी में अगर एक मुसलमान हो जाए.

1142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

1142 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बेटी ज़ैनब को नए महर और नए निकाह के साथ अबू आस बिन रबी पर लौटाया था।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2010. सईद बिन मंसूर: 2109.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में ग़ुफ़्तगू की गई है और अगली हदीस में भी मकाल है। नीज उलमा का इसी हदीस पर अमल है कि औरत जब अपने खाविंद से पहले

मुसलमान हो जाए फिर दौराने इद्दत ही उसका खाविंद भी मुसलमान हो जाए तो खाविंद उसका ज़्यादा हक़दार है जब तक वह इद्दत में है। यह कौल मालिक बिन अनस, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

1143 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

1143 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) अपनी बेटी ज़ैनब को छ: साल बाद पहले निकाह के साथ अबू आस बिन रबीअ के साथ भेज दिया था और निकाह दोबारा नहीं किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 2240. इब्ने माजा:2009.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में कोई खराबी नहीं है लेकिन हम इस हदीस की तौजीह नहीं जानते, शायद यह दाऊद बिन हुसैन के हाफ़िज़े की वजह से है।

1144 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

1144 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) के दौर में एक आदमी मुसलमान हो कर आया फिर उसकी बीवी भी मुसलमान हो कर आ गई तो उस आदमी ने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! यह मेरे साथ मुसलमान हो गई थी आप इसे मेरी तरफ़ लौटा दें तो आप(ﷺ) ने उस औरत को उस मर्द की तरफ़ लौटा दिया।

सहीह: अबू दाऊद: 2238. इब्ने माजा:2008.

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है और मैं अब्द बिन हुमैद को बयान करते हुए सुना कि मैंने सुना यज़ीद बिन हारून बयान कर रहे थे कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ इस हदीस को बयान कर रहे थे।

और हज्जाज की अम्र बिन शोऐब से उनके बाप और उनके दादा से बयान कर्दा रिवायत नबी करीम(ﷺ) ने अपनी बेटी ज़ैनब को नए महर और नए निकाह के साथ लौटा दिया था। यज़ीद बिन हारून कहते हैं कि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस की सनद बहुत उम्दा है लेकिन अमल अम्र बिन शोऐब की हदीस पर है। (ज़ईफ़)

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

44 - आदमी की किसी औरत से निकाह करने के बाद हक़्क़े महर मुक़र्रर करने से पहले फौत हो जाए तो.

1145 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

1145 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो किसी औरत से शादी करता है लेकिन उसने औरत के लिए महर मुक़र्रर नहीं किया और सोहबत भी नहीं की कि फौत हो गया तो इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: उस औरत के लिए उसके खानदान की औरतों के मुवाफिक़ हक़ महर होगा, न कमी न ज़्यादती और उस पर इद्दत और मीरास भी साबित होगी। तो माकिल बिन सिनान अश्जई खड़े हो कर कहने लगे: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमारी एक औरत बिर्वा बिन्ते वाशिक़ के बारे में ऐसा ही फ़ैसला किया जैसा आप ने किया है तो इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) इस बात पर खुश हो गए।

सहीह: अबू दाऊद: 2114. इब्ने माजा:1891. निसाई:3355.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन अली अल-खल्लाल ने उन्हें यजीद बिन हारून और अब्दुर्रज़्ज़ाक दोनों ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और इनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। सौरी, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

नबी करीम(ﷺ) के सहाबा में से कुछ उलमा; जिन में अली बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन साबित, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) भी है। कहते हैं कि जब आदमी किसी औरत से निकाह करे और दुखूल (हम बिस्तरी) नहीं किया और न ही हक़्क़े महर मुक़र्रर किया और मर गया तो उसकी बीवी को मीरास तो मिलेगी लेकिन हक़्क़े महर नहीं मिलेगा और उस पर इद्दत भी होगी। शाफ़ेई भी इसी के कायल हैं। वह मज़ीद कहते हैं कि अगर बिर्वा बिन्ते वाशिक़ की हदीस साबित हो जाए तो दलील नबी करीम(ﷺ) की हदीस ही होगी और शाफ़ेई से यह भी मर्वी है कि उन्होंने बाद में मिस्त्र के अन्दर इस कौल से रुजू कर लिया था और बिर्वा बिन्ते वाशिक़ की हदीस के कायल हो गए थे। नीज इस मसले में जर्राह (رضی اللہ عنہ) से भी मर्वी है।

ख़ुलासा.

- निकाह पैगम्बरों की सुन्नत है और जो शख़्स ताक़त रखता हो उसके लिए ज़रूरी है।
- कुंवारा रहना मना है।
- बीवी के इन्तिखाब के वक़्त दीन को तरजीह दी जाए।
- निकाह को एलानिया मुन्अकिद किया जाए।
- शादी के बाद वलीमा सुन्नत है।
- वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता और ऐसा करने वाली औरत जानिया है।
- निकाह के अकद के वक़्त गवाह बनाए जाएँ।
- खुत्ब-ए-निकाह मस्नून पढ़ा जाए और कलिमे वग़ैरह पढ़ाना सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है।
- लड़की से निकाह की इजाज़त लेनी चाहिए।
- हक़्क़े महर हस्बे इस्तिताअत मुक़र्रर किया जाए।
- हलाला हराम काम है और ऐसा करने वाला लानती होता है।
- मुत्आ हराम है. इस्लाम में इस काम की गुंजाइश नहीं है।
- बगैर हक़ महर का निकाह मना है।
- मुसलमान के लिए एक वक़्त में चार से जायद बीवियां रखना हराम है।
- जिस्म फरोश औरत को उज्रत देना हराम है।
- अज़्ल जायज़ है।
- एक से ज़्यादा बीवियां होने की सूरत में इन्साफ करना ज़रूरी है. वरना अल्लाह के यहाँ ऐसा शख़्स बहुत बड़ा मुजरिम है।

Sherkhan
9825 696 131

मज़मून नम्बर 10

أَبْوَابُ الرَّضَاعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी दूध पिलाने के मसाइल व अहकाम.

तआरुफ़

19 अबवाब पर मुश्तमिल 29 अहादीसे रसूल से आप को इन बातों के बारे में रहनुमाई मिलेगी कि:

- रज़ाअत क्या है?
- रज़ाअत की वजह से कौन- कौन से रिश्ते हराम हो जाते हैं?
- मियाँ बीवी के एक दुसरे पर क्या हुक़ूक़ हैं?

1 بَابُ مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ

1146 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

1 - रज़ाअत से वही रिश्ते हराम होते हैं जो नसब (खून) की वजह से हराम हैं.

1146 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने रज़ाअत(1) से वही (रिश्ता) हराम किया है जो नसब से हराम किया है।"

सहीह: अब्दुर्रज्जाक़: 13946. मुसनद अहमद: 1/131. अबू याला:381.

तौज़ीह: (1) मां, बहन, बेटी, खाला, फूफी, भांजी, और भतीजी, जिस तरह यह हक़ीक़ी सात रिश्ते हराम हैं। उसी तरह रज़ाअत (दूध पिलाने की वजह) से भी हराम हो जाते हैं।

वज़ाहत: इस मसला में आयशा, इब्ने अब्बास और उम्मे हबीबा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1147 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الوِلَادَةِ.

1147 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने रज़ाअत की वजह से वही रिश्ते हराम किए हैं जो विलादत की वजह से किए हैं।"

बुख़ारी: 2626. मुस्लिम: 1444. अबू दाऊद:2055. इब्ने माजा:1948.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अली (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से सब उलमा का इसी पर अमल है। इस बारे में उन के दर्मियान हमारे इल्म में इख़्तिलाफ़ नहीं है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الفَحْلِ

2 - दूध की निस्बत मर्द की तरफ होती है.

1148 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

1148 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मेरा रज़ाई चचा आकर मुझसे (अन्दर आने की) इजाजत माँगने लगा तो मैंने उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से इजाज़त ले लूं तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह तुम्हारे पास आ सकता है (क्योंकि) वह तुम्हारा चचा है।" कहने लगीं: मुझे औरत ने दूध पिलाया है मर्द ने नहीं पिलाया, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह तुम्हारा चचा ही है वह तुम्हारे पास आ जाए।"

बुख़ारी: 2644. मुस्लिम:1445. अबू दाऊद: 2057. इब्ने माजा: 1948. निसाई:3310.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह है और नबी करीम(ﷺ) के सहाबा व दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा मर्द की वजह से रिश्तों को मकरूह करते हैं और इस मसले में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस को बुनियाद बनाया जाता है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने मर्द के दूध की वजह से रूख़सत दी है लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

1149 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، وَالأُخْرَى غُلاَمًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ: وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الفَحْلِ.

1149 - अम्र बिन शरीद (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जिसकी दो लौंडियाँ हों, उनमें से एक ने एक लड़की और दूसरी ने लड़के को दूध पिलाया हो, क्या यह लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है? तो उन्होंने फ़रमाया, "नहीं क्योंकि मनी एक ही मर्द की[1] है।

सहीहुल इस्नाद: अब्दुर्रज्जाक़: 13942. दारे कुतनी: 4/ 179. मोत्ता: 1739.

तौज़ीह: (1) नर ऊँट या घोड़े के माद्दा मंविय्या को अल-लिकाह कहा जाता है। यानी दोनों का दूध एक मर्द की वजह से है। (तफसील के लिए देखिये: अल-मोजमुल वसीत: पृ. 1008)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह लबन अल-फहल की तफसीर है और इस मसले की बुनियाद यही है। नीज इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

3 بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

3 - एक या दो बार दूध पीने से हुर्मत साबित नहीं होती.

150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

150 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक दो मर्तबा दूध[1] चूसना (रिश्ते को) हराम नहीं करता।"

मुस्लिम: 1450. अबू दाऊद:2063. इब्ने माजा:1941. निसाई:3310.

तौज़ीह: اَلْمَصَّةُ एक बार दूध चूसना और اَلْمَصَّتَانِ इसका तस्निया है।

वजाहत: इस मसले में उम्मे फ़ज़ल, अबू हुरैरा, जुबैर बिन अव्वाम, से भी अहादीस मर्वी हैं और इब्ने जुबैर (رضي الله) भी सय्यदा आयशा (رضي الله) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक दो बार का चूसना (रिश्ते को) हराम नहीं करता।"

अबू ईसा फरमाते हैं:) मोहम्मद बिन दीनार ने हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बवास्ता जुबैर ने नबी(ﷺ) से रिवायत की है और मोहम्मद बिन दीनार बसरी ने नबी(ﷺ) से पहले जुबैर के वास्ते का इजाफ़ा किया है और वह हदीस गैर महफ़ूज़ है। मुहद्दिसीन के नज़दीक सहीह हदीस वह है जिसे इब्ने अबी मुलैका (رحمه الله) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضي الله) से बवास्ता आयशा (رضي الله) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: आयशा (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है। और मैंने इस बारे में मोहम्मद (अल-बुख़ारी رحمه الله) से पूछा तो उन्होंने कहा: सहीह वह है जिसे इब्ने जुबैर, आयशा (رضي الله) से रिवायत करते हैं। और मोहम्मद बिन दीनार की हदीस जिसमें वह जुबैर (رضي الله) का वास्ता बढ़ाते हैं वह ऐसे है कि हिशाम बिन उर्वा अपने बाप के वास्ते के साथ जुबैर (رضي الله) से रिवायत करते हैं। नीज नबी(ﷺ) और दीगर सहाबा लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है।

आयशा (رضي الله) फरमाती है: "क़ुरआन में दस बार दूध पीने से रज़ाअत की हुर्मत नाजिल हुई थी, पांच मंसूख हो गयीं और हुर्मत का ताल्लुक़ पांच के साथ रह गया, जब रसूलुल्लाह(ﷺ) फौत हुए तो इसी बात का हुक्म था।

यह हदीस हमें इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी ने मअन से (वह कहते हैं:) हमें मालिक ने अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र से बवास्ता उमर, सय्यदा आयशा (رضي الله) से रिवायत की है. आयशा (رضي الله) और नबी करीम(ﷺ) की दीगर बीवियां यही फतवा देती थीं। इमाम शाफ़ेई और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

इमाम अहमद (رحمه الله) नबी करीम(ﷺ) की हदीस "एक दो बार का चूसना हराम नहीं करता" के क़ायल हैं कि अगर सय्यदा आयशा (رضي الله) के पांच रज़आत की तरफ़ जाएँ तो वह मज़हब कवी है। मगर इस में हुक्म देने से वह डरते थे।

नबी करीम(ﷺ) के सहाबा (رضي الله) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: जब गिज़ा पेट तक पहुँच जाए वह थोड़ी हो या ज़्यादा हुर्मत साबित कर देती है। यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, औज़ाई, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ और अहले कूफा (رحمه الله) का है।

अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका, यह अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका हैं। उनकी कुनियत अबू मोहम्मद है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضي الله عنه) ने इन्हें ताइफ़ का क़ाज़ी बनाया था। इब्ने जुरैज का कहना है कि इब्ने अबी मुलैका कहते हैं मैंने नबी करीम(ﷺ) के तीस सहाबा से मुलाक़ात की है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

1151 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَعْرَضَ عَنِّي بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ.

4 - रज़ाअत में एक औरत की गवाही काफी है.

1151 - अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका कहते हैं: मुझे उबैद बिन अबी मरियम ने बताया कि उक़्बा बिन हारिस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, नीज मैंने भी उक़्बा (رضي الله عنه) से यह हदीस सुनी थी लेकिन मुझे उबैद की अहादीस ज़्यादा याद हैं, वह फरमाते हैं: मैंने एक औरत से शादी की तो हमारे पास एक सियाह फाम औरत आकर कहने लगी: मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। मैंने नबी करीम(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहा: मैंने फलां आदमी की फलां बेटी से शादी की थी तो एक सियाह रंग की औरत आकर कहने लगी: मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है वह झूठी है। रावी कहते हैं: आप(ﷺ) ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया, वह कहते हैं: मैं आपके सामने हुआ, आप ने फिर मुझसे चेहरा फेर लिया। मैंने कहा वह झूठ बोलती है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "कैसे उसके साथ रह सकते हो जब कि उसने कह दिया है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है! उसे अपने से अलग कर दे।

बुख़ारी: 88. अबू दाऊद: 3606, निसाई: 3330.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: उक़्बा बिन हारिस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज

बहुत से रावियों ने इसको इब्ने अबी मुलैका के वास्ते के साथ उक़्बा बिन हारिस (ﷺ) से रिवायत किया है और इसमें उबैद बिन अबी मरियम का ज़िक्र नहीं किया। इसी तरह "इसे छोड़ दो" का ज़िक्र भी नहीं है।

नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए रज़ाअत में से एक औरत की गवाही को जायज़ कहते हैं: इब्ने अब्बास (ﷺ) फरमाते हैं: रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ है लेकिन उस से क़सम ली जाएगी। इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ नहीं है जब तक कि ज़्यादा लोग गवाही न दे दें यह कौल इमाम शाफ़ेई (ﷺ) का है।

जारूद बिन मुआज़ कहते हैं: मैंने वकीअ को फरमाते हुए सुना हुक्म के लिहाज़ से रज़ाअत में एक औरत की गवाही जायज़ नहीं है लेकिन तक़्वा की बिना पर अपनी बीवी को छोड़ दे।

5 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ فِي الصِّغَرِ دُونَ الحَوْلَيْنِ

5 - रज़ाअत बचपन में दो साल से कम उम्र में ही हुर्मत साबित करती है.

1152 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ.

1152 - सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) रिवायत करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "रज़ाअत की वजह से वही (दूध) हुर्मत साबित करता है जिसे (बच्चा)(1) छाती से पिए और वह आंतों को फाड़(2) दे और यह दूध भी दूध छुड़ाने से पहले।

सहीह: इब्ने हिब्बान: 4224. तबरानी फ़िल औसत:7513.

तौज़ीह: (1) यानी रज़ाअत साबित होने की शर्त यह है कि बच्चा दो साल से पहले की उम्र में उस औरत की छाती से इस क़दर गिज़ा ले ले जो उसके पेट में पहुँच जाए। (2) فَتَقَ: चीरना, बीच में से दो करना, फाड़ना। (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1202)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि वही रज़ाअत हुर्मत को साबित करती है जो दो साल से पहले की उम्र में हो और दो साल के बाद की उम्र में कोई रिश्ता हराम नहीं करता।

6 - रज़ाअत के हक़ को किया चीज़ ख़त्म कर सकती है?

6 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

1153 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

1153 - हज्जाज अल अस्लमी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम(ﷺ) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से रज़ाअत का हक़ किया चीज़ ख़त्म कर सकती है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक जान (या गर्दन) गुलाम या लौंडी।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2064. निसाई: 3329.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते है: यह हदीस हसन सहीह है और यह कौल कि "मुझ से रज़ाअत का हक़ कौन सी चीज़ ख़त्म कर सकती है?" का मतलब है: रज़ाअत का हक़, यानी आप फरमा रहे थे कि जब तुम दूध पिलाने वाली औरत को गुलाम या लौंडी दे दो तो तुमने उसका हक़ अदा कर दिया और अबू तुफैल (رضي الله عنه) से मर्वी है कि मैं नबी(ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आयी तो नबी करीम(ﷺ) ने अपनी चादर बिछा दी वह उस पर बैठी, जब वह चली गयीं तो कहा गया: उसने नबी करीम(ﷺ) को दूध पिलाया था।

यह्या बिन सईद अल- क़त्तान, हातिम बिन इस्माईल और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के वास्ते से हज्जाज बिन हज्जाज से उन्होंने बवास्ता हज्जाज नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

सुफ़ियान बिन उयय्ना (رحمه الله) भी हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने हज्जाज बिन अबी हज्जाज के वास्ते के साथ नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है, लेकिन इब्ने उयय्ना की हदीस गैर महफ़ूज़ है।

सहीह वह रिवायत है जिसे उन लोगों ने बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप से रिवायत की है। और हिशाम बिन उर्वा की कुनियत अबू मुन्ज़िर है उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मुलाक़ात की है और फातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम यह हिशाम बिन उर्वा की बीवी थीं।

7 - लौंडी आज़ाद हो जाए और उसका (जो गुलाम है) खाविंद भी हो.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

1154 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

1154 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि बरीरा (رضي الله عنها) का खाविंद गुलाम था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे इख़्तियार दे दिया था, उसने अपने आपको इख़्तियार किया और अगर (उसका खाविंद) आज़ाद होता तो आप(ﷺ) उसे इख़्तियार न देते।

मुस्लिम: 1504. अबू दाऊद:2233. इब्ने माजा:2076. निसाई:3451-3454, 344 7.

1155 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1155 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि बरीरा (رضي الله عنها) का खाविंद गुलाम था रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे इख़्तियार दे दिया था,

शाज़, (अब्दा) के लफ़्ज़ से महफ़ूज़ है: अबू दाऊद: 2235.इब्ने माजा:2074. निसाई: 2614.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते है: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। हिशाम बिन उर्वा ने बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह रिवायत की है कि बरीरा का खाविंद गुलाम था। और इक्रिमा ने भी इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) से रिवायत की है कि मैंने बरीरा के शौहर को देखा वह गुलाम था। उसका नाम मुगीस था। इब्ने उमर (رضي الله عنهما) से भी इसी तरह मर्वी है। नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब लौंडी, आज़ाद के निकाह में हो तो आजाद होने पर उसे इख़्तियार नहीं होगा: उसे उस वक़्त इख़्तियार होगा जब वह गुलाम के निकाह में हो और आज़ाद हो जाए। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का है।

कई रावियों ने आमश से बवास्ता इब्राहीम उन्होंने बवास्ता अस्वद, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की है कि बरीरा का ख़ाविन्द आजाद था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख़्तियार दे दिया। अबू अवाना ने इस हदीस को आमश उन्होंने इब्राहीम से बवास्ता अस्वद आयशा (رضي الله عنها) से बरीरा का किस्सा बयान किया है अस्वद कहते हैं: उसका खाविन्द आज़ाद था।

ताबेईन और तबा ताबेईन में से कुछ उलमा का इसी पर अमल है नीज सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी इसी के कायल हैं.

1156 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللَّهِ لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا، وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ.

1156 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि बरीरा का शौहर बनू मुग़ीरह का एक सियाह फाम गुलाम था, जिस दिन बरीरा आज़ाद हुई थीं। अल्लाह की क़सम! गोया वह मंज़र मेरे सामने है कि जब वह (मुगीस) मदीने के रास्तों और किनारों में फिरता था, उसके आंसू उसकी दाढ़ी पर बह रहे थे उसे राजी कर रहा था कि उसे इख़्तियार करे लेकिन उस बरीरा ने यह काम ना किया।

बुख़ारी: 5283. अबू दाऊद: 2231. इब्ने माजा: 2075. निसाई: 5417.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते है: यह हदीस हसन सहीह है और सईद बिन अबी अरविया, सईद बिन मेहरान है। उनकी कुनियत अबून्नज़र थी।

8 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

8 - बच्चा साहिबे बिस्तर का है.

1157 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ.

1157 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बच्चा साहिबे बिस्तर का है और जानी के लिए पत्थर हैं।"

बुख़ारी: 6818. मुस्लिम: 1458. इब्ने माजा: 2006. निसाई: 3482.

तौज़ीह: साहिबे बिस्तर से मुराद जो शख़्स औरत के बिस्तर का मालिक है। यानी उस से बीवी या लौंडी की हैसियत से हमबिस्तरी करता है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, उस्मान, आयशा, अबू उमामा, अम्र बिन खारिजा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, बरा बिन आजिब और ज़ैद बिन अर्कम (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

- इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम(ﷺ) के उलमा सहाबा का इसी पर अमल है.

नीज ज़ोहरी ने भी सईद बिन मुसय्यब से बवास्ता अबू सलमा, अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इस हदीस को रिवायत किया है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

9 - उस आदमी का बयान जो किसी औरत को देखे तो वह उसे अच्छी लगे.

1158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَخَرَجَ، وَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا.

1158 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने एक औरत को देखा तो ज़ैनब (رضي الله عنها) के पास गए (और उन से) अपनी हाजत को पूरा किया और बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाने लगे: "बेशक औरत जब सामने आती है तो शैतान की सूरत में आती है पस जब तुम में से कोई शख़्स किसी औरत को देखे और वह उसे अच्छी लगे तो उसे अपनी बीवी के साथ सोहबत करनी चाहिए क्योंकि उसकी बीवी के साथ भी वही है जो उस अजनबी औरत के साथ है।"

मुस्लिम: 1403. अबू दाऊद: 2151.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते है: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हिशाम बिन अबू अब्दुल्लाह (رحمه الله) दस्तवाई के साथी और संबर के बेटे हैं।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

10 - शौहर का बीवी पर क्या हक़ है?

1159 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ

1159 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देने वाला होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने खाविंद को सज्दा करे।"

كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

हसन सहीह:इब्ने हिब्बान: 4162. हाकिम: 4/ 171. बैहक़ी: 7/ 291.

वज़ाहत: इस मसले में मुआज़ बिन जबल, सुराका बिन मालिक बिन जोशम, आयशा, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, तल्क बिन अली, उम्मे सलमा, अनस और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस मोहम्मद बिन उमर से बवास्ता अबू सलमा अबू हुरैरा (رضي الله عنه) वाली सनद के साथ हसन ग़रीब है।

1160 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.

1160 - सय्यदना तल्क़ बिन अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाये तो वह उसके पास जाए अगरचे वह तन्नूर पर ही हो।"

सहीह: तयालिसी: 1097. मुसनद अहमद:: 4/ 22.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1161 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ.

1161 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो औरत इस हाल में फौत हुई कि उसका खाविंद उस पर राजी था वह जन्नत में दाखिल हो गई।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:1854. इब्ने अबी शैबा: 4/ 303. हाकिम: 4/ 173.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

11 - बीवी के खाविंद के ज़िम्मे हुक़ूक़.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

1162 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिनों में सब से कामिल ईमान वाला (वह है जो) उन में सब से ज़्यादा अच्छे अख़्लाक़ वाला है और तुम में से बेहतर वह हैं जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हैं। "

हसन सहीह: अबू दाऊद: 4682. इब्ने अबी शैबा: 8/515. मुसनद अहमद:2/250.

1162 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1163 - सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया कि वह हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे आप(ﷺ) ने अल्लाह की हम्दो सना की फिर वाज़ो नसीहत की। उन्होंने हदीस में एक किस्सा भी ज़िक्र किया; आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़बरदार! औरतों के साथ खैरख्वाही करना, यकीनन यह तुम्हारे पास कैदी है। तुम उनको सज़ा देने के मालिक नहीं हो, मगर यह कि वाज़ेह बुराई करे, अगर ऐसा काम करें तो उनको बिस्तरों पर छोड़ दो और ऐसी ज़र्ब के साथ मारो कि जिस से हड्डी न टूटे, फिर अगर वह तुम्हारी इताअत करें तो उन पर तकलीफ़ की राह तलाश न करो। ख़बरदार! तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे हुक़ूक़ हैं, तुम्हारी

1163 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ،

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

बीवियों के ज़िम्मे हक़ यह है कि वह तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे लोगों को ना आने दें जिन्हें तुम ना पसंद करते हो और न ही तुम्हारे नापसंदीदा लोगों को घर में आने की इजाज़त दें और तुम्हारे ऊपर उनका हक़ यह है कि तुम उन्हें अच्छा लिबास और खाना मुहय्या करो।

हसन: इब्ने माजा: 1851. मुसनद अहमद: 3/426. अबू दाऊद: 3334.

तौज़ीह: اسْتَوْصُوا: इसका मानी है वसीयत कुबूल करो, यानी मैं तुम्हें उन औरतों के बारे में वसीयत करने लगा हूँ मेरी वसीयत को कुबूल करना। عاني عَوانٌ: कैदी को कहते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और (عَوانٌ عِنْدَكُمْ) का मानी है तुम्हारे हाथों में कैदी हैं।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

12 - औरतों की दुबुर में ख़्वाहिश पूरी करना मना है.

1164 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الفَلاَةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ.

1164 - सय्यदना अली बिन तल्क़ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक देहाती नबी करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से कोई आदमी जंगल में होता है तो उसकी हवा ख़ारिज हो जाती है और पानी भी कम होता है (तो वह क्या करे)? तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब किसी आदमी की हवा ख़ारिज हो जाए तो उसे वुज़ू करना चाहिए। और तुम औरतों की सुरीनों[1] में जिमा (हमबिस्तरी) न करो, बेशक अल्लाह तआला हक़ (की वज़ाहत करने वाले) से नहीं शर्माता।"

हसन: अबू दाऊद: 205. मुसनद अहमद: 1/86. अब्दुर्रज्ज़ाक़: 529.

तौज़ीह: أَعْجَازِ : जमा है عجز की यह लफ़्ज़ मुअन्नस(Female) और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है इसका मानी है पिछला हिस्सा, इसीलिये शेअर के दुसरे मिस्रे को भी عجز कहा जाता है। देखिये: (अल-मोजमुल वसीत प: 692)

वज़ाहत: इस मसले में उमर, खुज़ैमा बिन साबित, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: अली बिन तल्क़ की हदीस हसन सहीह है और मैंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरे इल्म में अली बिन तल्क़ की नबी करीम(ﷺ) से सिर्फ़ यही एक हदीस है और इसमें इस हदीस को तल्क़ बिन अली सहीमी की सनद से नहीं जानता। गोया उनके मुताबिक़ यह नबी करीम(ﷺ) के कोई और सहाबी हैं। नीज वकीअ ने भी इस हदीस को रिवायत किया है।

1165 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

1165 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला (क़यामत के दिन नज़रे रहमत के साथ) उस बन्दे की तरफ नहीं देखेगा जो किसी मर्द या औरत की दुबुर में ख़्वाहिश पूरी करता है।"

हसन: इब्ने अबी शैबा: 4/251. अबू याला:2378. इब्ने हिब्बान:4203.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1166 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.

1166 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब किसी शख़्स की हवा ख़ारिज हो जाए तो वह वुज़ू करे और तुम औरतों के पिछले हिस्से में सोहबत ना करो।"

ज़ईफ़: तख़रीज गुज़र चुकी है. 1164.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह अली, सय्यदना अली बिन तल्क़ (رضي الله عنه) हैं।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ

13 - औरतों का बनाव सिंगार करके बाहर निकलना मना है.

1167 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ نُورَ لَهَا.

1167 - नबी करीम(ﷺ) की खादिमा मैमूना बिन्ते साद (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने शौहर के अलावा किसी और के सामने बनाव सिंगार के साथ इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल क़यामत के दिन के ऐसे अँधेरे की तरह है जिस में रोशनी बिल्कुल नहीं होगी।"

ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा:1800. अत-तबरानी फ़िल कबीर: 25. हदीस:70.

तौज़ीह: رافلة : नाजो अंदाज़ से अकड़ कर चलने वाली औरत, तफ़सील के लिए देखिये: (अल-मोजमुल वसीत पृ.: 249)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ़ मूसा बिन उबैदह की सनद से ही जानते हैं और मूसा बिन उबैदह गोया कि सच्चे हैं लेकिन हाफ़िज़ा की वजह से उन्हें हदीस में ज़ईफ़ कहा जाता है। उन्होंने शोबा से भी रिवायत की है और बाज़ (कुछ) रावियों ने मूसा बिन उबैदह से मर्फ़ू रिवायत नहीं की।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

14 - ग़ैरत का बयान.

1168 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.

1168 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला बहुत ग़ैरत रखता है और मोमिन भी ग़ैरत करता है और अल्लाह तआला की ग़ैरत(1) यह है कि मोमिन वह काम न करे जो उस पर अल्लाह ने हराम किए हैं।"

बुख़ारी: 5223. मुस्लिम:2761.

तौज़ीहः मतलब यह है कि ग़ैरत की वजह से ही अल्लाह तआला ने फ़हाशी और शिर्क को हराम किया है तो जब कोई इंसान उसका इर्तिक़ाब करता है तो अल्लाह तआला को उस बन्दे पर बहुत गुस्सा आता है।

वज़ाहतः इस मसले में आयशा और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज यह हदीस यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू मसलमा, उर्वा के ज़रीये सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله) से भी नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की गई है और दोनों हदीसें सहीह हैं।

हज्जाज सवाफ़ हज्जाज बिन अबू उस्मान हैं। अबू उस्मान का नाम मैसरह और हज्जाज की कुनियत अबू सुल्त है। यह्या बिन अबू सईद अल-क़त्तान ने उन्हें सिक़ा क़रार दिया है। अबू ईसा बयान करते हैं: हमें अबू बक्र अत्तार ने अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी के हवाले से बयान किया है वह कहते हैं: मैंने यह्या बिन सईद अल-क़त्तान से हज्जाज सवाफ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: वह सिक़ा समझदार और होशियार रावी हैं।

15 - औरत का अकेले सफ़र करना मकरूह है.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا

1169 - अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं है कि वह तीन दिन या उस से ज़्यादा का सफ़र अपने बाप ,खाविंद, बेटे या महरम के बगैर करे।"

बुखारी: 1197. बेनह्विही, मुस्लिमः 1340. अबू दाऊदः 1726. इब्ने माजा:2898.

1169 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

वज़ाहतः इस मसले में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आपने फ़रमाया, "औरत एक दिन और रात का सफ़र महरम के बगैर न करे।" और उलमा इसी पर अमल करते हुए औरत को महरम के बगैर सफ़र करने को मकरूह कहते हैं और अहले इल्म का उस मालदार औरत के बारे में इख़्तिलाफ़ है जिसका कोई महरम ना हो क्या वह हज कर सकती है?

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: उस पर हज करना वाजिब नहीं क्यंकि महरम का साथ होना रास्ते की ताक़त में से है, इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़रमान है: "जो शख़्स इस (बैतुल्लाह) की तरफ़ रास्ते की ताक़त रखता है।" (आले-इमरान:97)

सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं: जब रास्ता अम्न वाला हो तो वह लोगों के साथ हज के सफ़र पर जा सकती है। यह कौल मालिक बिन अनस और शाफ़ेई(رحمه الله) का है।

1170 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

1170 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "औरत एक दिन या रात का सफ़र न करे मगर इस सूरत में कि उसके साथ महरम रिश्तेदार हो।"

बुख़ारी: 1088. मुस्लिम: 1339. अबू दाऊद:1723. इब्ने माजा:2899.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُغِيبَاتِ

16 - अकेली[1] औरतों के पास जाना मना है.

1171 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ، قَالَ: الحَمْوُ الْمَوْتُ.

1171 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने आप को औरतों के पास जाने से बचाओ" तो एक अंसारी आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हम्वा[1] के बारे में क्या फ़रमाते हैं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हम्वा मौत है।"

बुख़ारी: 5232. मुस्लिम:2172.

तौज़ीह: الْمُغِيبَاتِ : مغيبة की जमा है। ऐसी औरत जिसका खाविंद उस से ग़ायब हो। यानी किसी कारोबार या मुलाज़मत के सिलसिले में शहर या मुल्क से बाहर हो, ऐसी औरत के पास जाने की मुमानअत (मनाही) में इस लिए सख़्ती की गई है कि उसे मर्द का इश्तियाक़ होता है (चाहत होती है) इस

तरह हराम काम करने का अंदेशा बढ़ जाता है। (2) الحَمْوُ : शौहर के बाप और बेटों के अलावा तमाम रिश्तेदार औरत के हम्वा होते हैं इस में सिर्फ़ देवर को शामिल करना सहीह नहीं है। यानी औरत अपने ससुराल में खाविंद के रिश्तेदार मर्दों से ऐसे बचे जिस तरह आदमी मौत से भागता है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, जाबिर और अम्र बिन आस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और ग़ैर महरम औरतों के पास जाने की कराहत का मफ़हूम उसी हदीस के मुताबिक़ है जिसमें नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हा होता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है।" और हम्व का मतलब है शौहर का भाई, गोया उसे औरत (भाभी) के साथ तन्हा होने से मना किया गया है।

17 - इस काम से इसलिए डराया गया है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है.

17 - بَابُ التحذير من ذالك لجريان الشيطان مجري الدم

1172 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिन औरतों के शौहर ग़ायब हों उनके पास न जाओ, बेशक शैतान तुम्हारे अन्दर खून की जगह पर दौड़ता है (रावी कहते है:) हमने कहा: और आप के भी? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ मेरे खून में भी लेकिन अल्लाह तआला ने उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद की है; मैं उस से महफ़ूज़ रहता हूँ।"

- 1172 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

सहीह: मुसनद अहमद: 3/309. दारमी:2785.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने मुजालिद बिन सईद के हाफ़िज़े की वजह से इस में कलाम किया है और मैंने अली बिन ख़ुश्रम से सुना वह कह रहे थे कि सुफ़ियान बिन उयय्ना इसकी तफ़सीर में कहते हैं कि नबी करीम(ﷺ) के फ़रमान "अल्लाह ने उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद की है। " मैं महफ़ूज़ रहता हूँ" का मतलब है: मैं उस शैतान से सलामती में रहता हूँ। सुफ़ियान कहते है: शैतान इस्लाम नहीं लाता।

"और मुगीबात के पास ना जाओ" मुगीबा उस औरत को कहते हैं जिसका शौहर ग़ायब हो और مغيبات : مغيبة की जमा है।

18 - بَابٌ استشراف الشيطان المراة اذا خرجت

18 - जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है.

1173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

1173 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, "औरत छिपाने की चीज़ है पस जब निकलती है तो शैतान उसे झांकता है।"

सहीह: इब्ने खुज़ैमा: 1685. इब्ने हिब्बान:5598.

तौज़ीह: عَوْرَةٌ : जिस्म का वह हिस्सा जिसे इंसान कराहत या शर्म की वजह से छिपाता है, क़ाबिले सतर आज़ाए जिस्म, इसकी जमा عورات आती है औरत को عَوْرَةٌ इसलिए कहा गया है कि यह छिपाने की चीज़ है। इसे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। लफ़्ज़ी मानी की वज़ाहत के लिए देखिये: (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1141 अल-मोजमुल वसीत: पृ. 757)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

19 - بَابٌ الوعيد للمرأة علي إيذاء المراة زوجها

19 - औरत के लिए अपने शौहर को तकलीफ़ देने पर वईद.

1174 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

1174 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ देती है मोटी आँखों वाली हूरों में से उस आदमी की बीवी कहती है: अल्लाह तुझे बर्बाद करे" उस (अपने शौहर) को तकलीफ़ न दे, यह तो तुम्हारे पास मेहमान है, करीब है कि यह तुम्हें छोड़ कर हमारे पास आ जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 2014. मुसनद अहमद: 5/242.

तौज़ीह: دَخِيل : ऐसा मुसाफिर जो किसी मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए ठहरे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। नीज इस्माईल बिन अयाश की शामियों से ली गई रिवायत दुरुस्त है जबकि यह अहले हिजाज और अहले इराक से मुन्कर रिवायात लेता है।

ख़ुलासा

- मां, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, खाला, फूफी जिस तरह नसब के यह रिश्ते हराम हैं, उसी तरह रज़ाअत की वजह से बनने वाले इन रिश्तों से भी निकाह करना हराम है।
- रज़ाअत में दूध पिलाने वाली एक औरत की गवाही काफी है।
- उसी रज़ाअत का एतबार होता है जो दो साल से पहले हो।
- बच्चे की निस्बत औरत के खाविंद की तरफ ही होगी।
- अगर बाहर कोई औरत किसी को अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि वह अपने घर आकर अपनी बीवी से सोहबत करे. ताकि उसकी ख़्वाहिश पूरी हो जाए।
- खाविंद और बीवी पर एक दुसरे के हुक़ूक़ शरीयत ने मुक़र्रर कर दिए हैं दोनों को उनकी पासदारी करना ज़रूरी है।
- बीवी के पिछले हिस्से में सोहबत करना हराम है।
- औरत बन संवर कर बाहर न निकले।
- औरत के तन्हा सफ़र करने पर पाबंदी है।
- अकेली औरत के पास किसी गैर महरम शख़्स को जाने की इजाज़त नहीं है।
- औरत का अपने शौहर को तकलीफ़ देना हूरों की नाराजी का बाइस है।

मज़मून नम्बर 11

أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी तलाक़ और लिआन के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

23 अबवाब के साथ 30 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि

- तलाक़ देने का सहीह तरीक़ा क्या है?
- मुतल्लक़ा की इद्दत और अहकाम व मसाइल।
- लिआन की तारीफ़ और तरीक़ा।
- ख़ुला और ज़िहार क्या है?
- ईला किसे कहते हैं?

1 - तलाक देने का सहीह तरीक़ा.

1175 - यूनुस बिन जुबैर (رحمه الله) कहते हैं: मैंने सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से ऐसे शख़्स के बारे में पूछा जो हालते हैज़ में अपनी बीवी को तलाक़ दे दे। तो उन्होंने फ़रमाया, "क्या तुम अब्दुल्लाह बिन उमर को जानते हो? कि उसने अपनी बीवी को हालते हैज़ में तलाक़ दे दी थी तो उमर (رضي الله عنه) ने नबी करीम(ﷺ) से पूछा तो आप(ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि उस से रुजू करे। (रावी कहते हैं:) मैंने कहा: तो क्या यह तलाक़ शुमार की जाएगी? उन्होंने फ़रमाया,

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

1175 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

ख़ामोश ऐसा सवाल न कर बतलाओ अगर वह आजिज़ या पागल हो जाए तब भी तो तलाक़ शुमार होगी।

4908. मुस्लिम: 1481. अबू दाऊद: 2179-2182. इब्ने माजा: 2019. निसाई: 3389-3392.

1176 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً.

1176 - सालिम (رحمه الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को दौराने हैज़ में तलाक़ दे दी तो उमर (رضي الله عنه) ने नबी करीम(ﷺ) से पूछा, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे हुक्म दो कि उस से रुजू करे फिर तोहर (पाकी) या हमल की हालत में तलाक़ दे।"

सहीह: इस से पहले देखिए.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यूनुस बिन जुबैर की इब्ने उमर (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस बवास्ता इब्ने उमर नबी अकरम(ﷺ) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा का इसी पर अमल है कि तलाक़े सुन्नत का तरीक़ा यह है कि अपनी बीवी को तोहर (पाकी) में बगैर सोहबत किए तलाक़ दे । बाज़ (कुछ) कहते हैं: अगर तोहर (पाकी) में तीन तलाक़ें दे दे तो वह भी तलाक़े सुन्नत ही होगी। यह कौल इमाम शाफ़ेई और अहमद बिन हंबल का है।

बाज़ (कुछ) कहते हैं: तीन तलाक़ सुन्नत नहीं होगी एक-एक करके तलाक़ दे। सुफ़ियान सौरी और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, वह कहते हैं कि हामिला को जब चाहे तलाक़ दे दे । यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

जबकि बाज़ (कुछ) कहते हैं कि हर महीने एक तलाक़ दे।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ

2 - जो शख़्स अपनी बीवी को तलाक़े बत्ता का लफ़्ज़ बोल कर तलाक़ दे दे.

1177 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ،

1177 - अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं

عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: وَاللَّهِ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: فَهُوَ مَا أَرَدْتَ.

कि मैंने नबी अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अलाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी को तलाक़े बत्ता दे दी है आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारा इरादा क्या था? मैंने कहा: एक तलाक़ का, आप (ﷺ-) ने फ़रमाया, "क्या अल्लाह की क़सम उठाते हो? मैंने कहा: अल्लाह की क़सम। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तलाक़ वही हुई है जिसका तुमने इरादा किया था। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2208. इब्ने माजा: 2051.

तौज़ीह: اَلْبَتَّة यह قطع के मानी में है। काटना है। यानी तलाक़ देने वाला कहे मैं तुझे तलाक़े बत्ता देता हूँ। यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रुजू नहीं और अपना ताल्लुक पूरी तरह काटता हूँ और उसकी मुराद तीन तलाक़ हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है और मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمہ اللہ) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इस में इज़्तिराब है और बवास्ता इकिरमा सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ) से मर्वी है कि रुकाना ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी थीं।

नबी करम(ﷺ) के सहाबा और दीगर अहले इल्म में तलाक़े बत्ता के बारे में इख़्तिलाफ़ है: सय्यदना उमर (رضی اللہ) से मर्वी है कि उन्होंने तलाक़े बत्ता को एक ही कहा था। अली (رضی اللہ) से मर्वी है कि वह तीन शुमार करते थे जब कि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: इस में आदमी की नीयत का एतबार होगा। अगर एक की नीयत की थी तो एक होगी, अगर तीन की नीयत की थी तो तीन और अगर दो की नीयत की थी तो भी एक ही होगी यह कौल सौरी और अहले कूफा का है।

इमाम मालिक बिन अनस (رحمہ اللہ) तलाक़े बत्ता के बारे में कहते हैं: अगर उस आदमी ने औरत से सोहबत की हुई हो तो यह तीन तलाक़ें होंगी।

इमाम शाफ़ेई (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: एक की नीयत की थी तो एक, दो की थी तो दो और अगर तीन तलाकों की नीयत की थी तो तीन होंगी।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

3 - बीवी को कह देना की तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ में है.

1178 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاَثٌ إِلاَّ الحَسَنَ؟، فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ الحَسَنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ.

1178 - हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं: मैंने अय्यूब से कहा: क्या आप हसन बसरी के अलावा किसी को जानते हैं जिसने "तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ में है।" कहने को तीन तलाक़ कहा हो? तो उन्होंने कहा: सिर्फ़ हसन ही हैं फिर कहा: ऐ अल्लाह! तेरी तरफ से बख्शिश माँगता हूँ (मैं नहीं रिवायत करता) मगर वही जो मुझे क़तादा ने कसीर से जो बनू समुरा के मौला हैं, उन्होंने अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (ﷺ) नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है कि यह तीन हैं।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2204. निसाई: 3410.

अय्यूब कहते हैं: मैंने बनू समुरा के मौला कसीर से मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने इस हदीस को न जाना, मैंने क़तादा के पास आकर उनको बताया तो उन्होंने कहा: वह भूल गए हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ़ सुलैमान बिन हर्ब से बवास्ता हम्माद बिन ज़ैद वाली सनद से ही जानते हैं। और मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हमें सुलैमान बिन हर्ब ने हम्माद बिन ज़ैद से इसी को बयान किया है और यह अबू हुरैरा (ﷺ) पर मौकूफ़ है। जबकि अबू हुरैरा की मर्फू हदीस साबित नहीं है। नीज अली बिन नस्र हाफ़िज़ और मुहद्दिस थे। उलमा ने यह कौल "तेरा मामला तेरे हाथ में है।" के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है: नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा ने : जिन में उमर बिन खत्ताब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) भी है, कहा है कि यह एक तलाक़ होगी, बहुत से ताबेईन और तबा ताबेईन का भी यही कौल है।

उस्मान बिन अफ्फान और ज़ैद बिन साबित (ﷺ) फ़रमाते हैं: फैसला वही होगा जो औरत कर देगी।

इब्ने उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं: जब शौहर इसका मामला उसके हाथ में दे दे और वह अपने आपको तीन तलाक़ें दे कर फिर शौहर इनकार करते हुए कहे कि मैंने सिर्फ़ एक तलाक़ का मामला उसके हाथ में दिया था तो खाविंद से क़सम ली जाएगी और क़सम के साथ उसका कौल ही मोतबर होगा।

सुफ़ियान और अहले कूफा का मज़हब उमर और अब्दुल्लाह (ﷺ) के कौल के मुताबिक़ है। लेकिन मालिक बिन अनस (ﷺ) कहते हैं: फैसला वही होगा जो औरत कर दे। इमाम अहमद भी इसी के कायल हैं जबकि इस्हाक़ का मज़हब इब्ने उमर (ﷺ) के कौल के मुताबिक़ है।

4 - इख़्तियार का बयान.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَارِ

1179 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इख़्तियार दिया तो हमने आप(ﷺ) की रिफाकात को पसंद किया था, क्या यह तलाक़ थी?

बुख़ारी: 5262. मुस्लिम: 1477. अबू दाऊद: 2203. इब्ने माजा:2052. निसाई: 3202.

1179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟

तौज़ीह: यह इस्तिफ्हामे इनकारी है। उनका मतलब यह था कि आप(ﷺ) का अपनी बीवियों को इख़्तियार देना तलाक़ नहीं था।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें बिन्दार ने, वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने उन्हें सुफ़ियान ने आमश से उन्हें अबू ज़ोहा ने बवास्ता मस्रूक़ सय्यदा आयशा (ﷺ) से इसी तरह की रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इख़्तियार के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

सय्यदना उमर और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मर्वी है वह कहते हैं कि अगर औरत अपने आप को इख़्तियार करे तो एक तलाक़ ही बाइना होगी और अगर अपने खाविंद को करती है तो भी तलाक़ एक होगी लेकिन इसमें रुजू का हक़ हासिल होगा।

ज़ैद बिन साबित (ﷺ) फ़रमाते हैं: अगर अपने खाविंद को इख़्तियार करे तो एक तलाक होगी और अगर अपने आप को इख़्तियार करे तो तीन तलाक होगी।

नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से जुम्हूर उलमा और फ़ुक़हा इस मस्अला में उमर और अब्दुल्लाह (رضی اللہ) के फतवा के कायल हैं। सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ सय्यदना अली (رضی اللہ) के कौल के मुताबिक़ है।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

5 - जिस औरत को तीसरी तलाक़ दे दी जाए उसके लिए रिहाइश और ख़र्च नहीं होगा.

1180 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ.قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ .وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

1180 - सय्यदा फातिमा बिन्ते कैस (رضی اللہ) फ़रमाती हैं; नबी करीम(ﷺ) के दौर में मुझे मेरे खाविंद ने तीन तलाकें दे दीं तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारी रिहाइश और ख़र्च (तलाक़ देने वाले के जिम्मे) नहीं है।" मुग़ीरह कहते हैं: मैंने यह बात इब्राहीम से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा उमर (رضی اللہ) ने फ़रमाया था: हम एक औरत की बात सुनकर अल्लाह की किताब और अपने नबी अकरम(ﷺ) की सुन्नत नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जानते कि उसे बात याद भी रही या भूल गई और उमर (رضی اللہ) उसे रिहाइश और ख़र्च दिलवाते थे।

मुस्लिम: 1480. अबू दाऊद: 2284. इब्ने माजा: 2035. निसाई: 3244.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीर ने बवास्ता हुशैम, हुसैन, इस्माइल और मुजालिद से हदीस बयान की है।

हुशैम कहते हैं: दाऊद ने हमें इसी तरह बयान किया है कि शाफ़ेई कहते हैं: मैं फ़ातिमा बिन्ते कैस (رضی اللہ) के पास गया और उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके मामले में फ़ैसला किया था? वह फ़रमाने लगीं: मेरे खाविंद ने मुझे तलाक़े बत्ता दे दी तो मैं ने उस से रिहाइश और ख़र्च का झगड़ा किया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरे लिए रिहाइश और ख़र्च मुक़र्रर न किया।

जबकि दाऊद की हदीस में है: वह फ़रमाती हैं कि आप (ﷺ) ने मुझे उम्मे मक़्तूम (رضی اللہ) के घर में इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। बाज़ (कुछ) उलमा का; जिन में हसन बसरी, अता बिन अबी रबाह और शाबी (رحمه الله) भी शामिल हैं, इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी इसी के कायल हैं। यह सब कहते हैं कि मुतल्लक़ा (बाइना) के लिए रिहाइश और ख़र्च (तलाक़ देने वाले के ज़िम्मा) नहीं है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: इस के लिए रिहाइश इसलिए मुक़र्रर की है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है। "तुम उन औरतों को उनके घरों से मत निकालो और ना ही यह ख़ुद निकलें, हाँ अगर वाज़ेह बेहयाई का इर्तिक़ाब करें (तो और बात है)" (अत्तलाक़ :1) फ़रमाते हैं: (बेहयाई से मुराद) ना जेबा गुफ्तगू है कि अगर वह घर वालों से ना ज़ेबा गुफ़तगू (गाली गलूज वगैरह) करे और उन्होंने फातिमा बिन्ते कैस (رضي الله عنها) के लिए नबी अकरम(ﷺ) की रिहाइश को मुक़र्रर न करने की वजह भी यही बयान की है कि वह घर वालों को बुरा भला कहती थी।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: फातिमा बिन्ते कैस (رضي الله عنها) के वाकिया के बारे में हदीसे रसूल(ﷺ) की वजह से उस के लिए ख़र्च नहीं है।

6 - निकाह से पहले तलाक़ नहीं है.

6 بَابُ مَا جَاءَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.

1181 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "इब्ने आदम की नज़र (उस चीज़ में मोतबर) नहीं है जिसका वह मालिक ही नहीं, न ही आजादी का एतबार है जिसका वह मालिक नहीं और न ही तलाक़ है जिसका वह मालिक नहीं है।"

हसन सहीह: अबू दाऊद: 2190. इब्ने माजा:2047.

वज़ाहत: इस मस्अला में अली, मुआज़ बिन जबल, जाबिर, इब्ने अब्बास और आयशा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह और इस मसले में बयान की गई सब से बेहतरीन रिवायत है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा इसी के कायल हैं।

और यह बात अली बिन अबी तालिब, इब्ने अब्बास जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) सईद बिन मुसय्यब, हसन, सईद बिन जुबैर, अली बिन हुसैन, शुरैह, जाबिर बिन ज़ैद (ﷺ) और बहुत से फ़ुक़हा ताबेईन से भी मर्वी है। इमाम शाफ़ेई भी इसी के कायल हैं।

इब्ने मसऊद (ﷺ) कहते हैं कि अगर किसी मुअय्यना औरत के बारे में कहे तो तलाक़ हो जाएगी।

नीज इब्राहीम नखई, शाबी और दीगर उलमा कहते हैं: जब तलाक़ का वक़्त मुक़र्रर कर दे तो वाक़ेअ हो जाएगी, सुफ़ियान सौरी और मालिक बिन अनस भी यही कहते हैं कि जब किसी औरत का नाम लेकर या वक़्त मुक़र्रर करके तलाक़ दे दे या यह कहे कि अगर मैं फलां मोहल्ले या कबीले की औरत से शादी करूं तो उसे तलाक़ है, तो अगर वहाँ शादी कर लेता है तो उस औरत को तलाक़ हो जाएगी। लेकिन इब्ने मुबारक इस मसले में सख़्ती करते हैं, वह कहते हैं: अगर वह इस तरह करता है तो मैं नहीं कहता कि वह उस पर हराम हो जाएगी।

इमाम अहमद (ﷺ) फ़रमाते हैं: अगर वह शादी कर लेता है तो मैं उसे अपनी बीवी को अलग करने का हुक्म नहीं दूंगा।

इस्हाक़ (ﷺ) कहते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की हदीस की वजह से मैं मुतय्यन्ना औरत की तलाक़ के जायज़ होने का क़ायल हूँ और अगर वह उस से शादी कर लेता है तो मैं नहीं कहता कि उसकी बीवी उस पर हराम हो गई और इस्हाक़ (ﷺ) ने गैर मुअय्यना औरत के बारे में वुस्अत से काम लिया है। बयान किया जाता है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो क़सम उठा लेता है कि अगर शादी करेगा तो उसकी बीवी को तलाक है फिर वह शादी कर लेता है, क्या उसे रूख़्सत देने वाले फ़ुक़हा के कौल को लेने की इजाज़त है? तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फ़रमाया, "अगर वह इस मामला से दो चार होने से पहले इस कौल को हक़ समझता था तो उनका कौल ले सकता है, लेकिन अगर उनके कौल को दुरुस्त नहीं समझता और फिर जब ख़ुद उस से दो चार हो तो उनका कौल क़ुबूल करने को मैं दुरुस्त नहीं समझता।

7- लौंडी की तलाकों की तादाद दो है

7 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

1182 - सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "लौंडी की तलाक़ दो तलाक़ें हैं और उसकी इद्दत दो हैज़ है।

1182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ،

قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2189. इब्ने माजा:2080. दारमी:2299.

वज़ाहत: मोहम्मद बिन यह्या कहते हैं: हमें अबू आसिम ने और उन्हें मुज़ाहिर ने भी यही बयान किया है। इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: आयशा (رضی اللہ) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ मुज़ाहिर बिन असलम की सनद से ही मर्फ़ू जानते हैं और हमारे इल्म में मुज़ाहिर की सिर्फ़ यही हदीस है।

नीज नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी इसी के कायल हैं।

8 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

8 - जिस शख़्स के दिल में बीवी को तलाक़ देने का ख़याल आए.

1183 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجَاوَزَ اللَّهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ.

1183 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में आने वाले खयालात से दरगुज़र किया है जब तक बात न कर लें या उस पर अमल न कर लें।"

बुख़ारी: 2528. मुस्लिम: 127. अबू दाऊद: 2209. इब्ने माजा:2040. निसाई: 3433-3435.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी बात पर अमल है कि आदमी जब अपने दिल में तलाक़ का ख़याल करता है तो जब तक बात न करे यह कोई चीज़ नहीं है।

9 - तलाक़ में संजीदगी और मज़ाक़ दोनों क़ाबिले एतबार हैं.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجِدِّ وَالهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

1184 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

1184 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी हक़ीक़त[1] भी हक़ीक़त है और मज़ाक़ भी हक़ीक़त निकाह , तलाक़ और रुजू। "

सहीह: अबू दाऊद: 2194. इब्ने माजा:2039. हाकिम: 2/ 198.

तौज़ीह: الجِدّ : कोई भी लफ़्ज़ हक़ीक़ी मानी मुराद लेते ही बोल देना الجِدّ कहलाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: अब्दुर्रहमान, हबीब बिन अदरक अलमदीनी के बेटे हैं और इब्ने माहक मेरे नज़दीक यूसुफ़ बिन माहक हैं.

10 - खुला का बयान.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْعِ

1185 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

1185 - सय्यदा रूबय बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफरा (رضی الله عنها) ने नबी करीम(ﷺ) के दौर में खुला लिया तो नबी अकरम(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया था कि एक हैज़ इद्दत गुज़ारें है। "

सहीह: इब्ने माजा: 2085. निसाई: 3498.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: रूबय (رضی اللہ) की हदीस सहीह है कि उनको एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था।

1185م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

1185(म)- सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि साबित बिन कैस (رضی اللہ) की बीवी ने अपने शौहर से नबी करीम(ﷺ) के दौर में खुला लिया तो नबी अकरम(ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि एक हैज़ इद्दत गुज़ारे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अहले इल्म का खुला लेने वाली औरत की इद्दत के बारे में इख़्तिलाफ़ है:

नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा कहते हैं कि खुला लेने वाली की इद्दत मुतल्लक़ा औरत वाली तीन हैज़ ही है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है नीज अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं।

जबकि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ) वग़ैरहुम में से कुछ उलमा का कहना है कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत एक हैज़ है। इस्हाक़ कहते हैं : अगर कोई शख़्स यह मज़हब रखता है तो उसका मज़हब क़वी है।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

11 - खुला लेने वाली औरतें.

1186 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْنِ عُلْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

1186 - सय्यदना सौबान (رضی اللہ) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "बिला वजह'' खुला लेने वाली औरतें ही मुनाफ़िक़ औरतें हैं। "

सहीह: अबू दाऊद: 2229. दारे कुतनी: 3/255. हाकिम: 3/206.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद क़वी नहीं है।

नीज नबी करीम(ﷺ) से मर्वी है कि आप ने फ़रमाया, "जो औरत बिला वजह अपने खाविंद से खुला लेती है वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी।"

1187 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ.

1187 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो औरत बग़ैर उज्र के अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है।"

सहीह: अबू दाऊद: 2226. इब्ने माजा: 2055. मुसनद अहमद: 5/277.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस अय्यूब से बवास्ता किलाबा, अस्मा के जरिये भी सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) से मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने उसे इसी सनद के साथ सौबान (رضي الله عنه) से रिवायत किया है लेकिन मर्फू ज़िक्र नहीं किया।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

12 - औरतों की खातिर मुदारात करने का बयान.

1188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ.

1188 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक औरत पसली की तरह होती है अगर तु उसे सीधा करने लगे तो तोड़ देगा और अगर उसे छोड़ दे तो टेढ़ेपण के साथ उस से फ़ायदा उठा सकता है।"

बुख़ारी: 3331. मुस्लिम: 1468.

वज़ाहत: इस मसले में अबू ज़र, समुरा और आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है और इसकी सनद बहुत उम्दा है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

13 - अगर किसी आदमी से उसका बाप अपनी बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे.

1189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ.

1189 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं मेरी एक बीवी थी जिस से मैं मोहब्बत करता था और मेरे वालिद उस से नापसंद करते थे तो मेरे अब्बा जान ने मुझे उस औरत को तलाक़ देने का हुक्म दिया, मैंने इनकार कर दिया, फिर मैंने नबी करीम(ﷺ) से इस बात का तजकिरा किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी बीवी को तलाक़ दे दो।"

हसन अबू दाऊद: 5138. इब्ने माजा: 2088

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी ज़िब की सनद से जानते हैं।

14 بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

14 - औरत अपनी बहन (सौतन) की तलाक़ का मुतालबा न करे.

1190 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.

1190 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "औरत अपनी बहन (सौतन) की तलाक़ का मुतालबा न करे ताकि जो उसके बर्तन में है वह भी अपनी तरफ उंडेल ले।"

बुख़ारी: 2140. मुस्लिम: 1413. अबू दाऊद: 2176. निसाई: 3239.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

15 - पागल शख़्स की तलाक़.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ

1191 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर तलाक़ जायज़ है सिवाये पागल की तलाक़ के जिसकी अक़्ल ख़त्म हो गई हो।"

ज़ईफ़ जिद्दा.

1191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ अता बिन अजलान की सनद से ही मर्फ़ू है और अता बिन अजलान ज़ईफ़ और हदीस भूलने वाला रावी है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि पागल शख़्स की जिसकी अक़्ल ख़त्म हो चुकी हो, तलाक़ जायज़ नहीं है। मगर ऐसा पागल जो कभी-कभी ठीक भी हो जाता हो वह अपने इफाका के वक़्त तलाक़ दे तो वाक़ेअ हो जायेगा।

16 - अत्तलाक मर्रतानि का शाने नुजूल

16 بَابٌ نزول قوله : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

1192 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि लोगों की हालत यह थी कि आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहता तलाक़ें दे देता और जब वह इद्दत में होती उस से रुजू कर लेता, वह औरत उसकी बीवी ही रहती अगरचे वह सौ मर्तबा से भी ज़्यादा तलाक़ दे देता। यहाँ तक कि एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा न मैं तुम्हें तलाक़ दूंगा कि तुम मुझसे जुदा हो जाओ

1192 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ

لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي، وَلاَ آوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً مَنْ كَانَ طَلَّقَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.

और न ही मैं तुम्हें (अपने बिस्तर पर) जगह दूंगा। वह कहने लगी कैसे? उसने कहा मैं तुम्हें तलाक़ दूंगा फिर जब तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो मैं रुजू कर लूंगा। वह औरत सय्यदा आयशा (رضی اللہ) के पास गई और उन्हें यह बात बताई, सय्यदा आयशा (رضی اللہ) ख़ामोश रहीं यहाँ तक कि नबी करीम(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो उनको बताया, नबी करीम(ﷺ) भी ख़ामोश रहे यहाँ तक कि कुरआन नाजिल हुआ : "तलाक़ दो मर्तबा है फिर अच्छे तरीके के साथ बीवी को रखना है या एहसान के साथ छोड़ देना है।" (अल- बकरा :229) आयशा (رضی اللہ) फ़रमाती है: फिर लोगों ने आइन्दा के लिए नए सिरे से तलाक़ का हिसाब रखा जिसने तलाक़ दी थी और जिसने नहीं भी दी थी।

ज़ईफ़: हाकिम: 2/ 279.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अबू कुरैब मोहम्मद बिन यअला ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने बवास्ता हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से इसी हदीस के मफ़हूम की हदीस बयान की है और इसमें आयशा (رضی اللہ) का ज़िक्र नहीं किया। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह याला बिन हबीब की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

17 - हामिला बेवा जब बच्चा जन्म दे.

1193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ

1193 - अबू सनाबिल बिन बाकक (رضی اللہ) बयान करते हैं कि सुबैया ने अपने खाविंद की वफ़ात के तेईस या पच्चीस दिन बाद बच्चे को जन्म दिया, जब निफास से पाक हो गयीं तो निकाह के लिए ज़ीनत इख़्तियार की, उन पर

وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا.

इस काम का एतराज़ किया गया और नबी करीम(ﷺ) से ज़िक्र किया गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह यह काम कर ले तो जायज़ है क्योंकि उसकी इद्दत गुज़र चुकी है।

बुख़ारी: 2027. निसाई: 3508.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं: हमें हसन बिन मूसा ने शैबान बिन मूसा से इसी तरह की हदीस रिवायत की है और इस मसले में उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सनाबिल की हदीस इस सनद के साथ मशहूर ग़रीब है और हमारे इल्म के मुताबिक़ अस्वद की अबू सनाबिल से मुलाक़ात नहीं हुई और मैंने मोहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी رحمہ اللہ) को फ़रमाते हुए सुना मैं नहीं जानता कि अबू सनाबिल (رضی اللہ عنہ) नबी करीम(ﷺ) के बाद ज़िंदा रहे हैं।

नीज नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि बेवा हामिला औरत जब बच्चे को जन्म दे देगी तो उसके लिए शादी करना हलाल होगा अगरचे उसकी इद्दत पूरी न भी हुई हो। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

जबकि नबी करीम(ﷺ) के बाज़ (कुछ) अस्हाब और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म कहते हैं कि वह आख़िरी मुद्दत को इद्दत बना कर गुज़ारेगी। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

1194 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ

1194 - सुलैमान बिन यसार (رحمہ اللہ) से रिवायत है कि अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान (رضی اللہ عنہ) ने आपस में उस औरत का ज़िक्र किया जो हामिला हो, उसका ख़ाविन्द फौत हो जाए और वह अपने शौहर की वफ़ात के बाद बच्चे को जन्म दे, इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया, वह आख़िरी इद्दत गुज़ारेगी, अबू सलमा (رضی اللہ عنہ) ने कहा : वह बच्चे को जन्म देकर इद्दत से निकल जाएगी और अबू हुरैरा ने कहा : मैं अपने भतीजे अबू सलमा के साथ हूँ, फिर उन्होंने नबी

سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

करीम(ﷺ) की जौजा मुतह्हरा सय्यदा उम्मे सलमा की तरफ पैगाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया, सुबैआ अस्लमिया ने अपने शौहर की वफात के चन्द दिन बाद बच्चे को जन्म दिया था, फिर उस ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मस्अला दर्याफ़्त किया तो आप ने उसे शादी करने का हुक्म दिया था।

बुख़ारी: 4909. मुस्लिम: 1485. निसाई: 3509, 3516

वज़ाहत: 1) जिस औरत का शौहर फौत हो जाए उसकी इद्दत चार माह और दस दिन है और हामिला औरत की इद्दत वज़ए हमल है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का मौकिफ़ था कि जो इद्दत बाद में पूरी हो रही है वह इद्दत उस औरत को गुजारना पड़ेगी, यानी वफात के तीस दिन बाद बच्चे को जन्म दे देती है तो चार माह और दस दिन पूरे करेगी और अगर शौहर की वफात के वक़्त हमल एक, दो माह का है तो जब हमल वज़ा करेगी तब उसकी इद्दत ख़त्म होगी न कि चार माह और दस दिन गुजरने पर लेकिन सहीह बात यही है की हामिला की इद्दत वज़ए हमल (बच्चे को जन्म देना) ही है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

18 - बेवा की इद्दत का बयान.

حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ:

अबू ईसा फ़रमाते हैं : ''हमें मअन बिन ईसा ने वह कहते हैं, हमें मालिक बिन अनस ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र बिन मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म ने बयान किया कि हुमैद बिन नाफ़े कहते हैं: सय्यदा ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा (رضي الله عنها) ने उन्हें (दर्ज ज़ेल) यह तीन अहादीस बयान की है:

1195 - قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ،

1195 - ज़ैनब (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैं नबी करीम(ﷺ) की बीवी सय्यदा उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) के पास गई जब उनके वालिद अबू सुफ़ियान बिन हर्ब (رضي الله عنه) फौत हुए। उन्होंने

فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

खुशबू मंगवाई जिसमें ज़र्द रंग की मुरक्कब[1] खुशबू भी थी, उन्हें एक लकड़ी मिली फिर अपने रुखसारों पर लगाई, फिर फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम मुझे खुशबू की ज़रुरत नहीं है लेकिन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ)को फ़रमाते हुए सुना है:" जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उस के लिए किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग[1] करना जायज़ नहीं है सिवाए खाविंद के उस पर चार महीने और दस दिन है। "

बुख़ारी: 1280. मुस्लिम: 1486. अबू दाऊद: 2299. इब्ने माजा:2084. निसाई:3500.

तौज़ीह: صُفْرَةٌ خَلُوقٌ: एक मुरक्कब खुशबू थी जिस में ज़ाफ़रान की खासी मिक़्दार (मात्रा) की वजह से ज़र्दी ग़ालिब होती थी। تُحِدَّ: औरत का अपने खाविंद की मौत पर सोग करना। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 189) सोग का मतलब है : जीनत को छोड़ देना, रोना, पीटना या दीगर जहालत वाले काम करना।

1196 - قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

1196 - सय्यदा ज़ैनब (رضي الله عنها) फ़रमाती है: जब ज़ैनब बिन्ते जहश (رضي الله عنها) के भाई फौत हुए तो मैं भी उनके पास गई तो उन्होंने भी खुशबू मंगवा कर लगवाई, फिर फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! मुझे खुशबू लगाने की कोई ज़रुरत नहीं है लेकिन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सूना था: जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए किसी मय्यत पर तीन दिन और रातों से ज़्यादा सोग करना हलाल नहीं है सिवाए शौहर के वह चार माह और दस दिन हैं। "

बुख़ारी: 1282: मुस्लिम: 1487. अबू दाऊद: 2299. निसाई: 3533.

1197 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ.

1197 - सय्यदा ज़ैनब (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं और मैंने अपनी वालिदा सय्यदा उम्मे सलमा को फ़रमाते हुए सुना : एक औरत रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने लगी : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का खाविंद फौत हो गया है और उसकी आँखें खराब हो गई हैं क्या हम उसे सुर्मा लगा सकते हैं? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "नहीं" (दो या तीन मर्तबा उसने यही पूछा) आप(ﷺ) हर बार यही फ़रमाते: "नहीं" फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह तो सिर्फ़ चार माह और दस दिन हैं, जब कि जाहिलियत में औरत साल गुजरने पर ऊँट की मेंगनी फेंकती थी।"[1]

बुख़ारी: 3536. मुस्लिम: 1488. अबू दाऊद: 2299.
इब्ने माजा: 2084. निसाई: 3501.

तौज़ीह: (1) यह जाहिलियत में औरत के इद्दत की तरफ इशारा है। जाहिलियत में जब किसी औरत का खाविंद मर जाता तो वह एक तंग व तारीक मकान में दाखिल हो जाती और बोसीदा लिबास जेब तन करके वहाँ रहती, फिर जब एक साल उसी हालत में गुज़र जाता तो एक जानवर या परिंदा लाया जाता वह उस जानवर के मुंह को अपनी शर्मगाह के साथ रगड़ती फिर उसे ऊँट की एक मेंगनी दी जाती वह उसे फेंकती इस तरह उसकी इद्दत पूरी हो जाती थी।

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद अल-खुदरी (رضي الله عنه) की बहन फरीया बिन्ते मालिक सिनान और हफ्सा बिन्ते उमर (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़ैनब (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन का इसी पर अमल है कि बेवा औरत अपनी इद्दत में खुशबू और जीनत से परहेज़ करे। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही कौल है।

19 - ज़िहार करने वाला अगर कफ्फ़ारा अदा करने से पहले बीवी से सोहबत कर ले.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

1198 - सय्यदना सलमा बिन सखर बयाज़ी (ﷺ) नबी करीम(ﷺ) से उस ज़िहार[1] करने वाले के बारे में जो कफ्फ़ारा अदा करने से पहले अपनी बीवी से सोहबत कर ले बयान करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक ही कफ्फ़ारा है।"

सहीह: इब्ने माजा: 2064. मुसनद अहमद: 4/37. दारमी: 2278.

1198 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

तौज़ीह: (1) आदमी का अपनी बीवी को अपनी मां की तरह क़रार देने को ज़िहार कहा जाता है और ऐसा करने वाला मुज़ाहिर कहलाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है, सुफ़ियान सौरी, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

बाज़ (कुछ) कहते हैं: जब कफ्फ़ारा अदा करने से पहले हम बिस्तरी कर ले तो उस पर दो कफ्फ़ारे होंगे। यह कौल अब्दुर्रहमान बिन महदी (ﷺ) का है।

1199 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम(ﷺ) के पास आया, उसने अपनी बीवी से ज़िहार किया था (और कफ्फ़ारा दिए बग़ैर) अपनी बीवी से सोहबत कर ली थी, कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी से ज़िहार किया था और कफ्फ़ारा अदा करने से पहले उस से सोहबत कर ली है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "इस काम पर तुम्हें किस चीज़ ने

1199 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي،

فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟، قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، قَالَ: فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ.

उभारा था? अल्लाह तुझ पर रहम करे" उस ने कहा: मैंने चाँद की रोशनी में उसकी पाजेब देख ली थी, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तक तुम वह काम न कर लो जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है उसके करीब न जाना।"

अबू दाऊद: 2223. इब्ने माजा: 2065.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

20 - ज़िहार का कफ़्फ़ारा.

1200 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الأَنْصَارِيَّ، أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لاَ أَجِدُهَا، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو:

1200 - अबू सलमा और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन सौबान (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि सलमान बिन सखर जो बनू बयाज़ा के आदमी थे, उन्होंने अपनी बीवी को अपने ऊपर अपनी माँ की पीठ की तरह क़रार दिया यहाँ तक कि रमज़ान गुज़र जाए, जब रमज़ान आधा गुज़रा तो उन्होंने एक रात अपनी बीवी से सोहबत कर ली, फिर अल्लाह के रसूल(ﷺ) के पास आकर आप से ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया,"एक गुलाम आज़ाद करो" उस ने कहा: उसकी ताक़त नहीं है। आप ने फ़रमाया, "दो महीने के मुसलसल रोज़े रखो" उस ने कहा: मैं उसकी ताक़त भी नहीं रखता। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रवा बिन अम्र से फ़रमाया, "उसे यह अर्क दे दो। अर्क एक टोकरा है जिस में 15 या 16 साअ गल्ला आ जाता है। जो साठ मिस्कीनों का खाना है।

सहीह: अबू दाऊद: 2213. इब्ने माजा:2062.

أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। उन्हें सलमान बिन सखर और सलमा बिन सखर बयाजी भी कहा जाता है। और अहले इल्म का अमल कफ्फ़ार-ए-ज़िहार में इसी हदीस पर है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلَاءِ

21 - ईला का बयान.

1201 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً.

1201 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बीवियों से ईला[1] किया और (उन से मुबाशिरत वगैरह को अपने ऊपर) हराम कर लिया। (फिर) जिस चीज़ को हराम किया था उसे हलाल कर लिया और अपनी क़सम का कफ्फ़ारा दे दिया।

ज़ईफ़ इब्ने माजा: 2072. इब्ने हिब्बान: 4278. बैहक़ी: 7/352

(1)शौहर का अपनी बीवियों के पास न जाने की क़सम उठा लेने को ईला कहा जाता है। यह चार माह तक हो सकता है उस के बाद खाविंद को कहा जाएगा कि वह ईला को ख़त्म करे या तलाक़ दे दे।

वज़ाहत: इस मसले में अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मस्लमा बिन अल्क़मा की दाऊद से बयान की गई हदीस; जिसे अली बिन मुस्हिर वगैरह ने बवास्ता दाऊद शाबी से हदीसे नबवी को मुर्सल रिवायत किया है, इस में मस्रूक़ और आयशा का वास्ता नहीं है। यह मस्लमा बिन अल्क़मा की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

और ईला यह है कि आदमी चार माह या उस से ज़्यादा अर्सा के लिए अपनी बीवी के पास ना जाने की क़सम उठा ले। और चार महीने गुज़र जाने पर अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है।

नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं जब चार महीने गुज़र जायेंगे तो उसे (क़ाज़ी के सामने) पेश किया जाएगा कि या तो ईला को ख़त्म करे या फिर तलाक़ दे। यही कौल मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

जबकि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि जब चार माह गुज़र जाएँ तो यह एक तलाक़े बाइना होगी। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

22 - लिआन का बयान.

- 1202 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلاَمِي، فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلاَّ حَاجَةٌ؟ قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ،

1202 - सईद बिन जुबैर (رحمه الله) कहते हैं: मुसअब बिन जुबैर की इमारत के दौर में मुझ से लिआन[1] करने वाले मियाँ बीवी के बारे में पूछा गया कि क्या उनके दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) कर दी जाए? मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूं, तो मैं उसी वक़्त सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) के घर की तरफ गया और उनके पास जाने की इजाज़त मांगी तो कहा गया वह कैलूला कर रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, फ़रमाने लगे: इब्ने जुबैर हो आ जाओ। तुम किसी ज़रूरत के तहत ही आए होंगे। कहते हैं: मैं दाख़िल हुआ तो (देखा) वह ऊँट के कजावे के नीचे रखी जाने वाली चादर पर लेटे हुए थे। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या लिआन करने वाले मियाँ बीवी के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) कर दी जाएगी? उन्होंने कहा, सुब्हान अल्लाह! हाँ इस बारे में सबसे पहले फुलां बिन फुलां ने पूछा था, वह नबी करीम(ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर हम में से कोई शख़्स अपनी बीवी को बुराई के काम पर (यानी ज़िना करते हुए) देखे तो क्या करे? अगर बोलता तो बहुत बड़ी बात है और अगर ख़ामोश रहता है तो भी बहुत बड़ी बात पर ख़ामोश रहता है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ)

سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ .قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ{ حَتَّى خَتَمَ الآيَاتِفَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلاَ الآيَاتِ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا .ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا صَدَقَ .قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ .ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ

ख़ामोश हो गए कोई जवाब न दिया। जब अगला दिन हुआ तो नबी करीम(ﷺ) के पास आकर कहने लगा: जिस चीज़ के बारे में मैंने आप से पूछा था इस से मैं ख़ुद ही दो चार हो गया हूँ तो अल्लाह तआला ने सूरह नूर की ये आयात नाजिल फर्मायीं: "और वह लोग जो अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाते हैं और ख़ुद ही गवाह होते हैं। " (अन्नूर: 10) आप(ﷺ) ने उस आदमी को बुलाया और उस से यह आयात पढ़ कर सुनायीं और उसे वाज़ो नसीहत करते हुए बताया कि दुनिया का अजाब आख़िरत के अज़ाब से आसान है। उस आदमी ने कहा : "नहीं" उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ मबऊस किया है मैंने उस पर झूठ नहीं बोला। फिर आप(ﷺ) ने औरत को यह बात दोहराई और उसे वाज़ो नसीहत करते हुए बताया कि दुनिया का अज़ाब आख़िरत के अज़ाब से आसान है। उस ने कहा नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसने आप को हक़ के साथ मबऊस किया है उस ने सच नहीं कहा। (इब्ने उमर رضي الله عنه) फ़रमाते हैं फिर मर्द से (कसमों की इब्तिदा की), उस ने अल्लाह के नाम की चार गवाहियां दी कि वह सच्चा है और पांचवीं दफा कहा अगर वह झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो, फिर औरत से यह काम शुरू करवाया, उस ने अल्लाह के नाम की चार गवाहियां दी कि उसका शौहर झूठा है और पांचवीं मर्तबा कहा: अगर वह सच्चा हो तो मुझपर अल्लाह का गज़ब हो। फिर आप(ﷺ)

عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

ने उन दोनों के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) कर दी।

बुख़ारी: 4748. मुस्लिम: 1493. अबू दाऊद: 2258. निसाई: 3457. 3473.

तौज़ीह: (1) अगर खाविंद अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए और बीवी उसका इनकार करे तो फिर शरीअत ने उनके दर्मियान जुदाई और सज़ा दूर करने का एक तरीक़ा मुक़र्रर किया है जिसे लिआन कहा जाता है। तफसील इस हदीस में मौजूद है।

वज़ाहत: इस मसले में सहल बिन साद, इब्ने अब्बास, हुजैफा और इब्ने मसऊद (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

1203 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ.

1203 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी से लिआन किया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके दर्मियान अलाहिदगी कर दी और बच्चे को मां के साथ मिला दिया।[1]

बुख़ारी: 4748. मुस्लिम: 1498. अबू दाऊद: 2259. इब्ने माजा: 2069. निसाई: 3477.

तौज़ीह: यानी बच्चे की निस्बत उस आदमी की तरफ़ नहीं की जाएगी क्योंकि मर्द ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह बच्चा ज़िना का है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

23 بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

23 - जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए, वह इद्दत कहाँ गुजारे?

1204 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

1204 - सय्यदना अबू सईद अल-ख़ुदरी (ﷺ) की बहन सय्यदा फरीया बिन्ते मालिक बिन सिनान (ﷺ) बयान करती है कि उन्होंने

إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةً، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ .قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ .قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जाकर पूछा कि वह वापस अपने कबीले बनू ख़ुदरह में अपने घर चली जायें? (इस लिए कि) उनके शौहर अपने भगौड़े गुलामों की तलाश में निकले थे यहाँ तक कि जब वह क़दूम के किनारे पर पहुंचे तो उनसे जा मिले और उन गुलामों ने उसे क़त्ल कर दिया, कहती हैं: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अपने अहल के पास जाने का पूछा क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे लिए कोई रिहाइश नहीं छोड़ी जिसका वह मालिक हो और न ही ख़र्च छोड़ा था तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ। (जा सकती हो)" कहती हैं मैं वापस मुड़ी यहाँ तक कि जब मैं मस्जिद या हुजरा में थी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे ख़ुद आवाज़ दी या आपने हुक्म दिया और मुझे बुलाया गया, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमने क्या कहा था?" मैंने अपने शौहर का सारा किस्सा दोबारा सुनाया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "इद्दत पूरी होने तक अपने घर में रहो।" कहती हैं: मैंने उस घर में चार माह दस दिन इद्दत गुज़ारी। फ़रमाती हैं: जब उस्मान (رضي الله عنه) खलीफ़ा हुए तो उन्होंने मेरी तरफ़ पैगाम भेज कर मुझ से इस बारे में पूछा, मैंने बताया तो उन्होंने उसकी पैरवी करते हुए फ़ैसला किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 2300. इब्ने माजा:2031. निसाई: 3532, 3528.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते है:) हमें यह्या बिन सईद ने

(वह कहते हैं:) हमें साद बिन इस्हाक़ बिन काब बिन उम्रा ने इसी तरह की हदीस बयान की है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए बेवा औरत के लिए इद्दत पूरी होने तक अपने शौहर के घर से किसी और जगह मुन्तकिल होना दुरुस्त नहीं समझते। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) इसी के क़ायल हैं।

जब कि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं: औरत को रूख़्सत है। जहां चाहे इद्दत गुज़ारे अगरचे अपने खाविंद के घर में न भी इद्दत गुज़ारे। तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

ख़ुलासा.

- तलाक़ उस तोहर (पाकी) में दी जाए जिसमें सोहबत न की हो।
- बीवी को इख़्तियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती।
- तलाक़े बाइना वाली औरत की रहाइश और ख़र्च आदमी के ज़िम्मा नहीं है।
- तलाक़ का ख़याल आने से तलाक़ वाक़े नहीं होती।
- खुला लेना मशरूह(दुरुस्त) है लेकिन बिला वजह खुला लेने वालियों को मुनाफ़िक़ात कहा गया है।
- कोई औरत अपनी सौतन के तलाक़ की मुतालबा नहीं कर सकती।
- हामिला औरत की इद्दत वज़ए हमल (बच्चा जनना) है.
- बेवा की इद्दत चार माह दस दिन है सिवाए हामिला के, उसकी इद्दत वज़ए हमल ही है।
- ज़िहार का कफ्फ़ारा तर्तीब के साथ: एक गुलाम आज़ाद करना, साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना या दो महीने के मुसलसल रोज़े रखना है।
- ईला ज़्यादा से ज़्यादा चार माह तक हो सकता है।
- अगर लिआन की नौबत आ जाए तो औरत मर्द के साथ नहीं रह सकती और बच्चे की निस्बत मां की तरफ़ होगी।
- बेवा औरत खाविंद के घर में इद्दत गुज़ारे।

मज़मून नम्बर 12

أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी तिजारत के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

117 अहादीस के साथ 77 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मजामीन पर मुहीत है:

- तिजारत कैसे की जाए?
- तिजारत की कौन- कौन सी क़िस्में हलाल और कौन- कौन सी हराम हैं.
- कौन से पेशे इख़्तियार करना हराम हैं.
- शराब का हुक्म?
- लेन- देन की क्या शर्तें हैं?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

1205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا

1 - शुब्हा वाली चीजों को छोड़ देने का बयान.

1205 - सय्यदना नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सूना कि हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है और उनके दर्मियान कुछ शुब्हा वाली चीजें हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि यह हलाल हैं या हराम, सो जो शख़्स उनको भी छोड़ दे ताकि उसका दीन और इज्ज़त बच जाए

يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الحَلاَلِ هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

तो यक़ीनन वह सलामत रहा और जो शख़्स उन शुब्हात में से किसी चीज़ में चला गया हो सकता है वह हराम काम में चला जाए, जिस तरह वह शख़्स जो सरकारी चरागाह के इर्द गिर्द (जानवरों को) चराता है हो सकता है वह इसमें चला जाए। ख़बरदार! हर बादशाह की एक चरागाह होती है, ख़बरदार! अल्लाह की चरगाह उसके हराम कर्दा काम हैं। "

बुख़ारी: 52. मुस्लिम: 1599. अबू दाऊद: 3399.इब्ने माजा: 3984. निसाई: 4453.

तौज़ीह: (1) जिनके बारे में क़ुरआन व हदीस में कोई वाज़ेह नस (दलील नहीं है कि हराम है या हलाल, फिर इज्तिहाद के मामले में कोई उसे जायज़ कहता है तो कोई नाजायज़; जैसा कि क़िस्तों पर अश्या (चज़ों) को लेने देने का कारोबार है, कुछ इसे हलाल और कुछ हराम कहते हैं और उसका ताल्लुक़ भी मुश्तबा चीजों से है, इसी लिए उसे छोड़ना ही बेहतर है। ताकि हराम से महफ़ूज़ हो जाए। (अल्लाह तआला बेहतर जानता है।)

حمًى : महफ़ूज़ जगह, चरागाह जिसमें आम लोगों को जानवर चराने की इजाज़त न हो। (मोजमुल वसीत: प 237)

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने ज़करिया बिन अबी ज़ायदा से उन्होंने शाबी से बवास्ता नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से ऐसे ही मआनी व मफ़हूम की हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज इसे कई रावियों ने बवास्ता शाबी, नौमान बिन बशीर से रिवायत किया है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

2 - सूद खाना.

1206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

1206 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसकी गवाही देने वाले

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

और उसकी तहरीर करने वाले पर लानत की है।

मुस्लिम: 1597. अबू दाऊद: 3333. इब्ने माजा: 2270. निसाई: 3416.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, जाबिर और अबू जुहैफा (رضی اللہ) से भी अहादीस मर्वी है। नीज अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ) की हदीस हसन सहीह है।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الكَذِبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

3 - झूठ बोलने और झूठी गवाही देने पर वईद.

1207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَبَائِرِ، قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ.

1207 - सय्यदना अनस (رضی اللہ) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने कबीरा गुनाहों (की वज़ाहत) में फ़रमाया, "अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफ़रमानी, किसी को क़त्ल करना और झूठी बात (सब कबीरा गुनाह हैं)"

बुख़ारी: 2653. मुस्लिम: 88. निसाई: 4010.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बक्र, ऐमन बिन खुरैम और इब्ने उमर (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अनस (رضی اللہ) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ

4 - ताजिरों का तज़किरा, नीज उनका यह नाम नबी(ﷺ) ने रखा है.

1208 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى

1208 - कैस बिन अबी गरज़ह (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास आए और हम (ताजिरों) को समासिरा[1] कहा जाता था तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ ताजिरों की जमात! बेशक शैतान और गुनाह खरीदो-

السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ، وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

फरोख्त के वक़्त हाज़िर होते हैं (इसलिए) अपनी तिजारत के साथ सदका को मिला लिया करो।"

सहीह: अबू दाऊद: 3326. इब्ने माजा:2145. निसाई: 3797.

तौज़ीह: السَّمَاسِرَةَ : سمسار की जमा है और سمسار उस शख़्स को कहते हैं जो ख़रीदने और बेचने वाले के दर्मियान सहूलत पैदा करने के लिए कमीशन पर सालिसी करता है। जैसे आज कल डीलर हज़रात हैं। तफ़सील के लिए देखिये: (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 530)

वज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आजिब और रिफ़ाआ (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: कैस बिन अबी गरजह (رضی اللہ) की हदीस हसन सहीह है. इसे मंसूर, आमश, हबीब बिन अबी साबित और दीगर रावियों ने भी बवास्ता अबू वाइल कैस बिन अबी गरजह से रिवायत किया है और हम कैस (رضی اللہ) की नबी करीम(ﷺ) से सिर्फ़ यही हदीस जानते हैं।

अबू ईसा फ़रमाते हैं:) हमें हन्नाद ने वह कहते हैं: हमें अबू मुआविया ने आमश से बवास्ता शकीक बिन सलमा (और शकीक ही अबू वाइल हैं) कैस बिन अबू गरजह से नबी करीम(ﷺ) की ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1209 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ.

1209 - सय्यदना अबू सईद (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सच्चा और अमानत दार ताजिर अंबिया, सिद्दीक़ीन और शोहदा के साथ होगा।"

ज़ईफ़: दारमी: 2542. दारे कुतनी: 3/7.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसको सिर्फ़ सौरी की सनद से बवास्ता अबू हम्ज़ा ही जानते हैं और अबू हम्ज़ा का नाम अब्दुल्लाह बिन जाबिर है। यह बसरह के रहने वाले बुज़ुर्ग थे।

नीज हमें सुवैद बिन नस्र वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बवास्ता सुफ़ियान, अबू हम्ज़ा से इस सनद के साथ इसी तरह रिवायत की है।

1210 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ.

1210 - इस्माईल बिन उबैद बिन रिफ़ाआ (رحمه الله) अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा (रिफ़ाआ رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि वह नबी करीम(ﷺ) के साथ ईदगाह की तरफ़ निकले तो आप(ﷺ) ने लोगों को ख़रीदो-फ़रोख़्त करते हुए देखा, आप ने फ़रमाया, "ऐ ताजिरों की जमात! यह सुनकर उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को जवाब दिया और अपनी गर्दनें और नज़रें आप की तरफ़ उठायीं तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ताजिरों को क़यामत के दिन गुनाहगार बनाकर उठाया जाएगा मगर वह ताजिर जो अल्लाह से डरे, नेकी इख़्तियार करे और सच बोले (ऐसा ताजिर फाजिर नहीं होगा)।"

ज़ईफ़: दारमी: 2541. इब्ने हिब्बान: 4910.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इन्हें इस्माईल बिन उबैदुल्लाह बिन रिफ़ाआ भी कहा जाता है।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ كَاذِبًا

5 - जो शख़्स सौदा बेचने के लिए झूठी क़सम उठाता है.

1211 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

1211 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "तीन आदमी हैं जिनकी तरफ़ क़यामत के दिन अल्लाह तआला नहीं देखेगा, न ही गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा" हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल वह कौन हैं? वह तो महरूम हो गए और खसारे में चले गए। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "एहसान

الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: الْمَنَّانُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

जताने वाला, अपनी तहबन्द को नीचे से लटकाने वाला और अपनी सामान की झूठी क़सम के साथ बेचने वाला। "

सहीह: मुस्लिम: 106. अबू दाऊद: 4087.इब्ने माजा: 2208. निसाई: 2563. तोहफतुल अशराफ़: 11909

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, अबू उमामा बिन सालबा, इमरान बिन हुसैन और माकिल बिन यसार (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتِّجَارَةِ

6 - तिजारत के लिए सुबह सवेरे जाना.

1212 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا، بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ.

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

1212 - सय्यदना सखर अल- गामिदी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को सुबह सवेरे जाने में बरकत दे। "रावी कहते हैं: आप(ﷺ) जब कोई छोटा या बड़ा लश्कर रवाना करते तो उन्हें दिन के शुरू में भेजते और सखर (رضي الله عنه) ताजिर आदमी थे, वह भी अपने तिजारत का सामान दिन के शुरू में भेजते, सो वह अमीर हो गए और उनका माल बढ़ गया।

सहीह: وإذا بعث سرية से आगे ज़ईफ़ है. अबू दाऊद: 2606. इब्ने माजा: 2236.

वज़ाहत: इस मसले में अली, बुरैदा, इब्ने मसऊद, अनस, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सखर अल-गामिदी की हदीस हसन है और हम सखर (رضي الله عنه) की इसके अलावा नबी करीम(ﷺ) से कोई हदीस नहीं जानते।

नीज सुफ़ियान सौरी ने भी शोबा से बवास्ता याला बिन अता इस हदीस को रिवायत किया है।

7 - किसी चीज़ को मुअय्यन मुद्दत तक उधार खरीदना.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

1213 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के बदन पर दो मोटे धारीदार[1] कपड़े थे, जब आप बैठते पसीना आता तो वह भारी हो जाते। फिर शाम के इलाक़ा से एक यहूदी का कपड़ा आया, मैंने कहा: अगर आप उसकी तरफ़ (कोई आदमी) भेज कर उस से आसानी आने तक दो कपड़े उधार खरीद लें? आप(ﷺ) ने उसकी तरफ़ (किसी को) भेजा तो उसने कहा: मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहता है, वह यही चाहते हैं कि मेरा माल या दिरहम दबा लें। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "उस ने झूठ बोला है। यकीनन वह जानता है कि मैं उनमें से सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज़्यादा अमानत को अदा करने वाला हूँ। "

सहीह: निसाई: 4628. मुसनद अहमद: 6/ 147.

1213 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلاَ عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلاَنٍ اليَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ.

तौज़ीह: قِطْرِيٌّ : सफ़ेद चादरें जिन में सुर्ख रंग की डिब्बियां और खाने बने हुए थे।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अनस और अस्मा बिन्ते यजीद (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। नीज शोबा ने भी इसको अम्मारा बिन अबी हफ्सा से इसी तरह रिवायत किया है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मोहम्मद बिन फरास बसरी को सुना वह कह रहे थे: मैंने अबू दाऊद तियालिसी को फ़रमाते हुए सुना कि एक दिन शोबा से इस हदीस के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने फ़रमाया, "मैं उस वक़्त तक तुम्हें यह हदीस बयान नहीं करूंगा जब तक तुम हरमी बिन अम्मारा बिन अबू हफ्सा के सर को बोसा न दो और हरमी भी लोगों में मौजूद थे।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह उस हदीस के उम्दा होने की वजह से था।

1214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ.

1214 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) की वफ़ात हुई तो आप की जिरह अनाज के बीस साअ के एवज़ एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, जो आप ने अपनी बीवी के लिए लिया था।

सहीह: इब्ने माजा: 2439. निसाई: 4651. इब्ने साद: 1/488. दारमी:2585.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ (ح) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ، يَقُولُ: مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ تَمْرٍ، وَلاَ صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.

1215 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैं जौ की रोटी और बासी सालन लेकर गया जब कि नबी करीम(ﷺ) की जिरह एक यहूदी के पास बीस साअ अनाज के बदले गिरवी रखी हुई थी जो आप ने अपनी बीवियों के लिए ले लिया था और मैंने एक दिन आप(ﷺ) को यह फ़रमाते हुए सुना कि आले मोहम्मद के पास किसी शाम भी खुजूर या दानों का साअ नहीं हुआ, हालांकि उन दिनों आप की नौ बीवियां थीं।

हसन: दारे कुतनी: 3/77. बैहक़ी: 5/327.

तौज़ीह: إِهَالَةٍ: हर वह चीज़ जिसे बतौर सालन इस्तेमाल हो और سَنِخَةٍ का मानी है बदबूदार सड़ा हुआ।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

8 - शर्तें को लिखना.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوطِ

1216 - अब्दुल मजीद वहब कहते हैं कि अद्दा बिन खालिद बिन हौज़ा (رضي الله عنه) ने मुझसे कहा: क्या मैं तुम्हें वह तहरीर न पढ़ाऊँ जो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरे लिए लिखी थी? मैंने कहा : ज़रूर, फिर उन्होंने एक तहरीर निकाली जिस में लिखा था यह वह है जो अद्दा बिन हौज़ा ने मोहम्मद(ﷺ) से ख़रीदा। उस ने आप से एक गुलाम या एक लौंडी को ख़रीदा है इस में न बीमारी है न चोरी का है और न ही इसे हराम तरीक़े से गुलाम बनाया गया है। यह एक मुसलमान का मुसलमान से सौदा है।

हसन: दार कुत्नी 3,77, बैहकी, 5,327

1216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الكَرَابِيسِيِّ البَصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلاَ أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्बाद बिन लैस की सनद से ही जानते हैं। नीज इस हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है।

9 - माप और तौल का बयान.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالمِيزَانِ

1217 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मापने और तौलने वालों से फ़रमाया, बेशक तुम्हें ऐसे दो काम सौंपे गए हैं जिन में कमी करने की वजह से तुम से पहली उम्मतें हलाक हो गयीं। ”

ज़ईफ़: मौक़ूफ़ सहीह है हाकिम: 2/31.

1217 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالمِيزَانِ: إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ أُمَمٌ سَالِفَةٌ قَبْلَكُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ हुसैन बिन कैस से ही मर्फू मिलती है और हुसैन बिन कैस को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा गया है जब कि यह हदीस सहीह सनद के साथ इब्ने अब्बास से मौकूफन मर्वी है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

10 - नीलामी का बयान.

1218 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

1218 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक टाट या दरी और एक प्याला फ़रोख़्त किया, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "इस दरी और प्याले को कौन ख़रीदेगा? एक दिरहम से ज़्यादा कौन देगा? तो एक आदमी ने आप(ﷺ) को दो दिरहम दे दिए, आप ने वह दोनों उसको बेच दिए।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1641. इब्ने माजा: 2198. निसाई:4508. तोहफतुल अशराफ़:978.

तौज़ीह: الحِلْس : वह टाट या दरी वगैरह जिसको ज़मीन पर बिछाने के बाद उस पर उम्दा सामान रखा जाता है। (मोजमुल वसीत: 227)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे सिर्फ़ अख़्ज़र बिन अजलान की सनद से ही जानते हैं। और अब्दुल्लाह अल हनफ़ी जिस ने अनस (رضي الله عنه) से रिवायत की है वह अबू बक्र हनफी ही है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए ग़नीमातों और विरासतों में क़ीमत बढ़ाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। मोतमिर बिन सुलैमान और दीगर मुहद्दिसीन ने भी अख़्ज़र बिन अजलान से रिवायत की है।

11 - मुदब्बर गुलाम की फ़रोख़्त.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

1219 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अंसार के एक आदमी ने अपने एक गुलाम को मुदब्बर बना दिया, वह मर गया और उस गुलाम के अलावा कोई माल भी न छोड़ कर गया तो नबी करीम(ﷺ) ने उस गुलाम को बेच दिया। उसे नुऐम बिन अब्दुल्लाह बिन नह्हाम ने ख़रीदा। जाबिर (رضي الله عنه) कहते हैं: यह किब्ती गुलाम था जो इब्ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त के पहले साल फौत हुआ।

बुख़ारी: 2141. मुस्लिम:997. अबू दाऊद: 3957. इब्ने माजा: 2513. निसाई: 4652, 4654.

1219 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ .قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

तौज़ीह: 1) मुदब्बर गुलाम वह होता है जिसे मालिक यह कह दे कि तु मेरे मरने के बाद आज़ाद है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ से जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मर्वी है।

नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि मुदब्बर गुलाम को बेचने में कोई हर्ज नहीं है। शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

जबकि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा मुदब्बर गुलाम की बै (ख़रीदा-फ़रोख़्त) को नापसंद करते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक और औज़ाई का है।

12 - तिजारत वाले काफ़िलों को बाहर जा कर मिलना मना है.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

1220 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने तिजारती क़ाफ़िलों को शहर से बाहर निकल कर मिलने से मना किया है। (1)

बुख़ारी: 2164. मुस्लिम: 1518. इब्ने माजा: 2180.

1220 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.

तौज़ीह: 1) शहर में रहने वालों को मना किया गया है कि किसी दूसरे इलाक़े से आने वाले तिजारती काफ़िला को शहर और मंडी से बाहर ही मिलकर कोई चीज़ ख़रीद लें जब कि काफ़िले वाले को नहीं पता कि मंडियों में क्या क़ीमतें हैं।

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अबू सईद, इब्ने उमर और एक और सहाबी रसूल(ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

1221 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

1221 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने किसी ताजिर से शहर के बाहर मिल कर सौदा ख़रीदने से मना किया, अगर कोई इंसान उससे मिल कर कुछ ख़रीद लेता है तो सामान का मालिक बाज़ार पहुँचने पर इख़्तियार रखता है। (1)

मुस्लिम: 1519. इब्ने माजा: 2178. निसाई: 4501.

तौज़ीह: (1) अगर ख़रीदने वाले ने बाज़ार से कम क़ीमत पर चीज़ ख़रीदी है तो मालिक अपनी चीज़ को वापिस लेने का इख़्तियार रखता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू अय्यूब की सनद के साथ हसन ग़रीब है। जबकि इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा ने तिजारती काफ़िलों को मंडियों तक आने से पहले मिलने से नापसंद किया है क्योंकि यह धोखे की एक क़िस्म है। इमाम शाफ़ेई और दीगर हमारे अस्हाब का यही कौल है।

13 بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

13 - कोई शहरी किसी देहाती की कोई चीज़ फ़रोख़्त न करे.

1222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

1222 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "शहर में रहने वाला किसी देहाती की कोई चीज़ फ़रोख़्त न करे।"[1]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

बुख़ारी: 2140. मुस्लिम: 1413. निसाई: 3239.

तौज़ीह: (1) उसकी सूरत यह है कि कोई देहाती शख़्स अपनी किसी चीज़ को बेचना चाहे और शहर में रहने वाला कहे इस वक़्त न बेचो, इसे मेरे पास रख दो और मुझे सौंप दो। जब क़ीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसे बेच दूंगा इस तरह शहर में रहने वालों को चीज़ मंहगे दामों में मिलती है।

वज़ाहत: तल्हा, जाबिर, अनस, इब्ने अब्बास, हकम बिन अबी यजीद की अपने बाप से, कसीर बिन अब्दुल्लाह के दादा अम्र बिन औफ़ अलमुज़नी से और एक और सहाबी से भी इस मसले में रिवायात मर्वी हैं।

1223 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

1223 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "कोई शहरी किसी देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख्त न करे। लोगों को छोड़ो अल्लाह बाज़ (कुछ) को बाज़ (कुछ) से रिज्क देता है।"

मुस्लिम: 1522. अबू दाऊद: 3442. इब्ने माजा: 2176. निसाई: 4495.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस भी हसन सहीह है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा शहरी को देहाती के लिए खरीदो फ़रोख्त करने को मकरूह जानते हैं जब कि बाज़ (कुछ) रूख़्सत देते हैं कि शहरी देहाती के लिए ख़रीद कर सकता है। शाफ़ेई कहते हैं: शहरी का देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख्त करना मकरूह है लेकिन अगर कर लेता है तो बै (सौदा) जायज़ होगी।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ

14 - मुहाक़ला और मुज़ाबना की मनाही.

1224 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.

1224 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना किया है।

मुस्लिम: 1545. निसाई: 3884.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, ज़ैद बिन साबित, साद, जाबिर, राफे बिन ख़दीज और अबू सईद (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ) की हदीस भी हसन सहीह है जबकि मुहाक़ला (खड़ी) फ़सल की गंदुम के बदले की जाने वाली ख़रीदो फ़रोख्त को कहते हैं।

और मुज़ाबना बै (सौदा) यह होती है कि खुजूरों के दरख्तों पर लगे हुए फल को खुश्क खुजूर के बदले बेचा जाए। नीज अक्सर उलमा का इसी हदीस पर अमल है वह मुहाक़ला और मुज़ाबना की बै को मकरूह कहते हैं।

- 1225 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

1225 - अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (رحمہ اللہ) कहते हैं: ज़ैद अबू अयाश ने साद (رضی اللہ) से गंदुम जौ के बदले ख़रीदने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मंहगी है? उस ने कहा: गंदुम तो उन्होंने उसे मना कर दिया और साद (رضی اللہ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना आप से सूखी खुजूरों को ताज़ा खुजूरों के बदले ख़रीदने के बारे में पूछा गया था तो आप (ﷺ) ने अपने इर्दगिर्द मौजूद लोगों से पूछा: "क्या ताज़ा खुजूरें खुश्क हो कर कम हो जाती हैं?" उन्होंने कहा जी हाँ! तो आप(ﷺ) ने उस से मना फ़रमा दिया था।

सहीह: अबू दाऊद: 3359. इब्ने माजा: 2264. निसाई: 4545.

तौज़ीह: السُّلْت : हिजाज वग़ैरह में पैदा होने वाले ऐसे जौ जो गंदुम के मुशाबेह होते हैं उन पर छिलका नहीं होता। (मोजमुल वसीत:522)

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते है: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने मालिक से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद, अबू अयाश ज़ैद से रिवायत की है कि हम ने साद (رضی اللہ) से सवाल किया, फिर आगे इसी तरह बयान किया।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज इमाम शाफ़ेई (رحمہ اللہ) और हमारे साथियों का भी यही कौल है।

15 - फलों को पकने से पहले उनको बेचना मना है.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

1226 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.

1226 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खुजूर बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वह खुश रंग न हो जाए।

मुस्लिम: 1535. अबू दाऊद:3363.

तौज़ीह: يَزْهُوَ : रंग पकड़ना, सुर्ख या ज़र्द हो जाना, यह उस वक़्त होता है जब फल पकने के करीब होता है।

1227 - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

1227 - इसी सनद के साथ यह भी रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने (गंदुम और जौ की) बालियों को बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वह सफ़ेद न हो जाएँ और आफ़त वगैरह से महफ़ूज़ न हो जाए आप(ﷺ) ने बेचने और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया है।

मुस्लिम: 1535. अबू दाऊद: 3368. निसाई:4521.

तौज़ीह: عاهَة : से मुराद कोई भी बीमारी या आफ़त वग़ैरह मसलन : ओले, बारिश सर्दी वग़ैरह जिससे फ़सल की पैदावार प्रभावित हो जाती है।

वज़ाहत: इस मसले में अनस,आयशा, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू सईद और ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए पकने से पहले फलों को बेचना मकरूह कहते हैं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी इसी के क़ायल हैं।

1228 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، وَعَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ

1228 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अंगूर की ख़रीदो फ़रोख्त से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह

حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.

सियाह हो जाए और दाने (किसी भी अनाज) की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया यहाँ तक कि वह सख़्त हो जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 3381. इब्ने मजा:2217.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हमें सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा की सनद से ही मर्फ़ू मिलती है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

16 - हब्लुल हबला की बै (सौदा)

1229 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

1229 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने हब्लुल हबला की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया।

बुख़ारी: 2134. मुस्लिम: 1514. अबू दाऊद:3380. इब्ने माजा: 2197. निसाई: 4623, 4625.

तौज़ीह: حَبَلِ : (हमल) बच्चे को कहा जाता है इस तरह حَبَلِ الحَبَلَةِ। : का मतलब है हमल का हमल । यह जाहिलियत में एक बै थी। आदमी किसी से बै (सौदा) करता तो शर्त यह होती कि यह ऊंटनी को जन्म देगी फिर मादा ऊंटनी जब बच्चा जनेगी उसकी बै करो। इस्लाम ने इस से मना कर दिया।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू सईद अल-ख़ुदरी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है और حَبَلِ الحَبَلَةِ से बच्चे का बच्चा मुराद है। अहले इल्म के नज़दीक यह बै फ़स्ख हो जाएगी क्योंकि इस बै में धोका है।

नीज शोबा ने भी इस हदीस को अय्यूब से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। और अब्दुल वह्हाब सक्फी वगैरह ने अय्यूब से बवास्ता सईद बिन जुबैर और नाफ़े, सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

17 - धोके वाली बै (सौदा) मना है.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الغَرَرِ

1230 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने धोके[1] वाली और कंकरी की बै (सौदा) से मना किया है।

मुस्लिम: 1513. अबू दाऊद: 3376. इब्ने माजा:2194. निसाई: 4518.

1230 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ.

तौज़ीह: (1) यह एक जामे कलिमा है जिस में हर क़िस्म की फासिद और हराम बै (सौदा)शामिल है। (2) बेचने वाला ख़रीदने वाले से कहे कि जब मैं तुम्हारी तरफ़ कंकर फ़ेंक दूं तो बै (सौदा) वाजिब हो जाएगी। इसे बैउल हुसात कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद और अनस (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसी हदीस पर अमल करते हुए गरर (धोके) वाली बै (ख़रीदो-फ़रोख़्त) को मकरूह कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: धोके वाली बै (सौदा) में पानी के अन्दर मौजूद मछलियों, भगोड़े गुलाम, फिजा में उड़ते परिंदों, और दीगर अक्साम की ख़रीदो फ़रोख्त शामिल है।

और कंकर की बै से मुराद यह है कि बेचने वाला ख़रीदने वाले से कहे कि जब मैं तुम्हारी तरफ़ कंकर फ़ेंक दूं तो मेरे और तुम्हारे दर्मियान बै (सौदा) वाजिब हो जाएगी और यह बै(सौदा) मुनाबज़ा के मुशाबेह है और यह अहले जाहिलियत की बै थी।

18 - एक बै (सौदे) में दो की शर्त लगाना मना है.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

1231 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने "एक बै में दो बै की शर्त से मना किया है।

सहीह: निसाई: 4632. दारमी: 1379. इब्ने हिब्बान:4973.

1231 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने उमर और इब्ने मसऊद (رضی اللہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) उलमा इसकी तफ़सीर करते हुए कहते हैं: एक बै में दो का मतलब यह है कि कोई शख़्स कहे: मैं यह कपड़ा नक़द दस दिरहम और उधार बीस दिरहम का दूंगा, और एक बात नहीं करता: अगर एक बात कर ले तो जायज़ है यानी जब कोई एक क़ीमत बताता है।

इमाम शाफ़ेई कहते है नबी(ﷺ) का एक बै में दो बै करने से मुमानअत का मतलब है कि कोई आदमी किसी से कहे कि मैं अपना घर तुम्हें इस शर्त पर फ़रोख्त करूंगा कि तुम मुझे अपना गुलाम इतनी क़ीमत में दोगे, जब तुम्हारा गुलाम मेरे पास आ जाएगा तो मेरा घर तुम्हारा हो जाएगा और यह बै मालूम क़ीमत के बगैर तै हो रही है और इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि उसकी बै कितने नफ़ा की हुई है।

19 - जो चीज पास नहीं है उसकी फ़रोख्त मना है.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

1232 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा: एक आदमी मेरे पास आकर उस चीज़ की बै (सौदा) करना चाहता है जो मेरे पास नहीं है। क्या मैं बाज़ार से ख़रीद कर उसे बेच दूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो। "

सहीह: अबू दाऊद: 3503 इब्ने मजा: 2187 निसाई: 4613

1232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

1233 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (رضی اللہ) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने मुझे उस चीज़ को बेचने से मना किया जो मेरे पास मौजूद नहीं है।

सहीह: पहले वाला देखें.

1233 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي ا

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله) से भी मर्वी है।

इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) से पूछा उधार और फ़रोख्त की मुमानअत का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया, कि कोई आदमी किसी को कुछ कर्ज़ दे कर अपनी कोई चीज़ मंहगी दामों में फ़रोख्त कर दे और यह मतलब भी हो सकता है कि किसी को कर्ज़ दे और कहे अगर तुझ से वापसी न की जा सके तो तुम्हारी फुलां चीज़ मेरी हो जाएगी। इस्हाक़ बिन राहवे भी यही कहते हैं। (इस्हाक़ बिन मंसूर) कहते हैं: मैंने अहमद से पूछा: जो चीज़ ज़मान में नहीं है उसकी बै कौन सी है? उन्होंने फ़रमाया, कि मेरे नज़दीक उसका ताल्लुक़ अनाज वगैरह के साथ है, जो तुम्हारे कब्जे में न हो, इस्हाक़ भी ऐसा ही कहते हैं हर उस चीज़ में जिसे मापा या तौला जाता है।

अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जब कोई आदमी कहता है मैं यह कपड़ा तुम्हें बेचता हूँ इसकी सिलाई और कटाई मेरे ज़िम्मा है तो यह एक बै में दो शर्तें होंगी और जब कहे कि मैं तुम्हें यह बेचता हूँ इसकी सिलाई मेरे ज़िम्मा है तो जायज़ है या यह कहता है कि मैं यह तुम्हें बेचता हूँ और इसकी कटाई मेरे ज़िम्मे है फिर भी जायज़ है क्योंकि यह एक शर्त है। इस्हाक़ भी ऐसे ही कहते हैं।

1234 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

1234 - अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "उधार और फ़रोख्त इकट्ठी जायज़ नहीं है इसी तरह एक बै में दो शर्तें जायज़ नहीं, और न ही जो चीज़ कब्जे में नहीं है उसका मुनाफ़ा जायज़ है और जो चीज़ पास नहीं है उसे बेचना भी हलाल नहीं है।"(1)

हसन: सहीह: अबू दाऊद: 3504. इब्ने मजा: 2188. निसाई:4611.

तौज़ीह: (1) इसकी वज़ाहत पिछली हदीस के ज़िम्न में गुज़र चुकी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज हकम बिन हिजाम की हदीस भी हसन है। जो उनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। अय्यूब अस्सख्तियानी और अबू बिश्र ने भी बवास्ता यूसुफ़ बिन माहक हकम बिन हिज़ाम (رضي الله) से रिवायत की है। अबू ईसा तिर्मिज़ी कहते हैं: इस हदीस को औफ़ और हिशाम ने इब्ने सीरीन से बवास्ता हकम बिन हिजाम नबी करीम(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

नीज इब्ने सीरीन ने सख्तियानी से बवास्ता यूसुफ़ बिन माहक बिन हिजाम (رضي الله) से इसी तरह रिवायत की है।

1235 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ أَبُو سَهْلٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي.

1235 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे उस चीज़ के बेचने से मना किया जो मेरे पास न हो।

सहीह: 1232 पर तख़रीज देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वकीअ ने इस हदीस को यज़ीद बिन इब्राहीम से उन्होंने इब्ने सीरीन से बवास्ता अय्यूब, हकम बिन हिजाम से रिवायत किया है। इस में यूसुफ़ बिन माहक का ज़िक्र नहीं किया। और अब्दुस्समद की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

नीज यह्या बिन अबी कसीर ने इस हदीस को याला बिन हकीम से उन्होंने यूसुफ़ बिन माहक से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन गसमा, सय्यदना हकम बिन हिजाम (ﷺ) से रिवायत किया है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए गैर मौजूद चीज़ को बेचने से मना करते हैं।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

20 - वला को बेचना और हिबा करना मना है.

1236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ.

1236 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वला[1] को बेचने और उसे हिबा करने से मना किया है।

बुख़ारी: 2535. मुस्लिम: 1506. अबू दाऊद: 2919. इब्ने माजा: 2747. निसाई: 4657, 4659.

तौज़ीह: (1) गुलाम को आज़ाद करने वाले और आज़ाद होने वाले के दर्मियान में जो रिश्ता होता है उसे वला कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार ही इब्ने उमर (ﷺ) से जानते हैं। और उलमा का भी इसी हदीस पर अमल है।

नीज यह्या बिन सुलैम ने भी इस हदीस को उबैदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से उन्होंने नबी करीम(ﷺ) से रिवायत किया है कि आप(ﷺ) ने वला को बेचने और उसे हिबा करने से मना किया है। इस हदीस में वहम है इस में यह्या बिन सुलैम को वहम हुआ है जबकि अब्दुल वह्हाब सक्फी अब्दुल्लाह बिन नुमैर और दीगर कई रावियों ने उबैदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से नबी करीम(ﷺ) की हदीस बयान की है और यह यह्या बिन सुलैम की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

21 - जानवर को जानवर के एवज बतौर क़र्ज़ बेचना मना है.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً

1237 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने जानवरों को जानवर के बदले उधार बेचने से मना किया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3356. इब्ने माजा: 2270. निसाई: 4620.

1237 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर, और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: समुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और हसन (رحمه الله) का समुरा (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) साबित है। अली बिन मदीनी वग़ैरह इसी तरह कहते हैं।

नीज नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में अक्सर उलमा का जानवर की जानवर के एवज़ उधार बै के बारे में इसी हदीस पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, अहले कूफा और इमाम अहमद भी यही कहते हैं।

जबकि अस्हाबे नबी अकरम(ﷺ) और दीगर लोगों में से कुछ उलमा ने जानवर को जानवर के एवज़ उधार बेचने की रूख़्सत दी है यह कौल इमाम शाफ़ेई और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी है।

1238 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "दो जानवरों को एक जानवर के बदले उधार बेचना

1238 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الحَجَّاجِ

وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لاَ يَصْلُحُ نَسِيئًا، وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ.

जायज़ नहीं हाथों हाथ हो तो कोई हर्ज नहीं है।"

सहीह: इब्ने माजा: 2271. तोहफतुल अशराफ़:2676.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ العَبْدِ بِالعَبْدَيْنِ

22 - एक गुलाम को दो गुलामों के एवज़ ख़रीदना.

1239 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟

1239 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه)से रिवायत है कि एक गुलाम आया उसने हिज्रत पर नबी करीम(ﷺ) की बैअत कर ली और नबी अकरम(ﷺ) नहीं जानते थे कि यह गुलाम है। फिर उसका मालिक भी आ गया जो उसे ले जाना चाहता था नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम यह गुलाम मुझे बेच दो" आप(ﷺ) ने उसे दो सियाह फाम गुलामों के बदले ख़रीद लिया। फिर उसके बाद आप(ﷺ) ने किसी से उस वक़्त तक बैअत नहीं ली जब तक उस से पूछ ना लेते कि कहीं वह गुलाम तो नहीं है?

मुस्लिम: 1602. अबू दाऊद: 3358. इब्ने माजा:2869. निसाई:4184.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि हाथों हाथ दो गुलाम के बदले एक गुलाम ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है। इख़्तिलाफ़ उधार के मामले में है।

23 - गंदुम के एवज़ गंदुम बराबर लेना जायज़ है, बढ़ा कर लेन देन करना मना है.

23 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ

1240 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, "सोना सोने के एवज़ बराबर गंदुम, गंदुम के बदले बराबर, नमक, नमक के एवज बराबर और जौ, जौ के बदले बराबर (ख़रीदना और बेचना जायज़ है) जो शख़्स ज़्यादा देता या लेता है यकीनन उसने सूदी मामला किया है। सोने को चांदी के एवज़ जैसे चाहो हाथों हाथ बेचो, गंदुम को खजूर के एवज़ हाथों हाथ जैसे चाहो बेचो और जौ को खजूर के एवज़ हाथों हाथ जैसे चाहो बेचो।"

मुस्लिम: 1587. अबू दाऊद: 3349. इब्ने माजा: 2254. निसाई: 4560, 4564.

1240 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، بِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.

वज़ाहत: इस बाब में अबू सईद, अबू हुरैरा, बिलाल, और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। बाज़ (कुछ) रावियों ने उस हदीस को इसी सनद के साथ खालिद (رحمه الله) से रिवायत किया है कि "गंदुम को जौ के एवज़ नक़द जैसे चाहो फ़रोख्त कर लो।"

नीज बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को खालिद से उन्होंने अबी किलाबा से बवास्ता अबू अशअस, उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी करीम(ﷺ) से रिवायत किया है। खालिद कहते हैं : अबू किलाबा फ़रमाते हैं गंदुम को जौ के बदले जैसे चाहे फ़रोख्त करो।

अहले इल्म इसी पर अमल करते हैं गंदुम को गंदुम के एवज़ और जौ को जौ के एवज़ बराबर फ़रोख्त करने को ही जायज़ कहते हैं।

जब यही अज्नास मुख़्तलिफ़ हों तो नक़्द की सूरत में एक दूसरे से बढ़ा कर बेचने में क़बाहत नहीं है। यह कौल नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा का है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इसहाक (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं।

इमाम शाफ़ेई कहते हैं इसकी दलील नबी करीम(ﷺ) की हदीस है कि जौ को गंदुम के एवज़ नक़्द जैसे चाहो फ़रोख्त करो।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उलमा की एक जमात का कहना है कि गंदुम को जौ के एवज़ बराबर बराबर ही ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है। यही कौल मालिक बिन अनस (رحمه الله) का भी है लेकिन पहला कौल सहीह है।

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

1241 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

24 - करंसी की ख़रीदो फ़रोख्त.

1241 - नाफ़े (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं और इब्ने उमर (رضي الله عنه) अबू सईद (رضي الله عنه) के पास गए तो उन्होंने हमें बयान किया कि मेरे इन दोनों कानों ने रसूल(ﷺ) को इरशाद फ़रमाते हुए सुना कि: "तुम सोने को सोने[1] के एवज बराबर बराबर बेचो और चांदी को चांदी के एवज़ बराबर बराबर बेचो। यह एक दुसरे पर बढ़ाया ना जाए और गैर मौजूद को मौजूद के बदले मत फ़रोख्त करो। "

बुख़ारी: 2177. मुस्लिम: 1584. निसाई: 4565.

तौज़ीह: 1) याद रहे कि सोने से मुराद दीनार और चांदी से मुराद दिरहम हैं। आज के दौर में इसका मतलब यह है कि रियाल के बदले रियाल बराबर लिए जाएँ और रूपिया के एवज़ रूपिया भी बराबर लिया जाए। पुराने नोटों के एवज नए नोट कम देना और लेना इस हदीस की रू से हराम है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू बक्र, उमर, उस्मान, अबू हुरैरा, हिशाम बिन आमिर, बरा, ज़ैद बिन अर्कम, फोजाला बिन उबैद, अबू बकरह, इब्ने उमर, अबू दर्दा और बिलाल (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

नीज फ़रमाते हैं: अबू सईद (ﷺ) की सूद के बारे में नबी करीम(ﷺ) से मर्वी हदीस हसन सहीह है और नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है सिवाए इब्ने अब्बास (ﷺ) के वह सोने और चांदी को एक दुसरे से बढ़ा चढ़ा कर नक़द की सूरत में जायज़ कहते हैं। वह फ़रमाते हैं: सूद उधार में बनता है। उनके बाज़ (कुछ) शागिर्दों से भी इसी तरह मर्वी है। नीज इब्ने अब्बास (ﷺ) से यह भी मर्वी है कि जब अबू सईद (ﷺ) ने उन्हें हदीस सुनाई तो उन्होंने अपने कौल से रुजू कर लिया था और पहला कौल ही ज़्यादा सहीह है। नबी अकरम (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी इसी के कायल हैं।

इब्ने मुबारक कहते हैं कि करंसी के लेन देन में इख़्तिलाफ़ नहीं है।

1242 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ بِالقِيمَةِ.

1242 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैं बक़ी में ऊँट फ़रोख्त किया करता था, मैं दीनारों के एवज़ बेचता और उनकी जगह चांदी के दिरहम ले लेता और कभी चांदी के एवज़ बेचता और उनकी जगह दीनार ले लेता। मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गया, मैंने आप को सय्यदा हफ्सा के घर से निकलते हुए पाया तो मैंने आप से इस बारे में पूछा। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़ीमत मुक़र्रर कर के ऐसा करने में हर्ज नहीं है। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3354 इब्ने माजा: 2262 निसाई: 4582

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने उमर (ﷺ) वाली सनद से ही मर्फू है। दाऊद बिन अबी हिन्द ने इस हदीस को बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने उमर (ﷺ) से मौकूफ रिवायत किया है।

नीज बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि सोने की जगह चांदी या चांदी की जगह सोने का तक़ाजा करने में कोई हर्ज नहीं है। यही कौल इमाम अहमद और और इस्हाक़ (ﷺ) का है।

जबकि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा ने इस को मकरूह भी कहा है।

1243 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللَّهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

1243 - मालिक बिन औस बिन हद्सान रिवायत करते हैं कि मैं यह कहता हुआ आ रहा था कि दिरहम की करंसी कौन देगा? तो तल्हा बिन उबैदुल्लाह (رضی اللہ) ने कहा: वह उस वक़्त उमर बिन खत्ताब के पास थे, हमें अपना सोना (दीनार) दिखाओ फिर जब हमारा खादिम आ जाए तो तुम हमारे पास आना हम तुम्हें चांदी (के दिरहम) दे देंगे। तो उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ) ने फ़रमाया, हरगिज़ नहीं, तुम उसे चांदी दो वर्ना उसका सोना वापस कर दो क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, चांदी सोने के बदले तब्दील करना सूद है मगर जो मौक़ा पर लेन देन हो (वह जायज़) है, गंदुम को गंदुम के साथ तब्दील करना सूद है मगर जो हाथों हाथ मौक़ा पर हो जाए वह जायज़ है। जौ को जौ के साथ बदला सूद है मगर हाथों हाथ (मौक़ा पर) और इसी तरह खुजूर को खुजूर के बदले देना सूद है मगर जो हाथों हाथ हो (वह सूद नहीं है)।

बुखारी: 2134. मुस्लिम: 1586. अबू दाऊद: 3384. इब्ने माजा: 2253. निसाई: 4558.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है नीज هَاءَ وَهَاءَ का मानी है हाथों हाथ।

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

25 - पेवन्दकारी के बाद खजूरों के दरख़्त ख़रीदना और मालदार गुलाम ख़रीदना.

1244 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

1244 - सालिम (رحمہ اللہ) अपने बाप इब्ने उमर (رضی اللہ) से रिवायत करते हैं कि मैंने

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : "जो शख़्स पेवंद्कारी के बाद खजूरों के दरख़्त खरीदे तो उसका फल, बेचने वाले के लिए होगा इल्ला (मगर) यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले और जो शख़्स मालदार गुलाम को खरीदे तो उस गुलाम) का माल बेचने वाले का होगा इल्ला यह कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले।

बुख़ारी: 2204. मुस्लिम: 1543. अबू दाऊद: 3433.
इब्ने माजा: 2210. निसाई: 4635.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इसी तरह कई सनदों के साथ जोहरी से बवास्ता सालिम इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स पेवन्द्कारी के बाद खजूरों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो उसका फल बेचने वाले का होगा इल्ला यह कि ख़रीदने वाला तै कर ले और जो किसी ऐसे गुलाम की ख़रीदो फ़रोख्त करता है जिसके पास माल है तो उसका माल बेचने वाले का होगा इल्ला (मगर) यह कि ख़रीदने वाला तै कर ले तो ठीक है। नीज नाफ़े से भी बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स ऐसी खजूरें ख़रीदता है जिनकी पेवन्दकारी हो चुकी हो तो उनका फल बेचने वाले का होगा, अगर लेने वाला शर्त लगा ले तो दुरुस्त है।" और नाफ़े (رحمه الله) इब्ने उमर (رضي الله عنه) से ही बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया, "जो शख़्स ऐसे गुलाम की बै करता है जिसके पास माल हो तो उसका माल बेचने वाले का है अगर शर्त लगा कर तै कर लेता है तो ठीक है। उबैदुल्लाह बिन उमर वगैरह ने भी नाफ़े से यह दो हदीसें इसी तरह रिवायत की हैं। नीज बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर नबी करीम(ﷺ) से इसी तरह बयान किया है जबकि इक्रिमा बिन खालिद (رحمه الله) ने भी इब्ने उमर (رضي الله عنه) से नबी अकरम(ﷺ) की हदीस सालिम की तरह और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में ज़ोहरी की सालिम से उनके बाप के वास्ते से बयान की गई नबी करीम(ﷺ) की हदीस सब से ज़्यादा सहीह है।

26 - ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमी जुदा होने तक बै को तोड़ने का इख़्तियार रखते हैं.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

1245 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا.

1245 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत कि उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमी जुदा होने तक बै (सौदा) को तोड़ने का इख़्तियार रखते हैं या एक दूसरे को इख़्तियार न दे दें। " रावी कहते हैं: इब्ने उमर (ﷺ) जब बै करते तो अगर बैठे होते तो खड़े हो जाते ताकि बै वाजिब हो जाए।

बुख़ारी: 2107. मुस्लिम: 1531. अबू दाऊद: 3454. इब्ने माजा: 281. निसाई: 4465,4470.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बरजा, हकम बिन हिजाम, अब्दुल्लाह बिन अम्र, समुरा, अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है, इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है। वह मजीद कहते हैं कि जिस्मों के साथ जुदा होना मुराद है कलाम के साथ नहीं।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं फ़रमाने नबी(ﷺ) जब तक जुदा न हो जाए से कलाम के साथ जुदाई मुराद है लेकिन पहला कौल सहीह है क्योंकि इब्ने उमर (ﷺ) ने इस हदीस को नबी(ﷺ) से रिवायत किया है और वह अपनी रिवायत का मतलब ज़्यादा जानते हैं उनसे यह भी मर्वी है की जब वह किसी बै को वाजिब करना चाहें तो उठ कर चल देते थे ताकि बै वाजिब हो जाए।

1246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

1246 - सय्यदना हकम बिन हिजाम (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: "ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले जब तक अलग न हो बै (सौदा) ख़त्म करने का

الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

इख़्तियार रखते हैं मगर वह सच बोले और वाज़ेह बात करे तो उनकी तिजारत में बरकत दी जाती है और अगर बात को छिपाए और झूठ बोलें तो उनकी बै की बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है।"

(1246) बुख़ारी: 2079 मुस्लिम: 1532 अबू दाऊद: 459 निसाई: 4457

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है नीज अबू बरजा अल अस्लमी (رضي الله عنه)से भी इसी तरह मर्वी है कि दो आदमी घोड़े की बै करने के बाद झगड़ने लगे और वह कश्ती में थे तो उन्होंने फ़रमाया, "तुम जुदा तो नहीं हो सकते क्योंकि कश्ती में हो और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले जब तक जुदा न हो बै को ख़त्म करने का इख़्तियार रखते हैं।

कूफा के बाज़ (कुछ) उलमा का मज़हब है कि इससे मुराद बात का जुदा होना है सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है नीज मालिक बिन अनस से भी इसी तरह मर्वी है इब्ने मुबारक से मर्वी है वह कहते हैं कि मैं इसको कैसे रद्द कर सकता हूँ! जबकि इस बारे में नबी करीम(ﷺ) की सहीह हदीस है और उन्होंने इस (तफरीक बिल अबदान वाले मज़हब को) कवी कहा है। नबी(ﷺ) के फ़रमान : सिवाए बै खियार के "इसका मतलब यह है कि बेचने वाला बै वाजिब होने के बाद ख़रीदने वाले को इख़्तियार दे दे तो जब ख़रीदने वाला बै को ही इख़्तियार करता है तो बाद में उसे बै को ख़त्म करने का हक़ नहीं होगा। अगरचे वह जुदा न भी हो शाफ़ेई वगैरह ने इसी तरह इसकी तफ़सीर की है और जो कहते हैं कि इस से मुराद तफरीक बिल अबदान है तफरीक बिल कलाम नहीं उनके कौल को इब्ने उमर (رضي الله عنه) की नबी करीम(ﷺ) से रिवायत कर्दा हदीस मज़बूत करती है।

1247 - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

1247 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा अब्दुलाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेचने और ख़रीदने वाला जब तक जुदा न हों बै को ख़त्म करने का इख़्तियार रखते हैं सिवाए इस के कि इख़्तियार वाली बै हो और किसी के लिए हलाल नहीं है कि वह बै को तोड़ने के डर से अपने साथी से जुदा हो जाए।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 3456. निसाई: 4483. मुसनद अहमद: 2/ 183.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है और इसका मतलब यह है कि वह बै करने के बाद फरीके सानी की तरफ़ से उसको ख़त्म करने के डर से उस से अलग न हों, और अगर इस से मुराद तफ़रीक बिल कलाम हो और बै के बाद इख़्तियार देने की इजाज़त न हो तो फिर इस हदीस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि : "बै को तोड़ने के डर से उस से अलग होना हलाल नहीं है।

27 - बेचने और ख़रीदने वाले के इख़्तियार का बयान

27 - بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

1248 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ.

1248 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़र्माया: "ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले बै (सौदे) के बाद रजामन्दी और खुशी के साथ अलग हों।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 3458. मुसनद अहमद: 2/536.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है।

1249 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ.

1249 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने एक देहाती को बै (सौदे) के बाद इख़्तियार दिया था।

हसन: इब्ने माजा: 2184. हाकिम: 2/49. बैहक़ी: 5/270.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है।

28 - तिजारत में जिसके साथ धोका होता हो.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

1250 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،

1250 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी के मुआमलात में कमज़ोरी थी, वह तिजारत करता था, उसके घर वाले नबी

عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ، وَلاَ خِلاَبَةَ.

करीम(ﷺ) के पास आकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस पर (ख़रीदो फ़रोख्त की) पाबंदी लगा दीजिए[1] तो अल्लाह के नबी(ﷺ) ने उसे बुलाया और उसे मना कर दिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बै (ख़रीदो- फ़रोख़्त) के बगैर नहीं रह सकता तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम बै किया करो तो कहा करो: यह लो और वह दो और धोका नहीं चलेगा।"

सहीह: अबू दाऊद: 3501. इब्ने माजा: 2354. निसाई: 4485.

(1) हजर करना, किसी पर कमअक्ली की वजह से पाबंदी लगा देना जब उसकी कमज़ोर अक्ल की वजह माल की तलाफ़ी और नुकसान का अंदेशा हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आज़ाद आदमी पर ख़रीदो फ़रोख्त में उस वक़्त पाबंदी लगाई जा सकती है जब वह कमज़ोर अक्ल हो। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है। और बाज़ (कुछ) ने आज़ाद बालिग़ आदमी पर पाबंदी लगाने को दुरुस्त नहीं समझा।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ

29 - जिस जानवर का दूध रोका गया हो.

1251 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

1251 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध रोका गया हो तो दूध दुहने के बाद उसे इख़्तियार है। अगर चाहे तो उसे वापस करदे और उसके साथ खुजूरों का एक साअ[2] भी दे।"

बुख़ारी: 2148. मुस्लिम: 1515. अबू दाऊद: 3443. निसाई:4487

तौज़ीह: मुसर्रात उस ऊंटनी, गाय या भेड़ बकरी को कहते हैं जिसका दूध तीन चार औकात निकाला न गया हो ताकि जब कोई खरीदे तो उसे दूध की मिक़दार ज़्यादा लगे और वह अच्छी क़ीमत दे दे। यह सरीह धोका है। इसलिए इसे वापस करने का इख़्तियार हासिल है। (2) जो दूध इस्तेमाल किया है उसके एवज के तौर पर।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : इस मसले में अनस और एक और सहाबी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ.

1252 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स दूध रोका गया जानवर खरीदे तो उसे तीन दिन तक (वापस करने का) इख़्तियार है। अगर वापस करता है तो गंदुम के अलावा किसी और अनाज का एक साअ दे।"

मुस्लिम: 1524. अबू दाऊद:3444. इब्ने माजा: 2239. निसाई: 489.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : सम्रा से मुराद गंदुम है। नीज यह हदीस हसन सहीह है और हमारे साथियों का इसी हदीस पर अमल है। जिनमें इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी शामिल हैं।

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ البَيْعِ

30 - जानवर फ़रोख़्त करते वक़्त सवारी करने की शर्त लगाना.

1253 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

1253 – सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम(ﷺ) को एक ऊँट बेचा और अपने घर तक उस पर सवारी करने की शर्त लगाई।

बुख़ारी: 2967. मुस्लिम: 1590. अबू दाऊद:3505.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और जाबिर (رضي الله عنه) से कई इस्नाद के साथ मर्वी है।

नीज नबी अकरम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए बै में कोई शर्त लगा लेने को जायज़ कहते हैं। जब एक ही शर्त हो। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का भी यही कौल है।

और बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: बै में शर्त जायज़ नहीं और जिस बै में शर्त हो वह मुकम्मल नहीं होती।

31 - गिरवी रखी हुई से फ़ायदा उठा लेना.

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

1254 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "गिरवी रखे हुए सवारी वाले जानवर पर सवारी की जा सकती है और दूध वाले जानवर का दूध भी पिया जा सकता है जब उसे गिरवी रखा गया हो। नीज सवारी करने वाले और दूध पीने वाले के जिम्मे उस जानवर का ख़र्च होगा।"

1254 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

बुख़ारी: 2511. अबू दाऊद:3526. इब्ने माजा: 3440.

तौज़ीह: رهن : शरई तौर पर किसी हक़ की ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ अपने पास रख लेना ताकि अगर वह हक़ वसूल होना मुम्किन न रहे तो उस रखी हुई चीज़ के ज़रिए उस हक़ को वसूल कर लिया जाए। (मोजमुल वसीत:पृ. 448)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। हम आमिर अश्शअबी के वास्ते से ही अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से इस हदीस को मर्फ़ू जानते हैं। जबकि बहुत से रावियों ने इस हदीस को आमश से बवास्ता अबू सालेह अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से मौक़ूफ रिवायत किया है। बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: रहन (रखी हुई चीज़) से फ़ायदा लेना जायज़ नहीं है।

32 - अगर कोई ऐसा हार खरीदे जिस में सोना और जवाहिरात हों.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ القِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

1255 - सय्यदना फजाला बिन उबैद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि ख़ैबर के दिन मैंने 12 दीनार का हार ख़रीदा जिसमें सोना और जवाहिरात

1255 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَلَ.

थे। मैंने इसे खोला[1] तो इसमें 12 दीनार से ज़्यादा (का सोना) था। मैंने नबी(ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तक इसको जुदा- जुदा न कर दिया जाए इसे फ़रोख्त न किया जाए।"

मुस्लिम: 1591. अबू दाऊद:3351. निसाई:4573.

तौज़ीह: فصل : मोतियों सोने और नगीनों को अलग अलग करना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए किसी चांदी लगी तलवार या कमर बंद को रूपये के एवज़ फ़रोख्त करने को दुरुस्त नहीं कहते जबकि इसे खोल कर अलग न किया जाए। यही कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है।

जब कि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसकी रूख्सत देते हैं।

अबू ईसा कहते हैं:) हमें कुतैबा ने बवास्ता इब्ने मुबारक, अबू शुजा सईद बिन यज़ीद से इसी सनद के साथ यही रिवायत बयान की है।

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

33-वला की मिल्कियत की शर्त लगाने पर डांट

1256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ.

1256 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि उन्होंने बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद करने का इरादा किया तो उसके मालिकों ने वला की शर्त लगायी तो नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे ख़रीद लो, वला तो उसी के लिए है जिसने क़ीमत दी या जिसने एहसान किया। "

बुख़ारी: 6760. मुस्लिम: 1504. अबू दाऊद: 2916. निसाई: 3449.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : आयशा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज मंसूर बिन मोतमिर की कुनियत अबू अताब थी। अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू बक्र अता बसरी ने अली बिन मदीनी का कौल बयान किया कि मैंने यह्या बिन सईद को यह कहते हुए सुना जब तुम्हें मंसूर की तरफ़ से कोई हदीस बयान की जाए तो तुम्हारा हाथ भलाई से भर गया फिर तुम किसी और के पास न जाना। फिर यह्या कहते हैं कि मैंने इब्राहीम नखई और मुजाहिद से रिवायत करने वालों में मंसूर से बेहतर कोई नहीं पाया। और मुझे मोहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन अबी अस्वद के वास्ते के साथ बयान किया कि अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते है: मंसूर कूफा वालों में सब से पुख़्ता रावी है।

34 - वक़्फ़ शुदा माल की ख़रीदो फ़रोख़्त

34- بَابٌ الشراء و البيع الموقوفين

1257 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً، فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ.

1257 - सय्यदना हकम बिन हिज़ाम (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हकम बिन हिज़ाम को भेजा ताकि आप(ﷺ) के लिए एक दीनार में कुर्बानी का जानवर ख़रीद लायें उन्होंने जानवर ख़रीदा और उसे आगे बेच कर उसमें एक दीनार नफ़ा हासिल कर लिया। फिर एक और जानवर ख़रीद लिया और कुर्बानी का जानवर और दीनार लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आ गए। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "बकरी की कुर्बानी कर दो और दीनार को सदका कर दो।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3386.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं :हकम बिन हिज़ाम की हदीस को हम सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और मेरे मुताबिक़ हबीब बिन अबी साबित ने हकम बिन हिज़ाम (ﷺ) से सिमा (सुनना) नहीं किया।

1258 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ،

1258 - सय्यदना उर्वा अल- बारिकी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे एक दीनार दिया ताकि मैं आप के लिए बकरी

قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ الأَعْوَرُ الْمُقْرِئُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى الْقَارِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالاً.

ख़रीद लाऊँ, मैंने दो बकरियां ख़रीद लीं, फिर एक बकरी एक दीनार की फ़रोख्त कर दी और एक बकरी और दीनार ले कर नबी करीम(ﷺ) के पास आ गया और आप से इस मामले का ज़िक्र किया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला तुम्हारे दायें हाथ की तिजारत में बरकत दे। " इसके बाद यह कूफा की मंडी में जाते तो बहुत नफ़ा हासिल करते। सो यह कूफा में सब से ज़्यादा मालदार थे।

बुख़ारी:3642. अबू दाऊद:3384. इब्ने माजा: 2402.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं:) हमें अहमद बिन सईद दारमी ने वह कहते हैं: हमें हिब्बान ने (वह कहते हैं:) हमें हम्माद बिन ज़ैद के भाई सईद बिन ज़ैद ने उन्हें ज़ुबैर बिन ख़िर्रीत ने अबू लबीद से इसी तरह हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस पर चलते हुए इसके कायल हैं, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने इस हदीस को नहीं लिया उन में शाफ़ेई और हम्माद बिन ज़ैद के भाई सईद बिन ज़ैद भी हैं। अबू लबीद का नाम लिमाज़ा बिन ज़ब्बार है।

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

35 - मुकातब गुलाम के पास अगर अदायगी जितना माल हो.

1259 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

1259 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुकातब गुलाम जब हद या मीरास को पहुँच जाए तो उसे अपने आज़ादशुदा हिस्से के

عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ .وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ.

मुताबिक़ ही (सज़ा या विरासत का हिस्सा) मिलेगा। " और नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुकातब अपनी अदायगी के मुताबिक़ आज़ाद की दियत देगा और जो बाक़ी है उतनी गुलाम की दियत के मुताबिक़ देगा।"

(1259) सहीह: अबू दाऊद:4581 निसाई: 4808, 4812

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ) की हदीस हसन सहीह है। यह्या बिन अबी कसीर ने भी इक्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (رضی اللہ) नबी करीम(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

और खालिद अल्हज्ज़ा ने इक्रिमा से अली (رضی اللہ) का कौल रिवायत किया है.

नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल है। नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा कहते हैं: मुकातब पर जब तक एक दिरहम भी बाक़ी हो वह गुलाम ही रहेगा। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का भी यही कौल है।

1260 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهُ إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ أَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ.

1260 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ) से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को खुत्बा देते हुए सुना आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अपने गुलाम से सौ उकिया पर मुकातबत[(1)] करे और दस उकिये या दस दिरहम के अलावा सारी रक़म अदा कर दे फिर उस से आजिज़ आ जाए तो वह गुलाम ही रहेगा। "

हसन: अबू दाऊद: 3926. इब्ने माजा:2519.

तौज़ीह: (1) गुलाम अपने मालिक से अपनी क़ीमत तै करके वक़्त का तअय्युन कर लेता है कि जब मैं तुम्हें इतनी रक़म अदा करूंगा तो मैं आज़ाद हो जाउंगा। इसे मुकातबत और ऐसा करने वाले को मुकातब कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और नबी करीम(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है कि उसकी मुकातबत में से जब तक कुछ अदायगी बाकी है वह गुलाम ही मुतसव्विर होगा (माना जायेगा)। नीज हज्जाज बिन अर्तात ने भी अम्र बिन शोऐब से ऐसी ही रिवायत की है।

1261 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

1261 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से जब किसी के पास मुकातब गुलाम के पास अदायगी जितना माल हो तो वह उस से पर्दा करे।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3928. इब्ने माजा:2520.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा कहते हैं: इस हदीस का मतलब यह है कि परहेज़गारी इसी में है और वह कहते हैं: अगरचे मुकातब के पास अपनी मुकातबत की अदायगी जितना माल हो लेकिन जब तक अदा न करे उस वक़्त तक उसे आज़ाद नहीं किया जाएगा।

36 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

36 - जब किसी का कर्ज़दार दीवालिया हो जाए और कर्ज़ख्वाह अपना सामान उसके पास पा ले तो.

1262 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.

1262 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो आदमी मुफ़्लिस हो जाए और कर्ज़ देने वाला आदमी अपना माल उसके पास पा ले तो वह उसका दूसरे से ज़्यादा हक़दार है।"

बुख़ारी: 2402. मुस्लिम: 1559. अबू दाऊद: 3519. इब्ने माजा:2361,2358. निसाई: 4676.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है नीज शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: वह भी बाकी कर्ज़ख्वाहों का शरीक होगा। यह कौल अहले कूफा का है।

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ يَبِيعُهَا لَهُ

37 - मुसलमान का ज़िम्मी को शराब बेचने के लिए देना मना है.

1263 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: أَهْرِيقُوهُ.

1263 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है हमारे पास एक यतीम की शराब थी। जब सूरह मायदा नाजिल हुई तो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इस बारे में पूछा, मैंने कहा: यह एक यतीम की है, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "इसे बहा दो।"

सहीह: मुसनद अहमद: 3/26.अबू याला: 1277.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(ﷺ) से कई सनदों से ऐसी ही हदीस मर्वी है। और बाज़ (कुछ) उलमा भी इसी के क़ायल हैं और शराब से सिर्का बनाने को भी मकरूह कहते हैं। यह इस वजह से मकरूह है। अल्लाह बेहतर जानता है! कि मुसलमान के घर इतनी देर शराब पड़ी रहेगी यहाँ तक कि सिर्का बन जाए। और बाज़ (कुछ) ने शराब को सिर्का बनाने की इजाज़त दी है जब वह ख़ुद बख़ुद सिर्का बन जाए। अबू वदाक का नाम जुबैर बिन नौफ़ है।

38 - بَابٌ أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

38 - जो शख़्स आप को अमानत दे उसकी अमानत वापस करो.

1264 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، وَقَيْسٌ، عَنْ أَبِي

1264 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो तुम्हें

حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

अमीन समझे और अमानत रख दे तुम उसे अमानत (रखी हुई चीज़) वापस कर दो और जो तुम्हारे साथ ख़यानत करे तुम उसके साथ न करो। "

सहीह: अबू दाऊद:3535. दारमी: 2600. दारे कुतनी: 3/35.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब किसी का किसी पर कर्ज़ हो और कर्ज़दार भाग जाए तो अगर कर्ज़ख्वाह के पास उसकी कोई चीज़ हो तो उसे दबाना जायज़ नहीं है। ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। सौरी का भी यही कौल है। वह मजीद कहते हैं: अगर उसके ज़िम्मा दिरहम थे और उस कर्ज़ख्वाह के पास उसके दीनार हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि उसके दिरहम रोक ले, हाँ अगर दिरहम ही हो तो अपनी रक़म के मुवाफिक़ रख सकता है।

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ العَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

39 - इस्तेमाल के लिए वक़्ती तौर पर ली गई चीज़ को वापस किया जाए.

1265 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ.

1265 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने नबी करीम(ﷺ) से हज्जतुल विदा के साल खुत्बा में इरशाद फ़रमाते हुए सुना: "इस्तेमाल के लिए उधार ली गई चीज़ को वापस करना ज़रूरी है, (ज़मानत वाली चीज़ देने का) ज़िम्मेदार है और कर्ज़ को अदा किया जाना ज़रूरी है। "

सहीह: अबू दाऊद: 3565.इब्ने माजा: 2295.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में समुरा, सफवान बिन उमय्या और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज फ़रमाते हैं अबू उमामा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है और इसके अलावा एक और सनद से भी बवास्ता अबू उमामा (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से मर्वी है।

1266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

1266 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करिम(ﷺ) ने फ़रमाया, "हाथ ने जो

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

चीज़ ली है जब तक वापस न कर दे उसके ज़िम्मा रहती है।" क़तादा कहते हैं: फिर हसन भूल गए तो उन्होंने कहा: जिसे तुमने आरियतन कोई चीज़ दी है) वह तुम्हारा अमीन है उस पर ज़मान लाजिम नहीं आएगा। यानी आरियतन ली हुई चीज़ का।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3561. इब्ने माजा: 2400.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी के मुताबिक़ मज़हब रखते हुए कहते हैं: आरियतन लेने वाला उसका जामिन होगा। शाफ़ेई और अहमद भी इसी के कायल हैं। जबकि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं: इस्तेमाल के लिए लेने वाला जामिन नहीं होगा। हाँ अगर वह इस्तेमाल करने के तरीक़े में मालिक की मुखालिफत करे तब जामिन होगा। यह कौल सौरी अहले कूफा और इस्हाक़ का है।

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِحْتِكَارِ

40 - जखीरा अन्दोज़ी करना.

1267 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ.

1267 - सय्यदना मामर बिन अब्दुल्लाह बिन नज्ला (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "गुनाहगार[1] ही ज़खीरा अन्दोज़ी करता है।" मोहम्मद बिन इब्राहीम कहते हैं:) मैंने सईद से कहा ऐ अबू मोहम्मद! आप भी तो ज़खीरा अन्दोज़ी करते हैं? उन्होंने कहा: मामर (ﷺ) भी ज़खीरा अन्दोज़ी करते थे। और सईद बिन मुसय्यब से मर्वी है कि वह तेल और चाय वगैरह को ज़खीरह करते थे।

मुस्लिम: 1605. अबू दाऊद:3447. इब्ने माजा: 2154.

तौज़ीह: (1) अनाज और आम इस्तेमाल वाली अश्या (चीज़ो) की जब मार्केट में किल्लत हो या क़हत वग़ैरह का दौर हो उस वक़्त ज़खीराअन्दोज़ी हराम है और नीयत भी यह हो कि उसे मंहगे दामों में फ़रोख्त

किया जाए, लेकिन अगर ऐसी सूरतेहाल न हो तो फिर तिजारत की ग़रज़ से स्टोक कर लेना जायज़ है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, अली, अबू उमामा और इब्ने उमर (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है। और मामर (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है। नीज अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए खाने वाली अश्या की ज़खीरा अन्दोज़ी को मकरूह कहते हैं जबकि बाक़ी अश्या की ज़खीरा अन्दोज़ी में इजाज़त देते हैं। इब्ने मुबारक कहते हैं: रोटी और चमड़े वग़ैरह की ज़खीरा अन्दोज़ी में कोई हर्ज नहीं है।

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحَفَّلاَتِ

41 - दूध रोके जानवर को बेचना या ख़रीदना.

1268 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.

1268 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, "बाज़ार पहुँचने से पहले तिजारती काफिले से न मिलो, जानवरों का दूध न रोको और किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की क़ीमत में इजाफा न करो।"

हसन: मुसनद अहमद: 1/256. अबू याला:2345.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने मसऊद और अबू हुरैरा (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है और इब्ने अब्बास (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है नीज अहले इल्म का इसी पर अमल है। वह भी दूध रोके गए जानवर को बेचना मकरूह कहते हैं। इसे मुसर्रात भी कहा जाता है। यह वह जानवर है जिसका मालिक कुछ दिन तक दूध न निकाले ताकि उसके थानों में दूध जमा हो जाए और ख़रीदने वाला धोके में आ जाए। नीज यह धोके और फ़रेब की क़िस्म है।

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

42 - झूठी क़सम के ज़रिए किसी मुसलमान का माल ग़सब करना.

1269 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ،

1269 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने ऐसी बात पर क़सम उठाई जिसमें वह

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللَّهِ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، قُلْتُ: لاَ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

झूठा है ताकि किसी मुसलमान आदमी का माल हड़प कर ले वह अल्लाह से जब मिलेगा तो अल्लाह उस पर गुस्से की हालत में होगा।" यह सुनकर अशअस बिन कैस ने कहा: "अल्लाह की क़सम! यह हदीस मेरे बारे में इरशाद फ़रमायी गई थी। मेरी और एक यहूदी की इकट्ठी ज़मीन थी। उस ने मेरे हक़ का इनकार किया तो मैं उसे नबी करीम(ﷺ) के पास ले गया, अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे पास कोई दलील है?" मैंने कहा: नहीं" आप ने यहूदी से फ़रमाया, "तुम क़सम उठाओ" मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो क़सम उठा कर मेरा माल ले जाएगा, तो अल्लाह तआला ने यह आयत आखिर तक नाजिल फ़रमा दी:" बेशक वह लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के बदले थोड़ी क़ीमत ख़रीदते हैं।" (आले इमरान: 77)

बुख़ारी: 2357. मुस्लिम: 138. अबू दाऊद: 3243. इब्ने माजा: 2323.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में वाइल बिन हुज्र, अबू मूसा, अबू उमामा बिन सालबा अंसारी और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

43 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ

43 - जब ख़रीदने और बेचने वाले में इख़्तिलाफ़ हो जाए.

1270 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ

1270 - इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों आदमियों का

ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.

इख़्तिलाफ़ हो जाए तो बेचने वाले की बात मोतबर होगी और ख़रीदने वाले को इख़्तियार होगा। "

सहीह: अबू दाऊद: 3511. निसाई: 4648.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है। अवान बिन अब्दुल्लाह ने इब्ने मसऊद को नहीं पाया। नीज बवास्ता कासिम बिन अब्दुर्रहमान इब्ने मसऊद से इस हदीस को इसी तरह बयान किया लेकिन वह भी मुर्सल है।

इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने अहमद से कहा: जब ख़रीदने और बेचने वाले का इख़्तिलाफ़ हो जाए और दलील भी न हो, तो फिर? उन्होंने फ़रमाया, बात सामान के मालिक की ही मोतबर होगी या उस चीज़ को वापस कर लें। इस्हाक़ (رحمه الله) भी ऐसे ही कहते हैं: और हर वह आदमी जिसका कौल मोतबर हो उस से क़सम ली जाएगी।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ताबेईन से भी ऐसे ही मर्वी है जिनमें शुरैह भी हैं।

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

44 - ज़ायद पानी को फ़रोख्त करना.

1271 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

1271 - सय्यदना इयास बिन अब्द अल मुज़नी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने ज़ायद पानी को बेचने से मना किया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3478. इब्ने माजा: 2476. निसाई: 4663, 4661.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर व बहीसा की अपने बाप से, अबू हुरैरा, आयशा, अनस और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इयास बिन अब्द अल मुज़नी (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए पानी बेचने से मना करते हैं। यह कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा पानी को बेचने की रूख़सत देते हैं जिनमें हसन बसरी भी हैं।

1272 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

1272 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "ज़ायद

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ.

पानी को न रोका जाए इसलिए कि इसकी वजह से घास भी रुक जाए।"

बुख़ारी: 2353. मुस्लिम: 1566. अबू दाऊद: 3473. इब्ने माजा: 2478.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू मिन्हाल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुतइम कूफी है। हबीब बिन साबित इसी से रिवायत करते हैं और अबू मिन्हाल सय्यार बिन सलामा बसरी हैं। यह अबू बर्जा अल अस्लमी (رضي الله عنه) के शागिर्द हैं।

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الفَحْلِ

45 - नर जानवर को मादा जानवर पर छोड़ने की उज्रत लेना मकरूह है.

1273 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ.

1273 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने नर सांड (को मादा पर छोड़ने) की उज्रत लेने से मना किया है।

बुख़ारी: 2284. अबू दाऊद: 4329. निसाई: 4671.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और अबू सईद (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। जबकि एक जमात ने इनाम वगैरह लेने की इजाज़त दी है।

1274 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ

1274 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि किलाब कबीले के एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से नर जानवर की उज्रत लेने के बारे में सवाल किया तो आप ने उसे मना कर दिया। उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सांड को (मादा जानवर पर) छोड़ते हैं तो हमें

الفَحْلِ؟ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ.

कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है। आप(ﷺ) ने इनाम क़ुबूल करने की रूख़्सत दे दी।

सहीह: निसाई: 4672.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ बवास्ता इब्राहीम बिन हुमैद ही हिशाम बिन उर्वा से जानते हैं।

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الكَلْبِ

46 - कुत्ते की क़ीमत.

1275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ.

1275 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज(رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सींगी लगाने वाले की कमाई नापाक है, जानिया औरत का ख़र्च नापाक है और कुत्ते की क़ीमत नापाक है।"

मुस्लिम: 1568. अबू दाऊद: 3421.

तौज़ीह: (1) नापाक से मुराद हराम है। लेकिन सींगी लगाने की उज्रत लेने की इजाज़त दी गई है जैसा कि अन करीब आएगा।

वज़ाहत: इस मसले में उमर। अली, इब्ने मसऊद, अबू मसऊद, जाबिर, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कुत्ते की क़ीमत को मकरूह कहते हैं। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा शिकारी कुत्ते की क़ीमत लेने की रूख़्सत देते हैं।

1276 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (ح) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ.

1276 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, जानिया की कमाई और काहिन की मिठाई से मना किया है।

मुस्लिम: 1568. अबू दाऊद: 3421. निसाई: 2494.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

47 - सींगी लगाने वाले की कमाई.

1277 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ ال حَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ.

1277 - बनू हारिस के इब्ने मुहय्यिसा अपने बाप (सय्यदना मुहय्यिसा رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम(ﷺ) से सींगी लगाने की उजरत लेने की इजाज़त मांगी तो आप(ﷺ) ने उसे इस काम से मना कर दिया, वह आप से पूछते और इजाज़त मांगते रहे यहाँ तक कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "इस रक़म का चारा लेकर अपने ऊँट को खिला दे और अपने गुलाम को खाना खिला दे।"

सहीह: अबू दाऊद: 3422. इब्ने माजा: 2166.

वज़ाहत: इस मसले में राफे बिन ख़दीज, अबू जुहैफा, जाबिर और साइब बिन यज़ीद (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुहय्यिसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है।

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: अगर सींगी लगाने वाला मुझसे पूछे तो इस हदीस की वजह से मैं उसे रोक दूं।

48 - सींगी लगाने वाले को उज्रत लेने की इजाज़त है.

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

1278 - हुमैद (رحمه الله) कहते हैं कि अनस (رضي الله عنه) से सींगी लगाने वाले की कमाई के बारे में पूछा गया तो अनस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी सींगी लगवाई थी। आप ने उसे अनाज वगैरह के दो साअ (तकरीबन 5 किलो ग्राम) देने का हुक्म दिया था और उसके मालिकों से बात की थी तो उन्होंने इसका खराज कम कर दिया था। और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिन चीजों से तुम इलाज करते उन में सब से अफज़ल हिजामा[1] सींगी लगाना है या फ़रमाया, तुम्हारा सब से बेहतर इलाज हिजामा है।

बुख़ारी: 5696.मुस्लिम: 1577. अबू दाऊद:3424. इब्ने माजा:2164.

1278 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الحِجَامَةَ.

तौज़ीह: (1) हिजामा: जिस्म के बीमारी से मुतास्सिरा हिस्से (प्रभावित अंग) से खून निकालने को हिजामा कहा जाता है इसे सींगी और पछने का नाम भी दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इस को Cupping कहते हैं। यह मसनून इलाज है। आप(ﷺ) ने ख़ुद भी हिजामा लगवाया आप की अज्वाजे मुतह्हरात ने भी आप(ﷺ) ने उम्मत को तरगीब भी दी। अल्लाह का शुक्र है जदीद साइंस भी इस तरीक़-ए-इलाज को बेहतरीन करार देती है।

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से भी बाज़ (कुछ) उलमा हिजामा करने वाले की मजदूरी या कमाई की रूख़्सत देते हैं। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का भी यही कौल है।

49 - कुत्ते और बिल्ले की क़ीमत लेना और इस्तेमाल करना मना है.

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

1279 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुत्ते और बिल्ले[1] की क़ीमत लेने से मना किया है।

मुस्लिम: 1569. अबू दाऊद: 3479. निसाई: 4295.

1279 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

(1) السِّنَّوْر: इस से मुराद बिल्ला है इसकी जमा سنانير और मुअन्नस سنوره आती है। देखिये: (मोजमुल वसीत:पृ. 537) नीज बिल्ली भी इसी हुक्म में आती है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में कलाम है और बिल्ली की क़ीमत में यह रिवायत सहीह नहीं है। नीज यह रिवायत आमश से उनके किसी साथी के तवस्सुत से भी जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है और मुहद्दिसीन आमश की इस रिवायत को मुज़्तरिब कहते हैं।

उलमा की एक जमात बिल्ले की क़ीमत को मकरूह कहती है और बाज़ (कुछ) इस में रूख़्सत देते हैं। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

इब्ने फ़ज़ल ने आमश से बवास्ता अबू हाजिम, अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इसके अलावा भी एक हदीस नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है।

1280 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बिल्ला खाने और उसकी क़ीमत लेने से मना किया है।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3250. अब्दुर्रज्जाक़: 87 49. अबू दाऊद:3480.

1280 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الهِرِّ وَثَمَنِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुर्रज्जाक के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने उमर बिन ज़ैद से रिवायत की हो।

50 - शिकारी कुत्ते की क़ीमत लेने की रुख़्सत.

50- بَابٌ الرخصة في ثمن كلب الصيد.

1281 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि (नबी करीम ﷺ ने) शिकारी कुत्ते के सिवा कुत्ते की क़ीमत से मना किया।

हसन: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 2971.

1281 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस सहीह नहीं है और अबू मह्ज़म का नाम यज़ीद बिन सुफ़ियान है। शोबा बिन हज्जाज ने इस पर जरह करते हुए इसे ज़ईफ़ कहा है। नीज जाबिर (ﷺ) से नबी करीम(ﷺ) की एक और ऐसी ही हदीस मर्वी है लेकिन इसकी सनद भी सहीह नहीं है।

51 - गाने वाली लौंडियों की ख़रीदो फ़रोख़्त मना है.

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

1282 - सय्यदना अबू उमामा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "गाने वाली[1] लौंडियों को ना बेचो, न ख़रीदो और न ही उन्हें गाना सिखाओ, उनकी तिजारत करने में कोई भलाई नहीं है और उनकी क़ीमत भी हराम है। ऐसे ही कामों के बारे में यह आयत नाजिल हुई है: "कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल तमाशे की बात को ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें। (लुकमान:6)

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2168. मुसनद अहमद: 5/252.

1282 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

तौज़ीह: القينة : लौंडी, बांदी, कारीगर हो या न हो उसका ज़्यादा इस्तेमाल मुग़्रिया (गाने वाली) पर होता

है। नीज मेकअप करने वाली औरत भी القينة ही कहा जाता है। देखिये: (मोजमुल वसीत: पृ. 931)

वज़ाहत: इस मसले में उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू उमामा (رضي الله عنه) की ऐसी हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने अली बिन यज़ीद पर जरह करते हुए उसे ज़ईफ़ कहा है। यह शाम का रहने वाला था।

52 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

52 - गुलामों को फ़रोख्त करते वक़्त दो भाइयों या मां और औलाद को जुदा करना मना है.

1283 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

1283 - अबू अय्यूब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जो शख़्स मां और उसकी औलाद में जुदाई करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उस के और उसके महबूब के दर्मियान जुदाई डाल देगा।"

हसन: मुसनद अहमद: 5/412. दारमी: 2482.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1284 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ.

1284 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे दो गुलाम भाई तोहफ़े में दिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे पूछा: "ऐ अली! तुम्हारा गुलाम कहाँ गया?" मैंने आपको बताया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2249. मुसनद अहमद: 1/102.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज नबी करीम(ﷺ) के

सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा फ़रोख्त करते वक़्त कैदियों के दर्मियान जुदाई करने को मकरूह कहते हैं।

जबकि कुछ उलमा ने दारुल इस्लाम में पैदा होने वाले गुलाम, बच्चों के दर्मियान तफ़रीक़ करने की रुख़सत दी है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। इब्राहीम नखई से मर्वी है कि उन्होंने मां और उसके बच्चे को अलग-अलग बेच दिया था। उनसे इसके बारे में पूछा गया तो कहने लगे: मैंने उस से इस काम की इजाज़त ली थी तो वह राजी हो गई।

53 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

53 - एक शख़्स गुलाम ख़रीद कर उसकी कमाई भी इस्तेमाल करे फिर उसमें कोई ऐब नज़र आ जाए.

1285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

1285 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फैसला दिया कि कमाई खाने का ताल्लुक़ ज़मानत (वाले) के साथ है।

1285) हसन: अबू दाऊद : 3508 इब्ने माजा: 2242 निसाई: 4490

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस एक और सनद से भी मर्वी है और उलमा का इसी पर अमल है।

1286 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

1286 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फैसला दिया कि कमाई खाने का ताल्लुक़ ज़मानत वाले के साथ है।

हसन: पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत: यह हदीस भी हसन सहीह है और हिशाम बिन उर्वा की सनद से ग़रीब है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुस्लिम बिन ख़ालिद अज़-ज़ंजी ने इस हदीस को हिशाम

बिन उर्वा से रिवायत किया है। इसी तरह जरीर ने भी हिशाम से रिवायत किया है और जरीर की रिवायत को मुदल्लस कहा गया है। इस में जरीर ने तद्लीस की है क्योंकि उसे हिशाम बिन उर्वा से सिमा (सुनना) नहीं किया।

: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ की तफ़सीर यह है कि एक आदमी कोई गुलाम ख़रीदे, उस से कमाई करवाए, फिर उस में कोई ऐब नज़र आए तो अगर वह बेचने वाले को वापस करता है तो उसकी कमाई ख़रीदने वाले की होगी, क्योंकि अगर वह गुलाम मर जाता तो ख़रीदने वाले के माल से मरना था, ऐसे ही मसाइल में नफ़ा का ताल्लुक़ ज़मानत के साथ होता है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: मोहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी رحمه الله) ने भी इस हदीस को उमर बिन अली की सनद से ग़रीब कहा है। मैंने कहा: आप इसको मुदल्लस समझते हैं? उन्होंने कहा: नहीं।

54 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

54 - राह चलते आदमी को रास्ते में किसी बाग़ से फल खाने की इजाज़त है.

1287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً.

1287 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स बाग़ में जाए तो फल खा ले और कपड़े[1] में जमा करके न ले जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 2301. बैहक़ी: 9/359.

तौज़ीह: خُبْنَةً : हर वह चीज़ जो इंसान गोद या बगल में छिपा कर ले जाए। (मोजमुल वसीत: पृ. 256)

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अब्बाद बिन शुरहबील, राफे बिन अम्र, उमैर मौला आबिल लहम और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ यह्या बिन सुलैम की सनद से ही जानते हैं।

नीज बाज़ (कुछ) उलमा मुसाफिर को फल खाने की इजाज़त देते हैं और बाज़ (कुछ) कहते हैं: क़ीमत के बग़ैर खाना मकरूह है।

1288 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْجُوعُ، قَالَ: لاَ تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ.

1288 - सय्यदना राफे बिन अम्र (رضي الله عنه) कहते हैं: मैं अंसार की खुजूरों को पत्थर मारा करता था तो उन्होंने मुझे पकड़ा, नबी करीम(ﷺ) के पास ले गए, आप ने फ़रमाया, "ऐ राफे! उनकी खुजूरों को पत्थर क्यों मारते हो?" मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! भूक की वजह से। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "पत्थर न मारो। जो ख़ुद बख़ुद गिर जाए उसे खा लिया करो, अल्लाह तआला तुझे सैर और आसूदा करे।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2622. इब्ने माजा: 229.

यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

1289 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

1289 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा(सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) से लटकती हुई [1] खुजूरों के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो ज़रूरतमन्द उसको खाले और दामन भर के न ले जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं।"

हसन: अबू दाऊद: 1710. इब्ने माजा: 2596. निसाई: 4958.

तौज़ीह: लटकती हुई खुजूरों से मुराद दरख़्तों पर लगी हुई या सुखाने के लिए लटकाई गयीं खुजूरें हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

55 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا

55 - बै (सौदे) में किसी चीज़ की इस्तिस्ना करना मना है.

1290 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

1290 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना,

سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا، إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ.

मुख़ाबरा और सुनिया की बै से मना किया, सुनिया को मालूम करवाया जाए तो जायज़ है।(1)

बुख़ारी: 2381. मुस्लिम: 1536. अबू दाऊद: 3404. इब्ने माजा: 2266. निसाई: 3879.

तौज़ीह: (1) मुहाक़ला और मुज़ाबना की तारीफ़ हदीस नम्बर 1224 की वज़ाहत में गुज़र चुकी है मुखाबरा भी मुहाक़ला को ही कहा जाता है और सुनिया का मानी है: इस्तिस्ना करना, यानी एक आदमी दुसरे को कहे कि एक मन (चालीस सेर) गंदुम मैं तुम्हें फ़रोख्त कर रहा हूँ लेकिन इस में से "कुछ" मेरी है। यह जायज़ नहीं। अगर यह कह दे कि इस में से पांच किलो ग्राम मेरी है तो जायज़ है मालूम करवाने का यही मतलब है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। यानी यूनुस बिन उबैद की बवास्ता अता जाबिर (رضي الله عنه) से बयान कर्दा सनद के साथ।

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

56 - गल्ले को कब्जे में लेने से पहले आगे फ़रोख्त करना मना है.

1291 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

1291 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "जो शख़्स गल्ला खरीदे उसे अपने कब्जा में करने से पहले आगे न बेचे। "इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मैं तमाम चीजों को ऐसे ही समझता हूँ।''

बुख़ारी: 2132. मुस्लिम: 1525. अबू दाऊद: 3496. इब्ने माजा: 2227. निसाई: 4597.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, इब्ने उमर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه)की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। वह भी ख़रीदने वाले को क़ब्ज़े में लेने से पहले गल्ला बेचने से मना करते हैं। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा रूख़सत देते हैं कि अगर कोई शख़्स ऐसी चीज़ खरीदे जिसे मापा या तौला

नहीं जाता और न ही वह खाने पीने वाली चीज़ है तो उसे कब्जे में लेने से पहले बेचा जा सकता है। उलमा के नज़दीक सख़्ती अनाज और गल्ले वग़ैरह में ही है। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी है।

57 - अपने भाई के लगाये हुए भाव पर किसी चीज का भाव लगाना मना है.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

1292 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई शख़्स एक दुसरे की बै (सौदे) पर बै (सौदा) न करे और न तुम में से किसी दूसरे के पैगामे निकाह पर अपना पैगाम भेजे।"

बुख़ारी: 2139. मुस्लिम: 1412. अबू दाऊद: 2081. इब्ने माजा: 1868. निसाई: 3238.

1292 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और समुरा (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी करीम(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप ने फ़रमाया: "कोई शख़्स अपने भाई की लगाई हुई क़ीमत पर (बढ़ा कर) उस चीज़ की क़ीमत न लगाए।" और नबी करीम(ﷺ) से साबित इस हदीस का मानी उलमा के नज़दीक भाव (रेट) लगाना ही है।

58 - शराब की ख़रीदो फ़रोख्त की मुमानअत (मनाही)

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

1293 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अबू तल्हा (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने अपनी परवरिश में रहने वाले यतीमों के लिए शराब ख़रीदी थी। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "शराब को बहा दो और मटके तोड़ दो।"

हसन: अबू दाऊद: 3675. दारे कुतनी: 4/265.

1293 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، قَالَ: أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, आयशा, इब्ने मसऊद, इब्ने उमर और अनस (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू तल्हा (رضي الله) की हदीस को सौरी ने सुद्दी से बवास्ता यह्या बिन अब्बास, अनस, (رضي الله) से इस तरह रिवायत किया है कि अबू तल्हा के पास शराब थी और यह लैस की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

59 - शराब को सिर्का बनाना मना है.

59 بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًّا

1294 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله) कहते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया गया कि किया शराब को सिर्का बनाया जा सकता है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, नहीं।"

मुस्लिम: 1983. अबू दाऊद: 3675.

1294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُتَّخَذُ الخَمْرُ خَلًّا؟ قَالَ: لاَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1295 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शराब की वजह से दस आदमियों पर लानत की: "बनाने वाले, बनवाने वाले, पीने वाले, उठाने वाले, जिसकी तरफ़ ले जायी जा रही है, पिलाने वाले, बेचने वाले, उसकी क़ीमत खाने वाले, उसे ख़रीदने वाले और जिसके लिए ख़रीदी जा रही है, उन सब पर।"

हसन सहीह: इब्ने माजा: 3381.

1295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज यह हदीस इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद, और उमर (رضي الله) से नबी करीम(ﷺ) से भी मर्वी है।

60 - मालिकों की इजाज़त के बगैर मवेशियों का दूध दुहना मना है.

60 بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ

1296 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلاَ يَحْمِلْ.

1296 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई शख़्स मवेशियों के रेवड़ में जाए तो वहाँ अगर उनका मालिक हो तो उस से इजाज़त मांगे, अगर उसे इजाज़त दे दे तो दूध निकाल कर पी ले और अगर वहाँ कोई भी न हो तो वह तीन बार आवाज़ दे अगर कोई शख्स जवाब दे तो उस से इजाज़त ले ले और अगर कोई जवाब न दे तो दूध निकाल कर पी ले और उठा कर साथ न ले जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 2619. बैहक़ी: 9/359.

वज़ाहत: इस मसले में उमर और अबू सईद (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) की हदीस ग़रीब सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं। अली बिन मदीनी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हसन का समुरा (ﷺ) से सिमा (सुनना) सहीह है। जबकि बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने हसन की समुरा (ﷺ) से बयान कर्दा रिवायत में जरह की है। वह कहते हैं कि यह समुरा (ﷺ) के सहीफे से हदीस बयान करते हैं।

61 - मुर्दार की खाल और बुतों को बेचना.

61 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

1297 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ

1297 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने फतहे मक्का के साल मक्का में रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : "बेशक अल्लाह तआला और उसके

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: لاَ هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

रसूल ने शराब, मुर्दार, खिन्ज़ीर और बुतों की ख़रीदो फ़रोख्त हराम कर दी है। कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी के बारे में बतलाइये? क्योंकि इसके साथ कश्तियों की लकड़ी को खुशनुमा[1] बनाया जाता है चमड़ों पर लगायी जाती है और लोग इस से चिराग़ जलाते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "नहीं यह हराम है।" फिर उस वक़्त रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला यहूदियों को तबाह करे! अल्लाह ने उन पर चर्बी हराम की थी उन्होंने उसे पिघलाया फिर उसे बेचा और उसकी क़ीमत खाई।"

बुख़ारी: 2236. मुस्लिम: 1581. अबू दाऊद: 3486. इब्ने माजा: 4256.

तौज़ीह: يطلي : का मानी है बतौर तेल इस्तेमाल करना और हर चमकाने वाले और खुशनुमा बनाने वाले माद्दे को यतला कहा जाता है देखिये: (मोजमुल वसीत: पृ. 665)

वज़ाहत: इस मसले में उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

62 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ

62 - कोई चीज़ हिबा कर के वापस लेना मना है.

1298 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ

1298 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है[1] अपने हिबा में लौटने वाले कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै में लौटता है।"

बुख़ारी: 2589. मुस्लिम: 1622. अबू दाऊद: 3538.

لَنَا مَثَلُ السُّوءِ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

इब्ने माजा: 2385. निसाई: 3690.

तौज़ीह: (1) यानी हमें अहले इस्लाम को वह काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बुरी मिसाल या कहावत बने जैसे कुत्ता क़ै कर के चाट लेता है इसी तरह कोई चीज़ देकर वापस ले लेना है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله) भी रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है कि वह तोहफा दे कर वापस ले सिवाए वालिद के, (वह उस चीज़ को वापस ले सकता है) जो उसने अपनी औलाद को दी थी।

1299 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الحَدِيثِ.

1299 - अम्र बिन शोऐब कहते हैं उन्होंने ताऊस को सुना वह इब्ने उमर से नबी करीम(ﷺ) की यही हदीस मर्फू बयान करते थे।

अबू दाऊद: 3539 इब्ने माजा: 2377 निसाई: 3690।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़्स किसी महरम रिश्तेदार को कोई चीज़ तोहफ़ा दे तो उसे अपनी हिबा की हुई चीज़ लेना जायज़ नहीं है और जो शख़्स किसी ग़ैर महरम रिश्तेदार को तोहफ़ा दे तो अगर उसने जवाबन तोहफा नहीं लिया तो उसे वापस ले सकता है। सौरी का भी यही कौल है।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते है: वालिद को अपनी औलाद को दिए हुए अतिय्ये के अलावा किसी शख़्स के लिए तोहफा वापस लेना जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله) की नबी करीम(ﷺ) से रिवायत कर्दा हदीस से दलील ली है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वालिद के अपनी औलाद को दिए हुए तोहफ़े के अलावा किसी के लिये हलाल नहीं है कि वह अपने तोहफा को वापस ले।"

63 - बै अराया (अराया के सौदे) की तारीफ़ और उसकी इजाज़त.

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

1300 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना की बै से मना फ़रमाया। मगर आप ने अराया(1) वालों को इजाज़त दी है कि वह अंदाज़े के मुताबिक़ फ़रोख्त कर दे।

सहीह: मुसनद अहमद: 5/185. इब्ने अबी शैबा: 7/131.

1300 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لأَهْلِ العَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

तौज़ीह (1) अराया का मतलब है अलग करना। इस्तिलाह में इस से मुराद है कि एक आदमी अपने बाग़ में से चंद दरख्तों का फल किसी मिस्कीन को दे देता है और वह मिस्कीन उन दरख्तों की देख भाल के लिए बाग़ में आता जाता है जिससे बाग़ के मालिक को दिक्क़त महसूस होती है तो वह उसे कह देता है कि उन दरख्तों के फल का अंदाजा लगा लो, मुझसे इतना फल ले लेना और बाग़ में आने जाने से गुरेज़ करो तो यह जायज़ है। हालांकि फल पकने से पहले बै करना मना है। याद रहे कि बै अराया में भी सिर्फ़ पांच वस्क तक इजाज़त दी गई है। इसकी वज़ाहत अगली हदीस में आ रही है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन साबित की इस हदीस को मोहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी इसी तरह रिवायत किया है। जबकि अय्यूब, उबैदुल्लाह बिन अम्र और मालिक बिन अनस ने बवास्ता नाफ़े अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी करीम(ﷺ) ने मुहाक़ला और मुजाबना से मना फ़रमाया है। और इसी सनद के साथ बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने पांच वसक(1) से कम के अन्दर बै अराया की रूख्सत दी है। और यह मोहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

तौज़ीह: (1) एक वसक साठ साअ का होता है और साअ का वज़न अढ़ाई किलोग्राम होता है। इस तरह पांच वसक का वज़न 750 किलोग्राम या 18 मन और तीस किलोग्राम बनता है।

1301 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ كَذَا.

1301 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पांच वसक से कम या इतनी ही मिक़्दार में बै अराया की इजाज़त दी है।

बुख़ारी: 2190. मुस्लिम: 1541. अबू दाऊद: 3364.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें कुतैबा ने बवास्ता मालिक, दाऊद बिन हुसैन से इसी तरह रिवायत की है। नीज यह हदीस इमाम मालिक से (मुर्सलन) भी मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने पांच वसक या इस से कम में बै अराया की इजाज़त दी है।

1302 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا.

1302 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अराया को उसके अंदाज़े के साथ बेचने की रूख़सत दी है।

बुख़ारी: 2173. मुस्लिम: 1539. इब्ने माजा: 2269. निसाई: 4538.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस भी हसन सहीह है। नीज बाज़ (कुछ) उलमा: जिन में इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि नबी करीम(ﷺ) की तरफ़ से मना की गयी मुहाक़ला व मुज़ाबना जैसी तमाम बुयू में से बै अराया मुस्तस्ना है और उन्होंने ज़ैद बिन साबित और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस से दलील ली है। वह कहते हैं: पांच वसक से कम मिक़्दार में ख़रीदना जायज़ है। बाज़ (कुछ) उलमा के नज़दीक इस का मतलब यह है कि नबी करीम(ﷺ) ने इस मामले में उन्हें आसानी देने का इरादा किया, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि सिवाए खुश्क खुजूरों के हमारे पास ताज़ा फल ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है। तो आप ने पांच वसक से कम में इजाज़त दे दी कि वह (खुश्क खुजूरों के बदले ताज़ा खुजूरें) ख़रीद लें और ताज़ा खुजूरें खा लें।

64 - इसी मस्अला से मुताल्लिक़ बाब.

64 بَابٌ مِنْهُ

1303 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज और सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने मुज़ाबना यानी ताज़ा खुजूरों की खुश्क खुजूरों के एवज बै करने से मना किया लेकिन अराया वालों को इजाज़त दी है। और अंगूर की मुनक्का[1] के एवज और तमाम फलों के अंदाज़े के साथ ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है।

बुख़ारी: 2384. मुस्लिम: 1540. अबू दाऊद: 2363. निसाई: 3886.

1303 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ لأَصْحَابِ العَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

तौज़ीह: الزَّبِيب : खुश्क अंगूर मुनक्का, किशमिश, सोगी यह तमाम मानी किए जा सकते हैं। (मोजमुल वसीत: पृ. 459)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

65 - ख़रीदो फ़रोख्त में बोली बढ़ाना मना है

65 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ فِي البُيُوعِ

1304 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "बोली न बढ़ाओ।"

बुख़ारी: 2140. मुस्लिम: 1413. इब्ने माजा:2174. निसाई: 3239.

1304 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَنَاجَشُوا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और अनस (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी

पर अमल करते हुए बोली बढ़ाने को मकरूह कहते हैं। बोली बढ़ाने का मतलब यह है कि चीजों की महारत रखने वाला एक आदमी उस चीज़ के मालिक के पास आकर असल से ज़्यादा क़ीमत लगा दे और यह काम ख़रीदार की मौजूदगी में करे ताकि ख़रीदने वाला धोके में आ जाए हालांकि वह ख़ुद नहीं ख़रीदना चाहता वह तो ख़रीददार को क़ीमत में धोका देना चाहता है और यह धोके की एक क़िस्म है।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर कोई शख़्स बोली बढ़ाता है तो उसमें वह बोली लगाने वाला गुनाहगार है बै जायज़ होगी क्योंकि बेचने वाला बोली नहीं बढ़ा रहा।

66 - तौलते वक़्त तराज़ू को झुकता रखना.

66 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

1305 - सय्यदना सुवैद बिन कैस (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं और मख़रमा अब्दी (رضي الله عنه) हजर शहर से कपड़ा ले कर आए तो हमारे पास नबी करीम(ﷺ) तशरीफ़ लाये और हम से एक शलवार की क़ीमत तै की, मेरे पास एक वज़न करने वाला था जो उजरत पर वज़न करता था तो नबी करीम(ﷺ) ने वज़न करने वाले आदमी से फ़रमाया, "तौलो और तराज़ू को झुकता रखो।"

1305 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأُجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ.

सहीह: अबू दाऊद: 3336. इब्ने माजा: 2220. निसाई: 4592.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुवैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म वज़न करते वक़्त तराज़ू झुकाने को मुस्तहब कहते हैं।

नीज शोबा ने इस हदीस को सिमाक से रिवायत करते वक़्त अबू सफवान का भी ज़िक्र किया है।

67 - तंगदस्त मक़रूज़ को मोहलत देना और उसके साथ नरमी करना.

67 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

1306 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो

1306 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.

शख़्स तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देता है या क़र्ज़ माफ़ कर देता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन सिर्फ़ उसी का साया होगा।"

सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 359.

वज़ाहत: इस मसले में अबू युस्र, क़तादा, हुज़ैफा, अबू मसऊद, उबादा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह है।

1307 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ:

1307 - सय्यदना अबू मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम से पहले लोगों में एक आदमी का (अल्लाह के यहाँ) हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी न मिली सिवाए इस के कि वह मालदार आदमी था और लोगों से लेन देन करता था तो अपने मुलाज़िमों को हुक्म देता कि तंगदस्त से दरगुज़र करना। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, यह काम करने के हम तुम से ज़्यादा हक़दार हैं (फरिश्तों!) इसे छोड़ दो।

68 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ

68 - मालदार का (क़र्ज़ की वापसी में) टाल मटोल करना ज़ुल्म है.

1308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

1308 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "मालदार का (बिला वजह क़र्ज़ की वापसी में) ताखीर करना ज़ुल्म है। और तुम में से जब किसी शख़्स को मालदार के पीछे लगाया जाए

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

तो वह पीछे लग जाए।"[1]

बुख़ारी: 2287. मुस्लिम: 1564. अबू दाऊद: 3345. इब्ने माजा: 2403. निसाई: 4688.

तौज़ीह: शरीअत में इसे हवाला कहा जाता है। इसका मतलब यह है अगर मकरूज़ आदमी अपने क़र्ज़ ख्वाह से कहे कि मुझे तुम्हारी जो रक़म देनी है वह फुलां शख़्स से ले लो, तो उसे यह बात मान कर उसी शख़्स से तकाजा करना चाहिए।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और शरीद बिन सुवैद सक्फी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1309 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (1)

1309 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "मालदार का टालमटोल से काम लेना ज़ुल्म है और जब तुम्हें किसी मालदार के हवाले किया जाए तो उसके पीछे चलो और एक बै (सौदे) में दो बै(सौदे) की शर्त न करो।"

सहीह: इब्ने माजा: 2404.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और "जब तुम्हें किसी मालदार के हवाले किया जाए तो उसके पीछे जाओ" के मफहूम में बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि जब किसी आदमी का हवाला किसी मालदार पर कर दिया जाए तो हवाला करने वाला बरी उज़्ज़िम्मा होगा और लेने वाला उसकी तरफ़ रुजू नहीं कर सकता। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: अगर महाल अलै के मुफ्लिस हो जाने की वजह से क़र्ज़ ख्वाह का माल हलाक हो जाए तो वह पहले शख़्स से मुतालबा कर सकता है। उन्होंने सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) वगैरह के कौल से दलील ली है वह कहते हैं कि मुसलमान का माल ज़ाया होने के लायक़ नहीं। इस्हाक़ फ़रमाते हैं: मुसलमान का माल हलाक के लायक़ नहीं का मतलब यह है कि जब एक आदमी का दूसरे पर हवाला कर दिया जाए और वह भी उसे मालदार खयाल करता हो फिर पता चला कि यह भी मुफ्लिस है तो फिर भी मुसलमान का माल ज़ाया नहीं होगा। (यानी वह अपने क़र्ज़ का ताकाज़ा पहले आदमी से कर सकता है।)

69 - मुनाबज़ा और मुलामसा की बै (सौदा)

69 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

1310 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुनाबज़ा और मुलामसा की बै से मना फ़रमाया है। "

बुख़ारी: 2146. मुस्लिम: 1511. इब्ने माजा: 2169. निसाई: 4509.

1310 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और इब्ने उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज इस हदीस का मतलब यह है कि कोई शख़्स कहे: जब मैं तुम्हारी तरफ़ कोई चीज़ फ़ेंक दूं तो मेरे और तुम्हारे दर्मियान ख़रीदो फ़रोख़्त वाजिब हो जाएगी। (इसे मुनाबज़ा की बै कहते हैं) और मुलामसा यह है कि कोई शख़्स कहे: जब मैं उस चीज़ को छु लूं तो बै (सौदा) पक्की हो जाएगी। अगरचे कुछ न भी देखा हो तो जैसे कि थैली वग़ैरह। यह अहले जाहिलियत की ख़रीदो फ़रोख़्त की क़िस्मे थीं। आप(ﷺ) ने इस से मना फ़रमा दिया।

70 - अनाज और फलों में बै सलफ़ करना.

70 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

1311 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाये तो लोग फलों में सलफ़[1] किया करते थे, आप ﷺ} ने फ़रमाया, "जो शख़्स बै सलफ़ करे तो वह मालूम पैमाने और मालूम वज़न के साथ मालूम मुद्दत तक करे। "

बुख़ारी: 2239. मुस्लिम: 1604. अबू दाऊद: 3463. इब्ने माजा: 2280. निसाई: 4616.

1311 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

तौज़ीह: (1) सलफ़ को सलम भी कहा जाता है लेकिन सहीह मानी यह है कि जिन्स या रक़म दोनों में उधार को सलफ़ कहते हैं वह इस तरह कि ख़रीदने वाला रक़म दे कर सौदा तै कर ले और ख़रीदी हुई चीज़ के लिए वक़्त तै कर ले कि फुलां वक़्त तक मुझे पहुंचा देना या फिर बेचने वाला यह कहे कि इतनी क़ीमत में यह चीज़ अपने पास रख लो और रक़म फुलां वक़्त में दे देना यह दोनों सूरतें ही सलफ़ या सलम बनती हैं लेकिन इस में जवाज़ की सूरत यही है कि वक़्त और चीज़ की मिक़्दार व पैमाना मुअय्यन हो।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए अनाज, कपड़े और दीगर अशिया में; जिनकी पहचान और हद मालूम होती है बै सलफ़ को जायज़ कहते हैं। लेकिन जानवरों में सलम करने के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) जानवरों में बै सलम को जायज़ कहते हैं। शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से कुछ उलमा हैवान में सलम को मकरूह कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान और अहले कूफ़ा का है। अबू मिन्हाल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुतइम है।

71 - मुशतरिक ज़मीन में से अगर कोई अपना हिस्सा फ़रोख़्त करना चाहे.

71 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ

1312 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस आदमी का बाग़ में कोई शरीक हो तो वह उस वक़्त तक अपना हिस्सा न बेचे जब तक उसे अपने शरीक पर पेश न कर ले।"

मुस्लिम: 1608. अबू दाऊद: 5313. निसाई: 4646.

1312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को सुना वह फ़रमा रहे थे कि सुलैमान यश्कुरी के बारे में कहा जाता है कि वह जाबिर

बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गये थे क़तादा और अबू बिश्र ने उन से सिमा (सुनना) नहीं किया। मोहम्मद फ़रमाते हैं: हमारे नज़दीक सिवाए अम्र बिन दीनार के इन में से किसी का भी सुलैमान यश्कुरी से सिमा (सुनना) साबित नहीं है। शायद उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में ही सुलैमान से हदीस की समाअत (सुनना) की हो फ़रमाते हैं: क़तादा सुलैमान यश्कुरी की किताब से हदीस बयान करते हैं। उनकी जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से (सुनी गई अहादीस पर मुश्तमिल) एक किताब थी।

(अबू ईसा फ़रमाते हैं:) हमें अबू बक्र अल-अत्तार अब्दुल कुद्दूस ने बयान किया कि अली बिन मदीनी ने कहा है: यह्या बिन सईद कहते हैं कि सुलैमान अत्तैमी ने फ़रमाया, लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह का सहीफ-ए-अहादीस हसन बसरी के पास ले कर गए उन्होंने ले लिया या रिवायत कर दिया, लोग उसे क़तादा के पास लेकर गए, उन्होंने भी रिवायत कर दी और मेरे पास लेकर आए मैंने रिवायत उन्हें वापस कर दिया।

तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं:) हमें यह बात अबू बक्र अल-अत्तार ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से बयान की है।

72 – बै-ए-मुखाबरा और मुआवमा.

72 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

1313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا.

1313 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुखाबरा, और मुआवमा से मना फ़रमाया और अराया को बेचने की रूख़्सत दी है।

बुख़ारी: 2381. मुस्लिम: 1536. अबू दाऊद: 3373. इब्ने माजा: 2266. निसाई: 3879

तौज़ीह: मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुखाबरा की तफसील हदीस नम्बर 1224 और 1290 के तहत गुज़र चुकी है। मुआवमा लफ़्ज़ आम से है। आम अरबी में साल को कहते हैं। मुआवमा की बै सालों की बै है। वह इस तरह कि कोई शख़्स अपने बाग़ के दरख्तों के फल आइन्दा एक या दो साल के लिए बेच दे जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए जैसा कि लोग कुछ सालों के लिए बागात को ठेके पर लेते हैं।

73 - कीमतें मुक़र्रर करना.

73 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ

1314 - सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में (अशिया(चीज़ों) की) कीमतें बढ़ गयीं। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमारे लिए क़ीमतें मुक़र्रर कर दें तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह क़ीमतें मुक़र्रर करने वाला है। अल्लाह ही है जो रोज़ी को तंग, फ़राख़ करने वाला और बहुत रोज़ी अता करने वाला है। मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपने रब से इस हालत में मुलाक़ात करूं कि कोई शख़्स मुझसे खून और माल में किसी ज़्यादती का मुतालबा ना करता हो।"

1314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

सहीह: अबू दाऊद: 4551. इब्ने माजा:2200.

तौज़ीह: تسعير : سَعِّرْ : मसदर से अम्र का सेगा है। मानी है क़ीमतें और भाव मुक़र्रर करना। देखिये (अल्मोजमुल वसीत:पृ. 509)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

74 - ख़रीदो फ़रोख्त में धोका और मिलावट मना है.

74 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِشِّ فِي البُيُوعِ

1315 - सय्यदाना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) गल्ले के एक ढेर के पास से गुज़रे, आप ने अपना हाथ उसमें डाला तो आपकी उँगलियों को नमी महसूस हुई। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ गल्ले वाले यह क्या है? उसने कहा इस पर बारिश आ गई थी ऐ

1315 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ

Sherkhan
9825 696 131

مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، مَا هَذَا؟، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया, तुमने उसे गल्ले के ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग उसे देख लेते?" फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने धोका दिया वह हम में से नहीं है।"

मुस्लिम: 102. अबू दाऊद: 3452.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अबू हमरा, इब्ने अब्बास, बुरैदा, अबू बुर्दा बिन नियार और हुज़ैफा बिन यमान (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। वह धोके और मिलावट को नापसंद करते हुए कहते हैं कि धोका या मिलावट हराम है।

75 بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ السِّنِّ

75 - ऊँट या कोई और जानवर बतौरे क़र्ज़ लेना.

1316 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

1316 - सय्य्दाना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किसी से एक ऊँट बतौरे क़र्ज़ लिया तो आप ने उसे उसके ऊँट से बेहतर ऊँट दे दिया और फ़रमाया, "तुम में से बेहतर वह है जो अच्छे तरीक़े से अदायगी करता है।"

बुख़ारी: 2305. मुस्लिम: 1601. इब्ने माजा: 2423. निसाई: 4698.

वज़ाहत: इस मसले में अबू राफे (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज इसे शोबा और सुफ़ियान ने भी सलमा (बिन कुहैल) से रिवायत किया है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए ऊँट को बतौर कर्ज़ लेने में कोई क़बाहत नहीं समझते। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) इसे मकरूह समझते हैं।

1317 - सय्यदाना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से तकाजा किया तो आप पर सख़्ती की। आप(ﷺ) के सहाबा ने उसे पकड़ना चाहा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे छोड़ दो। जिसका हक़ हो वह बातें करने का मजाज़ होता।" फिर आप ने फ़रमाया, "उसके लिए ऊँट ख़रीद कर उसे दे दो।" उन्होंने तलाश किया तो उस आदमी से बेहतर ऊँट मिला। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उस को ख़रीद कर उसे दे दो बेशक तुम में वही बेहतर है जो अच्छी तरह अदायगी करने वाला है।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं.

1317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَطَلَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते है:) हमें मोहम्मद बिन जाफ़र ने बवास्ता शोबा, सलमा बिन कुहैल से इस जैसी रिवायत बयान की है।

1318 - सय्यदना अबू राफे (ﷺ) मौला रसूलुल्लाह(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक ऊँट बतौर क़र्ज़ लिया। फिर आप के पास सदके के ऊँट आए। अबू राफे (ﷺ) कहते हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस आदमी का ऊँट दे दूं। मैंने कहा: मैं उसके ऊँट से बेहतर चार दांत वाला ऊँट ही पाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "वही उसे दे दो, यक़ीनन लोगों में बेहतर वही है जो अच्छे तरीक़े से अदायगी करने वाला है।"

मुस्लिम: 1600. अबू दाऊद: 3346. इब्ने माजा: 2285. निसाई: 4617.

1318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لاَ أَجِدُ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

76 بَابُ ماجاء في سمح البيع والشراو ألقضاء

76 - ख़रीदो फ़रोख्त और अदायगी में नरमी बरतना.

1319 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ القَضَاءِ.

1319 - सय्य्दाना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला नरमी व आसानी वाली ख़रीदो फ़रोख्त और नरमी व आसानी वाली अदायगी को पसंद करते हैं।"

सहीह: अबू याला: 6238. हाकिम: 2/52.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और बाज़ (कुछ) ने इसे यूनुस से बवास्ता सईद अल-मक़्बुरी, अबू हुरैरा से रिवायत किया है।

1320 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى.

1320 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने एक आदमी को बख्श दिया जो तुम से पहले गुज़र चुका है, वह जब बेचता आसानी करता, जब ख़रीदता आसानी करता और जब तकाजा करता तो आसानी करता था।"

बुख़ारी: 2076. इब्ने माजा: 2203.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब सहीह हसन है।

77 - मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त मना है.

77 بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

1321 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.

1321 - सय्यदाना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम ऐसे शख़्स को देखो जो मस्जिद में ख़रीदो-फ़रोख्त कर रहा हो तो तुम कहो: अल्लाह तआला तुम्हारी तिजारत में नफ़ा न दे और जब तुम ऐसे शख़्स को देखो जो मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान कर रहा हो तो तुम कहो: अल्लाह तआला तुझे वापस न करे।

मुस्लिम: 567. अबू दाऊद: 473. इब्ने माजा: 767.

तौज़ीह: نَشَدُ فِيهِ ضَالَّةً : गुमशुदा चीज़ों की अलामत बता कर उसे तलाश करने को कहा जाता है। तफ़सील के लिए देखिये: अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1119)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं अबू हुरैरा (رضي الله عنه)की हदीस हसन ग़रीब है और बाज़ (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त को मकरूह कहते हैं। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी है।

ख़ुलासा

- शुब्हा वाली चीजों से बचना ज़रूरी है।
- सूद खाना अल्लाह के साथ एलाने जंग है. नीज झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह है।
- उधार लेन देन करना जायज़ है।
- ख़रीदो फ़रोख्त की शर्तें तहरीर करना मुस्तहब है।

- तिजारती काफ़िलों को शहर से बाहर जा कर मिलना मना है।
- शहरी देहाती के लिए बतौर डीलर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता।
- किसी भी फ़सल को पकने से पहले बेचना मना है।
- बुयू की मुन्दर्जा ज़ेल अक्साम मना हैं: मुहाक़ला, मुखाबरा, मुज़ाबना, मुलामसा, मुआवमा और हब्लुल हबला।
- जो चीज़ मिल्कियत में ही नहीं है उसे नहीं बेचा जा सकता।
- वला को बेचना या हिबा करना मना है।
- किसी भी जिन्स का लेन देन बराबर के पैमाने के साथ किया जा सकता है।
- करंसी तब्दील करने की सूरत में तादाद को कम या ज़्यादा करना सूद है।
- सौदे को मंसूख (ख़त्म) करने का इख़्तियार मजलिस के अन्दर ही है, मजलिस बर्खास्त होने के बाद नहीं।
- जिस तरह शराब हराम है उसी तरह उसकी ख़रीदो फ़रोख्त और नकलो हमल भी हराम है और ऐसा करने वाले पर अल्लाह के रसूल(ﷺ) की लानत है।
- क़हत साली के दौर में ज़खीरा अन्दोज़ी हराम है।
- धोका देने के लिए जानवर का दूध रोकना ना जायज़ काम है। नीज ऐसी सूरत में ख़रीदने वाला वापस करने का इख़्तियार रखता है।
- हराम जानवर मसलन: कुत्ता, बिल्ला वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त मना है.और उसकी क़ीमत हराम है।
- बै अराया में पांच वसक तक रूख़्सत है।
- तिजारत के माल में धोका और मिलावट करने वाले का अल्लाह के रसूल(ﷺ) के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।

Sherkhan
9825 696 131

मज़मून नम्बर 13

13 أَبْوَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी फैसलों के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़.

63 अहादीस के साथ 42 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि:

- अदालती कारवाई के लिए इस्लाम ने क्या तरीक़ा वज़ा किया (बनाया) है?
- क़ाज़ी या जज को किन बातों का ख़याल रखना चाहिए?
- उम्रा व रूक़्बा क्या है?
- शुफ़्आ क्या होता है और किन शराइत के साथ मुंसलिक है?

1 بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَاضِي

- 1322 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ :اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟

1 - क़ाज़ी के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फरामीन.

1322 - अब्दुल्लाह बिन मौहब (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान (رضي الله عنه) ने इब्ने उमर (رضي الله عنه) से कहा: आप जाईए और लोगों के दर्मियान क़ाज़ी की हैसियत से फैसला कीजीये। उन्होंने कहा: अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इस से माफ़ ही रखिए! उन्होंने कहा : आप इस काम को ना पसंद करते हैं? जबकि आप के वालिद भी फैसला करते थे? इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने कहा:

قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالعَدْلِ فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

"मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना:" जो शख्स क़ाज़ी (जज) बना और इन्साफ के साथ फैसला किया तो फिर भी इस लायक़ है कि बराबरी के साथ लौटे" इस के बाद मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? नीज़ इस हदीस में एक किस्सा भी है।

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफा: 6864. अबू याला: 1402.

वज़ाहत: इस मसला में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है और मेरे मुताबिक इस की सनद मुत्तसिल नहीं है और अब्दुल मलिक जिन से मोतमिर रिवायत करते हैं यह अब्दुल मलिक बिन अबू जमीला हैं।

1322م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ فَذَلِكَ فِي الجَنَّةِ.

1322.2 - इब्ने बुरैदा अपने बाप (सय्यदना बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़ाज़ी तीन किस्म के हैं : दो क़ाज़ी जहन्नम में और एक क़ाज़ी जन्नत में जाएगा, वह आदमी जो जानते बुझते नाहक़ फैसला करे वह जहन्नम में जाएगा, वह क़ाज़ी जो बगैर इल्म के फ़ैसला करे उसने लोगों के हक़ को बर्बाद किया वह भी जहन्नम में होगा और वह क़ाज़ी जो हक़ फैसला करता है वह जन्नती है। "

म) सहीह: अबू दाऊद : 3573. इब्ने माजा: 2315.

1323 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

1323 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख्स क़ाज़ी के ओहदे का सवाल करता है वह अपनी ज़ात को ही सौंप दिया जाता है और जिसे उस काम के लिए मजबूर किया जाए तो

Sherkhan
9825 696 131

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ.

अल्लाह तआला उसके लिए एक फ़रिश्ता नाज़िल करते हैं जो उसे सीधा रखता है। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 3578. इब्ने माजा: 2309.

1324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ مِرْدَاسٍ الفَزَارِيِّ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ البَصْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

1324 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "जो शख्स ओहदए क़ज़ा (जज बनना) चाहे और उसमें सिफ़ारशी तलाश करे उसे उसकी ज़ात को ही सौंप दिया जाता है और जिसे इस काम पर मजबूर किया जाए तो अल्लाह तआला उस पर एक फ़रिश्ता उतारते हैं वह उसे सीधा रखता है। "

ज़ईफ़: बैहक़ी: 10/ 100.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इस्राईल की अब्दुल आला से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है।

1325 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.

1325 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "जिसे ओहदए क़ज़ा मिल गया या लोगों के दर्मियान क़ाज़ी बना दिया गया यक़ीनन उसे बग़ैर छुरी के ज़बह कर दिया गया। "(1)

सहीह: अबू दाऊद : 3571. इब्ने माजा: 2308.

तौज़ीह: (1) इसलिए कि यह ओहदा बहुत ही हस्सास है। अगर ज़रा सी ग़फ़लत से काम ले या किसी एक फ़रीक़ की तरफ़ झुकाव कर ले तो उसके लिए जहन्नम की वईद है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

2 - क़ाज़ी अगर दुरुस्त या ग़लत फ़ैसला करे.

1326 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

1326 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब हाकिम फ़ैसला करने में कोशिश व मेहनत करे और सहीह फ़ैसला करे तो उसके लिए दो अज्र हैं और जब कोशिश के साथ फ़ैसला करे और ग़लती कर जाए तो उसके लिए एक अज्र है।"(1)

बुख़ारी: 7352. मुस्लिम: 1716. अबू दाऊद : 3574. इब्ने माजा: 2314.

तौज़ीह: (1) यह एक अज्र उसके ख़ुलूसे निय्यत के साथ मेहनत करने की वजह से है।

वज़ाहत: इस मसले में अम्र बिन आस और उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है। हम इसे सुफ़ियान सौरी से बवास्ता यह्या बिन सईद सिर्फ़ अब्दुर्रज्ज़ाक से बवासता मामर, सुफ़ियान सौरी से ही जानते हैं।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

3 - क़ाज़ी फ़ैसला कैसे करे?

1327 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

1327 - सय्यदना मुआज़ के कुछ शागिर्दों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुआज़ को यमन की तरफ़ रवाना किया तो फ़रमाया, "तुम फ़ैसला कैसे करोगे? उन्होंने कहा : मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसाला करूंगा, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह अल्लाह की किताब में न हुआ ?" उन्होंने कहा तो फिर

فِي كِتَابِ اللهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.

अल्लाह के रसूल(ﷺ) की सुन्नत के साथ। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह अल्लाह के रसूल की सुन्नत में भी न हो तो? उन्होंने कहा: मैं अपनी राय के साथ इज्तिहाद करूंगा। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने अल्लाह के रसूल के कासिद को तौफीक़ दी।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 3592. मुसनद अहमद: 5/536. बैहक़ी: 10/114.

तौज़ीह: (1) कयास करने की सब से बड़ी दलील यही हदीस है। लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस क़ाबिले हुज्जत नहीं हो सकती।

1328 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخٍ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

1328 - सय्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) के भतीजे हारिस बिन अम्र अहले हिम्स में से कुछ लोगों के वास्ते के साथ मुआज़ (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस रिवायत करते हैं।

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफा: 881.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ العَادِلِ

4 - इन्साफ करने वाला हाकिम.

1329 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ

1329 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "क़यामत के दिन अल्लाह को सब से ज़्यादा महबूब और उसके क़रीब बैठने वाला, आदिल हुक्मरान होगा और अल्लाह को सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे ज़्यादा दूर बैठने वाला ज़ालिम हुक्मरान होगा।"

مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ.

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफा: 1156. मुसनद अहमद: 3/22. अबू याला: 1003.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

1330 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

1330 - अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला क़ाज़ी के साथ होता है जब तक वह ज़ुल्म नहीं करता, जब वह ज़ुल्म करता है अल्लाह तआला उस से अलग हो जाता है। और शैतान उसके साथ मिल जाता है।"

हसन: इब्ने माजा: 2312. इब्ने हिब्बान: 5062.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इमरान अल-क़त्तान की सनद से ही जानते हैं।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لاَ يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَهُمَا

5 - क़ाज़ी दोनों फरीकों की बात सुने बगैर फ़ैसला न करे.

1331 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ، فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ

1331 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने मुझसे फ़र्माया: "जब दो आदमी तुम्हारे पास फ़ैसला करवाने आयें तो तुम दूसरे की बात सुने बगैर पहले के हक़ में फ़ैसला न करना, फिर तुम ख़ुद जान लोगे कि फ़ैसला कैसे करना है।" अली (رضي الله عنه) कहते हैं! फिर इसके बाद मैं हमेशा

الآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

लोगों के दर्मियान फ़ैसला करता रहा।

हसन: अबू दाऊद : 3582. मुसनद अहमद: 1/90. अबू याला: 371.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

6 - रिआया का हाकिम.

1332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ، وَالخَلَّةِ، وَالمَسْكَنَةِ إِلاَّ أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

1332 - अबू हसन (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि सय्यदना अम्र बिन मुर्रा (رضي الله عنه) ने सय्यदना मुआविया (رضي الله عنه) से कहा: "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जो हाकिम हाजतमंदों, फकीरों, और मिस्कीनों पर अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो अल्लाह तआला उसकी ज़रुरत, फ़कीरी और मिस्कीनी पर आसमान के दरवाज़े बंद कर देता है।" तो मुआविया (رضي الله عنه) ने यह सुनकर लोगों की ज़रूरियात का पता करने पर एक आदमी मुक़र्रर कर दिया।

सहीह: मुसनद अहमद: 4/231. हाकिम: 4/94.

तौज़ीह: ذَوِي الحَاجَةِ : ज़रुरत मंदी الخَلَّةِ : फक्रो हाजत।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अम्र बिन मुर्रा (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है नीज़ यह हदीस इस सनद के अलावा और सनदों से भी मर्वी है। अम्र बिन मुर्रा अज्- जुहनी (رضي الله عنه) की कुनियत अबू मरियम है।

1333 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

1333 - अबू ईसा कहते हैं:) हमें अली बिन हुज्र ने वह कहते हैं:) हमें यह्या बिन हम्ज़ा ने यज़ीद बिन अबी मरियम से बवास्ता क़ासिम मुखैमिरा, नबी करीम(ﷺ) के सहाबी अबू मरियम (رضي الله عنه) से नबी करीम(ﷺ) की ऐसी

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ.

ही हदीस बयान की है।

सहीह: अबू दाऊद : 2948.

वज़ाहत: यज़ीद बिन अबी मरियम शाम के रहने वाले थे जबकि यज़ीद बिन अबी मरियम कूफा के थे। और अबू मरियम, अम्र बिन मुरा अज्-जुहनी (رضي الله عنه) ही हैं।

7 بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

7 - क़ाज़ी गुस्से की हालत में फ़ैसला न करे.

1334 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لاَ تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَحْكُمُ الحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

1334 - अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरह (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने उबैदुल्लाह बिन अबी बकरह को ख़त लिखा जो कि क़ाज़ी थे कि तुम गुस्से की हालत में दो आदमियों के दर्मियान फ़ैसला न करना। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "फ़ैसला करने वाला जब गुस्से में हो तो दो आदमियों के दर्मियान फ़ैसला न करे।"

बुख़ारी: 7158. मुस्लिम: 1717. अबू दाऊद : 3589. इब्ने माजा: 2316. निसाई: 5406.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू बकरह का नाम नफीअ (رضي الله عنه) बिन हारिस था।

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الأُمَرَاءِ

8 - हाकिमों को तोहफ़े देना.

1335 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ

1335 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे यमन की तरफ़ भेजा जब मैं चल पड़ा तो आप(ﷺ) ने मेरे पीछे पैगाम भेज कर मुझे वापस बुलाया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें बुलाने के लिए पैगाम क्यों भेजा था? यह कहने के लिए कि तुम

أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لاَ تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ.

इजाज़त के बगैर कोई चीज़ न लेना क्योंकि वह ख़यानत है। और जो शख्स ख़यानत करेगा तो क़यामत के दिन ख़यानत वाली चीज़ लेकर आएगा। मैंने तुम्हें इस बात के लिए बुलाया था अब अपने काम पर चल पड़ो। "

ज़ईफ़ुल इस्नाद

तौज़ीह: ख़यानत: ग़नीमत या बैतूल माल से चोरी को गुलूल या ख़यानत कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन उमैरा, बुरैदा, मुस्तौरिद बिन शद्दाद, अबू हुमैद और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ उसामा के वास्ते से ही दाऊद औदी से जानते हैं।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

9 - फ़ैसले में रिश्वत देने और लेने वाला.

1336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

1336 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) ने फ़ैसले में रिश्वत देने और लेने वाले पर लानत की है।

सहीह: मुसनद अहमद: 2/378. इब्ने हिब्बान: 5076.

तौज़ीह: الرَّاشِي : रिश्वत देने वाला और रिश्वत उस चीज़ को कहा जाता है जो हक़ को बातिल या बातिल को हक़ करने के लिए या अपना मफ़ाद पूरा करने के लिए किसी हाकिम, क़ाज़ी या किसी भी महक़मे के मजाज़ (ऑफीसर) आदमी को दी जाए।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, इब्ने जदीदा और उम्मे सलमा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज़ यह हदीस अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी नबी (صلى الله عليه وسلم) से मर्वी है।

नीज़ अबू सलमा से उनके बाप के ज़रिए भी नबी (صلى الله عليه وسلم) से मर्वी है लेकिन वह सहीह नहीं। अबू ईसा कहते हैं: मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से सुना वह कह रहे थे: अबू सलमा की अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा नबी (صلى الله عليه وسلم) की इस मसले में सबसे उम्दा और सहीह है।

1337 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ.

1337 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रिश्वत देने और लेने वाले पर लानत की है।

सहीह: अबू दाऊद : 3570. इब्ने माजा: 2316.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

10 - तोहफ़ा और दावत कुबूल करना.

1338 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ.

1338 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर मुझे जानवर की पिंडली का थोड़े गोश्त वाला हिस्सा तोहफ़ा भेजा जाए तो मैं उसे भी कुबूल करूंगा और अगर मुझे इस के लिए दावत दी जाए तो मैं जाऊंगा। "

सहीह: इब्ने हिब्बान: 5292. बैहक़ी: 6/69.

तौज़ीह: كُرَاعٌ: आम तौर पर इसका मानी खुर किया जाता है लेकिन लुग़त के एतबार से यह मानी सहीह नहीं है बल्कि जानवर गाय, बकरी वगैरह के कम गोश्त वाले पिंडली के हिस्से को कहा जाता हैं और आदमी के घुटने से नीचे टखने तक पिंडली के हिस्से को كُرَاعٌ कहा जता है। इसी से ज़रबुल मसल मशहूर है। ग़ुलाम को पाए न खिलाओ वरना दस्त के गोश्त की ख़्वाहिश करेगा। لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الزراع: यानी كُرَاعٌ को पाए भी कह सकते हैं। (तफ़सील के लिए देखिये, अल-कामूसुल वहीद:पृ. 1399)

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, मुग़ीरह बिन शोबा, सुलैमान, मुआविया बिन हीदा और अब्दुर्रहमान बिन अल्क़मा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

11 - अगर ग़ैर मुस्तहिक़ के लिए कोई फ़ैसला हो जाए तो वह किसी दूसरे का हक़ न ले.

1339 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

1339 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम लोग मेरी तरफ़ मुक़द्दमा लेकर आते हो और मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है तुम में से कोई शख़्स अपनी दलील बयान करने में दूसरे से ज़्यादा महारत रखता हो तो अगर मैं तुम में से किसी के लिए उसके भाई के हक़ का फ़ैसला कर दूं तो मैं उसके लिए जहन्नम की आग का एक टुकड़ा अलाट कर रहा हूँ वह उसको न ले।"

बुख़ारी: 2458. मुस्लिम: 1713. अबू दाऊद : 3583. इब्ने माजा: 2317. निसाई: 5401.

तौज़ीह: أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ : दलील को मज़बूत करने वाले तमाम पहलुओं से वाकिफ (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 991.)

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और आयशा (رضی اللہ عنہما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

12 – गवाह मुद्दई (दावेदार) और क़सम मुद्दआ अलैह (जिस पर दावा किया गया हो) के जिम्मा है।

1340 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

1340 - सय्यदना वाइल बिन हुज्र (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि एक आदमी हजरे मौत का और एक किन्दा का नबी(ﷺ) के पास आए। हज़रमी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस

مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

आदमी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। किंदी कहने लगा: वह मेरी ज़मीन है मेरे कब्जे में है। इसका इसमें कोई हक़ नहीं है। तो नबी(ﷺ) ने हज़रमी से फ़रमाया, "क्या तुम्हारे पास कोई दलील है?" उस ने कहा: नहीं" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "फिर तुम्हें इस की क़सम का एतबार करना पड़ेगा। " उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल बेशक यह फाजिर आदमी है। यह कोई परवाह नहीं करेगा कि क्या क़सम उठा रहा है, यह किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हें उस से सिर्फ़ यही मिल सकता है। " रावी कहते हैं: वह आदमी क़सम उठाने लगा तो जब उसने अपनी पीठ फेर दी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर यह तुम्हारे माल पर क़सम उठा ले ताकि उसे ज़ुल्म के साथ खा जाए तो यह ज़रूर अल्लाह से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह इस से मुंह फेर लेगा। "

मुस्लिम: 139. अबू दाऊद : 3245.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अशअस बिन कैस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1341 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

1341 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने अपने खुत्बा में इरशाद फ़रमाया, "दलील मुद्दई के ज़िम्मे है और क़सम मुद्दआ अलैह पर है। "(1)

सहीह: अब्दुर्रज्जाक़: 15184. दार कुत्नी: 4/ 157.

तौज़ीह: (1) दावा करने वाले को मुद्दई और जिसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा या दावा दायर किया जाए उसे मुद्दआ अलैह कहा जाता है।

वज़ाहत: इस हदीस की सनद में कलाम किया गया है। मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह अल-अर्ज़मी को हाफ़िज़े की वजह से इस हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। इसे इब्ने मुबारक वगैरह ने ज़ईफ़ क़रार दिया है।

1342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

1342 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़ैसला दिया कि क़सम मुद्दआ अलैह के ज़िम्मा है।

बुख़ारी: 2514. मुस्लिम: 1711. अबू दाऊद : 3619. इब्ने माजा:2321. निसाई: 5425.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि दलील दावा करने वाले के और क़सम मुद्दआ अलैह के ज़िम्मे है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

13-अगर गवाह एक हो तो साथ एक क़सम उठाए

1343 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

1343 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक गवाह होने की सूरत में क़सम के साथ फ़ैसला कर दिया था। रबीआ कहते हैं: मुझे साद बिन उबादा (رضی اللہ عنہ) के बेटे ने बताया कि हमने साद (رضی اللہ عنہ) की किताब में देखा कि नबी(ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था।

सहीह: अबू दाऊद : 3610. इब्ने माजा: 2368.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, इब्ने अब्बास और सुर्रक़ (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।
इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की यह हदीस कि "नबी(ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था।" हसन ग़रीब हदीस है।

1344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

1344 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था।

सहीह: इब्ने माजा: 2369. मुसनद अहमद: 3/305.

1345 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ.

1345 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया था और अली (ﷺ) ने भी तुम्हारे दर्मियान इसी के साथ फ़ैसला किया था।

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह ज़्यादा सहीह है। सुफ़ियान सौरी ने भी इसी तरह जाफ़र बिन मुहम्मद से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है। जबकि अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू सलमा और यह्या बिन सुलैम ने इस हदीस को जाफ़र बिन मुहम्मद से उनके बाप के ज़रिए बवास्ता अली (ﷺ) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा की यही राय है कि हुक़ूक़ और अमवाल में एक गवाह होने की सूरत में एक क़सम लेकर फ़ैसला करना जायज़ है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं, वह मजीद कहते हैं कि एक गवाह के साथ क़सम लेकर सिर्फ़ हुक़ूक़ और अमवाल में ही फ़ैसला किया जा सकता है।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

14 - दो आदमियों के दर्मियान मुश्तरक ग़ुलाम से अगर एक शख़्स अपना हिस्सा आज़ाद कर दे

1346 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

1346 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी मुश्तरक ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और उस आज़ाद करने वाले के पास अगर

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا، أَوْ قَالَ: شِقْصًا، أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ، يَعْنِي :فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

इतना माल हो जो उस गुलाम की बाज़ार की क़ीमत को पहुंचता हो तो वह आज़ाद है। अगर नहीं तो उतना हिस्सा ही आज़ाद होगा जितना उसने किया है।"

बुख़ारी: 2491. मुस्लिम: 1501. अबू दाऊद : 3940. इब्ने माजा: 2528. निसाई: 4698.

तौज़ीह: यहाँ रावी ने शक की बिना पर तीन अल्फ़ाज़ बोले हैं: شِرْكًا :شِقْصًا :نَصِيبًا यानी इन तीनों में से कोई एक लफ़्ज़ बोला था लेकिन सबका मानी एक ही है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इसे सालिम ने भी अपने बाप के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

1347 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.

1347 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद किया और उसके पास उस गुलाम की क़ीमत जितना माल हो तो उसे उसके माल से आज़ाद किया जाएगा।"

सहीह: अबू दाऊद : 3940. तोहफतुल अशराफ़: 6935.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا، أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ،

1348 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी मुश्तरक गुलाम से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया फिर अगर उसके पास माल हुआ तो उसके माल से उसकी मुकम्मल आज़ादी होगी और अगर उसके पास माल नहीं है तो उसकी इन्साफ वाली क़ीमत लगाई जाए फिर उस हिस्से की मेहनत कराई जाए जो आज़ाद नहीं

إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

हुआ उसे मशक्क़त में न डाला जाए। "

बुख़ारी: 2492. मुस्लिम: 1503. अबू दाऊद : 3937. इब्ने माजा: 2527.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें यह्या बिन सईद ने सईद बिन अबी अरूबा से ऐसी ही हदीस बयान की है और उन्होंने : شِقْصًا का लफ़्ज़ बोला है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबान बिन यज़ीद ने भी क़तादा से सईद बिन अबी अरूबा की हदीस की तरह रिवायत की है। नीज़ शोबा ने भी इस हदीस को क़तादा से रिवायत किया है लेकिन इस में मेहनत करवाने वाले का ज़िक्र नहीं है।

मेहनत करवाने वाले के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा मेहनत करने को जायज़ कहते हैं। सुफ़ियान सौरी अहले कूफा और इस्हाक़ इसके कायल हैं।

जबकि बाज़ उलमा कहते हैं: जब ग़ुलाम दो आदमियों के दर्मियान मुश्तरक हो। और एक आदमी अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो अगर उसके पास माल हो तो उसे अपने दूसरे शरीक के हिस्से की ज़िम्मेदारी भी दी जाएगी और ग़ुलाम उसके माल से आज़ाद होगा और अगर उसके पास मजीद माल न हो तो ग़ुलाम उतना ही आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया है और उस ग़ुलाम से मेहनत और काम नहीं करवाया जाएगा, उन्होंने इब्ने उमर (رضي الله عنه) की नबी(ﷺ) से मर्वी हदीस के मुताबिक़ कहा है। यह कौल अहले मदीना का है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى

15 – उमरा का बयान.

1349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا.

1349 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "उमरा[1] (मौहूब लहू के) वारिसों के लिए जायज़ है या आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसके अहल के लिए मीरास है। "

सहीह: अबू दाऊद : 3549. मुसनद अहमद: 5/8. बैहक़ी: 6/174.

तौज़ीह: उम्रा: किसी को उम्र भर के लिए कोई चीज़ अतिय्या कर देने को उम्रा कहा जाता है। लेकिन अगर वह बाद में वारिसों की शर्त तै नहीं भी करता तब भी वह चीज़ मौहूब लहू (जिसे दी गई है) उसके वारिसों में मुन्तकिल हो जाएगी। देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता।

वज़ाहत: इस मसले में ज़ैद बिन साबित, जाबिर ,अबू हुरैरा, आयशा, इब्ने ज़ुबैर और मुआविया (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

1350 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

1350 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स को उम्र भर के लिए कोई अतिय्या दे दिया जाए और कहा जाए कि यह उसके लिए और उसके बाद उसके वारिसों के लिए है तो वह उसी शख़्स का है जिसे दिया गया हो। देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसने ऐसा अतिय्या दिया है जिसमें विरासत वाक़े हो गई है।"

बुख़ारी: 2625. मुस्लिम: 1625. अबू दाऊद : 3550. इब्ने माजा: 2380. निसाई: 3736.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ मामर वगैरह ने भी ज़ोहरी से इमाम मालिक की तरह रिवायत की है। और बाज़ ने ज़ोहरी से रिवायत करते वक़्त उसकी औलाद का ज़िक्र नहीं किया। और यह हदीस कई सनदों के साथ जाबिर (ﷺ) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "उम्र भर के लिए दी गई चीज़ वारिसों की हो जाती है।" और इसमें औलाद का ज़िक्र नहीं है। और यह हदीस भी हसन सहीह है।

नीज़ बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब कोई कहे यह चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए है तो वह उसी की है जिसे दी गई है। देने वाले को वापस नहीं हो सकती और जब औलाद का ज़िक्र न करे तो जब मौहूब लहू फौत हो जाए तो देने वाले की हो जाएगी, यह कौल मालिक और शाफ़ेई (ﷺ) का है।

और नबी(ﷺ) से कई सनदों से मर्वी है कि उम्रा जिनके लिए किया जाए उनमें जारी हो जाता है। और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है कि जब मौहूब लहू मर जाए तो वह उसके वारिसों का हो जाएगा। अगरचे उसने वारिसों की शर्त नहीं भी लगाई। यह कौल सुफ़ियान सौरी, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का है।

16 - रुक्बा का बयान.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى

1351 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "उम्रा उसी का है जिसे दे दिया जाए, इसी तरह रुक्बा[1] भी उसी का हो जाता है जिसे दिया जाए। "

सहीह: अबू दाऊद : 3558. इब्ने माजा: 2383. निसाई: 3739.

1351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا.

तौज़ीह: (1) रुक्बा: यह भी उम्रा की तरह है। इस में थोड़ा सा फ़र्क यह है कि हिबा करने वाला कहे: यह तुम्हारी ज़िन्दगी में तुम्हारे लिए है। अगर तुम मुझसे पहले फौत हो गए तो यह चीज़ वापस मेरे पास आ जाएगी, मगर उसमें भी रुजू नहीं हो सकता।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ रावियों ने इसे अबू ज़ुबैर के वास्ते से इसी सनद के साथ मौकूफ़ रिवायत किया है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है कि उम्रा की तरह रुक्बा भी उसी का हो जाता है जिसे दिया गया हो और पहले की तरफ़ वापस नहीं होगा।

17 - लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमान.

17 بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

1352 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ अल- मुज़नी (ﷺ) अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "लोगों के दर्मियान सुलह जायज़ है मगर वह सुलह (जायज़ नहीं) जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दे और मुसलमान अपनी शराइत पर (अमल करने के पाबंद) हैं। मगर ऐसी शर्त

1352 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً، أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

(पर अमल नहीं होगा) जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दे।

सहीह: अबू दाऊद : 2353. दार कुत्नी: 3/27. हाकिम: 4/101.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

18 - हमसाये की दीवार पर लकड़ी रखना.

1353 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ. فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

1353 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से किसी शख़्स से उसका हमसाया दीवार में लकड़ी गाड़ने[1] की इजाज़त मांगे तो वह उसे मत रोके। जब अबू हुरैरा (رضي الله عنه) ने हदीस सुनाई तो लोगों ने अपने सर झुका लिए तो उन्होंने फ़रमाया, "मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम इस से एराज़ करते हो, अल्लाह की क़सम! मैं उसे ज़रूर तुम्हारे शानों के दर्मियान फेंकता रहूंगा।[2]

बुख़ारी: 2463. मुस्लिम: 1609. अबू दाऊद : 3634. इब्ने माजा: 2335.

तौज़ीह: (1): غرز : का मतलब होता है गाड़ना, लगाना वगैरह। (2) यानी तुम चाहो न चाहो मैं बयान ज़रूर करता रहूंगा।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और मजमा बिन जारिया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ शाफ़ेई भी यही कहते हैं। जबकि बाज़ उलमा: जिन में मालिक बिन अनस (رحمه الله) भी हैं, कहते हैं: वह अपनी दीवार में लकड़ी लगाने से रोक सकता है। लेकिन पहला कौल सहीह है।

19 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

19 - क़सम दिलाने वाले की तस्दीक़ पर क़सम का एतबार होता है.

1354 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

1354 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़सम वही मोतबर है जिस पर तुम्हारा साथी (क़सम लेने वाला) तुम्हारी तस्दीक़ करे" कुतैबा कहते है: जिस पर तुम्हारे साथी ने तुम्हारी तस्दीक़ की।

मुस्लिम: 1653. अबू दाऊद : 3255. इब्ने माजा: 2121.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हैसम की अब्दुल्लाह बिन अबू सालेह से ली गई हदीस से ही जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह, सहल बिन अबी सालेह के भाई हैं, नीज़ बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के कायल हैं।

इब्राहीम नखई (رحمه الله) कहते हैं: अगर क़सम लेने वाला ज़ालिम हो उसमें क़सम देने वाले की निय्यत का एतबार होगा और जब क़सम लेने वाला मजलूम हो तो फिर क़सम लेने वाले की निय्यत का एतबार होगा।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ؟

20 - अगर रास्ते के बारे में इख़्तिलाफ़ हो तो कितना रखा जाए?

1355 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

1355 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "रास्ता सात हाथ रखो। "

बुख़ारी: 2473. मुस्लिम: 1613. अबू दाऊद : 3633. इब्ने माजा:2338.

1356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

1356 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम रास्ते के बारे में झगड़ा करो तो इसे सात[(1)] हाथ रखो।"

बुख़ारी: 2473. मुस्लिम: 1613.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस वकीअ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: बिश्र बिन काब अल-अदवी की अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। बाज़ ने इस हदीस को क़तादा से बवास्ता बशीर बिन नहीक अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है लेकिन वह हदीस गैर महफ़ूज़ है।

तौज़ीह: (1) जिरा (गज़) एक पैमाना का नाम है। इसकी सवाब से मशहूर किस्म "الزراع الهاشمية ' : है जो 32 उँगलियों के बराबर या 64 सेंटी मीटर होता है। देखिये: अल-मोजमुल वसीत: पृ. 376)

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا

21 - जब वालिदैन जुदा हों तो बच्चे को इख़्तियार देना.

1357 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

1357 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने एक बच्चे को अपने बाप और मां के दर्मियान इख़्तियार दिया था।

अबू दाऊद : 2277. इब्ने माजा:2351. निसाई: 3496.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अबू मैमूना का नाम सुलैम था। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते है कि जब बच्चे के बारे में वालिदैन के दर्मियान झगड़ा हो जाए तो बच्चे को इख़्तियार दिया जाएगा, अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं। वह मज़ीद कहते है: जब तक बच्चा छोटा हो

तो मां ज़्यादा हक़दार है और जब वह सात साल का हो जाए तो उसे मां बाप के दर्मियान इख़्तियार दिया जाएगा। (जिसके साथ चाहे रहे)

हिलाल बिन अबू मैमूना, हिलाल बिन अली बिन उसामा हैं और यह मदनी हैं। उन से यह्या बिन कसीर, मालिक बिन अनस और फुलैह बिन सुलैमान ने रिवायत की है।

22 - बाप अपने बेटे का माल ले सकता है.

22 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

1358 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सब से पाकीज़ा रोज़ी वह है जो तुम अपनी कमाई (हाथ की मजदूरी) से खाते हो और तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई है। "

सहीह: अबू दाऊद : 3528. इब्ने माजा: 2137. निसाई: 4449.

1358 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।
इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ ने इसे उमारा बिन उमैर से उनकी मां के वास्ते के साथ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की है लेकिन अक्सर रावी उनकी फूफी का ज़िक्र करते हैं। वह आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करती हैं। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि बाप का हाथ अपनी औलाद के माल में खुला है जो चाहे ले ले।

और बाज़ कहते हैं: सिर्फ़ ज़रुरत के तहत उसका माल ले सकता है।

23 - अगर किसी की कोई चीज टूट जाए तो तोड़ने वाले के माल से अदा की जाएगी.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الكَاسِرِ؟

1359 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) की किसी एक बीवी ने एक प्याले(1) में नबी(ﷺ) को खाना भेजा तो आयशा (رضي الله عنها) ने प्याले को अपना हाथ दे मारा और जो उसमें था गिरा दिया, तो

1359 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ.

नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "खाने के बदले खाना और बर्तन के बदले बर्तन देना पड़ेगा।"

बुख़ारी: 2481. अबू दाऊद : 3567.इब्ने माजा: 2334. निसाई: 3955.

तौज़ीह: قَصْعَة : लकड़ी से बना प्याला जिस में खाना खाया जाता है और सरीद बनाई जाती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 894)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1360 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ.

1360 - अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने एक प्याला आरियतन (इस्तेमाल करने के लिए) लिया। वह ज़ाया हो गया तो आप(ﷺ) ने उसके जामिन होते हुए उसका हर्जाना दिया।

ज़ईफ़ जिद्दा.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है। मेरे मुताबिक़ सुवैद ने इस से वही हदीस मुराद ली है जो सौरी ने रिवायत की है और सौरी की हदीस ज़्यादा सहीह है।

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

24 - मर्द और औरत के जवान होने की उम्र

1361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ

1361 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मुझे एक लश्कर के लिए रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने पेश किया गया था, उस वक़्त मैं 14 साल का था आप ने मुझे क़ुबूल न किया, फिर अगले साल एक लश्कर में मुझे पेश किया गया तो मेरी उमर 15 साल

عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِي. قَالَ نَافِعٌ: وَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الخَمْسَ عَشْرَةَ.

थी। आप ने मुझे कुबूल कर लिया। नाफ़े कहते हैं: मैंने यह हदीस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) को बयान की तो उन्होंने फ़रमाया, छोटे और बड़े (यानी बालिग़ और नाबालिग़) के दर्मियान यही हद है। फिर उन्होंने (अपने आमिलों को) लिखा कि जो 15 साल का हो जाए उसका वजीफा मुक़र्रर कर दिया जाए।

बुख़ारी: 2664. मुस्लिम: 1868. अबू दाऊद : 2975. इब्ने माजा: 2543. निसाई: 3431.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं:) हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने उबैदुल्लाह बिन उमर से उन्होंने नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه), नबी(ﷺ) से इस जैसी हदीस बयान की है लेकिन इस में यह ज़िक्र नहीं है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा कि नाबालिग़ और बालिग़ के दर्मियान यही हद है।

इब्ने उयय्ना ने अपनी हदीस में ज़िक्र किया है कि (नाफ़े) कहते हैं: मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) को यह हदीस सुनाई तो उन्होंने कहा: बच्चों और लड़ने वालों के दर्मियान यही हद है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि लड़के की उम्र जब 15 साल हो जाए तो उसका हुक्म मर्दों वाला होगा और अगर 15 साल से पहले एहतलाम शुरू हो जाए तो फिर भी उसका हुक्म मर्दों वाला होगा।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बुलूग़त की तीन निशानियाँ हैं: 15 साल की उमर को पहुंचना या एहतलाम, अगर उसकी उम्र और एहतलाम का पता न चले तो फिर जेरे नाफ के बालों का उग आना।

25 بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

25 - जो शख़्स अपने बाप की बीवी से निकाह कर ले.

1362 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ

1362 - सय्यदना बराअ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मेरे पास से मेरे मामू अबू बुर्दा बिन नियार (رضي الله عنه) गुज़रे और उनके पास झंडा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? तो उन्होंने फ़रमाया,

بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक ऐसे आदमी की तरफ़ भेजा है जिस ने अपने बाप की बीवी से शादी कर ली है। आप ने मुझे इस लिए भेजा है ताकि मैं आप के पास उसका सर लेकर आऊं।

सहीह: अबू दाऊद : 4475. इब्ने माजा: 2607. निसाई: 3331.

वज़ाहत: इस मसले में कुर्रा अल-मुजनी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बराअ (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इस हदीस को अदी बिन साबित से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सय्यदना बराअ (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

नीज़ यह हदीस अशअस से भी बवास्ता अदी, यज़ीद बिन बराअ के ज़रिए उनके बाप से मर्वी है। और अशअस से ही बवास्ता अदी, यज़ीद बिन बराअ के ज़रिए उनके मामूं से भी मर्वी है वह नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي الْمَاءِ

26 - दो आदमियों में से अगर एक आदमी का खेत पानी लगाने में दूर हो.

1363 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ:

1363 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि अंसार के एक आदमी ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) से हर्रा के नाले[1] के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास झगड़ा किया जिसके साथ वह अपने खुजूरों के दरख़्तों को पानी देते थे अंसारी कहने लगा: पानी को छोड़ दो वह गुज़र जाए। ज़ुबैर (رضي الله عنه) ने इनकार किया। वह मुक़द्दमा लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आए तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़ुबैर से फ़रमाया, "ऐ ज़ुबैर! तुम अपनी ज़मीन को पानी दे कर अपने हमसाये की तरफ़ छोड़ दिया करो।" अंसारी नाराज़ हो गया। कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! यह आपकी फूफी का बेटा

اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ، اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ:{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}

है न इस लिए? तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) का चेहरा मुतगय्यर हो गया। फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ ज़ुबैर! अपने खेत को पानी दो। फ़िर पानी को रोको। यहाँ तक कि वह मुंडेरों[2] तक पहुँच जाए।" ज़ुबैर (رضي الله عنه) कहते हैं: अल्लाह की क़सम! मैं यक़ीन के साथ कहता हूँ कि यह आयत इसी वाक़िये के बारे में नाजिल हुई है: "तेरे रब की क़सम यह तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में आप को हाकिम ना मान लें फिर आप के फ़ैसले पर अपने दिलों में तंगी महसूस न करे और इस फ़ैसले को तस्लीम कर लें। (अन्निसा: 65)

बुख़ारी: 2360. मुस्लिम: 2357. अबू दाऊद : 3637. इब्ने माजा: 2480. निसाई: 5407.

तौज़ीह: شِرَاجِ الحَرَّةِ : शिराज उस नाले या खाल को कहते हैं जिसके ज़रिये फसलों को सैराब किया जाता है। और हर्रा मदीना के बाहर एक कंकरीली जगह का नाम है। الجَدْرِ: खेत के इर्द गिर्द की गई मुंडेर, दीवार की जड़।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और शोऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा बिन ज़ुबैर, सय्यदना ज़ुबैर (رضي الله عنه) से रिवायत की है। इस में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) के वास्ते का ज़िक्र नहीं है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन वहब ने इसे लैस से और यूनुस ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) से पहली हदीस की तरह रिवायत किया है।

27 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

27 - जो शख़्स अपनी मौत के वक़्त अपने गुलामों को आज़ाद कर दे और उसके पास उनके अलावा कोई माल भी न हो.

1364 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ

1364 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक अंसारी ने अपनी मौत के वक़्त अपने छः गुलामों को आज़ाद कर दिया और उनके अलावा उसका और कोई माल भी

الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

नहीं था। यह खबर नबी(ﷺ) को पहुंची तो आप(ﷺ) ने उसे बहुत सख़्त बात कही। फिर आप(ﷺ) ने उन गुलामों को बुलाया और उनके तीन हिस्से करके उनके दर्मियान क़ुरआअंदाजी की; दो को आज़ाद कर दिया और चार को ग़ुलाम रखा।

मुस्लिम: 1668. अबू दाऊद : 3958. इब्ने माजा: 2345.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और इनसे कई सनदों के साथ मर्वी है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। वह ऐसे मामलात में क़ुरआ का इस्तेमाल दुरुस्त समझते हैं लेकिन कूफा के बाज़ उलमा क़ुरआ को दुरुस्त नहीं कहते वह कहते हैं: हर ग़ुलाम में से तीसरा हिस्सा(1) आज़ाद किया जाएगा। और उसकी दो तिहाई क़ीमत में मेहनत करवाई जाएगी। अबू मुहल्लब का नाम अब्दुर्रहमान बिन उमर अज्- जरमी है। यह अबू किलाबा नहीं हैं। अबू किलाबा अज्- जरमी का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद था।

तौज़ीह: (1) नबी(ﷺ) ने एक तिहाई आज़ाद किए थे क्योंकि कोई भी शख़्स ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है।

28 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

28 - जो शख़्स अपने किसी रिश्तेदार का मालिक बन जाए.

1365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

1365 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अपने किसी रिश्तेदार का मालिक बन जाए। (यानी उसे बतौरे गुलाम ख़रीदे) तो वह आज़ाद है।

सहीह: अबू दाऊद : 3949. इब्ने माजा:2524.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ हम्माद बिन ज़ैद की सनद से ही बवास्ता

क़तादा मुत्तसिल है और आसिम अल- अहवल ने भी बवास्ता हसन, सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए तो वह आज़ाद है। " अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं:मुहम्मद बिन बक्र के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने सनद में यह कहा हो कि आसिम ने हम्माद बिन सलमा से रिवायत की है।

बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए तो वह (ग़ुलाम) आज़ाद है।" उसे हम्ज़ा बिन रबीआ ने सुफ़ियान सौरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। लेकिन हम्ज़ा बिन रबीआ की इस हदीस (की सनद) में मुताबअत नहीं की गई और मुहद्दिसीन के नज़दीक यह हदीस खता है।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

29 - जो शख़्स किसी की ज़मीन में उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज काश्त करे.

1366 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

1366 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स किसी कौम की ज़मीन में उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ काश्त करता है तो उसे इस में कुछ नहीं मिलेगा और उसे इसका ख़र्च मिल जाएगा। "

सहीह: अबू दाऊद. 3403. इब्ने माजा:2466.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू इस्हाक़ से सिर्फ़ शरीक बिन अब्दुल्लाह की सनद से ही जानते हैं और बाज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है। यह कौल अहमद और इस्हाक़ का है। नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "यह हदीस हसन है और मैं इसे सिर्फ़ शरीक की रिवायत से ही अबू इस्हाक़ से जानता हूँ।

मुहम्मद (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: हमें माकिल बिन मालिक बसरी ने उन्हें उक़्बा बिन आसम ने अता से बवास्ता राफे बिन ख़दीज नबी(ﷺ) से इस जैसी हदीस बयान की।

30 - तोहफ़ा वग़ैरह देने में औलाद के दर्मियान बराबरी की जाए.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

1367 - सय्यदना नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने अपने एक बेटे को एक गुलाम दिया और नबी(ﷺ) को गवाह बनाने के लिए आप के पास आए तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुमने अपनी सारी औलाद को ऐसे ही दिया है जैसे उसको दिया है?" उसने कहा : नहीं" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "फिर उस से भी वापस ले लो।"

बुख़ारी: 2586. मुस्लिम: 1623.अबू दाऊद : 3544. इब्ने माजा: 2375.निसाई: 3682.

1367 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلاَمًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْدُدْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

नीज़ बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए औलाद के दर्मियान बराबरी करने को मुस्तहब कहते हैं। बाज़ ने तो यहाँ तक कहा है कि बोसा देने में भी औलाद के दर्मियान बराबरी करे। और बाज़ कहते हैं: हिबा व अतिय्या में अपनी औलाद बेटों और बेटियों में बराबरी करे। यह कौल सुफ़ियान सौरी का है।

बाज़ कहते हैं: औलाद के दर्मियान बराबरी से मुराद तक्सीमे विरासत की तरह लड़कों को दो लड़कियों जितना देना है। यह कौल इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

31 – शुफ़आ का बयान.

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

1368 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, घर का हमसाया घर (ख़रीदने) का ज़्यादा हक़दार है।

सहीह: अबू दाऊद : 3517. मुसनद अहमद: 5/8

1368 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

तौज़ीह: الشُّفْعَةِ : इस्तिलाह में शुफ़आ का मतलब यह है कि एक शख़्स अपना घर वग़ैरह फ़रोख्त करना चाहे तो ख़रीदने का सब से ज़्यादा हक़ उसके पड़ोसी को है। पहले उस से पूछे कि अगर तुम ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो और अगर वह न ख़रीदना चाहे तो किसी और के हाथ फ़रोख्त कर सकता है लेकिन अगर वह उस से पूछता या बताता नहीं है तो हमसाये को शरीयत ने हक़्क़े शुफ़आ (साथ मिलाने का) दिया है कि वह अदालती तरीक़े से शुफ़आ के ज़रिए इस घर को या जगह को ख़रीद सकता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में शरीद, अबू राफे और अनस (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है, और समुरा (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ ईसा बिन यूनुस ने भी इसको सईद बिन अबी अरूबा से बवास्ता क़तादा उन्होंने अनस (رضي الله) के ज़रिए नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

और सईद बिन अबी अरूबा से बवास्ता क़तादा हसन से और फिर समुरा (رضي الله) से नबी(ﷺ) की हदीस भी मर्वी है। और अहले इल्म के नज़दीक हसन की समुरा (رضي الله) से ली गई हदीस सहीह है।

जबकि क़तादा की अनस से बयान कर्दा रिवायत को हम सिर्फ़ ईसा बिन यूनुस के तरीक़ से जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अत्ताई की अम्र बिन शरीद के ज़रिए उनके बाप के वास्ते से बयान कर्दा इस मसले की हदीस हसन है।

नीज़ इब्राहीम बिन मैसरा ने भी अम्र बिन शरीद से बवास्ता अबू राफ़े नबी करीम(ﷺ) की हदीस रिवायत की है। अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरे नज़दीक दोनों हदीसें सहीह हैं।

32 - ग़ैर मौजूद के लिए भी हक़्क़े शुफ़आ है.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

1369 - सय्यदना जाबिर (رضي الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, पड़ोसी अपने शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है अगर वह ग़ायब भी हो तो उसका इन्तिज़ार किया जाएगा जब उनका रास्ता एक हो। "

सहीह: अबू दाऊद : 3518. इब्ने माजा: 2494.

1369 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और हमारे इल्म में अब्दुल मलिक बिन सुलैमान के अलावा और कोई ऐसा रावी नहीं है जिसने बवास्ता अता, जाबिर (رضي الله) से

यह हदीस रिवायत की हो, और शोबा ने इस हदीस की वजह से अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान पर क़लाम किया है। और अब्दुल मलिक मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह् और अमीन रावी है और शोबा के अलावा किसी और ने उन पर क़लाम नहीं किया। नीज़ वकीअ ने भी बवास्ता शोबा, अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान से इस हदीस को रिवायत किया है।

इब्ने मुबारक से मर्वी है कि सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान इल्म में एक तराजू है।

नीज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि अगर आदमी ग़ैर हाज़िर भी हो तो वह अपने शुफ़आ का हक़ रखता है। अगर वह बहुत अर्सा बाद भी वापस आए तो उसके लिए शुफ़आ का हक़ है।

33 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلاَ شُفْعَةَ

33-जब हदें मुक़र्रर हो जाएँ और हिस्से अलाहिदा (अलग) हो जाएँ तो शुफ़आ नहीं हो सकता

1370 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ.

1370 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, जब हदें मुक़र्रर हो जाएँ और रास्ते बदल जाएँ तो शुफ़आ नहीं है। "

बुख़ारी: 2213. मुस्लिम: 1608. अबू दाऊद : 3514. इब्ने माजा:2499.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ ने इसको अबू सलमा से मुर्सल रिवायत किया है।

नीज़ नबी अकरम(ﷺ) के बाज़ उलमा सहाबा का जिन में उमर बिन खत्ताब और उस्मान बिन अफ्फान (ﷺ) भी हैं, इसी पर अम्ल है और फ़ुकहा ताबेईन जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह भी यही कहते हैं और अहले मदीना का भी यही कौल है जिन में यह्या बिन सईद अंसारी, रबीआ बिन अबू अब्दुर्रहमान और मालिक बिन अनस भी शामिल हैं।

शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि हक़्क़े शुफ़आ सिर्फ़ शरीक के लिए है और पड़ोसी जब इसका शरीक नहीं है तो उसके लिए शुफ़आ नहीं है।

जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि शुफ़आ पड़ोसी के

लिए साबित है। उनकी दलील नबी(ﷺ) की यह मर्फ़ूअ हदीस है कि "घर का हमसाया घर ख़रीदने का ज़्यादा हक़दार है।" और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "पड़ोसी नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा हक़दार है।" सौरी, इब्ने मुबारक और अहले कूफ़ा भी इसी के क़ायल हैं।

34 - हिस्सेदार शुफ़आ का हक रखता है।

34 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَفِيعٌ

1371 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हिस्सेदार (शरीक) शुफ़आ का हक़ रखने वाला है और शुफ़आ हर चीज़ में हो सकता है।"

मुन्कर: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफा: 1010, 1009. तोहफतुल अशराफ़: 5795.

1371 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस तरह यह हदीस हमें सिर्फ़ अबू हम्ज़ा अस्सकरी की सनद से ही मिलती है। जब कि रावियों ने इस हदीस को अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका नबी ((ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है और ये ज़्यादा सहीह है।

(अबू ईसा رحمه الله कहते हैं:) हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं:) हमें अबू बक्र बिन अयाश ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका नबी ((ﷺ) से उसी तरह रिवायत की है इस में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है। नीज़ बहुत से रावियों ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से इसी तरह रिवायत की है इस में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है और अबू हम्ज़ा की रिवायत से ज्याद सहीह है और अबू हम्ज़ा सिक़ह् रावी है। मुम्किन है यह ग़लती किसी और से हुई हो।

(अबू ईसा कहते हैं:) हमें हन्नाद ने (वो कहते हैं :) हमें अबू अहवस ने भी अब्दुल अज़ीज़ रफ़ी से बवास्ता इब्ने अबी मुलैका नबी(ﷺ) से अबू बक्र बिन अयाश की हदीस की तरह हदीस बयान की है।

और अकसर उलमा कहते हैं, शुफ़आ सिर्फ़ घरों और ज़मीनों में हो सकता है, हर चीज़ में नहीं। जबकि बाज़ कहते हैं: शुफ़आ हर चीज़ में हो सकता है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

35 - गिरी पड़ी चीज़ और गुमशुदा ऊँट और बकरी का बयान.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبِلِ وَالغَنَمِ

1372 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अज्-जुहनी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से गिरी पड़ी[1] चीज़ के बारे में दर्याफ़्त किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक साल उसकी पहचान कराओ फिर उसके सरबंद[2] बरतन और उसके थैले[3] की पहचान रखो और फिर उसे ख़र्च कर लो, अगर उसका मालिक आ जाए तो उसको अदा कर दो।" उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! गुमशुदा बकरी का क्या करूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे पकड़ लो, वह तुम्हारे लिए या तुम्हारे किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए या भेड़िये के लिए है।" उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! गुमशुदा ऊँट? रावी कहते हैं: नबी(ﷺ) को गुस्सा आ गया यहाँ तक कि आप के दोनों रुख़सार या आपका चेहरा मुबारक सुर्ख़ हो गया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुझे उससे क्या गरज़! उसके साथ उसका जूता और मश्कीज़ा है। (वह खाता फिरता रहेगा) यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेगा।"

बुख़ारी: 91. मुस्लिम: 1722. अबू दाऊद : 1704. इब्ने माजा: 2504.

1372 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الغَنَمِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ، قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا.

तौज़ीह: (1) रास्ते में गिरी हुई किसी भी चीज़ को लुकता कहा जाता है। وِكَاءَ : डोरी या रस्सी जिस से थैली वग़ैरह का मुंह बांधा जाता है। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 1282) عِفَاص : ग़िलाफ़ जिसके ज़रिए शीशी के ढक्कन को ढाँपा जाता है। इसी तरह चरवाहे के चमड़े या कपड़े के थैले को भी इफ़ास कहा जाता है। देखिये (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 626)

वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अब्दुल्लाह बिन उमर, जारूद बिन मुअ्ला, अयाज़ बिन हिमार और जरीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ से मर्वी है। नीज़ यज़ीद मौला व मम्बअस की ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। और यह भी कई तुरूक़ से मर्वी है।

और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) व दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए गिरी पड़ी चीज़ उठाने की इजाज़त देते हैं बशर्ते कि वह उसकी पहचान कराये, अगर उसे पहचानने वाला कोई भी न मिले तो उससे फ़ायदा उठा सकता है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगो में से कुछ उलमा कहते हैं: वह एक साल तक उसका तआरुफ़ करवाए अगर मालिक आ जाए तो ठीक वग़रना उसे सदका कर दे। यह कौल सुफ़ियान सौरी इब्ने मुबारक और अहले कूफा का है। वह मज़ीद कहते हैं कि चीज़ उठाने वाला अगर मालदार है तो उस से फ़ायदा नहीं उठा सकता।

शाफ़ेई कहते हैं: मालदार भी हो तो उस से नफ़ा उठा सकता है क्योंकि नबी(ﷺ) के दौर में उबय बिन काब (رضي الله عنه) को एक थैली मिली जिस में एक सौ दीनार थे तो नबी(ﷺ) ने उनको हुक्म दिया था कि एक साल तक उसका तआरुफ़ (परिचय) करवाएं फिर उस से नफ़ा उठा लें। और उबय (رضي الله عنه) मालदार और रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा में साहिबे हैसियत थे। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि उसकी पहचान करवाएं उन्हें मालिक न मिला तो नबी(ﷺ) ने उन्हें खाने का हुक्म दिया था। अगर गिरी पड़ी चीज़ सिर्फ़ उसी के लिए हलाल होती जिसके लिए सदका हलाल है तो सय्यदना अली (رضي الله عنه) के लिए हलाल न होती क्योंकि अली (رضي الله عنه) को भी अहदे नबवी में एक दीनार मिला था उन्होंने पहचान करवाई लेकिन उसका मालिक ना मिला तो नबी(ﷺ) ने उसे खाने का हुक्म दिया था हालांकि सय्यदना अली (رضي الله عنه) के लिए सदका हलाल नहीं था। और बाज़ उलमा ने रुख़्सत दी है कि अगर मिलने वाली चीज़ थोड़ी सी हो तो उसे इस्तेमाल कर ले और पहचान न करवाए।

बाज़ कहते हैं: अगर एक दीनार से कम हो तो एक हफ्ता (सात दिन) तक पहचान करवाए। यह कौल इस्हाक़ बिन इबराहीम (رحمه الله) का है।

1373 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अज्-जुहनी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से रास्ते में गिरी हुई चीज़ के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया,

1373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلاَّ فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا.

"एक साल उसकी पहचान करवाओ अगर पहचान में आ जाए तो उसे दे दो। वग़रना उसकी थैली, सर बंद और गिनती (तादाद) को याद रखो, फिर खा लो, अगर मालिक आ जाए तो उसे वापस कर दो।"

मुस्लिम: 4479. अबू दाऊद : 1706.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह है। और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं: इस मसले में सब से ज़्यादा सहीह यही हदीस है।

1374 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، قَالاَ: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لاَ أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لآخُذَنَّهُ فَلأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لِي: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ، فَعَرَّفْتُهَا،

1374 - सुवैद बिन गफ़ला (رحمه الله) कहते हैं: मैं ज़ैद बिन सूहान और सलमा बिन रबीआ के साथ बाहर निकला तो मुझे एक कोड़ा मिला। इब्ने नुमैर अपनी हदीस में कहते हैं: मैंने कोड़ा गिरा हुआ देखा तो उसको ले लिए। इन दोनों (ज़ैद बिन सूहान और सुलैमान बिन रबीआ) ने कहा: इसे छोड़ दो। मैंने कहा: मैं इसे नहीं छोडूंगा कि इसे दरिन्दे खा जाएँ, मैं इसे ज़रूर पकड़ूँगा और इस से फ़ायदा उठाउंगा। फिर मैं उबय बिन काब (رضي الله عنه) के पास गया, उन से इस बारे में पूछा और वाक़िया सुनाया तो उन्होंने फ़रमाया, "तुमने अच्छा किया। मुझे अल्लाह के रसूल(ﷺ) के दौर में एक थैली मिली थी जिस में सौ दीनार थे। मैं इसे लेकर आप(ﷺ) के पास आया, आप(ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया, "एक साल तक इसकी पहचान करवाओ।" मैंने एक साल तक उसकी पहचान करवाई पर उसे पहचानने वाला कोई न मिला, फिर मैं उसे आप(ﷺ) के पास लेकर आया। आप(ﷺ)

ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ، وَقَالَ: أَحْصِ عِدَّتَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

ने फ़रमाया, "एक साल और इसकी पहचान करवाओ।" और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उन दीनारों की तादाद शुमार कर लो और उसका बर्तन और सर बंद याद रखो। अगर उसे तलाश करने वाला आ जाए और तुम्हें उनकी तादाद, बरतन और सर बंदी की निशानी बता दे तो उसे दे दो, वर्ना उस से फ़ायदा उठा लो।"

बुख़ारी: 2426. मुस्लिम: 1723. अबू दाऊद : 1701, 1703. इब्ने माजा: 2506

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

36 بَابٌ فِي الوَقْفِ

36 - वक़्फ़ का बयान.

1375 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ، تَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ،

1375 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) को खैबर में ज़मीन मिली तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे खैबर में इतना माल मिला है कि मेरे मुताबिक़ मुझे कभी इस से उम्दा माल नहीं मिला, आप(ﷺ) मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "अगर तुम चाहो तो उसकी असल को अपने पास रखो और उसकी पैदावार से सदका करो। तो उमर (رضي الله عنه) ने उसे सदका कर दिया और कहा: कि इसकी असल बेची जाए, न हिबा की जाए, और न ही विरासत में दी जाए। इसकी पैदावार को फ़ुक़रा, रिश्तेदारों गुलाम आज़ाद करने, अल्लाह के रास्ते, मुसाफिरों और मेहमानों के लिए सदका कर दिया और हाँ उसकी निगहदाश्त करने वाला अगर मारूफ तरीक़े से ख़ुद खा ले या अपने दोस्तों को खिला दे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माल जमा

أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

करने वाला न हो। रावी कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन सीरीन (رحمہ اللہ) को यह हदीस बयान की तो उन्होंने फ़रमाया, "غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً" कहा था। इब्ने औन कहते हैं: मुझे एक और आदमी ने बताया कि उसने भी एक सुर्ख़ चमड़े के टुकड़े में غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً पढ़ा है।

बुख़ारी: 2737. मुस्लिम: 1632.

इस्माईल कहते हैं: मैंने उबैदुल्लाह बिन उमर के बेटे के पास उसे पढ़ा था उस में भी غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً ही था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہم) व दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ मुतक़द्दिमीन उलमा के दर्मियान ज़मीनों के वक्फ़ के जायज़ होने के बारे में कोई इख़्तिलाफ़ हमारे इल्म में नहीं है।

1376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

1376 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुन्क़तअ (कट) हो जाते हैं सिवाए तीन चीजों के: जारी रहने वाला सदक़ा, वह इल्म जिस से नफ़ा लिया जाता हो और नेक औलाद जो उस के लिए दुआ करे।

मुस्लिम: 1631. अबू दाऊद : 2880. इब्ने माजा: 242. निसाई: 3651.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي: العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ

37 - जानवर अगर ज़ख्मी कर दे तो उसका क़िसास या दियत नहीं है.

1377 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

1377 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "चौपाये (जानवर) के लगाए हुए ज़ख्म पर तावान[1] नहीं है। कुएं (में गिर कर मरने वाले

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ.

या ज़ख्मी होने वाले) का खून रायगाँ है। खान में मरने वाला रायगाँ है और रिकाज़[2] में पांचवां हिस्सा (इस्लामी बैतूल माल का) है।"

बुख़ारी: 1499. मुस्लिम: 1710. अबू दाऊद : 3085. इब्ने माजा: 2509. निसाई: 2495

तौज़ीह: (1) جُبَارٌ : बेकार, फुजूल,रायगाँ, वह चीज़ जिसमें किसास या तावान न हो। (अल-मोजमुल वसीत:पृ 124) (2) الرِّكَاز : जाहिलियत का दफ़न शुदा खज़ाना।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं:) हमें कुतैबा ने (वह कहते हैं:) हमें लैस ने इब्ने शिहाब से (उन्होंने) सईद बिन मुसय्यब और अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله), नबी(ﷺ) से ऐसी ही रिवायत बयान की है। नीज़ इस मसले में जाबिर, अम्र बिन औफ़ अल-मुज़नी और उबादा बिन सामित (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله), की हदीस हसन सहीह है। हमें अंसारी ने बयान किया वह कहते हैं कि "अल-अज्मा" वह जानवर होता है जो मालिक से बेकाबू हो गया हो और ऐसी सूरत में अगर वह नुकसान कर देता है तो उसके मालिक पर तावान नहीं होगा। और (المَعْدِنُ جُبَارٌ) का मतलब है: जब कोई शख़्स खान खुदवा रहा हो तो उसमें कोई आदमी गिर जाए तो मालिक पर तावान नहीं होगा, इसी तरह जब कोई शख़्स मुसाफिरों के लिए कुआँ खुदवा रहा हो अगर उसमें कोई शख़्स गिर जाए तो मालिक पर तावान नहीं होगा।" रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है।" इसकी तफ़सील यह है कि रिकाज़ अहले जाहिलियत के मद्फून माल को कहते हैं जो शख़्स ऐसा माल पाए तो उसका पांचवां हिस्सा हाकिम को दे और बाकी उसका है।

38 بَابُ مَا ذُكِرَ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ المَوَاتِ

38 - बंजर ज़मीन को आबाद करना.

1378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

1378 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (رضي الله) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया (आबाद किया या क़ाबिले काश्त बनाया) तो वह उसी की है और ज़ालिम के दरख़्त लगाने से हक़ साबित नहीं होता। (1)

सहीह: अबू दाऊद : 3073. बैहक़ी: 6/ 142.

तौज़ीह: (1) यानी किसी ज़मीन में काश्त करने से ज़मीन उसकी नहीं हो जाती बल्कि उसको ज़ालिम कहा गया है और उसकी मेहनत भी रायगाँ जाएगी। क्योंकि उसे उसका काश्त का ख़र्च देकर पैदावार मालिके ज़मीन को दी जाएगी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ रावियों ने इसे हिशाम उर्वा से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ उलमा का इसी पर अमल है, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि बंजर ज़मीन हाकिम की इजाज़त के बग़ैर आबाद करना जायज़ है। जबकि बाज़ ने कहा है कि हाकिम की इजाज़त के बग़ैर उसे आबाद नहीं कर सकता। लेकिन पहला कौल सहीह है। इस मसले में जाबिर, कसीर के दादा अम्र बिन औफ़ अल-मुज़नी और समुरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बयान किया, वह कहते हैं: मैं अबू वलीद तयालिसी से आप के इसी फ़रमान के बारे में "ज़ालिम रग का कोई हक़ नहीं" सवाल किया तो आप ने फ़रमाया, ज़ालिम रग: वह ग़ासिब है जो ग़ैर की चीज़ ले लेता है। मैंने कहा यह वह आदमी है जो ग़ैर की ज़मीन में कुछ उगाता है? कहने लगे हाँ वही है।

1379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.

1379 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा (आबाद)किया तो वह उसी की है।"

सहीह: मुसनद अहमद: 3/304.इब्ने हिब्बान:7205

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي القَطَائِعِ

39 - जागीर देना.

1380 - قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ،

1380 - अब्यज़ बिन हम्माल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आए और आप से नमक वाली जगह की जागीर मांगी तो आप(ﷺ) ने उसे दे दी। जब वह वापस

عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ العِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ. فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ وَقَالَ: نَعَمْ.

मुड़े तो मजलिस में एक आदमी कहने लगा: क्या आप जानते हैं कि आप ने उसे क्या दिया है? आप ने उसे न बंद होने वाला पानी दिया है[1] रावी कहते हैं: आप(ﷺ) ने उस से वापस ले ली। और उसने आप(ﷺ) से पूछा: पीलू के कौनसे दरख़्त घेरे जा सकते हैं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जहां तक ऊंटों के पांव न जा सकते हों।" अबू ईसा कहते हैं: कुतैबा ने इस रिवायत का इकरार करते हुए कहा? हाँ।

हसन: अबू दाऊद : 3064. इब्ने माजा:2475.

तौज़ीह: الْمَاءَ العِدّ: यानी वह ऐसी नमक की खान है जिससे कसरत के साथ नमक निकलता है।

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यह्या बिन अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यह्या बिन कैस अल-मारबी ने इसी सनद के साथ इसी तरह की रिवायत की है।

मारिब: यमन का इलाक़ा है। नीज़ इस मसले में वाइल और अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्यज़ बिन हम्माल (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का जागीर देने के बारे में इसी पर अमल है। वह कहते हैं: हाकिम जिसे चाहे जागीर दे सकता है।

1381 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

قَالَ مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ، وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ.

1381 - अल्क़मा बिन वाइल अपने बाप सय्यदना वाइल (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हज्रे मौत में एक ज़मीन बतौर जागीर दी थी। महमूद कहते हैं: नज़र ने शोबा से रिवायत करते हुए यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा किए हैं कि आप(ﷺ) ने उन के साथ मुआविया (رضي الله عنه) को भेजा कि वह जागीर मुक़र्रर कर दें।

सहीह: अबू दाऊद : 3058. मुसनद अहमद: 6/399. इब्ने हिब्बान: 7205.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

40 - शजर कारी की फ़ज़ीलत.

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الغَرْسِ

1382 - सय्यदना अनस(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, जो मुसलमान कोई दरख़्त लगाए या फ़सल काश्त करे फिर उस से कोई इंसान, परिंदा या जानवर कुछ खा ले तो वह उस के लिए सदक़ा है। "

बुख़ारी: 2320. मुस्लिम: 1553.

1382 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू अय्यूब, उम्मे मुबश्शिर, जाबिर और ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

41 - काश्तकारी का बयान.

41 بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْمُزَارَعَةِ

1383 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने खैबर वालों को ज़मीनों पर आमिल बनाया इस शर्त पर कि उससे आने वाले फल या फ़सल आधे- आधे होंगे।

बुख़ारी: 2286. मुस्लिम: 1551. अबू दाऊद : 3008. इब्ने माजा: 2467. निसाई: 3929

1383 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, इब्ने अब्बास, ज़ैद बिन साबित और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन (رضي الله عنهم) में से बाज उलमा इसी पर अमल करते हुए आधे, तिहाई या चौथाई हिस्से पर काश्त करवाने को जायज़ कहते हैं। बाज़ उलमा इस बात को इख़्तियार करते हैं कि बीज ज़मीन का मालिक मुहैया करे। यह कौल इमाम मालिक और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

बाज़ उलमा तीसरे या चौथे हिस्से पर काश्त करवाने को नापसंद करते हैं। लेकिन खुजूरों के तीसरे या चौथे हिस्से पर पानी लगाने में कोई हर्ज नहीं समझते। यह कौल इमाम मालिक बिन अनस और शाफ़ेई (رحمه الله) का है।

बाज़ की राय यह है कि खेती सिर्फ़ इसी सूरत में दुरुस्त है कि मालिक सोने या चांदी के एवज़ ज़मीन किराये पर दे दे।

42 - खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ा एक और बयान.

42 بَابٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

1384 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِذَا كَانَتْ لأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا

1384 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें एक ऐसे काम से मना कर दिया जो हमारे लिए नफ़ाबख़्श था। वह यह कि जब हम में से किसी की ज़मीन होती तो वह उसे पैदावार के कुछ हिस्से या दिरहमों के बदले दे देता और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से किसी के पास ज़मीन हो तो वह उसे अपने भाई को (काश्त के लिए) बतौर तोहफ़ा दे दे या ख़ुद काश्त करे।"

मुस्लिम: 1548. अबू दाऊद : 3395, 3398. इब्ने माजा: 2460. निसाई: 3864, 3866.

1385 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

1385 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हिस्से पर काश्त कारी करवाने को हराम नहीं किया। लेकिन आप ने हुक्म दिया है कि लोग एक दूसरे पर नरमी करें।

बुख़ारी: 2330. मुस्लिम: 1550. अबू दाऊद : 3389. इब्ने माजा: 2457. निसाई: 3873.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) की हदीस में इज़्तिराब है। यह हदीस राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) के वास्ते के साथ उनके चचाओं से भी मर्वी है और उनके ज़रिए उनके एक चचा ज़हीर बिन राफे से भी मर्वी है और यह हदीस उनसे मुख़्तलिफ़ रिवायत से मर्वी है। नीज़ इस मसले में ज़ैद बिन साबित और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

ख़ुलासा

- जहां तक मुम्किन हो कोशिश की जाए कि किसी के दर्मियान ला इल्मी के साथ फ़ैसला न करें।
- इन्साफ के साथ फ़ैसला करने वाला अल्लाह का महबूब और उसका मुक़र्रब है।
- दोनों फ़रीकों की बात सुने बग़ैर फ़ैसला न किया जाए।
- रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं।
- क़सम मुद्दई और गवाह मुद्दआ अलैह के ज़िम्मा है।
- अगर दो गवाह ना हों तो एक गवाह के साथ एक क़सम लेकर फ़ैसला किया जा सकता है।
- उम्र भर के लिए किसी को कुछ दिया जा सकता है लेकिन उसे वापस नहीं लिया जा सकता।
- अगर रास्ते में झगड़ा हो तो उसे सात हाथ (लगभग 64 सेंटी मीटर) रखा जाए।
- मियाँ बीवी में अलाहिदगी (जुदाई) होने की सूरत में बच्चे को इख़्तियार दिया जाए जिसके साथ चाहे रहे।
- बाप अपने बेटे का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर ले सकता है।
- जो शख़्स अपने बाप की बीवी से निकाह कर ले उसे क़त्ल कर दिया जाए।
- कोई शख़्स अपने सारे माल का सदका नहीं कर सकता।
- तोहफ़ा वग़ैरह देने में औलाद के दर्मियान बराबरी करना ज़रूरी है।
- रास्ते में मिलने वाली चीज़ का एक साल तक ऐलान किया जाए।
- अगर जानवर किसी को ज़ख्मी कर दे तो मालिक पर तावान नहीं होगा।
- बटाई पर ज़मीन देना जायज़ है।

मज़मून नम्बर 14.

أَبْوَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

अल्लाह के रसूल(ﷺ) से मर्वी दियत के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़

37 अहादीस और 22 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि

- दियत क्या है?
- किन- किन आज़ा (अंगों) की वजह से दियत लाज़िम आती है?
- क़िसास कैसे लिया जाए?
- किन गुनाहों की बिना पर मुसलमान को क़त्ल किया जा सकता है?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِلِ

1386 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً.

1 - दियत में कितने ऊँट हैं?

1386 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़त्ले खता में बीस बिन्ते मखाज़ (मादा) बीस नर इब्ने मखाज़, बीस बिन्ते लबून, बीस जज़ओं और बीस हिक़्क़ों को अदा करने का हुक्म दिया था।[1]

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4545. इब्ने माजा: 2631. निसाई: 4802.

(1) इन तमाम जानवरों की उम्र की तफ़सील हदीस नम्बर 621 के अंतर्गत मुलाहजा फ़रमाएं।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। हमें अबू हिशाम अर्रिफाई ने (वह कहते हैं:) हमें इब्ने अबी ज़ायदा और अबू ख़ालिद अहमर ने हज्जाज बिन अर्तात से इसी तरह रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद की हदीस सिर्फ़ इसी तरीक (सनद) से मर्फूअ है। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मौकूफन भी मर्वी है।

जबकि बाज़ उलमा भी इसी तरफ़ गए हैं: इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। नीज़ उलमा का इस बात पर इज्मा है कि दियत तीन सालों में ली जाएगी। हर साल में तीसरा हिस्सा, और उनके मुताबिक दियत अस्बात पर होगी और बाज़ के मुताबिक अस्बात मर्द के बाप की जानिब से रिश्तादार होते हैं। यह कौल इमाम मालिक और शाफ़ेई (رحمه الله) का है। और बाज़ (कुछ) कहते हैं कि दियत ।

अस्बात में से मर्दों के ज़िम्मा है। औरतों और बच्चों के ज़िम्मा नहीं और हर आदमी एक चौथाई दीनार का जामिन होगा। बाज़ (कुछ) ने निस्फ़ दीनार कहा है अगर इस तरह दियत पूरी हो जाए (तो ठीक है) वर्ना उसके करीबी क़बाइल को देखा जाएगा और बाकी दियत उनके ज़िम्मा होगी।

1387 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ

1387 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से, वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल किया उसे मक़्तूल के वारिसों के हवाले कर दिया जाए, अगर वह चाहें क़त्ल कर दें और गर चाहें दियत ले लें और दियत में तीस हिक्के, तीस जज़ए और चालीस हामिला ऊंटनियाँ हैं और जिस बात पर भी सुलह कर लें वही उनके लिए होगा" और यह सख़्त (भारी) दियत है।

हसन अबू दाऊद : 4506 इब्ने माजा: 2626 मुसनद अहमद: 2/ 178 दारमी: 2377

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

2 - दिरहमों में कितनी दियत दी जाएगी?

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ؟

1388 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने 12 हज़ार दिरहम दियत मुक़र्रर की है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4546. इब्ने माजा: 2629. निसाई: 4803.

1388 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

1389 - अबू ईसा (رحمه الله) कहते है: हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान अल- मख्ज़ूमी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से उन्होंने अम्र बिन दीनार से बवास्ता इक्रिमा, नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है। इस में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है और इब्ने उयय्ना की हदीस में इस से ज़्यादा कलाम है। (ज़ईफ़.)

1389 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन मस्लमा के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने इस सनद में इब्ने अब्बास का ज़िक्र किया हो। नीज़ बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है और अहमद व इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा दस हज़ार दिरहम कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा का है।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यही जानता हूँ कि दियत में ऊँट दिए जाएँ और वह सौ ऊँट या उनकी क़ीमत है।

3 - ऐसा ज़ख्म जिससे हड्डी नज़र आने लगे.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُوضِحَةِ

1390 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसे ज़ख्म जिन से हड्डियां ज़ाहिर हो

1390 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ

जाएँ पांच - पांच ऊँट दियत है। "

हसन सहीह: अबू दाऊद : 4566. इब्ने माजा: 2655. निसाई: 4852

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है नीज़ सुफ़ियान सौरी , शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं कि हड्डी खोल देने वाले ज़ख्मों में पांच - पांच ऊँट दियत है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ

4 - उँगलियों की दियत.

1391 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ.

1391 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "हाथों और पांवों की उँगलियों की दियत बराबर है। हर उंगली की दस ऊँट दियत है। "

सहीह: अबू दाऊद : 4561. मुसनद अहमद: 1/227. इब्ने माजा: 2650.

वज़ाहत: इस मसले में अबू मूसा और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी इसी के क़ायल हैं।

1392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي: الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

1392 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह और यह (उंगली दियत में) बराबर हैं" यानी छगुलियाँ और अंगूठा।

सहीह: बुख़ारी: 6895. अबू दाऊद : 4561, 4558. इब्ने माजा: 6652. निसाई: 4847.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

5 - मुजरिम को माफ़ कर देना.

1393 - अबू सफ़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि कुरैश के एक आदमी ने अंसारी का एक दांत उखाड़ दिया तो उसने मुआविया (رضي الله عنه) से फरियाद की और मुआविया (رضي الله عنه) से कहने लगा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! इसने मेरा दांत तोड़ दिया है। तो सय्यदना अमीर मुआविया (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, अन्क़रीब हम तुम्हें राजी कर देंगे और दूसरे ने मुआविया की मिन्नत समाजत शुरू कर दी और उन्हें तंग करने लगा, लेकिन वह न माने तो मुआविया (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, तुम्हारा मामला तुम्हारे इस साथी के साथ है और अबू दर्दा (رضي الله عنه) भी उनके पास बैठे हुए थे। अबू दर्दा (رضي الله عنه) कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना, मेरे कानों ने बात सुनी और दिल ने याद रखा, आप(ﷺ) फ़रमा रहे थे: "जिस आदमी को जिस्म में तकलीफ़ पहुंचाई जाए वह उसे माफ़ कर दे तो अल्लाह तआला उसकी वजह से एक दर्जा बलंद करते हैं और एक गुनाह कम कर देते हैं।" अंसारी कहने लगा: क्या आप ने यह बात अल्लाह के रसूल(ﷺ) से सुनी है? उन्होंने फ़रमाया, मेरे कानों ने सुना और दिल ने इसे याद रखा, वह कहने लगा: मैं माफ़ करता हूँ। मुआविया ने फ़रमाया, ज़रूर! मैं तुम्हें महरूम नहीं रखूंगा और उसे माल देने का हुक्म दिया।

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफा: 4482. इब्ने माजा: 2693.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ

1393 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ، فَلَمْ يُرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لاَ جَرَمَ لاَ أُخَيِّبُكَ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं और मैं अबू सफ़र का अबू दर्दा (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) भी नहीं जानता और अबू सफ़र का नाम सईद बिन अहमद या युह्मिद अस-सौरी है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

6-जिसका सर पत्थर से कुचल दिया गया हो

1394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الحُلِيِّ، قَالَ: فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَكِ، أَفُلَانٌ؟، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: فَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأُخِذَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

1394 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक लड़की बाहर निकली उस पर जेवरात[1] थे तो एक यहूदी ने उसे पकड़ लिया उसका सर पत्थर के साथ कुचला और उसके जेवरात उतार लिए, रावी कहते हैं कि लोग उसके पास पहुंचे तो उसमें कुछ[2] जान थी। उसे नबी(ﷺ) के पास लाया गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हें किसने क़त्ल किया है? क्या फुलां ने ?" उसने कहा: "नहीं। आप ने फ़रमाया, फुलां ने?" यहाँ तक कि उस यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने सर से इशारा किया कि जी हाँ, रावी कहते हैं: उसे पकड़ा गया, उसने एतराफ़ कर लिया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुक्म दिया तो उसका सर भी दो पत्थरों के दर्मियान कुचल दिया गया।

बुख़ारी: 2413. मुस्लिम: 1672. अबू दाऊद : 4527, 4529. इब्ने माजा:2665. निसाई: 4741.

तौज़ीह: أوضاح : से मुराद चमकदार चीज़ होती है यह चांदी के जेवरात की एक क़िस्म है जिसे चमक और सफ़ेदी की वजह से औज़ाह कहा जाता है। (2) आख़िरी साँसों पर थी, अभी उसकी मौत वाक़ेअ नहीं हुई थी।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। अहमद और इस्हाक़ का भी इसी पर अमल है। लेकिन बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि क़िसास सिर्फ़ तलवार से होगा।

7 - मोमिन को क़त्ल करने का गुनाह

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

1395 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "दुनिया का ख़त्म हो जाना अल्लाह तआला पर एक मुसलमान के क़त्ल से ज़्यादा आसान है।"

सहीह: अत्तरगीब: निसाई: 3986. बैहक़ी: 8/22.

1395 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने शोबा से उन्होंने याला बिन अता से उनके बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है और वह मर्फू नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्ने अबी अदी की हदीस से ज़्यादा सहीह है। और इस मसले में साद, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर, इब्ने मसऊद और बुरैदा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की इस हदीस को इसी तरह इब्ने अबी अदी ने बवास्ता शोबा याला बिन अता से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। जबकि मुहम्मद बिन जाफ़र और दीगर रावियों ने शोबा से बवास्ता याला बिन अता रिवायत करते वक़्त मर्फू ज़िक्र नहीं की। इसी तरह सुफ़ियान सौरी ने भी याला बिन अता से मौकूफ़ रिवायत की है। और यह मर्फू रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

8 - क़त्ल का फ़ैसला.

8 بَابُ الحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ

1396 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "(क़यामत के दिन) बन्दों के दर्मियान पहला फ़ैसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा।"

बुख़ारी: 6533. मुस्लिम: 1678. इब्ने माजा: 2615. निसाई: 3991, 3993.

1396 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने आमश से इसी तरह मर्फू रिवायत की है। और बाज़ (कुछ) ने आमश से मौकूफ़ रिवायत की है।

अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं:) हमें अबू कुरैब ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने आमश से बवास्ता अबू वाइल सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, बेशक बन्दों के दर्मियान सब से पहला फ़ैसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा। "

1397 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ.

1397 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक बन्दों के दर्मियान पहला फ़ैसला खून (क़त्ल) के बारे में होगा। "

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं.

1398 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحَكَمِ البَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

1398 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) दोनों रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर आसमान और ज़मीन वाले एक मोमिन आदमी के क़त्ल में शरीक हों तो अल्लाह तआला उन सबको उलटा करके जहन्नम में फ़ेंक देगा। "

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबुल हकम अल बजली, अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम कूफी ही है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ

9 - अगर कोई शख़्स अपने बेटे को क़त्ल कर दे तो क्या उससे क़िसास लिया जाएगा?

1399 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ

1399 - सय्यदना सुराका बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को

Sherkhan
9825 696 131

الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلاَ يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ.

देखा आप बाप को बेटे से क़िसास दिलाते थे और बेटे को बाप से क़िसास नहीं दिलाते थे।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम इस हदीस को सुराका (رضي الله عنه) से सिर्फ़ इसी सनद के साथ पहचानते हैं, और इसकी सनद सहीह नहीं है। इसे इस्माईल बिन अयाश ने मुसन्ना बिन सबाह से रिवायत किया है और मुसन्ना बिन सबाह हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ अबू ख़ालिद अहमर ने भी हज्जाज बिन अर्तात से बवास्ता अम्र बिन शोऐब अन अबीह अन जद्दिही इस हदीस को नबी(ﷺ) से रिवायत किया है और यह हदीस अम्र बिन शोऐब से मुर्सल भी मर्वी है। इस हदीस में इज़्तिराब है। और अहले इल्म का इसी बात पर अमल है कि बाप अगर अपने बेटे को क़त्ल कर दे (तो) उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा और जब अपने बेटे पर तोहमत लगाए तो उसे हद नहीं लगाई जाएगी।

1400 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ.

1400 - सय्यदना सुराका बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बाप को बेटे के क़िसास में क़त्ल न किया जाए।"

सहीह: इब्ने माजा: 2662. मुसनद अहमद: 1/22. बैहक़ी: 8/72.

1401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ.

1401 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मस्जिदों में हदें न लगाई जाएँ और न ही बाप को बेटे के क़िसास में क़त्ल किया जाए।"

हसन: इब्ने माजा: 2599. दारमी: 2368.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ इस्माईल बिन मुस्लिम की सनद से ही मर्फ़ू है और इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की के हाफ़िज़े की वजह से बाज़ (कुछ) उलमा ने इस में गुफ़्तगू की है।

10 - तीन सूरतों के अलावा मुसलमान को क़त्ल करना हलाल नहीं है.

10 بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

1402 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान शख़्स गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसको सिवाए तीन सूरतों के क़त्ल करना हलाल नहीं है। (वह तीन यह हैं:) शादी शुदा होकर जिना करने वाला, क़त्ल के बदले क़त्ल और दीन को छोड़ने और जमात से अलाहिदा होने वाला(यानी मुर्तद)।

बुखारी: 6878. मुस्लिम: 1676. अबू दाऊद : 4352. इब्ने माजा: 2534. निसाई: 4016.

1402 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, आयशा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

11 - जो शख़्स किसी ज़िम्मी को क़त्ल करता है.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً

1403 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़बरदार! जिसने किसी ऐसे ज़िम्मी[1] (मुआहिद) शख़्स को क़त्ल किया जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मा (के साथ अहद किया) था। यक़ीनन उस ने अल्लाह का ज़िम्मा तोड़ दिया तो वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा

1403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْبَصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَخْفَرَ

بِذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

और बेशक उसकी ख़ुशबू सत्तर (70) साल की मसाफ़त (दूरी) से महसूस की जाएगी।"

सहीह: इब्ने माजा: 2687. अबू याला: 6452.

तौज़ीह: (1) जो मुसलमान हुकूमत के साथ सालाना जिज़्या पर मुआहिदा करके उनके मुल्क में रहता हो उसे ज़िम्मी कहा जाता है। उन लोगों की जान व माल का तहफ्फुज़ (सुरक्षा) फिर इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से मर्वी है।

12 بَابٌ

इसी के मुताल्लिक़

1404 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى العَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1404 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बनू आमिर के दो आदमियों की मुसलमानों के बराबर दियत दिलवायी थी उनका अल्लाह के रसूल (ﷺ) से अहद था।

ज़ईफ़ुल इस्नाद: अल-कामिल: 3/ 1221.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़े से पहचानते हैं, और अबू साद बक़्क़ाल का नाम सईद बिन मर्ज़बान है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ القَتِيلِ فِي القِصَاصِ وَالعَفْوِ

13 - क़िसास या माफ़ी में मक़्तूल के वारिस का फ़ैसला तस्लीम होगा.

1405 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي

1405 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का फतह किया (तो) आप लोगों के सामने खड़े हुए। अल्लाह की हम्दो सना की। फिर

كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.

फ़रमाया, "और जिसका कोई आदमी क़त्ल हो जाए तो वह दो बातों का इख़्तियार रखता है या तो वह माफ़ कर दे या क़त्ल कर दे।"

बुख़ारी: 112. मुस्लिम: 1355. अबू दाऊद : 2017. इब्ने माजा: 2624. निसाई: 4785.

वज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन हुज्र, अनस और अबू शुरैह ख़ुवैलिद बिन अम्र (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

1406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ.

1406 - सय्यदना अबू शुरैह काबी (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने मक्का को हुर्मत वाला बनाया और लोगों ने उसे हुर्मत वाला नहीं समझा। जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यक़ीन रखता है वह इस (मक्का) में न ख़ून बहाए और न ही दरख़्त काटे, अगर कोई रुख़सत देने वाला रूख़सत देते हुए कहे कि उसे रसूलुल्लाह के लिए हलाल किया गया था (तो सुन लो) अल्लाह ने इसे मेरे लिए हलाल किया है। आम लोगों के लिए नहीं और मेरे लिए भी सिर्फ़ दिन की एक घड़ी में हलाल किया गया था, फिर यह क़यामत तक के लिए हराम है। फिर फ़रमाया, ऐ ख़ुज़ाआ के लोगो! तुमने हुज़ैल कबीले का आदमी क़त्ल किया है। मैं उसकी दियत दिलाता हूँ, पस आज के बाद जिसका कोई शख़्स क़त्ल हो जाए उसे दो बातों का इख़्तियार है: या तो वह (मक़्तूल के वारिस) क़त्ल कर दें या दियत ले लें।

बुख़ारी: 104. मुस्लिम: 1354. निसाई: 2876.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस भी हसन सहीह है। शैबान ने भी यह्या बिन अबी कसीर से इसी तरह रिवायत की है।

अबू शुरैह ख़ुज़ाई (ﷺ) से मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसका कोई आदमी क़त्ल कर दिया जाए तो उसे इख़्तियार है: चाहे क़त्ल कर दे चाहे दियत ले ले।" बाज़ (कुछ) अहले इल्म का भी यही मज़हब है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

1407 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُفِعَ القَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ، فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ.

1407 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में एक आदमी क़त्ल हो गया तो कातिल को उस मक़्तूल के वारिस के हवाले कर दिया गया, क़ातिल कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम मैंने उसे क़त्ल करने का इरादा नहीं किया था। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने (मक़्तूल के वारिस से) फ़रमाया, "अगर इसकी बात सच्ची हुई और तुमने इसे क़त्ल कर दिया तो तुम जहन्नम में जाओगे।" तो उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। रावी कहते हैं: वह एक रस्सी के साथ बंधा हुआ था वह अपनी रस्सी को खींचता हुआ भागा उसका नाम ही जुन्निस्आ (रस्सी वाला) पड़ गया।

सहीह: अबू दाऊद : 4498. इब्ने माजा: 2690. निसाई:4722.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और نسعة रस्सी को कहते हैं।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

14 - मुस्ला करना मना है.

1408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ،

1408 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब किसी को अमीरे लश्कर बना कर भेजते तो उसे वसीयत करते कि ख़ुद अल्लाह से डरता रहे

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

और अपने मुसलमान साथियों की खैरख़्वाही करे। आप(ﷺ) फ़रमाते: "अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रास्ते में जंग करो, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करे उससे लड़ाई करो, जंग करो, ख़यानत न करना, अहद न तोड़ना, मुस्ला(1) न करना और किसी बच्चे को क़त्ल न करना।" इस हदीस में एक किस्सा भी है।"

मुस्लिम: 1731. अबू दाऊद : 2612. इब्ने माजा: 2858.

तौज़ीह: (1) क़त्ल करने के बाद मक़्तूल के आज़ाए जिस्म (जिस्म के अंगों) को काट देना मुस्ला कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, शद्दाद बिन औस, इमरान बिन हुसैन, समुरा, मुग़ीरह, याला बिन मुर्रा और अबू अय्यूब (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बुरैदा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा मुस्ला को मकरूह कहते हैं।

1409 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

1409 - सय्यदना शद्दाद बिन औस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है जब तुम (बतौर क़िसास किसी को) क़त्ल करो तो उसे अच्छे अंदाज़ से क़त्ल करो, जब जानवर ज़बह करो तो उसे अच्छे अंदाज़ से ज़बह करो और आदमी अपनी छुरी तेज़ कर ले और अपने जानवर को आराम पहुंचाए।"

मुस्लिम: 1955. अबू दाऊद : 2815. इब्ने माजा: 3170. निसाई: 4405

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अशअस सनआनी का नाम शराहील बिन आदह है।

15 - हमल की दियत.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الجَنِينِ

1410 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْطَى مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

1410 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने जनीन[1] (गिराने के मामले) में एक गुलाम या लौंडी देने का फ़ैसला किया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था वह कहने लगा: क्या हम इसकी दियत दें, जिस ने न पिया, न खाया और न ही आवाज़ निकाल के चीख मारी! ऐसा तो रायगाँ जाता है! नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक यह शख़्स शाइरों जैसी बात कर रहा है, क्यों नहीं? इस में एक गुलाम या लौंडी देनी पड़ेगी।"

बुख़ारी: 5758. मुस्लिम: 1681. अबू दाऊद : 4576. इब्ने माजा: 2639. निसाई: 4817, 4819.

तौज़ीह: جَنِين: पेट का बच्चा, अतिब्बा (डाक्टरों) के नज़दीक हमल का वह इब्तिदाई तख़्म जो आठवें हफ्ता तक रहता है फिर इसके बाद हमल कहलाता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 166 अल्क़ामूसुल वहीद:पृ. 289)

वज़ाहत: इस मसले में हमल बिन मालिक बिन नाबिगा और मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि ग़ुलाम या लौंडी दे या फिर पांच सौ दिरहम दे और बाज़ (कुछ) कहते हैं: घोड़ा या खच्चर भी दे सकता है।

1411 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ

1411 - सय्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि दो औरतें आपस में सौतनें थीं एक दूसरे को पत्थर या खेमे की लकड़ी मारी और उसका हमल गिरा दिया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके पेट के बच्चे के बारे में फ़ैसला किया कि एक गुलाम या लौंडी दे और उसे औरत के अस्बात पर मुक़र्रर किया।

عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ

बुख़ारी: 6906. मुस्लिम: 1682. अबू दाऊद : 4568. इब्ने माजा: 2540. निसाई: 4826.

वज़ाहत: हसन कहते हैं: हमें ज़ैद बिन हुबाब ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इस हदीस को इसी तरह बयान किया है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

16 بَابُ مَا جَاءَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

16 - मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता.

1412 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

1412 - सय्यदना अबू जुहैफ़ा बयान करते हैं कि मैंने अली (رضي الله عنه) से कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या आपके पास सफ़ेद में कोई सियाह चीज़ है।(1) जो अल्लाह की किताब में न हो? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसने दाने को फाड़ा और रूहों को पैदा किया! मैं नहीं जानता मगर फहम (समझ बूझ) जो अल्लाह तआला किसी आदमी को कुरआन के मुताल्लिक़ अता कर दे और जो इस सहीफे (किताबचे) में है। मैंने कहा: इस किताबचे में क्या है? उन्होंने फ़रमाया, "दियत (के अहकामात) कैदियों को रिहा करने का हुक्म और यह कि मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए।

बुख़ारी: 111. मुस्लिम: 1370. अबू दाऊद : 4530. इब्ने माजा: 2658. निसाई: 4734.

तौज़ीह: (1) सियाह से मुराद लिखने वाली सियाही (रोशनाई, Ink) और सफ़ेद से मुराद कागज़ वग़ैरह यानी कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसका ज़िक्र कुरआन में न हो।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। नीज़

सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के कायल हैं कि मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए। और बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: मुसलमान को ज़िम्मी आदमी के बदले क़त्ल किया जा सकता है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

काफ़िरों की दियत.

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْكُفَّارِ

1413 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए।" इसी सनद के साथ यह भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "काफ़िर की पूरी दियत मोमिन की आधी दियत के बराबर है।"

हसन सहीह: अबू दाऊद : 2751. इब्ने माजा: 2659.

1413 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ عَقْلِ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और उलमा ने यहूदी और ईसाई के दियत के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बाज़ (कुछ) उलमा का मज़हब यहूदी और ईसाई की दियत के बारे में नबी करीम(ﷺ) से मर्वी हदीस के मुताबिक़ है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़रमाते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत मुसलमान की दियत से आधी है। इमाम अहमद बिन हंबल भी यही कहते हैं।

उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत 4000 दिरहम और मजूसी की दियत 800 दिरहम है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई और इस्हाक़ भी इसी के कायल हैं।

जबकि कुछ उलमा कहते हैं: यहूदी और ईसाई की दियत भी मुसलमान की दियत जितनी है। यह कौल सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) और अहले कूफा का है।

17 - अगर कोई शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल कर दे.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

1414 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा हम

1414 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

(क़िसास के तौर पर) उसे क़त्ल कर देंगे और जो अपने ग़ुलाम की नाक काटेगा हम (क़िसास के तौर पर) उसकी नाक काट देंगे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद : 4515, 4517. इब्ने माजा: 2663. निसाई: 4736, 4738.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन ग़रीब है और इब्राहीम नखई समेत बाज़ (कुछ) ताबेईन का भी यही मज़हब है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा; जिन में हसन बसरी और अता बिन अबी रबाह भी हैं, कहते हैं कि आज़ाद और ग़ुलाम में जान या उस से छोटी चीज़ में क़िसास नहीं होगा। अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

बाज़ (कुछ) कहते हैं: अगर अपने ग़ुलाम को क़त्ल करे तो क़िसास के तौर पर उसे क़त्ल नहीं किया जाए लेकिन किसी और के ग़ुलाम को क़त्ल करे तो उसे क़त्ल किया जाएगा, यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟

18 - क्या औरत अपने खाविंद की दियत की वारिस बनेगी?

1415 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو عَمَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلاَبِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

1415 - सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) बयान करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) फ़रमाया करते थे कि दियत असबात पर है और औरत अपने खाविंद की दियत की वारिस नहीं बन सकती। यहाँ तक कि ज़ह्हाक बिन सुफ़ियान किलाबी (رضي الله عنه) ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें ख़त लिखा कि अश्यम ज़बाबी की बीवी को उसके खाविंद की दियत से विरासत दो।

सहीह: अबू दाऊद : 2927. इब्ने माजा: 2642. मुसनद अहमद: 3/452.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

19 - क़िसास का बयान.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي القِصَاصِ

1416 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का हाथ अपने दांतों से काटा, उस ने अपना हाथ खींचा तो उस काटने वाले के सामने वाले दो दांत गिर गए। वह झगड़ा ले कर नबी(ﷺ) के पास आए तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से एक आदमी अपने भाई को ऐसे काटता है जैसे ऊँट काटता है। तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं फिर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। "और ज़ख्मों का क़िसास है। "(अल-मायदा:45)

1416 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ}.

बुख़ारी: 6792. मुस्लिम: 1673. इब्ने माजा: 2657. निसाई: 4758. 4762.

वज़ाहत: इस मसले में याला बिन उमय्या और सलमा बिन उमय्या (رضي الله عنهما) दोनों भाइयों से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

20 - मुल्जम (जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो) को क़ैद करना.

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

1417 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने एक आदमी को इल्ज़ाम में क़ैद किया फिर उसे छोड़ दिया।

1417 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.

हसन: अबू दाऊद : 4772. इब्ने माजा: 2580. निसाई: 4090.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बहज़ बिन हकीम की अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायतकर्दा हदीस हसन है नीज़ इस्माईल बिन इब्राहीम ने बहज़ बिन हकीम से इस हदीस को मुकम्मल और मुतव्वल (लम्बी) बयान किया है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

21 - जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ क़त्ल हो जाए वह शहीद है.

1418 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَزَادَ حَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ زَادَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ.

1418 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अपने माल के लिए क़त्ल कर दिया जाए वह शहीद है। और जिसने एक बालिश्त बराबर ज़मीन चोरी की (तो अल्लाह तआला) क़यामत के दिन उसे सात ज़मीनों का तौक पहनायेगा।" हातिम बिन सियाह अल- मर्वज़ी इस हदीस में यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा करते हैं कि मामर कहते हैं: मुझे ज़ोहरी की तरफ़ से यह बात पहुंची है मैंने ख़ुद उनसे नहीं सुना, इसमें यह ज़्यादा है कि जो अपने माल की हिफाज़त करते क़त्ल हो गया वह शहीद है। और शोऐब बिन अबी हम्ज़ा के साथी इस हदीस को ज़ोहरी से बवास्ता तल्हा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन नम्र बिन सुहैल से और उन्होंने बवास्ता सईद बिन ज़ैद, नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है। और सुफ़ियान बिन उयय्ना ने ज़ोहरी से उन्होंने तल्हा बिन उबैदुल्लाह से बवास्ता सईद बिन ज़ैद, नबी(ﷺ) से रिवायत की है और सुफ़ियान ने इस में अब्दुर्रहमान बिन सहल का ज़िक्र नहीं किया।

सहीह: अबू दाऊद : 4772. इब्ने माजा: 2580. निसाई: 4090.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

1419 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अपने माल की हिफाज़त करते हुए क़त्ल हो जाए वह शहीद है।"

बुख़ारी: 2480. मुस्लिम: 141. अबू दाऊद : 4771. निसाई: 4084, 4089.

वज़ाहत: इस मसले में अली, सईद बिन ज़ैद, अबू हुरैरा, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)की हदीस हसन है और उनसे कई सनदों से मर्वी है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने अपनी जान और माल की हिफाज़त के लिए लड़ने की रूख़सत दी है। इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं: अपने माल के लिए लड़ सकता है अगरचे दो दिरहम ही हों।

1420 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الكُوفِيُّ، شَيْخٌ ثِقَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سُفْيَانُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.

1420 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, जिसका माल कोई शख़्स नाहक़ छीनने का इरादा करे तो वह लड़ाई करे और क़त्ल हो जाए तो वह शहीद है।"

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने उन्हें सुफ़ियान ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन हसन ने इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन तल्हा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

1421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

1421 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (﵁) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जो शख़्स अपने माल की हिफाज़त की वजह से क़त्ल हो गया वह शहीद है, जो अपने दीन की खातिर क़त्ल हो गया वह भी शहीद है, जो अपने खूद जान की हिफाज़त करते हुए क़त्ल हुआ वह भी शहीद है और जो अपने अहलो अयाल की हिफाज़त करते क़त्ल हो गया वह भी शहीद है।"

सहीह: अबू दाऊद : 4772. निसाई: 4094. तयालिसी: 233.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। कुछ रावियों ने इब्राहीम बिन साद से भी ऐसी ही हदीस रिवायत की है। और याकूब बिन इब्राहीम बिन साद बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ज़ोहरी हैं।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

22 - क़सामत (1) का बयान.

1422 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً قَدْ قُتِلَ فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ

1422 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (﵁) रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद और मुहय्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ैद निकले यहाँ तक कि ख़ैबर में एक जगह एक दूसरे से अलग हो गए फिर मुहय्यिसा ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को मक़्तूल पाया और उन्हें दफ़न कर दिया, फिर वह और हुवय्यिसा बिन मसऊद और अब्दुर्रहमान बिन सहल, नबी करीम(ﷺ) के पास आए और अब्दुर्रहमान जो सब से छोटे थे वह अपने दोनों साथियों से पहले बात करने लगे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस से फ़रमाया, "बड़े को बड़ा समझ" तो वह

وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرِ الْكُبْرَ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ.

खामोश हो गए और उनके दोनों साथियों ने बात की और रसूलुल्लाह(ﷺ) को अब्दुल्लाह बिन सहल के क़त्ल से आगाह किया। आप(ﷺ) ने उन से फ़रमाया, "क्या तुम पच्चास क़समें उठा सकते हो? फिर तुम अपने क़ातिल (से क़िसास या दियत लेने) के हक़दार बन जाओगे।" उन्होंने कहा : हम कैसे क़सम उठा सकते हैं? जबकि हम मौजूद नहीं थे, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "यहूदी तुम्हें अपने पच्चास क़समों के साथ सफाई पेश करेंगे" उन्होंने कहा, हम काफ़िर लोगों की क़समें कैसे कुबूल कर लें? जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने यह देखा तो आप(ﷺ) ने ख़ुद दियत दे दी।

बुख़ारी: 3173. मुस्लिम: 1669. अबू दाऊद : 4520. इब्ने माजा: 2677. निसाई: 4713, 4716.

तौज़ीह: (1) क़सामत: का मतलब क़समें उठाना: इस की तारीफ़ यह है कि किसी इलाक़े से किसी आदमी की लाश बरामद हो, लेकिन वह इस क़त्ल का इनकार कर दें तो उनके पच्चास आदमियों से क़सम ली जायेंगी अगर वह क़समें उठा दें कि हमने उसे क़त्ल नहीं किया तो उनसे खून और दियत माफ हो जाएगी।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली अल खल्लाल ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने उन्हें यह्या बिन सईद ने बशीर बिन यसार से बवास्ता सहल बिन अबी हस्मा और राफ़े बिन ख़दीज (رضي الله عنهما) ने इसी हदीस के मफहूम की हदीस रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और क़सामत के बारे में उलमा का इसी पर अमल है। बाज़ (कुछ) फ़ुकहाए मदीना ने क़सामा के साथ क़िसास को तजवीज़ किया है। और कूफा के बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि क़सामा क़िसास को नहीं बल्कि दियत को वाजिब करती है।

ख़ुलासा..

- क़त्ल की दियत एक सौ ऊँट है।
- जिस ज़ख्म से हड्डी ज़ाहिर हो जाए उसकी दियत पांच ऊँट हैं।
- क़ातिल जिस तरह क़त्ल करे उसे उसी तरह क़िसास में क़त्ल किया जाएगा।
- मोमिन की जान बहुत क़ीमती है।
- मुसलमान कौम सिर्फ़ तीन जराइम की बिना पर क़त्ल किया जा सकता है: शादी शुदा हो कर ज़िना करे, किसी को क़त्ल कर दे या मुर्तद हो जाए।
- क़िसास, माफ़ी या दियत में मक़्तूल के वारिस का फ़ैसला तस्लीम होगा।
- मक़्तूल के नाक, कान या दीगर आज़ा (अंगों) को काटना मना है।
- अगर किसी औरत का हमल गिरा दिया जाए तो एक ग़ुलाम या लौंडी बतौर दियत दी जाएगी।
- मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता।
- मुल्जम को जेल भेजा जा सकता है लेकिन जुर्म साबित न हो तो रिहा किया जाएगा।
- अपने माल और इज़्ज़त को बचाने की खातिर क़त्ल होने वाला शहीद है।
- क़सामत का जो तरीक़ा दौरे जाहिलियत में था इस्लाम में भी वही है।

मज़मून नम्बर 15

أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी हुदूद के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़

30 अबवाब के साथ 41 अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मजामीन पर मुहीत है:

- किन- किन गुनाहों की वजह से हद क़ायम की जाती है?
- किन लोगों पर हद वाजिब नहीं है?
- हुदूद नाफ़िज़ लागू करने की क्या शर्तें हैं?
- ताज़ीरन कितनी सज़ा दी जा सकती है?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ

1423 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.

1 - किन लोगों पर हद वाजिब नहीं है.

1423 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “ तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है।[1] सोए हुए से, यहाँ तक कि वह बेदार हो जाए, बच्चे से, यहाँ तक कि वह जवान (बालिग़) हो जाए और मजनून (पागल) से, यहाँ तक कि उसे अक़्ल आ जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 4401, 4403. इब्ने माजा: 2042.

तौज़ीह: (1) क़लम उठा लेने का मतलब है कि वह अहकामे शरिया के मुकल्लफ़ (जिम्मेदार) नहीं हैं। इसी तरह गुनाह लिखने वाला क़लम भी उन से उठा लिया गया है, ऐसी हालतों में उनका गुनाह नहीं लिखा जाता।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अली (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। नीज़ अली (رضي الله عنه) से कई सनदों के साथ नबी(ﷺ) से मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने यह ज़िक्र किया है कि लड़के से क़लम उठा लिया गया है यहाँ तक कि वह जवान हो जाए और हसन का अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है।

यह हदीस अता बिन साइब से भी बवास्ता अबू ज़िब्यान, सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से इसी तरह मर्वी है और उन्होंने आमश से बवास्ता अबू ज़िब्यान, सय्यदना इब्ने अब्बास और अली (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़ रिवायत की है मर्फू ज़िक्र नहीं की। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हसन बसरी (رحمه الله), अली (رضي الله عنه) के दौर में थे, उनका ज़माना पाया लेकिन उन से सिमा (सुनना) करना हमारे इल्म में नहीं है। और अबू ज़िब्यान का नाम हुसैन बिन जुन्दुब है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحُدُودِ

1424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ.

2 - हुदूद को साकित करना.

1424 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हस्बे इस्तिताअत मुसलमानों से हदों को दूर करो।(1) पस अगर उसके लिए कोई निकलने का रास्ता हो तो उसका रास्ता छोड़ दो बेशक हाकिम का माफ़ करने में ग़लती करना सज़ा देने में ग़लती करने से बेहतर है।"

ज़ईफ़: बैहक़ी: 8/238.

तौज़ीह: (1) यानी हाकिम के पास जाने से पहले आपस में सुलह वग़ैरह की कोशिश करो।

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं: हमें वकीअ ने यज़ीद बिन ज़ियाद से मुहम्मद बिन रबीआ की हदीस जैसी हदीस बयान की है लेकिन वह मर्फू नहीं है।

इस मसले में अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस सिर्फ़ मुहम्मद बिन रबीआ की सनद से यज़ीद बिन ज़ियाद दमिश्क़ी से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से बवास्ता आयशा नबी(ﷺ) से मर्फू मर्वी है।

वकीअ ने यज़ीद बिन जियाद से इसी तरह रिवायत की है लेकिन वह मर्फू नहीं हैऔर वकीअ की रिवायत ज़्यादा सहीह है क्योंकि नबी(ﷺ) के कई सहाबा से मर्वी है कि वह ऐसे ही कहते हैं।

नीज़ यज़ीद बिन जियाद दमिश्क़ी हदीस में ज़ईफ़ है और यज़ीद बिन अबी जियाद अल-कूफी ज़्यादा बेहतर और पहले का रावी है।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

3 - मुसलमान के ऐब छिपाना.

1425 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ، مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

1425 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ़ो में से किसी तकलीफ़ को दूर किया अल्लाह तआला उसकी आख़िरत की तकलीफ़ो में से कोई तकलीफ़ दूर कर देगा और जिसने किसी मुसलमान के ऐब छिपाए अल्लाह तआला उसके ऐबों को दुनिया और आख़िरत में छिपाएगा और अल्लाह तआला बन्दे की मदद में होता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद में होता है।"

मुस्लिम: 2699. अबू दाऊद: 4946. इब्ने माजा: 225.

वज़ाहत: इस मसले में उक़्बा बिन आमिर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस को कई रावियों ने आमश से बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से अबू अवाना की हदीस की तरह रिवायत की है।

और अस्बात बिन मुहम्मद ने आमश से रिवायत करते वक़्त कहा है कि मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से हदीस बयान की गई है। और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है।

हमें यही हदीस अस्बात बिन मुहम्मद ने बयान की कि मुझे मेरे बाप ने आमश से रिवायत की है।

1426 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1426 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान, मुसलमान का भाई है। न उस पर ज़ुल्म करता है और न उसे किसी दुश्मन के हवाले करता है और जो शख़्स अपने भाई की ज़रुरत को पूरा करने में रहता है अल्लाह तआला उसकी ज़रुरत को पूरा करने में रहता है और जिसने किसी मुसलमान से तक्लीफ़ हटाई अल्लाह तआला क़यामत के दिन उस की तक्लीफ़ को हटा देगा और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके ऐब छिपाएगा।

बुख़ारी: 2442. मुस्लिम: 2580. अबू दाऊद: 4893.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِينِ فِي الحَدِّ

4 - हद नाफ़िज़ करने से पहले[1] तल्क़ीन करना.

1427 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

1427 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने माइज़ बिन मालिक (رضي الله عنه) से फ़रमाया, "तुम्हारी जो बात मुझे पहुंची है क्या वह सच है? उसने कहा: मेरी तरफ़ से क्या बात आपको पहुंची है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुझे पता चला है कि तूने आले फुलाँ की लड़की से ज़िना किया है?" उसने कहा: " जी हाँ" फिर उसने चार गवाहियां दी तो आप(ﷺ) ने हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया।

मुस्लिम: 1693. अबू दाऊद: 4425.

तौज़ीह: (1) तल्क़ीन: कोई बात समझाना, याद देहानी कराना, तहक़ीक़ के तौर पर इस्तिफ्सार करना।

वज़ाहत: इस मसले में साइब बिन यज़ीद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और शोबा ने इस हदीस को सिमाक बिन हर्ब के ज़रिए सईद बिन जुबैर से मुर्सल रिवायत किया है इसमें इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं किया।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

1428 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ.

5 - गुनाह का एतराफ़ करने वाला अपनी बात से फिर जाए तो हद ख़त्म हो जाती है.

1428 - अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि माइज़ अल अस्लमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर कहने लगे कि उसने ज़िना किया है, तो आप(ﷺ) ने उस से चेहरा फेर लिया, फिर वह दूसरी जानिब से आए कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस ने ज़िना किया है। तो आप ने चेहरा फेर लिया, फिर वह दूसरी जानिब से आए और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! उसने ज़िना किया है। तो चौथी मर्तबा आपने उनके बारे में हुक्म दिया, उन्हें हर्रा की तरफ़ निकाला गया और पत्थरों से रज्म किया गया जब उन्होंने पत्थरों की तकलीफ़ महसूस की तो भागे, यहाँ तक कि एक आदमी के पास से गुज़रे उसके पास ऊँट की ठोड़ी[1] की हड्डी थी तो उसने उनको वह दे मारी और लोगों ने भी मारा, यहाँ तक कि वह फौत हो गए। फिर लोगों ने नबी(ﷺ) से ज़िक्र किया कि जब उनको मौत और पत्थरों की तकलीफ़ हुई थी तो वह भागे थे। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया ?"

सहीह: इब्ने माजा:2554. अबू दाऊद: 4428.

तौज़ीह: لَحْيٌ : हर दाढ़ वाले इंसान या जानवर की दो हड्डियां; जिन में दांत होते हैं और جَمَل ऊँट को कहते हैं। (देखिये अल-मोजमुल वसीत: पृ. 991)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से कई सनदों के साथ मर्वी है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से भी बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी(ﷺ) से इसी तरह मर्वी है।

1429 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِكَ جُنُونٌ، قَالَ: لاَ، قَالَ: أَحْصَنْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

1429 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि असलम कबीले के एक आदमी ने नबी(ﷺ) के पास आकर ज़िना का एतराफ़ किया तो आप(ﷺ) ने उससे अपना चेहरा फेर लिया उसने फिर एतराफ़ किया, आप(ﷺ) ने अपना चेहरा फेर लिया। यहाँ तक कि उसने अपने ख़िलाफ़ चार गवाहियां दीं तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; क्या तुम पागल हो? उसने कहा: "नहीं" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "शादी शुदा हो? उसने कहा: "जी हाँ" तो आप(ﷺ) ने उसके बारे में हुक्म दिया, तो उसे ईदगाह में रज्म (संगसार) किया गया जब उसे पत्थर लगे वह भागा तो उसे पकड़ा गया और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि वह मर गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके बारे में भलाई के कलिमात (बातें) कहे और उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।[1]

मुस्लिम: 1691. अबू दाऊद: 4430. निसाई: 1956.

तौज़ीह: (1) यह किस्सा भी सय्यदना माइज़ बिन मालिक अल अस्लमी (رضي الله عنه) का ही है जिसका ज़िक्र पिछली हदीस में भी हुआ है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि ज़िना का एतराफ़ करने वाला जब अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा इक़रार करे तो उस पर हद क़ायम हो जाएगी। यह कौल अहमद और इस्हाक़ का है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: अपने ख़िलाफ़ एक मर्तबा इक़रार कर ले तो उसको हद

लगा दी जाएगी। यह कौल मालिक बिन अनस और शाफ़ेई का है। और उनकी दलील सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) और ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) की हदीस है कि दो आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास मुक़द्दमा लेकर आए एक ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बेटे ने उसकी बीवी के साथ ज़िना किया है। यह तवील (लम्बी) हदीस है।

और नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ऐ उनैस! तुम सुबह जल्दी उस आदमी की बीवी के पास जाओ। अगर वह एतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना" और आप(ﷺ) ने यह नहीं फ़रमाया कि अगर वह चार मर्तबा एतराफ़ करे।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشَفَّعَ فِي الْحُدُودِ

1430 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

6-अल्लाह की हदों में सिफ़ारिश करना मना है

1430 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि कुरैशियों को उस मख़्ज़ूमिया औरत की फ़िक्र लाहिक़ हुई जिसने चोरी की थी। उन्होंने आपस में कहा: इस बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से कौन बात कर सकता है? तो वह कहने लगे: इसकी हिम्मत रसूलुल्लाह(ﷺ) का महबूब उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) ही कर सकता है तो उसामा ने आप से बात की। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुम अल्लाह के हदों में से एक हद में सिफ़ारिश करते हो?" फिर आप खड़े हुए ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, "तुम से पहले लोग इसी लिए हलाक हुए कि जब उन में से कोई बड़ा आदमी चोरी कर लेता उसे छोड़ देते और जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उस पर हद क़ायम कर देते और अल्लाह की क़सम! अगर फातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।"

बुख़ारी: 3733. मुस्लिम: 1688. अबू दाऊद: 4373. इब्ने माजा: 2547. निसाई: 4895.

वज़ाहतः इस मसले में मसऊद बिन अज्मा, इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله) से भी मर्वी है।

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और मसऊद बिन अज्मा को मसऊद बिन आजम भी कहा जाता है उनकी यही एक हदीस है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ

7 - रज्म करना साबित है.

1431 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ، وَلَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلاَ يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ.

1431 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله) ने फ़रमाया, "रसूलुल्लाह(ﷺ) और अबू बक्र ने रज्म किया और मैंने भी रज्म किया। अगर मैं किताबुल्लाह में कोई चीज़ बढ़ाने को नापसंद न करता तो मैं इसको कुरआन में लिख देता। बेशक मुझे डर है कि कुछ लोग आयें वह इस रज्म को किताबुल्लाह में न पाएँ तो इसका इनकार कर दें।"

सहीह: मुसनद अहमद: 1/36. इब्ने अबी शैबा: 10/77.

वज़ाहतः इस मसले में सय्यदना अली (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उमर बिन खत्ताब (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और दीगर सनदों से भी उमर (رضي الله) से मर्वी है।

1432 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ

1432 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله) से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया, बेशक अल्लाह तआला ने मुहम्मद(ﷺ) को हक़ देकर भेजा और उन पर किताब (कुरआन हकीम) नाजिल फ़रमाई जो आप(ﷺ) पर नाजिल किया उस में रज्म की आयात भी थी तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने रज्म भी किया आप के बाद हमने भी रज्म किया और मुझे डर है कि लोगों में तवील (लम्बा) वक़्त गुज़र जाए तो कोई कहने

عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ.

वाला कहे: हम किताबुल्लाह में रज्म का हुक्म नहीं पाते तो वह अल्लाह के नाज़िलकर्दा फ़रीज़े को छोड़ने की वजह से गुमराह हो जायेंगे।

बुख़ारी: 6829. मुस्लिम: 1691. अबू दाऊद: 4418. इब्ने माजा:2553.

ख़बरदार! रज्म शादी शुदा जानी पर साबित है जब दलील क़ायम हो जाए या हमल वाज़ेह हो जाए या एतराफ़ कर ले।

वज़ाहत: इस मसले में अली (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और दीगर सनदों से भी उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है।

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ

8 - रज्म शादी शुदा पर है.

1433 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ

1433 - उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा (رحمه الله) से रिवायत है कि उन्होंने अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और शिब्ल (رضي الله عنهم) से सुना कि वह नबी करीम(ﷺ) के पास थे तो आप के पास दो आदमी मुक़द्दमा लेकर आए एक आप(ﷺ) के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ, आप हमारे दर्मियान किताबुल्लाह के साथ फ़ैसला कीजियेगा। उसके मुद्दई ने कहा जो उससे ज़्यादा समझदार था। जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप हमारे दर्मियान किताबुल्लाह के साथ फ़ैसला कीजियेगा और मुझे इजाज़त दीजिये मैं बात

اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ لَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

करता हूँ: मेरा बेटा इस आदमी के पास मजदूर था तो उसने उसकी बीवी के साथ ज़िना किया तो लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रज्म वाजिब है। मैंने उसकी तरफ़ से एक सौ बकरियों और एक खादिम का फिद्या दिया फिर मैं कुछ उलमा से मिला तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है। रज्म इसकी बीवी पर है। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम दोनों के दर्मियान ज़रूर किताबुल्लाह के साथ फ़ैसला करूंगा, सौ बकरियां और खादिम तुम्हें वापस गए, और तुम्हारे बेटे पर सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है, और उनैस! तुम सुबह जल्दी उस आदमी की बीवी के पास जाओ अगर वह ज़िना का एतराफ़ कर ले तो उसे रज्म कर देना। उनैस सुबह जल्दी उस के पास गए उस ने एतराफ़ कर लिया तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया।

बुख़ारी: 2314. मुस्लिम: 1697. अबू दाऊद: 2445. इब्ने माजा: 2549. निसाई: 5410.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी (رضي الله) ने वह कहते हैं: हमें मअन ने वह कहते हैं: मालिक ने इब्ने शिहाब से उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से बवास्ता अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضي الله) नबी करीम(ﷺ) से इसी मफहूम की हदीस बयान की है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें कुतैबा ने वह कहते हैं हमें लैस ने इब्ने शिहाब से उनकी सनद के साथ मालिक की बयान कर्दा हदीस की तरह रिवायत की है।

इस मसले में अबू बक्र, उबादा बिन सामित, अबू हुरैरा, अबू सईद, इब्ने अब्बास, जाबिर बिन समुरा, हज़ाल, बुरैदा, सलमा बिन मह्बक़ अबू ज़र और इमरान बिन हुसैन (رضي الله) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस और मामर वग़ैरह ने भी ज़ोहरी से बवास्ता उबैदुल्लाह बिन

अब्दुल्लाह बिन उत्बा, अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله) के ज़रिए नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है। और उन्होंने इसी सनद के साथ नबी करीम(ﷺ) ने यह रिवायत भी की है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, " जब लौंडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो अगर वह चौथी दफ़ा ज़िना करे तो उसे बेच दो ख़्वाह बालों की एक रस्सी के एवज़ ही। "

और सुफ़ियान बिन उयय्ना ज़ोहरी से बवास्ता उबैदुल्लाह, अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और शहल (رضي الله) से रिवायत की है। यह फ़रमाते हैं: हम नबी(ﷺ) के पास थे। इसी तरह इब्ने उयय्ना ने दोनों हदीसें अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और शिब्ल (رضي الله) से रिवायत की हैं और इब्ने उयय्ना की हदीस वहम है इस में सुफ़ियान बिन उयय्ना ने वहम करते हुए एक हदीस को दूसरी हदीस में दाखिल कर दिया है।

सहीह हदीस वह है जिसे मुहम्मद बिन वलीद अज़्ज़ुबैदी, यूनुस बिन यज़ीद और जोहरी के भतीजे ने ज़ोहरी से बवास्ता उबैदुल्लाह, सय्यदना अबू हुरैरा और सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब लौंडी ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो।" और ज़ोहरी ने उबैदुल्लाह से बवास्ता शिब्ल बिन ख़ालिद, अब्दुल्लाह बिन मालिक औसी से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं, यह बात सहीह है और इब्ने उयय्ना की हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है।

उन (इब्ने उयय्ना) से यह भी मर्वी है कि उन्होंने शिब्ल बिन हामिद कहा यह भी ग़लती है क्योंकि वह शिब्ल बिन ख़ालिद हैं। इसी तरह उन्हें शिब्ल बिन खुलैद भी कहा जाता है।

1434 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ، وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

1434 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: "मुझ से यह बात ले लो यक़ीनन अल्लाह तआला ने उन औरतों के लिए रास्ता बना दिया है: शादी शुदा, शादी शुदा से ज़िना करे तो सौ कोड़े फिर रज्म कर दिया जाए और कुंवारा कुंवारी से ज़िना करे तो सौ कोड़े और एक साल की जला वतनी है। "

मुस्लिम: 1690। अबू दाऊद: 4415। इब्ने माजा: 2550।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा जिन में अली बिन अबी तालिब, उबय बिन काब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله) वग़ैरह भी शामिल हैं, इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि शादी शुदा को कोड़े लगा कर रज्म किया

जाए कुछ उलमा भी इस तरफ़ गए हैं, इस्हाक़ का भी यही कौल है।

जब कि नबी(ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा (رضي الله) जिन में अबू बक्र व उमर (رضي الله) भी हैं, कहते हैं कि शादी शुदा पर सिर्फ़ रज्म है उसे कोड़े न मारे जाएँ और ऐसी ही चीज़ नबी(ﷺ) से माइज वगैराह के वाक़ियात में से कई अहादीस के अन्दर मर्वी है कि आपने रज्म का हुक्म दिया था और रज्म से पहले कोड़े के मारने का हुक्म नहीं दिया।

नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई और अहमद (رحمه الله) का भी यही कौल है।

9 - हामिला को रज्म करने से पहले बच्चा जन्म देने का इन्तिज़ार किया जाए.

9 بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ

1435 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله) से रिवायत है कि जुहैना कबीले की एक औरत ने नबी(ﷺ) के सामने ज़िना का एतराफ़ किया और उसने कहा मैं हामिला हूँ तो नबी(ﷺ) ने उसके वली (वारिस) को बुलाया और फ़रमाया, "इससे अच्छा सुलूक करो जब यह अपना हमल जन्म दे दे तो मुझे बताना तो उसने ऐसे ही किया, आप(ﷺ) ने उस औरत के बारे में हुक्म दिया उस पर उसके कपड़े अच्छी तरह बाँध दिए गए, फिर आप(ﷺ) ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। फिर आप(ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله) ने आप से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने इसे रज्म किया, फिर आप उसकी नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ रहे हैं? तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, " इस ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर मदीना के सत्तर आदमियों

1435 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ

تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ.

के दर्मियान भी तक़्सीम की जाए तो उनको काफी होगी। " क्या तुमने इस से बढ़कर कोई चीज़ पायी है कि उस औरत ने अपनी जान उस अल्लाह की बख्शिश हासिल करने के लिए कुर्बान कर दी।

मुस्लिम: 1696. अबू दाऊद: 4440. इब्ने माजा: 2555. निसाई: 1957.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

10 - अहले किताब को रज्म करना.

1436 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

1436 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक यहूदी मर्द और औरत को रज्म किया था।

बुख़ारी: 1329. मुस्लिम: 1699. अबू दाऊद: 4446. इब्ने माजा: 2556.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक वाक़िया भी है। यह हदीस हसन सहीह है।

1437 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

1437 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने एक यहूदी मर्द और औरत को रज्म किया था।

सहीह: इब्ने माजा: 2557. मुसनद अहमद: 5/91. इब्ने अबी शैबा:5006.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, बराअ, जाबिर, इब्ने अबी औफ़ा, अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़ और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है और जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि अगर अहले किताब अपने मुक़द्दमात मुसलमानों के हाकिमों के पास ले कर आयें तो वह उनके दर्मियान किताब और सुन्नत और मुसलमानों वाले अहकाम के साथ फ़ैसला करेंगे। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) कहते हैं: ज़िना में उनके ऊपर हद क़ायम नहीं की जाएगी। लेकिन पहला कौल सहीह है।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

11 - जला वतन करना

1438 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

1438 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने (कुंवारे जानी को) कोड़े मारे और जला वतन किया, अबू बक्र (رضي الله) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (رضي الله) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया।

सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और उबादा बिन सामित (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله) की हदीस ग़रीब है। कई रावियों ने इसे अब्दुल्लाह बिन इदरीस से मर्फ़ू बयान किया है।

और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन इदरीस से बवास्ता उबैदुल्लाह, नाफ़े के ज़रिए इब्ने उमर (رضي الله) से रिवायत किया है कि अबू बक्र (رضي الله) ने कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (رضي الله) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया।

अबू ईसा कहते हैं: यही रिवायत हमें अबी सईद अशज ने अब्दुल्लाह बिन इदरीस से बयान की है और यह हदीस इब्ने इदरीस से कई इस्नाद के साथ इब्ने उमर (رضي الله) से इसी तरह मर्वी है।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी नाफ़े से रिवायत की है कि इब्ने उमर (رضي الله) फ़रमाते हैं: बेशक अबू बक्र (رضي الله) ने कोड़े मारे और जला वतन किया और उमर (رضي الله) ने भी कोड़े मारे और जला वतन किया, और इसमें नबी(ﷺ) का जिक्र नहीं किया, लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) से सहीह सनद के साथ जला वतनी साबित है। इसे अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और उबादा बिन सामित (رضي الله) वग़ैरह ने नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। नीज़ नबी(ﷺ) के उलमा सहाबा का, जिन में अबू बक्र, उमर ,अली, अली बिन काब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू ज़र (رضي الله) वग़ैरह भी शामिल हैं, इसी पर अमल है । और बहुत से फ़ुक़हा ताबेईन से भी इसी तरह मर्वी है। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं।

12 - जिस को हद लग जाए वह हद उस के लिए गुनाह का कफ्फ़ारा है.

12 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحُدُودَ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا

1439 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، قَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

1439 - सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम एक मजलिस में नबी(ﷺ) के पास थे तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुझ से इस शर्त पर बैअत करो कि तुम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं करोगे और न ज़िना करोगे आप ने उन्हें आयत भी पढ़ कर सुनाई। "पस तुम में से जो शख़्स इस अहद को पूरा करेगा उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है।" और जिसने इनमें से कोई काम किया और उसे सज़ा दे दी गई तो वह उसका कफ्फ़ारा है और जिसने उनमें से कोई काम किया और अल्लाह तआला ने उस पर पर्दा रखा तो वह मामला अल्लाह की तरफ़ है अगर चाहे उसे अज़ाब दे और अगर चाहे उसे बख्श दे।

बुख़ारी: 18. मुस्लिम: 1709. इब्ने माजा: 2603. निसाई: 4161.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जरीर बिन अब्दुल्लाह और खुजैमा बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हद के कफ्फ़ारा होने के मसले में मैंने इस से उम्दा हदीस नहीं सुनी। और फ़रमाते हैं: मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जिससे गुनाह हो जाए अल्लाह तआला उस पर पर्दा रखे तो उसे भी अपने आप पर पर्दा रखना चाहिए और तन्हाई में अपने रब से तौबा कर ले। नीज़ अबू बकर और उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि इन दोनों ने एक आदमी को हुक्म दिया था कि अपने ऊपर पर्दा रखे।

13 - लौंडियों पर हद क़ायम करना.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ

1440 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلاَثًا بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

1440 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " तुम में से किसी शख़्स की लौंडी जब ज़िना करे तो वह उसे तीन मर्तबा तक किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ कोड़े मारे, पस अगर चौथी मर्तबा फिर ज़िना करे तो उसे बेच दे अगरचे बालों की रस्सी के एवज़ ही फ़रोख़्त करनी पड़े। "

बुख़ारी: 2152. मुस्लिम: 1703. अबू दाऊद: 4969, 4971. इब्ने माजा: 2565.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, ज़ैद बिन ख़ालिद और शिब्ल की अब्दुल्लाह बिन मालिक अल औसी (ﷺ) से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और कई इस्नाद से मर्वी है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाब-ए-किराम (ﷺ) और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए राय देते हैं कि आदमी सुल्तान (वक्त के बादशाह) के पास ले जाए बग़ैर अपने ग़ुलाम पर हद क़ायम कर सकता है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) कहते हैं कि उसका मुक़द्दमा हाकिम के सामने पेश किया जाए और वह ख़ुद हद न लगाए लेकिन पहला कौल सहीह है।

1441 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1441 - अबू अब्दुर्रहमान सुलमी रिवायत करते हैं कि अली (ﷺ) ने खुत्बा देते हुए फ़रमाया, "ऐ लोगो! अपने शादी शुदा और ग़ैर शादी शुदा गुलामों पर हदें क़ायम करो, बेशक रसूलुल्लाह(ﷺ) की एक लौंडी ने ज़िना किया था तो आप(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उसे कोड़े मारूं। मैं उसके पास गया तो उसने क़रीब ही वक़्त बच्चा जना था मैं डरा कि अगर मैंने उसे कोड़े मारे तो यह मर जाएगी। मैं

وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، أَوْ قَالَ: تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.

अल्लाह के रसूल(ﷺ) के पास गया और आप से इस बात का तजकिरा किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, तुमने अच्छा किया। "

मुस्लिम: 1705. अबू दाऊद: 4473.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सुद्दी का नाम इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान है उनका शुमार ताबेईन में होता है। उन्होंने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से अहादीस सुनीं और हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) को देखा था।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ

14 - नशा करने वाले की हद.

1442 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ، قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ.

1442 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चालीस जूते मार कर हद लगाई। मिस्अर कहते हैं: मेरे ख़याल में शराब पीने की वजह से।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद:323. इब्ने अबी शैबा:9/548.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुर्रहमान बिन अज़हर, अबू हुरैरा, साइब, इब्ने अब्बास, और उक़्बा बिन हारिस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और अबू सिद्दीक नाजी का नाम बक्र बिन अम्र है। उन्हें बक्र बिन कैस भी कहा जता है।

1443 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ

1443 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया जिसने शराब पी थी तो आप(ﷺ) ने दो छड़ियों के साथ चालीस के क़रीब हद लगायी और अबू बकर (رضي الله عنه) ने भी इसी तरह किया। जब उमर (رضي الله عنه) ख़लीफ़ा बने तो

فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: كَأَخَفِّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

उन्होंने लोगों से मशवरा किया अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضی اللہ) ने कहा: सब से कम हद अस्सी कोड़ों के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए तो उमर (رضی اللہ) ने इसका हुक्म दे दिया।(1)

बुख़ारी: 6773. मुस्लिम: 1706. अबू दाऊद: 4479. इब्ने माजा: 2570.

तौज़ीह: (1) सज़ा के तौर पर जितनी हदें कुरआन में मौजूद है उन में सब से कम सज़ा अस्सी कोड़ों की है जो तोहमत लगाने वालों के लिए है। इसी सबब से कम सज़ा को शराब नोशी करने वाले के लिए तजवीज़ किया गया।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अनस (رضی اللہ) की हदीस हसन है नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा किराम (رضی اللہ) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि नशा करने वाले की सज़ा अस्सी कोड़े हैं।

15 بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ. وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

15 - शराबी को कोड़े मारो अगर चौथी मर्तबा पिए तो उसे क़त्ल कर दो.

1444 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

1444 - सय्यदना मुआविया (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शराब पिए उसे कोड़े लगाओ, पस अगर चौथी मर्तबा पिए तो उसे क़त्ल कर दो।"

सहीह: अबू दाऊद: 4482. इब्ने माजा: 2573.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, शरीद, शुरहबील बिन औस, जरीर, अबू रमद बलवी और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: मुआविया (رضی اللہ) की हदीस को इसी तरह सौरी ने आसिम से बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना मुआविया (رضی اللہ) के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत किया है।

नीज़ इब्ने जुरैज और मामर ने सुहैल बिन अबी सालेह से उन्होंने अपने बाप से ब वास्ता अबू हुरैरा (رضی اللہ) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है।

और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना वह कहते थे कि इस मसले में अबू सालेह की बवास्ता मुआविया नबी करीम(ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस अबू सालेह की बा वास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है और यह मामला भी शुरू में था बाद में मंसूख हो गया।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने भी बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स शराब पिए उसे कोड़े मारो। अगर चौथी दफ़ा और पिए तो उसे क़त्ल कर दो।" जाबिर कहते हैं: फिर उसके बाद नबी(ﷺ) के पास एक आदमी लाया गया जिस ने चौथी मर्तबा शराब पी थी, आप(ﷺ) ने उसे हद लगाई और क़त्ल नहीं किया। ज़ोहरी ने भी बवास्ता क़बीसा बिन ज़ुऐब नबी(ﷺ) से ऐसी ही रिवायत की है। कहते हैं: और वह क़त्ल का हुक्म उठा लिया गया और वह रूख़्सत थी।

नीज़ तमाम उलमा का इसी पर अमल है। हम पिछले और बाद वाले उलमा में भी इस पर इख़्तिलाफ़ नहीं जानते। इसको मज़बूत करने की एक और दलील भी है जो नबी अकरम(ﷺ) से कई सनदों से मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान शख़्स यह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसे इन तीन चीजों के अलावा क़त्ल करना हलाल नहीं है: क़त्ल के बदले, शादीशुदा ज़ानी और दीन छोड़ने वाला।"

16 बَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

16 - कितने माल की चोरी में हाथ काटा जाए?

1445 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

1445 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) दीनार के चौथे हिस्से या उस से ज़्यादा में हाथ काटते थे।

बुख़ारी: 6789. मुस्लिम: 1684. अबू दाऊद: 4383.इब्ने माजा: 2585.निसाई: 4923, 4940.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और यही हदीस कई सनदों से उम्रा के ज़रिए आयशा (رضي الله عنها) से मर्फ़ू भी मर्वी है। जब कि बाज़ (कुछ) ने आयशा (رضي الله عنها) से मौकूफ़ रिवायत की है।

1446 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

1446 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक ढाल की चोरी में हाथ काटा जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

बुख़ारी: 6795. मुस्लिम: 1686. अबू दाऊद: 4358.इब्ने माजा: 2584. निसाई:4906.

वज़ाहत: इस मसले में साद, अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और ऐमन (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और नबी करीम(ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा का इसी पर अमल है। इन में अबू बक्र (رضي الله) भी हैं, जिन्होंने पांच दिरहम चोरी करने की वजह से हाथ काटा था। और उस्मान और अली (رضي الله) से मर्वी है कि उन्होंने एक चौथाई दीनार की वजह से हाथ काटा था।

नीज़ अबू हुरैरा और अबू सईद (رضي الله) फ़रमाते हैं: पांच दिरहम चोरी में हाथ काटा जाएगा। और फ़ुकहा ताबेईन का इसी पर अमल है। नीज़ मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि चौथाई दीनार या इस से ज़्यादा में हाथ काटा जाएगा।

जबकि इब्ने मसऊद (رضي الله) से मर्वी है कि एक दीनार या दस दिरहम में काटा जाएगा लेकिन यह हदीस मुर्सल है। क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान ने इब्ने मसऊद (رضي الله) से रिवायत किया है और क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान ने इब्ने मसऊद से सिमा (सुनना) नहीं किया।

और बाज़ (कुछ) उलमा का इस पर अमल भी है, सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा भी यही कहते हैं कि दस दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। नीज़ अली (رضي الله) से मर्वी है कि दस दिरहम से कम में क़ता (हाथ काटना) नहीं है। लेकिन इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं है।

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ

17 - चोर का हाथ काट कर उसके गले में लटकाना.

1447 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ:

1447 - अब्दुर्रहमान बिन मुहैरीज़ (رحمه الله) कहते हैं: मैंने फज़ाला बिन उबैद (رضي الله) से चोर का हाथ उसकी गर्दन में लटकाने के बारे में पूछा कि क्या यह सुन्नत है? उन्होंने फ़रमाया,

سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.

"रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक चोर को लाया गया तो उसका हाथ काट दिया गया फिर आप(ﷺ) ने हुक्म दिया उसे उसकी गर्दन में लटका दिया गया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4411. इब्ने माजा: 2587. निसाई: 4982.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हज्जाज बिन अर्तात से सिर्फ़ उमर बिन अली मुक़द्दिमी की सनद से ही जानते हैं। और अब्दुर्रहमान मुहैरीज़ शामी हैं जो कि अब्दुल्लाह बिन मुहैरीज़ के भाई हैं।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ، وَالْمُخْتَلِسِ، وَالْمُنْتَهِبِ

18 - ख़यानत करने वाले, छीनने वाले और डाकू का बयान.

1448 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

1448 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़यानत करने वाले, डाकू[1] और छीनने[2] वाले पर क़ता (हाथ काटना) नहीं है।"

सहीह: अबू दाऊद: 4391. इब्ने माजा:2591.निसाई: 4971-4975.

वज़ाहत: مُنْتَهِب : लुटेरा, डाकू, लूट खसोट करने वाला। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 1165) مُخْتَلِس: धोके से छीन लेना उचक लेना और यह इस्मे फ़ाइल है। । (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 239)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

नीज़ मुग़ीरह बिन मुस्लिम ने भी अबू ज़ुबैर के वास्ते के साथ जाबिर (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस इब्ने जुरैज की तरह रिवायत की है और मुग़ीरह बिन मुस्लिम बसरह का रहने वाला और अब्दुल अज़ीज़ अल कस्मल्ली का भाई है, अली बिन मदीनी ने भी ऐसे ही कहा है।

19 بَابُ مَا جَاءَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

19 - फल और खुजूरों के शगूफों को तोड़ने पर हाथ नहीं काटा जाएगा.

1449 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

1449 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना फल और खुजूर के खोशों (शगूफों को तोड़ने) पर हाथ नहीं काटा जाएगा।

सहीह: इब्ने माजा: 2593. दारमी: 2311. इब्ने हिब्बान: 4466.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ने यह हदीस यह्या बिन सईद से बवास्ता मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान, उनके चचा वासे बिन हिब्बान से उन्होंने ने बवास्ता राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से लैस बिन साद की तरह रिवायत की है।

और मालिक बिन अनस और दीगर रावियों ने इस हदीस को यह्या बिन सईद से मुहम्मद बिन हिब्बान के वास्ते से राफे बिन ख़दीज के ज़रिए नबी करीम(ﷺ) से रिवायत किया है इस में वासे बिन हिब्बान का ज़िक्र नहीं है।

20 بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ

20 - जिहाद में हाथ न काटे जाएँ.

1450 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ.

1450 – बुस्र बिन अर्तात (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "जिहाद में (चोरी करने वाले के) हाथ न काटे जाएँ।"

सहीह: अबू दाऊद: 4408. निसाई:4979. मुसनद अहमद:4/81.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है इसे इब्ने लहीया के अलावा और रावियों ने भी इसी सनद के साथ इसी तरह रिवायत किया है। (बुस्र बिन अर्तात को) बुस्र बिन अबी अर्तात भी कहा जाता है।

नीज़ औज़ाई समेत बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए जिहाद में दुश्मन की मौजूदगी में हद क़ायम करने को दुरुस्त नहीं कहते क्योंकि खतरा है कि कहीं यह शख़्स जिस पर हद लगी है दुश्मन के साथ न मिल जाए। जब अमीर जंग के इलाका से निकल कर दारुल इस्लाम में आ जाए तो उस गुनाहगार पर हद लगाए। ऐसे ही औज़ाई ने भी कहा है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

21 - जो आदमी अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना कर ले.

1451 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

1451 - हबीब बिन सालिम (رحمه الله) कहते हैं: नौमान बिन बशीर के पास एक आदमी को लाया गया जिसने अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना किया था तो उन्होंने फ़रमाया, मैं इस वाक़िए में रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला करूंगा अगर उस (की बीवी) ने उस लौंडी को उसके लिए हलाल किया था तो मैं उसे सौ कोड़े मारूंगा और अगर उसने हलाल नहीं किया था तो मैं उसे रज्म करूंगा।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4458. इब्ने माजा:2551. निसाई: 3360.

1452 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ، وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُتِبَ بِهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ.

1452 - (अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं:) हमें अली बिन हुज्र ने उन्हें हैसम ने अबू बिश्र से बवास्ता हबीब बिन सालिम, सय्यदना नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है और क़तादा से मर्वी है कि उन्होंने कहा: मुझे यह बात हबीब बिन सालिम ने लिख कर भेजी थी। और अबू बिश्र ने हबीब बिन सालिम से सिमा (सुनना) नहीं किया। उसने ख़ालिद बिन उर्फुता से रिवायत की है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4458. इब्ने माजा: 1552. निसाई: 3360.

वज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन मोहब्बक़ (ﷺ) से भी इसी तरह मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: नौमान की हदीस की सनद में इज़्तिराब है। मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि क़तादा ने इस हदीस को हबीब बिन सालिम से नहीं सुना। उन्होंने तो ख़ालिद बिन उर्फ़ुता के ज़रिए रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना करने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: अली और इब्ने उमर (ﷺ) समेत नबी करीम(ﷺ) के कई सहाबा (ﷺ) से मर्वी है कि उसे रज्म किया जाएगा। इब्ने मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं: उस पर कोई हद नहीं लेकिन कुछ सज़ा दी जाए। अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का मज़हब नौमान बिन बशीर (ﷺ) की नबी(ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस के मुताबिक है।

22 - जिस औरत के साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया जाए.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

1453 - सय्यदना वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में एक औरत से ज़बरदस्ती ज़िना किया गया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस से हद दूर कर दी और उसे उस आदमी पर क़ायम किया जिसने उससे ज़िना किया था और रावी ने यह ज़िक्र नहीं किया कि आप(ﷺ) ने उसके लिए महर मुक़र्रर किया था।

ज़ईफ़: अल-इर्वा: 7/341. इब्ने माजा: 2598. मुसनद अहमद: 4/318.

1453 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال حَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी मुत्तसिल नहीं है। नीज़ यह हदीस दीगर इस्नाद के साथ भी मर्वी है।

फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना कि अब्दुल जब्बार बिन वाइल बिन हुज्र ने अपने बाप से हदीस नहीं सुनी और न ही उन्हें पाया है। कहा जाता है कि वह अपने बाप की वफ़ात के कुछ माह बाद पैदा हुए थे।

नीज़ नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर उलमा में से अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि मजबूर किए गए पर हद नहीं होती।

1454 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ.

1454 - अल्क़मा बिन वाइल किंदी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) के दौर में एक औरत नमाज़ के इरादे से बहार निकली, उसे एक आदमी मिला उसने उसे ढाँप लिया और उससे अपनी ख़्वाहिश को पूरा किया तो वह चीखने लगी (और) वह आदमी चला गया, उस औरत के पास से एक आदमी गुज़रा तो कहने लगी: इस आदमी ने मेरे साथ इस तरह किया और वह औरत मुहाजिर सहाबा के एक गिरोह के पास से गुजरी तो कहने लगी: इस आदमी ने मेरे साथ यह यह किया है। वह (सहाबा (رضی اللہ)) गए और उस आदमी को पकड़ लाये जिसके बारे में औरत ने कहा था कि उसने उस से ज़िना किया है और औरत के पास आए उस ने कहा, हाँ यह वही है। तो सहाबा उसे रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले आए, जब आप ने उसे रज्म करने का हुक्म दिया तो उस औरत से ज़िना करने वाला खड़ा हो कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मैंने उस से ज़िना किया है। आप(ﷺ) ने उस औरत से कहा: तुम चली जाओ अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और उस (पहले पकड़े जाने वाले) से भलाई की बात कही और ज़िना करने वाले आदमी के बारे में फ़रमाया, "इसे रज्म कर दो।" नीज़ आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसने ऐसी तौबा की है कि अगर सारे मदीने वाले यह तौबा करते तो उनसे क़ुबूल की जाती।"

हसन: इसके अलावा इस हदीस में रज्म कर दो वाला टुकड़ा दुरूस्त नहीं है क्योंकि उसको रज्म नहीं किया गया था।
अस-सिलसिला अस-सहीहा:900. अबू दाऊद: 4379.
मुसनद अहमद: 6/399.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

और अल्क़मा बिन वाइल ने अपने बाप से अहादीस सुनी हैं: यह अब्दुल जब्बार से बड़े थे और अब्दुल जब्बार ने अपने बाप से समाअत नहीं की।

23 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى البَهِيمَةِ

1455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ البَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ.

23 - जो शख़्स जानवर से बदकारी करे.

1455 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “अगर तुम ऐसे शख़्स को पाओ जिसने जानवर से बदकारी की हो तो उसे क़त्ल कर दो और जानवर को भी क़त्ल कर दो, तो इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से कहा गया: चौपाये को किस लिए? उन्होंने फ़रमाया, मैंने इस के बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से कुछ् नहीं सुना लेकिन मेरा ख़याल है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस के गोश्त को खाए जाने या उस से नफ़ा लेने को मकरूह समझा क्योंकि उस के साथ ऐसा अमल किया गया है।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 4464. इब्ने माजा: 2564.
मुसनद अहमद: 1/269.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अम्र बिन अबी अम्र से ही बवास्ता इक्रिमा, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मर्फू जानते हैं, जबकि सुफ़ियान सौरी ने आसिम से बवास्ता अबू रजीन इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत किया है वह फ़रमाते हैं: जो शख़्स जानवर से बदफेली करे उस पर कोई हद नहीं है।

यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने और उन्हें सुफ़ियान सौरी ने बयान की है। और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी इसी के क़ायल हैं।

24 - लवातत करने वाले की सज़ा (समलैंगिंकता की सजा)

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

1456 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस को तुम कौमे लूत का अमल करते हुए पाओ तो करने वाले और जिसके साथ किया जा रहा है दोनों को क़त्ल कर दो।"

सहीह: अबू दाऊद: 4462. इब्ने माजा: 2561.

1456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मर्वी नबी करीम(ﷺ) की हदीस हम सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं।

और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अम्र बिन अबी अम्र से रिवायत किया है कि जो शख़्स कौमे लूत का अमल करे वह मलउन (लानती) है। इस में क़त्ल का ज़िक्र नहीं है। इस में यह भी है कि लानत है उस पर जो चौपाये से बदफेली करे। नीज़ यह हदीस आसिम बिन उमर से सुहैल बिन अबी सालेह के वास्ते से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसा अमल करने वाले और करवाने वाले दोनों को क़त्ल कर दो।"

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में भी गुफ्तगू की गई है। हमारे इल्म के मुताबिक़ इसे सुहैल बिन अबी सालेह से आसिम बिन उमर अल उमरी के अलावा किसी और ने बयान नहीं किया और आसिम बिन उमर को हदीस में हाफ़िज़े की कमज़ोरी की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है।

नीज़ लवातत करने वाले की हद के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) के मुताबिक़ उस पर रज्म है शादी शुदा हो या ग़ैर शादी शुदा, यह कौल मालिक शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का है।

और फ़ुक़हा ताबेईन में से बाज़ (कुछ) उलमा जैसे हसन बसरी, इब्राहीम नखई और अता बिन अबी रबाह (رحمہ اللہ) वग़ैरह कहते हैं लवातत करने वाले की हद जानी की हद ही है। सौरी और अहले कूफ़ा का भी यही क़ौल है।

1457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

1457 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ जिससे मैं अपनी उम्मत पर डरता हूँ वह कौमे लूत का अमल (समलैंगिकता) है।"

हसन: 2563. मुसनद अहमद: 3/382. हाकिम: 4/357.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील बिन अबी तालिब की सनद से ही जाबिर (رضی اللہ) से जानते हैं।

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ

25 - दीने इस्लाम से फिर जाने वाला.

1458 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَلَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

1458 - इक्रिमा (رحمہ اللہ) बयान करते हैं कि अली (رضی اللہ) ने इस्लाम से मुर्तद हो जाने वालों को जला दिया, इब्ने अब्बास (رضی اللہ) को यह ख़बर पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया, "अगर मैं होता रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ उनको क़त्ल करता, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "जो अपना दीन बदल दे उसे क़त्ल कर दो" और मैं उन्हें न जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के अज़ाब के साथ सज़ा न दो।" यह बात अली (رضی اللہ) तक पहुंची तो उन्होंने फ़रमाया, "इब्ने अब्बास (رضی اللہ) ने सच कहा।"

बुख़ारी: 3017. अबू दाऊद: 4351. इब्ने माजा: 2535. निसाई:4059.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और मुर्तद के बारे में अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ इस्लाम से फिरने वाली औरत के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

अहले इल्म का एक गिरोह कहता है: उसे भी क़त्ल कर दिया जाए। यह कौल औज़ाई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

जबकि एक गिरोह कहता है: उसे क़त्ल न किया जाए। यह कौल सुफ़ियान और दीगर अहले कूफा का है।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ

26 - जो शख़्स हथियार की नुमाइश करे.

1459 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

1459 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने हमारे ऊपर अस्लहा (हथियार) उठाया वह हम में से नहीं है।"

बुख़ारी:7071, मुस्लिम: 100, इब्ने माजा: 2577

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने ज़ुबैर, अबू हुरैरा और सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू मूसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ

27 - जादूगर की हद.

1460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.

1460 - सय्यदना जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " जादूगर की सज़ा तलवार की ज़र्ब है। "

ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 1446. दार क़ुत्नी: 3/ 114. हाकिम: 4/ 360. बैहक़ी: 8/ 136.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सिर्फ़ इसी सनद से मर्फ़ू है और इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की को हाफ़िज़े की वजह से हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है और इस्माईल विन मुस्लिम अब्दी बसरी के बारे में वकी कहते हैं: वह सिक़ह् हैं। हसन बसरी से भी ऐसे ही मर्वी है, और सहीह जुन्दुब (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत है।

नीज़ नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, मालिक का भी यही कौल है।

शाफ़ेई कहते हैं: जादूगर को उस वक़्त क़त्ल किया जाएगा जब वह कुफ़्र तक पहुँचने वाला जादू करता हो। अगर कुफ़्र से छोटा काम करता है तो उस पर क़त्ल नहीं है।

28 - माले ग़नीमत से चोरी करने वाले के साथ क्या किया जाए?

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

1461 - सय्यदना उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे तुम अल्लाह के रास्ते में ग़नीमत के माल से चोरी करते हुए पाओ तो उसका सामान जला दो।" सालेह कहते हैं: मैं मस्लमा के पास गया और उनके साथ सालिम बिन अब्दुल्लाह भी थे, उन्होंने एक आदमी को पाया जिसने ग़नीमत के माल से ख़यानत की थी तो सालिम ने यह हदीस बयान की फिर उसके सामान के बारे में हुक्म दिया उसे जला दिया गया उसके सामान में एक कुरआन भी था। सालिम ने कहा: इसे बेच कर इसकी क़ीमत सदक़ा कर दो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2713. मुसनद अहमद: 1/22.

1461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ قَالَ صَالِحٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَوَجَدَ رَجُلاً قَدْ غَلَّ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: بِعْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ से जानते हैं और बाज़ (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है। औज़ाई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी رحمه الله से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इसे सालेह बिन मुहम्मद जायदा ने रिवायत किया है। यह अबू वाकिद लैसी ही है जो मुन्किरे हदीस है। मुहम्मद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस के अलावा भी कुछ अहादीस में ग़नीमत के माल से चोरी करने वाले के बारे में नबी(ﷺ) से मर्वी है। इन में आप ने सामान जलाने का हुक्म नहीं दिया। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

29 - जो शख़्स किसी दूसरे को हिजड़ा कहकर पुकारे.

29 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُولُ لِآخَرَ يَا مُخَنَّثُ

1462 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब कोई आदमी किसी को कहे: ऐ यहूदी! तो उसे बीस कोड़े मारो, और जब कहे: ऐ मुखन्नस! तो उसे भी बीस कोड़े मारो और जो किसी महरम औरत से ज़िना करे उसे क़त्ल कर दो।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2564. मुसनद अहमद: 3/466.दारमी: 2319.

1462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ़ इसी तरीक़ से ही जानते हैं और इब्राहीम बिन इस्माईल को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा जाता है।

नीज़ नबी(ﷺ) से कई तुरूक़ से मर्वी है जिसे बराअ बिन आजिब और कुर्रा बिन यास मुज़नी रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया तो नबी(ﷺ) ने उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। हमारे अस्हाब इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़्स जानते बूझते महरम औरत से ज़िना करे वह वाजिबुल क़त्ल है।

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: जो अपनी मां से निकाह कर ले उसे क़त्ल किया जाएगा। इस्हाक़ फ़रमाते हैं: जो किसी महरम औरत से ज़िना करे उसे क़त्ल किया जाएगा।

30 - ताज़ीर[1] का बयान.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ

1463 - सय्यदना अबू बुर्दा बिन नियार (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "दस कोड़ों से ज़्यादा कोड़े न मारे जाएँ मगर अल्लाह की हदों में से किसी हद के अन्दर ही।"

1463 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

बुख़ारी: 6848. मुस्लिम: 1708. अबू दाऊद: 4491. इब्ने माजा: 2601.

तौज़ीह: (1) التَّعْزِيرِ : शरअन हद्दे शरई से कम सज़ा देना। जैसे गाली देने वाले को हद्दे क़ज़फ़ के बग़ैर सज़ा देना। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 709)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने लहीया ने भी इस हदीस को बुकैर से रिवायत किया है लेकिन इस में ग़लती की है। उस ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने बाप के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं। यह गलत है। और सहीह हदीस लैस बिन साद की है कि अब्दुर्रहमान बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह बवास्ता अबू बुर्दा बिन नियार नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ बुकैर बिन अशज्ज के तरीक़ से ही जानते हैं। नीज़ ताज़ीर के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है और ताज़ीर के बारे में सब से उम्दा रिवायत यही हदीस है।

ख़ुलासा

- तीन क़िस्म के लोग मर्फ़ूउल क़लम हैं: बच्चा, सोया हुआ और पागल।
- मुसलमान के ऐबों को ज़ाहिर न किए जाएँ।
- हद क़ायम करने से पहले एतराफ़ ज़रूरी है।
- हुदूदुल्लाह में सिफ़ारिश करना सख़्ती से मना है।
- शादी शुदा जानी को रज्म (संगसार) किया जाएगा।
- औरत अगर ज़िना से हामिला हो जाए तो वज़ए हमल के बाद उसे रज्म किया जाएगा।
- कुंवारा अगर ज़िना करे तो उसको एक साल की जलावतनी और एक सौ कोड़े लगाए जायेंगे।
- हद लगने से गुनाह का बोझ ख़त्म हो जाता है।
- सहाबए किराम (رضي الله عنهم) के मशवरे से शराबी की हद अस्सी कोड़े मुक़र्रर की गई है।
- चोर का हाथ काट दिया जाए।
- अगर किसी औरत के साथ ज़िना बिल जब्र किया जाए तो वह औरत सज़ा से बरी होगी।
- जानवर से बदकारी करने वाले और लवातत करने वाले की सज़ा क़त्ल है।
- दीने इस्लाम से फिर जाने वाला वाजिबुल क़त्ल है।
- ताज़ीरन दस कोड़ों से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती।

मज़मून नम्बर 16.

أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी शिकार के अहकाम व मसाइल.

तआरुफ़

29 अहादीस के साथ 19 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मसाइल पर मुश्तमिल है:

- शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने की क्या शर्तें हैं?
- शिकार के कौन से जानवर हलाल और कौन से हराम हैं?
- किन जानवरों को मारना जायज़ है?
- कुत्तों के बारे में किया अहकामात हैं?

1 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ

1464 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ. وَالحَجَّاجُ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قُلْتُ:

1 - कुत्ते का किया हुआ कौन सा शिकार खाया जाए और कौन सा नहीं?

1464 - सय्यदना अबू सअ़लबा ख़ुशनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम शिकार करने वाले लोग हैं आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम अपने शिकारी कुत्ते को छोड़ो और उस पर अल्लाह का नाम ले लो, वह कुत्ता तुम्हारे लिए शिकार को रोक ले तो खा लो।" मैंने कहा अगर वह मार दे? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, अगर वह मार भी दे। मैंने कहा : हम तीर अंदाजी करने वाले हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो चीज़ तुम्हारी

إِنَّا أَهْلُ رَمْيٍ، قَالَ: مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ، فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا.

कमान ले कर आए[1] उसे खा लो। " रावी कहते हैं: मैंने कहा: हम सफ़र करने वाले हैं। हम यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों के पास से गुज़रते हैं तो उनके बर्तनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर तुम्हें उनके बरतनों के अलावा कुछ न मिले तो उन्हें पानी से धो लो। फिर उनमें खा पी लो। "

बुख़ारी: 5478. मुस्लिम: 1930. अबू दाऊद: 2852. इब्ने माजा: 3207. निसाई: 4266.

तौज़ीह: (1) यानी जो चीज़ तुम्हारे तीर से गिरे उसे खा लो।

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और आइज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अबू इदरीस ख़ौलानी ही हैं जबकि अबू सअ़लबा ख़ुशनी का नाम जुर्सूम है। या जुर्शुम बिन नाशिम भी कहा जाता है और इब्ने कैस भी कहा जाता है।

1465 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ كِلاَبًا لَنَا مُعَلَّمَةً، قَالَ: كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

1465 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! हम अपने सधाए हुए कुत्तों को शिकार पर छोड़ते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, " जो शिकार वह तुम्हारे लिए रख लें उसे खा लो। " मैंने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! अगरचे वह मार भी दें?, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, अगरचे वह मार भी दें बशर्ते कि उनके साथ कोई दूसरा कुत्ता शरीक न हुआ हो।" रावी कहते हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! हम मेराज़[1] वाले तीर फेंकते हैं, आप(ﷺ) ने उनसे फ़रमाया, "जो शिकार उनसे ज़ख्मी हो जाए (फट जाए) उसे खा लो और जो चौड़ाई की तरफ़ से लगे उसे मत खाओ।"[2]

बुख़ारी: 5477. मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद: 2847. इब्ने माजा: 3215. निसाई: 4265.

तौज़ीह: (1) مِعْرَاض:तीर का दर्मियानी मोटा हिस्सा (अल-क़ामूसुल वहीद: पृ. 1069) (2) जो जानवर लकड़ी के साथ मरे और उसमें ज़ख्म न हो वह موقوذة (लाठी लगने से मरा हुआ) है। उसे अल्लाह तआला ने हराम किया है।

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन यह्या ने (वह कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह हदीस बयान की लेकिन उन्होंने यह कहा कि आप से मेराज़ के बारे में पूछा गया।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

2 - मजूसी के शिकारी कुत्ते के शिकार का बयान.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ

1466 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं हमें मजूसी के कुत्ते के शिकार से मना किया गया है।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3209. बैहक़ी: 9/245.

1466 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। नीज़ जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए मजूसियों के कुत्ते की शिकार की रूख़सत नहीं देते। क़ासिम बिन अबी बज़्ज़ा, क़ासिम बिन नाफ़े मक्की हैं।

3 - बाज़ के शिकार का बयान.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ البُزَاةِ

1467 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से बाज़[1] के शिकार के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया; "जो तुम्हारे लिए रोके उसे खा लो।"

मुन्कर: अबू दाऊद: 2851. मुसनद अहमद: 4/257.

1467 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ البَازِي، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ.

तौज़ीह: البَازِي: बाज़, उसके पर चौड़ाई माइल जबकि पाँव और दुम लम्बाई माइल होते हैं इसकी जमा بُزاة और بِوَاز आती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 69)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम इस हदीस को मुजालिद से बवास्ता शाबी ही जानते हैं और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए बाजों और शकरों के शिकार को गुनाह नहीं समझते।

मुजालिद फ़रमाते हैं: बाज़ उन्हीं जानवरों में से है जिनसे शिकार किया जाता है। जिनके बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: "और जिन जानवरों को तुम सिखाते (और सधाते) हो। " (अल-माइदा:4) उन्होंने इस आयत की तफ़सीर उन कुत्तों और परिंदों से की है जिनसे शिकार किया जाता है, और बाज़ (कुछ) उलमा ने बाज़ के शिकार की इजाज़त इस सूरत में भी दी है कि अगर वह इस में से खा भी ले तो ठीक है और वह कहते हैं: उसकी तालीम यह है कि बात माने (यानी जब छोड़े तो शिकार की तरफ़ जाए)

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे मकरूह समझते हैं लेकिन अक्सर फ़ुक़हा कहते हैं: अगर वह इस से खा भी ले तब भी खाना जायज़ है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

4 - आदमी शिकार करे फिर शिकार किया हुआ जानवर ग़ायब हो जाए.

1468 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الغَدِ سَهْمِي؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ.

1468 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: " ऐ अल्लाह के रसूल! मैं शिकार को तीर मारता हूँ फिर अगले रोज़ उसमें अपना तीर पाता हूँ। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम्हें इल्म हो कि तुम्हारे तीर ने ही जानवर को मारा है और इसमें किसी दरिन्दे के निशान भी न देखो तो उसे खा लो।"

सहीह: निसाई: 4300,4302. मुसनद अहमद: 4/377. तयालिसी:1041.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ शोबा ने इस हदीस को अबू बिश्र और अब्दुल मलिक बिन मैसरा से बवास्ता सईद बिन जुबैर, सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) और सय्यदना अबू सअ्लबा (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत किया है। और दोनों हदीसें सहीह हैं। इस मसले में अबू सअ्लबा ख़ुशनी (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ

5 - जो शख़्स शिकार की तरफ़ तीर फेंके फिर उसे मुर्दा हालत में पानी के अन्दर देखे.

1469 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

1469 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “ जब तुम अपना तीर फेंको तो अल्लाह का नाम लो फिर अगर तुम उसे क़त्लशुदा हालत में पाओ तो खा लो, अगर तुम देखो कि वह पानी में गिर गया है तो मत खाओ क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसे पानी ने मारा है या तुम्हारे तीर ने।

मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद:2849. निसाई: 4298.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

6 - कुत्ता अगर शिकार में से कुछ खा ले.

1470 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلاَبَنَا كِلاَبٌ أُخَرُ؟ قَالَ:

1470 - सय्यदना अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सिखाये हुए कुत्ते के शिकार के मुताल्लिक़ पूछा? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “जब तुमने अपने सिखाये हुए कुत्ते को छोड़ा और उस पर अल्लाह का नाम लिया तो जो वह तुम्हारे लिए रोके उसे खा लो। पस अगर वह ख़ुद खाता है तो तुम मत खाओ, क्योंकि उसने अपने लिए शिकार किया है। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप बतलाइए अगर हमारे कुत्तों के साथ दूसरे कुत्ते मिल जाएँ? तो आप(ﷺ)

إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ: أَكْرَهُ لَهُ أَكْلَهُ.

ने फ़रमाया, "तुमने अल्लाह का नाम अपने कुत्ते पर लिया है किसी दूसरे पर नहीं," सुफ़ियान कहते हैं आपने इसे खाना मकरूह समझा।

बुख़ारी: 175. मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद: 2847, 2849. इब्ने माजा: 3208. निसाई: 4263.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि शिकार और ज़बह किया गया जानवर जब पानी में गिर जाएँ तो उसे न खाये।

ज़बीहा के बारे में बाज़ (कुछ) कहते हैं: जब उसकी शहे रग कट जाए फिर पानी में गिर कर मर जाए तो उसे खाया जा सकता है यह कौल अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) का है। कुत्ता जब शिकार में से खा ले तो इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

अक्सर अहले इल्म कहते हैं: जब कुत्ता उस में से कुछ खाले तो उसे न खाए। यह कौल सुफ़ियान, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ का है। जब कि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा रूख़सत देते हैं कि अगर कुत्ता खा भी ले तो आदमी खा सकता है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

7 - मेराज़ का बयान.

1471 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ.

1471 - सय्यदना अदी बिन हातिम (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से मेराज़ के शिकार के बारे में सवाल किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे तुम नोक के साथ मारो तो (उसे) खा लो और लकड़ी की तरफ़ से लगे तो वह मौक़ूज़ा है।(1)

बुख़ारी: 2054. मुस्लिम: 1929. अबू दाऊद:2847. इब्ने माजा:3215. निसाई: 4265.

तौज़ीह: (1) मेराज़ और मौक़ूज़ा का मानी हदीस नम्बर 1465 के तहत मुलाहज़ा फ़रमाएं।

वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने ज़करिया से उन्होंने शाबी से बवास्ता अदी बिन हातिम (ﷺ) नबी करीम(ﷺ) से ऐसे ही हदीस बयान की है।
इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

8 - पत्थर से ज़बह करना.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

1472 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उनकी कौम के एक आदमी ने एक या दो खरगोशों का शिकार किया और उन्हें एक सफ़ेद[1] पत्थर से ज़बह किया फिर उन्हें लटकाया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से मिले तो आप(ﷺ) से सवाल किया, आप(ﷺ) ने उसको उनके खाने का हुक्म दिया।

सहीह: बैहक़ी: 9/321. अब्दुर्रज्ज़ाक़: 8692.

1472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهُمَا، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

तौज़ीह: الْمَرْوَة : सफ़ेद चमकदार या बारीक पत्थर जिससे आग निकाली जाती है, नीज़ मक्का में एक पहाड़ी का नाम भी मर्वा है लेकिन यहाँ पहला मानी मुराद है। (देखिये : अल- मोजमुल वसीत:पृ. 1047)

वज़ाहत: इस मसले में मुहम्मद बिन सफ़वान, राफ़े और अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) उलमा ने पत्थर (मर्वा) के साथ जानवर ज़बह करने की रूख़सत दी है और खरगोश खाने में भी कोई क़बाहत नहीं समझते और यह जुम्हूर उलमा का कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा खरगोश खाने को मकरूह कहते हैं।

नीज़ शाबी के शागिर्दों ने इस हदीस में इख़्तिलाफ़ किया है। दाऊद बिन अबी हिन्द ने बवास्ता शाबी, मुहम्मद बिन सफ़वान से रिवायत की है।

जबकि आसिम अहवल ने बवास्ता शाबी, सफ़वान बिन मुहम्मद या मुहम्मद बिन सफ़वान ज़िक्र किया है लेकिन मुहम्मद बिन सफ़वान ज़्यादा सहीह है। और जाबिर जोफ़ी बवास्ता शाबी सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से क़तादा की शाबी से रिवायतकर्दा हदीस की तरह रिवायत की है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: शाबी की जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है।

9 - बंधे हुए जानवर को तीर वग़ैरह से मार कर खाना मना है.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ

1473 - सय्यदना अबू दर्दा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुजस्समा को खाने

1473 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَفْرِيقِيِّ،

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ.

से मना फ़रमाया और यह वह (जानवर) है जिसे बाँध कर तीर मारे जाएँ।

सहीह: अस-सिलसिला अस-सहीहा: 2391.

वज़ाहत: इस मसले में इर्बाज़ बिन सारिया, अनस, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, जाबिर और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू दर्दा (ﷺ) की हदीस हसन ग़रीब है।

1474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الْخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ

1474 - उम्मे हबीबा बिन्ते इर्बाज़ बिन सारिया (ﷺ) अपने बाप से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खैबर के दिन हर कुचली[1] वाले दरिन्दे, हर पंजे[2] वाले परिंदे, पालतू गधों, मुजस्समा और खलीसा के गोश्त को खाने से मना फ़रमाया और इससे भी मना फ़रमाया कि हामिला औरतों से सोहबत की जाए यहाँ तक कि वह अपने पेटों के बच्चों को जन्म दे दें।

सहीह: लेकिन खलीसा वाली बात सहीह नहीं है. मुसनद अहमद: 4/127.

तौज़ीह: ذِي نَابٍ: हर वह जानवर जिसके दो दांत नुकीले हों जैसे कुत्ता, हाथी, शेर, चीता वग़ैरह। ذِي مِخْلَبٍ: पंजे वाला परिंदा, जैसे बाज़ कव्वा, चील और ऐसे दीगर परिंदे।

वज़ाहत: मुहम्मद बिन यह्या अल क़तई कहते हैं: अबू आसिम से मुजस्समा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया कि किसी परिंदे या किसी और जानवर को खड़ा करके बाँध कर तीर मारा जाए। ख़लीसा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भेड़िए या दरिन्दे के पास कोई आदमी जानवर पाए वह उसे उस दरिन्दे से छीन ले और उसको ज़बह करने से पहले उसके हाथ में वह जानवर मर जाए (उसे ख़लीसा कहते हैं)

1475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

1475 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किसी रूह वाली चीज़ को निशाना बनाने से मना फ़रमाया।

सहीह: मुस्लिम: 1957. इब्ने माजा: 3177. निसाई: 4443. तोहफतुल अशराफ़: 6112.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू दर्दा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الجَنِينِ

10 - जानवर के पेट के बच्चे का ज़बीहा.

1476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

1476 - सय्यदना अबू सईद (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, "पेट के बच्चे का हलाल करना उसकी मां का हलाल (ज़बह) करना ही है।" (1)

सहीह: अबू दाऊद: 2827. इब्ने माजा:3199.

तौज़ीह: (1) यानी अगर ज़बह किए जाने वाले जानवर के पेट से बच्चा निकले तो उसे ज़बह करने की ज़रुरत नहीं है।

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू उमामा, अबू दर्दा और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू सईद (ﷺ) से और सनद के साथ भी मर्वी है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी इसी के क़ायल हैं। अबू वद्दाक का नाम जबर बिन नौफ़ है।

11 - हर नुकीले दांतों वाला और पंजे वाला जानवर मकरूह है.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ

1477 - सय्यदना अबू सअ़्लबा ख़ुशनी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हर कुचली (नुकीले दांतों) वाले दरिन्दे (को खाने) से मना फ़रमाया है।

बुख़ारी: 5530. मुस्लिम: 1932. अबू दाऊद: 3802. इब्ने माजा:3232. निसाई: 4325.

1477 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

वज़ाहत: (अबू ईसा ﷺ) कहते हैं:) हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान मख़्ज़ूमी और दीगर मुहद्दिसीन ने रिवायत बयान करते हुए कहा कि हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने ज़ोहरी से इसी सनद के साथ अबू इदरीस खौलानी से ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू इदरीस खौलानी का नाम आइज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह है।

1478 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खैबर के दिन पालतू गधों, खच्चरों, कुचली वाले दरिंदों और पंजे वाले परिंदों के गोश्त को हराम क़रार दिया।

मुस्लिम: 1941. अबू दाऊद:3788, 3789. इब्ने माजा:3197. निसाई: 4327, 4329.

1478 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, इर्बाज़ बिन सारिया और इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: जाबिर (ﷺ) की हदीस हसन ग़रीब है।

1479 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

1479 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने हर कुचली (नुकीले दांतों) वाले दरिन्दे को हराम कहा है।

मुस्लिम: 1933. इब्ने माजा:3233. निसाई:4324.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और नबी(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

12 بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

12 - ज़िंदा जानवर का जो हिस्सा काटा जाए वह मुर्दार के हुक्म में है.

1480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ، فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

1480 - सय्यदना अबू वाकिद लैसी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) मदीना में आए तो वह लोग ज़िंदा ऊंटों की कोहानें और ज़िंदा बकरियों की सुरीन काट लेते थे तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ज़िंदा जानवर का जो आजा काटा जाए वह मुर्दार की तरह है। "

सहीह: अबू दाऊद: 2858. मुसनद अहमद:5/218. दारमी:2024.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें इब्राहीम बिन याकूब जौज़ानी ने, वह कहते हैं: हमें अबू नज़र ने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार से ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे ज़ैद बिन असलम की सनद से ही जानते हैं और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ अबू वाकिद लैसी का नाम हारिस बिन औफ़ है।

13 - हलक़ और लब्बा में ज़बह करना चाहिए.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

1481 - अबी उशरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ज़बह सिर्फ़ हलक़ और लब्बा(1) में ही होता है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर तुम उस जानवर के रान में नेजा मार दो फिर भी जायज़ होगा।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2825.इब्ने माजा:3184.

1481 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (ح) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ

तौज़ीह: (1) اللَّبَّة: गर्दन में हार बाँधने की जगह। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 981)

वज़ाहत: अहमद बिन मुनीअ कहते हैं: यज़ीद बिन हारून का कौल है कि यह (रान में नेजा मारना) ज़रुरत के वक़्त है। इस मसले में राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हम्माद बिन ज़ैद की सनद से ही जानते हैं और अबू उशरा की भी अपने बाप से यह एक ही हदीस मर्वी है। अबू उशरा के नाम में इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) कहते हैं: उसका नाम उसामा बिन क़ह्तम है, यसार बिन बरज़ और इब्ने बलज भी कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि उसका नाम उतारिद है और दादा की तरफ़ निस्बत है।

14 - छिपकली को मारना.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الوَزَغِ

1482 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने छिपकली को पहली ज़रब के साथ मारा उसके इतनी नेकियाँ हैं, अगर दूसरी ज़रब से मारा तो इतनी- इतनी नेकियाँ हैं और अगर तीसरी ज़रब से मारा तो उसे इतनी नेकियाँ मिलेंगी।"

1482 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ

الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً.

मुस्लिम: 2240. अबू दाऊद:5263. इब्ने माजा:3229.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, साद, आयशा और उम्मे शरीक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

15 - सांप मारना.

1483 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الحُبْلَى.

1483 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सांपों को मारो, और ख़ुसूसन दो नुक्तों वाले और दुम कटे[1] सांप को मारो, यह नज़र को ख़त्म और हमल को गिरा देते हैं।"

बुख़ारी: 3297. मुस्लिम: 2233. अबू दाऊद: 4242. इब्ने माजा:3535.

तौज़ीह: الأَبْتَر: दुम कटा यानी उस सांप की दुम बहुत छोटी होती है और الطُّفْيَتَيْن : एक खबीस क़िस्म का लचकदार सांप है जिसकी पीठ पर खुजूर के पत्तों की मानिंद दो धारियां होती हैं। यह दोनों बहुत ख़तरनाक सांप हैं।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अबू हुरैरा और सहल बिन साद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज़ इब्ने उमर (رضي الله عنه) अबू लुबाबा से रिवायत करते हैं, नबी(ﷺ) ने उसके बाद घरों में रहने वाले पतले साँपों को जिन्हें अवामिर कहा जाता है मारने से मना कर दिया था और इब्ने उमर, ज़ैद बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से भी ऐसे ही रिवायत करते हैं।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: साँपों में से उस सांप को मारना मकरूह है जो बहुत बारीक होता है और चांदी की तरह लगता है और चलते हुए बल नहीं खाता।

1484 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

1484 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे घरों में आबादी में रहने

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ.

वाले सांप रहते हैं, उन्हें तीन बार आगाह करो अगर उसके बाद भी कोई चीज़ ज़ाहिर हो तो उसे मार दो।"

मुस्लिम:2236. अबू दाऊद:5256. 5259.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उबैदुल्लाह बिन उमर ने बवास्ता सैफी अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से इस हदीस को इसी तरह रिवायत किया है।

जबकि मालिक बिन अनस ने इस हदीस को सैफी से हिशाम बिन उर्वा के ग़ुलाम अबू साइब के वास्ते के साथ अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) से बयान किया है तो इस में एक किस्सा भी बयान किया है। यह हदीस हमें अंसारी ने भी मअन से बवास्ता मालिक बयान की है और यह उबैदुल्लाह बिन उमर की हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन अजलान ने सैफी से मालिक की रिवायत जैसी रिवायत बयान की है।

1485 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَتِ الحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لاَ تُؤْذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا.

1485 - सय्यदना अबू लैला (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब किसी घर में सांप निकल आए तो तुम उस से कहो: हम तुम से नूह और सुलैमान बिन दाऊद (عليه السلام) के अहद से सवाल करते हैं कि तुम हमें तकलीफ़ नहीं दोगे, अगर दोबारा फिर आए तो उसे क़त्ल कर दो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 5260.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और साबित बुनानी से बतरीक़ अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ही हमें मिलती है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الكِلاَبِ

16 - कुत्तों को मारना.

1486 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

1486 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर कुत्ते अल्लाह की मख़्लूक़ में से एक मख़्लूक़ न होते तो मैं उन तमाम कुत्तों

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ.

को मारने का हुक्म देता, पस तुम हर सियाह रंग के कुत्ते को मारो।"

सहीह: अबू दाऊद: 2845. इब्ने माजा:3205. निसाई:4280.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, जाबिर, अबू राफे और अबू अय्यूब (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) अहादीस में मर्वी है कि सियाह कुत्ता शैतान है। और सियाह कुत्ता वह होता है जिसमें कुछ सफ़ेद रंग न हो। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा ने सियाह कुत्ते से शिकार करना मकरूह कहा है।

17 بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

17 - कुत्ता रखने वाले का कितना अज्र कम होता है?

1487 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا أَوْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلاَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

1487 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने कुत्ता पाला या रखा जो न शिकार करता हो और न मवेशियों की रखवाली के लिए हो तो उसके आमाल से हर दिन दो क़ीरात की कमी की जाती है।"

बुख़ारी:5480. मुस्लिम: 1574. निसाई:4284.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, अबू हुरैरा और सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "या खेत के लिए रखा गया कुत्ता।"

1488 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ

1488 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया सिवाए शिकार या मवेशियों की रखवाली वाले कुत्तों के। अम्र बिन दीनार कहते

الكِلَابِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ.

हैं: इब्ने उमर से कहा गया कि अबू हुरैरा (ﷺ) कहा करते थे क्या खेत की हिफाज़त करने वाला कुत्ता। तो उन्होंने फ़रमाया कि अबू हुरैरा (ﷺ) के खेत जो थे।

बुख़ारी: 3323. मुस्लिम: 1571. इब्ने माजा:3202. निसाई: 4277.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1489 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.

1489 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में था जो रसूलुल्लाह(ﷺ) के खुत्बे के दौरान आप के चेहरे से दरख्तों की शाखें हटा रहे थे। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर कुत्ते गिरोहों में से एक गिरोह न होते तो मैं उनको मारने का हुक्म देता, उनमें से हर काले सियाह को मारो, और जो घर वाले कुत्ता बांधते हैं उनके अमल में से हर दिन एक कीरात कम होता है सिवाए शिकारी कुत्ते या खेत और बकरियों की रखवाली वाले कुत्ते के।

सहीह: अबू दाऊद: 2848. इब्ने माजा: 3205. निसाई:4280.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है नीज़ नबी(ﷺ) की यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता हसन, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मर्वी है।

1490 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ

1490 - अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने मवेशियों की रखवाली, शिकार या खेत की रखवाली वाले कुत्ते के अलावा कोई कुत्ता रखा तो हर दिन उसके अमल से एक कीरात कम होता है।"

مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

बुख़ारी: 2322. मुस्लिम: 1575. इब्ने माजा:3204. निसाई: 4289.

तौज़ीह: قِيرَاط: वज़न और पैमाइश की एक मिक़दार (मात्रा) जो मुख़्तलिफ़ अदवार में बदलती रहती है। वज़न में लगभग आधा ग्राम बनता है। (अल-कामूसुल वहीद: पृ. 1300) लेकिन याद रहे हदीस में एक कीरात को उहुद पहाड़ के बराबर भी कहा गया है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

और अता बिन अबी रबाह से मर्वी है उन्होंने इजाज़त दी है कि अगर किसी की एक बकरी भी हो तो कुत्ता रख सकता है। यह बात हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने उन्हें हज्जाज बिन मुहम्मद ने बवास्ता इब्ने जुरैज अता से बयान की है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ

18 - बांस वग़ैरह से ज़बह करना.

1491 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الحَبَشَةِ.

1491 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कल दुश्मन से मिलेंगे और हमारे पास जानवर ज़बह करने के लिए छुरियाँ नहीं हैं तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, " जो चीज़ ख़ून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो अगर ज़बह के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ दांत या नाखून नहीं है तो उस ज़बीहा को खालो, इस बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ: दांत तो हड्डी है और नाखून हब्शियों की छुरियाँ हैं। "

बुख़ारी: 2488. मुस्लिम: 1968. अबू दाऊद: 2821. इब्ने माजा:3178. निसाई: 4403.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यह्या बिन सईद ने सुफ़ियान सौरी से वह कहते हैं मुझे मेरे बाप ने बवास्ता अबाया बिन रिफ़ाआ बिन राफे बिन ख़दीज नबी(ﷺ) से ऐसे ही हदीस बयान की है और इसमें अबाया के बाप का तज्किरा नहीं है और यह ज़्यादा

सहीह है और अबाया ने अपने दादा राफे बिन ख़दीज (ﷺ) से हदीस की समाअत (सुनना) की है। नीज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए दांत या हड्डी से ज़बह करने को दुरुस्त नहीं समझते।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لَا؟

19 - ऊँट, गाय, बकरी जब वहशी जानवर की तरह भाग जाएँ तो उन्हें तीर मारा जा सकता है या नहीं?

1492 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا.

1492 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज (ﷺ) रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे कि लोगों के ऊंटों में से एक ऊँट भाग खड़ा हुआ और लोगों के पास घोड़े नहीं थे तो एक आदमी ने उसे तीर मारा तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने उसे रोक दिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " बेशक उन चौपायों में से कुछ वहशी[1] जानवरों की तरह भाग जाने वाले हैं जो जानवर ऐसे करे तो तुम भी उसके साथ ऐसे ही करो। "

बुख़ारी: 2488. मुस्लिम: 1968. अबू दाऊद:2821.इब्ने माजा:3183. निसाई: 4410.

तौज़ीह: أَوَابِدِ الوَحْشِ: इंसानों से ख़ौफ़ खाने वाले और भागने वाले जानवर (अलमोजमुल वसीत: पृ. 12)

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन गैलान ने (वह कहते हैं:) हमें वकीअ ने, उन्हें सुफ़ियान ने अपने बाप से उन्होंने अबाया बिन रिफ़ाआ से उनके दादा के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की है और उस में अबाया के वालिद का ज़िक्र नहीं है और यह ज़्यादा सहीह है।

नीज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है, और शोबा ने भी सईद बिन मसरूक से बतरीक़ सुफ़ियान इसी तरह रिवायत की है।

ख़ुलासा..

- सधाए हुए शिकारी कुत्ते से शिकार करना जायज़ है बशर्ते कि वह शिकार ख़ुद न खाए।
- बाज़ और उकाब वग़ैरह से शिकार किया जा सकता है।
- लकड़ी लग के मरने वाला जानवर खाना जायज़ नहीं है।
- जो चीज़ खून बहा दे उसे ज़बह किया जा सकता है।
- जानवर को बाँध कर उसे तीर मारना मना है और इस तरीक़े से किया जाने वाला शिकार हराम है।
- नुकीले दांतों वाला दरिंदा और पंजे वाला परिंदा हराम है।
- छिपकली, सांप और कुत्तों को मारना जायज़ है।
- बिला मक़सद कुत्ता रखना हराम है और उसकी वजह से हर दिन सवाब में एक कीरात की कमी होती है।
- तेज़ धार वाले बांस से जानवर ज़बह किया जा सकता है।
- भाग जाने वाले चौपाये को तीर वग़ैरह मार कर रोका जा सकता है।

मज़मून नम्बर 17

أَبْوَابُ الأَضَاحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी कुर्बानियों के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

22 अबवाब और 31 अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मसाइल पर मुश्तमिल है:

- कुर्बानी क्या है और इसके कौनसे जानवर हैं?
- किन जानवरों को कुर्बान करना जायज़ नहीं है.
- फ़रा और अतीरा किया हैं?
- नौ मौलूद के अहकाम और अक़ीक़ा?

1 - कुर्बानी[1] की फ़ज़ीलत.

1493 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "आदमी के कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह को महबूब अमल कोई नहीं। बेशक यह कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आयेगा और बेशक खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकाने कुबूलियत में गिरता है, सो तुम इस बशारत के साथ अपने दिल को ख़ुश कर लो।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3126. हाकिम:4/221.

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأُضْحِيَّةِ

1493 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

तौज़ीह: الأُضْحِيَّة: क़ुर्बानी किए जाने वाले जानवर ऊँट, गाय वग़ैरह को الأُضْحِيَّة कहा जाता है। इसकी जमा الأضاحي है।

वज़ाहत: इस मसले में इमरान बिन हुसैन और ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें हिशाम बिन उर्वा से सिर्फ़ इसी सनद के साथ मिलती है और अबू मुसन्ना का नाम सुलैमान बिन यज़ीद है। जिससे इब्ने अबी फ़ुदैक रिवायत करते हैं।

नीज़ फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) से क़ुर्बानी के बारे में मर्वी है कि क़ुर्बानी करने वाले के लिए हर बाल के बदले नेकी है और सींगों का भी ज़िक्र है।

2 - दो मेंढों की क़ुर्बानी करना.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ

1494 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सींगों वाले, चितकबरे[1] दो मेंढों की क़ुर्बानी की, आप(ﷺ) ने उन्हें अपने हाथ से ज़बह किया, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा, और अपना पाँव उनके पहलुओं पर रखा।

बुख़ारी: 5558. मुस्लिम:1966. अबू दाऊद: 2794. इब्ने माजा:3120. निसाई:4387.

1494 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

तौज़ीह: أَمْلَح: उस मेंढे को कहते हैं जिसकी सफेदी के साथ सियाही की आमेज़िश हो। तस्निया का लफ़्ज़ أملحين : है। (अल-कामूसुल वहोद:पृ. 1576)

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अबू हुरैरा, जाबिर, अबू अय्यूब, अबू दर्दा, अबू राफ़े, इब्ने उमर और अबू बक्र (رضي الله عنهم) से भी इसी तरह मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

3 - फ़ौत शुदा की तरफ़ से क़ुर्बानी करना.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

1495 - हनश (رحمه الله) बयान करते हैं कि सय्यदना अली (رضي الله عنه) दो मेंढों की क़ुर्बानी किया करते थे एक नबी(ﷺ) की तरफ़ से और

1495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي

Sherkhan
9825 696 131

الحَسْنَاءِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا.

एक अपनी तरफ़ से, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा: मुझे नबी(ﷺ) ने इसका हुक्म दिया था, मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2790. मुसनद अहमद: 1/107. हाकिम: 4/229.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ शरीक की रिवायत से जानते हैं। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा ने मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी करने की रूख़सत दी है जबकि बाज़ (कुछ) मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी को सहीह नहीं समझते।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मय्यत की तरफ़ से सदका कर दे और क़ुर्बानी न करे और अगर क़ुर्बानी करता है तो उस से कुछ भी न खाए बल्कि सारा गोश्त सदक़ा कर दे।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) कहते हैं: कि अली बिन मदीनी (رحمه الله) ने फ़रमाया, इसे शरीक के अलावा दीगर रावियों ने भी रिवायत किया है। मैंने उन से कहा: अबू हसना का नाम क्या है? तो वह उसे नहीं जानते थे। मुस्लिम फ़रमाते हैं: उनका नाम हसन था।

4 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِيِّ

4 - जिन जानवरों की क़ुर्बानी मुस्तहब (बेहतर) है.

1496 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

1496 - अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सींगों वाले नर मेंढे की क़ुर्बानी की जो सियाही में खाता था, सियाही में चलता था, और सियाही में देखता था।[1]

सहीह: अबू दाऊद: 2786. इब्ने माजा:3128. निसाई: 4390.

तौज़ीह: (1) यानी उसका मुंह, पाँव और आँखों के किनारे सियाह थे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ हफ्स बिन गियास की रिवायत से ही जानते हैं।

5 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

5 - किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है?

1497 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَفَعَهُ قَالَ: لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلاَ بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لاَ تُنْقِي.

1497 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्फू हदीस बयान करते हैं: "लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो उसकी कुर्बानी न की जाए, न काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, न बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो और न ही दुबला जानवर जिसकी हड्डी में गूदा न हो।"

सहीह: अबू दाऊद: 2802. इब्ने माजा:3144. निसाई: 4369, 4371.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी ज़ायदा ने वह कहते हैं हमें शोबा ने सुलैमान बिन अब्दुर्रहमान से उन्हें उबैद बिन फ़ैरूज़ ने बवास्ता बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे उबैद बिन फ़ैरूज़ की सनद से ही बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से जानते हैं। नीज़ उलमा का इसी हदीस पर अमल है।

6 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

6 - कौन से जानवरों की कुर्बानी मकरूह है?

1498 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ وَهُوَ الهَمْدَانِيُّ،

1498 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुक्म दिया कि हम आँख और कान अच्छी तरह से देख लें और हम मुकाबला, मुदाबरा, शरका और खरका की कुर्बानी न करें।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2804. इब्ने माजा:3142.

निसाई:4372.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली ने वह कहते हैं, हमें उबैदुल्लाह बिन मूसा (رحمه الله) ने उन्हें इस्राईल बिन अबू इस्हाक़ से उन्हें शुरैह बिन नौमान ने बवास्ता अली (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की इस में यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा किए हैं कि, मुक़ाबला: वह जानवर है जिसके कान का किनारा काटा गया हो, मुदाबरा: वह जिस के कान के किनारे की तरफ़ से कुछ हिस्सा कटा हुआ हो, शरका: वह जिस का कान फटा हुआ हो और खरका: वह जिस के कान में सुराख हो।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ फ़रमाते हैं कि शुरैह बिन नौमान साइदी कूफी है और शुरैह बिन हारिस किंदी कूफी क़ाज़ी की कुनियत अबू उमय्या थी, उन्होंने अली (رضي الله عنه) से रिवायत लीं हैं, और शुरैह बिन हानी भी कूफी है और हानी सहाबी थे। जब कि यह सब (शुरैह नामी आदमी) एक ही वक़्त में हुए हैं और अली (رضي الله عنه) के शागिर्द हैं। और أَنْ نَسْتَشْرِفَ : का मानी है कि हम अच्छी तरह से देख लें।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الأَضَاحِيِّ

7 - कुर्बानी में भेड़ की नस्ल से जज़अ करना.

1499 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نِعْمَ الأُضْحِيَّةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، قَالَ: فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ.

1499 - अबू किबाश (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं बकरियों के आठ माह के बच्चे मदीना में बेचने के लिए लाया तो मुझे उनके ग्राहक न मिले, मैं अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से मिला उन से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "भेड़ की नस्ल जज़अ[1] बेहतरीन कुर्बानी है।" रावी कहते हैं: लोग उन्हें जल्दी- जल्दी ख़रीद कर ले गए।

ज़ईफ़: अज़-ज़ईफ़ा: 46. बैहक़ी: 9/271.

वज़ाहत: الْجَذَعُ : जानवरों की जिन्स के एतबार से जज़अ की उम्र भी मुख़्तलिफ़ होती है। ऊँट का वह बच्चा जिसकी उम्र का पांचवां साल शुरू हो चुका हो जज़अ कहलाता है, घोड़े और गाय वग़ैरह में वह बच्चा जिसकी उम्र का तीसरा साल शुरू हो गया हो जब कि भेड़ और बकरी में वह बच्चा जो आठ या नौ माह का हो गया उसे जज़अ कहा जाता है। इसकी जमा جذاع और جذعان आती है। (तफ़्सील के लिए देखिये: अल-मोजमुल वसीत:पृ. 133)

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, उम्मे बिलाल बिन्ते बिलाल की अपने बाप से, जाबिर, उक़्बा बिन आमिर (رضي الله) और नबी(ﷺ) के एक सहाबी (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

नीज़ यह हदीस अबू हुरैरा से मौक़ूफ़न भी मर्वी है। और उस्मान बिन वाकिद, यह वाकिद बिन मुहम्मद बिन जियाद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं, नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि भेड़ की नस्ल के जज़अ की क़ुर्बानी जायज़ है।

1500 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ أَوْ جَدْيٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ.

1500 - उक़्बा बिन आमिर (رضي الله) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसको कुछ बकरियां दीं कि आप सहाबा में बतौर क़ुर्बानी तक़्सीम कर दें तो बकरी का एक[1] बच्चा बच गया, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमाया, "इसकी तुम ख़ुद क़ुर्बानी कर लो।"

बुख़ारी: 2300. मुस्लिम: 1965. इब्ने माजा:3138. निसाई: 4379, 4381.

तौज़ीह: عَتُودٌ : बकरी का एक साल का क़वी (सेहतमन्द) बच्चा। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 688)

वज़ाहत: वकी कहते हैं: भेड़ की नस्ल का जज़अ सात या छ: महीने की उम्र का होता है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और उक़्बा बिन आमिर (رضي الله) से दूसरी सनद के साथ मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने क़ुर्बानियाँ तक़्सीम की तो एक जज़अ रह गया मैंने नबी(ﷺ) से सवाल किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, " तुम इसकी क़ुर्बानी कर लो। "

अबू ईसा कहते हैं: यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून और अबू दाऊद ने वह दोनों कहते हैं: हमें हिशाम दस्तवाई ने उन्हें यह्या बिन अबी कसीर ने बअजा बिन अब्दुल्लाह बिन बद्र से बवास्ता उक़्बा बिन आमिर (رضي الله) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है।

Sherkhan
9825 696 131

8 - कुर्बानी के जानवरों में शरीक होना.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الأُضْحِيَّةِ

1501 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है वह फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे कि कुर्बानी आ गई तो हमने गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद को शरीक किया।

सहीह: इब्ने माजा: 3131. निसाई:4392.

1501 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً.

वज़ाहत: इस मसले में अबू अशद अल अस्लमी अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे फ़ज़ल बिन मूसा के तरीक़ से ही जानते हैं।

1502 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ऊँट और गाय को सात-सात अफराद की तरफ़ से कुर्बान किया।

मुस्लिम: 1318. अबू दाऊद: 2808, 2809. इब्ने माजा:3132. निसाई:4393.

1502 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

9 - सींग टूटे और कान कटे जानवर का बयान.

9 بَابٌ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ القَرْنِ وَالأُذُنِ

1503 - हुजय्या बिन अदी (رحمه الله) से रिवायत है कि अली (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "गाय सात

1503 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ

عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: البَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالعَرْجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أُمِرْنَا، أَوْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ.

आदमियों की तरफ़ से है। मैंने कहा: अगर वह बच्चा जन्म दे दे तो? उन्होंने फ़रमाया, उस के साथ उसके बच्चे को ज़बह कर दो। मैंने कहा: लंगड़ा जानवर कैसा है? उन्होंने फ़रमाया, जब वह क़ुर्बानगाह तक पहुँच गया हो तो ठीक है। मैंने कहा: जिसका सींग टूटा हुआ हो? तो उन्होंने फ़रमाया, कोई हर्ज नहीं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम आँखें और कानों को अच्छी तरह से देख लें।

हसन: इब्ने माजा: 3143. तयालिसी: 160. मुसनद अहमद: 1/95.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) ने भी इसे सलमा बिन कुहैल से रिवायत किया है।

1504 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: العَضْبُ، مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

1504 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया कि सींग टूटे या कान कटे जानवर की क़ुर्बानी की जाए, क़तादा कहते हैं: मैंने सईद बिन मुसय्यब से यह रिवायत ज़िक्र की तो उन्होंने फ़रमाया, "टूटना वह माने (रूकावट) है जो आधे (सींग या कान) तक या ऊपर हो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद:2805. इब्ने माजा:3145. निसाई: 4377.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

10 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الوَاحِدَةَ تُجْزِي عَنْ أَهْلِ البَيْتِ

10 - एक घराने की तरफ़ से एक बकरी की क़ुर्बानी जायज़ है.

1505 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ

1505 - अता बिन यसार (رحمه الله) कहते हैं: मैंने सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (رضي الله عنه) से सवाल

عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى.

किया कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) के दौर में क़ुर्बानियाँ कैसे होती थी? तो उन्होंने फ़रमाया, "एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ़ से एक बकरी करता उसे ख़ुद भी खाता और मसाकीन को भी खिलाता यहाँ तक कि लोग फख्र करने लगे और क़ुर्बानी ऐसे हो गई जैसे तुम देखते हो।

सहीह: इब्ने माजा: 3147. बैहक़ी: 9/268.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उमारा बिन अब्दुल्लाह मदनी हैं। उन से मालिक बिन अनस भी रिवायत करते हैं। नीज़ बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, यह कौल अहमद और इस्हाक़ का भी है। उन्होंने नबी(ﷺ) की इस हदीस से दलील ली है कि आप ने एक मेंढे की क़ुर्बानी की तो फ़रमाया, यह उसकी तरफ़ से है जो मेरी उम्मत में क़ुर्बानी न कर सके।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: एक बकरी सिर्फ़ एक फर्द की तरफ़ से ही हो सकती है। यह कौल अब्दुल्लाह बिन मुबारक और दीगर उलमा का है।

11 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ

11 - इस बात की दलील कि क़ुर्बानी सुन्नत है.

1506 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الأُضْحِيَّةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْقِلُ؟ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ.

1506 - जबला बिन सुहैम (رحمه الله) से रिवायत है कि एक आदमी ने इब्ने उमर (رضي الله عنه) से क़ुर्बानी के बारे में पूछा कि क्या यह वाजिब है? तो उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) और मुसलमानों ने क़ुर्बानी की है। उसने दोबारा पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम्हें समझ आती है? रसूलुल्लाह(ﷺ) और मुसलमानों ने क़ुर्बानी की है।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3124.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है

कि कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि नबी(ﷺ) की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। इस पर अमल करना मुस्तहब है। यह कौल सुफ़ियान और इब्ने मुबारक का है।

1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ.

1507 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मदीना में दस साल रहे, आप कुर्बानी करते थे।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद:2/ 38.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

12 - नमाज़े ईद के बाद जानवर ज़बह किया जाए

1508 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ، قَالَ: فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي، قَالَ: فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بِآخَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلاَ تُجْزِئُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ.

1508 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुर्बानी के दिन हमें खुत्बा दिया और फ़रमाया, तुममें से कोई भी शख़्स कुर्बानी का जानवर ज़बह न करे यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले। रावी कहते हैं: मेरे मामूँ खड़े हो कर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! यह ऐसा दिन है कि इस में गोश्त को पसंद नहीं किया जाता और मैंने अपनी कुर्बानी में जल्दी की ताकि मैं अपने घर वालों और अहले मोहल्ला या पड़ोसियों को खिलाऊँ। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक कुर्बानी और करो" उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक साल की उम्र के क़रीब एक बकरी है जो गोश्त वाली दो बकरियों से बेहतर है। क्या मैं उसे जबह कर लूँ? आपने फ़र्माया:,

हाँ वह बेहतर है। तुम्हें किफ़ायत कर जायेगी, और तुम्हारे बाद जज़आ किसी के लिए जायज़ नहीं होगा। "

बुख़ारी: 955.मुस्लिम: 1961. अबू दाऊद:2800.
निसाई: 1563.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, जुन्दुब, अनस, उवैमिर बिन अशकर, इब्ने उमर और अबू ज़ैद अंसारी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि शहर में उस वक़्त तक कुर्बानी न की जाए जब तक इमाम नमाज़ न पढ़ ले। जबकि उलमा की एक जमात ने बस्तियों वालों को तुलूए फ़ज्र के बाद ज़बह करने की इजाज़त दी है। यह कौल इब्ने मुबारक का है।

अबू ईसा तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उलमा का इस बात पर इत्तेफाक़ है कि बकरी की नस्ल का जज़आ जायज़ नहीं है वह कहते हैं: सिर्फ़ भेड़ की नस्ल का जज़आ हो सकता है।

13 - तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त खाने की मुमानिअत (मनाही)

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

1509 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई भी शख़्स अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त तीन दिन से ऊपर ना खाए। "

बुख़ारी: 5574. मुस्लिम: 1970. निसाई: 4423.

1509 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा और अनस (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) की तरफ़ से यह मुमानिअत पहले थी फिर उसके बाद आप ने रूख़्सत दे दी थी।

14 - तीन दिन के बाद खाने की रुख़्सत

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

1510 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप (बुरैदा (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "मैंने तुम्हें क़ुर्बानियों का गोश्त तीन दिन के बाद खाने से रोका था ताकि फराखी वाला इस पर वुस्अत करे जिसके पास ताक़त नहीं है पस अब जब तक चाहो खाओ, खिलाओ और जमा करो।"

मुस्लिम: 977. अबू दाऊद: 3698. निसाई: 2032.

1510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, नुबैशा, अबू सईद, क़तादा बिन नौमान, अनस और उम्मे सलमा (رضي الله عنهم) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुलैमान बिन बुरैदा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा व ताबेईन में से अहले इल्म का इसी पर अमल है।

1511 - आबिस बिन रबीआ (رحمه الله) कहते हैं: मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा(رضي الله عنها) से कहा: क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) क़ुर्बानियों के गोश्त खाने से मना करते थे? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, लेकिन क़ुर्बानियाँ बहुत कम लोग करते थे सो आप ने चाहा कि उसे भी खिला दें जो क़ुर्बानी नहीं कर सका, और अलबत्ता तहक़ीक़ हम पाए रख लेते थे तो दस दिन बाद उसे खाते थे।

बुख़ारी: 5423. मुस्लिम: 1971. अबू दाऊद: 2812. इब्ने माजा: 3159. निसाई: 4432.

1511 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

वाज़हत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उम्मुल मोमिनीन यह नबी(ﷺ) की जौजा मोहतरमा आयशा (رضي الله عنها) थीं। नीज़ यह हदीस उन से कई तुरूक़ से मर्वी है।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَرَعِ وَالعَتِيرَةِ

15 - फ़रा और अतीरा का बयान.

1512 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

1512 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "इस्लाम में न फ़रा है और न ही अतीरा।" और फ़रा यह जानवर का पहला बच्चा होता था जो पैदा होता तो वह उसे बुतों के नाम पर ज़बह कर देते।

बुख़ारी: 5473. मुस्लिम: 1967. अबू दाऊद: 2831. इब्ने माजा: 3168. निसाई: 4222.

वज़ाहत: इस मसले में नुबैशा, मिख़्नफ़ बिन सुलैम (رضي الله عنه) और अबू अशरा की अपने बाप से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

अतीरा: वह ज़बीहा था जिसे वह लोग माहे रमजान की ताज़ीम करते हुए रजब में ज़बह करते थे क्योंकि यह हुर्मत वाले महीनों में से पहला महीना है। और हुर्मत वाले महीने, रजब, ज़ी कादा, ज़ुल हिज्जा और मुहर्रम हैं और हज के महीने शव्वाल, ज़ी कादा और ज़ुल हिज्जा के दस दिन हैं। हज के महीनों के बारे में नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) से इसी तरह मर्वी है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي العَقِيقَةِ

16 - अक़ीक़ा का बयान.

1513 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ العَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ

1513 - यूसुफ़ बिन माहक رحمه الله बयान करते हैं वह लोग हफ्सा बिन्ते अब्दुर्रहमान (رحمها الله) के पास गए और उनसे अक़ीक़ा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने उनको बताया कि सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) ने उन्हें बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको लड़के की तरफ़ से

أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.

दो बराबर उम्र की बकरियों और लड़की की तरफ़ से एक बकरी का हुक्म दिया था।

सहीह: इब्ने माजा: 3163. अब्दुर्रज्ज़ाक़: 7906. मुसनद अहमद: 6/31.

वज़ाहत: इस मसले में अली, उम्मे कुर्ज़, समुरा, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अनस, सलमान बिन आमिर और इब्ने अब्बास (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله) की हदीस हसन सहीह है और हफ्सा (رحمه الله) सय्यदनाअब्दुर्रमान बिन अबू बक्र सिद्दीक (رضي الله) की बेटी हैं।

بَابُ الأَذَانِ فِي أُذُنِ المَوْلُودِ

बच्चे के कान में अज़ान देना.

1514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

1514 - अबू राफे (رضي الله) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप(ﷺ) ने हसन बिन अली (رضي الله) के कान में उस वक़्त नमाज़ वाली अज़ान दी जब उन्हें फातिमा (رضي الله) ने जन्म दिया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद:5150. मुसनद अहमद: 6/9.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक़ीक़ा के बारे में इसी पर अमल है। नीज़ अकीका के बारे में नबी(ﷺ) से कई सनदों से मर्वी है कि लड़के की तरफ़ से बराबर उम्र की दो बकरियां और लड़की की तरफ़ से एक बकरी है। इसी तरह नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है, आप(ﷺ) ने हसन बिन अली (رضي الله) की तरफ़ से एक बकरी का अक़ीक़ा किया था। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इस तरफ़ भी गए हैं।

1515 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

1515 - सय्यदना सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " लड़के के साथ अक़ीक़ा है। सो तुम उसकी तरफ़ से खून

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى.

बहाओ और उस से तकलीफ़ देह चीज़ को हटाओ। "

बुख़ारी: 5471. अबू दाऊद: 2839. इब्ने माजा:3164. निसाई: 4241.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन आयुन ने, वह कहते हैं हमें अब्दुर्रज्जाक ने वह कहते हैं: हमें इब्ने उयय्ना ने आसिम बिन अहवल अज हफ्सा बिन्ते सीरीन अज रबाब बवास्ता सलमान बिन आमिर (رضي الله عنه), नबी(ﷺ) से इस जैसी हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1516 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا.

1516 - सय्यदा उम्मे कुर्ज़ (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अक़ीक़ा के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "लड़के की तरफ़ से दो बकरियां और लड़की की तरफ़ से एक, तुम्हें इसका नुक़सान नहीं है कि वह बकरियां मुज़क्कर (मेल) हो या मुअन्नस (फिमेल) "

सहीह: अबू दाऊद: 2834. इब्ने माजा: 3162. निसाई: 4215, 4218.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 - بَابٌ خير الأضحية الكَبْشُ

17 - मेंढा क़ुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर है

1517 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الأُضْحِيَّةِ الكَبْشُ، وَخَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ.

1517- सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "क़ुर्बानी का बेहतरीन जानवर मेंढा है और बेहतरीन कफ़न तहबन्द और ऊपर वाली चादर है।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3130. बैहक़ी: 9/ 273.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस हमें सिर्फ़ इब्ने औन की सनद से ही मिलती है।

18 - हर साल क़ुर्बानी करना

18 - بَابٌ خير ألا ضحية في كل عام

1518 - सय्यदना मिख़्नफ़ बिन सुलैम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ अरफ़ात में ठहरे हुए थे तो मैंने आप(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : "ऐ लोगो! हर घराने पर हर साल क़ुर्बानी और अतीरा है, क्या तुम जानते हो कि अतीरा क्या है? यह वही है जिसे तुम रजबिया कहते हो।"

सहीह: अबू दाऊद: 2788. इब्ने माजा:3125. निसाई: 4224. तोहफतुल अशराफ़: 11244.

1518 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَدْرُونَ مَا العَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ.

19 - अक़ीक़ा में एक बकरी करना.

19 بَابٌ العقيقة بشاة

1519 - अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हसन की तरफ़ से एक बक़री का अक़ीक़ा किया और फ़रमाया, ऐ फातिमा! इसका सर मूंडो और इसके बालों के बराबर चांदी सदक़ा करो।" रावी कहते हैं: सय्यदा फातिमा ने उन (बालों) का वज़न किया तो उनका वज़न एक दिरहम या उसका कुछ हिस्सा था।

हसन: इब्ने अबी शैबा: 8/230.

1519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं क्योंकि अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन ने अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) को नहीं पाया।

بَابٌ أَلا ضحية بِكَبْشَيْنِ

दो मेंढे की क़ुर्बानी करना.

1520 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا.

1520 - सय्यदना अबू बक्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने ईद का खुत्बा दिया फिर आप(ﷺ) उतरे, आप(ﷺ) ने दो मेंढे मंगवाए और उन्हें ज़बह किया।

मुस्लिम: 1679. निसाई: 4389.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20- بَاب مايقول إذا ذبح

20 - ज़बह की दुआ.

1521 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.

1521 – सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि वह ईदुल अज़्हा में नबी(ﷺ) के साथ ईदगाह में मौजूद थे, जब आप(ﷺ) ने अपना खुत्बा मुकम्मल किया तो आप अपने मिम्बर से उतरे फिर एक मेंढा लाया गया तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने उसे अपने हाथ से ज़बह किया और आप(ﷺ) ने " : بِسْمِ اللهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، कहा और फ़रमाया, " यह मेरे और मेरी उम्मत के उस आदमी की तरफ़ से है जो क़ुर्बानी न कर सका।

सहीह: अबू दाऊद: 2810. इब्ने माजा: 1321.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी ज़बह करते वक़्त : بِسْمِ اللهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ कहे इब्ने मुबारक का भी यही कौल है।

और मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हुताब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जाबिर (رضي الله عنه) से हदीस का सिमा (सुनना) नहीं किया।

21 - अक़ीक़ा के मुताल्लिक़.

21 بَابٌ مِنَ الْعَقِيقَةِ

1522 - सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "लड़का अपने अक़ीक़ा के बदले गिरवी होता है सातवें दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाए, नाम रखा जाए और उसका सर मुंडा जाए। "

सहीह: अबू दाऊद: 2837. इब्ने माजा: 3165. निसाई: 4220.

1522 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने वह कहते हैं: हमें सईद बिन अबी अरूबा ने क़तादा से उन्होंने हसन से बवास्ता समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा इसी पर अमल करते हुए लड़के की तरफ़ से सातवें दिन अक़ीक़ा करने को मुस्तहब कहते हैं। अगर सातवें दिन न हो सके तो चौदहवें दिन, अगर उस वक़्त भी न हो सके तो फिर इक्कीसवीं दिन अक़ीक़ा किया जाए और वह कहते हैं कि अक़ीक़ा में वही बकरी क़िफ़ायत करेगी जो क़ुर्बानी में जायज़ होती है।

22 - जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहता है वह बाल न उतारे.

22 بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

1523 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स ज़ुल हिज्जा का चाँद देख ले और वह क़ुर्बानी करना चाहता हो तो क़ुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न उतारे। "

मुस्लिम: 1977. अबू दाऊद: 2791. इब्ने माजा:3149, 3150. निसाई: 4361.

1523 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَكَمِ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرٍو أَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सही नाम अम्र बिन मुस्लिम है। (इस्माईल बिन मुलिम नहीं) इनसे मुहम्मद बिन अम्र बिन अल्क़मा और दीगर मुहद्दिसीन रिवायत लेते हैं। नीज़ यह हदीस इसके अलावा और इस्नाद के साथ सईद बिन मुसय्यब से भी बवास्ता उम्मे सलमा (رضي الله عنها), नबी(ﷺ) से मर्वी है।

बाज़ (कुछ) उलमा इसी के कायल हैं और सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि बाल या नाखून उतारने में कोई क़बाहत नहीं है। यह कौल शाफ़ेई का है। उनकी दलील आयशा (رضي الله عنها) की हदीस है कि नबी(ﷺ) मदीना से क़ुर्बानी रवाना करते फिर आप हर उस काम से परहेज़ नहीं करते थे जिस से एहराम वाला बचता है।

ख़ुलासा

- क़ुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है क़ुर्बानी अल्लाह को बहुत महबूब अमल है।
- ऐब वाले और बीमार जानवरों को क़ुर्बान नहीं किया जा सकता है।
- जरूरत के वक़्त भेड़ की नस्ल का जज़अ क़ुर्बानी किया जा सकता है।
- ऊँट में सात या दस और गाय में सात अफ़राद शरीक हो सकते हैं।
- एक घराने की तरफ़ से एक बकरी ही काफी है।
- क़ुर्बानी का जानवर नमाज़े ईदुल अज़्हा के बाद ज़बह किया जाए।
- फ़रा और अतीरा हराम हैं. अक़ीक़ा मस्नून अमल है और सातवें दिन करना बेहतर है।
- नौ मौलूद के बाल उतार कर उनके बराबर चांदी सदक़ा की जाए।
- जानवर ज़बह करते वक़्त " : بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَر कहना ज़रूरी है.
- जो क़ुर्बानी करना चाहता हो वह ज़ुल हिज्जा का चाँद देखने के बाद क़ुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून वग़ैरह न उतारे।

मज़मून नम्बर 18.

أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी नज़्रों और क़समों के अहकामो-मसाइल

तआरुफ़

24 अहादीस के साथ 20 अबवाब पर मुहीत इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे:

- नज्र की हक़ीक़त क्या है?
- नज्र का क़फ्फ़ारा क्या है?
- कौन सी क़समों को पूरा किया जा सकता है?
- गुलाम आज़ाद करने का अज्रो सवाब क्या है?

1 بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

1 - रसूलुल्लाह(ﷺ) का फ़रमान है कि (अल्लाह और रसूल) की नाफ़रमानी में नज़्र मानना जायज़ नहीं है.

1524 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

1524 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “नाफ़रमानी में नज़र मानना जायज़ नहीं है और इसका क़फ्फ़ारा क़सम वाला ही है। ”

सहीह: अबू दाऊद: 3289. इब्ने माजा: 2125. निसाई:3807.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, जाबिर और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह नहीं है क्योंकि ज़ोहरी ने अबू सलमा से यह हदीस

नहीं सुनी, फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को सुना वह फ़रमा रहे थे: यह हदीस बहुत से रावियों से मर्वी है जिनमें मूसा बिन उक़्बा और इब्ने अबी अतीक भी है। यह ज़ोहरी से वह सुलैमान बिन अर्कम से वह यह्या बिन अबी कसीर से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं। मुहम्मद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हदीस की यह सनद सहीह है।

1525 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

1525 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, " अल्लाह की नाफ़रमानी वाले काम में नज़्र मानना दुरुस्त नहीं और इसका क़फ्फ़ारा क़सम वाला क़फ्फ़ारा है। "

पिछली हदीस की तरह: अबू दाऊद: 3289, 3292. इब्ने माजा: 2125. निसाई: 3806.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अबू सफ़वान की यूनुस से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ अबू सफ़वान मक्का के रहने वाले थे। उनका नाम अब्दुल्लाह बिन सईद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान था उनसे हुमैदी और दीगर बड़े- बड़े मुहद्दिसीन ने रिवायत की है।

नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म भी यही कहते हैं कि अल्लाह की नाफ़रमानी में नज़्र नहीं मानी जा सकती और इसका क़फ्फ़ारा क़सम वाला ही है।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। उन्होंने अबू सलमा की आयशा (رضي الله عنها) से बयान कर्दा हदीस से दलील ली है। जब कि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि अल्लाह तआला की नाफ़रमानी वाले काम की नज़्र नहीं मानी जा सकती और इसमें क़फ्फ़ारा भी नहीं है। इमाम मालिक और शाफ़ेई (رحمه الله) का भी यही कौल है।

2 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

2 - जो शख़्स अल्लाह की इताअत की नज़्र माने वह उसकी इताअत करे.

1526 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

1526 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स नज़्र माने कि वह अल्लाह की इताअत करेगा तो वह उसकी इताअत करे और जो यह नज़्र माने कि वह उसकी नाफ़रमानी करेगा तो वह उसकी नाफ़रमानी न करे।"

बुख़ारी: 6696. अबू दाऊद: 3289. इब्ने माजा: 2126. निसाई: 3806.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने उबैदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने तल्हा बिन अब्दुल मलिक ऐली से उन्होंने क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत किया है। नीज़ नबी(ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे यह्या बिन अबी कसीर ने भी क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत किया है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ (कुछ) का यही कौल है।

इमाम मालिक और शाफ़ेई (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं। वह मज़ीद कहते हैं कि वह अल्लाह की नाफ़रमानी न करे लेकिन जब नाफ़रमानी की नज़्र हो तो इसमें क़सम का क़फ़्फ़ारा नहीं है।

3 بَابُ مَا جَاءَ لاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

3 - इब्ने आदम जिस चीज़ का मालिक ही नहीं है उसमें नज़्र नहीं होती.

1527 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

1527 - सय्यदना साबित बिन ज़ह्हाक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बन्दे पर वह नज़्र पूरी करना वाजिब नहीं है जिसका वह मालिक ही नहीं है।"

قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

बुख़ारी: 6047. मुस्लिम: 110. अबू दाऊद: 3257.निसाई: 3813.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

4 - ग़ैर मुअय्यन नज़्र का क़फ्फ़ारा.

1528 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

1528 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, " जिस नज़्र का नाम न ले उसका क़फ्फ़ारा क़सम वाला क़फ्फ़ारा ही है। "

إذا لم يسم के अलावा बाकी सब सहीह है. मुस्लिम: 1645. अबू दाऊद: 3223. इब्ने माजा: 2127. निसाई: 3832.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

5 - एक शख़्स किसी काम की क़सम उठाए, फिर कोई और काम बेहतर समझे.

1529 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

1529 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ अब्दुर्रहमान! इमारत हुकूमत वग़ैरह मत मांगना, अगर मांगने की वजह से तुम्हें मिली तो तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा और अगर बग़ैर मांगे तुम्हें मिली तो उस पर तुम्हारी मदद की जाएगी और जब तुम कोई

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

क़सम उठा लो फिर कोई दूसरा काम इस काम से बेहतर समझो तो वही करो जो बेहतर है और अपनी क़सम का क़फ़्फ़ारा दे दो। "

बुख़ारी: 6622. मुस्लिम: 1652. अबू दाऊद:3277. निसाई: 3732.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, अदी बिन हातिम, अबू दर्दा, अनस, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू हुरैरा, उम्मे सलमा और अबू मूसा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुर्रहमान बिन समुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

6 - क़सम तोड़ने से पहले क़फ़्फ़ारा अदा करना.

1530 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ.

1530 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "जिसने किसी काम की क़सम उठाई फिर उसके अलावा को उससे बेहतर समझे तो वह अपनी क़सम का क़फ़्फ़ारा दे दे और वह काम कर ले। "

मुस्लिम: 1650. मुसनद अहमद: 2/361.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा(رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(صلى الله عليه وسلم) के सहाबा व ताबेईन में से अक्सर लोगों का इसी पर अमल है कि क़फ़्फ़ारा क़सम तोड़ने से पहले ही होता है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही कौल है।

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि क़सम तोड़ने के बाद ही क़फ़्फ़ारा होगा। सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: अगर क़सम तोड़ने के बाद क़फ़्फ़ारा अदा करे तो मुझे यह ज़्यादा पसंद है और अगर क़सम तोड़ने से पहले दे दे तो जायज़ है।

7 - क़सम में इंशा अल्लाह कहना.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي اليَمِينِ

1531 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने क़सम उठाते वक़्त इंशा अल्लाह कह दिया उस पर क़सम का इन्इकाद नहीं होता।"

सहीह: अबू दाऊद: 3261. इब्ने माजा:2105. निसाई: 3793.

1531 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। उबैदुल्लाह बिन अम्र वग़ैरह ने बवास्ता नाफ़े सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से मौक़ूफ़ रिवायत की है। इसी तरह सालिम ने भी इब्ने उमर (ﷺ) से मौक़ूफ़ रिवायत की है। और अय्यूब सख़्तियानी के अलावा किसी ने भी इसे मर्फ़ू रिवायत नहीं किया।

इस्माईल बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: अय्यूब कभी इस को मौक़ूफ़ और कभी मर्फ़ू रिवायत करते थे। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि अगर इंशा अल्लाह क़सम के साथ मुत्तसिल (मिला हुआ) हो तो वह क़सम नहीं होती।

सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ ﷺ का भी यही कौल है।

1532 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने क़सम उठाई और उस में इंशा अल्लाह कह दिया तो (वह काम न करने पर) उसकी क़सम नहीं टूटेगी।"

सहीह: इब्ने माजा: 2104. निसाई: 3855.

1532 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इस हदीस में अब्दुर्रज़्ज़ाक ने ख़ता की है। उन्होंने मामर से इब्ने ताऊस के ज़रिए उनके बाप के वास्ते से बयान की गई अबू हुरैरा (ﷺ) की रिवायत का इख़्तिसार किया है। वह

हदीस यह है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सुलैमान बिन दाऊद (अलैहिस्सला) ने कहा: आज मैं सत्तर बीवियों से हमबिस्तरी करूंगा, हर औरत एक लड़का जनेगी फिर वह उनके पास गए तो उनमें से किसी औरत ने भी बच्चा न जना सिवाये एक औरत के, उसने भी नाकिसुल ख़िल्कत बच्चा जना।" अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह इंशा अल्लाह कह देते तो जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही होता।"

अब्दुर्रज्ज़ाक ने बवास्ता मामर, इब्ने ताऊस से उन्होंने अपने बाप से यह लम्बी हदीस बयान की है और सत्तर औरतों का ही ज़िक्र किया है। जबकि अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से यह हदीस और इस्नाद से भी मर्वी है। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सुलैमान बिन दाऊद (عليه السلام) ने कहा: आज रात मैं एक सौ बीवियों के पास जाउंगा। "

8-गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना मना है

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ

1533 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उमर (رضي الله عنه) को सुना वह कह रहे थे: मेरे बाप की क़सम! मेरे बाप की क़सम! तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़बरदार! बेशक अल्लाह तुम्हें तुम्हारे आबा के नाम की क़सम उठाने से मना फ़रमाता है।" उमर (رضي الله عنه) कहते हैं: अल्लाह की क़सम उस के बाद मैंने अपनी या किसी की तरफ़ से ऐसी क़सम नहीं उठाई।

बुख़ारी: 6108, मुस्लिम: 1646, अबू दाऊद: 3249 इब्ने माजा: 2094 निसाई: 3764

1533 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا.

वज़ाहत: इस मसले में साबित बिन ज़ह्हाक, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, कतीला और अब्दुर्रहमान बिन समुरा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू उबैद कहते हैं: وَلاَ آثِرًا का मानी है कि मैंने किसी दूसरे की तरफ़ से नक़ल भी नहीं की यानी किसी दूसरे की क़सम का ज़िक्र भी नहीं किया।

1534 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सय्यदना उमर(رضي الله عنه) को काफिले में इस हालत में पाया

1534 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ.

कि वह अपने बाप की क़सम उठा रहे थे तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला तुम्हें अपने आबा के नाम की क़समें उठाने से मना करता है। क़सम उठाने वाला अल्लाह के नाम की क़सम उठाए या ख़ामोश रहे।"

बुख़ारी: 6108. मुस्लिम: 1646. अबू दाऊद: 3251. इब्ने माजा: 2094. निसाई: 3764.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ مَن حلف بغير الله فقد أشرك

9 - जिस ने गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाई उसने शिर्क किया.

1535 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

1535 - सईद बिन उबैदा (رحمه الله) से रिवायत है कि सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "गैरुल्लाह के नाम की क़सम न उठाई जाए। मैंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "जिस ने गैरुल्लाह की क़सम उठाई तो यक़ीनन उसने कुफ्र किया।"

सहीह: अबू दाऊद:3251. मुसनद अहमद: 2/34. अबू याला: 5668.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बाज़ (कुछ) उलमा इस हदीस की तफ़सीर में फ़र्माते हैं कि कुफ्र और शिर्क का फ़रमान सख़्ती के लिए है और इसकी दलील इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस है कि नबी(ﷺ) ने उमर (رضي الله عنه) को सुना वह कह रहे थे: मेरे बाप की क़सम! मेरे बाप की क़सम! तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, " ख़बरदार! अल्लाह तआला तुम्हें अपने आबा के नाम की क़समें उठाने से मना करता है।"

और दूसरी दलील अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, " जिसने अपनी क़सम में यह कहा कि लात की क़सम! उज्ज़ा की क़सम! तो वह لا إله إلا الله कहे।"

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह इसी तरह ही है जैसा कि नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप ने

फ़रमाया, "दिखलावा शिर्क है।" जबकि बाज़ (कुछ) उलमा ने इस आयत "जो शख़्स अल्लाह से मुलाक़ात करना चाहता है वह अच्छे आमाल करे।" (अल-कहफ़: 110) की तफ़सीर में कहा है कि वह दिखलावे के लिए अमल न करे।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ

10 - अगर कोई शख़्स पैदल चलने की क़सम उठा ले लेकिन उसकी ताक़त न हो.

1536 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ. عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ "

1536- एक औरत ने नज़्र मानी कि वो बैतुल्लाह तक (पैदल) चल कर जाएगी, नबी अकरम (ﷺ) से इस सिलसिले में सवाल किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया: "अल्लाह तआला उसके (पैदल) चलने से बेनियाज़ है, उसे हुक्म दो कि वो सवार हो कर जाये।"

हसन सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1537 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

1537 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) एक बूढ़े शख़्स के पास से गुज़रे जो अपने बेटों के दर्मियान चल रहा था, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे क्या हुआ है?" उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने पैदल चलने की नज़्र मानी है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला उसके अपने आप को तक़लीफ़ देने से बे परवाह है।" रावी कहते हैं: आप (ﷺ) ने उसे सवार होने का हुक्म दिया।

बुख़ारी: 1865. मुस्लिम: 1642. अबू दाऊद: 3301. निसाई: 3854.

वज़ाहत: अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन मुसन्ना ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी अदी ने

बवास्ता हुमैद, सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक आदमी को देखा, फिर इसी तरह ज़िक्र किया, यह हदीस सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। वह मजीद कहते हैं कि औरत अगर पैदल चलने की नज़्र माने तो वह सवार हो जाए और एक बकरी की क़ुर्बानी दे दे।

11 - नज़्र मानने की कराहत.

11 بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

1538 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "नज़्र मत मानो, बेशक नज़्र तक़दीर के आगे कुछ नहीं कर सकती इस से तो सिर्फ़ बखील से कुछ निकाल लिया जाता है।"

बुख़ारी: 6609. मुस्लिम: 1640. अबू दाऊद: 3238. इब्ने माजा: 2123. निसाई: 3804.

1538 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए नज़्र को नापसंद करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) फ़रमाते हैं: नज़्र इताअत की हो या नाफ़रमानी की दोनों में कराहत है। अगर आदमी इताअते इलाही की नज़्र मानता है, उसे पूरा कर ले तो उसमें अज्र है लेकिन नज़्र मानना फिर भी मकरूह है।

12 - नज़्र को पूरा किया जाए.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاءِ النَّذْرِ

1539 - सय्यदना उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलियत में नज़्र मानी थी कि मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में एक रात का एतकाफ़ करूंगा, आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "अपनी नज़्र को पूरा करो।"

बुख़ारी: 3202. मुस्लिम: 1656. अबू दाऊद: 3325. इब्ने

1539 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي

الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

माजा: 1772. निसाई: 3820.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब आदमी मुसलमान हो जाए और उसके ज़िम्मा इताअत वाली नज़्र हो तो वह उसे पूरा करे।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: एतकाफ़ रोज़े के साथ ही हो सकता है। जबकि दूसरे उलमा कहते हैं: एतकाफ़ करने वाले पर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। अगर वह अपने ऊपर वाजिब कर ले (तो और बात है) उन्होंने उमर (ﷺ) की हदीस से दलील ली है कि उन्होंने जाहिलियत में एक रात के एतकाफ़ की नज़्र मानी थी तो नबी(ﷺ) ने पूरा करने का हुक्म दिया था, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

13 بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ

13 - नबी(ﷺ) की क़सम कैसी होती थी?

1540 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ: لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

1540 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अक्सर यह क़सम उठाते थे। "दिलों को फेरने वाले की क़सम।"

बुख़ारी: 6617. अबू दाऊद: 3263. इब्ने खुज़ैमा: 2092. निसाई: 3761.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

14 - गुलाम आज़ाद करने वाले का अज्र.

1541 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ

1541 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जिस ने किसी मोमिन गर्दन

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

(गुलाम) को आज़ाद किया अल्लाह तआला उस गुलाम के हर अज्व (अंग) के बदले उस आज़ाद करने वाले के हर अज्व (अंग) को जहन्नम से आज़ाद कर देगा यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह उसकी शर्मगाह के बदले।"

बुख़ारी: 2517. मुस्लिम: 1509.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अम्र बिन अब्सा, इब्ने अब्बास, वासिला बिन अस्क़ा, अबू उमामा, उक़्बा बिन आमिर और काब बिन मुर्रा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है। और इब्ने अल हाद का नाम यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन अल हाद है। यह मदीना के रहने वाले सिक़ह् रावी थे। उन से मालिक बिन अनस और दीगर कई उलमा ने रिवायत ली है।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

15 - जो शख़्स अपने खादिम को तमाचा मारे.

1542 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا.

1542 - सय्यदना सुवैद बिन मुक़र्रिन मुज़नी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने देखा हम सात भाई थे और हमारी एक ही खादिमा थी, हम में से किसी ने उसे तमाचा मारा तो नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि हम उसे आज़ाद कर दें।

मुस्लिम: 1657. अबू दाऊद: 5166.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ कई रावियों ने इस हदीस को हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस में ज़िक्र किया है कि "उसने उस खादिमा के चेहरे पर तमाचा मारा था।

16 - दीने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की क़सम खाना मना है.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ

1543 - सय्यदना साबित बिन ज़ह्हाक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत (मज़हब) की झूठी क़सम उठाई तो वह ऐसे ही होता है जैसा उसने कहा है।"

बुख़ारी: 1363. मुस्लिम: 110.अबू दाऊद: 3257. इब्ने माजा: 2098. निसाई: 3770.

1543 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है कि जब आदमी दीने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की क़सम उठाए कि अगर वह इस इस तरह करे तो वह यहूदी या ईसाई हो फिर उनमें से कोई काम भी कर ले तो बाज़ (कुछ) कहते हैं: उसने बहुत बड़ा गुनाह किया लेकिन उस पर क़फ़्फ़ारा नहीं है, यह कौल अहले मदीना का है और मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) भी इसी के कायल हैं। अबू उबैद का भी यही मज़हब है। जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन, और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं कि उसमें क़फ़्फ़ारा होगा। सुफ़ियान, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

17 - जो शख़्स पैदल हज करने की नज़्र माने

17 بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ أَن يَحج مَاشِيًا.

1544 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बहन ने नंगे पाँव और बग़ैर चादर पैदल चल कर बैतुल्लाह तक जाने की नज़्र मानी है। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला को तुम्हारी बहन की मशक़्क़त की कोई ज़रुरत नहीं है, वह सवार हो जाए, पर्दा करे

1544 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ اليَحْصِبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي

نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

और तीन रोज़े रख ले।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद:3293. इब्ने माजा: 2134.निसाई: 3815.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है, नीज़ इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही क़ौल है।

18 - بَابُ ذكر ما يلغي الحلف وَاللاَّتِ وَالعُزَّى

18 - अगर कोई शख़्स लात व उज्ज़ा की क़सम उठा ले तो उसे ख़त्म कर दे.

1545 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.

1545 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से जिसने क़सम उठाते वक़्त कहा लात व उज्ज़ा की क़सम! तो उसे : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ कहना चाहिए। और जिसने किसी दूसरे से कहा: आओ मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ तो वह सदक़ा करे।"

बुख़ारी: 4860. मुस्लिम: 1647. अबू दाऊद: 3247. इब्ने माजा: 2096.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू मुग़ीरह का नाम ख़ौलानी हिम्सी हैं इनका नाम अब्दुल क़ुद्दूस बिन हज्जाज था।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

19 - मय्यत की तरफ़ से नज़्र को पूरा करना.

1546 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

1546 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि साद बिन उबादा (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह ?(ﷺ) से उस नज़्र के बारे में

عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِ عَنْهَا.

मसला दरियाफ़्त किया जो उनकी मां के ज़िम्मे थी और उसे पूरा करने से पहले फौत हो गयीं, तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "उनकी तरफ़ से तुम इसे पूरा करो।"

बुख़ारी: 2761. मुस्लिम: 1638. अबू दाऊद: 3307. इब्ने माजा: 2132. निसाई: 3657.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ

20 - ग़ुलाम आज़ाद करने वाले की फ़ज़ीलत.

1547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا.

1547 - सय्यदना अबू उमामा और नबी(ﷺ) के दीगर सहाबा (رضي الله عنهم) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान आदमी किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद करे तो वह उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होगा। उसका हर अज्व उसके हर अज्व (अंग) से किफायत करेगा। और जो मुसलमान आदमी दो मुसलमान औरतों को आज़ाद करे वह दोनों उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होंगी उनका हर अज्व (अंग)उसके हर अज्व (अंग)किफ़ायत करेंगे। और जो मुसलमान औरत किसी मुसलमान औरत को आज़ाद करे तो वह उसके लिए जहन्नम से निजात का बाइस होगी उसका हर अज्व (अंग)उसके हर अज्व (अंग)से किफ़ायत करेगा।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:इस हदीस में यह दलील है कि मर्दों का मर्दों को आज़ाद करना औरतों के आज़ाद करने से ज़्यादा अफ़ज़ल है। क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद किया वह उसकी जहन्नम से निजात का बाइस होगा उसका हर अज्व (अंग) उसके हर अज्व (अंग) से किफ़ायत करेगा। यह हदीस अपनी इस्नाद के लिहाज़ से सहीह है।

ख़ुलासा

- अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करने की नज़्र मानना हराम है।
- जो चीज़ मिल्कियत में न हो उस में नज़्र नहीं होती।
- इंशा अल्लाह कहने से क़सम नहीं होती।
- गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाना शिर्क है।
- अगर कोई पैदल चल कर बैतुल्लाह जाने की नज़्र माने तो वह सवार हो जाए।
- नज़्र से तकदीर नहीं बदल सकती।
- इताअते इलाही की नज़्र को पूरा किया जाए।
- किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना जहन्नम से आज़ादी का सबब है।
- अपने आपको यहूदी या ईसाई कहना मना है।
- गैरुल्लाह के नाम की क़सम उठाने के बाद لا إله إلا الله पढ़ा जाए।
- मय्यत की जायज़ नज़्र को पूरा किया जाए।

मज़मून नम्बर 19

أَبْوَابُ السِّيَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जंग करने के उसूलो- ज़वाबित

तआरुफ़

48 अबवाब और 71 अहादीस पर मुश्तमिल यह बयान इन मसाइल पर मुश्तमिल है कि:

- जंग किस सूरत में की जाएगी?
- ग़नीमत के माल की तक़्सीम कैसे की जाएगी?
- मुश्रिकीन और अहले किताब से दुनियावी मामलात कैसे हो सकते हैं?
- मुआहिदा के उसूल और क़वानीन?
- और दीगर मसाइल।

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

1548 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ

1 - लड़ाई से पहले इस्लाम की दावत दी जाए

1548 - अबुल बख़्तरी (رحمه الله) से रिवायत है कि मुसलमानों के लश्करों में एक लश्कर ने, जिसके अमीर सलमान फारसी थे, फारस के महल्लात में से एक महल को घेरा डाला, तो उन्होंने कहा: ऐ अब्दुल्लाह! क्या हम इन पर धावा न बोल दें, उन्होंने कहा मुझे छोड़ो मैं उनको ऐसे ही दावत दुंगा, जैसे मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को दावत देते हुए सुना है। सलमान (رضي الله عنه) उनके पास गये और उनसे कहा: मैं भी तुम में से एक फ़ारसी शख़्स हूं लेकिन तुम देख रहे हो अरब लोग मेरी इताअत

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ، تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونَنِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ دِينَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُونَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، قَالَ: وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْجِزْيَةَ، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لاَ، فَدَعَاهُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ، فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْرَ.

कर रहे हैं, अगर तुम इस्लाम ले आओ तुम्हारे लिये वही कुछ होगा जो हमारे लिये है, और तुम्हारे ज़िम्मे भी वही काम होगा जो हमारे ज़िम्मे हैं, अगर तुम अपने दीन को छोड़ने से इनकार करो तो हम तुम्हें उस पर छोड़ देंगे और अपने हाथों ज़लील हो कर हमें जिज्या दोगे, रावी कहते हैं: उन्होंने उन फारसियों से फारसी ज़बान में बात की, कि तुम्हारी तारीफ़ भी नहीं की जाएगी और अगर तुम इसका भी इनकार करो तो बराबरी के साथ लड़ाई का चेलेंज करते हैं। उन्होंने कहा: हम जिज्या तो नहीं दे सकते लेकिन हम तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। तो उन मुजाहिदीन ने कहा: ऐ अबू अब्दुल्लाह! क्या हम इनकी तरफ़ पेश कदमी न करें? उन्होंने फ़रमाया, "नहीं, रावी कहते हैं कि उन्होंने तीन दिन इसी तरह उन्हें दावत दी, फिर फ़रमाया, उन पर धावा बोल दो। कहते हैं: हमने उन पर हमला किया और उस किला (महल) को फतह कर लिया।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 5/440. अमवाल ले अबी उबैद: 61.

तौज़ीह: سير : सीन के ज़ेर और या के ज़बर के साथ سيرة की जमा है। जिसका मानी है तरीक़ा और आदत वग़ैरह लेकिन अहले शरअ़ की ज़बान में यह लफ़्ज़ गज़वात पर बोला जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, नौमान बिन मुक़र्रिन, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और सलमान (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। हम इसे सिर्फ़ बतरीक अता बिन साइब ही जानते हैं।

नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना कि अबुल बख्तरी ने सलमान फारसी (رضي الله عنه) को नहीं पाया क्योंकि अबुल बख्तरी ने अली (رضي الله عنه) को नहीं पाया जबकि सलमान, अली (رضي الله عنه) से पहले फौत हुए हैं।

नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा इस तरफ़ गए हैं और उनका ख़याल है

कि किताल से पहले दावत दी जाए, इस्हाक़ बिन इब्राहीम का भी यही कौल है। वह कहते हैं: अगर पेश कदमी से पहले दावत दी जाए तो बेहतर है। यह चीज़ उन्हें डराने के लिए ज़्यादा मौजूं है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: आज दावत न दी जाएगी।

इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आज के दिन मैं किसी को नहीं जानता जिसे दावत दी जाए। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर दुश्मन जल्दी ना करे तो दावत से पहले उन से किताल न किया जाए, अगर दावत न भी दे तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि उन्हें दावत पहुँच चुकी है।

2-بَابُ النهي عن الإغارة أذا راي مسجدا أو سمع أذانا

2 - मस्जिद देखकर या अज़ान सुनकर हमला करना मना है.

1549 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى العَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ وَيُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا

1549 - इब्ने इसाम मुज़नी अपने बाप से जो कि सहाबी (رضي الله عنه) हैं रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब कोई बड़ा या छोटा लश्कर रवाना करते तो उन से फ़रमाते: "जब तुम मस्जिद देखो या मुअज़्ज़िन को सुनो तो किसी को क़त्ल ना करो।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद:2635.

वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है और यह इब्ने उयय्ना की हदीस है।

3 بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ

3 - शब खून मारना और हमला करना

1550 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1550 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब खैबर की तरफ़ निकले तो रात के वक़्त वहाँ पहुँचे और आप जब किसी क़ौम के पास रात को पहुँचते तो

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلاً، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ الخَمِيسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ.

सुबह तक उन पर हमला न करते, सो जब सुबह हुई तो यहूदी अपनी कुदालें और टोकरे लेकर निकले जब उन्होंने आप(ﷺ) को देखा तो कहने लगे:मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह की क़सम! लश्कर लेकर आ गए। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: : أَكْبَرُ اللهُ खैबर बर्बाद हो गया, बेशक हम जब किसी कौम के सेहन में उतरते हैं तो डराये गए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। "

बुख़ारी: 2945. मुसनद अहमद: 3/159. इब्ने हिब्बान:4745.

तौज़ीह: الْخَمِيسَ : लफ़्ज़ خمس से निकला है जिसका मानी होता है "पांच" जुमेरात के दिन को भी यौमुल खमीस कहते हैं। क्योंकि यह हफ्ते का पांचवां दिन है। लश्कर को خَمِيسَ इस लिए कहा जाता है कि इस्लामी लश्कर पांच दस्तों पर मुश्तमिल होता था। (1) मुक़द्दमा (2)मैमना (3)मैसरह (4)साक़ा (5)कल्ब मुक़द्दमा आगे चलता है जिसे हर अव्वल दस्ता कहा जाता है, मैमना दायें, मैसरह बाएं, साक़ा पीछे, और क़ल्ब दर्मियान में। इन दस्तों के चलने की सूरत यह बनती है।

1551 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا.

1551 - सय्यदना अबू तल्हा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) जब किसी कौम पर ग़ालिब आते तो आप तीन दिन तक उनके मैदान में ठहरते।

बुख़ारी: 3065. अबू दाऊद: 2695.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। और हुमैद की अनस (رضي الله عنه) से बयान कर्दा (ऊपर वाली) हदीस भी हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा ने रात के वक़्त हमला करने और शबख़ून मारने की रूख़्सत दी है। जबकि बाज़ (कुछ) ने इसे मकरूह कहा है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रात के वक़्त दुश्मन पर शब्खून मारने में कोई हर्ज नहीं है। और مُحَمَّدٌ وَافَقَ الْخَمِيسَ का मानी है कि उनके साथ लश्कर है।

4 - काफ़िरों के मालों को जलाना और घरों को तबाह करना

4 بَابٌ فِي التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

1552 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बनू नजीर के खुजूरों के दरख़्त जलाए और कटवाए (यह वही जगह थी) जिसे बुवैरह कहते हैं। फिर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: "तुमने खुजूरों के जो दरख़्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, यह सब अल्लाह तआला के हुक्म से था और इस लिए भी कि फासिक़ों को अल्लाह तआला रूसवा करे।" (अल- हश्र :5)

बुख़ारी: 4031.मुस्लिम: 1746. अबू दाऊद:2615. इब्ने माजा:2844.

1552 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الفَاسِقِينَ}.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। और उलमा की एक जमात इस तरफ़ भी गई है। दरख्तों को काटने और क़िलों को तबाह करने में कोई क़बाहत नहीं समझते। जबकि बअज़ इसे मकरूह समझते हैं औज़ाई भी इसी के कायल है।

नीज़ सय्यदना अबू बकर (ﷺ) ने यज़ीद (बिन अबी सुफ़ियान) को फलदार दरख़्त काटने और आबाद क़िलों को उजाड़ने से मना किया था और उनके बाद मुसलमानों ने भी इसी पर अमल किया।

इमाम शाफ़ेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: दुश्मन के इलाक़े में अमवाल (मालों को) जलाने और दरख़्त और फल वग़ैरह काटने में कोई हर्ज नहीं है।

इमाम अहमद (ﷺ) फ़रमाते हैं। : बाज़ (कुछ) दफ़ा यह दरख़्त ऐसी जगह होते हैं जिन्हें काटना ज़रूरी हो जाता है लेकिन फ़ुज़ूल और बिला मकसद इन्हें न जलाया जाए।

इस्हाक़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: जब उसमें काफ़िरों की ज़िल्लत हो तो दरख़्त जलाना सुन्नत है।

5 - ग़नीमत का बयान

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَنِيمَةِ

1553 - सय्यदना अबू उमामा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ने मुझे अंबिया पर फ़ज़ीलत

1553 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

التَّيْمِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ، أَوْ قَالَ: أُمَّتِي عَلَى الأُمَمِ، وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ.

दी है" या यह फ़रमाया, "मेरी उम्मत को बाकी उम्मतों पर फजीलत दी है और हमारे लिए ग़नीमतों को हलाल किया है।"

सहीह: मुसनद अहमद: 5/248. बैहक़ी: 1/112.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू ज़र, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू मूसा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू उमामा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और सय्यार को मौला बनी मुआविया भी कहा जाता है। उनसे सुलैमान अत्तैमी, अब्दुल्लाह बिन बुहैर और दीगर लोगों ने रिवायत ली है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज्र ने वह कहते हैं: हमें इस्माईल बिन जाफ़र ने, उन्हें अला बिन अब्दुर्रहमान ने अपने बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, " मुझे छ: चीजों के साथ अंबिया पर फ़ज़ीलत दी गयीं है: मुझे जामे क़लिमात दिए गए हैं, रौब के साथ मेरी मदद की गई है, मेरे लिए ग़नीमतों को हलाल किया गया है, ज़मीन को मेरे लिए सज्दागाह और तहूर (पाकी हासिल करना) बनाया गया है, मुझे तमाम मख्लूक़ की तरफ़ रसूल बना कर भेजा गया है और मेरे साथ अंबिया का इख़्तिताम हुआ है।" यह हदीस हसन सहीह है।

6 بَابٌ فِي سَهْمِ الْخَيْلِ

6 - घोड़े का हिस्सा,

1554 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ.

1554 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ग़नीमत में घोड़े के दो और पैदल आदमी का एक हिस्सा तक़्सीम किया।

बुखारी: 2863. मुस्लिम: 1762. अबू दाऊद: 2733. इब्ने माजा:2854.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सुलैम बिन अख्ज़र से इसी तरह रिवायत की है।

इस मसले में मजमा बिन जारिया, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) और इब्ने अबी उम्रा की अपने बाप से भी

रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, मालिक बिन अनस, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं कि घुड़सवार के तीन हिस्से होंगे। एक उसका अपना और दो घोड़े के और पैदल को एक हिस्सा मिलेगा।

7 - लश्करों का बयान.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

1555 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेहतरीन साथी चार हैं: बेहतरीन छोटा लश्कर (सरिय्या) चार सौ का है। और बेहतरीन बड़ा लश्कर (जैश) चार हज़ार का है और बारह हज़ार तादाद की कमी की वजह से मग्लूब (पराजय) नहीं हो सकते। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2611. मुसनद अहमद: 1/294. दारमी: 2443.

1555 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلاَ يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.

वज़ाहत: यह हदीस हसन ग़रीब है। जरीर बिन हाजिम के अलावा किसी बड़े रावी ने इसे मुत्तसिल बयान नहीं किया, इसे ज़ोहरी ने नबी(ﷺ) से मुर्सल भी रिवायत किया है।

नीज़ इस हदीस को हिब्बान बिन अली अन्ज़ी ने अकील से उन्होंने ज़ोहरी से उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से बवास्ता इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। और लैस बिन साद ने इसे अकील से बवास्ता ज़ोहरी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

8 - ग़नीमत का माल किसे दिया जाए?

8 بَابُ مَنْ يُعْطَى الفَيْءَ

1556 - यज़ीद बिन हुर्मुज़ (رحمه الله) से रिवायत है नज्दा हरूरी ने इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) को ख़त लिख कर पूछा कि क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) जंग के लिए औरतों को साथ ले जाया करते थे?

1556 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ كَتَبَ

إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا يُسْهِمُ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ.

और क्या आप उनके लिए ग़नीमत के माल से हिस्सा भी निकालते थे? तो इब्ने अब्बास (ﷺ) ने उन्हें जवाब देते हुए ख़त लिखा कि तुमने मुझे ख़त लिख कर पूछा है कि क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) औरतों को लेकर जिहाद करते थे? आप(ﷺ) उन्हें साथ ले जाकर जिहाद करते थे वह बीमारों का इलाज करतीं और ग़नीमत में से कुछ उन्हें बतौर तोहफ़ा दिया जाता लेकिन आप(ﷺ) ने उनका हिस्सा नहीं निकाला।

मुस्लिम: 1812. अबू दाऊद:2727. मुसनद अहमद: 1/248.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और उम्मे अतिय्या (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का भी यही कौल है। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: औरत और बच्चे का हिस्सा निकाला जाएगा यह कौल औज़ाई का है। औज़ाई कहते हैं: नबी(ﷺ) ने खैबर में से बच्चों का हिस्सा निकाला था और मुसलमानों के हाकिमों ने भी जंग के इलाक़े में पैदा होने वाले हर बच्चे का हिस्सा निकाला था।

औज़ाई कहते हैं: नबी(ﷺ) ने खैबर में औरतों का हिस्सा निकाला था और आप(ﷺ) के बाद मुसलमानों ने भी इसी बात को लिया।

अबू ईसा कहते हैं: हमें यह बात अली बिन ख़ुश्रुम ने बवास्ता ईसा अन यूनुस, औज़ाई से इसी तरह बयान की है और ग़नीमत से तोहफ़े दिए जाने का मतलब है कि उन्हें ग़नीमत के माल से कुछ न कुछ बतौर तोहफ़ा इनाम दे दिया जाता था।

9 بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ

9 - क्या गुलाम का हिस्सा निकाला जाएगा?

1557 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ

1557 - सय्यदना उमैर मौला आबिल लहम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं खैबर में अपने मालिकों के साथ शरीक हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मेरे बारे में बात की और

Sherkhan
9825 696 131

سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ، قَالَ: فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ، فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا.

उन्होंने यह भी बात की कि मैं गुलाम हूँ, रावी कहते हैं: आप(ﷺ) ने हुक्म दिया एक तलवार मेरे गले में डाली गई तो मैं उसे खींचता था यानी तलवार बड़ी और मेरा क़द छोटा था फिर आप(ﷺ) ने मेरे लिए कुछ घरेलू सामान का हुक्म दिया और मैंने आप पर एक दम पेश किया जिसके साथ मैं दीवानों (पागलों) को दम किया करता था। आप(ﷺ) ने मुझे कुछ हिस्से को छोड़ने और कुछ हिस्से को रखने का हुक्म दिया।

सहीह: अबू दाऊद:2730. इब्ने माजा:2855.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि ग़ुलाम का हिस्सा न निकाला जाए बल्कि उसे बतौर तोहफ़ा कुछ दे दिया जाए, सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के क़ायल हैं।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟

10 - अगर ज़िम्मी लोग मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करे तो क्या उन्हें हिस्सा दिया जाएगा?

1558 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ.

1558 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बद्र की तरफ़ निकले, यहाँ तक कि जब हर्रतुल वबरा पहुंचे तो आप को एक मुश्रिक आदमी मिला जिसकी दिलेरी और शुजाअत मशहूर थी, नबी(ﷺ) ने उस से फ़रमाया, क्या तु अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान रखता है? उस ने कहा: नहीं" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वापस चले जाओ, मैं मुश्रिक से हरगिज़ तआवुन नहीं लूंगा।"

मुस्लिम: 1817.अबू दाऊद: 2332.

तौज़ीह: نَجْدَةً: जंग में बहादुरी और शुजाअत ऐसी हिम्मत जिसकी वजह से हर काम कर गुजरने का हौसला हो। (अल-कामूसुल वहीद:पृ. 1612)

वज़ाहत: इस हदीस में और भी तफ़्सील है। यह हदीस हसन ग़रीब है। और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि ज़िम्मियों का हिस्सा न निकाला जाए, अगरचे वह मुसलमानों के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ाई भी करें।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा की राय यह यह है कि जब वह मुसलमानों के साथ मिलकर किताल करे तो उन्हें हिस्सा दिया जाए। और ज़ोहरी से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने यहूदियों को हिस्सा दिया था जिन्होंने आप के साथ मिलकर किताल किया था, हमें यह हदीस कुतैबा बिन सईद ने उन्हें अब्दुल वारिस बिन सईद ने बवास्ता अजरह बिन साबित, ज़ोहरी से बयान की है। यह हदीस हसन ग़रीब है।

1559 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं अश्अरी लोगों की जमात में नबी(ﷺ) के साथ खैबर गया तो आप(ﷺ) ने फातिहीन के साथ हमें भी हिस्सा दिया था।

बुख़ारी: 4233. मुस्लिम: 2502. अबू दाऊद:2725.

1559 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। औज़ाई कहते हैं: लश्कर में तक़सीम से पहले जो शख़्स मुसलमानों से मिल जाए उसे भी हिस्सा दिया जाएगा।

बुरैदा की कुनियत अबू बुर्दा है यह सिक़ह् रावी है। इन से सुफ़ियान सौरी, इब्ने उयय्ना और दीगर रावियों ने रिवायत की है।

11 – मुश्रिकीन के बर्तनों से फ़ायदा लेना.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

1560 - सय्यदना अबू सअ्लबा ख़ुशनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उन्हें धो कर साफ़ कर

1560 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي

ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: أَنْقُوهَا غَسْلاً، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ.

लो और उनमें पका लो और आप(ﷺ) ने हर दरिन्दे और कुचली वाले जानवर का गोश्त खाने से मना फ़रमाया।"

सहीह: मुसनद अहमद:4/ 193

वज़ाहत: यह हदीस और इस्नाद से भी अबू सअ्लबा (رضي الله عنه) से मर्वी है। इसे अबू इदरीस ख़ौलानी ने भी अबू सअ्लबा से रिवायत किया है। नीज़ अबू किलाबा ने अबू सअ्लबा (رضي الله عنه) से हदीस का सिमा (सुनना) नहीं किया। उन्होंने बवास्ता अबू अस्मा, सय्यदना अबू सअ्लबा (رضي الله عنه) से रिवायत की है।

अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं हमें इब्ने मुबारक ने वुहैब बिन शरीक से रिवायत की है वह कहते हैं: मैंने रबीआ बिन यज़ीद दमिश्क़ी को सुना वह कहते थे: मुझे इदरीस ख़ौलानी से आइज़ुल्लाह बिन उबैदुल्लाह ने बताया कि मैंने अबू सअ्लबा ख़ुशनी को सुना फ़रमा रहे थे: मैं अल्लाह के रसूल(ﷺ) के पास गया, मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) हम अहले किताब के इलाक़े में रहते हैं उनके बर्तनों में खाते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया; " अगर तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा और बर्तन मिल जाएँ तो उनके बर्तनों में मत खाओ, अगर और बर्तन न मिलें तो उन्हें धो कर उनमें खा लो(1)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

12 بَابٌ فِي النَّفَلِ

12 - नफ़ल का बयान.

1561 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي القُفُولِ الثُّلُثَ.

1561 - उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) इब्तिदा में चौथा और लौटते वक़्त तीसरा हिस्सा बतौरे नफ़ल देते थे।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 2852. मुसनद अहमद: 5/319. अब्दुर्रज्ज़ाक:9334.

तौज़ीह: نفل : ज़ायद चीज़ देना, यानी इमाम किसी की बहादुरी, दिलेरी और ख़तरनाक काम करने की वजह से उसके हिस्से के अलावा कोई चीज़ दे दे तो उसे नफ़ल कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, हबीब बिन मस्लमा, मअन बिन यज़ीद, इब्ने उमर और सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और उबादा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अबू सलाम ने भी नबी(ﷺ) के एक सहाबी (رضي الله عنه) से भी रिवायत की है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं: हमें इब्ने अबी ज़िनाद ने अपने बाप से बवास्ता उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने बद्र के दिन अपनी ज़ुल्फ़िक़ार तलवार बतौरे नफ़ल ली थी यही वह तलवार थी जिसके बारे में आपने उहुद के दिन ख़्वाब देखा था।

यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी ज़नाद से इसी सनद के साथ जानते है।

नीज़ अहले इल्म ने माले ख़ुम्स के नफ़ल के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। मालिक बिन अनस कहते हैं: मुझे ऐसी कोई बात नहीं पहुंची जिस में यह ज़िक्र हो कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किसी गज़वह में बतौरे नफ़ल कुछ दिया हो और मुझे यह हदीस भी पहुंची है कि आप(ﷺ) ने बाज़ (कुछ) गज़वात में बतौरे नफ़ल दिया भी है और यह बात इमाम के इज्तिहाद पर है। ग़नीमत तक़सीम करने से पहले दे दे या बाद में।

इब्ने मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद (رحمه الله) से कहा कि नबी(ﷺ) ने ख़ुम्स के बाद चौथा हिस्सा बतौरे नफ़ल दिया था और जब लौटे तो ख़ुम्स के बाद तीसरा हिस्सा दिया था तो उन्होंने फ़रमाया, पांचवां हिस्सा निकाले फिर बाकी में तक़सीम कर दे और इस से आगे न बढ़े।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मुसय्यब (رحمه الله) का कौल इसी हदीस के मुताबिक है कि नफ़ल ख़ुम्स से होगा। इस्हाक़ (رحمه الله) भी ऐसे ही कहते हैं।

13 - जो मुजाहिद किसी काफ़िर को क़त्ल करे उसका सामान उसे ही मिलेगा.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

1562 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने किसी काफ़िर को क़त्ल किया उसके पास उसकी दलील (सबूत) भी हो तो मक़्तूल का सामान उसी का है। "

बुख़ारी: 3142. मुस्लिम: 1751. अबू दाऊद: 2717. इब्ने माजा: 2838.

1562 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.

तौज़ीह: سَلَبٌ: काफ़िर को क़त्ल करने के बाद उसकी ज़िरह और अस्लहा वग़ैरह जो क़त्ल करने वाला मुजाहिद उतारे उसे सलब कहते हैं।

वज़ाहत: इस हदीस में एक वाक़िया भी है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान, यह्या बिन सईद से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। और इस मसले में औफ़ बिन मालिक, ख़ालिद बिन वलीद, अनस और समुरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

यह हदीस हसन सहीह है और अबू मुहम्मद, नाफ़े ही हैं जो अबू क़तादा के आज़ादकर्दा थे। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। औज़ाई, शाफ़ेई और अहमद (ﷺ) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि इमाम सलब के माल से पांचवां हिस्सा बैतूल माल के लिए निकाल सकता है। सौरी फ़रमाते हैं: नफ़ल यह है कि इमाम कह दे जिसे कोई चीज़ मिल जाए वह उसी की है और जिसने किसी दुश्मन को क़त्ल किया हो उसका सामान उसी का है। यह जायज़ है और उसमें से पांचवां हिस्सा नहीं होगा।

इस्हाक़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: माले सलब क़त्ल करने वाले मुजाहिद का होगा। अगर वह ज़्यादा माल न हो और इमाम अगर देखे तो उस से पांचवां हिस्सा निकाल सकता है जैसा कि उमर बिन खत्ताब (ﷺ) ने किया था।

14 - तक़्सीम से पहले माले ग़नीमत को बेचना मना है.

14 بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

1563 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तक़्सीम से पहले ग़नीमतों का माल ख़रीदने से मना फ़रमाया है।

सहीह: इब्ने माजा: 2196. मुसनद अहमद: 3/42. दार कुत्नी:3/15.

1563 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

15 - क़ैद में आने वाली हामिला औरतों से मुबाशिरत करना मना है.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

1564 - उम्मे हबीबा (رحمها الله) बिन्ते इर्बाज़ बिन सारिया (رضي الله عنه) रिवायत करती हैं कि उन के बाप ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कैदी औरतों से हमबिस्तरी करने से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह अपने पेटों के हमल जन्म दे दें।

सहीह: 1474 नम्बर हदीस देखें.

1564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ أَبَاهَا، أَخْبَرَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में रुवैफे बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और इर्बाज़ बिन सारिया (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है नीज़ उलमा का इसी पर अमल है।

औज़ाई फ़रमाते हैं: जब कोई शख़्स कैदी ख़्वातीन में से कोई लौंडी खरीदे और वह हामिला हो तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से मर्वी है कि हामिला औरत से बच्चा जन्म देने तक हमबिस्तरी न की जाए। औज़ाई फ़रमाते हैं: कि आज़ाद औरतों के बारे में सुन्नत तरीक़ा गुज़र चुका है कि उन्हें इद्दत का हुक्म दिया जाएगा (अबू ईसा कहते हैं:) मुझे यह सब रिवायत अली बिन खश्रम ने बवास्ता ईसा बिन यूनुस, औज़ाई से बयान की हैं।

16 - मुश्रिकों के खाने के बारे में.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ المُشْرِكِينَ

1565 - क़बीसा बिन हुल्ब अपने बाप (सय्यदना हुल्ब رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से ईसाइयों के खाने के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे दिल वह खाना शक पैदा न करे जिसमें तुमने ईसाइयों की मुशाबिहत की है।"

1565 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى؟

فَقَالَ: لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

हसन: अबू दाऊद: 3784. इब्ने माजा: 2830. मुसनद अहमद: 5/226.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। महमूद कहते हैं: उबैदुल्लाह बिन मूसा इस्राईल से बवास्ता सिमाक, क़बीसा से उनके बाप के ज़रिए रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ऐसे ही फ़रमाया। महमूद कहते हैं: वहब बिन जरीर ने शोबा से उन्होंने सिमाक से उन्होंने मुर्री बिन कतरी से बवास्ता अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है। और उलमा का इसी पर अमल है कि अहले किताब का खाना खाने की रूख़्सत है।

17 بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

17 - कैदियों के दर्मियान जुदाई डालना मना है

1566 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

1566 - अबू अय्यूब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जो शख़्स मां और उसके बच्चे के दर्मियान जुदाई करे तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके और उसके महबूब शख़्स के दर्मियान जुदाई डाल देगा। "

हसन: तयालिसी: 1033. मुसनद अहमद:258/4. इब्ने हिब्बान:322.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कैदियों के दर्मियान जुदाई को नापसंद करते हैं यानी मां, औलाद, बाप, बेटे और बहन भाइयों के दर्मियान।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الأُسَارَى وَالفِدَاءِ

18 - कैदियों को क़त्ल करने और फिद्या लेकर छोड़ने का बयान.

1567 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَمْدَانِيُّ، وَمَحْمُودُ

1567 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिब्रील (عليه السلام) उन पर नाजिल हुए और उन से

بْنُ غَيْلَانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: خَيِّرْهُمْ، يَعْنِي أَصْحَابَكَ، فِي أُسَارَى بَدْرٍ القَتْلَ أَوِ الفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلاً مِثْلُهُمْ، قَالُوا: الفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا.

फ़रमाया, " अपने सहाबा को बद्र के कैदियों के बारे में इख़्तियार दे दीजिए। क़त्ल करें या फिद्या ले लें लेकिन इस शर्त पर कि अगले साल उतने ही क़त्ल (शहीद) होंगे। "उन्होंने कहा: फिद्या कुबूल करते हैं और हम में से शहीद हो जाएँ।

सहीह: इब्ने शैबा: 14/368. बैहक़ी: 16/321. हाकिम: 2/140.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अनस, अबू बर्ज़ा और जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:यह हदीस बतरीक सौरी हसन ग़रीब है। हम इसे इब्ने अबी ज़ायदा की सनद से ही जानते हैं। नीज़ अबू उसामा ने हिशाम से उन्होंने इब्ने सीरीन से बवास्ता उबैदा, सय्यदना अली (ﷺ) से नबी(ﷺ) की हदीस ऐसे ही रिवायत की है।

जबकि इब्ने औन ने इब्ने सीरीन से बवास्ता उबैदा, सय्यदना अली (ﷺ) से मुर्सल रिवायत भी की है। और अबू दाऊद हज़रमी का नाम उमर बिन साद है।

1568 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

1568 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने दो मुसलमानों के बदले एक मुशरिक को छोड़ा था।

मुस्लिम: 1641. अबू दाऊद: 3316.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। और अबू किलाबा के चचा अबू मुहल्लब हैं। जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अम्र है जिन्हें मुआविया बिन अम्र भी कहा जाता है और अबू किलाबा का नाम अबू ज़ैद अल- जरी है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है। इमाम कैदियों में से जिस पर चाहे एहसान करे और जिसे चाहे क़त्ल करे और जिसे चाहे फिद्या लेकर रिहा कर

दे और बाज़ (कुछ) उलमा ने फिद्या के बजाये क़त्ल करने को बेहतर कहा है।

औज़ाई कहते हैं: मुझे यह बात पहुंची है कि यह आयात मंसूख है : "एहसान करके छोड़ दो या फिद्या लेकर;" (मुहम्मद:4) इसे इस आयात ने मंसूख किया है : "जहां भी उन काफ़िरों को पाओ उन्हें क़त्ल कर दो।" (अल-बकरा:191) यह बात हमें हन्नाद ने बवास्ता इब्ने मुबारक, औज़ाई से बयान की है। इस्हाक़ बिन मंसूर कहते हैं: मैंने इमाम अहमद (رحمه الله) से कहा जब कैदी को क़ैद कर लिया जाए उसे क़त्ल किया जाना आप को ज़्यादा पसंद है या फिद्या लेकर छोड़ देना? उन्होंने फ़रमाया, अगर कुफ्फार में फिद्या देने की ताक़त हो तो उसे फिद्या लेकर छोड़ने में कोई हर्ज नहीं और अगर उसे क़त्ल कर दिया जाए तो मेरे इल्म के मुताबिक इस में भी कोई हर्ज नहीं है।

इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कुफ्फार की खूरेजी मुझे ज़्यादा पसंद है इल्ला (मगर) यह कि मारूफ हो तो मैं इस से कसरत की तमा करूं।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

19 - दुश्मन की औरतों और बच्चों को क़त्ल करना मना है.

1569 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

1569 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के किसी गज्वा में एक औरत क़त्ल की गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके क़त्ल को नागवार समझा और बच्चों और औरतों को क़त्ल करने से मना फ़रमा दिया।

बुख़ारी: 3014. मुस्लिम: 1744. अबू दाऊद:2668. इब्ने माजा:2841.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, रबाह- रियाह बिन रबी भी कहा जाता है। अस्वद बिन सुरैअ, इब्ने अब्बास और सअब बिन जस्सामा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा व दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए औरतों और बच्चों को क़त्ल करना मकरूह कहते हैं। सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई (رحمه الله) का भी यही कौल है।

जबकि बाज़ (कुछ) शब्खून मारने और इसमें औरतों और बच्चों को क़त्ल करने की रूख़्सत देते हैं। यह कौल इमाम अहमद और इस्हाक़(رحمه الله) का है। यह दोनों रात को हमला करने की रूख़्सत देते हैं।

1570 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

1570 - इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मुझे सअब बिन जस्सामा (رضي الله عنه) ने बताया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हमारे लश्कर ने मुश्रिकों की औरतों और उनकी औलाद को रौंद डाला, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह अपने बापों से ही हैं।"

बुख़ारी: 3012. मुस्लिम: 1745. अबू दाऊद: 2673. इब्ने माजा:2839.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है।

20- بَابُ النهي عن الاحراق بالنار

20 –दुश्मन को आग से जलाना मना है

1571 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

1571 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें एक लश्कर में भेजा तो फ़रमाया, "अगर तुम फुलां फुलां को पा लो।" कुरैश के दो आदमियों का नाम लिया "तो उन दोनों को आग से जला देना" फिर जब हम रवाना होने लगे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि फुलां फुलां शख़्स को आग से जला देना लेकिन आग से सिर्फ़ अल्लाह तआला ही अज़ाब दे सकता है अगर तुम उनको पा लो तो उन्हें क़त्ल कर देना।"

बुख़ारी: 2954. अबू दाऊद:2674.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और हम्ज़ा बिन अम्र अल अस्लमी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है, नीज़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने सुलैमान बिन यसार और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के दर्मियान एक और आदमी का भी ज़िक्र किया है। जबकि कई रावियों ने लैस की तरह रिवायत की है। लेकिन लैस बिन साद की हदीस ज़्यादा बेहतर और सहीह है।

21 - माले ग़नीमत से ख़यानत करना.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُلُولِ

1572 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ: الكِبْرِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ.

1572 - सय्यदना सौबान (رضی الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स को इस हाल में मौत आई कि वह तीन चीजों;, तकब्बुर, ख़यानत और क़र्ज़ से बरी था तो वह जन्नत में दाखिल हो गया।"

सहीह: इब्ने माजा: 2412.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضی الله) से भी हदीस मर्वी है।

1573 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ: الكَنْزِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ

1573 - सय्यदना सौबान (رضی الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसकी रूह ने जिस्म को इस हाल में छोड़ा कि वह तीन चीजों; कंज़, ख़यानत और क़र्ज़ से बरी था तो वह जन्नत में दाखिल हो गया।"

इन अल्फ़ाज़ के साथ शाज़ है. मुसनद अहमद:5/276. इब्ने माजा: 2412. इब्ने हिब्बान:198.

तौज़ीह: الكَنْز : इस्तिलाहे शरीयत में वह माल जिसकी ज़कात न अदा की जाए, पहली रिवायत में यह लफ़्ज़ किब्र के साथ आया है जिसका मानी तकब्बुर है।

वज़ाहत: साद ने भी कंज़ जबकि अबू अवाना ने अपनी हदीस में كبر कहा है और इसमें मेअ्दान का भी ज़िक्र नहीं किया। नीज़ सईद की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

1574 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

1574 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضی الله) बयान करते हैं कि कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल फुलां शख़्स शहीद हो गया है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हरगिज़ नहीं यक़ीनन मैंने उसे एक चादर की वजह से जहन्नम में देखा

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدْ اسْتُشْهِدَ، قَالَ: كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا، قَالَ: قُمْ يَا عُمَرُ فَنَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا.

है जो उसने चोरी की थी।" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ उमर! खड़े होकर तीन दफ़ा ऐलान कर दो जन्नत में सिर्फ़ ईमान वाले ही जायेंगे।

सहीह: मुस्लिम: 114. मुसनद अहमद: 1/30.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

22 - औरतों का जंग में जाना

1575 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

1575 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उम्मे सुलैम और अंसारी की दीगर ख्वातीन को जंग में साथ ले जाते थे वह पानी पिलातीं और ज़ख्मियों का इलाज करतीं थीं।

मुस्लिम: 1810. अबू दाऊद: 2531. इब्ने हिब्बान:4723.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में रुबै बिन्ते मुअव्विज़ (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

23 - मुश्रिकों के तोहफ़े कुबूल करना

1576 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لَهُ، فَقَبِلَ، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

1576 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि किस्रा ने नबी(ﷺ) को तोहफ़ा भेजा तो आप(ﷺ) ने कुबूल किया और बादशाह आपको तोहफ़े भेजते थे तो आप उन से कुबूल करते थे।

ज़ईफ़: जिद्दा: मुसनद अहमद: 1/96. बैहक़ी: 9/215.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। सुवैर, अबू फ़ाख्ता के बेटे हैं। उनका नाम सईद बिन इलाका और कुनियत अबू जहम है।

24 – मुश्रिकीन के तोहफ़े की कराहत.

24 بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

1577 - इयाज़ बिन हिमार से रिवायत है कि उस ने नबी(ﷺ) को कोई तोहफ़ा या ऊंटनी दी तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुम इस्लाम ले आए हो? उसने कहा, नहीं" आप(ﷺ) ने फ़रमाया, मुझे मुश्रिकीन के तोहफ़े कुबूल करने से मना किया गया है। "

सहीह: अबू दाऊद: 3075. बैहक़ी: 9/216.

1577- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْلَمْتَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ .نَهَى عَنْ هَدَايَاهُمْ.

तौज़ीह: زَبْد: अतिय्या तोहफ़ा वग़ैरह। अगर ب के ऊपर ज़बर के साथ हो तो इसका मानी झाग वग़ैरह होता है। (देखिये अल-मोजमुल वसीत:पृ. 459)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और زَبْد से मुराद तोहफ़े हैं। नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप मुश्रिकीन के तोहफ़े क़ुबूल कर लिया करते थे जबकि इस हदीस में कराहत का ज़िक्र है। हो सकता है कि पहले क़ुबूल करते हों और बाद में इस से मना कर दिया हो।

25 – सज्द-ए-शुक्र का बयान.

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

1578 - सय्यदना अबू बकरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) के पास कोई ख़बर आयी आप इस से खुश हुए तो अल्लाह के लिए सज्दे में गिर पड़े।

हसन: अबू दाऊद: 2774. इब्ने माजा: 1394. दार क़ुत्नी: 1/410.

1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ أَمْرٌ، فَسُرَّ بِهِ، فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे बक्कार बिन अब्दुल अज़ीज़ के तरीक से ही जानते हैं। नीज़ जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है कि सज्द-ए-शुक्र जायज़ है। और बक्कार बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी बक्र मुकारिबुल हदीस हैं।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

26 - औरत और गुलाम अगर किसी को अमान दे दें

1579 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ، يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

1579 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक औरत कौम के लिए पनाह लेती है। यानी मुसलमानों से अमान दिलवाती है।"

हसन: मुसनद अहमद: 2/365.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे हानी से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह हदीस हसन सहीह है और कसीर ने वलीद बिन रबाह से हदीस सुनी है और वलीद बिन रबाह ने अबू हुरैरा (ﷺ) से सिमा (सुनना) किया है और मुकारिबुल हदीस हैं। अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू वली दमिश्क़ी ने वह कहते हैं: हमें वलीद बिन मुस्लिम ने वह कहते हैं: हमें इब्ने उबय बिन सईद मक्बुरी से बवास्ता अबू मुर्रा मौला अकील बिन अबी तालिब सय्यदा उम्मे हानी (ﷺ) से रिवायत की है कि उन्होंने फ़रमाया, "मैंने अपने शौहर के रिश्तेदारों में से दो आदमियों को पनाह दी तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिन्हें तुमने अमान दी है हमने भी उन्हें अमान दी।"

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और उलमा इसी पर अमल करते हुए औरत की अमान को जायज़ कहते हैं। इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी औरत और गुलाम की अमान को जायज़ कहते हैं। नीज़ उमर बिन खत्ताब (ﷺ) से कई तुरूक़ से मर्वी है कि उन्होंने गुलाम की अमान को जायज़ कहा है। अकील बिन अबी तालिब के मौला अबू मुर्रा को मौला उम्मे हानी भी कहा जाता है। इसका नाम ज़ैद था।

नीज़ सय्यदना अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमानों का ज़िम्मा एक ही है जिसके साथ उनका अदना आदमी भी चलता है।"

अबू ईसा (ﷺ) फ़रमाते हैं: उलमा के नज़दीक इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में से कोई भी आदमी पनाह दे दे तो वह तमाम की तरफ़ से होगी।

27 - अहद शिक्नी का बयान

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَدْرِ

1580 - सुलैम बिन आमिर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि सय्यदना मुआविया (رضي الله عنه) और रूमियों के दर्मियान एक मुआहिदा था और वह उनके मुल्क की तरफ़ चले कि जब अहद ख़त्म हो जाएगा उन पर हमला कर देंगे तो अचानक एक आदमी किसी चौपाये या घोड़े पर आया वह कह रहा था: : اَللّٰهُ أَكْبَرُ अहद को पूरा करना है धोका नहीं, वह सय्यदना अम्र बिन अब्सा (رضي الله عنه) थे। मुआविया (رضي الله عنه) ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, "जिसका किसी कौम के साथ अहद हो वह अहद को न तोड़े और न तब्दीली करे यहाँ तक कि वह मुद्दत ख़त्म हो जाए या वह उनकी बराबरी के साथ उनकी तरफ़ लौटा दे।" रावी कहते हैं, फिर मुआविया (رضي الله عنه) लोगों को लेकर वापस आ गए।

सहीह: अबू दाऊद: 2759. तयालिसी: 1155. मुसनद अहमद: 4/ 111.

1580 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلاَدِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى العَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا، وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

28 - क़यामत के दिन हर अहद शिकन का झंडा होगा.

28 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ القِيَامَةِ

1581 - इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवयत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "बेशक अहद तोड़ने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा बतौरे अलामत गाड़ा जाएगा।"

बुख़ारी: 6177. मुस्लिम: 1735. अबू दाऊद: 2756.

1581 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद खुदरी और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से सुवैद की रिवायत के बारे में पूछा तो उन्होंने अबू इस्हाक़ से बवास्ता उमारा बिन उमैर सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर अहद शिकन के लिए झंडा होगा।" तो उन्होंने फ़रमाया, "मैं इस हदीस को मर्फू नहीं पहचानता।

29 - किसी के फ़ैसले पर उतरना

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الحُكْمِ

1582 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि खंदक के दिन साद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) को तीर लगा और फेंकने वालों ने उनके बाज़ू की रग को काट दी तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने उसे आग से दाग दिया, उनका हाथ सूज गया, फिर उसे छोड़ दिया तो उस से खून बहने लगा, आप(ﷺ) ने उसे दूसरी मर्तबा दागा, फिर उनका हाथ सूज गया, जब उन्होंने उसको देखा तो कहने लगे: ऐ अल्लाह! मेरी जान उस वक़्त तक मत निकालना जब तक कि बनू कुरैज़ा की जानिब से मेरी आँख ठंडी न हो जाए। उनकी रग का खून रुक गया। उस से एक क़तरा भी न निकला यहाँ तक कि वह (बनू कुरैज़ा वाले) सय्यदना साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर उतरे आप(ﷺ) ने उन्हें पैगाम भेजा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके मर्दों को क़त्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों को ज़िंदा रखा जाए जिनसे मुसलमान तआवुन लें। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "उनके बारे में तुमने अल्लाह के हुक्म को पा लिया है।" और वह चार सौ लोग थे। जब आप उनके क़त्ल

1582 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أَوْ أَبْجَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ، يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ حُكْمَ

Sherkhan
9825 696 131

اللهِ فِيهِمْ، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ.

से फ़ारिग़ हुए तो उनकी रग फूट पड़ी और वह फौत हो गए।

मुस्लिम: 2208. अबू दाऊद:3866. इब्ने माजा:3494.

तौज़ीह: أَكْحَل या أَبْجَل : बाज़ू की मर्कजी रग को कहा जाता है जिससे खून निकाला जाता है।

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद और अतिय्या अल-कुर्ज़ी (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1583 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ: الغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا.

1583 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुश्रिकीन के बूढ़ों को क़त्ल करो और उनके बच्चों को ज़िंदा छोड़ दो।" और शर्ख वह लड़के हैं जिनके ज़ेरे नाफ बाल न उगे हो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2670.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और हज्जाज बिन अर्तात ने भी इसे क़तादा से ऐसे ही रिवायत किया है।

1584 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي.

1584 - सय्यदना अतिय्या अल-कुर्ज़ी से रिवायत है कि कुरैज़ा के दिन हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने पेश किया गया तो जिसके जेरे नाफ बाल उगे थे उसे क़त्ल कर दिया गया और जिसके नहीं उगे थे उसे छोड़ दिया गया। मैं भी उन में था जिन के बाल नहीं उगे थे तो मुझे भी छोड़ दिया गया।

सहीह: अबू दाऊद: 4404. इब्ने माजा: 2541. निसाई: 3430.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) उलमा इसी पर अमल करते हुए बाल उगने को ही बुलूगत की शर्त कहते हैं अगर उसकी उमर या एह्तलाम का पता न चले। इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

30 - हिल्फ़ का बयान.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلْفِ

1585 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने खुत्बे में फ़रमाया, "जाहिलियत के हिल्फ़ को पूरा करो, इस्लाम इसे और भी मज़बूत करता है और इस्लाम में नया हिल्फ़ ना करो। "

हसन: 1413. के तहत तख़रीज देखें.

1585 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَوْفُوا بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ، يَعْنِي الإِسْلاَمَ، إِلاَّ شِدَّةً، وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلاَمِ.

तौज़ीह: حِلْفٌ : एक कौम का दूसरी कौम या कबीले से इत्तिहाद व तआवुन का मुआहदा करना दौरे जाहिलियत में अरब का दुस्तूर था कि एक कबीले वाले दूसरे कबिलों से मुआहदा कर लेते और एक दूसरे के हलीफ बन जाते।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन औफ़, उम्मे सलमा, जुबैर बिन मुतइम, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और कैस बिन आसिम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

31 - मजूसियों से जिज्या लेना

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

1586 - बजाला बिन अब्दा (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैं मनाज़िर (शहर) में जज़अ बिन मुआविया का कातिब था तो हमारे पास उमर (رضي الله عنه) का ख़त आया कि अपनी तरफ़ से मजूसियों को देखो और उनसे जिज्या लो, मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हजर (शहर) के मजूसियों से जिज्या लिया था।

बुख़ारी: 3165. अबू दाऊद: 3043.

1586 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَاذِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

तौज़ीह: الْمَجُوسِ: एक कौम जो सूरज, चाँद और आग की पूजा करती थी, उन पर इस नाम का इत्लाक़ दूसरी सदी ईस्वी में हुआ। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1033)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1587 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ الجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

1587 - बजाला बिन अब्दा (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) मजूसियों से जिज्या नहीं लेते थे यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) ने उन्हें बताया कि नबी(ﷺ) ने हजर (शहर) के मजूसियों से जिज्या लिया था।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत: इस हदीस में और बातें भी हैं। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

1588 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الفُرْسِ.

1588 - साइब बिन यज़ीद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बहरैन के मजूसियों से जिज्या लिया था, उमर (رضي الله عنه) ने फारस और उस्मान (رضي الله عنه) ने भी फारसियों से जिज्या लिया था।

मुहक्क़िक़ ने इस पर तहक़ीक़ व तख़्रीज ज़िक्र नहीं की.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इसे मालिक ने बवास्ता ज़ोहरी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

32 بَابُ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

32 - ज़िम्मियों के माल में से जो चीज़ हलाल है.

1589 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا

1589 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऐसे लोगों के पास से गुज़रते हैं जो हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते, न ही वह हक़ अदा

نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلاَ هُمْ يُؤَدُّونَ، مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الحَقِّ وَلاَ نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا فَخُذُوا.

करते हैं जो हमारा उनके ऊपर है और न ही हम उन से लेते हैं तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह इनकार ही करें बजुज़ इसके कि ज़बरदस्ती लो तो तुम उनसे ज़बरदस्ती ले लो।"

बुख़ारी: 2461. मुस्लिम: 1727. अबू दाऊद: 3752. इब्ने माजा:3676.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे लैस बिन साद ने भी यज़ीद बिन अबी हबीब से इस तरह रिवायत किया है।

और इस हदीस का मफहूम यह है कि सहाबा जंग के लिए जाते थे तो किसी कौम के पास गुज़रते तो उन्हें क़ीमत देने पर भी खाना नहीं मिलता था तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर वह बेचने से इनकार करें तो तुम उन से ज़बरदस्ती ले लो।" बाज़ (कुछ) अहादीस में इसी तरह वज़ाहत के साथ मर्वी है। नीज़ उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि वह ऐसा ही हुक्म देते थे।

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي الهِجْرَةِ

33 - हिजरत का बयान

1590 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

1590 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़रमाया, "फ़तहे मक्का के बाद (मक्का से) हिजरत नहीं है लेकिन जिहाद और नीयत बाकी है और जब तुम्हें जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो निकलो।"

बुख़ारी: 1834. मुस्लिम: 1353. अबू दाऊद: 2480. इब्ने माजा:2773. निसाई: 4170.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अब्दुल्लाह बिन हुब्शी (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी इसे मंसूर बिन मोतमिर से इसी तरह रिवायत किया है।

34 - नबी(ﷺ) की बैअत का बयान.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

1591 - अबू सलमा (رحمه الله) से रिवायत है कि अल्लाह तआला के इस फ़रमान "तहक़ीक़ अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वह दरख़्त के नीचे आप के हाथ पर बैअत कर रहे थे। (अल- फतह: 18) के बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ पर इस शर्त पर बैअत की कि हम भागेंगे नहीं, हमने मौत पर बैअत नहीं की थी।

मुस्लिम: 1856. निसाई:4158.

1591 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

वज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन अक्वा, इब्ने उमर, उबादा और जरीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ईसा बिन यूनुस ने भी बवास्ता औज़ाई, यह्या बिन अबी कसीर से रिवायत की है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं। इस में अबू सलमा का ज़िक्र नहीं किया गया।

1592 - यज़ीद बिन अबी उबैद (رحمه الله) कहते हैं: मैंने सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) से कहा: हुदैबिया के दिन आप लोगों ने किस शर्त पर रसूलुल्लाह(ﷺ) से बैअत की थी? उन्होंने कहा: मौत पर।

बुख़ारी: 1806. मुस्लिम: 4159.

1592 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

1593 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) से आप की बात सुनने और मानने पर बैअत करते थे तो आप(ﷺ) हम से फ़रमाते: जितनी तुम में ताक़त हो। "

1593 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

बुख़ारी: 7202. मुस्लिम: 1867. अबू दाऊद: 2940. निसाई:4187.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1594 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ.

1594 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मौत पर बैअत नहीं की, हमने तो सिर्फ़ इस बात पर आप से बैअत की थी कि हम भागेंगे नहीं।

मुस्लिम: 1856. निसाई: 4158.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और दोनों हदीसों का मफ्हूम सहीह है। आप(ﷺ) के कुछ सहाबा ने मौत पर बैअत की कि हम आपके सामने लड़ेंगे यहाँ तक कि हम क़त्ल हो जाएँ और दूसरों ने यह कहा कि हम नहीं भागेंगे।

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ

35 - बैअत को तोड़ना

1595 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.

1595 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह तआला न बात करेगा न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा; एक वह आदमी जो इमाम से बैअत करता है अगर वह इमाम उसे कुछ देता है तो बैअत को पूरा करता है और अगर उसे नहीं देता तो अहद पूरा नहीं करता।

बुख़ारी: 2358. मुस्लिम: 108. अबू दाऊद: 3484. इब्ने माजा:2207. निसाई: 4462.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बिला इख़्तिलाफ़ इसी पर अमल है।

36 - गुलाम की बैअत

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ العَبْدِ

1596 - जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक गुलाम ने आकर रसूलुल्लाह(ﷺ) से हिजरत पर बैअत कर ली और नबी(ﷺ) नहीं जानते थे कि वह गुलाम है। फिर उसका मालिक भी आ गया तो नबी(ﷺ) ने उस से फ़रमाया, "यह गुलाम मुझसे बेच दो।" आप(ﷺ) ने दो सियाह फाम गुलामों के बदले उसे ख़रीद लिया, फिर इसके बाद आप(ﷺ) ने यह पूछे बग़ैर किसी से बैअत नहीं ली कि क्या वह गुलाम तो नहीं।

1596 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟

मुस्लिमः 1602. निसाईः 3358. इब्ने माजाः 2869. निसाईः 4148.

वज़ाहतः इस बारे में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब सहीह है हम इसे बतरीक़ अबी ज़ुबैर ही जानते हैं।

37 - औरतों से बैअत करना.

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

1597 - सय्यदा उमैमा बिन्ते रूकैक़ा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैंने कुछ औरतों समेत रसूलुल्लाह(ﷺ) से बैअत की आप(ﷺ) ने हमें फ़रमाया, "जितनी तुम में कुव्वत और ताक़त हो।" मैंने कहा: अल्लाह और उसके रसूल हमारे साथ हमारी जानों से भी ज़्यादा शफ़क़त करने वाले हैं, मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! हमारे साथ बैअत कीजिये। सुफ़ियान कहते हैं: उनका मतलब था हमारे साथ मुसाफ़ा कीजिए तो आप(ﷺ) ने

1597 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا،، قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي صَافِحْنَا،، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

फ़रमाया, "मेरा एक सौ औरतों से बात करना ऐसे ही है जैसे एक औरत से बात करना।"

सहीह: इब्ने माजा:2874. निसाई: 4181. मुसनद अहमद: 6/357.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अब्दुल्लाह बिन उमर और अस्मा बिन्ते यज़ीद (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर के तरीक से जानते हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को मुहम्मद बिन मुन्कदिर से इसी तरह रिवायत की है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "मैं उमैमा बिन्ते रूकैक़ा (رضي الله) की इसके अलावा कोई और हदीस नहीं जानता। नीज़ उमैमा (رضي الله) एक और खातून भी हैं उनकी भी रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक हदीस है।

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ أَهْلِ بَدْرٍ

38 – बद्र वालों की तादाद.

1598 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

1598 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله) बयान करते हैं कि हम गुफ्तगू किया करते थे कि बद्र के दिन बद्र (की जंग करने) वालों की तादाद तालूत के साथियों जितनी (यानी) 313 अफराद थी।

बुख़ारी: 3957. इब्ने माजा: 2828.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सौरी और दीगर रावियों ने भी इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत किया है।

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُمُسِ

39 - माले ग़नीमत का पांचवां हिस्सा (बैतूल माल के लिए है.)

1599 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ

1599 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने अब्दुल कैस के वफद से कहा: "मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो

Sherkhan
9825 696 131

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: آمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

माले ग़नीमत हासिल करो उसमें पांचवां हिस्सा अदा करो। "इस हदीस में एक किस्सा भी है।

बुख़ारी: 43. मुस्लिम:17.अबू दाऊद: 3692. निसाई: 5031.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ हमें कुतैबा ने वह कहते हैं, हमें हम्माद बिन ज़ैद ने बवास्ता अबू हम्ज़ा, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से इसी तरह हदीस बयान की है।

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ

40 - लूट मार करना मना है.

1600 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلُوا مِنَ الغَنَائِمِ، فَاطَّبَخُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَى النَّاسِ، فَمَرَّ بِالقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

1600 - राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ सफ़र पर थे कि जल्दबाज लोग आगे बढ़े और जल्दी से माले ग़नीमत में से लेकर खाना पका लिया और रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों से पीछे थे आप(ﷺ) हांडियों के पास से गुज़रे तो आप(ﷺ) के हुक्म से उन्हें उंडेल दिया गया, फिर आप ने लोगों के दर्मियान माले ग़नीमत तक़सीम किया तो एक ऊँट को दस बकरियों के बराबर रखा।

बुख़ारी: 2488. मुस्लिम: 1968. अबू दाऊद: 2821. इब्ने माजा: 3137. निसाई: 4297.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान सौरी ने अपने बाप से बवास्ता अबाया उनके दादा राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से रिवायत की है लेकिन इसमें उनके बाप रिफ़ाआ का ज़िक्र नहीं है। हमें यह हदीस महमूद बिन गैलान ने बवास्ता वकी, सुफ़ियान से बयान की है और यह ज़्यादा सहीह है। क्योंकि अबाया बिन रिफ़ाआ ने अपने दादा राफे बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से सिमाए हदीस किया है।

नीज़ इस मसले में सअ़लबा बिन हकम, अनस, अबू रैहाना, अबू दर्दा, अब्दुर्रहमान बिन समुरा, ज़ैद बिन ख़ालिद, जाबिर, अबू हुरैरा और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1601 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ:

1601 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.

लूट मार की वह हम में से नहीं है।"

सहीह: मुसनद अहमद: 3/197. इब्ने माजा: 1885. बैहक़ी: 7/200.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

41 - अहले किताब को सलाम कहना.

1602 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ.

1602 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "यहूदो नसारा से सलाम करने में पहल न करो और जब तुम उन में से किसी शख़्स को रास्ते में मिलो तो उसे तंग रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो।"

मुस्लिम:2167. अबू दाऊद: 5205.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अनस और नबी (ﷺ) के सहाबी अबू बसरा गिफ़ारी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और हदीस " यहूदो नसारा से सलाम करने में पहल न करो।" के बारे में बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं इसमें कराहत (नापसन्दीदगी) की वजह यह है कि उनकी ताजीम बन जाती है जबकि मुसलमानों को उन्हें ज़लील करने का हुक्म दिया गया है और इसी तरह जब कोई उन्हें रास्ते में मिले तो उसके लिए रास्ता न छोड़े क्योंकि उसमें भी उनकी ताजीम है।

1603 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ.

1603 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक यहूदियों में जब कोई शख़्स तुम्हें सलाम कहता है तो वह "السَّامُ عَلَيْكُمْ:" कहता है तो तुम कहो عَلَيْكَ। : (तुम्हारे ऊपर भी।"

बुख़ारी: 6257. मुस्लिम: 2164. अबू दाऊद:5206

तौज़ीह: السلام के बजाये السَّامُ عَلَيْكُمْ:" कहते हैं जिसका मतलब है तुम्हें मौत आए।

42 - मुश्रिकों के बीच रहना मकरूह है.

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

1604 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़बीला खस्अम की तरफ़ एक लश्कर रवाना किया तो लोग सज्दों के साथ बचने लगे उस लश्कर वालों ने उन्हें क़त्ल करने में जल्दी की, यह बात नबी(ﷺ) को पहुंची तो आप(ﷺ) ने उनके लिए निस्फ़ दियत का फ़ैसला किया और आप ने फ़रमाया, "मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ जो मुश्रिकीन के बीच रहे।" सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! किस लिए? आप ने फ़रमाया, "मुसलमान मुश्रिकों से इतनी दूर रहें कि एक दूसरे की आग न देखें।"

निस्फ़ दियत के हुक्म के अलावा बाकी हदीस सब सहीह है. अबू दाऊद: 2645. निसाई: 4784. बैहक़ी: 8/ 131

1604 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا.

1605 - अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने, वह कहते हैं:) हमें अब्दा ने बवास्ता इस्माईल बिन अबू ख़ालिद, कैस बिन अबी हाजिम से अबू मुआविया की रिवायत की तरह हदीस बयान की है और इसमें जरीर का ज़िक्र नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है।

इस से पहली वाली हदीस को देखें.

1605 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصَحُّ.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन अबू ख़ालिद के अक्सर शागिर्द इस्माईल से बवास्ता कैस बिन अबी हाजिम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक लश्कर रवाना किया और उसमें भी जरीर (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं किया।

नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी हज्जाज बिन अर्तात से बवास्ता इस्माईल बिन अबी ख़ालिद, कैस के ज़रिए जरीर (رضي الله عنه) से अबू मुआविया जैसी रिवायत बयान की है।

अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना: कैस की नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत ज़्यादा सहीह है। और समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुश्रिकों के साथ मत रहो और न उसके साथ मिलो, जो उनके साथ रहता है या घुल मिल के रहता है तो वह उन्हीं की तरह है।

43 - यहूदियों और ईसाइयों को जजीर-ए-अरब से निकाल देने का बयान.

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

1606 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशा अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को जजीर- ए- अरब से ज़रूर निकाल दूंगा।"

मुस्लिम: 1767. अबू दाऊद:3030.

1606 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَئِنْ عِشْتُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

1607 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "यक़ीनन मैं यहूदियों और ईसाइयों को जजीर- ए- अरब से ज़रूर निकाल दूंगा। मैं इसमें सिर्फ़ मुसलमानों को ही छोडूंगा।"

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं.

1607 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلاَ أَتْرُكُ فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

44 - रसूलुल्लाह(ﷺ) के तरका का बयान.

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

1608 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सय्यदा फातिमा (رضي الله عنها) सय्यदना अबू बक्र (رضي الله عنه) के पास आकर कहने लगीं: आप का वारिस कौन बनेगा? उन्होंने फ़रमाया मेरे घर वाले और मेरी औलाद। कहने लगीं: तो मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं बन सकती? तो सय्यदना अबू बक्र (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: हम (अंबिया) वारिस नहीं बनाए जाते" लेकिन मैं अबू बक्र उनकी ज़रूरियात पूरी करूंगा जिनकी रसूलुल्लाह(ﷺ) किफ़ालत करते थे और मैं उन पर ख़र्च भी करूंगा जिन पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़र्च किया करते थे।

सहीह: मुसनद अहमद: 1/31. शमाइल:400.

1608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي، وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَا لِي لاَ أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ نُورَثُ، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, तल्हा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद और आयशा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

नीज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। इसे सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा और अब्दुल वह्हाब बिन अता ने ही मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) तक मुसनद बयान किया है।

और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मैं हम्माद बिन सलमा के अलावा किसी दूसरे को नहीं जानता जिसने इसे मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया हो।

अब्दुल वह्हाब बिन अता ने भी मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से हम्माद बिन सलमा की रिवायत की तरह रिवायत की है। और यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से मर्वी है।

1609 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالاَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لاَ أُورَثُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُكُمَا أَبَدًا، فَمَاتَتْ وَلاَ تُكَلِّمُهُمَا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى: مَعْنَى لاَ أُكَلِّمُكُمَا، تَعْنِي: فِي هَذَا الْمِيرَاثِ أَبَدًا أَنْتُمَا صَادِقَانِ

1609 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सय्यदा फातिमा (رضي الله عنها) सय्यदना अबू बकर (رضي الله عنه) के पास आई और रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ से अपनी मीरास मांगी तो उन दोनों ने कहा: हमने अल्लाह के रसूल(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि मेरी विरासत नहीं होगी वह कहने लगीं: अल्लाह की क़सम! मैं आप दोनों से कभी इस मामले में बात नहीं करूंगी, फिर वह फौत हो गयीं और उन दोनों से दोबारा बात नहीं की। अली बिन ईसा कहते हैं: "मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी" से उन की मुराद यह थी कि इस विरासत के बारे में दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। आप दोनों सच कहते हैं।

सहीह: तख़रीज के लिए हदीसे साबिका मुलाहजा फ़रमाएं

1610 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ، وَالعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ

1610 - मालिक बिन औस बिन हद्सान बयान करते हैं कि मैं उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) के पास गया और उनके पास उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और साद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنهم) भी आए, फिर अली और अब्बास (رضي الله عنهما) भी एक झंडा लेकर आ गए तो उमर (رضي الله عنه) ने उनसे कहा: मैं आप सब को उस अल्लाह का वास्ता दे कर पूछता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान खड़े हैं क्या आप लोग जानते हो कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हम जो कुछ छोड़ें वह सदका होता है। उन्होंने कहा : जी हां" उमर (رضي الله عنه) ने कहा: जब रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात हुई तो अबू बकर (رضي الله عنه) ने कहा: मैं

عُمَرُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ:

रसूलुल्लाह(ﷺ) का ख़लीफ़ा हूँ तो (ऐ अब्बास) आप और यह (अली) अबू बक्र के पास आए, आप अपने भतीजे की और यह अपनी बीवी की उनके बाप की तरफ़ से विरासत चाहते थे तो अबू बक्र (رضي الله عنه) ने कहा था कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हमारा वारिस कोई नहीं बनता। हम जो छोड़ें वह सदका होता है" और अल्लाह जानता है कि वह अबू बक्र सच्चे, नेक, समझदार और हक़ की पैरवी करने वाले थे।

बुख़ारी:6728. मुस्लिम: 1757. अबू दाऊद: 2963. निसाई: 4141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक तवील किस्सा भी है। और मालिक बिन अनस के तरीक से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

45 بَابُ مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذِهِ لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ

45 - नबी(ﷺ) ने फतहे मक्का के दिन फ़रमाया था कि आज के बाद इस शहर में जिहाद नहीं किया जाएगा.

1611 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

1611 - सय्यदना हारिस बिन मालिक बिन बर्सा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन नबी(ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "आज के बाद क़यामत तक इस शहर में जिहाद नहीं किया जाएगा।"

सहीह: मुसनद अहमद: 3/412. बैहक़ी: 9/249. हुमैदी: 572.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने अब्बास, सुलैमान बिन सुर्द और मुतीअ

(ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और यह ज़करिया बिन अबी ज़ायदा की शाबी से बयान कर्दा हदीस है। हम इसे सिर्फ़ उनकी सनद से ही जानते हैं।

46 - वह घड़ी जिसमें किताल करना मुस्तहब है.

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا القِتَالُ

1612 - सय्यदना नौमान बिन मुक़र्रिन (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) के साथ मिलकर जिहाद किया, जब फ़ज्र तुलू हुई तो आप(ﷺ) रुक गए यहाँ तक कि सूरज निकल आया, जब सूरज तुलू हुआ तो आप(ﷺ) ने लड़ाई की, जब दिन आधा हो गया तो आप रुक गए। यहाँ तक कि सूरज ढल गया, जब सूरज ढला तो आप ने अस्र तक लड़ाई की फिर आप रुके। यहाँ तक कि आप(ﷺ) ने अस्र पढ़ी, फिर लड़ाई की। रावी कहते हैं: कहा जाता है कि उस वक़्त मदद की हवाएं चलती हैं और अहले ईमान अपनी नमाज़ों में अपने लश्करों के लिए दुआ करते हैं।

ज़ईफ़.

1612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى العَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ العَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ: تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस नौमान बिन मुक़र्रिन(ﷺ) से इस से मज़बूत सनद के साथ भी मर्वी है। क़तादा ने नौमान बिन मुक़र्रिन (ﷺ) को नहीं पाया, नौमान बिन मुक़र्रिन (ﷺ), सय्यदना उमर (ﷺ) की ख़िलाफ़त में फौत हुए थे।

1613 - सय्यदना माकिल बिन यसार (ﷺ) से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब (ﷺ) ने नौमान बिन मुक़र्रिन (ﷺ) को हुर्मुजान की तरफ़ भेजा फिर तवील हदीस बयान की, नौमान बिन मुक़र्रिन (ﷺ) ने फ़रमाया, मैं

1613 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ إِلَى الهُرْمُزَانِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ जिहाद में शरीक हुआ आप जब दिन के पहले हिस्से में लड़ाई न करते तो इन्तिज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, हवाएं चलतीं और मदद उतरने लगती।

बुख़ारी: 3160. अबू दाऊद: 2655. मुसनद अहमद:5/444.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह, बक्र बिन अब्दुल्लाह अल-मुज़नी के भाई हैं।

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ

47 - नुहूसत और फाल का बयान.

1614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

1614 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बदशुगूनी लेना शिर्क है और हम में से कोई नहीं है (जिसे बदशुगूनी का ख़याल न आए) लेकिन अल्लाह उसे तवक्कुल के साथ दूर कर देता है।"

सहीह: अबू दाऊद: 3910. इब्ने माजा:3538. मुसनद अहमद: 1/389.

तौज़ीह: الطِّيَرَةُ : नुहूसत, फाल और शुगून वग़ैरह। (अल-क़ामूसुल वहीद:पृ. 1027)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि सुलैमान बिन हर्ब इस हदीस में यही कहते थे और हममें से कोई ऐसा नहीं है लेकिन अल्लाह उसे तवक्कुल से दूर कर देता है। सुलैमान कहते हैं: मेरे मुताबिक यह अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) का कौल है। नीज़ इस मसले में साद, अबू हुरैरा, हाबिस अत्तैमी, आयशा और उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सलमा बिन कुहैल के तरीक़ से ही जानते हैं, इसी तरह शोबा ने भी सलमा से इस हदीस को रिवायत किया है।

1615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الفَأْلَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ.

1615 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बीमारी मुतअद्दी (छुत छात) है और न ही बदशुगूनी की कुछ हक़ीक़त है और मैं फाल को पसन्द करता हूँ। "लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल फाल क्या है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अच्छी बात।"

बुख़ारी: 5756. मुस्लिम: 2224. अबू दाऊद: 3916. इब्ने माजा: 3737.

तौज़ीह: لاَ عَدْوَى : बीमारी मुतअद्दी नहीं होती यानी एक आदमी की बीमारी किसी दूसरे में मुन्तकिल नहीं होती जैसा कि अरबों का फासिद अक़ीदा था कि एक ऊँट खारिश ज़दा हो तो बाकी ऊंटों को बीमारी लग जाती है। और طِيَرَةَ बदशुगूनी को कहा जाता है जैसा कि हमारे यहाँ अगर कोई अपने काम की गरज से निकले और सियाह रंग की बिल्ली रास्ता काट दे तो वापस आ जाते हैं कि यह काम नहीं हो सकता इसी को طِيَرَةَ कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1616 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ.

1616 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जब अपने काम की गरज से निकलते तो आपको : يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ सुनना अच्छा लगता था।

सहीह

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي القِتَالِ

48 - किताल के बारे में नबी(ﷺ) की वसीयत.

1617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ،

1617 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप सय्यदना बुरैदा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब आदमी को किसी

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلاَلٍ، أَيَّتُهَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ

लश्कर पर अमीर बना कर भेजते तो उसे अपनी ज़ात में तक़्वा पैदा करने और साथी मुसलमानों के साथ भलाई से पेश आने की वसिय्यत करते और फ़रमाते: "अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, जो अल्लाह के साथ कुफ़्र करे उससे लड़ो, ग़नीमत के माल में चोरी न करना, न अहद को तोड़ो, न मुस्ला करो और न ही किसी बच्चे को क़त्ल करो," (आप अमीर से कहते:) जब तुम अपने मुश्रिकीन दुश्मनों से मिलो तो उन्हें तीन बातों की दावत दो, उनमें से जिसे भी कुबूल कर ले कुबूल करो और अपना हाथ उन से रोक लो, उन्हें इस्लाम कुबूल करने और अपने इलाक़े से मुहाजिरीन के इलाक़े की तरफ़ चले जाने की दावत दो और उन्हें बताओ कि अगर वह यह काम कर लेंगे तो उन्हें वही मिलेगा जो हिजरत करने वालों को मिलता है और उन पर वही वाजिबात होंगे जो मुहाजिरीन पर हैं। अगर वह इस तरह फिरने का इनकार करें तो उन्हें बताना कि वह देहाती मुसलमानों की तरह ही होंगे उन पर भी वही अहकामात जारी होंगे जो देहातियों पर होते हैं। ग़नीमत और फै के माल से उनका हिस्सा उस सूरत में ही होगा जब वह जिहाद करेंगे अगर उसका भी इनकार कर दे तो उनके ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद मांगो और उनसे लड़ाई करो। और जब तुम किसी किले को घेर लो और वह चाहें कि तुम उनके लिए अल्लाह और उसके नबी का ज़िम्मा दो तो उनको

تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأَنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

अल्लाह और उसके नबी का अहद मत देना बल्कि उन्हें अपना और अपने साथियों का अहद देना बेशक तुम्हारा अपना और अपने साथियों का अहद तोड़ना अल्लाह और उसके रसूल के अहद तोड़ने से बेहतर है और जब तुम किसी किले वालों को घेर लो और वह यह चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह के फ़ैसले पर उतारे तो तुम उन्हें मत उतारना बल्कि अपने साथियों के हुक्म (फ़ैसले) पर उतारना, बेशक तुम नहीं जानते कि तुम उनमें अल्लाह के फ़ैसले को पहुंचे हो या नहीं।" या आपने इसके क़रीब क़रीब फ़रमाया था।

मुस्लिम: 1731. अबू दाऊद: 2612. इब्ने माजा: 2858.

वज़ाहत: इमाम अबू ईसा फ़रमाते हैं: इस मसले में नौमान बिन मुक़र्रिन (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और बुरैदा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

नीज़ फ़रमाते हैं: " हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अबू अहमद ने सुफ़ियान से बयान किया है कि अल्क़मा बिन मुर्शिद ने हमें इसी मफहूम की हदीस बयान की और इस में यह लफ़्ज़ ज़्यादा थे कि "अगर वह इनकार करें तो उन से जिज्या लेना अगर न दें तो उनके ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद मांगना। "

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वकी और दीगर रावियों ने भी सुफ़ियान से इसी तरह रिवायत की है। और मुहम्मद बिन बश्शार के अलावा बाकी रुवात ने (इसे) अब्दुर्रहमान बिन महदी से रिवायत किया है और इस में जिज्या के हुक्म का भी ज़िक्र है।

1618 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُغِيرُ إِلاَّ عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا

1618 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) नमाज़े फ़ज्र के वक़्त ही हमला करते थे अगर आप अज़ान सुन लेते तो रुक जाते वर्ना हमला कर देते और एक दिन आप ने गौर से सुना एक आदमी कह रहा था, : اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ तो आप ने फ़रमाया,

أَمْسَكَ، وَإِلاَّ أَغَارَ، وَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: عَلَى الفِطْرَةِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ.

यह फ़ितरत पर है। उस ने कहा " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ" तो आप ने फ़रमाया, " तु जहन्नम से निकल गया। "

मुस्लिम: 382. अबू दाऊद: 2634.

वज़ाहत: हसन फ़रमाते हैं: हमें अबू वलीद ने भी हम्माद बिन सलमा से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

ख़ुलासा

- दुश्मन को पहले इस्लाम की दावत दी जाए, फिर जिज्या का मुतालबा किया जाए, अगर दोनों बातें न मानें तो उन से जंग शुरू की जाए।
- हटधर्म दुश्मन के घरों को मिस्मार करना और मालों को जलाना जायज़ है।
- ग़नीमत का पांचवां हिस्सा बैतूल माल का और बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन के हैं।
- कोई और बर्तन न मिलने की सूरत में मुश्रिकों के बर्तनों को धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- काफ़िर का सलब, उसे क़त्ल करने वाले मुजाहिद को मिलेगा।
- इमाम चाहे तो कैदियों को फिद्या ले कर छोड़ सकता है।
- दुश्मनों के बच्चों और उनकी औरतों को क़त्ल करना मना है।
- किसी ख़ुशख़बरी को सुनकर सजद-ए-शुक्र अदा किया जा सकता है।
- अहद को तोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है।
- जब अर्से हयात तंग कर दिया जाए तो उस इलाक़े से हिज्रत करना बेहतर है।
- अहले किताब को सलाम में पहल करना मना है।
- मक्का में न किताल किया जा सकता है और न ही उस से हिजरत की जाएगी।
- नुहूसत, बद फ़ाली और बद शुगूनी लेना जाहिल लोगों का अकीदा है. इस्लाम ने उन तमाम चीजों की नफी कर दी है।

मज़मून नम्बर - 20.

أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जिहाद के फ़ज़ाइल.

तआरुफ़

26 अबवाब के साथ 51 अहादीस पर मुहीत इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि..

- जिहाद और मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत।
- जिहाद में ख़िदमत और पहरेदारी करने वालों का अज्रो - सवाब।
- रिबात और रमी की फ़ज़ीलत।
- समुंदरी जिहाद करने वालों की फ़ज़ीलत।

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الجِهَادِ

1619 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ. فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ القَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1 - जिहाद की फ़ज़ीलत.

1619 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! जिहाद के बराबर कौनसी चीज़ है? आप(ﷺ) ने फरमाया: "तुम उसको करने की ताक़त नहीं रखते "लोगों ने दो तीन मर्तबा पूछा, आप हर दफा फरमाते: "तुम उसको करने की ताक़त नहीं रखते।" तीसरी मर्तबा आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला उस रोज़ेदार कयाम करने वाले की तरह है जो नमाज़ और रोज़े में कोताही नहीं करता यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला वापस आ जाए।

बुख़ारी: 2785. मुस्लिम: 1878. निसाई: 3124.

वज़ाहत: इस मसले में शिफ़ा, अब्दुल्लाह बिन हुब्शी, अबू मूसा, अबू सईद, उम्मे मालिक बहज़िय्या और अनस (رضي الله عنه) से हदीस मर्वी है।

नीज़ यह हदीस हसन सही है और बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) कई सनदों के साथ नबी(ﷺ) से मर्वी है।

1620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

1620 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला फरमाते हैं: मेरे रास्ते में जिहाद करने वाले की ज़मानत मुझ पर है।" अगर मैं उसे क़ब्ज़ कर लूं तो उसे जन्नत का वारिस बनाऊंगा और अगर वापस ले आऊँ तो उसे अज्रो-ग़नीमत के साथ वापस लौटाऊँगा।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब सही है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

2 - जिहाद करते हुए मरने वाले की फ़ज़ीलत

1621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَسَمِعْتُ

1621 - सय्यदना फ़ज़ाला बिन उबैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर मरने वाले के आमाल पर मोहर लगा दी जाती है सिवाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के। बेशक उसका अमल क़यामत के दिन तक बढ़ाया जाता है और वह क़ब्र के फित्ने से भी महफ़ूज़ रहता है।" (फ़ज़ाला (رضي الله عنه) फरमाते हैं:) मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को यह फ़रमाते हुए भी सुना कि मुजाहिद वह है जो अपने नफ़्स से जिहाद करे।

सहीह: अबू दाऊद: 2500. अल-जिहाद लि इब्ने

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.

मुबारक: 174. मुसनद अहमद: 6/20. इब्ने हिब्बान: 4624.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है नीज़ फ़ज़ाला बिन उबैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सही है।

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

3 - जिहाद के दौरान रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत.

1622 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ زَحْزَحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَحَدُهُمَا يَقُولُ: سَبْعِينَ، وَالآخَرُ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ.

1622 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसे जहन्नम से सत्तर साल की मसाफ़त तक दूर कर देंगे।" इन दोनों (यानी उर्वा बिन ज़ुबैर और सुलैमान बिन यसार) में से एक रावी "सत्तर" और दूसरा "चालीस" बयान करता है।

(सत्तर के लफ़्ज़ के साथ सही है) इब्ने माजा:1718. निसाई:2244. मुसनद अहमद:2/300.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है और अबूल अस्वद का नाम अब्दुर्रहमान बिन नौफल असदी मदनी है।

नीज़ इस बारे में अबू सईद, अनस, उक़्बा बिन आमिर और अबू उमामा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

1623 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ

1623 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो बन्दा अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है तो यह दिन उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल (की मसाफ़त तक) दूर कर देता है।"

الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ ذَلِكَ اليَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सही है।

1624 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

1624 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा रखे तो अल्लाह तआला उसके और जहन्नम के दर्मियान आसमान व ज़मीन के दर्मियान के फ़ासले के बराबर खंदक बना देता है।"

हसन: सहीह: इब्ने अदी: 7/2543. तबरानी फ़िल कबीर: 7921.

वज़ाहत: सय्यदना अबू उमामा बाहिली (رضي الله عنه) की बयान कर्दा यह हदीस ग़रीब है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

4 - अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत.

1625 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

1625 - सय्यदना ख़ुरैम बिन फ़ातिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने कोई भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की उसके लिए सात सौ गुना तक लिखी जाती है।"

सहीह: निसाई: 3146. मुसनद अहमद:4/345. इब्ने हिब्बान: 4647.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन है। हम इसे रूकैन बिन रूबैअ की सनद से ही जानते हैं।

5 - अल्लाह के रास्ते में ख़िदमत करने की फ़ज़ीलत.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

1626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1626 - सय्यदना अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) से पूछा: कौनसा सदका सबसे बेहतर है? आप ने फ़र्माया: "अल्लाह के रास्ते में किसी गुलाम को ख़िदमत के लिए देना या खेमे का सामान मुहय्या करना या अल्लाह के रास्ते में जवान ऊंटनी देना।"

हसन.

वज़ाहत: طَرُوقَةُ فَحْل : नर ऊँट को कहते हैं और طَرُوقَةُ فَحْل उस जवान ऊंटनी को कहते हैं जो नर ऊँट का वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुआविया बिन सालेह से मुर्सल भी मर्वी है। और ज़ैद की सनद के साथ कुछ हिस्सों में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

नीज़ वलीद बिन जमील ने इस हदीस को क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान से बवास्ता उमामा (ﷺ) नबी(ﷺ) से रिवायत किया है।

1627 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1627 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेहतरीन सदका अल्लाह के रास्ते में खेमे का साया मुहय्या करना, अल्लाह के रास्ते में खादिम अतिय्या करना और अल्लाह के रास्ते में जवान ऊंटनी देना है।"

हसन: मुसनद अहमद:5/269.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और मेरे नज़दीक मुआविया बिन सालेह की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

6 - जो शख़्स किसी मुजाहिद को तैयार करता है.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

1628 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल-जुहनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान मुहैया किया तो गोया उसने ख़ुद जिहाद किया और जिसने मुजाहिद के घर ख़बरगीरी रखी तो उसने भी जिहाद किया।"

बुख़ारी: 2843. मुस्लिम: 1895. अबू दाऊद: 2509. इब्ने माजा:2759. निसाई: 3180.

1628 - حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ और सनद से भी मर्वी है।

1629 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल-जुहनी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान मुहैया किया या उसके घर का ख़याल रखा तो यक़ीनन उसने भी जिहाद किया।"

सहीह: पिछली हदीस की तरह: अबू दाऊद:2509.

1629 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है

1630 - अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यह्या बिन सईद ने वह कहते हैं: हमें अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान ने अता से बवास्ता ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की है।

सहीह: 1607. नम्बर हदीस की तख़रीज देखें.

1630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

1631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

1631 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल जुहनी (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी मुजाहिद को सामान मुहैया किया या उसके घर में ख़बरगीरी की तो यक़ीनन उसने भी जिहाद किया।"

सहीह: 1628. के तहत तख़रीज गुज़र चुकी है.

वज़ाहत: मुजाहिद को सामान मुहैया करने से मुराद है कि उसको हथियार वग़ैरह ख़रीद कर देना और मैदाने जिहाद तक पहुँचने के लिए जादे राह देना। इसी तरह घर में उसकी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात का ख़याल रखना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

7 - जिसके पाँव को अल्लाह के रास्ते में गर्दो गुबार लगे उसकी फ़ज़ीलत.

1632 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

1632 - यज़ीद बिन अबी मरियम (رحمه الله) बयान करते हैं: मैं जुमा के लिए मस्जिद की तरफ़ जा रहा था कि मुझे अबाया बिन रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ मिले तो उन्होंने फ़रमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा यह चलना अल्लाह के रास्ते में है। मैंने अबू अब्स (رضي الله) से सुना वह फ़रमाते थे कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसके दोनों क़दमों को अल्लाह के रास्ते में गर्द लगी तो वह दोनों जहन्नम की आग पर हराम हैं।"

बुख़ारी: 907. मुस्लिम: 3116

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू अब्स का नाम अब्दुर्रहमान बिन जुबैर है। नीज़ इस मसले में अबू बकर (رضي الله) और नबी(ﷺ) के एक और सहाबी से भी

हदीस मर्वी है। अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं यज़ीद बिन अबी मरियम शाम के रहने वाले थे। उन से वलीद बिन मुस्लिम, यह्या बिन हम्ज़ा और दीगर शाम वालों ने रिवायत की है। जबकि बुरैद बिन अबी मरियम ने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) किया है जबकि बुरैद बिन अबी मरियम से अबू इस्हाक़ हम्दानी, अता बिन साइब, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ और शोबा (رحمه الله) ने अहादीस रिवायत की हैं।

8 - अल्लाह के रास्ते में गर्द की फ़ज़ीलत.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ

1633 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के डर से रोने वाला शख़्स जहन्नम में उस वक़्त तक नहीं जा सकता जब तक दूध थन में वापस न चला जाए। नीज़ अल्लाह के रास्ते की गर्द और जहन्नम की धुँआ इकट्ठे नहीं हो सकते।"

सहीह: इब्ने माजा:2774. निसाई: 3107, 3115. मुसनद अहमद:2/505.

1633 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मदीना के रहने वाले और अबू तल्हा के आज़ादकर्दा थे।

9 - जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो जाए उसकी फ़ज़ीलत.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ

1634 - सालिम बिन अबू जअद (رحمه الله) कहते हैं शुरहबील बिन सिम्त ने (सय्यदना काब बिन मुर्रा से) कहा : ऐ काब बिन मुर्रा! हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) की अहादीस बयान करें और कमी व बेशी से बचना। उन्होंने कहा: मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जिस शख़्स

1634 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ، قَالَ: يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

पर इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए तो क़यामत के दिन वह उसके लिए रोशनी होगा।"

सहीह: अस-सिलसिला अस-सहीहा: 1244. निसाई: 3144. मुसनद अहमद:4/235.

वज़ाहत: इस बारे में फ़ज़ाला बिन उबैद और अब्दुल्लाह बिन अम्र (﵁) से भी हदीस मर्वी है और काब बिन मुर्रा (﵁) की हदीस हसन है। आमश ने अम्र बिन मुर्रा से ऐसे ही रिवायत किया है।

नीज़ यह हदीस मंसूर से भी बवास्ता सालिम बिन अबी जअद मर्वी है। और उन्होंने सनद में उनके और काब बिन मुर्रा के दर्मियान एक और आदमी भी दाख़िल किया है। उन्हें काब बिन मुर्रा भी और मुर्रा बिन काब बह्ज़ी भी कहा जाता है और नबी(ﷺ) के सहाबा में से मारूफ़ मुर्रा बिन काब बह्ज़ी है उन्होंने नबी(ﷺ) से कई अहादीस रिवायत की है।

1635 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الحِمْصِيُّ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

1635 - सय्यदना अम्र बिन अब्सा (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में बूढ़ा हो वह बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन रोशनी होगा।"

सहीह: निसाई: 3142. मुसनद अहमद: 4/386.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (﵀) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और जीवह बिन शुरैह इब्ने यज़ीद (﵀) हिम्स के रहने वाले थे।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ

10-जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में घोड़ा बांधे

1636 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

1636 - सय्यदना अबू हुरैरा (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "घोड़ों की पेशानियों में क़यामत के दिन तक के लिए

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُعِدُّهَا لَهُ، هِيَ لَهُ أَجْرٌ لاَ يَغِيبُ فِي بُطُونِهَا شَيْءٌ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا, وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

भलाई बाँध दी गई है। घोड़े तीन किस्म के हैं: यह एक आदमी के लिए अज्र का बाइस होता है और एक आदमी के लिए पर्दापोशी का सबब होता है और एक आदमी पर बोझ होता है। जिसके लिए यह घोड़ा अज्र है यह वह शख़्स है जो उसे अल्लाह के रास्ते में रखता है। और उसे जिहाद के लिए तैयार करता है यह उसके लिए अज्र है। उसके पेट में जो चीज़ भी छिपती है अल्लाह उस आदमी के लिए अज्र लिख देता है।नीज़ इस हदीस में एक किस्सा भी है।

बुख़ारी: 2371. मुस्लिम: 987. इब्ने माजा:2788. निसाई: 2562.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस ने भी ज़ैद बिन असलम से बवास्ता सालेह, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस बयान की है।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

11 - अल्लाह के रास्ते में तीर अंदाजी करने की फ़ज़ीलत.

1637 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاَثَةً الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالمُمِدَّ بِهِ, وَقَالَ: ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

1637 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला एक तीर की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाख़िल करेगा: एक उसे बनाने वाला जो उसे बनाने में खैर की उम्मीद रखता है। दूसरा उसे फ़ेंकने वाला और तीसरा उसे पकड़ने वाला" और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तीर अंदाजी करो, घुड़सवारी करो, तुम्हारा तीर अंदाजी करना मुझे तुम्हारी

تَرْكَبُوا، كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ.

घुड़सवारी से भी ज़्यादा पसंद है। हर वह खेल जो मुसलमान आदमी खेलता है वह बातिल है सिवाए कमान के साथ तीर फ़ेंकने, अपने घोड़े को सधाने और अपनी बीवी के साथ खेलने के, यह चीजें हक़ हैं।" (ज़ईफ़.)

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने उन्हें हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कसीर से उन्हें अबू सलाम ने अब्दुल्लाह बिन अज़रक से बवास्ता उक़्बा बिन आमिर जुहनी (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में काब बिन मुर्रा, अम्र बिन अब्सा और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1638 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ.

1638 - सय्यदना अबू नजीह सुलमी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने अल्लाह के रास्ते में तीर फेंका तो वह तीर उसके लिए एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है।

सहीह: अबू दाऊद: 3965. इब्ने माजा: 2812. निसाई:3143.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और अबू नजीह, अम्र बिन अब्सा सुलमी ही हैं जबकि अब्दुल्लाह बिन अज़रक अब्दुल्लाह बिन ज़ैद हैं।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ

12 - अल्लाह के रास्ते में पहरेदारी करने की फ़ज़ीलत.

1639 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَبُو شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ

1639 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "दो आँखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वह आँख जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोए और दूसरी वह

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

आँख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए रात बसर करे।"

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस मसले में उस्मान और अबू रैहाना (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ शोऐब बिन ज़ुरैक़ की सनद से ही जानते हैं।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

13 - शोहदा का सवाब.

1640 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلاَّ الدَّيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ الدَّيْنَ.

1640 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के रास्ते में शहीद होना हर गुनाह को मिटा देता है।" तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा: सिवाए क़र्ज़ के, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, सिवाए क़र्ज़ के।"

सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में काब बिन अज्रा, जाबिर, अबू हुरैरा और अबू क़तादा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू बक्र से इसी शैख़ के वास्ते से जानते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمہ اللہ) से इस हदीस के बारे में सवाल किया था तो वह उसे नहीं जानते थे और उन्होंने फ़रमाया, मेरे ख़याल में इससे मुराद हुमैद की अनस से बयान कर्दा नबी(ﷺ) की हदीस ली होगी कि आप ने फ़रमाया, ''जन्नत वालों में से किसी को दुनिया की तरफ़ लौटना अच्छा नहीं लगेगा सिवाए शहीद के।''

1641 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ،

1641 - सय्यदना काब बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक शोहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के क़ालिब में होती हैं जो जन्नत के फलों या

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الجَنَّةِ.

जन्नत के दरख़्तों के साथ लटकती हैं।"

सहीह: इब्ने माजा:1449. निसाई: 2073. मुसनद अहमद:3/455.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ.

1642 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, "मुझ पर वह तीन शख़्स पेश किए गए जो सब से पहले जन्नत में दाख़िल होंगे: पहला शहीद, दूसरा हराम से परहेज़ करने और शुब्हात से बचने वाला, और तीसरा वह गुलाम जो अच्छे तरीक़े से अल्लाह की इबादत करे और अपने मालिकों की ख़ैर ख़्वाही करे।"

ज़ईफ़: तयालिसी:2567. इब्ने खुज़ैमा:2249. मुसनद अहमद: 2/425.

तौज़ीह: وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ : हर हराम ख़्वाहिश से बचने वाला शर्मगाह को हराम जगह से बचाने वाला।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1643 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدُ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى.

1643 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "कोई बन्दा ऐसा नहीं है जो फौत हो और अल्लाह के यहाँ उसे भलाई (जन्नत) मिले लेकिन वह दुनिया की तरफ लौटना चाहे और उसके लिए दुनिया और तमाम चीजें भी हो मगर शहीद के, इसलिए कि वह शहादत की फ़ज़ीलत देखता तो वह दुनिया की तरफ लौटना चाहता है ताकि दूसरी मर्तबा अल्लाह के रास्ते में क़त्ल हो जाए।"

बुख़ारी: 2795 मुस्लिम: 1887 निसाई: 3160

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। इब्ने अबी उमर कहते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना ने फ़रमाया कि अम्र बिन दीनार ज़ोहरी से बड़े थे। (लेकिन रिवायत ज़ोहरी से करते हैं)

14 - अल्लाह के यहाँ शोहदा की फ़ज़ीलत.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ

1644 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "शोहदा चार क़िस्म के हैं; एक वह मज़बूत ईमान वाला मोमिन जो दुश्मन से मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की यहाँ तक कि शहीद हो गया। यह वह शख़्स है जिसकी तरफ क़यामत के दिन लोग इस तरह अपनी आँखें उठायेंगे" और उन्होंने अपना सर उठाया यहाँ तक उनकी टोपी गिर गई। रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि बयान करने वाले ने उमर (رضي الله عنه) की टोपी मुराद ली या रसूलुल्लाह(ﷺ) की। फ़रमाया, "दूसरा वह मज़बूत ईमान वाला मोमिन जो दुश्मन से मिले तो डर और ख़ौफ़ की वजह से ऐसे लगे गोया उसके जिस्म पर बबूल का काँटा मारा गया हो उसके पास नागहानी अंधा तीर आया उसने उसे शहीद कर दिया तो यह दूसरे दर्जे में होगा। तीसरा वह मोमिन है जिसने मिले जुले आमाल किए हो कुछ अच्छे और दूसरे कुछ बुरे वह दुश्मन को मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की यहाँ तक कि वह शहीद हो गया। यह तीसरे दर्जे में होगा और चौथा वह मोमिन जिसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया हो वह दुश्मन से मिला तो अल्लाह की तस्दीक़ की। यहाँ तक कि शहीद हो गया तो यह चौथे दर्जे में होगा।"

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 1/22. अबू याला:252.

1644 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ، لَقِيَ العَدُوَّ، فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

तौज़ीह: طَلَحٌ: बबूल (केकर) के बड़े दरख़्त को कहा जाता है जिस से ऊँट खाते हैं। इस से मुराद यह है कि यह आदमी पहले की तरह बहादुर नहीं है और जब मैदान में उतरा तो ख़ौफ़ की वजह से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।यह सिर्फ अता बिन दीनार के तरीक से ही मारूफ़ है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना फ़रमाते थे: सईद बिन अय्यूब ने इस हदीस को अता बिन दीनार से रिवायत करते वक़्त ख़ौलान के शुयूख का ज़िक्र किया है न कि अबू यज़ीद का। और अता बिन दीनार कहते हैं: इस में कोई क़बाहत (बुराई) नहीं है।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ

15 - समुंद्री जहाज़ का बयान.

1645 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً

1645 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सय्यदा उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (رضي الله عنها) के पास जाते थे तो वह आपको खाना खिलाती और उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (رضي الله عنها), सय्यदना उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) के निकाह में थीं। एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके पास गए तो उन्होंने आप को खाना खिलाया और आपको रोक कर आप(ﷺ) का सर देखने लगीं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) सो गए फिर आप बेदार हुए तो मुस्कुरा रहे थे। कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपको किस चीज़ ने हंसाया? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्तों में जिहाद करने वालों की सूरत में मुझ पर पेश किए गए जो इस समुन्द्र के दर्मियान जहाज़ों पर सवार हैं जैसे वह तख़्तों के ऊपर बैठे हुए बादशाह हों" मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजीये कि वह मुझे भी उनमें शामिल कर दे तो आप ने

فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، نَحْوَ مَا قَالَ فِي الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ، قَالَ: فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

उनके लिए दुआ की। फिर आप ने अपना सर रखा और सो गए। फिर बेदार हुए तो आप मुस्कुरा रहे थे। कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आपको किस चीज़ ने हंसाया? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों की सूरत में मुझ पर पेश किए गए।" वही बात की जो पहले की थी। कहती हैं: मैंने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप अल्लाह से दुआ कीजीये कि वह मुझे भी उन में शामिल कर दे, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम पहले लोगों में होंगी।" अनस (رضي الله عنه) कहते हैं कि उम्मे हराम (رضي الله عنها) मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के दौर में समंदर में सवार हुई जब समन्दर से निकलीं तो अपनी सवारी से गिर कर फौत हो गयीं।

बुख़ारी: 2789. मुस्लिम: 1912. अबू दाऊद: 2490. निसाई: 3171.

तौज़ीह: ثبج البحر : समन्दर का दर्मियानी और बड़ा हिस्सा। बादशाहों की तम्सील (मिसाल) से मुराद यह है कि जैसे बादशाह अपने तख़्त पर बावक़ार और पुरसुकून हालत में होता है। इसी तरह वह भी बावकार और पुरसुकून हालत में सफ़र कर रहे हैं उनके चेहरों पर कोई ख़ौफ़ और दहशत नहीं है।

सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान (رضي الله عنه) के दौरे ख़िलाफ़त में जब मुआविया (رضي الله عنه) शाम के गवर्नर थे तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त से बहरी बेड़ा तैयार किया और उसमें बैठ कर रूम पर हमला किया। इस लश्कर में उम्मे हराम भी थीं जो कि शहीद हुई और रसूलुल्लाह(ﷺ) की पेशीनगोई सच साबित हुई।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।नीज़ हराम बिन्ते मिल्हान (رضي الله عنها) सय्यदा उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) की बहन और अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की खाला थी।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا

16 - जो शख़्स दिखलावे और दुनिया के लिए लड़ाई (जिहाद) करता है.

1646 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

1646 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो बहादुरी के लिए लड़ता है या जो हमिय्यत के लिए और जो दिखलावे के लिए लड़ता है उन में से कौन अल्लाह के रास्ते में है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया,"जिसने इसलिए क़िताल किया ताकि अल्लाह का क़लिमा इस्लाम बुलन्द हो जाए वही अल्लाह के रास्ते में है।"

बुख़ारी: 123. मुस्लिम: 1904. अबू दाऊद: 2517. इब्ने माजा: 2783. निसाई: 3136.

तौज़ीह: حميت: ग़ैरत और इज़्ज़त वग़ैरह के दिफ़ा का जज़्बा। (अल-मोजमुल वसीत:प।237)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

1647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

1647 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "आमाल की कुबूलियत का दारोमदार नीयतों पर है और आदमी के लिए वही होता है जिसकी वह नीयत करे, पस जिस शख़्स की हिजरत की नीयत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ है और जिसकी हिजरत दुनिया को हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो उसकी हिजरत उसकी तरफ़ है जिसकी तरफ़ उसने हिजरत की नीयत की है।"

बुख़ारी: 1. मुस्लिम: 1907. अबू दाऊद: 2201. इब्ने माजा: 4227.निसाई: 75.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक बिन अनस, सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसे यह्या बिन सईद से रिवायत किया है। और हम भी इसे यह्या बिन सईद अंसारी के तरीक से ही जानते हैं। अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं: हमें यह हदीस हर बाब में बयान करनी चाहिए।

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

17 - जिहाद में सुबह और शाम चलने की फ़ज़ीलत.

1648 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

1648 - सय्यदना सहल बिन अदी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना दुनिया और जो कुछ इस में है तमाम चीजों से बेहतर है और जन्नत में एक कदम रखने की जगह दुनिया और उसकी चीजों से भी बेहतर है।"

बुख़ारी: 2794. मुस्लिम: 1881. इब्ने माजा:2756. निसाई: 3118.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू अय्यूब और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है।

1649 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالحَجَّاجُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

1649 - अबू हाजिम (رحمه الله) सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) और मिक्सम (رحمه الله) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना या शाम के वक़्त एक घड़ी चलना दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर है।

बुख़ारी: 2793. मुस्लिम: 1882. इब्ने माजा: 2755.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। अबू हाजिम जिन्होंने सहल बिन साद (رضي الله عنه) से रिवायत की है वह अबू हाजिम जाहिद हैं। जो मदीना के रहने वाले थे और उनका नाम

सलमा बिन दीनार है। और यह अबू हाजिम जिन्होंने अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत की है। यह अबू हाजिम अशजई हैं जो कूफा के रहने वाले थे और इनका नाम सलमान है यह अज़्ज़तुल अश्जइया के आज़ादकर्दा थे।

1650 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

1650 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) के सहाबा में से एक आदमी एक घाटी से गुजरा, उस में मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा था। तो वह उसे अपनी उम्दगी की वजह से बहुत पसंद आया। उसने कहा: काश मैं लोगों से अलग हो कर इस घाटी में ठहर जाऊं और मैं यह काम हरगिज़ न करूंगा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से इजाज़त ले लूं, उसने अल्लाह के रसूल(ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐसे मत करो। बेशक तुम में से किसी शख़्स का अल्लाह के रास्ते में एक बार खड़े होना उसकी घर में पढ़ी जाने वाली सत्तर साल की नमाज़ से अफ़ज़ल है। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख़्श दे और तुम्हें जन्नत में दाख़िल करदे? (तो इसके लिए) तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जिसने अल्लाह के रास्ते में ऊंटनी का दो वक़्त दूध निकालने के दर्मियानी वक़्त के बराबर लड़ाई की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।"

हसन: मुसनद अहमद: 2/446. हाकिम: 2/68. बैहक़ी:9/160.

तौज़ीह: شعب : दो पहाड़ों के दर्मियान खुली जगह, घाटी या खाई, इसकी जमा شعاب आती है। ज़मीन के नीचे पानी की गुज़रगाह को भी شعب कहा जाता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 571) लेकिन पहला मानी मुराद है। فَوَاقَ نَاقَةٍ: ऊंटनी का दो दफ़ा दूध निकालने का दर्मियानी वक़्त। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 850)

1651 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

1651 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक़्त चलना या पिछले पहर चलना दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर है और तुम में से किसी के कमान के बराबर या हाथ के बराबर जन्नत की जगह दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर है और अगर जन्नत वालों की औरतों में से कोई औरत ज़मीन की तरफ़ झाँक ले तो उन दोनों (ज़मीनों आसमान) के दर्मियान की जगह को रोशन करे और इन दोनों के दर्मियान खुशबू से भर दे और उसके सर का दुपट्टा दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर है।"

बुख़ारी: 2792. मुस्लिम: 1880. इब्ने माजा: 2757.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ

18 - कौन लोग बेहतर हैं?

1652 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ.

1652 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "क्या मैं तुम्हें बेहतरीन आदमी के बारे में न बताऊँ? वह आदमी जो अपने घोड़े की लगाम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए थामे हुए होता है। क्या मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में न बताऊँ जो उसके बाद दर्जा रखता है? वह आदमी जो अपनी थोड़ी सी बकरियों को लेकर लोगों से अलाहिदा(अलग) रहता है और उन में से अल्लाह का हक़ अदा करता है। क्या मैं तुम्हें बुरे आदमियों के बारे में न बताऊँ? वह आदमी जिस से अल्लाह के नाम पर माँगा जाए और वह ना दे।

सहीह: निसाई:2569. मुसनद अहमद: 1/237. दारमी:2400.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है। और यह हदीस और सनदों के साथ भी बवास्ता इब्ने अब्बास नबी(ﷺ) से मर्वी है।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

19 - अल्लाह से शहादत का सवाल करने वाला

1653 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

1653 - सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "जो शख़्स अपने दिल के साथ अल्लाह से शहादत का सच्चा सवाल करता है तो अल्लाह तआला उसे शोहदा के मर्तबे में पहुंचा देते हैं अगरचे उसे अपने बिस्तर पर ही मौत आए।"

मुस्लिम: 1909. अबू दाऊद: 1520. इब्ने माजा: 2797. निसाई: 3162.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) से मर्वी यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रहमान बिन शुरैह के तरीक से ही जानते हैं और अब्दुर्रहमान बिन शुरैह की कुनियत अबू शुरैह थी। यह इस्कंदरानी थे नीज़ इस बारे में मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

1654 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ.

1654 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "जिसने सच्चे दिल से अल्लाह तआला से उसके रास्ते में शहीद होने का सवाल किया तो अल्लाह तआला उसे शाहीद का अज्र अता फ़रमाएंगे।"

सहीह: अबू दाऊद: 2541. इब्ने माजा:2792. निसाई:3141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُمْ

20 - मुजाहिद निकाह करने वाले और मुकातब गुलाम की अल्लाह तआ़ला मदद करता है.

1655 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ.

1655 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुलूलाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह पर हक़ है: अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, मुकातिबत करने वाला गुलाम जो रक़म अदा करना चाहता हो और वह निकाह करने वाला जो पाक दामन रहना चाहता हो। "

हसन: इब्ने माजा:2518. निसाई: 3120. मुसनद अहमद:2/251.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ

21 - अल्लाह के रास्ते में ज़ख़्मी होने वाला.

1656 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.

1656 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; "अल्लाह के रास्ते में कोई शख़्स ज़ख्मी नहीं होता और अल्लाह ही खूब जानता है कि उसके रास्ते में कौन ज़ख्मी होता है मगर क़यामत के दिन वह आयेगा तो रंग तो खून का ही होगा जबकि खुशबू कस्तूरी की तरह होगी।

बुख़ारी:237. मुस्लिम: 1876. इब्ने माजा: 2795. निसाई: 3146.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई सनदों से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) मर्वी है।

1657 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ.

1657 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "जो मुसलमान आदमी अल्लाह के रास्ते में ऊंटनी के दो दफ़ा दुहने के दर्मियानी वक़्त के बराबर लड़ाई करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और जिसे अल्लाह के रास्ते में कोई ज़ख्म या कोई चोट लगी तो उस ज़ख्म या चोट से क़यामत के दिन तेज़ी से खून बह रहा होगा उसका रंग ज़ाफ़रान जैसा और उसकी खुशबू कस्तूरी जैसी होगी।"

सहीह: अबू दाऊद: 2541. इब्ने माजा:2792. निसाई: 3141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

22 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ

22 - कौन सा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है?

1658 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: الجِهَادُ سَنَامُ العَمَلِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

1658 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? और कौनसा अमल बेहतर है? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना।" कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! फिर कौन सी चीज़ बेहतर है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिहाद आमाल की चोटी है" कहा गया: फिर कौनसा अमल? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हज्जे मबरूर।"

बुख़ारी: 26. मुस्लिम:83.

तौज़ीह: سَنَام : कोहान, हर चीज़ का बालाई हिस्सा, बलंदी। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 537)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। और कई सनदों से बवास्ता अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) नबी(ﷺ) से मर्वी है।

23 - जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साए तले हैं.

23 بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ

1659 - अबू बक्र बिन अबू मूसा अशअरी (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैंने दुश्मन की मौजूदगी में अपने वालिदे मोहतरम से सुना वह फ़रमा रहे थे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साए के नीचे हैं। " तो लोगों में से एक मैली कुचैली हालत वाले आदमी ने कहा: क्या आप ने ख़ुद रसूलुल्लाह(ﷺ) को इसका तजकिरा करते हुए सुना है? उन्होंने कहा: "जी हाँ" तो वह आदमी अपने साथियों के पास जाकर कहने लगा: मैं तुम्हें आख़िरी सलाम कहता हूँ और उसने अपनी तलवार की मियान तोड़ी फिर उस तलवार से काफ़िरों को मारा यहाँ तक कि शहीद हो गया।

1659 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، بِحَضْرَةِ العَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ رَثُّ الهَيْئَةِ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

सहीह: मुस्लिम: 1902. मुसनद अहमद:4/396.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। हम इसे जाफ़र बिन सुलैमान अज़्ज़बई के तरीक से ही जानते हैं। और अबू इमरान अल जौफ़ी का नाम अब्दुल मलिक बिन हबीब है जबकि अबू बक्र बिन अबी मूसा के बारे में अहमद बिन हंबल कहते हैं, उनका नाम यही था।

24 - कौनसा आदमी अफ़ज़ल है?

24 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

1660 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा आदमी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह आदमी जो

1660 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है।" लोगों ने कहा: फिर कौन? आप ने फर्माया: "फिर वह मोमिन जो घाटियों में किसी घाटी में रहता हो अपने रब से डरता हो और लोगों को अपने शर से बचाता हो।"

बुख़ारी: 2886. मुस्लिम: 1888. अबू दाऊद: 2485. इब्ने माजा: 3978. निसाई: 3105.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

25 بَابٌ فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ

25 - शहीद का सवाब.

1661 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُولُ: حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ.

1661 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अहले जन्नत में से कोई शख़्स ऐसा नहीं है जो दुनिया की तरफ़ वापस आना चाहता हो सिवाए शहीद के। बेशक वह चाहेगा कि दुनिया की तरफ़ वह वापस आजाए। इस बिना पर कि जब वह देखेगा कि उसको कितनी करामत दी गई है तो वह कहेगा: यहाँ तक कि मैं दस मर्तबा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं।"

बुख़ारी: 2795. मुस्लिम: 1877. निसाई: 3160.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1662 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

1662 - अबू ईसा कहते हैं हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने उन्हें शोबा ने क़तादा से बवास्ता सय्यदना अनस बिन मालिक नबी(ﷺ) से इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है। (सहीह.)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ.

1663 - सय्यदना मिक्दाम बिन मादीकरिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शहीद के लिए अल्लाह के यहाँ छ: इनाम होते हैं, पहली दफ़ा खून गिरते ही उसके गुनाह बख़्श दिए जाते हैं और उसका जन्नती ठिकाना उसे दिखा दिया जाता है उसे अज़ाबे क़ब्र से बचाया जाता है वह क़यामत की बड़ी घबराहट से अमन में रहेगा, उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा जिसका एक मोती दुनिया और उसकी चीजों से बेहतर होगा, बड़ी आँखों वाली 72 हूरों से उसकी शादी की जाएगी और उसके रिश्तेदारों में से सत्तर लोगों के बारे में उसकी सिफ़ारिश कुबूल की जाएगी। "

सहीह: इब्ने माजा: 2799.मुसनद अहमद: 4/ 131.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُرَابِطِ

26-जिहाद के लिए तैयारी रखने वाले की फ़ज़ीलत

1664 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لَغَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

1664 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के रास्ते में एक दिन की पहरेदारी दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है और पिछले पहर की वह घड़ी जिसमें बन्दा अल्लाह के रास्ते में चलता है या सुबह की घड़ी दुनिया और जो कुछ इसके ऊपर है उन तमाम चीजों से बेहतर है और कोड़े के बराबर जन्नत में तुम्हारी जगह दुनिया और जो कुछ इस के ऊपर है उन तमाम चीजों से बेहतर है। "

बुख़ारी: 2892. मुस्लिम: 1881. इब्ने माजा: 2756. निसाई: 3118.

Sherkhan
9825 696 131

तौज़ीह: رباط यह मसदर है رابط ،مرابط ،و رباطا सरहद पर पड़ाव डालना या सरहद पर मुकीम होना مرابط उस मुजाहिद को कहा जाता है जो दुश्मन के सरहद के करीब पड़ाव डालता है। (तफ़सील के लिए देखिये अल-मोजमुल वसीत:पृ. 382)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1665 - मुहम्मद बिन मुन्कदिर (رحمه الله) बयान करते हैं कि सय्यदना सलमान फारसी (رضي الله عنه) शुरहबील बिन सिम्त के पास से गुज़रे और वह अपने सरहदी मोर्चे पर थे, उन पर और उनके साथियों पर बड़ी मशक्क़त थी तो उन्होंने फ़रमाया, ऐ इब्ने सिम्त मैं आपको वह हदीस न सुनाऊँ जो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी है? उन्होंने कहा: क्यों नहीं कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरहद पर पहरा देना महीने के रोज़ों और कयाम से अफ़ज़ल या बेहतर है और जो इस हालत में फौत हुआ उसे क़ब्र के फित्ने से बचाया जाएगा और उसके आमाल क़यामत तक जारी रहेंगे।"

1665 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ لَهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ، وَرُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ، مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

सहीह: मुस्लिम: 1913. निसाई: 3167.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है।

1666 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स अल्लाह से जिहाद के निशान के बगैर मिला तो वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसमें सूराख होगा।"

1666 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ.

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3763. हाकिम: 2/79.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वलीद बिन मुस्लिम इस्माईल बिन राफ़ेअ के वास्ते से बयान कर्दा यह हदीस ग़रीब है। और इस्माईल बिन राफ़ेअ को बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को यह कहते हुए सुना कि वह सिक़ह् और मुक़ारिबुल हदीस रावी है।

और यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से मर्वी है। नीज़ सलमान (رضي الله عنه) की हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है क्योंकि मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने सलमान फारसी (رضي الله عنه) को नहीं पाया।

जबकि यह हदीस अय्यूब बिन मूसा से मक्हूल के ज़रिए बवास्ता शुरहबील बिन सिम्त भी सय्यदना सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी(ﷺ) से मर्वी है।

1667 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ، زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّي، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

1667 - अबू सालेह मौला उस्मान बयान करते हैं कि मैंने उस्मान (رضي الله عنه) को मिम्बर पर बयान करते हुए सुना वह कह रहे थे: मैंने तुम से एक हदीस छिपाई थी जो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी इस बात के डर से कि यह बात तुम्हें मुझ से जुदा कर देगी, फिर मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं तुम्हें वह बता दूं ताकि हर आदमी अपने लिए वह इख़्तियार कर सके जो उसे अच्छा लगे मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरहद पर पहरेदारी करना और जगहों पर एक हज़ार दिन पहरे देने से बेहतर है।"

हसन: निसाई: 3169. मुसनद अहमद: 1/62. इब्ने हिब्बान: 4609.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: उस्मान (رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा अबू सालेह का नाम बुर्कान है।

1668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا:

1668 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शहीद क़त्ल होने की इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.

है जैसे तुम में से कोई शख़्स चींटी काटने से तकलीफ़ महसूस करता है।"

हसन: सहीह: इब्ने माजा: 2802. निसाई: 3161. मुसनद अहमद:2/297.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

1669 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ الْفِلَسْطِينِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

1669 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला को दो क़त्रों और दो निशानियों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं है: एक उन आंसुओं का क़त्रा जो अल्लाह के ख़ौफ़ से गिरे, और दूसरा खून का वह क़त्रा जो अल्लाह के रास्ते में बहाया जाए और रहे दो निशान तो : एक अल्लाह के रास्ते में (लगने वाला) निशान और (दूसरा) अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी फ़रीज़ा (को अदा करने) में लगने वाला निशान।"

हसन.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

ख़ुलासा

- जिहाद के बराबर और कोई अमल नहीं है।
- अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया हुआ माल सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।
- जिहाद में ख़िदमत करना सब से अफ़ज़ल सदक़ा है।
- मुजाहिद को अस्लहा (सामाने- जंग) मुहैया करने वाला भी मुजाहिद है।

- जिन पैरों पर अल्लाह के रास्ते की गर्द लग जाए उन पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है।
- तीर अंदाजी करना हक़ का काम है।
- जिहाद में पहरा देने वाली आँख जहन्नम में नहीं जा सकती।
- शहादत तमाम गुनाहों का कफ्फ़ारा है।
- रियाकारी के लिए किया जाने वाला जिहाद क़ाबिले कुबूल नहीं. जिहाद वही होता है जो इस्लाम की सर बलंदी के लिए हो।
- मुजाहिदीन कायनात के बेहतरीन लोग हैं।
- शहादत मांगने वाले को अल्लाह तआला शहीद का दर्जा अता फ़रमा देते हैं।
- जन्नत तलवारों के साए में है।
- इस्लामी सरहद पर पहरा देना बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है।

Sherkhan
9825 696 131

मज़मून नम्बर 21.

أَبْوَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी जिहाद के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

40 अबवाब और 50 अहादीसे रसूल पर मुश्तमिल यह बयान इन बातों पर मुश्तमिल है कि..

- जिहाद किन लोगों पर फ़र्ज़ है?
- जिहाद के लिए क्या कुछ ज़रूरी है?
- जिहादी घोड़े कैसे होने चाहियें?
- शोहदा के बारे में क्या अहकाम हैं?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لأَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُودِ

1670 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتُونِي بِالْكَتِفِ، أَوِ اللَّوْحِ، فَكَتَبَ: {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، وَعَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ فَنَزَلَتْ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

1 - माज़ूर अफ़राद को जिहाद करने की रुख़्सत है.

1670 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मेरे पास ऊँट के कंधे की हड्डी या तख्ती ले कर आओ फिर आप ने आयत लिखी: "मोमिनों में से बैठने वाले जिहाद करने वालों के बराबर नहीं हो सकते। " और अम्र बिन उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) आप(ﷺ) के पीछे बैठे हुए थे तो वह कहने लगे: क्या मुझे रूख़सत है? क्योंकि वह नाबीना थे तो यह अल्फ़ाज़ नाज़िल हुए: "सिवाए माज़ूरों के।" (अन्निसा: 95)

बुख़ारी: 2831. मुस्लिम: 1898. निसाई: 3101.

तौज़ीह: الكتف: कंधे के पीछे चौड़ी हड्डी जो कि इंसान और हैवान दोनों में होती है। ज़रबुल मसल है। ।
إنه ليعلم أين توكل الكتف : वह खूब जानता है कि कंधे की हड्डियां कहाँ से खाई जाती है। यह ऐसे चालाक आदमी के बारे में कहा जाता है जो उमूर को अच्छी तरह निपटाना जानता हो। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 937).

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर और ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन सहीह है और सुलैमान अत्तैमी के वास्ते अबू इस्हाक़ से बयान की गई यह हदीस ग़रीब है। नीज़ शोबा और सौरी ने भी अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत किया है।

2 - जो शख़्स अपने मां बाप को छोड़ कर जिहाद पर निकल जाए.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

1671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: أَلَكَ وَالِدَانِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

1671 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आकर जिहाद की इजाज़त मांगने लगा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं?” उसने कहा : जी हाँ” तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, “तुम उन दोनों की ख़िदमत में ही जिहाद करो। ”

बुख़ारी: 3004.मुस्लिम: 2549. अबू दाऊद: 2529. इब्ने माजा: 2782. निसाई: 3103

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने अब्बास (रज़ि०) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबुल अब्बास नाबीना शायर थे। मक्का के रहने वाले थे। उनका नाम साइब बिन फर्रूख था।

3 - एक आदमी को अकेले लश्कर पर अमीर बना कर भेजना.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ وَحْدَهُ سَرِيَّةً

1672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ

1672 - सय्यदना इब्ने जुरैज (رحمه الله) अल्लाह तआला के फ़रमान: “अल्लाह की इताअत

مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيُّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

करो, रसूल की इताअत करो और हाकिमों की।" (अन्निसा: 59) के बारे में फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा कैस बिन अदी सहमी को रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक लश्कर का अमीर बना के रवाना किया।[1] इब्ने जुरैज कहते हैं: मुझे यह बात याला बिन मुस्लिम ने बवास्ता सईद बिन जुबैर इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान की है।

बुख़ारी: 4584. मुस्लिम: 1834. अबू दाऊद: 2624. निसाई: 4194.

वज़ाहत: (1) ज़ाहिरन यह बात बाब के साथ मुनासिबत नहीं रखती लेकिन इसकी तहक़ीक़ यह है कि आप(ﷺ) ने लश्कर को रवाना किया था फिर उनके पीछे अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अमीर बनाकर भेज दिया था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे इब्ने जुरैज के तरीक से ही जानते हैं।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

4-आदमी के अकेले सफ़र करने की कराहत.

1673 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ يَعْنِي: وَحْدَهُ.

1673 - सय्यदना इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर लोग वह बात जान लें जो मैं तन्हाई के मुताल्लिक़ जानता हूँ तो कोई ऊँट सवार रात रात अकेला न चले।"

बुख़ारी: 2998. इब्ने माजा: 3768.

1674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ

1674 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से, वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र(रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत करते हैं कि

الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक ऊँट सवार एक शैतान है।[1] दो ऊँट सवार दो शैतान हैं और तीन आदमी क़ाफ़िला हैं।"

हसन: अबू दाऊद: 2607. मुसनद अहमद: 2/186. इब्ने खुजैमा:2570.

तौज़ीह: (1) अकेले सफ़र करना मना है और मना कर्दा काम को करना शैतान का काम है। इसलिए शैतान कहा गया है।

उलमा ने इसकी और तौज़ीहात की हैं। (अल्लाह बेहतर जानता है)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। हम इसे आसिम के तरीक से ही जानते हैं और यह मुहम्मद बिन ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी) फ़रमाते हैं: यह सिक़ह् और सदूक़ रावी हैं। जबकि आसिम बिन उमर उमरी हदीस में ज़ईफ़ है। मैं उससे कुछ भी रिवायत नहीं करता। नीज़ अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

5 - जंग में झूट बोलने और धोका देने की इजाज़त है.

1675 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

1675 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जंग धोके का नाम है।"

बुख़ारी: 3030. मुस्लिम: 1739. अबू दाऊद: 2636.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, ज़ैद बिन साबित, आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन, काब बिन मालिक और अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمْ غَزَا؟

6 - नबी(ﷺ) के ग़ज़वात और आप ने कितने ग़ज़वात किए?

1676 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: أَيَّتُهُنَّ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُشَيْرِ، أَوِ الْعُشَيْرَةِ.

1676 - अबू इस्हाक़ (رحمه الله) कहते हैं: मैं सय्यदना ज़ैद बिन अर्क़म (رضي الله عنه) के साथ बैठा हुआ था कि उनसे कहा गया: नबी(ﷺ) ने कितने गज़वात किए थे? उन्होंने फ़रमाया: 19 (उन्नीस) मैंने कहा: आप ने उनके साथ मिलकर कितने गज़वात किए? उन्होंने कहा सत्तरह (17) मैंने कहा: पहला कौन सा गज्वा था? उन्होंने फ़रमाया, ذَاتُ الْعُشَيْرِ या ذَاتُ الْعُشَيْرَةِ ।

बुख़ारी: 4404. मुस्लिम: 1245.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

7 - लड़ाई के वक़्त सफबंदी और लश्कर की तर्तीब.

1677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَبَّأَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلاً.

1677 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बद्र में रात के वक़्त ही हमारी तर्तीब लगा दी थी।

ज़ईफ़

वज़ाहत: इस बारे में अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह उसे नहीं जानते थे और उन्होंने कहा: मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इक्रिमा से सुना है और मैंने जब उन्हें देखा था उस वक़्त मुहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी के बारे में अच्छी राय रखते थे फिर बाद में उन्हें ज़ईफ़ करार दिया गया।

8 - लड़ाई के वक़्त दुआ करना.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ القِتَالِ

1678 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ.

1678 - सय्यदना इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को लश्करों पर बद्दुआ करते सुना, आप ने कहा: "ऐ अल्लाह! किताब उतारने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, लश्करों को शिकस्त दे दे और उनमें भूचाल बरपा कर दे।"

बुख़ारी: 2933. मुस्लिम: 1742. अबू दाऊद: 2631. इब्ने माजा: 2796.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

9 - लश्कर के छोटे झंडों का बयान.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَلْوِيَةِ

1679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.

1679 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए तो आपका झंडा[1] सफ़ेद था।

हसन: अबू दाऊद: 2592. इब्ने माजा: 2817. निसाई: 2866.

तौज़ीह: اللواء :راية : से छोटा झंडा इसकी जमा الوية और الويات आती है। (देखिये:अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1025)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे शरीक से बवास्ता यह्या बिन आदम ही जानते हैं। और वह कहते हैं: हमें कई रावियों ने बवास्ता शरीक अम्मार से उन्होंने जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए तो आपके सर पर सियाह रंग की पगड़ी थी। मुहम्मद (बुख़ारी) फ़रमाते हैं: सहीह हदीस यह है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अद्दोहन बुजैला कबीले की एक शाख है और अम्मार अद्दोहनी अम्मार बिन मुआविया दोहोनी हैं। जिनकी कुनियत अबू मुआविया है। यह कूफा के रहने वाले हैं और मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह् रावी हैं।

10 - बड़े झंडों का बयान.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ

1680 - मुहम्मद बिन क़ासिम के आज़ादकर्दा यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि मुझे मुहम्मद बिन क़ासिम ने सय्यदना बराअ बिन आज़िब के पास भेजा कि मैं उनसे रसूलुल्लाह(ﷺ) के झंडे के बारे में पूछूं तो उन्होंने फ़रमाया, वह लकीर दार चादर है सियाह रंग का चार कोनों वाला बना हुआ था।

مربعة लफ़्ज़ के अलावा सहीह है. अबू दाऊद: 2591. मुसनद अहमद: 4/297. बैहक़ी: 6/363.

1680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ إِلَى البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, हारिस बिन हस्सान और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू ज़ायदा के तरीक से ही जानते हैं। अहमद अबू याकूब सक़फ़ी का नाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम है उनसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने भी रिवायत की है।

1681 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का बड़ा झंडा सियाह और आपका छोटा झंडा सफ़ेद था।

हसन: इब्ने माजा:2818. बैहक़ी: 6/362.

1681 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّالَحَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ لَاحِقَ بْنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है।

11 - शिआर[1] का बयान.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ

1682 - मुहल्लब बिन अबी सुफ्रा एक ऐसे शख़्स से रिवायत करते हैं जिसने नबी(ﷺ) से सुना था कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर दुश्मन रात को तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तो कहना: "حم لا يُنْصَرُونَ:

सहीह: अबू दाऊद: 2597. मुसनद अहमद: 4/65.

1682 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ بَيَّتَكُمُ العَدُوُّ، فَقُولُوا: حم لَا يُنْصَرُونَ:

तौज़ीह: شِعَار : अलामत, निशानी, कोड वर्ड जंग के दौरान कमांडर अपनी फ़ौज को कोई लफ़्ज़ बता देता है। जो दुश्मन से खुफिया होता है ताकि अगर रात के अँधेरे में कोई मशकूक शख़्स नज़र आए तो उससे उसका शिआर पूछा जा सके और वाज़ेह हो जाए कि यह अपनी फ़ौज का आदमी है या दुश्मन का जासूस। इन ख़ुफ़िया अल्फ़ाज़ के जंग में सुरक्षा के हवाले से बहुत फ़ायदे हैं।

वज़ाहत: इस बारे में सलमा बिन अक्वा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और बाज़ (कुछ) ने अबू इस्हाक़ से भी सौरी की रिवायत की तरह रिवायत की है और उनसे बवास्ता मुहल्लब बिन अबी सुफ्रा, नबी(ﷺ) से मुर्सल भी मर्वी है।

12 - रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार कैसी थी?

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1683 - इब्ने सीरीन (رحمه الله) कहते हैं कि मैंने अपनी तलवार सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) की तलवार जैसी बनाई और समुरा (رضي الله عنه) का गुमान था कि उनकी तलवार रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार के मुताबिक थी और आप की तलवार बनू हनिफ़या की बनी हुई थी।

ज़ईफ़: अश-शमाइल: 108.

1683 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ حَنَفِيًّا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी तरीक से जानते हैं और यहया बिन सईद अल्क़त्तान ने उस्मान बिन साद कातिब पर जरह की है और हाफ़िज़े की वजह से उसे ज़ईफ़ कहा है।

13 - लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़्तार करना.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِطْرِ عِنْدَ القِتَالِ

1684 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल नबी(ﷺ) जब ज़हरान जगह पहुंचे तो हमें दुश्मन के मुकाबले की ख़बर दी और हमें रोज़ा इफ़्तार करने का हुक्म दिया तो हम सब ने रोज़ा इफ़्तार कर दिया।

मुस्लिम: 1120. अबू दाऊद: 2406. मुसनद अहमद: 3/29.

1684 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ العَدُوِّ فَأَمَرَنَا بِالفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُونَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सय्यदना उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

14 - घबराहट के वक़्त बाहर निकलना.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ عِنْدَ الفَزَعِ

1685 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ), अबू तल्हा (رضي الله عنه) के एक घोड़े पर सवार हुए जिसे मंदूब कहा जाता था, तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "घबराहट की कोई चीज़ नहीं है।(1) और हमने इसे समन्दर पाया है।"

बुख़ारी: 2627. मुस्लिम: 2303.अबू दाऊद: 4988. इब्ने माजा: 2772.

1685 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

तौज़ीह: (1) यानी इस बात की घबराहट थी कि शायद कोई दुश्मन हमला करना चाहता है लेकिन आप(ﷺ) घोड़े पर सवार होकर हालचाल मालूम करने निकले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और समन्दर से मुराद है कि यह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ने वाला है।

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने अम्र बिन आस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

1686 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا، يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

1686 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मदीना में घबराहट थी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अबू तल्हा (رضي الله عنه) से हमारा एक घोड़ा लिया जिसे मंदूब कहा जाता था, आप ने फ़रमाया, "हम ने कोई घबराहट वाली चीज़ नहीं देखी और हम ने इस घोड़े को समन्दर पाया है।"

बुख़ारी: 2627. मुस्लिम:2307. अबू दाऊद: 4988. इब्ने माजा:2772.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1687 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْرَأِ النَّاسِ، وَأَجْوَدِ النَّاسِ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ. قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي: الفَرَسَ.

1687 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। कहते हैं: एक रात अहले मदीना घबरा गए और उन्होंने एक आवाज़ सुनी, कहते हैं: नबी(ﷺ) उन को आगे से अबू तल्हा के नंगी पीठ वाले घोड़े पर आते हुए मिले। आप अपनी तलवार गले में लटकाए हुए थे। आप(ﷺ) ने फ़रमाया; "मत घबराओ, मत डरो। नीज़ नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मैंने इसे समन्दर पाया है।" यानी घोड़े को।

सहीहः बुख़ारी:2627. मुस्लिमः 2307. अबू दाऊदः 4988. इब्ने माजा: 2772.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

15 - लड़ाई के वक़्त साबित क़दम रहना.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ

1688 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने हमसे कहा: ऐ अबू उमारा! क्या तुम रसूलुल्लाह(ﷺ) को छोड़ कर भाग गए थे? उन्होंने कहा : नहीं अल्लाह की क़सम, रसूलुल्लाह(ﷺ) नहीं भागे बल्कि जल्द बाज लोग भाग गए, हवाज़िन के लोग उन्हें तीर के साथ मिले, रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी खच्चर पर थे और अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब उस खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे और रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमा रहे थे "मैं नबी हूँ यह बात झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा (पोता) हूँ।"

बुख़ारी: 2864. मुस्लिम: 1776.

1688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَجُلٌ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ , أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

1689 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने हुनैन के दिन लोगों को देखा दो गिरोह पीठ फेर कर जा रहे थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सौ आदमी भी नहीं थे।

सहीह.

1689 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَيْنِ، وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةُ رَجُلٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस उबैदुल्लाह के तरीक से हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا

16 - तलवार में जेवरात का इस्तेमाल करना.

1690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.

1690 - सय्यदना मज़ीदा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का में दाख़िल हुए तो आप की तलवार पर सोना और चांदी थी। तालिब कहते हैं: मैंने रावी से चांदी के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: तलवार के दस्ते के किनारे पर चांदी लगी हुई थी।[1]

ज़ईफ़.

तौज़ीह: قَبِيعَةُ السَّيْفِ : तलवार के दस्ते के किनारे पर चढ़ा हुआ लोहा या चांदी। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 857)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अनस (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है और हूद के दादा का नाम मज़ीदा अल असरी है।

1691 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ.

1691 - सय्यदना सईद बिन अबू हसन (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार के दस्ते पर चांदी लगी हुई थी।

सहीह: अबू दाऊद:3583. निसाई: 5374.दारमी:2461.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और हम्माम अज क़तादा अज अनस इसे रिवायत की गई है। जबकि बाज़ (कुछ) ने अज क़तादा अज सईद बिन अबी हसन रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की तलवार के दस्ते पर चांदी की गिरह थी।

17 - ज़िरह का बयान.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ

1692 - . सय्यदना ज़ुबैर बिन अव्वाम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन नबी(ﷺ) के ऊपर दो जिरहें थी, आप(ﷺ) एक चट्टान पर चढ़ने लगे तो न चढ़ सके। फिर आप ने तल्हा (رضي الله عنه) को नीचे बिठाया, नबी(ﷺ) उन के ऊपर खड़े हो कर चट्टान पर चढ़े। कहते हैं: मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "तल्हा ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली।"

हसन: इब्ने साद: 3/218. मुसनद अहमद: 1/165.

1692 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ.

तौज़ीह: دِرْعٌ : ज़िरह, लोहे की कड़ियों को आपस में मिला कर बनाई गई क़मीस जो जंग में अपनी हिफाज़त के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि तलवार वग़ैरह का ज़ख्म न लग सके।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में सफवान बिन उमय्या और साइब बिन यज़ीद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ के तरीक से ही जानते हैं।

18 - खूद (लोहे की टोपी) का बयान.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ

1693 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल नबी(ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए और आप(ﷺ) के सरे मुबारक पर खूद था। आप से कहा गया कि इब्ने खतल काबा के परदे से

1693 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ

خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.

चिमटा हुआ है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, उसे क़त्ल कर दो। "

बुख़ारी: 1846. मुस्लिम: 1357. अबू दाऊद: 2685. इब्ने माजा: 2805. निसाई: 2867.

तौज़ीह: اَلْمِغْفَر : खुद लोहे की टोपी जो जंग में बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हम मालिक के अलावा किसी बड़े रावी को नहीं जानते जिसने इसे ज़ोहरी से रिवायत किया हो।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخَيْلِ

19 - जंगी घोड़ों की फ़ज़ीलत.

1694 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ.

1694 - सय्यदना उर्वा अल- बारिक़ी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़यामत के दिन तक के लिए घोड़ों की पेशानियों में खैरो भलाई बाँध दी गई है। अज्र भी और ग़नीमत भी। "

बुख़ारी: 1846. मुस्लिम: 1375. अबू दाऊद: 2685. इब्ने माजा: 2805. निसाई: 2867.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने उमर, अबू सईद, जरीर, अबू हुरैरा, अस्मा बिन्ते यज़ीद, मुग़ीरह बिन शोबा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

नीज़ उर्वा, इब्ने अबू जअद अल-बारिक़ी (رضي الله عنه) हैं। उन्हें उर्वा बिन जअद भी कहा जता है। इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) फ़रमाते हैं:इस हदीस का मफ़हूम यह है कि जिहाद क़यामत के दिन तक हर इमाम के साथ मिलकर जारी रहेगा।

20 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الخَيْلِ

20 - किन घोड़ों को पसंद किया गया है.

1695 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

1695 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "घोड़ों की बरकत सुर्ख रंग में है।"

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمْنُ الخَيْلِ فِي الشُّقْرِ.

हसन सहीह: अबू दाऊद: 2545. मुसनद अहमद: 1/272. बैहक़ी: 6/330.

तौज़ीह: الشُّقْرِ : से मुराद सुर्ख रंग है। अश्कर वह घोड़ा होता है जिसकी दुम और अयाल (गर्दन) के बाल सुर्ख हो और अगर गर्दन और दुम के बाल सियाह हो तो वह कुमैत कहलाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से बतरीक शैबान ही जानते हैं।

1696 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الأَرْثَمُ، ثُمَّ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ، طَلْقُ اليَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ.

1696 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेहतरीन घोड़ा वह है जो काले रंग का हो और उसकी पेशानी और ऊपर वाला होंट सफ़ेद हो, फिर वह घोड़ा जिसकी पेशानी और पाँव सफ़ेद हो नीज़ एक पाँव का रंग दूसरे पाँव से मुख्तलिफ़ हो। अगर सियाह न हो तो इसी सिफ़त पर कुमैत बेहतर है।"

सहीह: इब्ने माजा: 2789. मुसनद अहमद: 5/300. दारमी: 2443.

1697 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

1697 - अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें वहब बिन जरीर ने वह कहते हैं: हमें मेरे बाप ने बवास्ता यह्या बिन अय्यूब, यज़ीद बिन अबी साबित से इसी सनद के साथ इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है।

सहीह

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

21 - नापसंदीदा घोड़ों का बयान.

21 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخَيْلِ

1698 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने घोड़ों में शिकाल[1] को नापसंद किया है।

मुस्लिम: 1875. अबू दाऊद: 2547. इब्ने माजा: 2790. निसाई: 3566.

1698 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ.

तौज़ीह: (1) शिकाल से मुराद यह है कि उसके दायें पाँव और बाएं हाथ में सफेदी हो या दायें हाथ और बाएं पाँव में सफेदी हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है इसे शोबा ने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद खशअमी के बवास्ता अबू ज़रआ, अबू हुरैरा से और उन्होंने नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है और अबू ज़रआ, अम्र बिन जरीर के बेटे हैं। उनका नाम हरम है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी ने (वह कहते हैं) हमें जरीर ने उमारा बिन क़अक़ा से वह कहते हैं कि मुझे इब्राहीम नखई ने कहा कि तुम जब मुझे हदीस बयान करो तो अबू ज़रआ से बयान करो। क्योंकि उन्होंने मुझे एक दफ़ा हदीस सुनाई थी। फिर कई सालों के बाद मैंने उन से पूछा तो उस से एक हर्फ़ भी कम नहीं किया।

22 - इनाम मुक़र्रर कर के घोड़ों का मुक़ाबला करवाना.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ وَالسَّبَقِ

1699 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तज़्मीर[1] किए गए घोड़ों को हफिया से सनिय्यतुल वदाअ तक दौड़ाया। उनके दर्मियान छः मील का फासिला है। और जिन घोड़ों की तज़्मीर नहीं हुई थी उन्हें सनिय्यतुल वदाअ से बनू ज़ुरैक़ की मस्जिद तक

1699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءِ

إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى، فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا.

दौड़ाया उनके दर्मियान एक मील का फासिला है और मैं भी घोड़ा दौड़ाने वालों में था मेरा घोड़ा मुझे लेकर एक दीवार कूद गया था।

बुख़ारी: 420. मुस्लिम: 1870. अबू दाऊद: 2575. इब्ने माजा: 2877. निसाई: 3587.

तौज़ीह: تضمير : घोड़े को दौड़ की तैयारी के लिए एक अर्सा तक खड़ा करके खिलाते रहना और मैदान में हल्का फुल्का दौड़ाना अरबों के यहाँ यह चालीस दिन की मुद्दत होती थी। (अलमोजमुल वसीत:पृ. 639)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा, जाबिर, अनस और आयशा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और सौरी की सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

1700- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ.

1700- अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम (صلى الله عليه وسلم) ने फ़र्माया, ''मुक़ाबला सिर्फ़ तीर, ऊँट और घोड़ों में जाइज़ है।''

सहीह: अबू दाऊद: 2574. इब्ने माजा:2878. निसाई: 3585, 3587.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ

23 - घोड़ों पर गधों को छोड़ना मकरूह है.

1701 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا، مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.

1701 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) अल्लाह के हुक्म के पाबन्द थे। आप ने हमें बाकी लोगों में सिवाए तीन चीजों के किसी चीज़ में खालिस नहीं किया: आप ने हमें अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करने का हुक्म दिया, नीज़ यह कि हम सदक़ा न खाएं और घोड़ी पर गधा न छोड़ें।[1]

सहीह: अबू दाऊद: 808. इब्ने माजा: 426. निसाई: 141.

तौज़ीह: (1) घोड़ी और गधे करास (मिलन) से खच्चर पैदा होता है। आप(ﷺ) ने आले रसूल और अहले बैत को इस काम से मना किया है।

वज़ाहत: इस बारे में सय्यदना अली (رضی اللہ) से भी मर्वी है और यही हदीस हसन सहीह है।

सुफ़ियान सौरी ने अबू जह्ज़म से इसे रिवायत करते वक़्त उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास का ज़िक्र किया है। अबू ईसा कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना कि सौरी की हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है और सहीह हदीस वह है जिसे इस्माईल बिन उलय्या और अब्दुल वारिस बिन सईद ने अबू जह्ज़म से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अब्बास, सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ) से रिवायत किया है।

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ

24 - मुफ़्लिस मुसलमानों के साथ फ़तह तलब करना.

1702 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ.

1702 - सय्यदना अबू दर्दा (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना मुझे कमज़ोर लोगों में तलाश करो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से ही रिज़्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है।

सहीह: अबू दाऊद: 2594. निसाई: 3179.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَجْرَاسِ عَلَى الخَيْلِ

25 - घोड़ों की गर्दनों में घंटियाँ बाँधना मना है.

1703 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ

1703 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "फ़रिश्ते उस काफिले के साथ नहीं चलते

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ.

जिसमें कुत्ता और घंटी हो।"

मुस्लिम: 2113. अबू दाऊद: 2555.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उम्र, आयशा, उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

26 بَابُ مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

26 - जंग में किसे अमीर बनाया जाए?

1704 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ الجَوَّابِ أَبُو الجَوَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الآخَرِ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ القِتَالُ فَعَلِيٌّ، قَالَ: فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ الكِتَابَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَغَضَبِ رَسُولِهِ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ، فَسَكَتَ.

1704 - सय्यदना बराअ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने दो लश्कर रवाना किए उन में से एक का अमीर अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) और दूसरे का ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) को बनाया और आप ने फ़रमाया: "जब लड़ाई हो तो अली (رضي الله عنه) अमीर होंगे।" रावी कहते हैं: अली (رضي الله عنه) ने किला फतह किया तो वहाँ से एक लौंडी ले ली। सय्यदना ख़ालिद बिन वलीद ने मुझे एक देकर नबी(ﷺ) की ख़िदमत में भेजा जिस में अली (رضي الله عنه) की शिकायत थी, मैं नबी(ﷺ) के पास आया, आप ने ख़त पढ़ा तो आप का रंग बदल गया, फिर फ़रमाया तुम्हारा उस आदमी के बारे में क्या ख़याल है? जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उस से मोहब्बत करते हैं?" रावी कहते हैं: मैंने कहा: मैं अल्लाह के गुस्से और उसके रसूल की नाराज़गी से पनाह माँगता हूँ मैं तो सिर्फ़ कासिद हूँ तो आप(ﷺ) ख़ामोश हो गए।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। हम अहवस बिन जव्वाब के तरीक से जानते हैं। يشي به से मुराद चुगली करना है।

27 - हाकिम (इमाम) का बयान.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ

1705 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "ख़बरदार! तुम में से हर एक निगरान है और तुममें से हर एक से उसकी रईय्यत (निगरानी) के बारे में पूछा जाएगा। पस हाकिम लोगों पर निगहबान है और उससे निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा, आदमी अपने घर वालों का निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा, औरत अपने शौहर के घर की निगरान है और उससे उसकी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा और गुलाम अपने मालिकों के माल में निगरान है उसे उसकी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखो तुममें से हर एक निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा।

1705 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

बुख़ारी: 893. मुस्लिम: 1829. अबू दाऊद: 2928.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और अबू मूसा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और मूसा और अनस (ﷺ) की अहादीस ग़ैर महफ़ूज़ हैं जबकि इमरान बिन उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

फ़रमाते हैं: इब्राहीम बिन बश्शार अर्रमादी ने इस हदीस को सुफ़ियान बिन उयय्ना से उन्होंने बुरैद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा से बवास्ता अबू बुर्दा, सय्यदना अबू मूसा (ﷺ) के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। मुझे यह हदीस मुहम्मद ने इब्राहीम बिन बश्शार अर्रमादी की तरफ़ से बयान की है।

मुहम्मद (अल-बुख़ारी) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने सुफ़ियान से बवास्ता बुरैद बिन अबू बुर्दा के ज़रिए नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने मुआज़ बिन हिशाम से उनके बाप के ज़रिए बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह

तआला हर निगरान से उसकी रिआया के बारे में पूछेगा" वह मजीद फ़रमाते हैं: यह सनद भी ग़ैर महफ़ूज़ है और सहीह सनद मुआज़ बिन हिशाम अन अबीह अन क़तादा अन अल-हसन अन नबी(ﷺ) मुर्सलन है।

28 - इमाम की इताअत का बयान.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ

1706 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ العَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدِ التَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ.

1706 - सय्यदा उम्मे हुसैन अह्मसिय्या बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को हज्जतुल विदा में खुत्बा देते हुए सुना आप पर एक चादर थी जिसे आप ने अपनी बगल के नीचे से अपने ऊपर लपेटा हुआ था, फ़रमाती हैं: मैं आप के बाज़ू की गोश्त की तरफ़ देख रही हूँ जो फड़क रहा था आप(ﷺ) ने फ़रमाया : "ऐ लोगो अल्लाह से डरो और तुम पर आज़ा कटा हुआ हब्शी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए तो उसकी बात को भी सुनो और इताअत करो जब तक वह तुम्हारे लिए किताबुल्लाह को कायम करे (यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करे।)

मुस्लिमः 1298.इब्ने माजा: 2861.निसाई: 4192.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा और इर्बाज़ बिन सारिया (ﷺ) से भी मर्वी है। यह हदीस हसन सहीह है और उम्मे हुसैन (ﷺ) से कई तुरूक़ (सनदों) से मर्वी है।

29 - ख़ालिक़ की नाफ़रमानी करके मख़लूक़ की फर्मांबर्दारी नहीं हो सकती.

29 بَابُ مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

1707 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

1707 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, अमीर की बात सुनना और मानना आदमी पर

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ.

वाजिब है ख़्वाह वह उसे अच्छा समझे या बुरा, जब तक उसे अल्लाह की नाफ़रमानी करने का हुक्म नहीं दिया जाता। अगर उसे नाफ़रमानी वाला काम करने का हुक्म दिया जाए तो उस अमीर की बात सुनना और मानना उस पर नहीं है।

बुख़ारी:2955. मुस्लिम: 1839. अबू दाऊद: 2626. इब्ने माजा: 2864.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, इमरान बिन हुसैन और हकम बिन अम्र अल- गिफ़ारी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

30 - जानवरों को लड़ाना और उनके चेहरे पर मारना और दाग देना मना है.

1708 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

1708 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जानवरों की लड़ाई कराने से मना फ़रमाया है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2526.

1709 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

1709 - सय्यदना मुजाहिद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने जानवरों के दर्मियान लड़ाई कराने से मना फ़रमाया है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2526. अबू याला: 2509.

वज़ाहत: इस में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है और कहा गया है कि यह कतबा की रिवायत से ज़्यादा सहीह है और शरीक ने भी इस हदीस को आमश से बवास्ता मुजाहिद इब्ने अब्बास से और उन्होंने नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है और इस में अबू यह्या का ज़िक्र नहीं किया।

अबू ईसा कहते हैं: हमें यह हदीस अबू कुरैब ने बवास्ता यह्या बिन आदम, शरीक से रिवायत की है और अबू मुआविया ने भी आमश से बवास्ता मुजाहिद, नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है।

अबू यह्या अल-क़तात कूफ़ा के रहने वाले थे उनका नाम ज़ाज़ान था। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में तल्हा, जाबिर, अबू सईद और एकराश बिन ज़ुऐब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

31.इसी से मुताल्लिक़ बयान

31- بَابٌ

1710 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने चेहरे को दागने और मारने से मना किया है।

सहीह: मुस्लिम: 2116. मुसनद अहमद: 3/318. इब्ने खुज़ैमा: 2551.

1710 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ وَالضَّرْبِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

31 - आदमी के बालिग़ होने की उम्र और उसका वजीफा कब मुक़र्रर किया जाए?

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ، وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ

1711 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं 14 साल का था कि मुझे एक लश्कर के लिए रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आप ने मुझे क़ुबूल नहीं किया, फिर अगले साल जब 15 साल का था मुझे एक लश्कर के लिए आप(ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आप ने मुझे क़ुबूल कर लिया।

बुख़ारी: 2664. मुस्लिम: 1868. अबू दाऊद: 2957. इब्ने माजा: 2543. निसाई:3431.

1711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَزِيرِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي

नाफ़े कहते हैं : मैंने यह हदीस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) को सुनाई तो उन्होंने फ़रमाया, बच्चे और बड़े के दर्मियान यही हद है फिर उन्होंने अपने आमिलों को लिखा कि जिसकी उम्र 15 साल हो

जाए उसका वजीफा मुक़र्रर कर दिया जाए।

वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने उबैदुल्लाह से इसी मफ़हूम को बयान किया है लेकिन उन्होंने यह कहा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़रमाया, यह बच्चों को लड़ाई करने वालों के दर्मियान हद है और उन्होंने खुतूत लिख कर वजीफा मुक़र्रर करने का भी ज़िक्र नहीं किया।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन यूसुफ़ की बयान कर्दा हदीस बतरीक सुफ़ियान सौरी हसन सहीह ग़रीब है।

32 - जो शहीद हो जाए और उस पर कर्ज़ हो

32 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

1712 - सय्यदना अबू क़तादा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सहाबा में खड़े हुए आप ने उनसे ज़िक्र किया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना और अल्लाह पर ईमान लाना अफज़ल आमाल हैं। एक आदमी खड़ा हो कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप बताइए कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं तो किया मेरे गुनाह मिटा दिए जायेंगे? अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ अगर तुम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हुए, सवाब का यक़ीन रखते हुए आगे बढ़ते हुए न कि पीठ फेर कर लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो" फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: "तुमने क्या कहा था?" उसने कहा: आप बतलाइए कि मैं अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद ही जाऊं तो क्या मेरे गुनाह मिटा दिए जायेंगे? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "हाँ, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हुए, सवाब का यक़ीन रखते हुए, आगे बढ़ते हुए न कि पीछे मुड़ते हुए शहीद हो जाओ

1712 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ: أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَيُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلاَّ الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ.

तो तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जायेंगे। सिवाए कर्ज़ के जिब्रील ने मुझे यह बात बताई है।"

सहीह: मुस्लिम: 1885. मुसनद अहमद: 5/297.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:इस मसले में अनस, मुहम्मद बिन जहश और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है और हदीस हसन सहीह है। जबकि बाज़ (कुछ) ने यह हदीस सईद अल-मक़्बुरी से बवास्ता अबू हुरैरा (ﷺ) नबी(ﷺ) से रिवायत की है।

यह्या बिन सईद अंसारी और दीगर मुहद्दिसीन ने ऐसे ही सईद अल-मक़्बुरी से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा उनके बाप के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत की है और यह सईद अल-मक़्बुरी की अबू हुरैरा (ﷺ) से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है।

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

33 - शोहदा की तदफ़ीन का बयान

1713 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَمَاتَ أَبِي، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ.

1713 - सय्यदना हिशाम बिन आमिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) से सहाबा के ज़ख्मों की शिकायत की गई तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "गढ्डे खोदो, उन्हें वसीअ (बड़ा) करो, अच्छा बनाओ और तीन आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न करो और उनमें से ज्यादा कुरआन वाले को आगे रखो" रावी कहते हैं: मेरे वालिद भी शहीद हुए थे। उन्हें दो आदमियों के आगे रखा गया।

सहीह: अबू दाऊद: 3215. इब्ने माजा: 1560. निसाई: 2011.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में खब्बाब, जाबिर और अनस (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। जबकि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अय्यूब से बवास्ता हुमैद बिन हिलाल, हिशाम बिन आमिर से रिवायत किया है और अबू दहमा का नाम किर्फा बिन बुहैस या बह्यस है।

34 - मुशावरत का बयान.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ

1714 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि बद्र के दिन जब कैदियों को लाया गया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम लोग इन कैदियों के बारे में क्या कहते हो?" फिर इस हदीस में एक लंबा किस्सा बयान किया।

ज़ईफ़: इब्ने अबी शैबा: 12/417. मुसनद अहमद: 1/383. अबू याला: 5178.

1714 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاَءِ الأُسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الحَدِيثِ طَوِيلَةً.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर, अबू अय्यूब, अनस और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है यह हदीस हसन है जबकि अबू उबैदा ने अपने बाप से सिमाए हदीस नहीं किया।

अबू हुरैरा (ﷺ) से मर्वी है वह फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से बढ़ कर अपने साथियों से मशवरा लेने वाला किसी को नहीं देखा।

35 - काफ़िर की लाश का फिद्या न लिया जाए.

35 بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُفَادَى جِيفَةُ الأَسِيرِ

1715 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मुश्रिकीन ने इरादा किया कि मुश्रिकों में से एक आदमी की लाश ख़रीद लें तो नबी(ﷺ) ने उसे उनके हाथ बेचने से इनकार कर दिया।

ज़ईफ़ुल इस्नाद: मुसनद अहमद: 1/248. बैहक़ी: 9/133. इब्ने अबी शैबा: 12/419.

1715 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हकम के तरीक से ही जानते हैं। इसे हज्जाज बिन अर्तात ने भी हकम से इसी तरह रिवायत किया है।

अहमद बिन हसन फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि इब्ने अबी लैला की हदीस से दलील नहीं ली जा सकती।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लैला सदूक़ रावी है लेकिन उसकी सहीह और ज़ईफ़ रिवायत की पहचान नहीं है जबकि मैं उस से कोई रिवायत नहीं करता।

इब्ने अबी लैला सदूक़ और फकीह रावी है। इसे सिर्फ़ इस्नाद में वहम होता था।

अबू ईसा कहते हैं: हमें नस्र बिन अली वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया है कि सुफ़ियान सौरी फ़रमाते हैं: हमारे फ़ुक़हा इब्ने अबी लैला और अब्दुल्लाह बिन शिब्रमा हैं।

36 - मैदाने जंग से भागना

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

1716 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक लश्कर में रवाना किया तो लोग लड़ाई से भागे, हम मदीना में आकर छिप गए और हमने कहा: हम हलाक हो गए। फिर हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! हम, भाग कर आने वाले हैं, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो और मैं भी तुम्हारा गिरोह हूँ। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2647. हुमैदी:687. मुसनद अहमद: 2/ 23.

1716 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاخْتَبَأْنَا بِهَا وَقُلْنَا: هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ الفَرَّارُونَ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे यज़ीद बिन अबी ज़ियाद की सनद से ही जानते हैं। فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً:का मतलब है कि वह लड़ाई से भागे और بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُون : अक्कार वह शख़्स है जो अपने इमाम और गिरोह की तरफ़ भागे ताकि वह उसकी मदद करे वह जंग से भागना नहीं चाहता।

37-शहीद को मैदाने जिहाद में ही दफ़न किया जाए

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ

1717 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि जब उहुद का दिन था तो मेरी फूफी मेरे बाप (के जसद (डेथ बाडी))

1717 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْحًا

الْعَنَزِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهِمْ.

को लेकर आयीं ताकि उन्हें हमारे कब्रिस्तान में दफ़न करे तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) के मुनादी ने ऐलान किया कि उन शोहदा को उनकी जगहों की तरफ़ वापस ले जाओ।

सहीह: अबू दाऊद: 3165. इब्ने माजा: 1516. निसाई: 2004.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नुबैह सिक़ह् रावी हैं।

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

38 - आने वाले का इस्तिकबाल.

1718 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلاَمٌ.

1718 - सय्यदना साइब बिन यज़ीद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तबूक से वापस आए तो लोग आपको मिलने सनिय्यतुल विदाअ की तरफ़ निकले, साइब कहते हैं, मैं लड़कपन में था मैं भी लोगों के साथ इस्तिकबाल के लिए निकला।

बुख़ारी: 3083. अबू दाऊद: 2779.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَيْءِ

39 - माले फ़ै का बयान.

1719 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ

1719 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि बनू नजीर के अमवाल (माल)वह थे जो अल्लाह ने अपने रसूल(ﷺ) को बतौरे फ़ै अता किए थे जिन पर मुसलमानों ने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए थे और वह खालिस रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिए थे और रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने घर का सारा ख़र्च अलाहिदा (अलग) करते फिर जो बच जाता

رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

वह घोड़ों, अस्लहा की ख़रीदारी और अल्लाह के रास्ते में तैयारी के लिए सर्फ़ कर देते।

बुख़ारी: 2904. मुस्लिम: 1757. अबू दाऊद:2965. निसाई: 4140.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और सुफ़ियान बिन उयय्ना ने इस हदीस को बवास्ता मामर, ज़ोहरी से बयान किया है।

ख़ुलासा

- माज़ूर अफ़राद जिहाद से मुस्तस्ना (अलग) हैं।
- जिहाद के लिए वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है।
- नबी(ﷺ) ने 19 गज़वात किए थे।
- झंडों को इस्तेमाल करना और शिआर मुक़र्रर करना जायज़ है।
- लड़ाई के वक़्त रोज़ा इफ़्तार कर देना बेहतर है ताकि जिस्म को तकवियत(मज़बूती) मिल जाए।
- दुश्मन का मुक़ाबला डट कर किया जाए।
- सुर्ख़ और सियाह रंग के घोड़े पसंद किए गए हैं।
- घोड़ों का मुकाबला कराना जायज़ है।
- जानवर के गलों में घंटियाँ न बांधी जाएँ क्योंकि उनकी वजह से रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होता।
- अमीर की इताअत ज़रूरी है।
- हर बन्दा ज़िम्मेदार है और अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में उससे पूछा भी जाएगा।
- जानवरों को लड़ाना हराम है।
- शोहदा को मक़्तल (शहादत की जगह) में ही दफ़न करना मुस्तहब है।
- मशवरा में खैरो-भलाई है।
- काफ़िर अगर जहन्नम वासिल हो जाए तो उसकी लाश को बेचा न जाए।
- गाजियों का इस्तिकबाल किया जाए।

मज़मून नम्बर 22.

كِتَابُ اللِّبَاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी लिबास के अहकामो-मसाइल

तआरुफ़

45 अबवाब और 68 अहादीस पर मुश्तमिल यह मज़मून इन मसाइल पर मुहीत हैं:

- लिबास में क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम?
- नबी करीम(ﷺ) को कैसा लिबास पसंद था?
- तस्वीर कशी का क्या हुक्म है?
- मसनूई बाल लगाना कैसा है?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

1720 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ.

1 - रेशम और सोने का इस्तेमाल.

1720 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "रेशम और सोना पहनना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और उनकी औरतों के लिए हलाल किया गया है।"

सहीह: निसाई: 5148. तयालिसी: 506. मुसनद अहमद: 4/394.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर, अली, उक़्बा बिन आमिर, अनस, उम्मे हानी, हुज़ैफा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, इमरान बिन हुसैन, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, जाबिर, अबू रैहाना, इब्ने उमर, बराअ और वासिला बिन अस्क़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अबू मूसा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَرِيرِ، إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاَثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

1721 - सय्यदना सुवैद बिन ग़फ़ला (رحمه الله) बयान करते हैं कि उमर (رضي الله عنه) ने जाबिया में खुत्बा देते हुए फ़रमाया, "रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रेशम का कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया सिवाए दो, तीन या चार उँगलियों की जगह के बराबर।

बुख़ारी: 5828. मुस्लिम: 2069. अबू दाऊद: 4042. इब्ने माजा: 2820. निसाई: 5313.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है।

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ فِي الحَرْبِ

2 - जंग में रेशम पहनने की इजाज़त है.

1722 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، شَكَيَا القَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الحَرِيرِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا.

1722 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और ज़ुबैर बिन अव्वाम (رضي الله عنه) ने एक जंग में नबी(ﷺ) को अपनी जूओं की शिकायत की तो आप(ﷺ) ने उन्हें रेशमी क़मीसों की इजाज़त दे दी। रावी कहते हैं: मैंने उन पर वह क़मीस देखी थी।

बुख़ारी: 2920. मुस्लिम: 2076. अबू दाऊद: 4056. इब्ने माजा: 3592. निसाई:5310.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है।

1723 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟

1723 - सय्यदना वाकिद बिन अम्र बिन साद बिन मुआज़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) हमारे इलाक़े में आए, मैं उनके पास गया तो उन्होंने फ़रमाया, "तुम कौन हो? मैंने कहा: वाकिद बिन अम्र बिन साद बिन

فَقُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: فَبَكَى، وَقَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَامَ، أَوْ قَعَدَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ.

मुआज़ हूँ तो वह रो पड़े और कहने लगे: तुम साद जैसे हो और साद (رضي الله عنه) लोगों में अजीम और लम्बे थे, नबी(ﷺ) को एक रेशमी जुब्बा भेजा गया जिसमें सोना बुना हुआ था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसे पहना, आप मिम्बर पर चढ़े आप खड़े हुए या बैठे तो लोग इसे छूने लगे और कहने लगे: हम ने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं देखा तो आप ने फ़रमाया, "तुम इस से तअज्जुब करते हो? जन्नत में साद के रूमाल जिसे तुम देख रहे हो[1] इससे भी अच्छे हैं।"

बुख़ारी: 2615. मुस्लिम: 2649. निसाई: 5302.

तौज़ीह:: مَنَادِيل: مندیل की जमा है और مندیل उस कपड़े के टुकड़े को कहते हैं जिसे हाथ वग़ैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जिसे दस्ती या रूमाल कहा जाता है।

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

4 - मर्दों को सुर्ख़ कपड़े पहनने की इजाज़त है.

1724 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرِ وَلاَ بِالطَّوِيلِ.

1724 - सय्यदना बराअ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने किसी लम्बे बालों वाले को सुर्ख़ लिबास में रसूलुल्लाह(ﷺ) से बढ़कर ख़ूबसूरत नहीं देखा, आप के बाल कंधों तक थे, दोनों कन्धों के दर्मियान फासिला था न ज़्यादा छोटे थे और न ही ज़्यादा लम्बे थे।

बुख़ारी: 3551. मुस्लिम: 2337. अबू दाऊद: 4072. इब्ने माजा:3599. निसाई: 50 60.

तौज़ीह: لِمَّةٍ: उन बालों को कहा जाता है जो कन्धों तक आते हों।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:इस मसले में जाबिर बिन समुरा, अबू रिम्सा और अबू जुहैफा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

5 - मर्दों को अस्फ़र से रंगे कपड़े पहनना मकरूह (नापसंदीदा) है.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

1725 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़सी और मुअस्फ़र कपड़े पहनने से मना किया है।

मुस्लिम: 2078. अबू दाऊद: 4044. निसाई: 5165, 5185.

1725 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ.

तौज़ीह: الْقَسِّيِّ: बस्ती क़स की निस्बत से उन्हें क़सी कहा जाता है। यह ऐसा कपड़ा था जिसे बनाते वक़्त रूई के साथ रेशम मिलाया जाता। الْمُعَصْفَرِ: अस्फ़र से रंगा हुआ कपड़ा अस्फ़र एक जड़ी बूटी है जिसका फूल नाली नुमा होता है। इस से एक ज़र्द रंग निकाला जाता है जिससे कपड़े वग़ैरह को रंगा जाता है (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 718)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अनस और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

6 - पोस्तीन पहनना.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ

1726 - सय्यदना सलमान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से घी, पनीर और पोस्तीन (शलवार के नीचे पहने जाने वाले पायजामे वग़ैरह) के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हलाल वह है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया है

1726 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: الحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ:

और हराम वह जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया है और जिस से उस ने खामोशी इख़्तियार की है उससे तुम्हें उस ने मुआफ़ किया है।

हसन: इब्ने माजा: 3367. हाकिम: 4/115. बैहक़ी: 10/12.

वज़ाहत: इस मसले में मुग़ीरह (ﷺ) से भी मर्वी है और यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से मर्फ़ूअ जानते हैं।

नीज़ सुफ़ियान वग़ैरह ने सुलैमान अत्तैमी से बवास्ता अबू उस्मान, सलमान का कौल बयान क़िया है। गोया मौक़ूफ़ हदीस ज़्यादा सहीह है। और मैंने इमाम बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "मेरे ख़याल में यह महफ़ूज़ नहीं है क्योंकि सुफ़ियान ने सुलैमान अत्तैमी से बवास्ता अबू उस्मान, सलमान का कौल रिवायत किया है। बुख़ारी फ़रमाते हैं: सैफ बिन हारून मुकारिबुल हदीस जबकि सैफ बिन मुहम्मद जो आसिम से रिवायत करता है वह ज़ाहिबुल हदीस है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

7 - मुर्दार की खाल को जब रंग दिया जाए.

1727 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِهَا: أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ.

1727 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक बकरी मर गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने घर वालों से फ़रमाया, "तुम ने इसकी खाल क्यों न उतार ली फिर तुम इसे रंगने के बाद इससे फ़ायदा उठा लेते।"

बुख़ारी: 1492. अबू दाऊद: 4120. इब्ने माजा: 3609. निसाई: 4241.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में सलमा बिन महबक़, मैमूना और आयशा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है जबकि इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और बवास्ता इब्ने अब्बास कई सनदों से नबी(ﷺ) से मर्वी है।

नीज़ इब्ने अब्बास (ﷺ) से बवास्ता सय्यदा मैमूना (ﷺ) भी नबी(ﷺ) से मर्वी है। इसी तरह सय्यदा सौदा (ﷺ) से भी और मैंने इमाम मुहम्मद (ﷺ) से सुना वह इब्ने अब्बास की नबी(ﷺ) से रिवायत कर्दा हदीस को सहीह कहते थे और इब्ने अब्बास (ﷺ) की मैमूना (ﷺ) से

बयान कर्दा हदीस को भी। नबी(ﷺ) से और फ़रमाते हैं: यह भी हो सकता है कि इब्ने अब्बास (رضی اللہ) ने बवास्ता मैमूना (رضی اللہ) नबी(ﷺ) से रिवायत की हो और इब्ने अब्बास ने बयान करते हुए सय्यदा मैमूना (رضی اللہ) का ज़िक्र नहीं किया हो।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का भी यही कौल है।

1728 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस खाल को रंग दिया जाए यक़ीनन वह पाक हो जाती है।"

मुस्लिम: 366. अबू दाऊद: 4120. इब्ने माजा: 3609. निसाई: 4241.

1728 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है और जुम्हूर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि मुर्दार की खाल को रंग दिया जाए तो पाक हो जाती है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) बयान करते हैं कि इमाम शाफ़ेई (رحمہ اللہ) ने फ़रमाया, "जिस मुर्दार की खाल को भी रंग दिया जाए तो वह पाक हो जाती है सिवाए कुत्ते और खिंजीर की खाल के।

नीज़ नबी(ﷺ) के बाज़ (कुछ) उलमा सहाबा भी दिरन्दों की खाल को मकरूह कहते हैं अगरचे उन्हें रंगा ही हो। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का भी यही कौल है। यह ऐसी खालों को पहनने और उनमें नमाज़ पढ़ने से सख्ती से रोकते हैं। इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: कि नबी(ﷺ) के फ़रमान: "जिस खाल को रंग दिया जाए तो वह पाक हो जाती है।" इससे मुराद उन जानवरों की खाल है जिनका गोश्त खाया जाता है। नज्र बिन शुमैल ने इसकी इसी तरह तफ़सीर की है। और वह फ़रमाते हैं: कि इहाब सिर्फ़ उस जानवर की खाल को कहा जाता है जिसका गोश्त खाया जाता हो। जबकि इब्ने मुबारक, अहमद, इस्हाक़ और हुमैदी (رحمہ اللہ) ने भी दरिंदों की खाल पर नमाज़ पढ़ने को ,मकरूह कहा है।

1729 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उकैम (رضی اللہ) से रिवायत है कि हमारे पास रसूलुल्लाह(ﷺ) का ख़त आया कि मुर्दार से नफ़ा न लो, न खाल से और न ही पट्ठों से।

सहीह: अबू दाऊद: 4127. इब्ने माजा: 3613. निसाई: 4249, 4251.

1729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا

كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उकैम (ﷺ) अपने बुजुर्गों से भी बयान करते हैं, जबकि जुम्हूर उलमा के नज़दीक इस पर अमल नहीं है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन उकैम (ﷺ) से यह हदीस भी मर्वी है कि हमारे पास नबी(ﷺ) का ख़त आप की वफ़ात से दो महीना पहले आया था।

अहमद बिन हसन फ़रमाते हैं: अहमद बिन हंबल इस हदीस की तरफ़ इसलिए गए थे कि इस में यह ज़िक्र है कि आप(ﷺ) की वफात से दो माह पहले ख़त गया था। वह फ़रमाया करते थे कि नबी(ﷺ) का आखिर वाला हुक्म है। फिर जब मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद में इज़्तिराब बयान किया तो इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) ने भी इसे छोड़ दिया क्योंकि बाज़ (कुछ) इसकी इस्नाद इस तरह बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन उकैम (ﷺ) अपने जुहैना के बुजुर्गों से बयान करते हैं।

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الإِزَارِ

8- तहबन्द को टखनों से नीचे लटकाना मना है

1730 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

1730 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़यामत के दिन अल्लाह उस आदमी की तरफ़ नहीं देखेगा जो तकब्बुर के साथ अपनी तहबन्द को (टखनों से नीचे) लटकाता है। "

बुख़ारी: 3665. मुस्लिम: 2085. इब्ने माजा: 3569. निसाई: 5336, 5338.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में हुज़ैफा, अबू सईद, अबू हुरैरा, समुरा, अबू ज़र, आयशा और हबीब बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

9 - औरतों का कपड़ों के दामन को लटकाना.

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي جَرِّ ذُيُولِ النِّسَاءِ

1731 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (टखनों से नीचे) लटकाया अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।" तो उम्मे सलमा (ﷺ) ने कहा: औरतें अपने कपड़ों के दामनों[1] का क्या करें? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "वह एक बालिश्त लटका लें". कहने लगीं: इससे तो उनके पाँव नंगे होंगे। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "फिर एक ज़िरा (लगभग 64 सेंटी मीटर) लटका लें इस से ज़्यादा न करे।"[2]

निसाई: 5336. मुसनद अहमद: 2/5. मुस्लिम: 6/146. इब्ने माजा: 3569.

1731 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

तौज़ीह: (1) ذُيُولِ इसकी वाहिद ذَيل आती है जिसका मानी होता है चीज़ का आख़िरी हिस्सा और कपड़े के दामन को भी ذَيل कहते हैं। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 375)

(2) क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ क़दमों को ढांपना है अपना बनाव सिंगार दिखाना या इतराना नहीं। इस हदीस से लम्बे दामनों वाले गरारे पहनने की मुमानअत(मनाही) साबित होती है जैसा कि आज के पुर फ़ितन दौर में औरतें माडलिंग वग़ैरह में कई कई गज़ लम्बे दामन छोड़ कर चलती हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और हदीस में औरतों को कपड़ा लटकाने की रूख़्सत है क्योंकि यह उनके लिए पर्दे का बाइस है।

1732 - उम्मे हसन (ﷺ) बयान करती है कि सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) ने उन्हें बताया कि नबी(ﷺ) ने फातिमा (ﷺ) के लिए उनके निताक को एक बालिश्त मापा।

1732 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ الحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ

سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا.

सहीह: अस-सिलसिला अस-सहीहा: 1864. मुसनद अहमद: 6/299.

तौज़ीह: نِطَاق : कमर पर बांधी जाने वाली पट्टी, वह पट्टा जिसे काम करने वाली औरत काम करते वक़्त चुस्ती के लिए अपनी कमर पर बांधती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1132)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बाज़ (कुछ) ने इसे हम्माद बिन सलमा से बवास्ता अली बिन ज़ैद हसन से उन्होंने अपनी वालिदा के ज़रिए सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ

10 - ऊन का लिबास पहनना.

1733 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ.

1733 - अबू बुर्दा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि आयशा (رضي الله عنها) ने एक मोटी चादर और एक मोटी तहबन्द निकाली (और) फ़रमाने लगीं: रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात इन दो कपड़ों में हुई थी।

बुख़ारी: 3108. मुस्लिम: 2080. अबू दाऊद: 4036. इब्ने माजा: 3551.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली और इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और आयशा (رضي الله عنها) की यह हदीस हसन सहीह है।

1734 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ، وَجُبَّةُ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلاَهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

1734 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस दिन मूसा (अलैहि०) से उनके रब ने क़लाम किया तो उन पर ऊनी चादर, जुब्बा, ऊनी टोपी और ऊनी शलवार थी और उनके जूते मुर्दा गधे के चमड़े के थे।"

ज़ईफ़: जिद्दा: अबू याला: 4983.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हुमैद आरज के तरीक़ से जानते

हैं और हुमैद बिन अली आरज के बारे में मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना कि हुमैद बिन अली आरज मुन्करूल हदीस है।

जबकि हुमैद बिन कैस आरज मक्का के रहने वाले, मुजाहिद के शागिर्द और सिक़ह् रावी हैं। नीज़ كُمَّةُ छोटी टोपी को कहते हैं।

11 - सियाह पगड़ी का बयान.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي العِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

1735 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का में दाख़िल हुए तो आप(ﷺ) के सर पर सियाह पगड़ी थी।

मुस्लिम: 1358. अबू दाऊद: 4076. इब्ने माजा: 2822. निसाई: 2869.

1735 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

वज़ाहत: इस बारे में अली, अम्र बिन हुरैस, इब्ने अब्बास और रूकाना (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

12 - अमामा को दोनों कन्धों के दर्मियान लटकाना.

12 بَابٌ فِي سَدْلِ العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفَيْنِ

1736 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) जब अमामा बांधते तो अमामा का किनारा अपने कन्धों के दर्मियान छोड़ देते।

सहीह: शमाइल: 117. इब्ने साद: 1/456. इब्ने हिब्बान:6397.

1736 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَرَأَيْتُ القَاسِمَ، وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

नाफ़े कहते हैं: इब्ने उमर (رضي الله) भी अपने अमामे के किनारे को कन्धों के दर्मियान लटकाते थे, उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने क़ासिम और सालिम (رحمه الله) को भी यही करते देखा।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इस बारे में अली (رضي الله) से भी मर्वी है लेकिन अली (رضي الله) की हदीस की सनद सहीह नहीं है।

13 - सोने की अंगूठी (मर्दों के लिए) मना है.

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

1737 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

1737 - सय्यदना अली (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी लिबास पहनने, रुकू और सज्दों में क़ुरआन पढ़ने और अस्फ़र से रंगे हुए कपड़े पहनने से मना किया था।

मुस्लिम: 480.अबू दाऊद: 4044. निसाई: 1040. 1044.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1738 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.

1738 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन(رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है।

सहीह: निसाई: 5187. मुसनद अहमद: 4/427. तयालिसी:843.

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने उमर, अबू हुरैरा और मुआविया (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इमरान बिन हुसैन(رضي الله) की हदीस हसन है और अबू तय्याह का नाम यज़ीद बिन हुमैद था।

14 - चांदी की अंगूठी.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الفِضَّةِ

1739 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) की अंगूठी चांदी की थी और उसका नगीना हब्शा[1] का था।

मुस्लिम: 2094. अबू दाऊद: 4216. इब्ने माजा: 3641. निसाई: 5196.

1739 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

(1) अगली हदीस में आ रहा है कि आप(ﷺ) की अंगूठी का नगीना भी चांदी का था। हो सकता है कि वह चांदी का ही हो और इसे हब्शा के नगीनों के तर्ज़ पर बनाया गया हो या इसे बनाने वाला हब्शा का रहने वाला हो।

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर और बुरैदा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

15 - अंगूठी के लिए कैसा नगीना पसंद किया गया है.

15 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الخَاتَمِ

1740 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की अंगूठी चांदी की थी और उसका नगीना भी उसी चांदी से बना हुआ था।

बुख़ारी: 5870. अबू दाऊद: 4217. निसाई: 5198, 5200.

1740 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

16 - अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الخَاتَمِ فِي اليَمِينِ

1741 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाकर उसे अपने दायें हाथ की उंगली में

1741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَتَخَتَّمَ بِهِ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا الخَاتَمَ فِي يَمِينِي، ثُمَّ نَبَذَهُ، وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

पहना फिर मिम्बर पर बैठे तो फ़रमाया, "बेशक मैंने इस अंगूठी को दायें हाथ में पहना है।" फिर आप ने वह फ़ेंक दी और लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फ़ेंक दीं

बुख़ारी: 5866. मुस्लिम: 2091. निसाई: 5146.

वज़ाहत: इस बारे में अली, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, इब्ने अब्बास, आयशा और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और यह हदीस बवास्ता नाफ़े इब्ने उमर (رضي الله عنه) से एक और सनद के साथ भी मर्वी है लेकिन इस में अंगूठी को दायें हाथ में पहनने का ज़िक्र नहीं किया।

1742 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَلاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

1742 - सल्त बिन अब्दुल्लाह बिन नौफ़ल (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) को देखा वह अपने दायें हाथ की उंगली में अंगूठी पहनते थे और मेरे ख़याल में उन्होंने यही फ़रमाया था कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप अपने दायें हाथ की उंगली में ही अंगूठी पहनते थे।

हसन: सहीह: अबू दाऊद: 4229. शमाइल: 100.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:कि इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने फ़रमाया, "मुहम्मद बिन इस्हाक़ की सल्त बिन अब्दुल्लाह बिन नौफ़ल से रिवायतकर्दा हदीस हसन सहीह है।

1743 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الحَسَنُ، وَالحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.

1743 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हसन और हुसैन (رضي الله عنه) दोनों अपने बाएं हाथों की उँगलियों में अंगूठी पहना करते थे।

सहीह: अब्दुर्रज्ज़ाक़: 1363.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1744 - हम्माद बिन सलमा (رحمه الله) कहते हैं, मैंने इब्ने अबी राफ़ेअ को (यह अब्दुल्लाह बिन अबू राफ़ेअ हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इन्हें (अबू राफ़ेअ) को आज़ाद किया था और अबू राफ़ेअ का नाम असलम था देखा वह अपने दायें हाथ की उंगली में अंगूठी पहनते थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मैंने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को देखा वह भी अपने दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे।

सहीह: इब्ने माजा: 3647. निसाई: 5204. मुसनद अहमद: 1/204. इब्ने साद: 1/477

1744 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ: عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

वज़ाहत: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी(ﷺ) से रिवायत शुदा अहादीस में से सब से ज़्यादा सहीह हदीस यही है।'

17 - अँगूठी के नक़्श का बयान

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الخَاتَمِ

1745 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने चांदी की अंगूठी बनवाई तो उसमें "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ :" नक्श करवाया, फिर फ़रमाया, "तुम ऐसे अल्फ़ाज़ का नक्श न बनवाना।"

बुख़ारी: 65. मुस्लिम: 2092.

1745 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन है और तुम ऐसा नक्श न बनाना का मतलब है कि कोई आदमी अपनी अंगूठी पर مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ :" नक्श न करवाए।

1746 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब बैतूल खला में जाते तो अपनी अंगूठी उतार लेते थे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 19. इब्ने माजा: 303. निसाई: 5213.

1746 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

1747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ.

1747 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) की अंगूठी का नक्श तीन सत्रों में था: مُحَمَّدٌ एक सत्र में رَسُولُ दूसरी सत्र में اللهِ तीसरी सत्र में।

बुख़ारी: 3106. शमाइल:91. इब्ने अबी शैबा: 8/463.

1748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ.

1748 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) की अंगूठी का नक्श तीन सत्रों में था: مُحَمَّدٌ एक सत्र में رَسُولُ दूसरी सत्र में اللهِ तीसरी सत्र में। जबकि मुहम्मद बिन यह्या ने अपनी हदीस में तीन सत्रों का ज़िक्र नहीं किया।

बुख़ारी: 3106

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ

18 - तसावीर का बयान.

1749 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ

1749 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घर में तस्वीर लगाने से मना किया और आप ने इसे बनाने से भी मना किया है।

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ.

सहीह: मुसनद अहमद: 3/335. अबू याला: 2244.

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अबू हुरैरा, और अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

1750 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.

1750 - उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से रिवायत है कि वह अबू तल्हा अंसारी (رضي الله عنه) की इयादत के लिए गए तो वहाँ सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) को भी पाया। रावी कहते हैं अबू तल्हा ने एक आदमी को बुलाया वह उनके नीचे से चादर निकाले तो सहल ने उन से कहा किस लिए निकालते हो? उन्होंने फ़रमाया, क्योंकि इस में तसावीर हैं और इनके बारे में नबी(ﷺ) ने जो फ़रमाया है वह आप जानते हैं। सहल ने कहा: क्या आप ने यह नहीं फ़रमाया, "सिवाए उनके जो कपड़े में निशानात की सूरत में हो" उन्होंने कहा: क्यों नहीं! लेकिन मुझे यह काम अच्छा लगता है।

सहीह: निसाई: 3549. मुसनद अहमद: 3/486. इब्ने हिब्बान: 5851.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ

19 - तस्वीर बनाने वाले.

1751 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْفُخَ

1751 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने कोई तस्वीर बनाई अल्लाह तआला उसे अज़ाब देगा, यहाँ तक कि वह इस में रूह फूंके, जब कि वह इस में रूह फूँक नहीं सकता और जो शख़्स किसी कौम की बातों को कान

فِيهَا، يَعْنِي الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

लगा कर सुनता है जब कि वह उस से भागते हों तो क़यामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। "

बुख़ारी: 2225. मुस्लिम: 2110. अबू दाऊद: 2524. निसाई: 5359, 5358.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू हुरैरा, अबू जुहैफ़ा, आयशा और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه)की हदीस हसन सहीह है।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِضَابِ

20 - बालों को रंगना.

1752 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ.

1752 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बुढापे के सफ़ेद बालों के रंग को बदल दो और यहूदियों से मुशाबहत न करो। "

बुख़ारी:3462. मुस्लिम: 2103. अबू दाऊद: 4203. इब्ने माजा: 3621.निसाई: 5069.

वज़ाहत: इस मसले में ज़ुबैर, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू ज़र, अनस, अबू रिम्सा, जह्दमा, अबू तुफैल, जाबिर बिन समुरा, अबू जुहैफा और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

1753 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ.

1753 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेहतरीन चीज़ जिस से बुढापे के सफ़ेद बालों को बदला जा सकता है वह मेहंदी और कतम[1] है। "

सहीह: अबू दाऊद:4205. इब्ने माजा:3622. निसाई:5077.

तौज़ीह: الكَتَمُ : आस की तरह शादाब दरख़्त होता है, यह अफ़्रीका और मोतदिल आबो हवा वाले गर्म पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसका फल मिर्च के मुशाबेह है इसे फिलिफ़िल अल-क़रूद भी कहते हैं। क़दीम (पुराने) ज़माने में खिज़ाब और रोशनाई के तौर पर इस्तेमाल होता था। नीज़ नील भी इसी से तैयार किया जाता था। (अल-मोजमुल वसीत: पृ. 938)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू अस्वद दैली का नाम जालिम बिन अम्र बिन सुफ़ियान है।

21 - लम्बे बाल रखना.

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعَرِ

1754 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، حَسَنَ الجِسْمِ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ

1754 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) दमिर्यानि क़द खूबसूरत जिस्म वाले थे, न लम्बे न छोटे, गंदुमी रंग था, और आप के बाल ज़्यादा घुंघरियाले और न बिलकुल ही सीधे थे जब आप चलते तो पैर उठा कर चलते।

बुख़ारी: 5347.मुस्लिम: 2347. अबू दाऊद: 4863. इब्ने माजा: 3634.निसाई: 5053.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, बराअ, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू सईद, जाबिर, वाइल बिन हुज्र और उम्मे हानी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हुमैद की इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है।

1755 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ.

1755 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह(ﷺ) एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और आपके बाल जुम्मा से ऊपर और वफ़रा से नीचे थे। [1]

बुख़ारी: 250. मुस्लिम: 319. अबू दाऊद: 77. इब्ने माजा: 376. निसाई: 231.

तौज़ीह: الجُمَّةِ वह बाल हैं जो कन्धों तक हों और وَفْرَةِ वह बाल हैं जो कानों की लौ तक पहुँचते हों और हदीस का मतलब है وَفْرَةِ से लम्बे और جُمَّةِ से छोटे थे।

वज़ाहत: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कई सनदों से मर्वी है कि आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैं और रसूलुल्लाह(ﷺ) एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे लेकिन इन रिवायात में यह अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि

आप के बाल جُمَّةُ से ऊपर और وَفْرَةُ से नीचे थे इसे अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद ने ही ज़िक्र किया है और वह सिक़ह् और हाफ़िज़ हैं। मालिक बिन अनस भी उन्हें सिक़ह् कहते थे और उनकी तरफ़ से रिवायात लिखने का हुक्म देते थे।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرَجُّلِ، إِلاَّ غِبًّا

22 - रोजाना कंघी करना मना है.

1756 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

1756 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضی اللہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कंघी करने से मना किया मगर नागे के साथ।

सहीह: अबू दाऊद:4159. निसाई: 5055.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने यह्या बिन सईद से बवास्ता हिशाम, हसन से इस सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में अनस (رضی اللہ) से भी मर्वी है।

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِكْتِحَالِ

23 - सुरमा लगाना

1757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلاَثَةً فِي هَذِهِ.

1757 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "इस्मिद सुर्मा लगाओ, यह नज़र को तेज़ करता और बालों को उगाता है।" और रावी ने गुमान किया नबी(ﷺ) की एक सुर्मादानी थी जिससे आप हर रात सुर्मा लगाते थे तीन सलाइयां इस आँख में और तीन सलाइयां उस आँख में।

زعم के अलावा बाकी सहीह है. अबू दाऊद: 3878. इब्ने माजा: 3497. निसाई: 5113.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज्र और मुहम्मद बिन यह्या ने वह दोनों कहते हैं: यज़ीद बिन हारुन ने उबादा बिन मंसूर से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ इस बारे में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इन अल्फ़ाज़ के साथ हम इसे उबादा बिन मंसूर की हदीस से जानते हैं।

नीज़ कई सनदों से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "इस्मिद को लाजिम पकड़ो यह नज़र को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगाता है।"

24 - इश्तिमाले सम्मा और एक कपड़े में अपने आप को लपेटना मना है.

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

1758 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने दो पहनाओं से मना फ़रमाया, "एक सम्मा से(1) और दूसरा यह कि आदमी अपने कपड़े को घुटनों के गिर्द बाँध ले और उसकी शर्मगाह पर कोई चीज़ न हो।

बुख़ारी: 368. इब्ने माजा: 3560.

1758 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

तौज़ीह: الصَّمَّاء : यह है कि कोई बड़ी चादर कन्धों पर डाल कर दायाँ कोना बायें शाने और बायाँ किनारा दायें शाने पर डाल दे। बाज़ (कुछ) ने यह भी कहा है कि दोनों किनारे एक कंधे के ऊपर फ़ेंक ले और बाकी ज़िस्म मस्तूर (पर्दा) न हो सके।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, इब्ने उमर, आयशा, अबू सईद, जाबिर और अबू उमामा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है।

25 - मस्नूई बाल लगवाने वाली औरत.

25 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ

1759 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला ने बालों के साथ बाल मिलाने वाली, मिलाने का हुक्म देने वाली, सुर्मा गोदने वाली और गुदवाने वाली औरत पर लानत की है। नाफ़े कहते हैं: वश्म मसूड़ों में होता है।

बुख़ारी:5937. मुस्लिम: 2124. अबू दाऊद: 4168. इब्ने माजा: 1987. निसाई: 5095

1759 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ نَافِعٌ: الوَشْمُ فِي اللِّثَةِ.

तौज़ीह: الْوَاشِمَةَ : चेहरे को सुई वग़ैरह से गोद कर उस में नील या सुर्मा वग़ैरह भरना ताकि चेहरा खूबसूरत लगे ऐसा करने वाली औरत को वाशिमा (الْوَاشِمَةَ) कहते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अस्मा बिन्ते अबी बक्र, माकिल बिन यसार, इब्ने अब्बास और मुआविया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

26 - जीन पोश का बयान.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ

1760 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़ीन पोश से मना फ़रमाया है।

बुख़ारी: 5849.मुस्लिम: 2066.इब्ने माजा: 5309. निसाई: 1939.

1760 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ.

तौज़ीह: مَيَاثِر: مِيثَرة की जमा है ऊनी या ऊन वग़ैरह से भरी हुई गद्दी जो घोड़े या ऊँट की सवारी करने वाला अपने नीचे रखे ताकि जगह नर्म रहे। यह मुमानअत रेशम या दरिंदों के चमड़ों से बनी हुई जीन पोश के साथ है।

वज़ाहत: इस मसले में अली और मुआविया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और बराअ (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी अशअस बिन अबी शासा से ऐसे ही रिवायत की है। और इस हदीस में एक क़िस्सा भी है।

27 - नबी(ﷺ) का बिस्तर.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ (ﷺ)

1761 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का वह बिस्तर जिस पर आप सोते थे चमड़े का था, उसमें खुजूर के पत्ते भरे हुए थे।

बुख़ारी: 4656. मुस्लिम: 2082. अबू दाऊद: 4146. इब्ने माजा:4151.

1761 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ، حَشْوُهُ لِيفٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में हफ्सा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

28 - क़मीसों का बयान.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي القُمُصِ

1762 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कपड़ा कुर्ता था।

सहीह: अबू दाऊद:4025. इब्ने माजा: 3575. अबू याला: 7014.

1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، وَالفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَمِيصُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्दुल मोमिन बिन ख़ालिद के तरीक से ही जानते हैं। यह मर्वज़ी हैं और इसे बयान करने में अकेले हैं। बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अबू तुमैला से बवास्ता अब्दुल मोमिन बिन ख़ालिद, अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से उन्होंने अपनी वालिदा के ज़रिए सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: इब्ने बुरैदा की अपनी वालिदा के ज़रिए उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है और इस में अबू तुमैला का अपनी मां से बयान करने का ज़िक्र है।

1763 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को सब से ज़्यादा पसंद कपड़ा कुर्ता था।
सहीह.

1763 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَمِيصُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَصَحُّ، وَإِنَّمَا يُذْكَرُ فِيهِ أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهِ.

1764 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَمِيصُ.

1764 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का सब से ज़्यादा पसंदीदा कपड़ा कुर्ता था।

सहीह.

1765 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ.

1765 - सय्यदा अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन अल-अन्सारिया (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ की आस्तीन कलाई तक थी।

ज़ईफ़: अबू दाऊद:4028. शमाइल:57.

तौज़ीह: كُمٌّ: कपड़े में हाथ दाख़िल करने और निकालने की जगह, आस्तीन। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 965)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

1766 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब कुर्ता पहनते तो उसके दायें जानिब से इब्तिदा (शुरू) करते।

सहीह: अबू दाऊद:4141. मुसनद अहमद: 2/354. इब्ने खुज़ैमा: 178.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बहुत से रावियों ने इस हदीस को इसी सनद के साथ शोबा से रिवायत किया है और इसे मर्फ़ू ज़िक्र नहीं किया, इसे सिर्फ़ अब्दुस्समद ने ही मर्फ़ू ज़िक्र किया है।

29 - कपड़ा पहनने की दुआ.

29 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

1767 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेते पगड़ी, कुर्ता या चादर फिर कहते: ऐ अल्लाह! तेरे लिए ही सब तारीफें हैं तूने ही मुझे यह पहनाया है। मैं तुझ से उसकी भलाई और जिसके लिए बनाया गया है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और मैं तुझ से इसके शर और जिसके लिए बनाया गया है उसके शर से पनाह माँगता हूँ।

सहीह: अबू दाऊद: 4020. मुसनद अहमद: 3/30. शमाइल:60.

1767 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में उमर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। अबू ईसा कहते हैं: हमें हिशाम बिन यूनुस कूफी ने बवास्ता क़ासिम बिन मालिक अल-मुज़नी जरीरी से ऐसे ही रिवायत की है। और यह हदीस हसन ग़रीब है।

30 - जुब्बा और मोज़े पहनना.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الجُبَّةِ وَالخُفَّيْنِ

1768 - सय्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने रूम का बना हुआ तंग आस्तीनों वाला जुब्बा पहना था।

बुख़ारी: 363. मुस्लिम: 247.अबू दाऊद: 151.निसाई: 82

1768 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1769 – सय्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि दिह्या कल्बी ने

1769 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَهْدَى دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا

रसूलुल्लाह(ﷺ) को दो मोज़े बतौर तोहफ़ा दिए तो आप(ﷺ) ने वह पहने।

सहीह: शमाइल:74.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) फ़रमाते हैं: इस्राईल ने बवास्ता जाबिर, आमिर से यह बयान किया है कि एक जुब्बा भी दिया, आपने उसे भी पहना, यहाँ तक कि वह दोनों फट गए, नबी(ﷺ) यह नहीं जानते थे कि यह ज़बह किए गए जानवर के हैं या ग़ैर मज्बूह जानवर की खाल के।

यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू इस्हाक़ जिन्होंने शाबी से रिवायत की है यह अबू इस्हाक़ शैबानी हैं जिनका नाम सुलैमान है और हसन बिन अब्बास, अबू बक्र बिन अब्बास के भाई हैं।

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَدِّ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

31 - सोने के दांत लगवाना.

1770 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ البَرِيدِ، وَأَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

1770 - सय्यदना अर्फ़ज़ा बिन असअद (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं कि जाहिलिय्यत में जंगे किलाब के दिन मेरी नाक कट गई तो मैंने चांदी की नाक बनवा ली, इस से बदबू आने लगी तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सोने की नाक बनवा लूं।

हसन: अबू दाऊद: 4232. निसाई: 5161. मुसनद अहमद: 5/23.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज्र ने वह कहते हैं: हमें रूबैअ बिन बद्र और मुहम्मद बिन यज़ीद वास्ती ने अबू अश्हब से ऐसे ही रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे बतरीक अब्दुल्लाह बिन तरफ़ा ही जानते हैं। नीज़ सुलैम बिन ज़ुरैर ने अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा से अबू अश्हब की अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा से बयान की गई हदीस की तरह रिवायत की है।

कई उलमा से मर्वी है कि उन्होंने अपने दांत सोने के जड़वाये थे और इस हदीस में उनकी दलील है। अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं कि सुलैम बिन ज़रीर वहम है जबकि वजीर ज़्यादा सहीह है। नीज़ अबू साद सनआनी का नाम मुहम्मद बिन मोयस्सर है।

32 - दरिंदों के चमड़ों का इस्तेमाल.

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

1770م- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

1770 –अबू मलीह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने दरिंदों की खाल को नीचे बिछाने से मना फ़रमाया है।

सहीह: अबू दाऊद:4132.निसाई:4253.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते है: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें यह्या बिन सईद ने, उन्हें सईद ने क़तादा से बवास्ता अबू मलीह उनके बाप से रिवायत की है। कि नबी(ﷺ) ने दरिंदों का चमड़ा इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है।

अबू ईसा कहते है: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें मुआज़ बिन हिशाम ने वह कहते हैं मुझे मेरे वालिद ने बवास्ता क़तादा अबू मलीह से हदीस बयान की है कि उन्होंने दरिंदों की खाल को नापसंद किया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि सईद बिन अबी अरूबा के अलावा हम किसी रावी को नहीं जानते जिसने अबू मलीह के ज़रिए उनके बाप से रिवायत की हो।

1771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَهَذَا أَصَحُّ.

1771 - अबू मलीह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने दरिंदों की खाल को इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है और यह ज़्यादा सहीह रिवायत है।

सहीह: अब्दुर्रज्जाक़:215. इब्ने अबी शैबा: 14/250.

33 - नबी(ﷺ) के जूते का बयान.

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ (ﷺ)

1772 - क़तादा (رحمه الله) कहते हैं कि मैं ने सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का जूता कैसा था? उन्होंने फ़रमाया, "उसके दो तस्मे[1] थे।

सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 122. अबू दाऊद: 4134. इब्ने माजा: 3615

1772 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَهُمَا قِبَالاَنِ.

तौज़ीह: : قِبَالاَن: قبال का तस्निया है। दो तस्मे यानी हर जूते के दो तस्मे थे और قبال इसी तस्मे को कहा जाता है जो दर्मियानी वाली और उसके साथ वाली उंगली के दर्मियान हो। (अलमोजमुल वसीत, पृ. 858)

1773 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दोनों जूतों में से हर एक के दो तस्मे थे।

बुख़ारी: 3107. अबू दाऊद: 4143. इब्ने माजा: 2615. निसाई: 3568.

1773 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلاَهُ لَهُمَا قِبَالاَنِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

34 - एक जूते में चलने की कराहत.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ

1774 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई शख़्स एक जूते में न चले बल्कि दोनों पहन ले या दोनों पाँव को नंगा कर ले।"

बुख़ारी: 5855.मुस्लिम: 2097. अबू दाऊद: 4136. इब्ने माजा: 3617.निसाई: 5369

1774 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

35 - खड़े होकर जूता पहनने की कराहत.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

1775 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया कि आदमी खड़ा होकर जूता पहने।

सहीह: इब्ने माजा:3618.

1775 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और उबैदुल्लाह बिन अम्र अर्रकी ने इस हदीस को मामर से बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। जबकि मुहद्दिसीन के नज़दीक दोनों हदीसें ही सहीह नहीं है। उनके नज़दीक हारिस बिन नबहान हाफ़िज़ नहीं है और क़तादा के ज़रिए अनस (رضي الله عنه) से मर्वी हदीस की कोई असल भी हमारे इल्म में नहीं है।

1776 - सय्यदना अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया कि आदमी खड़ा होकर जूता पहने।

सहीह: अबू याला: 2936.

1776 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने फ़रमाया कि यह हदीस भी सहीह नहीं है और न ही मामर की अम्मार बिन अबी अम्मार से बयान कर्दा अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है।

36 - एक जूते में चलने की रुख़्सत है.

36 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ

1777 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ) बयान करती है कि नबी(ﷺ) बसा औक़ात एक जूते में चल लेते थे।

मुन्कर : अस-सहीहा: 1/684. शरह मुश्किलुल आसार: 1361.

1777 - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ كُوفِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

1778 - क़ासिम (رحمہ اللہ) बयान करते हैं कि सय्यदा आयशा (رضی اللہ) एक जूते में चलती थीं।

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 8/417.

1778 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

वज़ाहत: यह रिवायत ज़्यादा सहीह है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: कि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से मौकूफ़ रिवायत की है और यह ज़्यादा सहीह है।

37 - जूता पहनते वक़्त किस पाँव में पहले पहने?

37 بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

1779 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई जूता पहने तो दायें से शुरू करे और जब उतारे तो बाएं से इब्तिदा करे दायें पाँव में पहले पहना जाए और आखिर में उतारा जाए।"

बुख़ारी: 5856. मुस्लिम: 2097. अबू दाऊद: 4139. इब्ने माजा: 3616.

1779 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

38 - कपड़े को पेवंद लगाना.

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ

1780 - सय्यादा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया, "अगर तुम आख़िरत में मुझ से मिलना चाहती हो तो तुम्हें दुनिया से एक मुसाफिर के राशन के बराबर काफी होना चाहिए और मालदारों के साथ बैठने से अपने आप को बचाओ और जब तक कपड़े को पेवंद न लगा लो उसे पुराना न समझो। "

ज़ईफ़ जिद्दा: हाकिम: 4/312. इब्ने सईद: 8/76.

1780 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، وَأَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ، وَلاَ تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सालेह बिन हस्सान के तरीक से जानते हैं, और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि सालेह बिन हस्सान मुन्करूल हदीस है। और सालेह बिन अबू हस्सान जिनसे इब्ने अबी जुऐब ने रिवायत ली है वह सिक़ह् हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कि आप(ﷺ) के फ़रमान मालदारों के साथ बैठने से बचो का मतलब ऐसे ही है जैसा कि अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स ऐसे आदमी को देखे जिसे शक्लो सूरत और रोज़ी में फ़ज़ीलत दी गई है तो वह अपने से नीचे वाले को देखे जिस पर उसे शक्लो सूरत और रिज्क में फ़ज़ीलत दी गई है। यक़ीनन वह अल्लाह की अपने ऊपर की गई नेअ़मत को हकीर नहीं समझेगा।

नीज़ औन बिन अब्दुल्लाह से मर्वी है कि मैं मालदारों के साथ रहा तो मैंने अपने से ज़्यादा गमज़दा किसी को नहीं देखा मैं एक सवारी को भी अपनी सवारी के जानवर से बेहतर ख़याल करता था और कपड़े को भी अपने कपड़े से, और मैं फ़क़ीरों के साथ रहा तो मुझे राहत मिली।

39 - नबी(ﷺ) का मक्का में दाख़िल होना.

39 بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ

1781 - सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का में आए तो आप(ﷺ) के बालों की चार चोटियाँ थी।

1781 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ

مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ.

सहीह: अबू दाऊद: 4191. इब्ने माजा:3631. शमाइल:28.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने, उन्हें इब्राहीम बिन नाफ़े मक्की ने इब्ने अबी नजीह से बवास्ता मुजाहिद सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का में आए तो आप की चार चोटियाँ थी।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुल्लाह बिन अबू नजीह मक्की है और अबू नजीह का नाम यसार था।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: मुजाहिद का उम्मे हानी (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) मैं नहीं जानता।

40 بَابُ كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ؟

40 - सहाबा (رضي الله عنهم) की टोपियाँ कैसी थी?

1782 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الأَنْمَارِيَّ، يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحًا.

1782 - अबू कब्शा अन्मारी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा की टोपियाँ[1] चौड़ी थीं।

ज़ईफ़.

तौज़ीह: كِمَامُ अगर इसको كمة की जमा बनाए तो मानी टोपी और अगर كم की जमा बनाया जाए तो मानी कुरते की आस्तीन होगा। (अल्लाह बेहतर जानता है)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस मुन्कर है और अब्दुल्लाह बिन बुस्र बसरी मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। इसे यह्या बिन सईद और दीगर रावियों ने ज़ईफ़ कहा है। بُطْح का मानी है वसीअ (बड़ा), खुली।

41 بَابٌ فِي مَبْلَغِ الإِزَارِ

41 - तहबन्द कहाँ तक हो?

1783 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ

1783 - सय्यदना हुजैफा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरी या अपनी रान का गोश्त पकड़ कर फ़रमाया, "यह इज़ार

نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ.

(तहबन्द) की जगह है, अगर तुम यहाँ बाँधने का इनकार करो तो इस से नीचे कर लो अगर वह भी न करना चाहो तो टखनों से नीचे तहबन्द का कोई हक़ नहीं है। "

सहीह: इब्ने माजा:3572. निसाई: 5329. मुसनद अहमद:5/382.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है और इसे सौरी और शोबा ने भी अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है।

42 بَابُ العَمَائِمُ عَلَى القَلاَنِسِ

42 - टोपियों पर पगड़ियाँ बाँधना.

1784 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ العَسْقَلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلاَنِسِ.

1784 - अबू जाफ़र बिन मुहम्मद बिन रूकाना से रिवायत है कि रूकाना ने नबी(ﷺ) से कुश्ती की तो नबी(ﷺ) ने उसे गिरा दिया। यही रूकाना (رضي الله عنه) कहते हैं: "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि हमारे और मुश्रिकों के दर्मियान टोपियों पर पगड़ियां बाँधने का फ़र्क है। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4078. अबू याला: 1412. हाकिम: 3/452.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन ग़रीब है और इसकी सनद भी मज़बूत नहीं है, अबू हसन अस्क़लानी और इब्ने रूकाना को हम नहीं जानते।

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَاتَمِ الحَدِيدِ

43 - लोहे की अंगूठी.

1785 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ،

1785 - सय्यदना बुरैदा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आया उस ने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी तो आप(ﷺ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟، ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟، قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرِقٍ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً.

ने फ़रमाया, "क्या वजह है कि मैं तुम्हारे ऊपर जहन्नमियों का ज़ेवर देख रहा हूँ?" फिर वह आप के पास आया तो उसने पीतल की अंगूठी पहन रखी थी। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या वजह है कि मैं तुम से बुतों की बू महसूस कर रहा हूँ?" फिर वह आप के पास आया सोने की अंगूठी पहन रखी थी तो आप ने फ़रमाया, "क्या वजह है मैं तुम्हारे ऊपर जन्नती लोगों का जेवर देख रहा हूँ?" उस ने कहा : मैं किस चीज़ की अंगूठी बनवाऊँ? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "चांदी की और उसे भी पूरा मिस्क़ाल[1] न करना।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4223. निसाई: 5195.

तौज़ीह: مِثْقَال : डेढ़ दिरहम के बराबर एक पैमाना है इसकी जमा مثاقيل आती है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 116)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस ग़रीब है और इस बारे में अब्दुलाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम की कुनियत अबू तय्यबा है। और यह मर्वज़ी हैं।

44 بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَتُّمِ فِي أُصْبُعَيْنِ

44 - दो उँगलियों में अंगूठियाँ पहनना मना है

1786 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ القَسِّيِّ، وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.

1786 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे रेशम के कपड़े, सुर्ख़ जीन पोश और इस और इस उंगली में अंगूठी पहनने से मना किया है और अपनी शहादत वाली और दर्मियानी उंगली की तरफ़ इशारा किया।

मुस्लिम: 2095. अबू दाऊद: 4225.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है और इब्ने अबी मूसा, अबू बुर्दा बिन अबू मूसा हैं जिनका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस है।

45 - रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौन से कपड़े ज़्यादा पसंद थे?

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1787 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जो कपड़े पहनते थे उन में सब से ज़्यादा पसंद आपको धारी दार कपड़े थे।

बुख़ारी: 5812. मुस्लिम: 2079. अबू दाऊद: 4060.निसाई: 5315.

1787 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا الحِبَرَةُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है।

ख़ुलासा

- मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है।
- मुर्दा जानवर की खाल को रंग कर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- टखनों से नीचे कपड़ा रखना हराम है।
- अमामा (पगड़ी) बाँधना मस्नून अमल है।
- अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाए।
- हर वह लिबास पहना जा सकता है जो सत्र के तकाज़े को पूरा करता हो।
- तस्वीर बनवाना हराम है और यह काम करने वाला लानती है।
- सफ़ेद बालों का रंग तब्दील किया जा सकता है लेकिन सियाह रंग मना है।
- रोजाना कंघी न की जाए बल्कि एक दिन छोड़ कर बाल सँवारे जाएँ।
- मसनूई (बनावटी) बाल लगवाना हराम है।
- नबी(ﷺ) ने इन्तेहाई सादगी में ज़िंदगी बसर की थी।
- सोने के दांत लगवाए जा सकते हैं।
- शहादत वाली और दर्मियानी उंगली में अंगूठी न पहनी जाए।

Sherkhan
9825 696 131

मज़मून नम्बर 23.

أَبْوَابُ الأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी खानों के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

73 अहादीस के साथ 48अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि:

- कौन से जानवर खाना हलाल हैं और कौन से हराम?
- खाने के आदाब क्या हैं?
- हलाल अशिया (चीज़ों) में कौन सी अशिया (चीज़ें) नापसंद हैं?
- रसूलुल्लाह(ﷺ) की पसंदीदा अशिया (चीज़ें) क्या थीं?

1 بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

1788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِوَانٍ، وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلاَمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ.

1-नबी(ﷺ) किस चीज़ पर रखकर खाते थे?

1788 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दस्तरख़्वान और प्लेट में खाना नहीं खाया और न ही आपके लिए बारीक रोटी पकाई गई। यूनुस कहते हैं: मैंने क़तादा से कहा? तो फिर किस पर रखकर खाते थे? उन्होंने कहा: इन्ही सुफर[(1)] के ऊपर।

बुख़ारी:5386. इब्ने माजा: 3292.

तौज़ीह: (1)खुजूर के पत्तों से गोलाई की शक्ल में बना हुआ छोटा सा दस्तरख़्वान। जिसे लोग सफ़र में भी अपने साथ ले जाते थे राक़िम (लेखक) ने फ़रवरी 2013. में मदीना के अजाइब घर में उसे देखा था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन ग़रीब है। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: यह यूनुस, यूनुस इस्काफ हैं, नीज़ अब्दुल वारिस बिन सईद ने भी सईद बिन अबी अरूबा से बवास्ता क़तादा सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से ऐसे ही रिवायत की है।

2 - खरगोश खाना.

2 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ

1789 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मर्रूज़ ज़हरान में हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा (ﷺ) एक खरगोश के पीछे भागे तो मैंने उसे पा लिया और पकड़ लिया। मैं उसे अबू तल्हा (ﷺ) के पास ले कर आया तो उन्होंने उसे एक पत्थर से ज़बह किया और मुझे उसकी रान या पिछले धड़ का गोश्त देकर नबी(ﷺ) के पास भेजा तो आप(ﷺ) ने वह खाया। रावी कहते हैं: मैंने उन से पूछा: क्या आप(ﷺ) ने खाया? उन्होंने कहा: कुबूल किया।

बुख़ारी: 2572. मुस्लिम: 1953. अबू दाऊद: 3791. इब्ने माजा:3243. निसाई: 4312.

1789 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبِلَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:इस मसले में जाबिर, अम्मार, मुहम्मद बिन सफ़वान से भी, जिन्हें मुहम्मद बिन सैफ़ी भी कहा जाता है अहादीस मर्वी हैं।

नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए खरगोश खाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे मकरूह कहते हैं कि उसे खून आता है।

3 - ज़ब्ब(सांडा) खाने का बयान.

3 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

1790 - सय्यदना उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) से "सांडे" के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "न मैं उसको खाता हूँ न ही हराम कहता हूँ।"

बुख़ारी: 5563.मुस्लिम: 1943. इब्ने माजा: 3243. निसाई:4314,4315.

1790 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ.

तौज़ीह: الضَّبِّ: आम मुतर्जिमीन الضَّبِّ के मानी सूसमार और गोह करते हैं जो किसी तरह सहीह नहीं। " الضَّبِّ :" सांडा घास खाने वाला जानवर है जबकि सूसमार या गोह मेंढक और छिपकलियाँ

वग़ैरह खाती है। गोह के लिए अरब में जो नाम है वह "वरल" है। गोह सांडे से बड़ी होती है। उलमा-ए-हैवानात लिखते हैं कि वरल, ज़ब्ब और वज़ग (छिपकली) शक्लो शबाहत में करीब होते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अबू सईद, इब्ने अब्बास, साबित बिन वदीआ और अब्दुर्रहमान बिन हसना (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

नीज़ अहले इल्म का सांडा खाने के बारे में इख़्तिलाफ़ है। नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म इसकी रुख़्सत देते हैं। जबकि कुछ मकरूह कहते हैं और इब्ने अब्बास (رضي الله) से मर्वी है कि सांडा नबी(ﷺ) के दस्तरख़्वान पर खाया गया और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसे सिर्फ़ तबई नफ़रत की वजह से छोड़ा था।

4 - लगड़बघ्घा (Hayna) खाने का बयान.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

1791 - इब्ने अबी अम्मार (رحمه الله) कहते हैं: मैंने सय्यदना जाबिर (رضي الله) से पूछा कि क्या लगड़बघ्घा[1] शिकार है? उन्होंने फ़रमाया, "हाँ" मैंने कहा: मैं इसे खा सकता हू? उन्होंने कहा: "हाँ, रावी कहते हैं: मैंने कहा: क्या यह बात रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कही है? उन्होंने फ़रमाया, हाँ"

सहीह: अबू दाऊद: 3801. इब्ने माजा:3085. निसाई:2836.

1791 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

तौज़ीह: الضَّبُعُ :के बारे में हदीस नम्बर 851 देखें।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ (कुछ) उलमा इसी हदीस को इख़्तियार करते हुए लगड़बघ्घा (लकड़बग्घा) खाने में कोई क़बाहत नहीं समझते। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। नीज़ नबी(ﷺ) से الضَّبُعُ खाने की कराहत पर हदीस मर्वी है लेकिन इसकी सनद मज़बूत नहीं है।

जबकि बाज़ (कुछ) उलमा इसे नापसंद करते हैं यह कौल इब्ने मुबारक का है। यह्या बिन क़त्तान कहते हैं कि जरीर बिन हाजिम ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर से उन्होंने इब्ने

अबी अम्मार से बवास्ता जाबिर सय्यदना उमर (رضی اللہ) के कौल की सूरत में नक़ल किया है लेकिन इब्ने जुरैज की हदीस ज़्यादा सहीह है। इब्ने अबी अम्मार मक्का के रहने वाले और अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार के भाई हैं।

1792 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ؟ فَقَالَ: أَوَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟.

1792 - खुज़ैमा बिन जज़ई (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से लगड़बघ्घा खाने के बारे में सवाल किया, आप ने फ़रमाया, "क्या कोई लगड़बघ्घा भी खाता है?" और मैंने आप से भेड़िया खाने के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या भेड़िये को कोई एक भी ऐसा खाता है जिसमें भलाई हो?"

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3237. इब्ने अबी शैबा:8/ 251

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद सिर्फ़ इस्माईल बिन मुस्लिम ही अब्दुल करीम अबू उमय्या से मुत्तसिल ज़िक्र करते हैं। जबकि बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने इस्माईल और अब्दुल करीम अबू उमैया पर जरह की है और अब्दुल करीम बिन कैस, इब्ने अबी मुखारिक़ के भाई और अब्दुल करीम बिन मालिक अल-जज़्रमी सिक़ह् रावी हैं।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

5 - घोड़ों का गोश्त खाना.

1793 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ وَفِي البَاب عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ.

1793 - सय्यदना जाबिर (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें घोड़ों का गोश्त खिलाया और हमें गधों के गोश्त खाने से मना किया।

बुख़ारी: 4219. मुस्लिम: 1941. अबू दाऊद: 3788. इब्ने माजा:3119. निसाई:4327, 4330.

वजाहत: इस मसले में अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने इसे बवास्ता अम्र बिन दीनार, जाबिर (رضی اللہ) से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि हम्माद बिन ज़ैद ने इसे अम्र बिन

दीनार से बवास्ता मुहम्मद बिन अली सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है लेकिन इब्ने उयय्ना की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना वह कहते थे कि सुफ़ियान बिन उयय्ना हम्माद बिन ज़ैद (رحمه الله) से बड़े हाफ़िज़े हदीस थे।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

6 - पालतू गधों का गोश्त.

1794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

1794 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खैबर के मौक़ा पर औरतों के साथ मुत्आ करने और घरेलु (पालतू) गधों के गोश्त खाने से मना किया।

बुख़ारी: 4216. मुस्लिम:1407. इब्ने माजा:1961. निसाई:4334.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान अल-मख्ज़ूमी ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने ज़ोहरी से उन्होंने अब्दुल्लाह और हसन से हदीस बयान की है और यह दोनों मुहम्मद बिन हनफ़िया के बेटे हैं। अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद की कुनियत अबू हाशिम थी।

ज़ोहरी फ़रमाते हैं: इन दोनों में सब से ज़्यादा पसंदीदा रावी हसन बिन मुहम्मद हैं उन्होंने भी ऐसे ही रिवायत की है। जबकि सईद बिन अब्दुर्रहमान के अलावा बाकी रावी इब्ने उयय्ना से बयान करते हैं कि उनके नज़दीक अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बेहतर रावी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1795 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

1795 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि खैबर के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हर कचुली वाले दरिन्दे, बाँध कर मारे गए

عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالحِمَارَ الإِنْسِيَّ.

जानवर और पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया। "

मुस्लिम: 1933. इब्ने माजा: 3233. निसाई: 4324.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, बराअ, इब्ने अबी औफ़ा, अनस, इर्बाज़ बिन सारिया, अबू सअ्लबा, इब्ने उमर और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद वग़ैरह ने इस हदीस को मुहम्मद बिन अम्र से बयान करते वक़्त सिर्फ़ एक चीज़ का ज़िक्र किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कचुली वाले दरिन्दे के गोश्त से मना फ़रमाया है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ

7 - कुफ़्फ़ार के बर्तनों में खाना खाने का बयान.

1796 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: أَنْقُوهَا غَسْلاً، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ.

1796 - सय्यदना अबू सालबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उन्हें धोकर साफ़ कर लो और उन में खाना पका लो। "

सहीह: देखिए: हदीस: नम्बर: 1560.

नीज़ आप ने कचुली वाले दरिन्दे से मना फ़रमाया।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सालबा की यह हदीस मशहूर है जो उन से और इस्नाद के साथ भी मर्वी है। उनका नाम जर्सूम, जुर्हुम या नाशिब भी कहा जाता है। नीज़ यह हदीस अबू किलाबा से बवास्ता अबू अस्मा अर्रजी भी सय्यदना अबू सालबा (رضي الله عنه) से ज़िक्र की गई है।

1797 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

1797 - सय्यदना अबू सालबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!

الْعَيْشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ، فَذُكِّيَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ.

हम अहले किताब के इलाका में रहते हैं उनकी हांडियों में पकाते और उनके बर्तनों में पीते हैं? तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर तुम्हें इन के अलावा और बर्तन न मिलें तो उन्हें पानी से धो लो।" फिर उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम शिकार के इलाक़े में रहते हैं हम कैसे शिकार करें? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ो और अल्लाह का नाम ज़िक्र कर लो तो वह शिकार को मार भी दे तो तुम खालो और कुत्ता सधाया हुआ नहीं है तो अगर शिकार को ज़बह कर लिया जाए तो खा लो और जब तुम अपना तीर छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम ज़िक्र कर लो तो वह मार भी दे तो तुम उसे खा लो।"

बुख़ारी: 5478. मुस्लिम: 1930. 2852. इब्ने माजा: 3207

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ

8 - अगर चूहा घी में गिर कर मर जाए.

1798 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ.

1798 - सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) से रिवायत है कि एक चुहिया घी में गिर कर मर गई तो नबी(ﷺ) से इस के बारे में पूछा गया आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे और उसके इर्द गिर्द वाले घी को निकाल दो और बाकी खा लो।"

बुख़ारी: 235.अबू दाऊद:3841. निसाई:4259, 4258.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) से पूछा गया। इस में मैमूना (رضي الله عنها) का ज़िक्र नहीं है और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की मैमूना (رضي الله عنها) से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। जबकि मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है। लेकिन यह हदीस ग़ैर महफ़ूज़ है।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मामर की ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब अबू हुरैरा के ज़रिए नबी(ﷺ) से मर्वी हदीस में ज़िक्र है कि आप से पूछा गया तो आप ने फ़रमाया, "घी जब जमा हुआ हो तो उसे निकाल दो और इर्द गिर्द का घी भी उतार लो और अगर पिघला हुआ है तो उसके करीब न जाओ। " यह खता है। इस में मामर ने गलती की है और ज़ोहरी की उबैदुल्लाह से बवास्ता इब्ने अब्बास सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) से मर्वी हदीस सहीह है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

1799 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

9 - बाएं हाथ से खाने पीने की मनाही.

1799 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई शख़्स न अपने बाएं हाथ से खाए और न ही अपने बाएं हाथ से पिए, बेशक शैतान बाएं हाथ से खाता और बाएं हाथ से ही पीता है। "

मुस्लिम: 2020. अबू दाऊद: 3776.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, उमर बिन अबी सलमा, सलमा बिन अक्वा, अनस बिन मालिक और हफ्सा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मालिक बिन उयय्ना ने भी ज़ोहरी से बवास्ता अबू बकर बिन उबैदुल्लाह, इब्ने उमर (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है। जबकि मामर और

अकील ने ज़ोहरी से बवास्ता सालिम इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत की है लेकिन मालिक और इब्ने उयय्ना की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

1800 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (1).

1800 - सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख़्स खाए तो वह अपने दायें हाथ से खाए और दाएँ से ही पिए बेशक शैतान बाएँ हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है।"

सहीह.

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الأَصَابِعِ بَعْدَ الأَكْلِ

10 - खाने के बाद उंगलियाँ चाटना.

1801 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ.

1801 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख़्स खाना खाए तो वह अपनी उँगलियों को चाट ले, यक़ीनन वह नहीं जानता कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।"

सहीह: मुस्लिम: 2035. मुसनद अहमद: 2/341

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, काब बिन मालिक और अनस (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सुहैल की इस सनद से हसन ग़रीब है। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह अब्दुल अज़ीज़ की मुख्तलफ़ फीह (जिसमें इख्तिलाफ़ किया गया हो) रिवायत में से है जो सिर्फ़ इसी की सनद से मारूफ़ है।

11 - अगर कोई लुक्मा गिर जाए.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

1802 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख़्स खाना खाए और कोई लुक्मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि जो चीज़ उसको लगी है उसे साफ़ करे, फिर उसको खा ले और उसे शैतान के लिए न छोड़े।"

मुस्लिम: 2033. इब्ने माजा: 3279

1802 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لْيَطْعَمْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

1803 - सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) जब खाना खाते तो अपनी तीन उँगलियों को चाटते और आप ने फ़रमाया, "जब किसी आदमी का लुक्मा गिर जाए तो वह उस से ख़ाक वग़ैरह साफ़ करे और उसे खा ले, उसे शैतान के लिए न छोड़े" और आप ने हमें प्याला (बर्तन) साफ़ करने का हुक्म दिया और फ़रमाया, "बेशक तुम नहीं जानते कि तुम्हारे किस खाने में बरकत है।"

मुस्लिम; 2034. अबू दाऊद: 3845.

1803 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، وَقَالَ: إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

1804 - उम्मे आसिम जो सिनान बिन सलमा की उम्मे वलद लौंडी थीं, बयान करती हैं कि हमारे पास नुबैशा अल-ख़ैर (ﷺ) आए और हम एक प्याले में खा रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी प्याले में खाया फिर उसे चाट लिया तो प्याला उसके लिए बख़्शिश माँगता है।"

1804 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ المُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ.

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 3271. मुसनद अहमद: 5/76. दारमी:2032.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मुअ्ला बिन राशिद की सनद से जानते हैं इस हदीस को यज़ीद बिन हारून और दीगर अइम्म-ए- हदीस ने भी मुअ्ला बिन राशिद से रिवायत किया है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ

12 - खाने के दर्मियान से खाना मना है.

1805 - حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ.

1805 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक बरकत खाने के दर्मियान में नाजिल होती है पस तुम किनारों से खाओ और उसके दर्मियान न खाओ।"

सहीह: अबू दाऊद: 3772. इब्ने माजा: 3277.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। यह सिर्फ़ अता बिन साइब की सनद से ही मारूफ़ है। नीज़ शोबा और सौरी ने भी अता बिन साइब से रिवायत की है। और इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ

13 - लहसुन और प्याज (कच्ची हालत मे) खाने की कराहत.

1806 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ، قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: الثُّومِ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومِ، وَالْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، فَلاَ يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا.

1806 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने यह खाया, रावी कहते हैं: पहली मर्तबा लहसुन कहा। फिर लहसुन, प्याज़ और तरकारियाँ कहा। वह हमारी मस्जिदों में हमारे करीब न आए।"

बुख़ारी: 845. मुस्लिम: 564. अबू दाऊद: 2882.निसाई: 707.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में उमर, अय्यूब, अबू हुरैरा, अबू सईद, जाबिर बिन समुरा, कुर्रा बिन इयास अल-मुज़नी और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1807 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهِ ثُومٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ.

1807 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अबू अय्यूब के यहाँ ठहरे और आप जब खाना खा लेते तो बचा हुआ उन के पास भेज देते एक दिन उन्होंने आप(ﷺ) को खाना भेजा आप(ﷺ) ने उस में से कुछ भी न खाया। जब अबू अय्यूब, नबी(ﷺ) के पास आए तो आप से ज़िक्र किया, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "इसमें लहसुन था" उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! क्या यह हराम है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "नहीं! मगर इसकी बू की वजह से इसे नापसंद करता हूँ।"

सहीह: तयालिसी: 589. मुसनद अहमद:5/103. इब्ने हिब्बान:2094.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ مَطْبُوخًا

14 - लहसुन को पका कर खाना जायज़ है.

1808 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، وَالِدُ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلاَّ مَطْبُوخًا.

1808 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : कि लहसुन खाने से मना किया गया है सिवाए पके हुए के।

सहीह: अबू दाऊद: 3828. बैहक़ी: 3/78.

1809 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الثُّومِ إِلاَّ مَطْبُوخًا.

1809 - सय्यदना अली (ﷺ) फ़रमाते हैं : लहसुन खाना दुरुस्त नहीं है सिवाए पके हुए के।

सहीहैन.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं है और यह सय्यदना अली (ﷺ) का कौल रिवायत किया गया है। नीज़ शरीक बिन हंबल भी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत करते हैं।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी कहते हैं: जर्राह बिन मलीह सदूक़ और जर्राह बिन ज़ह्हाक मुकारिबुल हदीस है।

1810 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ البُقُولِ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي.

1810 - सय्यदा उम्मे अय्यूब (ﷺ) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने आप के खाने का तकल्लुफ किया जिनमें बाज़ (कुछ) सब्जियां थीं, आप(ﷺ) ने उसे खाना नापसंद किया और अपने सहाबा से कहा: तुम इसे खा लो। मैं तुम में से किसी आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं डरता हूँ की मैं अपने साथी जिब्रइल (अलैहि०) को तकलीफ़ दूं।

हसन: इब्ने माजा:3364. मुस्नद अहमद: 6/433. दारमी: 2060

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और उम्मे अय्यूब, अबू अय्यूब अंसारी (ﷺ) की बीवी हैं।

1811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ.

1811 - अबू आलिया (ﷺ) से रिवायत है वह कहते हैं कि लहसुन हलाल रिज्क में से है।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: अबू खल्दा का नाम ख़ालिद बिन दीनार है और यह मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह् रावी हैं। इन्होंने अनस बिन मालिक (ﷺ) से मुलाक़ात की और उन से हदीस भी सुनी। नीज़ अबू आलिया रफीउर्रियाही है। अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं अबू ख़ल्दा बेहतरीन मुसलमान थे।

15 - सोने के वक़्त बर्तनों को ढांपना नीज़ चिराग़ और आग को बुझा देना.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ

1812 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "दरवाजों को बंद करो, मश्कीज़ों के मुंह बंद कर दो, बर्तनों को ढाँप दो या बर्तनों में कपड़ा दे दो और चिराग़ को बुझा दो। बेशक शयातीन बंद दरवाज़े नहीं खोलते, बंद मश्कीज़े को नहीं खोलते और न ही बर्तन को नंगा करते हैं। बेशक चुहिया लोगों पर उनके घर जला देती है। "

बुख़ारी: 3260. मुस्लिम: 2012. अबू दाऊद: 3721. इब्ने माजा: 3410

1812 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلاَ يَحِلُّ وِكَاءً، وَلاَ يَكْشِفُ آنِيَةً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ से जाबिर (رضي الله عنه) से मर्वी है।

1813 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम सोते हो तो उस वक़्त अपने घरों में आग जलती हुई न छोड़ो। "

बुख़ारी: 6293. मुस्लिम: 2015. अबू दाऊद: 5246. इब्ने माजा: 3769.

1813 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

16 - दो खुजूरें मिला कर खाना मकरूह (नापसंदीदा) है.

1814 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ.

1814 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दो खुजूरों को मिलाने (मिला कर खाने) से मना किया, यहाँ तक कि अपने साथी से इजाज़त ले ले।

बुख़ारी: 3331. मुस्लिम: 6/ 122.

वज़ाहत: इस मसले में साद मौला बिन अबी बक्र (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

17 - खुजूर का इस्तेहबाब.

1815 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

1815 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस घर में खुजूर नहीं उसके रहने वाले भूके हैं।"

मुस्लिम: 2046. अबू दाऊद: 3831. इब्ने माजा: 3327

वज़ाहत: इस बारे में अबू राफ़ेअ (ﷺ) की बीवी सलमा (ﷺ) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हिशाम बिन उर्वा से इसी सनद के साथ जानते हैं और मैंने इमाम बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "यह्या बिन सिनान के अलावा मैं किसी को नहीं जानता जिसने उससे रिवायत की हो।

Sherkhan
9825 696 131

18 - खाने से फ़ारिग़ हो कर अल्लाह का शुक्र करना.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ

1816 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "बेशक अल्लाह तआला अपने बन्दों से राज़ी होता है कि वह कोई लुक्मा खाए या कोई घूँट पिए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे।"

मुस्लिम: 3734. मुसनद अहमद:3/ 100. शमाइल:194.

1816 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

वज़ाहत: इस मसले में उक़्बा बिन आमिर, आयशा, अबू सईद, अबू अय्यूब और अबू हुरैरा (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। बहुत से रावियों ने इसे ज़करिया बिन अबी ज़ायदा से इसी तरह रिवायत किया है। हम ज़करिया बिन अबी ज़ायदा की सनद से ही इसे मर्फू जानते हैं।

19 - कोढ़ ज़दा शख़्स के साथ मिलकर खाना.

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ المَجْذُومِ

1817 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक कोढ़ ज़दा शख़्स का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ प्याले में शामिल किया फिर फ़रमाया, "अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल कर के खाओ।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2925. इब्ने माजा: 3542.

1817 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَشْقَرُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي القَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: كُلْ بِسْمِ اللهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता यूनुस बिन मुहम्मद, मुफज्ज़ल बिन फ़ज़ाला से ही जानते हैं। यूनुस बसरह के रहने वाले बुज़ुर्ग थे और मुफज्ज़ल बिन फ़ज़ाला भी बसरह के ही एक और शैख थे और यह उनसे ज़्यादा सिक़ह् और मशहूर हैं।

नीज़ शोबा ने यह हदीस हबीब बिन शहीद से उन्होंने इब्ने बुरैदा से रिवायत की है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने कोढ़ ज़दा शख़्स का हाथ पकड़ा। और मेरे नज़दीक शोबा की हदीस ज़्यादा उम्दा और ज़्यादा सहीह है।

20 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

20 - मोमिन एक आंत में जबकि काफ़िर सात आँतों में खाता है.

1818 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ.

1818 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; "काफ़िर सात आँतों में खाता है और मोमिन एक ही आंत में खाता है।"

बुख़ारी: 5393. मुस्लिम: 2060. इब्ने माजा:3257.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा, अबू सईद, अबू बसरह् गिफ़ारी, अबू मूसा, जहजा गिफ़ारी, मैमूना और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1819 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ

1819 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक काफ़िर मेहमान आया तो आप(ﷺ) ने हुक्म दिया उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला गया। उसने पिया, फिर दूसरी बकरी का दूध निकाला गया उस ने पिया, फिर तीसरी बकरी का दूध निकाला गया उस ने पिया। यहाँ तक कि उस ने सात बकरियों का दूध पी लिया, फिर अगले दिन हुआ तो वह मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने हुक्म दिया,

حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

उसके लिए एक बकरी का दूध निकाला गया, उसने उसका दूध पिया, फिर आप ने दूसरी का हुक्म दिया तो वह उसे ख़त्म न कर सका तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन एक आंत में पीता है और काफ़िर सात आँतों में पीता है। "

बुख़ारी: 5396. मुस्लिम: 2063. इब्ने माजा: 3256.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सुहैल की सनद से सहीह हसन ग़रीब है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ

21 - एक आदमी का खाना दो आदमियों को पूरा आ जाता है.

1820 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.

1820 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "दो आदमियों का खाना तीन आदमियों को काफी हो जाता है और तीन आदमियों का खाना चार को काफ़ी होता है। "

बुख़ारी: 5392. मुस्लिम: 2058.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ जाबिर और इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक आदमी का खाना दो आदमियों को काफी होता है, दो आदमियों का खाना चार आदमियों को काफी होता है और चार आदमियों का खाना आठ आदमियों को काफी होता है।"

अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सुफ़ियान से उन्होंने आमश से बवास्ता अबू सुफ़ियान जाबिर (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की यह हदीस बयान की है।

22 - टिड्डी खाने का बयान.

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الجَرَادِ

1821 - अबू याफ़ूर अब्दी (رحمه الله) से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) से टिड्डी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया, "मैंने नबी(ﷺ) के साथ मिलकर छः गज़वात किए, हम टिड्डी खाते थे।

बुख़ारी: 5495. मुस्लिम: 1952. अबू दाऊद: 3812. निसाई:4356, 4357.

1821 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ العَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

तौज़ीह: جَرَاد : यह एक परदार (पंखवाला) कीड़ा है जो फसलों को तबाह करता है। हलाल होने की वजह से इसे ज़बह किए बगैर खाया जाता है। मारूफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हमारे लिए मरे हुए (ग़ैर मज्बूह) दो जानवर हलाल किए गए हैं: एक मछली दूसरा टिड्डी।"

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना ने इस हदीस को अबू याफ़ूर से रिवायत करते वक़्त छः गजावात का ज़िक्र किया है जबकि सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अबू याफ़ूर से बयान करते वक़्त सात गज़वात का ज़िक्र किया है। नीज़ इस मसले में इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1822 - सय्यदना इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मिलकर सात गज़वात किए, हम टिड्डी खाते थे।

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहजा फ़रमाएं.

1822 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَالمُؤَمَّلُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शोबा ने भी इस हदीस को अबू याफ़ूर से रिवायत किया है कि इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मिलकर कुछ गज़वात किए, हम टिड्डी खाते थे।

यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा से रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू याफ़ूर का नाम वाक़िद है। उन्हें वक़दान भी कहा जाता है। एक अबू याफ़ूर और भी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन उबैद बिन निस्तास है।

23 - टिड्डियों पर बद्दुआ का बयान.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ

1823 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब टिड्डी पर बद्दुआ करते तो कहते: "ऐ अल्लाह! टिड्डियों को हलाक कर दे, बड़ी टिड्डियों को मार दे और छोटी को हलाक कर दे, इसके अंडे खराब कर दे, इनकी नस्ल ख़त्म कर दे, इसके मुंह को हमारी मईशत और हमारी रोज़ी से रोक दे। बेशक तु दुआ सुनने वाला है।" रावी कहते हैं: एक आदमी ने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! आप अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर की नस्ल के खात्मे की बद्दुआ कैसे कर सकते हैं? तो आप ने फ़रमाया, "यह समंदरी मछली की छींक से पैदा हुई हैं।

मौज़ू.

1823 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْجَرَادَ، اقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا نَثْرَةُ حُوتٍ فِي الْبَحْرِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और मूसा बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम अत्तैमी पर जरह की गई है। यह अनोखी और मुन्कर अहादीस ज़्यादा से ज़्यादा रिवायत किया करता था जबकि उसके वालिद मुहम्मद बिन इब्राहीम मदनी सिक़ह रावी थे।

24- नजासत खोर (गंदगी खाने वाले) जानवरों का गोश्त और दूध

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

1824 - सय्यदना इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने नजासत खोर

1824 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ

مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

जानवर का गोश्त खाने और उसके दूध को पीने से मना फ़रमाया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3785. इब्ने माजा:3189.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। और सौरी ने यह हदीस इब्ने अबी नजीह से बवास्ता मुजाहिद (رحمه الله) मुर्सल रिवायत की है।

1825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الجَلاَّلَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

1825 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله) रिवायत करते हैं नबी(ﷺ) ने मुजस्समा (बांधकर निशानों से मारे गए जानवर, नजासत खोर जानवर) के दूध और मश्कीज़े के मुंह से पानी पीने से मना फ़रमाया है।

बुख़ारी: 2629. अबू दाऊद: 3719. इब्ने माजा:3421. निसाई:4448

वज़ाहत: मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: हमें इब्ने अबी अदी ने सईद बिन अबी अरूबा से उन्होंने क़तादा से उन्होंने इक्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (رضي الله) नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله) से भी हदीस मर्वी है।

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ

25 - मुर्गी खाने का बयान.

1826 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي العَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ.

1826 - ज़ह्दम जरमी (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैं अबू मूसा (رضي الله) के पास गया वह मुर्गी का गोश्त खा रहे थे तो उन्होंने फ़रमाया, "करीब हो जाओ और खाओ, पियो, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप इसे खा रहे थे।

बुख़ारी: 5517. मुस्लिम: 1649. निसाई:4346.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और यह हदीस दीगर इस्नाद से भी ज़ह्दम से मर्वी है। हम इसे ज़ह्दम के तरीक से ही जानते हैं। और अबू अव्वाम, इमरान अल- क़त्तान ही हैं।

1827 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ.

1827 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप मुर्गी का गोश्त खा रहे थे।

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें.

वज़ाहत: इस हदीस में इस से ज़्यादा क़लाम भी है और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अय्यूब सख्तियानी ने भी इस हदीस को इसी तरह ही क़ासिम तमीमी से बवास्ता अबू किलाबा, ज़ह्दम अल-जरमी से रिवायत किया है।

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الحُبَارَى

26 - हुबारा का गोश्त खाना.

1828 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى.

1828 - इब्राहीम बिन उमर बिन सफीना अपने बाप के ज़रिए अपने दादा (सय्यदना सफीना رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ (मिलकर) "हुबारा" का गोश्त खाया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3797. शमाइल:155. बैहक़ी:9/322

तौज़ीह: حُبَارَى: राख के रंग का लम्बी गर्दन वाला परिंदा, जो बहुत तेज़ और दूर तक उड़ता है और बहुत सादा तबीयत का परिंदा है। हुबारा, तलवर (Bustard) की एक क़िस्म से जो पाकिस्तान के सहराओं और जज़ीरतुल अरब में मिलती है। इसे Hubara Bustard भी कहा जाता है। यह लम्बी उड़ान करने वाले हलाल परिंदों में सब से वजनी होता है। अरब इसका शिकार करने पाकिस्तान जाते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और इब्राहीम बिन उमर बिन सफीना से इब्ने अबी फुदैक रिवायत लेते हैं उन्हें बुर्या बिन सफीना भी कहा जाता है।

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشِّوَاءِ

27 - भुना हुआ गोश्त खाना.

1829 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ

1829 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि उन्होंने (बकरी के) बाज़ू का भुना

جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ.

हुआ गोश्त रसूलुल्लाह(ﷺ) के करीब किया, आप ने इस में से खाया फिर नमाज़ के लिए खड़े हुए और वुज़ू नहीं किया।

सहीह: इब्ने माजा:419. निसाई: 182.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन हारिस, मुग़ीरह् और अबू राफ़े (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस सहीह ग़रीब है।

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مُتَّكِئًا

28 - टेक लगा कर खाने की कराहत.

1830 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا.

1830 - सय्यदना अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "आगाह रहो मैं टेक लगा कर नहीं खाता।"

बुख़ारी: 5398. अबू दाऊद: 3769. इब्ने माजा: 3262.

वज़ाहत: इस मसले में अली,अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे अली बिन अहमर की सनद से ही जानते हैं। ज़करिया बिन अबी ज़ियादा, सुफ़ियान बिन अबी सईद और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अली बिन अक़मर से रिवायत किया है। जबकि शोबा ने बवास्ता सुफ़ियान सौरी, अली बिन अक़मर से यह हदीस रिवायत की है।

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ

29 - नबी(ﷺ) को मीठी चीज़ और शहद पसंद था.

1831 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

1831 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) मीठी चीज़ और शहद को पसंद करते थे।

बुख़ारी: 5268. मुस्लिम: 1474. इब्ने माजा: 3323.

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और इसे अली बिन मुस्हिर ने भी हिशाम बिन उर्वा से रिवायत किया है।

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ

30 - शोरबा ज़्यादा करना.

1832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ.

1832 - अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह मुज़नी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख़्स गोश्त खरीदे तो वह शोरबे को ज़्यादा कर ले, चुनांचे जिसे गोश्त नहीं मिलेगा तो शोरबा मिल जाएगा यह भी एक गोश्त है।"

ज़ईफ़: हाकिम: 4/ 130.

वज़ाहत: इस मसले में अबू ज़र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन फ़िज़ा के तरीक से ही जानते हैं और मुहम्मद बिन फ़िज़ा, यह मुअब्बिर ही है। सुलैमान बिन हर्ब ने इस बारे में कलाम किया है और अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह यह बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी के भाई हैं।

1833 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ

1833 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से कोई भी शख़्स किसी भी नेकी को हकीर न समझे, अगर वह कुछ भी नहीं पाता तो अपने भाई को खंदा पेशानी से मिल ले और अगर तुम गोश्त खरीदो या हंडिया पकाओ तो उसका शोरबा ज़्यादा कर लिया करो और कुछ अपने हमसाये को भी दे दो।"

मुस्लिम: 2625. इब्ने माजा: 3326.

أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी अबू इमरान अल जौफ़ी से रिवायत की है।

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ

31 - सरीद की फ़ज़ीलत.

1834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

1834 - सय्यदना अबू मूसा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मर्दों में से बहुत कामिल हुए हैं जबकि औरतों में से मरियम बिन्ते इमरान और आसिया जौजा फिरोन के अलावा कामिल नहीं हुई। नीज़ आयशा की औरतों पर ऐसे फ़ज़ीलत है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फ़ज़ीलत है।"

बुख़ारी: 3411. मुस्लिम: 2431. इब्ने माजा: 3280. निसाई: 3947.

वज़ाहत: ثرد : الثَّرِيد : का मानी है तोड़ना और टुकड़े करना, रोटी के टुकड़े करके गोश्त के शोरबे में मिला कर खाने को सरीद कहा जाता है।

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

32 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ: انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا

32 - गोश्त को दांतों से नोच कर खाओ.

1835 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي فَدَعَا أُنَاسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

1835 - अब्दुल्लाह बिन हारिस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मेरे बाप ने मेरी शादी की तो वलीमे में लोगों को बुलाया, उन में सय्यदना सफ़वान बिन उमय्या (رضي الله عنه) भी थे उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ.

फ़रमाया; "गोश्त को दांतों से नोचो, बेशक यह लज़्ज़त और हज़म का बाइस है।"

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3739. हुमैदी: 564. मुसनद अहमद:3/400.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अब्दुल करीम की सनद से ही जानते हैं और बाज़ (कुछ) उलमा ने अब्दुल करीम मुअल्लिम के हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की है जिन में अय्यूब सख्तियानी भी हैं।

33 بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

33 - नबी(ﷺ) की तरफ़ से छुरी के साथ गोश्त काट कर खाने की रुख़्सत भी है.

1836 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

1836 - सय्यदना अम्र बिन उमय्या ज़मरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी(ﷺ) को देखा आप ने बकरी के कंधे से गोश्त काटा उसे खाया फिर नमाज़ के लिए चल दिए और वुज़ू नहीं किया।

बुख़ारी: 208. मुस्लिम: 355.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में मुग़ीरह् बिन शोबा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

34 - रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौन सा गोश्त ज़्यादा पसंद था?

1837 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ،

1837 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) के पास गोश्त लाया गया तो आप की तरफ़ दस्त का गोश्त बढ़ाया गया और वह आप को अच्छा लगता था। तो

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا.

आप(ﷺ) ने उस से नोच कर खाया।

बुख़ारी: 3340. मुस्लिम: 194. इब्ने माजा: 3307.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और अबू उबैदा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और अबू हय्यान का नाम यह्या बिन सईद बिन हय्यान तैमी है और अबू ज़रआ बिन अम्र बिन जरीर का नाम हरम है।

1838 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى، مِنْ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا.

1838 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि दस्त का गोश्त रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़्यादा पसंद नहीं था लेकिन आपको नागे के साथ मिलता था तो आप उसी की तरफ़ जल्दी करते थे क्योंकि वह जल्दी गल जाता है।

मुन्कर शमाइल: 170.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَلِّ

35 - सिर्के का बयान.

1839 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ.

1839 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सिर्का बेहतरीन सालन है। "

मुस्लिम: 2052. अबू दाऊद: 3820.

Sherkhan
9825 696 131

1840 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सिर्का बेहतरीन सालन है।"

सहीह: 2015. इब्ने माजा:3316. दारमी:2055. शमाइल:151.

1840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने बवास्ता यह्या बिन हस्सान, सुलैमान बिन बिलाल से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है लेकिन उन्होंने कहा: "बेहतरीन सालन या सालनों में बेहतरीन चीज़ सिर्का है।"

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हिशाम बिन उर्वा से सुलैमान बिन बिलाल के तरीक से ही मर्वी है।

1841 - सय्यदा उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या तुम्हारे पास कुछ है?" मैंने कहा: नहीं सिवाए (रोटी के) सूखे टुकड़े और सिर्के के। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे करीब करो, वह घर सालन से मोहताज नहीं होता जिस में सिर्का हो।"

हसन: शमाइल: 173.

1841 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है हम उम्मे हानी से इस हदीस को इसी सनद से ही जानते हैं।

अबू हम्ज़ा शिमाली का नाम साबित बिन अबी सफ़िय्या है और उम्मे हानी (رضي الله عنها), सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से काफ़ी अर्सा बाद फ़ौत हुई।

और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, मैं शाबी का उम्मे हानी (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) नहीं जानता। मैंने कहा: आप के नज़दीक

अबू हम्ज़ा कैसा रावी है? तो उन्होंने कहा कि अहमद बिन हंबल ने इसके बारे में कलाम किया है और मेरे नज़दीक मुकारिबुल हदीस है।

1842 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ.

1842 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सिर्का बेहतरीन सालन है।"

सहीह:

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और उम्मे हानी (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस मुबारक बिन सईद की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ البِطِّيخِ بِالرُّطَبِ

36 - ख़रबूज़ा और खुजूर इकट्ठे खाना.

1843 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

1843 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ख़रबूज़ा[1] या तरबूज़ खुजूर के साथ खाते थे।

सहीह: अबू दाऊद: 3836. शमाइल:198. इब्ने हिब्बान:5247.

तौज़ीह: البِطِّيخ : ख़रबूजे और तरबूज़ दोनों पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ख़रबूजे के लिए होता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 75)

वज़ाहत: इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और बाज़ (कुछ) ने इसे हिशाम बिन उर्वा उनके बाप के ज़रिए नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है। इस में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) का ज़िक्र नहीं है। नीज़ यज़ीद बिन रूमान ने भी बवास्ता उर्वा (رضي الله عنه) सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इस हदीस को रिवायत किया है।

37 –खुजूर के साथ खीरे खाना

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

1844 - अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) खीरों[1] को खुजूर के साथ खाते थे।

बुख़ारी: 5440. मुस्लिम: 2043. अबू दाऊद: 3835. इब्ने माजा: 2325.

1844 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

तौज़ीह: القِثَّاء: खीरा, ककड़ी के मुशाबेह, मिस्र में इसे عجوز، خيار और فقوس कहते हैं। (अल-कामूसुल वहीद:पृ. 1277)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे इब्राहीम बिन साद के तरीक से ही जानते हैं।

38 - ऊंटों का पेशाब पीना.

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ

1845 - सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि क़बील-ए-उरैना के कुछ लोग मदीना में आए तो उन्हें (यहाँ का वातावरण) नामुवाफ़िक़ हुआ। नबी(ﷺ) ने उन्हें सदका के ऊंटों के हमराह रवाना किया और फ़रमाया, "इन ऊंटनियों का दूध और पेशाब पियो।

सहीह: तख़रीज हदीस नम्बर 72 में गुज़र चकी है

1845 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: साबित के तरीक से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और यह कई दीगर इस्नाद के साथ भी अनस (ﷺ) से मर्वी है। इसे अबू किलाबा ने अनस (ﷺ) से रिवायत किया है। जबकि सईद बिन अबी अरूबा बवास्ता क़तादा, अनस (ﷺ) से रिवायत किया है।

39 - खाना खाने से पहले और बाद में वुज़ू करना.

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

1846 - सय्यदना सलमान (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैं तौरात में पढ़ता था कि खाने की बरकत उसके बाद वुज़ू करने में है। मैंने यह बात नबी(ﷺ) से ज़िक्र की और आपको वह बात बताई जो मैंने तौरात में पढ़ी थी तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "खाने की बरकत उस से पहले और उसके बाद वुज़ू करने में है। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3761. मुसनद अहमद:5/441.

1846 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَرِيمِ الجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ يَعْنِي الرُّمَّانِيَّ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالوُضُوءُ بَعْدَهُ.

वज़ाहत: इस बारे में अनस और अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम कैस बिन रूबीअ की सनद से ही जानते हैं और कैस बिन रूबीअ हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ अबू हाशिम रूमानी का नाम यह्या बिन दीनार है।

40 - खाने से पहले वुज़ू करना.

40 بَابٌ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

1847 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बैतूल खला से निकले तो आपको खाना पेश किया गया, लोगों ने कहा: हम आपके पास वुज़ू का पानी न लायें? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुझे

1847 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

Sherkhan
9825 696 131

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ.

वुज़ू करने का हुक्म उसी वक़्त दिया गया है जब मैं नमाज़ के लिये खड़ा हों। "

मुस्लिम: 376. अबू दाऊद: 3760. निसाई: 132

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे अम्र बिन दीनार ने भी बवास्ता सईद बिन हुवैरिस, इब्ने अब्बास (رضي الله) से रिवायत किया है। अली बिन मदीनी कहते हैं कि यह्या बिन सईद ने फ़रमाया कि सुफ़ियान सौरी खाने से पहले हाथ धोने को भी मकरूह समझते थे और रोटी को प्याले के नीचे रखना नापसंद करते थे।

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الطَّعَامِ

41 - खाने के दौरान बिस्मिल्लाह कहना.

1848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ أَبُو الْهُذَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَذْرِ، وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ: يَا

1848 - सय्यदना इक्राश बिन ज़ुऐब (رضي الله) बयान करते हैं कि बनू मुर्रा में उबैद ने मुझे अपने अमवाल की ज़कात देकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ भेजा, मैं आप के पास मदीना में आया तो मैंने आपको मुहाजिरीन व अंसार के दर्मियान बैठा हुआ पाया। रावी कहते हैं: फिर आप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उम्मे सलमा (رضي الله) के घर की तरफ़ ले गए। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या कुछ खाना है?" तो हमारे पास एक बड़ा सा प्याला लाया गया जिस में सरीद और गोश्त के टुकड़े थे, हम उस से खाने लगे। मैं अपना हाथ उसके किनारों में चलाने लगा और रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने आगे से ही खा रहे थे आप(ﷺ) ने अपने बाएं हाथ से मेरा दायाँ हाथ पकड़ा फिर फ़रमाया, "ऐ इक्राश एक ही जगह से खाओ, यह एक ही क़िस्म का खाना है। " फिर हमें एक थाल दिया गया जिस

عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ، أَوْ مِنْ أَلْوَانِ الرُّطَبِ، عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ، قَالَ: فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ: يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: يَا عِكْرَاشُ، هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

में तरह तरह की खुजूरें थीं। रावी कहते हैं: मैंने अपने आगे से खाना शुरू कीं और रसूलुल्लाह(ﷺ) का हाथ थाल में घूम रहा था आप ने फ़रमाया; "ऐ इक्राश जहां से चाहो खाओ यह एक क़िस्म का नहीं है।" फिर हमें पानी दिया गया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने दोनों हाथ धोये और अपनी हथेलियों की नमी से अपने चेहरे, बाजुओं और सर को साफ़ किया और फ़रमाया: "ऐ इक्राश! जिसे आग तब्दील कर दे उसके खाने से यही वुज़ू है।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3274. इब्ने खुजैमा: 2282.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अला बिन फ़ज़ल के तरीक से ही जानते हैं और अला इस हदीस को बयान करने में अकेला है।

नीज़ इस हदीस में एक क़िस्सा भी है और इक्राश की नबी(ﷺ) से सिर्फ़ यही एक हदीस हम जानते हैं।

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ

42 - कद्दू खाना.

1849 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكِ إِلاَّ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكِ.

1849 - अबू तालूत रिवायत करते हैं कि मैं अनस (رضي الله عنه) के पास गया वह कद्दू खा रहे थे और फ़रमा रहे थे: ऐ दरख़्त मैं तुझे इस लिए पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रसूल तुझे पसंद करते थे।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3302.

वज़ाहत: इस बारे में हकम बिन जाबिर की अपने बाप से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है।

1850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ فِي الصَّحْفَةِ، يَعْنِي الدُّبَّاءَ، فَلاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ.

1850 - सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप प्याले में कद्दू तलाश कर रहे थे। तब से मैं हमेशा उसे पसंद करता हूँ।

बुख़ारी: 2092. मुस्लिम: 2041. अबू दाऊद:3782.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह हदीस कई सनदों के साथ सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से मर्वी है। नीज़ यह भी मर्वी है कि उन्होंने नबी(ﷺ) के सामने कद्दू देखा तो आप से कहा: यह क्या है? आप ने फ़रमाया, "यह कद्दू है। इस के साथ हम अपना खाना बढ़ाते हैं।"

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

43 - जैतून का तेल खाना.

1851 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

1851 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जैतून का रोगन खाओ और इसे बतौर तेल लगाओ क्योंकि यह बा बरकत दरख़्त है।"

सहीह: इब्ने माजा: 3319. शमाइल: 158.

वज़ाहत: الزَّيْتَ : ज़ैतून का तेल, दूसरी अक्साम के तेलों पर इजाफ़त के साथ बोला जाता है। जैसे ज़ैतुल हार: अलसी का तेल, ज़ैतुल ख़ुरू: अरंडी का तेल वग़ैरह। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 483)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम मामर से बवास्ता अब्दुर्रज़ाक ही जानते हैं और अब्दुर्रज़ाक इस हदीस की रिवायत में इज़्तिराब करते हैं। वह कभी इसे बवास्ता उमर (ﷺ) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं और कभी शक के साथ कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उमर (ﷺ) ने नबी(ﷺ) से रिवायत की है और कभी ज़ैद बिन असलम से उनके वालिद के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायात करते हैं।

अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू दाऊद सुलैमान बिन माबद ने, वह कहते हैं: हमें अब्दुर्रज़्ज़ाक ने मामर से उन्होंने ज़ैद बिन असलम से उनके वालिद के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। इस में उमर (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है।

1852 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

1852 - सय्यदना अबू उसैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी((ﷺ)) ने फ़रमाया, "जैतून खाओ और इसका तेल लगाओ बेशक यह बा बरकत दरख़्त है।"

सहीह: मुसनद अहमद: 3/497. दारमी: 2058. हाकिम:2/397

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुल्लाह बिन ईसा से सुफ़ियान सौरी के तरीक से ही जानते हैं।

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالعِيَالِ

44 - गुलाम और अहलो अयाल के साथ मिलकर खाना.

1853 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ.

1853 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से किसी आदमी का खादिम खाना बनाने की वजह से आग की तपिश और धुआं बर्दाश्त करे तो उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ बिठा ले अगर वह इनकार करे तो एक लुक्मा पकड़ कर उसे खिला दे।"

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस्माईल के वालिद अबू ख़ालिद का नाम सअद है।

45 - खाना खिलाने की फ़ज़ीलत.

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

1854 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और काफ़िरों की खोपड़ियों पर मारो तुम जन्नतों के वारिस बना दिए जाओगे।"

ज़ईफ़.

1854 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ، تُورَثُوا الْجِنَانَ.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, इब्ने उमर, अनस, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अब्दुर्रहमान बिन आइश (رضي الله عنه) और शुरैह बिन हानी की अपने बाप से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने जियाद से मर्वी अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

1855 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को फैलाओ तुम जन्नत में सलामती से दाख़िल हो जाओगे।"

सहीह: इब्ने माजा: 4694. अदबुल मुफ़रद:981. दारमी:2087.

1855 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

46 - रात के खाने की फ़ज़ीलत.

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ

1856 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "रात का खाना खाया करो अगरचे नाकिस खुजूरों की एक मुट्ठी ही हो, बेशक रात का

1856 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

عِلاَّقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ العَشَاءِ مَهْرَمَةٌ.

खाना छोड़ देना बुढ़ापे का बाइस है।"

ज़ईफ़: अबू याला: 4353. हुलिया:8/214.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। अंबसा को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। नीज़ अब्दुल मलिक बिन अल्लाक़ भी मजहूल है।

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

47 - खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना.

1857 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ: ادْنُ يَا بُنَيَّ، وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

1857 - सय्यदना उमर बिन अबू सलमा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गए और आपके पास खाना था आप ने फ़रमाया, "ऐ बेटे! करीब हो जाओ. अल्लाह का नाम लो, अपने दायें हाथ से और अपने सामने से खाओ।"

बुख़ारी:5376. मुस्लिम:2022. अबू दाऊद: 3777.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हिशाम बिन उर्वा से बवास्ता अबू जज़ा सअदी, मुज़ैना कबीले के एक आदमी के ज़रिए भी उमर बिन अबी सलमा (رضي الله عنه) से मर्वी है। और हिशाम के शागिर्दों का इस हदीस की रिवायत में इख़्तिलाफ़ है। नीज़ अबू जज़ा सअदी का नाम यज़ीद बिन उबैद है।

1858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

1858 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो वह ''बिस्मिल्लाह'' कहे अगर शुरू में भूल जाए तो कहे ''बिस्मिल्लाहि फी अवलिही व आख़िरिही''

सहीह: अबू दाऊद:3767.मुसनद अहमद: 6/207.

वज़ाहत: इसी सनद से यह भी मर्वी है कि सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: कि नबी(ﷺ) अपने छ सहाबा के साथ खाना खा रहे थे तो एक आराबी आ गया, वह उसे दो लुक़्मों में खा गया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो यह खाना तुम्हें काफी था।"

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उम्मे कुलसूम मुहम्मद बिन अबी बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) की बेटी हैं।

तौज़ीह: सहीह लिग़ैरिही: सहीहुत्तर्ग़ीब 2107, अबू दाऊद 3767 तोहफतुल अशरफ़ 17988

48 - चिकनाई की बू हाथ में हो तो रात बसर करना मकरूह है.

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

1859 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शैतान बहुत ही हस्सास और बू सूंघने वाला है। तुम अपने आप को इस से बचाओ। जिस शख़्स ने रात गुज़ारी और उसके हाथ में चिकनाई की बू हो तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वह अपने आप को ही मलामत करे।"

मौज़ू: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा:5533. हाकिम:4/ 119.

1859 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और सुहैल बिन अबी सालेह से उनके वालिद के ज़रिए अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

1860 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने रात गुज़ारी और उसके हाथ में चिकनाई की बू हो तो अगर उसे कुछ हो जाए तो वह अपने आप को ही मलामत करे।"

1860 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

सहीह: अबू दाऊद: 3852. इब्ने माजा:3297. मुसनद अहमद:2/263.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है आमश से हम इसी तरीक़ के ज़रिए जानते हैं।

ख़ुलासा

- घोड़ा, लगड़बघ्घा, और सांडा हलाल हैं, हमारे यहाँ नहीं खाए जाते तो और बात है।
- चूहा घी में गिर जाने से सारा घी नजिस (नापाक)नहीं होता।
- बाएं हाथ से खाना मना है. नीज़ खाने के बाद उंगलियाँ चाटना भी लाज़मी है।
- खाना अपने आगे से खाए। नीज़ कोई लुक़्मा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खा लें।
- कच्चा लहसुन या पियाज़ खा कर मस्जिद में न जाएँ।
- आग बुझा कर और बर्तनों को ढाँप कर सोयें।
- खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल-हम्दुलिल्लाह कहना बाइसे बरकत है।
- खरगोश और टिड्डी हलाल हैं।
- नबी(ﷺ) को मीठी चीज़ और शहद पसंद था।
- खाने के बाद अगर हाथ साफ़ कर लिए जाएँ तो बेहतर हैं।
- मिस्कीनों को खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाला अमल है।
- रात को हाथ धोये बग़ैर न सोयें।

मज़मून नम्बर 24.

أَبْوَابُ الأَشْرِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी मशरूबात (पीने की चीज़ों) के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

36 अहादीस के साथ 21 अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि:

- शराब किन- किन चीजों से बनती है?
- कौनसा मशरूब हराम होता है?
- पानी पीने के आदाब क्या हैं?

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ

1861 - حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ.

1 - शराब पीने वाला.

1861 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “हर नशा करने वाली चीज़ ख़मीर (शराब) है, हर नशा करने वाली चीज़ हराम है और जिस ने दुनिया में शराब पी (फिर) मरा और वह उसकी आदत रखता था तो वह आख़िरत में उसे नहीं पी सकता।”

बुख़ारी: 5575. मुख़्तसर. मुस्लिम:2003.अबू दाऊद:3679.इब्ने माजा:3373. निसाई:5671.

तौज़ीह: خَمر : लफ़्ज़ी मानी ढांपना लेकिन यह लफ़्ज़ शराब के लिए मुस्तमल है(इस्तेमाल किया जाता है) क्योंकि शराब भी अक़्ल को ढाँप देती है। यह मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों तरह आता है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अम्र, उबादा, अबू मालिक अशअरी और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से मर्वी है। जबकि मालिक बिन अनस ने इसे बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मौकूफ़ रिवायत किया है और इसको मर्फू ज़िक्र नहीं किया।

1862 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الخَبَالِ قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمَا نَهْرُ الخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

1862 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने शराब पी चालीस दिन तक उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होगी। पस अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता फिर अगर तौबा कर लेता तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल करता है, अगर फिर पीता है तो अल्लाह तआला उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कुबूल करता है अगर चौथी मर्तबा पीता है तो अल्लाह उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं करता, फिर अगर तौबा करता है तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल नहीं करता और वह क़यामत के दिन उसे खबाल की नहर से पिलाएगा।" कहा गया: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! खबाल की नहर क्या है? उन्होंने फ़रमाया, जहन्नमियों की पीप की नहर है।

सहीह: तयालिसी: 1901. अब्दुर्रज्ज़ाक़: 10758.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अम्र और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी(ﷺ) से मर्वी है।

Sherkhan
9825 696 131

2 - हर नशा आवर (नशा लाने वाली) चीज़ हराम है.

2 بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

1863 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) से "बितई"[1] के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर वह मशरूब(पीने की चीज़ें) जो नशा करे वह हराम है।"

बुख़ारी:242. मुस्लिम:2001.अबू दाऊद:3682. इब्ने माजा:3386. निसाई: 5590, 5594.

1863 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ البِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

तौज़ीह: البِتْع : शहद से बनाई जाने वाली शराब को "बितई" कहा जाता है।

1864 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "हर नशा करने वाली चीज़ हराम है।"

मुस्लिम: 2003. अबू दाऊद:3679. इब्ने माजा:3378. निसाई:5582, 5586.

1864 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ الكُوفِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, इब्ने मसऊद, अनस, अबू सईद, अबू मूसा, अशज असरी, दैलम, मैमूना, आयशा, इब्ने अब्बास, कैस बिन साद, नौमान बिन बशीर, मुआविया, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, उम्मे सलमा, बुरैदा, अबू हुरैरा, वाइल बिन हुज्र और क़ुर्रा अल मुज़नी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) भी नबी(ﷺ) से इसी तरह मर्वी है और यह दोनों हदीसें सहीह हैं। नीज़ कई रावियों ने मुहम्मद बिन अम्र से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है और अबू सलमा से बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी नबी(ﷺ) से मर्वी है।

3 - जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार नशा करे उसकी थोड़ी मिक़्दार (मात्रा) भी हराम है.

3 بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

1865 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार (मात्रा) नशा करे वह थोड़ी भी हराम है।"

सहीह: अबू दाऊद: 3681. इब्ने माजा:3393.

1865 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الفُرَاتِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

वज़ाहत: इस मसले में साद, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, इब्ने उमर और ख़वात बिन जुबैर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मर्वी यह हदीस हसन ग़रीब है।

1866 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर नशा करने वाली चीज़ हराम है। जिस चीज़ का फ़रक़[1] नशा करे उसकी एक मुट्ठी भी हराम है।"

सहीह: अबू दाऊद: 3687. मुसनद अहमद:6/71

1866 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ الفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ: قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ: الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.

तौज़ीह: (1) एक फ़रक़ में तीन साअ (लगभग 9 लीटर) आते हैं लेकिन यहाँ एक फ़रक़ या मुट्ठी भर से कसीर और क़लील मिक़्दार (मात्रा) मुराद है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उन में से एक रावी ने अपनी हदीस में कहा है कि उसका एक घूँट भी हराम है।

यह हदीस हसन है। इसे लैस बिन सुलैम और रबीअ बिन सबीह ने भी अबू उस्मान अंसारी से महदी बिन मैमून की तरह रिवायत किया है। नीज़ अबू उस्मान अंसारी का नाम अम्र बिन सालिम है। उन्हें अम्र बिन सालिम भी कहा जाता है।

4 - घड़ों में नबीज़ बनाना.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الجَرِّ

1867 - ताऊस (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि एक आदमी इब्ने उमर (رضي الله عنه) के पास आकर कहने लगा: क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) ने घड़ों में नबीज़ बनाने से मना किया है? तो उन्होंने फ़रमाया, "हाँ! ताऊस कहते है: अल्लाह की क़सम मैं ने खुद यह उन से सुना है।

मुस्लिम: 1997. अबू दाऊद:3690. निसाई:5614.

1867 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अबी औफ़ा, अबू सईद, सुवैद, आयशा, इब्ने जुबैर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

5 - दुब्बा, नक़ीर और हन्तम में नबीज़ बनाना मना है.

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

1868 - अम्र बिन मुर्रा (رحمه الله) से रिवायत है कि मैंने ज़ाजान से सुना वह कह रहे थे: मैंने इब्ने उमर (رضي الله عنه) से पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

1868 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ زَاذَانَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَوْعِيَةِ، وَأَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَنْتَمَةِ وَهِيَ الجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ القَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ يُنْسَحُ نَسْحًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهِيَ الْمُقَيَّرُ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ.

किन बर्तनों[1] के इस्तेमाल से मना किया है? नीज़ आप हमें अपनी ज़बान में बताइए और हमारी ज़बान में उसकी तफ़सीर कीजिये। तो उन्होंने ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हन्तम से मना किया, और यह घड़ा होता है और आप(ﷺ) ने दुब्बा से मना किया यह खुजूर का तना जिसमें सूराख किया जाता है या उसका छिलका उतार लिया जाता है और आप ने मुज़फ्फत से मना किया यह मुक़य्यज़ होता है। और आप(ﷺ) ने आम मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने का हुक्म दिया।

मुस्लिम:6/97.मुसनद अहमद: 2/56. अबू अवाना:5/289. बैहक़ी:8/309.

तौज़ीह: (1) इस्लाम से पहले लोग जिन बर्तनों में शराब बनाया करते थे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनमें नबीज़ (फलों, ख़ुजूर, किशमिश और दीगर ख़ुश्क या तर फलों का पानी, पानी के ज़रिए बनाया गया आमेज़ा (मिलावट)) जो बतौर मशरूब इस्तेमाल होता था। बनाकर पीने से मना फ़रमाया है। इस गरज से उमूमन चार क़िस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे।

(2) الدُّبَّاءِ : बड़े साइज़ के कद्दू जब खुश्क हो जाए तो उनके अन्दर का गूदा वग़ैरह निकाल कर सख़्त खोल को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अफ़्रीका के मुल्कों में आज भी उसका रिवाज है। वहाँ ऐसे कद्दू पाए जाते हैं जो नीचे से गोल हो जाते हैं और ऊपर की तरफ़ उनकी बहुत लम्बी गर्दन होती है। उनको भी अन्दर से खाली कर के मशरूब वग़ैरह के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बिलकुल सुराही की शक्ल का होता है। फ़ारसी शाइरी में इसी लिए कद्दू का लफ़्ज़ शराब के बर्तन या सुराही के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाहर की सतह सख़्त और नमी पुरूफ़ जबकि अन्दर की सतह इस्फंजी होती है और अगर उसको शराब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो धोने के बावजूद उसकी अन्दुरूनी इस्फंजी सतह में खामिरह यानी वह माद्दा जो नबीज़ के रस वग़ैरह में खुमार उठाने का सबब बन जाता है मौजूद होता है। इस लिए ऐसे बर्तन में फलों का रस तैयार करने या रखने से मना कर दिया गया है।

(3) حَنْتَم : शराब बनाने की गरज से मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तनों को इस तरह बनाया जाता था कि उनकी मिट्टी गूंधते वक़्त इस में खून और बाल मिला दिए जाते थे इस से उन बर्तनों का रंग सियाही माइल सब्ज़ हो जाता था। गर्ज़ यह होती कि इसकी सतह से हवा का गुज़र बंद हो जाए और तख्मीर का अमल

तेज़ और शदीद हो जाए। (फ़तहुल बारी, किताबुल अशरिबा, बाबो तर्खीसिन्नबी फिल औइयति)

ऐसे बर्तनों के अन्दर हवा की बंदिश को यकीनी बनाने के लिए रोगन वग़ैरह भी लगा दिया जाता था। यह बर्तन अपनी साख्त में गंदे और गलीज़ होने के अलावा अन्दुरूनी सतह पर शराब के खामिरों को छिपाए रखते थे जिनकी वजह से इस में भी तेज़ी से तख्मीर (नशे) का अमल शुरू हो जाता था।

(4) مُزَفَّتٌ: वह बर्तन जिसके अन्दर रोगन, "जफत" मिलाया गया हो, या तारकोल से मिलता जुलता मअ्दनी है। (लिसानुल अरब) "जफ्त" मिलने का मकसद भी वही था कि हवा का गुज़र न हो और शराब साज़ी के लिए अमले तख्मीर जल्द और शिद्दत से शुरू हो जाए। यह भी दूसरे बर्तनों की तरह शराब के खामिरों का हामिल होता था। इस के अलावा रोगन मिलने की वजह से चिपचिपा और ना साफ़ भी होता था।

5. مُقَيَّر : खुजूर के तने को अन्दर से खोखला करके बनाया जाता था और इसमें शराब बनाई जाती थी। बाज़ (कुछ) लोग तो दरख़्त के तने का ऊपर का काफी हिस्सा काट कर उसे खोखला करते लेकिन उसकी जड़ें उसी तरह ज़मीन में रहने देते। ज़ाहिर है इसका सहीह तौर पर धोना मुम्किन न था, इसकी अन्दुरूनी सतह पर शराब के खामिरे और दूसरी गंदगी भी मौजूद रहती थी, इस में फलों वग़ैरह का नबीज़ बनाया जाता तो वह जल्द शराब में तब्दील हो जाता था। इसका इस्तेमाल भी मम्नून(ग़ैर दुरुस्त) क़रार दिया गया। अरब मशरूबात और शराब के आदी थे। तो उन्हें मामूली नशे का एहसास भी न होता था। इसलिए हुर्मते शराब की इब्तिदा में उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना कर दिया गया। मगर बाद में इजाज़त दे दी गई थी।

वज़ाहतः इस मसले में उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान बिन यामर, समुरा, अनस, आयशा, इमरान बिन हुसैन, आइज़ बिन अम्र, हकम गिफ़ारी और मैमूना (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

6 - हर क़िस्म के बर्तनों में नबीज़ बनाने की रुख़्सत.

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ

1869 - सय्यदना बुरैदा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मैंने तुम्हें कुछ बर्तनों से मना किया था और बेशक कोई भी बर्तन न किसी चीज़ को हलाल करता है

1869 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

और न ही उसे हराम करता है लेकिन हर नशाआवर चीज़ हराम है।

मुस्लिम:977. अबू दाऊद:3699. निसाई: 2033

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1870 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الأَنْصَارُ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، قَالَ: فَلاَ إِذَنْ.

1870 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुछ बर्तनों के इस्तेमाल से मना किया तो अंसार ने शिक्वा किया कि हमारे पास और बर्तन नहीं हैं, तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया; "ऐसा मामला है तो तब मैं नहीं रोकता।"

बुख़ारी:5592. अबू दाऊद:3699. निसाई:5556.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, अबू सईद और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ

7 - मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना.

1871 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، يُوكَأُ فِي أَعْلاَهُ، لَهُ عَزْلاَءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

1871 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिए एक मश्कीज़े में नबीज़ बनाया करती थीं जिसे ऊपर से बंद कर दिया जाता, उसके नीचे पेंदा था, हम सुबह नबीज़ बनातीं आप रात को पी लेते और रात को नबीज़ बनातीं तो आप सुबह पी लेते।

सहीह: मुस्लिम:2005. अबू दाऊद:3711.इब्ने माजा:3398. तोहफतुल अशराफ़:17836.

वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, अबू सईद और इब्ने अब्बास (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। यूनुस बिन उबैद से हम सिर्फ़ इसी तरीक़ (सनद) से इसे जानते हैं और यह हदीस सय्यदा आयशा (رضی اللہ) से एक और सनद से भी मर्वी है।

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الخَمْرُ

8 - वह दाने जिन से शराब बनाई जाती थीं.

1872 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا.

1872 - सय्यदना नौमान बिन बशीर (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلی اللہ علیہ وسلم) ने फ़रमाया, "बेशक गंदुम से भी शराब बनती है, जौ से भी शराब बनती है, खुजूर से भी शराब बनती है, किशमिश मुनक्का से भी शराब बनती और शहद से भी शराब बनती है।

सहीह: अबू दाऊद:3676. इब्ने माजा:3379.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा (رضی اللہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

1873 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، نَحْوَهُ، وَرَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ.

1873 - सय्यदना उमर (رضی اللہ) बयान करते हैं कि गंदुम से भी शराब बनती है फिर यही हदीस बयान की।

बुख़ारी:4619. मुस्लिम:3032. अबू दाऊद:3669. निसाई:5578

1874 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ

1874 - अबू ईसा कहते हैं: हमें यह ऊपर वाली हदीस अहमद बिन मनीअ ने बयान की वह कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने अबू

أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا وَهَذَا

हय्यान अत्तैमी से उन्होंने शाबी से बवास्ता इब्ने उमर सय्यदना उमर (رضي الله) से रिवायत की कि गंदुम से भी शराब बनती है यही मज़्कूरा हदीस।

सहीह. तख़रीज के लिए पिछली हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं.

वज़ाहत: यह रिवायत इब्राहीम बिन मुहाजिर की हदीस से ज़्यादा सहीह है और अली बिन मदीनी, यह्या बिन सईद का कौल नक़ल करते हैं कि इब्राहीम बिन मुहाजिर हदीस में क़वी नहीं है। नीज़ और इस्नाद से भी यह हदीस शाबी से इसी तरह नौमान बिन बशीर (رضي الله) से मर्वी है।

1875 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالعِنَبَةُ.

1875 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शराब इन दरख्तों के फलों से बनती है: खुजूर और अंगूर"

मुस्लिम:1985. अबू दाऊद:3678. इब्ने माजा:3378. निसाई:5572.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू कसीर सुहैमी अल ग़बरी ही हैं। उनका नाम यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान बिन गुफैला है। नीज़ शोबा ने भी इक्रिमा बिन अम्मार से इस हदीस को रिवायत किया है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ

9 - नीम (आधा) पुख्ता और पुख्ता खुजूर मिला कर नबीज़ बनाना.

1876 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

1876 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नीम पुख्ता और पुख्ता खुजूर को मिला कर इकट्ठे नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है।

बुख़ारी: 5601. मुस्लिम: 1986. अबू दाऊद:3703. इब्ने माजा:3395. निसाई:5556.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1877 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ الجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا.

1877 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने नीम पुख़्ता और पक्की खुजूर को नबीज़ में इकट्ठा करने से मना किया, किशमिश और खुजूर को मिलाने से भी और घड़ों में नबीज़ बनाने से भी मना किया।

मुस्लिम: 1987. निसाई:5553

वज़ाहत: इस मसले में अनस, जाबिर, अबू क़तादा, इब्ने अब्बास, उम्मे सलमा (رضي الله عنه) और माबद बिन काब की अपनी मां से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

10 - सोने और चांदी के बर्तनों में पीना मना है.

1878 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

1878 - इब्ने अबी लैला बयान करते हैं कि सय्यदना हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) ने पानी माँगा तो एक आदमी ने उनके पास चांदी के बर्तन में पानी ले कर आया, उन्होंने इसे फ़ेंक दिया और फ़रमाया, मैंने उसे रोका था लेकिन यह बाज नहीं आया, बेशक रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीने और हरीरो रेशम पहनने से मना फ़रमाया है और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह इन काफ़िरों के लिए दुनिया में हैं और तुम्हारे लिए आख़िरत में होंगे। "

बुख़ारी: 5426. मुस्लिम:2067.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा, बराअ और आयशा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

11 - खड़े होकर पानी पीने की मुमानअत (मनाही)

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

1879 - सय्यदना अनस (﵁) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने मना किया कि आदमी खड़े होकर पानी पिए, आप से कहा गयाः खाना? आप ने फ़रमाया, "वह इस से बड़ी चीज़ है।"

मुस्लिम:2024. अबू दाऊद:3717. इब्ने माजा:3424.

1879 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا فَقِيلَ: الأَكْلُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (﵀) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1880 - सय्यदना जारूद बिन अला (﵁) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने खड़े होकर पीने से मना फ़रमाया है।

सहीह.

1880 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الجَذْمِيِّ، عَنِ الجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

वज़ाहतः इस मसले में अबू सईद, अबू हुरैरा, और अनस (﵁) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन गरीब है और बहुत से रावियों ने इस हदीस को सईद से बवास्ता क़तादा, अबू मुस्लिम के ज़रिए जारूद से इसी तरह रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान की गुमशुदा चीज़ को उठा लेना आग से जलाने का बाइस है।" जारूद बिन मुअ्ला को जारूद बिन अला भी कहा जाता है लेकिन जारूद बिन मुअ्ला सहीह है।

12 - खड़े होकर पीने की रुख़्सत.

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

1881 - सय्यदना उमर (﵁) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में चलते हुए खा लेते थे और खड़े हो कर पी लेते थे।

सहीहः इब्ने माजा:3301.मुसनद अहमद:2/108. दारमी:2132.

1881 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: उबैदुल्लाह बिन उमर की बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मर्वी यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इमरान बिन जरीर ने इस हदीस को अबुल बजरी के ज़रिए इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है और अबुल बजरी का नाम यज़ीद बिन अता है।

1882 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ज़म ज़म का पानी खड़े हो कर पिया।

बुख़ारी:1637. मुस्लिम:2027. इब्ने माजा:3422. निसाई:2964.

1882 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

वज़ाहत: इस बारे में अली, साद, अब्दुल्लाह बिन अम्र और आयशा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1883 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप खड़े हो कर और बैठ कर दोनों तरह ही पी लेते थे।

हसन: मुसनद अहमद: 2/ 174. अबू दाऊद:653. इब्ने माजा:931.

1883 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

.13 –बर्तन में साँस लेना

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

1884 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) बर्तन में तीन सांस लेते थे और फ़रमाते: "यह खुशगवारी और सैराबी का बाइस है।"

मुस्लिम:2028. अबू दाऊद:3727.

1884 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا وَيَقُولُ: هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى:

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इसे हिशाम दस्तवाई ने भी

अनस (ﷺ) से रिवायत किया है। नीज़ अज़रा बिन साबित से बवास्ता सुमामा, सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) बर्तन में पीते वक़्त तीन सांस लेते थे।

अबू ईसा कहते हैं: यह हदीस हमें बिंदार ने उन्हें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने उन्हें अज़रा बिन साबित अंसारी ने बवास्ता सुमामा बिन अनस, सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) बर्तन में तीन सांस लेते थे। फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है।

1885 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الجَزَرِيِّ، عَنْ ابْنٍ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

1885 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम ऊँट के पीने की तरह एक ही सांस में न पियो बल्कि दो-दो या तीन-तीन साँसों में पियो और जब तुम पीने लगो तो अल्लाह का नाम लो और जब तुम बर्तन रखो अल्लाह का शुक्र अदा करो। "

ज़ईफ़: अल-मोजमुल कबीर लित् तबरानी: 11378.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और यज़ीद बिन सिनान अल जज़री यह अबू मरवा अर्रहावी ही हैं।

14 بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ

14 - दो साँसों में पीना.

1886 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ:

1886 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जब पीते तो दो मर्तबा सांस लेते।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3418. मुसनद अहमद: 1/284. शमाइल:211.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन बिन कुरैब की सनद से ही जानते हैं।

कहते हैं: मैंने अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से रिश्दीन बिन काब के बारे में पूछा कि वह ज़्यादा क़वी हैं या मुहम्मद बिन कुरैब? तो उन्होंने फ़रमाया, "वह दोनों बहुत करीब-करीब हैं और रिश्दैन बिन कुरैब मेरे नज़दीक ज़्यादा राजेह हैं।

कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "मुहम्मद बिन कुरैब, रिश्दीन बिन कुरैब से ज़्यादा राजेह और बड़े हैं। उन्होंने सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) को पाया और उन्हें देखा। यह दोनों भाई हैं और दोनों के पास मुन्कर रिवायात हैं।

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

15- मशरूब (खाने-पीने की चीज़ों) में फूँक मारने की कराहत (नापसंदीदगी)

1887 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُثَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ؟ قَالَ: أَهْرِقْهَا، قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ.

1887 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने मशरूब में फूंक मारने से मना फ़रमाया तो एक आदमी ने कहा: अगर मुझे बर्तन में तिन्का नज़र आए तो? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "उसे निकाल दो" उसने कहा: मैं एक सांस से सैर नहीं होता आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने मुंह से प्याले को दूर कर (के सांस ले) लो।"

हसन: अबू दाऊद:3722. मुसनद अहमद: 3/26. दारमी: 2127.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1888 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ.

1888 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने बर्तन में सांस लेने और उस में फूँक मारने से मना किया है।

सहीह: अबू दाऊद: 3727. इब्ने माजा:3288

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

16 - बर्तन में सांस लेना मना है.

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

1889 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई शख़्स पिए तो बर्तन में सांस न ले।"

बुख़ारी: 153. मुस्लिम: 267. अबू दाऊद: 31. निसाई: 31.

1889 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 - मश्कीज़ों का मुंह उलट कर पानी पीना मना है.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

1890 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) ने मश्कीज़ों के मुंह को उलटने से मना किया।

बुख़ारी: 5625. मुस्लिम: 2023. अबू दाऊद:3720. इब्ने माजा:3417.

1890 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رِوَايَةً أَنَّهُ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

18 – इस चीज़ की इजाज़त

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

1891 - ईसा बिन अब्दुल्लाह बिन उनैस अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को देखा आप एक लटकती हुई मश्कीज़ा की तरफ़

1891 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،

عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا

खड़े हुए उसके मुंह को उलटा फिर उसके मुंह से पानी पिया।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3721.

वज़ाहत: इस बारे में उम्मे सुलैम (﵅) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (﵀) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद सहीह नहीं है और अब्दुल्लाह बिन उमर उमरी अपने हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ है। नीज़ मैं नहीं जानता कि उसने ईसा से सिमा (सुनना) किया भी है या नहीं?

1892 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.

1892 - सय्यदा कब्शा (﵅) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो आप ने एक लटकती हुई मश्क के मुंह से खड़े हो कर पानी पिया तो मैं उसके मुंह की तरफ़ गई और उसे काट लिया।(1)

सहीह: इब्ने माजा: 3423. मुसनद अहमद: 6/434. हुमैदी:354

तौज़ीह: (1). सय्यदा कब्शा (﵅) ने यह काम इसलिए किया ताकि उस टुकड़े को बतौर बरक़त अपने पास रख लें।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (﵀) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और यज़ीद बिन यज़ीद बिन जाबिर, अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर के भाई हैं। उनकी वफ़ात उन से पहले हुई थी।

19 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَيْمَنِينَ أَحَقُّ بِالشُّرْبِ

19 - दायें जानिब वाले पहले पीने के ज़्यादा हक़दार हैं.

1893 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

1893 - सय्यदना अनस बिन मालिक (﵁) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास दूध लाया गया जिस में पानी शामिल किया गया था, आप के दायें जानिब एक देहाती था और

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

बाएं जानिब अबू बक्र (رضي الله عنه) थे। आप(ﷺ) ने पिया फिर उस देहाती को दे दिया और फ़रमाया, "दायाँ फिर उसकी दायें जानिब वाला।"

बुख़ारी: 2352. मुस्लिम: 2029. अबू दाऊद: 3726. इब्ने माजा: 3425.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, सहल बिन साद, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन बुस्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

20 - लोगों को पिलाने वाला आखिर में पिए.

1894 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا.

1894 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "लोगों को पिलाने वाला सब से आखिर में पिए।"

मुस्लिम:681. इब्ने माजा:3434

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अबी औफ़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

21 بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

21 - रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौनसा मशरूब (पीने की चीज़) सबसे ज़्यादा पसंद था?

1895 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوَ الْبَارِدَ.

1895 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का पसंदीदा मशरूब ठंडा मीठा था।

सहीह: शमाइल:204. मुसनद अहमद: 8/38

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: कई राविेयों ने मामर की बवास्ता ज़ोहरी, आयशा (ﷺ) से रिवायत की गई हदीस की तरह इसे रिवायत किया है और सहीह वह है जिसे ज़ोहरी ने नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत किया है।

1896 - ज़ोहरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) से पूछा गया: कौन सा मशरूब ज़्यादा उम्दा (लज़ीज़ और ख़ुशगवार) है? आप ने फ़रमाया, "मीठा ठंडा (मशरूब)"

सहीह: अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 19583.

1896 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الحُلْوُ البَارِدُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुर्रज़्ज़ाक ने भी मामर से बवास्ता ज़ोहरी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है और यह इब्ने उयय्ना की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

ख़ुलासा..

- शराब पीना कबीरा गुनाह है और एक दफ़ा शराब पीने से चालीस दिन नमाज़ क़ुबूल नहीं होती।
- हर नशा करने वाली चीज़ हराम है ख़्वाह थोड़ी हो या ज़्यादा।
- नबीज़ पीना जायज़ है लेकिन इतनी देर तक रखा जा सकता है जब तक उसमें नशा न आए जब नशा आ जाए तो वह भी हराम होगा।
- गंदुम, जौ, शहद, किशमिश जिस चीज़ से भी शराब बनाई जाए वह हराम है।
- सोने और चांदी के बर्तनों में पीना हराम है।
- बैठ कर पानी पीना बेहतर है. ताहम खड़े होकर पीने की भी इजाज़त है। बर्तन को मुंह से हटा कर सांस लिया जाए। नीज़ पानी वग़ैरह तीन साँसों से कम में न पिया जाए।
- पीने वाली चीज़ में फूँक मारने से मना किया गया है।
- पानी पिलाने में दाएँ जानिब से इब्तिदा (शुरूआत) की जाए। नीज़ पिलाने वाला सबसे आखिर में पिए।
- ठंडा और मीठा मशरूब रसूलुल्लाह(ﷺ) को पसंद था।

मज़मून नम्बर 25

أَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी नेकी और सिला रहमी के फ़वाइद व मसाइल.

तआरुफ़...

88 अबवाब और 139 अहादीस पर मुश्तमिल यह मज़मून इन मसाइल पर मुश्तमिल है:

- सिला रहमी के सबसे पहले हक़दार कौन लोग हैं?
- मुआशरे में रहने सहने के लिए किन उसूलों पर चला जाए?
- कौन- कौन से काम सदक़ा हैं?
- हुक़ूकुल इबाद क्या हैं? (एक इन्सान का दूसरे इन्सान के ऊपर क्या हक़ हैं)

1 بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

1 - वालिदैन के साथ नेकी करना.

1897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ.

1897 - बहज़ बिन हकीम से रिवायत है मुझे मेरे बाप ने मेरे दादा से बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मैं किस से ज़्यादा नेकी करूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, अपनी मां से" कहते हैं: मैंने कहा: फिर कौन? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारी मां ही" मैंने कहा: फिर कौन? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुमारी मां ही" मैंने कहा: फिर कौन? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "फिर तुम्हारा बाप, फिर दर्जा बदर्जा करीबी लोग।"

हसन: अबू दाऊद: 5139. मुसनद अहमद: 2/5. हाकिम: 3/642.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा और अबू दर्दा (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: बहज़ बिन हकीम के दादा मुआविया बिन हीदा कुशैरी हैं। और यह हदीस हसन है। नीज़ शोबा ने बहज़ बिन हकीम के बारे में क़लाम किया है। लेकिन यह मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह् हैं और उनसे मामर, सुफ़ियान सौरी, हम्माद बिन सलमा और बहुत से अइम्मा ने रिवायत ली है।

2 - उसी के मुताल्लिक़

2 بَابٌ مِنْهُ

1898 - सय्यदना इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा अमल सब से अफज़ल है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "नमाज़ उसके वक़्त में पढ़ना। "मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! फिर कौन सा? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वालिदैन से नेकी करना" मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! फिर कौन सा? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह की राह में जिहाद करना। "फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) खामोश हो गए। अगर मैं और पूछता तो आप(ﷺ) और भी बताते।

सहीह: 173. नम्बर पर तख़रीज देखें.

1898 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ لِمِيقَاتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शैबानी, शोबा और दीगर रावियों ने भी इसे वलीद बिन ऐजार से रिवायत किया है।

3 - वालिदैन को राजी रखने की फ़ज़ीलत.

3 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الفَضْلِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنِ

1899 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "रब की रज़ा बाप की रज़ामंदी में है और रब का गुस्सा वालिद के गुस्से में है। "

1899 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

सहीह: इब्ने हिब्बान: 429. हाकिम: 4/ 151.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने वह कहते हैं: हमें शोबा ने याला बिन अता से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से ऐसी ही रिवायत की है। लेकिन वह मर्फ़ू नहीं है और यही हदीस ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इसी तरह ही शोबा के शागिर्दों ने शोबा से बवास्ता याला बिन अता, उनके बाप के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से भी मौकूफ़ रिवायत की है और हम ख़ालिद बिन हारिस के अलावा किसी को नहीं जानते जिसने शोबा से मर्फ़ू रिवायत की हो। और ख़ालिद बिन हारिस सिक़ह् और अमीन रावी हैं।

मैंने मुहम्मद बिन मुसन्ना से सुना वह कहते थे कि मैं ने बसरा में ख़ालिद बिन हारिस जैसा और कूफा में अब्दुल्लाह बिन इदरीस जैसा और कोई मोहद्दीस नहीं देखा। नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

1900 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاَقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ: أَبِي.

1900 - सय्यदना अबू दर्दा (ﷺ) से रिवायत है कि उनके पास एक आदमी आया कहने लगा: मेरी बीवी है और मेरी मां मुझे उसको तलाक़ देने का हुक्म देती है तो अबू दर्दा (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "बाप जन्नत का दर्मियानी दरवाज़ा है, चाहो तो उस दरवाज़े को ज़ाया कर लो और चाहो तो उसे महफ़ूज़ रखो" सुफ़ियान ने कभी मां का ज़िक्र किया और कभी बाप का।

सहीह: इब्ने माजा: 2089. मुसनद अहमद: 5/196. तयालिसी: 981. इब्ने हिब्बान: 425.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। और अब्दुर्रहमान सुलमी का नाम अब्दुल्लाह बिन हबीब है।

4 - वालिदैन की नाफ़रमानी.

4 بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ

1901 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

1901 - सय्यदना अबू बकरह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की बात न बताऊँ? लोगों ने कहा: क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफ़रमानी करना" रावी कहते हैं: आप बैठ गए पहले आप टेक लगाए हुए थे, फ़रमाया, "और झूठी गवाही या झूठी बात।" आप ?((ﷺ)) यह कहते रहे यहाँ तक कि हमने कहा: काश आप खामोश हो जाएँ।

बुख़ारी: 2654. मुस्लिम: 87

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू बकरह का नाम नुफैअ बिन हारिस (رضي الله عنه) है।

1902 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

1902 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "आदमी का अपने मां बाप को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या कोई आदमी अपने मां बाप को गाली भी दे सकता है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ, वह किसी आदमी के बाप को गाली द्रेता है तो वह उसके बाप को गाली देता है वह किसी की मां को गाली देता है तो वह उसकी मां को गाली देता है।"

बुख़ारी: 5973. मुस्लिम: 90. अबू दाऊद: 5141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

5 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ صَدِيقِ الوَالِدِ

5 - बाप के दोस्त का एहतराम करना.

1903 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ.

1903 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "बेशक सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों से ताल्लुक़ निभाये।"

मुस्लिम: 2552. अबू दाऊद: 5142.

वज़ाहत: इस बारे में अबू उसैद (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और यह हदीस इब्ने उमर (رضي الله عنه) से दीगर इस्नाद से भी मर्वी है।

6 بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الخَالَةِ

6 - खाला से हुस्ने सुलूक करना.

1904 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.

1904 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "खाला मां की जगह है।"

बुख़ारी: 4251. दारमी: 251. मुसनद अहमद: 4/298.

वज़ाहत: इस हदीस में एक लंबा क़िस्सा भी है और यह हदीस सहीह है (अबू ईसा कहते है:) हमें अबू कुरैब ने वह कहते हैं:) हमें अबू मुआविया ने मुहम्मद बिन सूका से बवास्ता अबू बक्र बिन हफ्स, इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगा:ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है क्या मेरी तौबा क़ुबूल हो जाएगी? आप ने फ़रमाया,

"क्या तुम्हारी मां ज़िंदा है?" उसने कहा: नहीं, आप ने फ़रमाया: "क्या तुम्हारी कोई खाला है?" उसने कहा: जी हाँ, आप ने फ़रमाया, "उससे हुस्ने सुलूक करो।"

इस बारे में सय्यदना अली (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने मुहम्मद बिन सूका से बवास्ता अबू बक्र बिन हफ्स नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन इसमें इब्ने उमर (ﷺ) का ज़िक्र नहीं है और यह अबू मुआविया की हदीस से ज़्यादा सहीह है। अबू बक्र बिन हफ्स यह उमर बिन साद बिन अबी वक्कास के पोते हैं।

7 - वालिदैन की बद्दुआ का बयान.

7 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الوَالِدَيْنِ

1905 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तीन दुआएं कुबूल की जाने वाली है। उनकी कुबूलियत में शक नहीं है। मज़्लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद पर बद्दुआ।"

हसन: अबू दाऊद: 1536. इब्ने माजा: 3862. मुसनद अहमद: 2/258.

1905 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हज्जाज सव्वाफ़ ने भी इस हदीस को यह्या बिन अबी कसीर से हिशाम की रिवायत की तरह रिवायत किया है।

नीज़ अबू जाफ़र जिन्होंने अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत ली है उन्हें अबू जाफ़र मुअज़्ज़िन भी कहा जाता है। हम उनका नाम नहीं जानते जबकि यह्या बिन अबी कसीर ने उन से कई अहादीस रिवायत की हैं।

8 - वालिदैन का हक़.

8 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الوَالِدَيْنِ

1906 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेटा बाप का बदला नहीं दे सकता। सिवाए इस सूरत के कि उसे गुलामी की हालत में पाए

1906 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

तो उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे।"

मुस्लिम: 1510. अबू दाऊद: 5137. इब्ने माजा:3659.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सहल बिन अबी सालेह के तरीक से जानते हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को सहल बिन अबी सालेह से रिवायत किया है।

9 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

9 - रिश्तेदारी को तोड़ना.

1907 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

1907 - अबू सलमा रिवायत करते हैं कि अबू रद्दाद लैसी बीमार हो गए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने उनकी इयादत की, उन्होंने कहा: इन में सब से बेहतर और सब से ज़्यादा रिश्तेदारी मिलाने वाले जहां तक मैं जानता हूँ वह अबू मुहम्मद हैं। तो अब्दुर्रहमान (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है: मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ मैंने ही रहम (रिश्तेदारी) को पैदा किया, चुनांचे जो शख़्स इसे मिलायेगा मैं उसे मिलाउंगा और जो इसे तोड़ेगा मैं उसे काट दूंगा।"

सहीह: अबू दाऊद: 1694. मुसनद अहमद: 1/ 194.

तौज़ीह: الرَّحِمَ : रिश्तेदारी, क़राबत यह मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होता है।

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद, इब्ने अबी औफ़ा, आमिर बिन रबीआ, अबू हुरैरा और जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान से बवास्ता ज़ोहरी रिवायतकर्दा हदीस सहीह है और मामर ने भी सुफ़ियान से इस हदीस को रिवायत किया है और वह अबू सलमा से बवास्ता रद्दाद लैसी, सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं। नीज़ मामर इस तरह कहते हैं कि मुहम्मद ने फ़रमाया और मामर की हदीस खता है।

10 - रिश्तेदारी को मिलाना

10 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

1908 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, "सिला रहमी करने वाला वह नहीं है जो नेकी का बदला दे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वह है कि जब उसका ताल्लुक़ तोड़ा जाए तो वह उसे जोड़े। "

बुख़ारी: 5991. अबू दाऊद: 1697.

1908 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में सलमान, आयशा और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1909 - सय्यदना जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। " इब्ने अबी उमर, सुफ़ियान का कौल नक़ल करते हैं कि इस से मुराद क़तअ रहमी करने वाला है।

बुख़ारी: 5984. मुस्लिम: 2556. अबू दाऊद: 1696.

1909 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

11 - बाप की अपने बेटे से मुहब्बत.

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الوَلَدِ

1910 - नेक खातून सय्यदा खौला बिन्ते हकीम (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और आप अपनी बेटी के एक बेटे को गोद में उठाए हुए थे और आप फ़रमा रहे थे: "बेशक तुम

1910 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

العَزِيزِ، يَقُولُ: زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيِ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجَهِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ.

(औलाद, आदमी को) बखील कर देते हो, बुजदिल बना देते हो, जाहिल कर देते हो और बेशक तुम अल्लाह के (पैदा किए हुए) फूलों में से हो। "

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 6/409. हुमैदी:334.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर और अशअस बिन कैस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उयय्ना की इब्राहीम बिन मैसरा से बयान कर्दा हदीस हमें सिर्फ़ इन्हीं के तरीक से मिलती है। जबकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) का खौला (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) भी मालूम नहीं है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الوَلَدِ

12 - औलाद पर शफ़क़त करना.

1911 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَبْصَرَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ الحَسَنَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مِنَ الوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

1911 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अक्रा बिन हाबिस ने नबी (ﷺ) को देखा आप हसन (رضي الله عنه) को बोसा दे रहे थे। इब्ने उमर ने हसन या हुसैन कहा है। तो उन्होंने कहा: मेरे दस बच्चे हैं मैंने कभी उनमें से किसी को बोसा नहीं दिया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। "

बुख़ारी: 5997. मुस्लिम: 2318. अबू दाऊद: 5218.

वज़ाहत: इस बारे में अनस और आयशा (رضي الله عنهما) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है और यह हदीस हसन सहीह है।

13 - बेटियों और बहनों पर ख़र्च करना

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالأَخَوَاتِ

1912 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से किसी शख़्स की तीन बेटियाँ या तीन बहनें हो वह उन से अच्छा सुलूक करे तो वह जन्नत में दाख़िल हो जाएगा।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:446

1912 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, उक़्बा बिन आमिर, जाबिर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) का नाम सईद बिन मालिक बिन सिनान है और साद बिन अबी वक़्क़ास यह साद बिन मालिक बिन वहब (رضي الله عنه) हैं। नीज़ मुहद्दिसीन ने इस सनद में एक और आदमी का इज़ाफ़ा किया है।

1913 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स इन बेटियों के साथ आजमाया गया उसने उन पर सब्र किया तो यह बेटियाँ उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जायेंगी।"

सहीह: मुसनद अहमद: 6/33. बैहक़ी: 7/478.

1913 - حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1914 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने दो लड़कियों की परवरिश की मैं और वह इन दोनों उँगलियों की तरह जन्नत में होंगे।" और

1914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ،

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ.

आप(ﷺ) ने अपनी दो उँगलियों से इशारा किया।

मुस्लिम: 8/38. हाकिम; 4/177. अदबुल मुफ़रद:894.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन उबैद ने मुहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से इसी सनद के साथ कई अहादीस रिवायत की हैं और वह कहते हैं: अबू बक्र बिन उबैदुल्लाह बिन अनस के वास्ते से हालांकि सहीह उबैदुल्लाह बिन अबी बक्र बिन अनस है।

1915 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

1915 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि एक औरत आई उसके साथ उसकी दो बेटियाँ थीं उसने सवाल किया तो मेरे पास एक खुजूर के सिवा उसे कुछ न मिला मैंने उसे वही दे दी तो उसने उसको अपनी दो बेटियों में तक़्सीम कर दिया और ख़ुद उससे कुछ न खाया फिर खड़ी हुई और चली गई और रसूलुल्लाह(ﷺ) घर में तशरीफ़ लाये तो मैंने आप(ﷺ) को बतलाया, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे इन बेटियों के साथ आजमाया गया यह उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जायेंगी।"

सहीह: मुस्लिम: 2631.

1916 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

1916 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स की तीन बेटियाँ या तीन बहनें या दो बेटियाँ या दो बहनें हों फिर वह उनके साथ अच्छे तरीक़े से रहे और उनके बारे में अल्लाह से डरे तो उसके लिए जन्नत है।"

ज़ईफ़ इस लफ़्ज़ के साथ.

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

14 - यतीम पर शफ़क़त और उसकी किफ़ालत करना.

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ وَكَفَالَتِهِ

1917 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स मुसलमानों में से किसी यतीम को अपने खाने और मशरूब की तरफ़ ले जाए अल्लाह तआला उस बन्दे को जन्नत में ज़रूर दाख़िल करेगा बशर्ते की कोई ऐसा गुनाह न किया हो जिसकी बख़्शिश नहीं।" (यानी शिर्क)

ज़ईफ़: अबू याला: 2457. अल-कामिल:2/764.

1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ لَهُ.

वज़ाहत: इस बारे में मुर्रा फिहरी, अबू हुरैरा, अबू उमामा और सहल बिन साद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हनश, हुसैन बिन कैस हैं जो अबू अली अर्रजी कहलाते हैं और सुलैमान अत्तैमी कहते हैं:हनश मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है।

1918 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इन दोनों उँगलियों की तरह होंगे" और आप ने अपनी दो उँगलियों शहादत वाली और दर्मियानी से इशारा किया।

बुख़ारी: 5204. अबू दाऊद:2150.

1918 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَكِّيُّ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

15 - बच्चों पर शफ़्क़त करना.

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ

1919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ زَرْبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ القَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا .وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

1919 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक बुज़ुर्ग आया वह नबी(ﷺ) के पास जाना चाहता था, लोगों ने उसे जगह देने में देर कर दी तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े का एहतराम न करे।"

सहीह: अबू याला: 3476.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अबू उमामा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और ज़र्बी ने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) वग़ैरह से बहुत मुन्कर अहादीस रिवायत की हैं।

1920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا.

1920 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटे पर शफ़्क़त न करे और हमारे बड़े की इज्ज़त ना जाने।"

मुसनद अहमद: 2/185. अबू दाऊद:4943. अदबुल मुफ़रद:355.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते : हमें हन्नाद ने वह कहते हैं, हमें अब्दा ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से ऐसे ही रिवायत की है मगर उन्होंने कहा है कि "हमारे और बड़े का हक़ न पहचाने।

1921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

1921 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटे पर शफ़क़त, बड़े की इज्ज़त व एहतराम न करे। और भलाई का हुक्म न देता हो और बुराई से न रोकता हो।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 1/257. इब्ने हिब्बान: 458.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ की अम्र बिन शोऐब से रिवायतकर्दा (गुज़िश्ता) हदीस हसन सहीह है। और अब्दुर्रहमान बिन अम्र से और सनद से भी ऐसे ही मर्वी है।

बाज़ (कुछ) उलमा कहते हैं: नबी(ﷺ) के फ़रमान : " لَيْسَ مِنَّا :" का मतलब यह है कि उसका यह काम हमारे तरीक़े और हमारे अदब में से नहीं है।

अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं कि यह्या बिन सईद कहते थे कि सुफ़ियान सौरी इस तफ़सीर का इनकार करते थे वह कहते थे:) لَيْسَ مِنَّا (का मतलब हमारे जैसा नहीं है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ النَّاسِ

16 - लोगों पर नर्मी व शफ़क़त करना.

1922 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

1922 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो लोगों पर शफ़्क़त नहीं करता तो अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता।"

बुख़ारी: 7376. मुस्लिम: 2319.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबू सईद, इब्ने उमर, अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

1923 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ.

1923 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने अबुल क़ासिम(ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "शफ़्क़त नर्मी सिर्फ़ बदबख़्त से ही छीनी जाती है।"

हसन: अबू दाऊद: 4942.अदबुल मुफ़रद:374. मुसनद अहमद:2/301.

वज़ाहत: अबू उस्मान जो अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत करते हैं हम उनका नाम नहीं जानते। कहा जाता है कि यह मूसा बिन उस्मान के वालिद हैं जिन से अबू ज़िनाद रिवायत लेते हैं और अबू ज़िनाद ने मूसा बिन अबू उस्मान से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (ﷺ) से नबी(ﷺ) की कई अहादीस रिवायत की हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1924 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

1924 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शफ़्क़त करने वालों पर रहमान शफ़्क़त करेगा। (लोगो) तुम ज़मीन वालों पर रहम, करो आसमान वाला तुम पर रहम, करेगा। रहम (रिश्तेदारी) रहमान के नाम की शाख[1] है। जिसने उसे मिलाया अल्लाह उसे अपनी रहमत के साथ मिलायेगा और जिसने इसे काटा अल्लाह उसे काट देगा।"

सहीह: अबू दाऊद: 4941.मुसनद अहमद: 2/160. हाकिम: 4/159.

वज़ाहत: شُجْنَةٌ : शाख टहनी शोबा, हिस्सा, मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने ये नाम लफ़्ज़े रहमान से निकाला है क्योंकि रहमान का माद्दा भी "रहम" ही है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17 - ख़ैर ख़्वाही करना.

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصِيحَةِ

1925 - सय्यदना जरीर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं ने नबी अकरम(ﷺ) (के हाथ) पर नमाज़ कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही करने पर बैअत की।

बुख़ारी: 57. मुस्लिम:56. निसाई:4156.

1925 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1926 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "दीन ख़ैर ख़्वाही है" आप ने तीन मर्तबा फ़रमाया, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस लिए ख़ैर ख़्वाही? आप ने फ़रमाया, "अल्लाह के लिए, उसकी किताब, मुसलमानों के हाकिमीन और आम लोगों के लिए। "

सहीह: निसाई: 4199. मुसनद अहमद: 2/697.

1926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में इब्ने उमर, तमीम दारी, हकम बिन अबी यज़ीद अज़ाबिया और सौबान (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

18 - एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर शफ़क़त करना.

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

1927 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया,

1927 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ

سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

"एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न उसकी ख़यानत करे, न उस से झूठ बोले और न ही उसकी ताईद और इमदाद छोड़े, मुसलमान की इज्ज़त, उसका माल और उसका खून (दूसरे) मुसलमान पर हराम है, तक़्वा (अल्लाह का ख़ौफ़) यहाँ (दिल में होता) है। आदमी को यही शर (बुराई) काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे।"

मुस्लिम: 2564. अबू दाऊद: 4862. इब्ने माजा:3933.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इस बारे में अली और अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1928 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

1928 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसकी एक ईन्ट दूसरे को मज़बूत करती है।"

बुख़ारी: 481. मुस्लिम: 2584. निसाई: 2560.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1929 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ.

1929 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "यक़ीनन तुम में से एक आदमी अपने दूसरे मुसलमान भाई का आइना है अगर वह उसमें कोई ऐब देखे तो उसे उससे दूर करे।"

ज़ईफ़: जिद्दा: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1889. अबू दाऊद: 4918. तोहफतुल अशराफ़: 14121.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह्या बिन उबैदुल्लाह को शोबा ने ज़ईफ़ कहा है। और इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

19 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

19 - मुसलमानों के ऐब छिपाना.

1930 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

1930 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी मुसलमान से दुनिया की तक़्लीफ़ों में से एक तक्लीफ़ दूर की अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन तक़्लीफ़ों में से एक तक्लीफ़ दूर करेंगे, जिस ने दुनिया में किसी तंग दस्त पर आसानी की अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस पर आसानी करेंगे, जिसने किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा रखा अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे और अल्लाह तआला उस वक़्त तक अपने बन्दे की मदद में होता है जब तक बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है।

सहीह: मुस्लिम: 2699. अबू दाऊद: 1455. इब्ने माजा: 225. तोहफतुल अशराफ़ 12889.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) इस मसले में इब्ने उमर और उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू अवाना और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को आमश से बवास्ता अबू सालेह सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) के ज़रिए नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है और इस में यह ज़िक्र नहीं है कि मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बताया गया।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ

20- मुसलमान की इज़्ज़त का दिफ़ा करना

1931 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ

1931 - सय्यदना अबू दर्दा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो अपने मुसलमान भाई की इज्ज़त से (वक़ार व मर्तबा में खलल डालने वाली चीज़ को) हटाये तो

أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके चेहरे से आग हटा देगा। "

सहीह: मुसनद अहमद: 6/449. हिल्या: 8/257.

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिन्ते यज़ीद (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ

21 - मुसलमान से बोल चाल ख़त्म करना मना है.

1932 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

1932 - सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े कि वह दोनों मिलें तो यह इस तरफ़ मुंह फेर ले और वह उस तरफ़ मुंह फेर ले और उनमें से बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। "

बुख़ारी: 6077. मुस्लिम: 2560. अबू दाऊद:4911

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अनस, अबू हुरैरा, हिशाम बिन आमिर और अबू हिन्द अद्दारी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

22 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاسَاةِ الأَخِ

22 - मुसलमान भाई की गम ख्वारी करना.

1933 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

1933 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जब मदीना में आए तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके और साद बिन रबीअ के दर्मियान रिश्त- ए[1] - मुवाखात

عَوْفٍ الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْيَمْ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: فَمَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: نَوَاةً، قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

(भाईचारगी का रिश्ता) कायम किया तो उन्होंने उन (इब्ने औफ़) से कहा कि आइए मैं अपने माल को आप के साथ दो हिस्सों में तक़्सीम करता हूँ और मेरी दो बीवीयाँ हैं मैं उनमें से एक को तलाक़ दे देता हूँ जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो आप उस से निकाह कर लेना, उन्होंने कहा: अल्लाह तआला आप के माल और अहल में बरकत दे मेरी बाज़ार की तरफ़ रहनुमाई कर दें लोगों ने बाज़ार का पता बता दिया तो वह उस दिन वापस आए तो उनके पास कुछ पनीर और घी था जो कि नफ़ा से हासिल हुआ था, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस के बाद उन्हें देखा तो उन पर ज़र्दी[(2)] की चमक थी, आप ने फ़रमाया, "यह क्या है?" उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने अन्सारिया की एक औरत से शादी की है। आप ने फ़रमाया, "हक़्क़े महर क्या दिया है?" अर्ज़ किया एक गुठली के बराबर सोना। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "वलीमा करो अगरचे एक बकरी का ही हो।"

सहीह: बुख़ारी: 2048. मुस्लिम: 1427. अबू दाऊद: 2109. इब्ने माजा: 1907. निसाई: 3351. तोहफतुल अशराफ़: 571.

(1) रिश्त-ए-मुवाखात वह भाई चारा था जो हिज्रते मदीना के बाद नबी(ﷺ) ने अंसार और मुहाजिरीन के दर्मियान क़ायम किया था। (2) किसी भी रंगदार खुशबू का निशान यह खुशबू उमूमन दूल्हे लगाया करते थे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: गुठली के बराबर सोने का वज़न तीन दिरहम और दिरहम का तीसरा हिस्सा बनता है। इस्हाक़ बिन इब्राहीम कहते हैं: मुझे अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ (رحمه الله) के यह अक़वाल इस्हाक़ बिन मंसूर ने बताए हैं।

23 - गीबत का बयान.

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ

1934 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! गीबत क्या है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारा अपने भाई की उन बातों का बयान करना जिन्हें वह नापसंद करता है।" उस पूछने वाले ने कहा: आप बतलाइए कि जो मैं कहता हूँ वह उस में मौजूद हो तो? आप(ﷺ) ने फ़रमाया? अगर वह बात उस में मौजूद है जो तुम कहते हो तो यक़ीनन तुमने उसकी गीबत की और अगर वह बात उस में नहीं है जो तुम कहते हो तो तुम ने उस पर बोहतान लगाया।"

1934 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الغِيبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

मुस्लिम: 2589. अबू दाऊद: 4874.

वज़ाहत: इस बारे में अबू बर्ज़ा, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

24 - हसद का बयान.

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَسَدِ

1935 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक दूसरे से ताल्लुक़ न तोड़ो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई न करो, एक दूसरे से बुग्ज़ (नफ़रत) न रखो, और एक दूसरे से हसद न करो, और ऐ अल्लाह के बन्दों भाई भाई बन जाओ और मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े रखे।"

1935 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلَاءِ العَطَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

बुख़ारी: 6065. मुस्लिम: 2559. अबू दाऊद: 4910.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़, ज़ुबैर बिन अव्वाम, इब्ने मसऊद और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

1936 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

1936 - सय्यदना इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सिर्फ़ दो आदमियों के बारे में रश्क करना जायज़ है: एक वह आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया वह रात और दिन के औकात में उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है और दूसरा वह आदमी जिसे अल्लाह ने कुरआन का इल्म दिया वह रात दिन के औकात में उसके हुकूक़ पूरे करता है।"

बुख़ारी: 7529. मुस्लिम: 815. इब्ने माजा: 4209.

तौज़ीह: (1) किसी को अता की गई नेअ्मत देख कर आरज़ू करना कि मुझे भी यह नेअ्मत मिल जाए तो मैं भी ऐसे ही करूं इसे रश्क बोला जाता है और हसद यह है कि किसी से नेअ्मत छीन जाए और खुद को मिल जाने की तमन्ना करना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इब्ने मसऊद और अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से भी नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस मर्वी है।

25 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ

25 - एक दूसरे से नफ़रत करना

1937 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

1937 - . सय्यदना जाबिर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "शैतान इस बात से तो मायूस हो गया है कि नमाज़ी उसकी इबादत करेंगे लेकिन उनके दर्मियान झगड़ा और फित्ना डालने से मायूस नहीं हुआ।"

मुस्लिम:2812. मुसनद अहमद: 3/113. अबू याला: 2294.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस की अपने बाप से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और सुफ़ियान का नाम तल्हा बिन नाफ़े है।

Sherkhan
9825 696 131

26 - झगड़ों में सुलह करवाना.

26 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

1938 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ بِالكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

1938 - सय्यदा उम्मे कुलसूम (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे: "वह शख़्स झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह करवाए तो भलाई की बात करे या भलाई को बढ़ाए।"

बुख़ारी: 2692. मुस्लिम: 2605. अबू दाऊद: 4920

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

1939 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ الكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ:

1939 - सय्यदा अस्मा बिन्ते यज़ीद (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "झूठ बोलना सिर्फ़ तीन कामों में हलाल है: आदमी अगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए बात करे, जंग में झूठ बोलना और लोगों के दर्मियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना।" महमूद ने अपनी हदीस में यह अल्फ़ाज़ कहे हैं कि "झूठ बोलना सिर्फ़ तीन कामों में दुरुस्त है।"

सहीह: ليرضيها .का कौल सहीह नहीं है. मुसनद अहमद: 6/454. इब्ने अबी शैबा: 9/85.

तौज़ीह: "بين ظرف مبهم : यानी जिसका मानी मालूम न हो, और यह दो या ज़्यादा इस्मों की तरफ़ मुजाफ होता है जैसे جلست بين محمد و علي، या ऐसे लफ़्ज़ की तरफ़ मुजाफ़ होता है जो दो इस्मों के क़ायम मक़ाम हो। जैसे عوان بين ذالك،البين जुदाई और फ़ासले को भी कहते हैं और ذات البين का मानी है रिश्ता, कराबत, ताल्लुक़, जोड़, मोहब्बत और अदावत यानी हर वह चीज़ जो فيما بينهم जो चीज़ भी उनकी आपस में एक दूसरे के साथ है। (अल-कामूसुल वहीद:पृ. 191, अल-मोजमुल वसीत:95)

वज़ाहत: अस्मा (رضي الله عنها) की यह हदीस हमें इब्ने खुशैम के तरीक से ही मिलती है।

27 - ख़यानत और धोका.

27 بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَانَةِ وَالغِشِّ

1940 - सय्यदना अबू सिर्मा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जो शख़्स किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाए अल्लाह उसे नुकसान पहुंचाएगा और जो शख़्स किसी मुसलमान को तंगी दे अल्लाह तआला उसे तंगी देगा।"(1)

हसन: अबू दाऊद: 3635. इब्ने माजा: 3442. मुसनद अहमद: 3/453.

1940 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.

तौज़ीह: (1) इसका एक मानी यह भी है कि जो शख़्स मुसलमान से मुंह फेरता है अल्लाह तआला उस से मुंह फेर लेता है क्योंकि लफ़्ज़ شَقَّ का मानी तरफ़ और किनारा भी होता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1941 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "उस शख़्स पर लानत है जो किसी मोमिन को नुक़सान पहुंचाए या उस से फ़रेब करे।"

ज़ईफ़: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 1903. अबू याला: 960. अल-कामिल: 6/2053.

1941 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الهَمْدَانِيِّ وَهُوَ الطَّيِّبُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

28 - पड़ोसी (हमसायगी) का हक़.

28 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الجِوَارِ

1942 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिब्रील (عليه السلام) मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहते हैं यहाँ तक कि मैंने गुमान

1942 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

किया यह अन्क़रीब उसे वारिस बना देंगे।"

बुख़ारी: 6014. मुस्लिम: 2624. अबू दाऊद: 5151. इब्ने माजा: 3673.

1943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، وَبَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

1943 - मुजाहिद (رحمه الله) से रिवायत है कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) के घर में एक बकरी ज़बह की गई जब वह तशरीफ़ लाये तो उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम ने हमारे यहूदी हमसाये को तोहफा भेजा है? क्या तुमने हमारे यहूदी हमसाये को हंडिया भेजा है? मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना था: "जिबरील (عليه السلام) मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मैंने गुमान किया यह अन्क़रीब उसे वारिस बना देंगे।"

सहीह: अबू दाऊद: 2152. मुसनद अहमद:2/ 160. अदबुल मुफ़रद: 105.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, मिक्दाद बिन अस्वद, उक़्बा बिन आमिर, अबू शुरैह और अबू उमामा (رضي الله عنهم) से अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह हदीस मुजाहिद से बवास्ता आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنهما) भी नबी(ﷺ) से इसी तरह मर्वी है।

1944 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

1944 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह के यहाँ बेहतरीन साथी वह है जो अपने साथी के लिए बेहतरीन हो, और बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के यहाँ वह है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन हो।"

सहीह: दारमी: 2442. मुसनद अहमद:2/ 167. अदबुल मुफ़रद:115.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुर्रहमान हुबुली का नाम अब्दुल्लाह बिन यज़ीद है।

29 - ख़ादिमों के साथ एहसान का मामला करना.

29 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ إِلَى الخَدَمِ

1945 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारे भाइयों को अल्लाह तआला ने तुम्हारा मातहत बनाया है। पस जिस किसी का (मुसलमान) भाई उसके मातहत हो तो वह उसे अपने खाने से खिलाये और लिबास में उनको लिबास पहनाये, और उस काम का उसे मुकल्लफ़ (जिम्मेदार) न बनाए जिससे उसके लिए मुश्किल हो जाए, अगर वह उसे ऐसे काम का मुकल्लफ़ बनाए तो फिर उसकी मदद करे।"

बुख़ारी: 31.मुस्लिम: 4313. अबू दाऊद:5157.

1945 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अली, उम्मे सलमा, इब्ने उमर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

1946 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "गुलामों के साथ बुरे तरीक़े से पेश आने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।"

ज़ईफ़: तयालिसी: 7. मुसनद अहमद: 1/4

1946 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:यह हदीस ग़रीब है। अबू सख्तियानी और दीगर मुहद्दिसीन ने फर्कद सब्खी के हाफ़िज़े की वजह से इस पर जरह की है।

30-ख़ादिमों को मारना और गाली देना मना है

30 بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخَدَمِ وَشَتْمِهِمْ

1947 - सय्यदना अबू हुरैरा (﵁) रिवायत करते हैं कि नबीउत्तौबा अबुल क़ासिम(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने अपने गुलाम पर तोहमत लगाई जो उसकी कही हुई बात से बरी था तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उस पर बोहतान की हद क़ायम करेगा मगर यह कि वह गुलाम ऐसे ही हो जैसे उसने कहा।"

बुख़ारी: 6856. मुस्लिम: 1660. अबू दाऊद: 5165.

1947 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ الحَدَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ أَبِي نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (﵀) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सुवैद बिन मुक़र्रिन और अब्दुल्लाह बिन उमर (﵁) से भी मर्वी है। और इब्ने अबी नुअम अब्दुर्रहमान बिन नुअम अल बजली ही हैं जिनकी कुनियत अबू हकम थी।

1948 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (﵁) बयान करते हैं कि मैं अपने एक गुलाम को मार रहा था तो मैंने अपने पीछे से एक कहने वाले को सुना वह कह रहा था: "ऐ अबू मसऊद जान लो! ऐ अबू मसऊद जान लो!" मैंने पीछे देखा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप ने फ़रमाया, "यक़ीनन अल्लाह तआला तुझ पर इस से भी ज़्यादा क़ादिर है। जितना तू इस पर क़ादिर है।" अबू मसऊद फ़रमाते हैं: फिर उसके बाद मैंने अपने गुलाम को नहीं मारा।

मुस्लिम: 1659. अबू दाऊद: 5159.

1948 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، فَالتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي بَعْدَ ذَلِكَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। और इब्राहीम अत्तैमी इब्राहीम बिन यज़ीद बिन शरीक हैं।

31 بَابُ مَا جَاءَ فِي العَفْوِ عَنِ الخَادِمِ

1949 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبَّاسٍ الحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الخَادِمِ؟ فَقَالَ: كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

31 - ख़ादिम को माफ़ करना.

1949 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल मैं ख़ादिम को कितनी मर्तबा माफ़ करूं? तो नबी(ﷺ) खामोश हो गए, उसने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ख़ादिम को कितनी दफ़ा माफ़ करूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर दिन सत्तर दफ़ा।"

सहीह: अबू दाऊद: 5164. मुसनद अहमद: 2/90. बैहक़ी: 8/10.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने भी अबू हानी अल खौलानी की सनद से ऐसे ही रिवायत किया है। और अब्बास जुलैद के बेटे थे जो हज़री मिस्री हैं।

अबू ईसा कहते हैं हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने अबू हानी अल खौलानी से इस सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन वहब से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत किया है और अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) कहा है।

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الخَادِمِ

1950 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ.

32 - ख़ादिम को अदब सिखाना.

1950 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जब तुम में से कोई अपने ख़ादिम को (अदब सिखाने के लिये) मारे फिर वह अल्लाह को याद करे तो (उससे) अपने हाथ को उठ लो।" (ज़ईफ़)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हारून अब्दी का नाम उमारा बिन जुवैन है।

अबू बक्र अल अत्तार बवास्ता अली बिन मदीनी यह्या बिन सईद का कौल नक़्ल करते हैं कि शोबा ने अबू हारून अब्दी को ज़ईफ़ कहा है। यह्या फ़रमाते हैं: इब्ने औन मरते दम तक अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत करते थे।

33 - औलाद को अदब सिखाना.

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الوَلَدِ

1951 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "आदमी अपने बेटे को अदब (की एक बात) सिखा दे यह उसके लिए एक साअ सदक़ा करने से बेहतर है।"

ज़ईफ़: अल-कामिल. 7/2510. हाकिम: 4/263.

1951 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और नासेह बिन अला कूफी मुहद्दिसीन के नज़दीक क़वी रावी नहीं है और यह हदीस सिर्फ़ इसी तरीक से मारूफ़ है। नीज़ नासेह एक बसरी बुजुर्ग भी हैं वह अम्मार बिन अबू अम्मार और दीगर मुहद्दिसीन से रिवायत करते हैं वह इस से ज़्यादा पुख्ता हैं।

1952 - अय्यूब बिन मूसा अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "किसी बाप ने अपने बेटे को कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया जो अच्छे अदब से उम्दा हो।"

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 4/77. अल-कामिल: 5/1740.

1952 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे आमिर बिन अबी आमिर अल खज्जाज़ के तरीक से ही जानते हैं और यह आमिर बिन अबी आमिर बिन सालेह बिन रुस्तम खज्जाज़ है। और अय्यूब बिन मूसा यह अम्र बिन सईद बिन आस के पोते हैं और मेरे नज़दीक यह हदीस मुर्सल है।

34 - तोहफा कुबूल करना और उसका बदला देना.

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَالمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا

1953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

1953 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) तोहफ़ा कुबूल किया करते थे और उसका बदला भी देते थे।

बुख़ारी: 2585. अबू दाऊद: 3536.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस, इब्ने उमर और जाबिर (رضی اللہ عنہم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है। हम हिशाम से बवास्ता ईसा बिन यूनुस ही इसको मर्फ़ू जानते हैं।

35 - जो शख़्स आप के साथ नेकी करे उसका शुक्रिया अदा करना.

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

1954 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ.

1954 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जो शख़्स लोगों का शुकरिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता।”

सहीह: अबू दाऊद: 4811. मुसनद अहमद: 2/258. अदबुल मुफ़रद: 218.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1955 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

1955 - सय्यदना अबू सईद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, “जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया

وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.

उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया।"

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें. मुसनद अहमद: 3/32. अबू याला:1122.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अशअस बिन कैस और नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ

36 - नेकी के काम.

1956 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

1956 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदक़ा है, तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना सदक़ा है, तुम्हारा किसी भूले हुए को रास्ता बता देना सदक़ा है,तुम्हारा कमज़ोर नज़र वाले के लिए रास्ता दिखाना सदक़ा है, तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डी को हटा देना भी सदक़ा है और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना भी सदक़ा है।"

सहीह: इब्ने हिब्बान: 470.अदबुल मुफ़रद: 891.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, जाबिर, हुज़ैफ़ा, आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू ज़ुमैल का नाम सिमाक बिन वलीद हनफी है और नज़र बिन मुहम्मद, यह अल जुरशी यमामी हैं।

37 - किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ देना

37 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِنْحَةِ

1957 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

1957 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "जिसने दूध या चांदी को इस्तेमाल के लिए दिया[1] या किसी को रास्ता बताया उसके लिए एक गर्दन (गुलाम) आज़ाद करने की तरह सवाब है।"

सहीह:मुसनद अहमद: 4/285. अदबुल मुफ़रद: 890.

तौज़ीह: (1)इसमें दूध से मुराद दूध वाला जानवर और चांदी से मुराद दिरहम (यानी नकदी) है। मतलब यह कि किसी को इस्तेमाल के लिए दे दे फिर कभी वापस ले ले।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने इस्हाक़ की तल्हा बिन मुसर्रिफ से बयान कर्दा यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इसे इसी सनद से ही जानते हैं। नीज़ मंसूर बिन मोतमिर और शोबा ने भी इस हदीस को तल्हा बिन मुसर्रिफ से रिवायत किया है। इस बारे में नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

और चांदी को इस्तेमाल के लिए देने का मतलब है कि किसी को दिरहम बतौरे क़र्ज़ देना और रास्ता दिखाने से मुराद रास्ते की रहनुमाई करना है।

38 - रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना.

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

1958 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

1958 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी((ﷺ)) ने फ़रमाया, "एक आदमी रास्ते में जा रहा था कि उस ने (रास्ते में) एक काँटों वाली टहनी पाई तो उसे हटा दिया, अल्लाह तआला ने इसकी क़द्र करते हुए उसे बख़्श दिया।"

बुख़ारी: 652. मुस्लिम: 1914. अबू दाऊद: 5245.इब्ने माजा: 3682

वज़ाहत: इस बारे में अबू बर्ज़ा, इब्ने अब्बास और अबू ज़र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

39 - मजालिस (की बाते) अमानत हैं.

39 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَةٌ

1959 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब कोई शख़्स कोई बात करे फिर (इधर- उधर) झांके तो वह (बात) अमानत है।

सहाह: अबू दाऊद: 4868. मुसनद अहमद: 2/324. अबू याला: 2212.

1959 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الحَدِيثَ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी ज़ुऐब के तरीक़ से ही जानते हैं।

40 - सख़ावत का बयान.

40 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

1960 - सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله عنها) रिवायत करती है कि मैं ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई चीज़ नहीं है सिवाए इसके जो ज़ुबैर (رضي الله عنه) मेरे पास ले आयें किया। मैं इस में से सदक़ा दूं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "हाँ, तुम (सदक़ा देने से अपने हाथ को) बंद न करो वर्ना तुम्हारे ऊपर (अल्लाह का फ़ज़ल) बंद कर दिया जाएगा।" आप (ﷺ) यह भी कह रहे थे कि तुम न शुमार करो वर्ना तुम्हें भी शुमार करके दिया जाएगा।

बुख़ारी: 1433. मुस्लिम: 1029. अबू दाऊद: 1699. निसाई: 2550.

1960 - حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُعْطِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ يَقُولُ: لاَ تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ.

वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

Sherkhan
9825 696 131

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को इसी सनद के साथ इब्ने अबी मुलैका से बवास्ता अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर, सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله عنها) से रिवायत किया है, और कई राावियों ने इसे अय्यूब से रिवायत किया है और इसमें अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर का ज़िक्र नहीं है।

1961 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

1961 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "सख़ावत करने वाला अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब और जहन्नम से दूर होता है, और बखील (कंजूस) अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम से करीब होता है नीज़ जाहिल सखी अल्लाह तआला को बखील इबादत गुज़ार से ज़्यादा पसंद है।"

ज़ईफ़ जिद्दा.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे यह्या बिन सईद के वास्ते ही आरज से जानते हैं। वह अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं और हमें यह चीज़ सईद बिन मुहम्मद के तरीक से ही मिलती है और सईद बिन मुहम्मद की यह्या बिन सईद से मर्वी इस रिवायत के बारे में इख़्तिलाफ़ है। नीज़ यह्या बिन सईद, आयशा से कुछ मुर्सल रिवायत करते हैं।

41 بَابُ مَا جَاءَ فِي البَخِيلِ

41 - बुख्ल (कंजूसी) का बयान.

1962 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ الحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَسُوءُ الخُلُقِ.

1962 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "दो आदतें मोमिन में जमा नहीं हो सकतीं! एक बखीली और दूसरी बुरे अख्लाक़।

ज़ईफ़ जिद्दा: अदबुल मुफ़रद:282. अबू याला: 1328. हुलिया:2/258.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सदक़ा बिन मूसा के तरीक से ही जानते हैं।

1963 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ.

1963 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "धोकेबाज़, बखील और एहसान जताने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे। "

ज़ईफ़: 1964. नम्बर हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

1964 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ.

1964 - . सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन साफ़ गो और इज्ज़तमन्द होता है जबकि फाजिर (गुनाहगार) धोकेबाज और बाद अख्लाक़ होता है। "

हसन लिगैरिही: सहीहुत्तर्गीब :2609. अबू दाऊद:4790.तोहफतुल अशराफ़: 15362.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इस को इसी तरीक से ही जानते हैं।

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

42 - अहलो अयाल पर ख़र्च करना.

1965 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ.

1965 - स य्यदना अबू मसऊद अंसारी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "आदमी का अपनी बीवी और बच्चों पर ख़र्च करना भी सदक़ा है। "

बुख़ारी: 55. मुस्लिम: 1002. निसाई: 2545.

वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अम्र बिन उमय्या ज़मरी और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

1966 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ بِهِ.

1966 - सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेहतरीन दीनार वह है जिसे आदमी अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करे, और वह दीनार जिसे आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद में अपनी सवारी पर ख़र्च करे, और वह दीनार जिसे आदमी अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर ख़र्च करे। " अबू किलाबा कहते हैं: आप(ﷺ) ने अहलो अयाल की इब्तिदा की है फिर फ़रमाते हैं: "कौन सा आदमी उस आदमी से बड़े अज्र वाला हो सकता है जो अपने छोटे बच्चों पर ख़र्च करता है तो अल्लाह तआला उन बच्चों को (सवाल वग़ैरह से) बचाता है और उसकी वजह से अल्लाह उनको पे परवाह कर देता है।"

मुस्लिम: 994. इब्ने माजा: 2760.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ كَمْ هِيَ

43 - मेहमान नवाजी और मेहमान नवाजी कितनी होनी चाहिए?

1967 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ:

1967 - सय्यदना अबू शुरैह (رضي الله عنه) बयान करते हैं मेरी दोनों आँखों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा और मेरे कानों ने आप को सुना जब आप ने बात की आप ने फ़रमाया, "जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की तकल्लुफ के साथ मेहमान नवाज़ी करे। "लोगों ने कहा: "جَائِزَتُهُ :" (तकल्लुफ वाली मेहमान नवाजी) कितनी देर के लिए है? आप ने फ़रमाया, "एक

يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ.

दिन और एक रात" मज़ीद फ़रमाया, "मेहमान नवाजी तीन दिन है। जो इसके बाद हो वह सदक़ा है और जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वह भलाई की बात करे या ख़ामोश रहे।"

बुख़ारी: 6019. मुस्लिम: 48. अबू दाऊद: 3748. इब्ने माजा: 3672

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1968 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.

1968 - सय्यदना अबू शुरैह काबी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मेहमान नवाजी तीन दिन होती है, तकल्लुफ के साथ मेहमान नवाजी एक दिन और एक रात है और इसके बाद जो उस पर ख़र्च करे वह सदक़ा है। नीज़ उसके लिए हलाल नहीं है कि उसके पास (इतना अर्सा) ठहरे कि उसे तंग कर दे।"

सहीह.

वज़ाहत: उसके पास न ठहरने का मतलब है कि मेहमान इतना अर्सा न रुके कि घर वाले पर मुश्किल हो जाएँ और हर्ज तंगी को कहते हैं। उसे तंग न करने का मतलब यह है कि उस पर तंगी न करे।

इस बारे में आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ मालिक बिन अनस और लैस बिन साद ने भी सईद मक्बुरी से रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू शुरैह अल खुजाई यही काबी हैं और यही अरवी हैं इनका नाम खुवैलिद बिन अम्र है।

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَاليَتِيمِ

44 - बेवाओं और यतीमों की किफालत करना.

1969 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

1969 - सय्यदना सफ़वान बिन सुलैम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेवाओं और मिस्कीन (के अख़राजात पूरे

سُلَيْمٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

करने) पर कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद या उस शख़्स की तरह है जो दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है।"

बुख़ारी: 5353. मुस्लिम: 2982. इब्ने माजा: 2140. निसाई: 2577.

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अंसारी ने वह कहते हैं: हमें मअन ने उन्हें मालिक ने सौर बिन ज़ैद देली से बवास्ता अबू गैस, सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस बयान की है। और यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू अशअस का नाम सलाम मौला अब्दुल्लाह बिन मुतीअ है। सौर बिन यज़ीद शाम के रहने वाले जबकि सौर बिन ज़ैद मदीना के रहने वाले थे।

45 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقَةِ الوَجْهِ وَحُسْنِ البِشْرِ

45 - खन्दा पेशानी और हश्शाश बश्शाश चेहरे से मिलना.

1970 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ.

1970 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हर अच्छा काम सदक़ा है और यह भी नेकी है कि तुम अपने भाई को खन्दा पेशानी से मिलो और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल दो।"

सहीह: तयालिसी: 1713. मुसनद अहमद: 3/344.

वज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالكَذِبِ

46 - सच और झूठ का बयान.

1971 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

1971 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)

اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

ने फ़रमाया, "सच्चाई को लाजिम पकड़ो, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ़ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ़ रहनुमाई करती है, आदमी सच बोलता है और सच्चाई को तलाश करता रहता है। यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ बहुत सच बोलने वाला लिख दिया जाता है और अपने आप को झूठ से बचाओ, बेशक झूठ बुराईयों की राह दिखाता है और बुराइयाँ जहन्नम की तरफ़ रास्ता दिखाती हैं और बन्दा झूठ बोलता है और झूठ को तलाश करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ (कज़्ज़ाब) बहुत झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है।"

बुख़ारी: 6094. मुस्लिम: 2606. अबू दाऊद: 4989. इब्ने माजा: 46.

वज़ाहत: इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़, उमर, अब्दुल्लाह बिन शख़ीर और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

1972 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونَ الغَسَّانِيِّ، حَدَّثَكُمْ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَذَبَ العَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ؟

1972 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब बन्दा झूठ बोलता है तो उस झूठ की वजह से आने वाली बदबू से फ़रिश्ता उससे एक मील दूर हो जाता है।"

ज़ईफ़: जिद्दा: अस-सिलसिला: अज़-ज़ईफा: 1828. अल-कामिल: 1/25. हिल्या: 8/197

यह्या कहते हैं अब्दुर्रहीम बिन हारून ने इस हदीस का इक़रार करते हुए कहा कि हाँ (हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रव्वाद ने बयान की है)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन जय्यद ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं इसकी सनद में अब्दुर्रहीम बिन हारून अकेला रावी है।

1973 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً.

1973 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि कोई भी आदत रसूलुल्लाह(ﷺ) को झूठ से ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी कोई आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) से झूठी बात करता तो आप के ज़ेहन में रहता यहाँ तक कि आप जान जाते कि उसने तौबा कर ली है।

सहीह: मुसनद अहमद: 6/152. इब्ने हिब्बान: 5736.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفُحْشِ وَالتَّفَحُّشِ

47 - बेहयाई और बद कलामी का बयान.

1974 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ.

1974 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेहयाई की बातें किसी में नहीं होतीं मगर उसे बुरा बना देती हैं और हया जिस चीज़ में होती है उसे खूबसूरत बना देती है।"

सहीह: इब्ने माजा: 4185. मुसनद अहमद: 3/165. अदबुल मुफ़रद:601.

वज़ाहत: इस बारे में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रज्जाक की सनद से ही जानते हैं।

1975 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا.

1975 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम में से बेहतरीन वह हैं जो तुम में अच्छे अख़्लाक़ वाले हैं" और नबी(ﷺ) न ही बदकलामी की आदत वाले थे और न ही कभी भी तकल्लुफ़ से बदकलामी करने वाले थे।

बुख़ारी: 3569. मुस्लिम: 2321.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

48 - लानत का बयान.

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

1976 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "एक दूसरे को यह न कहो कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गज़ब हो और न ही जहन्नमी होने का कहो।"

सहीह: अबू दाऊद: 4902. मुसनद अहमद:5/15. अदबुल मुफ़रद: 320.

1976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلاَ بِغَضَبِهِ، وَلاَ بِالنَّارِ.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने उमर और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1977 - सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन बन्दा ज़्यादा तअन करने वाला, बहुत ज़्यादा लानत करने वाला, बदकलाम और बेहूदागोई करने वाला नहीं होता।"

सहीह: मुसनद अहमद: 1/404. अदबुल मुफ़रद:332. हाकिम: 1/12.

1977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से एक और सनद से भी मर्वी है।

1978 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी(ﷺ) के पास हवा को लानत की तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम हवा को लानत न करो, यह अल्लाह के हुक्म की पाबन्द है और जिसने

1978 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

किसी ऐसी चीज़ पर लानत की जो उस लानत के काबिल न हो तो वह लानत उसी लानत करने वाले पर वापस आ जाती है। "

सहीह: अबू दाऊद: 4908. इब्ने हिब्बान: 5745.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। इस सनद को बिश्र बिन उमर के अलावा किसी ने मुत्तसिल नहीं किया।

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ النَّسَبِ

49 - नसब सीखना.

1979 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ.

1979 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने नसब को सीखो जिससे तुम अपने रिश्तों को मिलाते हो, बेशक सिला रहमी खानदान में मोहब्बत, माल में इजाफे और उम्र में इज़ाफे का सबब है। "

मुसनद अहमद: 3/374. हाकिम: 4/161.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और (مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ) का मतलब उमर में इजाफ़ा है।

50 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الأَخِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

50 - अपने भाई की ग़ैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना.

1980 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

1980 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "कोई दुआ ग़ायब की ग़ायब के लिए की जाने वाली दुआ से जल्द कुबूल नहीं होती। "

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1535. अदबुल मुफ़रद: 623. इब्ने अबी शैबा: 10/198.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं और अफ़्रीकी हदीस में ज़ईफ़ है। यह अब्दुर्रहमान बिन जियाद बिन अन्अम अफ़्रीकी है और अब्दुल्लाह बिन यज़ीद यह अबू अब्दुर्रहमान हुबुली ही हैं।

51 - गाली का बयान.

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

1981 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "दो गालियाँ देने वाले जो कुछ कहें उसका गुनाह इब्तिदा करने वाले पर है जब तक मजलूम ज़्यादती न करे।"

मुस्लिम: 2587. अबू दाऊद: 4894.

1981 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى البَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

वज़ाहत: इस बारे में साद, इब्ने मसऊद और अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1982 - सय्यदना मुग़ीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम मुर्दों को बुरा भला न कहो, इससे तुम ज़िन्दा लोगों को तक्लीफ़ दोगे।"

सहीह: मुसनद अहमद: 4/252. इब्ने हिब्बान: 3022.

1982 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान के शागिर्दों का इस हदीस की रिवायत में इख़्तिलाफ़ है: बाज़ (कुछ) ने हज़रमी की तरह रिवायत की है। और बाज़ (कुछ) ने सुफ़ियान से रिवायत की है कि जियाद बिन इलाक़ा कहते हैं: मैंने अदी को सुना जो बवास्ता मुग़ीरह् बिन शोबा(رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत कर रहा था।

52.मुसलमान को गाली देना फ़िस्क और इससे लड़ना कुफ़्र है।

52- بَابٌ سباب المسلم فسوق و قتاله كفر

1983 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुसलमान को गाली देना नाफ़रमानी है(1) और उससे लड़ाई करना कुफ़्र है।" ज़ुबैद कहते हैं: मैंने अबू वाइल से पूछा क्या आपने यह इब्ने मसऊद से सुना है? उन्होंने कहा : जी हाँ।

बुख़ारी: 48. मुस्लिम: 64. इब्ने माजा: 69. निसाई: 4113.

1983 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ: قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ.

तौज़ीह: فسق का मानी है: निकल जाना जैसे कहा जाता है فسقت ألرطنة عن بشرها : पकी हुई खुजूर छिलके से निकल आयी इस्तिलाह में मानी है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से निकल जाना और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से निकल जाए वह नाफ़रमान है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

53 - अच्छी बात कहना.

53 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوفِ

1984 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक जन्नत में ऐसे कमरे हैं जिनका बाहर अन्दर से और अन्दर का हिस्सा बाहर से देखा जा सकेगा। " तो एक देहाती खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह किसके लिए हैं? आप ने फ़रमाया, "जो उम्दा बात करे, (मिस्कीनों को) खाना खिलाये, अक्सर रोज़े

1984 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ:

لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

रखे और रात को अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़े जब लोग सो रहे हो। "

हसन: इब्ने अबी शैबा: 8/625. इब्ने खुज़ैमा: 2136.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के तरीक़ से ही जानते हैं और बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के हाफ़िज़े की वजह से इसमें क़लाम किया है। यह कूफा के रहने वाले थे। जबकि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ कुर्शी मदीना के रहने वाले थे और यह उससे ज़्यादा पुख्ता थे और यह दोनों एक ही वक़्त में हुए हैं।

54 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

54 - नेक गुलाम की फ़ज़ीलत.

1985 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعِمَّا لأَحَدِهِمْ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَعْنِي الْمَمْلُوكَ وَقَالَ كَعْبٌ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

1985 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "क्या यह खूब (गुलाम या लौंडी) है इनमें से किसी एक के लिए कि वह अल्लाह की इताअत करता हो और अपने आक़ा का हक़ अदा करता हो। "उससे आप गुलाम या लौंडी मुराद ले रहे थे और काब कहते हैं: अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा।

सहीह: बुख़ारी: 2549. मुस्लिम: 1667. तोहफतुल अशराफ़: 12388.

वज़ाहत: इस बारे में मूसा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1986 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ، أُرَاهُ قَالَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدٌ أَدَّى

1986 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तीन आदमी क़यामत के दिन कस्तूरी के टीलों[1] पर होंगे: एक वह गुलाम जो अल्लाह का हक़ अदा करे और अपने मालिकों का भी हक़ अदा करे। (दूसरा) वह आदमी जो किसी

حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

कौम की इमामत करे और लोग उस पर खुश हों। और (तीसरा) वह आदमी है जो हर दिन और रात में पाँचों नमाज़ों के लिए अज़ान देता है। "

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 2/26.

तौज़ीह: كثبان : كثيب की जमा है। रेत का लंबा ढेर टीला। लेकिन इसकी इजाफ़त मुस्क के साथ है जिसका मानी है कस्तूरी के टीले।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम सुफ़ियान सौरी के वास्ते से ही अबू यक्जान से सिर्फ़ वकीअ की सनद से ही जानते हैं और अबू यक्जान का नाम उस्मान बिन कैस है। इब्ने उमैर भी कहा जाता है और यह ज़्यादा मशहूर है।

55 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

55 - लोगों के साथ अच्छे तरीक़े से बर्ताव करना.

1987 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

1987 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया, "तुम जहां भी हो अल्लाह से डरो, बुराई के बाद नेकी करो वह (नेकी) उसे मिटा देगी और लोगों के साथ हुस्ने अख्लाक़ से रहो।"

हसन: मुसनद अहमद: 5/153. दारमी: 2794. हाकिम: 1/54.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन गैलान ने बवास्ता अबू अहमद और अबू नुऐम, सुफ़ियान से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है।

और महमूद कहते हैं: हमें वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने हबीब बिन साबित से उन्होंने मैमून बिन अबी शबीब से बवास्ता मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

महमूद फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस ही सहीह है।

56 - बदगुमानी का बयान.

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي ظَنِّ السُّوءِ

1988 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने आप को बदगुमानी से बचाओ बेशक गुमान सब से बड़ा झूठ है।"

बुख़ारी: 5143. मुस्लिम: 2563. अबू दाऊद: 4917.

1988 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मैंने अब्द बिन हुमैद से सुना वह सुफ़ियान के किसी शागिर्द की तरफ़ से ज़िक्र कर रहे थे कि सुफ़ियान (ﷺ) ने फ़रमाया, "गुमान दो क़िस्म का है: एक गुमान गुनाह है और दूसरा गुनाह नहीं है। जो गुमान गुनाह है वह यह है कि आदमी कोई गुमान करे और उसके बारे में (लोगों से) बात भी कर दे और जो गुमान गुनाह नहीं है वह यह है कि वह गुमान करे लेकिन इसके बारे में बात न करे।

57 - ख़ुश तबई (मिजाज) का बयान.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي المِزَاحِ

1989 - सय्यदना अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे साथ घुल मिल जाते थे यहाँ तक कि आप मेरे छोटे भाई से कहते: "ऐ अबू उमैर! तुम्हारी नुग़ैर का क्या बना?"(1)

बुख़ारी: 6129. मुस्लिम: 2150. अबू दाऊद: 658. इब्ने माजा: 3720.

1989 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَضَّاحِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

तौज़ीह: النُّغَيْر : चिड़िया के मुशाबेह छोटा सा परिंदा है जिसकी चोंच सुर्ख रंग की होती है बुलबुल को भी النُّغَيْر ही कहा जाता है।

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने वह कहते हैं:, हमें वकीअ ने शोबा से बवास्ता अबू शाह, सय्यदना अनस (ﷺ) से ऐसे ही हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू तय्याह का नाम यज़ीद बिन हुमैद ज़िबई है।

1990 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا.

1990 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप हमारे साथ हँसी मज़ाक भी कर लेते हैं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मैं सिर्फ़ हक़ ही कहता हूँ।"

सहीह: मुसनद अहमद: 3/267. शमाइल:232. बैहक़ी: 10/248.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और "إنك تداعبنا" से सहाबा की मुराद यह थी कि आप हमारे साथ मज़ाक भी कर लेते हैं।

1991 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ.

1991 - सय्यदना अनस (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवारी मांगी तो आप ने फ़रमाया, "मैं तुम्हें ऊंटनी के बच्चे पर सवार कर दूंगा।" वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मैं ऊंटनी के बच्चे का क्या करूंगा? तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऊंटनियां क्या जवान ऊँट ही जन्म देती हैं (यानी हर ऊँट पहले बच्चा ही होता है।)"

सहीह: अबू दाऊद: 4998. मुसनद अहमद: 3/267.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

1992 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا ذَا الأُذُنَيْنِ، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي مَازَحَهُ.

1992 - सय्यदना अनस (رضی اللہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने उनसे कहा: "ऐ दो कानों वाले" महमूद कहते हैं: अबू उसामा ने कहा है कि इससे उनकी मुराद यह है कि आप(ﷺ) ने उनसे मज़ाक किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 5002. मुसनद अहमद: 3/117. शमाइल:235.

58 – झगड़े का बयान.

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاءِ

1993 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العَمِّيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا.

1993 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने झूठ छोड़ दिया और वह बातिल है (तो) उसके लिए जन्नत के किनारे[1] में घर बनाया जाएगा और जिसने झगड़ा छोड़ दिया हालांकि वह इसका हक़दार था उसके लिए भी जन्नत के दर्मियान में घर बनाया जाएगा और जिसने अपना अख़्लाक़[2] अच्छा कर लिया उसके लिए जन्नत के बलंद हिस्से में घर बनाया जाएगा।"

ज़ईफ़: इब्ने माजा:51.

तौज़ीह: الربض : शहर के इर्द गिर्द इलाक़े की इमारतों की जगह को रबज़ कहा जाता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 382)

(2) इसको अख़्लाक़ पढ़ा जाए, यानी अलिफ़ के ऊपर ज़बर (फ़तह या नसब) अक्सर लोग इसे अख़्लाक़ अलिफ़ के नीचे ज़ेर (कसरह या जर) के साथ पढ़ते हैं लेकिन इसके मानी तब्दील हो जाता है। इख़्लाक़ कपड़े को बोसीदा करने को कहा जाता है।

वज़ाहत: यह हदीस हसन है। हम इसे सलमा बिन वरदा के तरीक से अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से जानते हैं।

1994 - حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الفَضْلِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِمًا.

1994 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम्हें यही गुनाह काफी है कि तुम हमेशा झगड़ा करते रहो।"

ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 4096.

वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है। हम इसी सनद से ही जानते हैं।

1995 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُمَارِ أَخَاكَ، وَلاَ تُمَازِحْهُ، وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

1995 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अपने भाई से मत झगड़ो, न उससे मज़ाक करो और न ही उस से वह वादा करो जिसकी तुम खिलाफ वर्ज़ी करो।" (यानी वादा पूरा न कर सको)

ज़ईफ़: अदबुल मुफ़रद: 394. हिल्या: 3/344.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और अब्दुल मलिक मेरे नज़दीक इब्ने बशीर ही है।

59 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ

59 - हुस्ने सुलूक से पेश आना.

1996 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: بِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ أَوْ أَخُو العَشِيرَةِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلاَنَ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ القَوْلَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

1996 - आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आने की इजाज़त मांगी और मैं भी आप(ﷺ) के पास थी तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, "यह अपने कबीले का बुरा बेटा बुरा भाई है।" फिर आप(ﷺ) ने उसे इजाज़त दे दी तो उस से नर्मी के साथ बात की। जब वह चला गया तो मैंने आप(ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने उसके बारे में जो बात कही थी कही, फिर आप ने उस से नर्मी के साथ बात की? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "ऐ आयशा! बेशक लोगों में बुरा तरीन वह शख़्स है जिसे लोग उसकी बदकलामी के डर से छोड़ दे।"

बुख़ारी: 6032. मुस्लिम: 2591. अबू दाऊद: 4791.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

60 - मोहब्बत और नफ़रत में म्याना रवी होनी चाहिए.

60 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِقْتِصَادِ فِي الحُبِّ وَالبُغْضِ

1997 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) मर्फू हदीस बयान करते हैं कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "अपने दोस्त से म्याना मोहब्बत रखो, हो सकता है कि एक दिन तुम से नफ़रत हो जाए और अपने दुश्मन से दर्मियानी नफ़रत करो हो सकता है कि वह एक दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए।"

सहीह: अल-कामिल: 2/711. अल-मोजमुल औसत:2319.

1997 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ رَفَعَهُ، قَالَ: أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस सनद के साथ सिर्फ़ हमें इसी तरीक से मिलती है।

और यह हदीस अय्यूब से एक और सनद के साथ मर्वी है। इसे हसन बिन अबू जाफ़र ने रिवायत किया है लेकिन वह हदीस ज़ईफ़ है। उसकी सनद में है कि अली (رضي الله عنه) नबी(صلى الله عليه وسلم) से रिवायत करते हैं। लेकिन अली (رضي الله عنه) का कौल सहीह है।

61 - तकब्बुर का बयान.

61 بَابُ مَا جَاءَ فِي الكِبْرِ

1998 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, "वह शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर (घमंड) हो, और वह शख़्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो।"

मुस्लिम: 91. अबू दाऊद: 4094. इब्ने माजा: 4173.

1998 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ.

वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, सलमा बिन अक्वा और अबू सईद (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

1999 - सय्यदना अब्दुल्लाह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "वह शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी तकब्बुर हो, और वह शख़्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी ईमान हो।" रावी कहते हैं: एक आदमी ने कहा: मुझे अच्छा लगता है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो और मेरे जूते अच्छे हों, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह तआला ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है जब कि मुतकब्बिर (घमंडी) वह शख़्स है जो हक़ को रद्द कर दे और लोगों को हकीर समझे।"

मुस्लिम: 91. अबू दाऊद: 4091. इब्ने माजा: 4173.

1999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ، يَعْنِي، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا وَنَعْلِي حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الجَمَالَ، وَلَكِنَّ الكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ

वज़ाहत: उलमा इस हदीस "वह शख़्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी ईमान हो।" की तफ़सीर में कहते हैं: इसका मतलब यह है कि वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा और अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से भी ऐसे ही मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा।" नीज़ कई ताबेईन ने इस आयत : "ऐ हमारे रब! जिसे तूने जहन्नम में दाख़िल कर दिया तो उसे तूने रुस्वा कर दिया।" (आले-इमरान: 192) की तफ़सीर में कहा है कि जिसे तू हमेशा जहन्नम में रखे तो तूने उसे रुस्वा कर दिया।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

2000 - सय्यदना सलमा बिन अक्वा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "आदमी हमेशा अपने आप को (बड़ाई की तरफ़) ले जाता रहता है। यहाँ तक

2000 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ.

कि उसे जब्बारीन[1] (ज़ुल्म करने वालों) में लिख दिया जाता है सो उसको भी वह अज़ाब पहुंचता है जो उन्हें पहुंचा।

ज़ईफ़: अल-कामिल: 5/1676. अल-मोजमुल कबीर:6254.

(1) बहुत ज्यादतियां और ज़ुल्म करने वाले जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

2001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَقُولُونَ لِي: تَكُونُونَ فِي التِّيهِ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الكِبْرِ شَيْءٌ.

2001 - सय्यदना जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) कहते हैं कि लोग कहते हैं: मेरे अन्दर तकब्बुर है। हालांकि मैं गधे पर सवार होता हूँ, मोटी चादर ओढ़ता हूँ और बकरी का दूध दुहता हूँ और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया था: "जिसने यह काम किए उसमें कुछ भी तकब्बुर नहीं है।"

सहीहुल इस्नाद: हाकिम: 4/184.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

62 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ

62 - अच्छे अख्लाक़ का बयान.

2002 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ.

2002 - सय्यदना अबू दर्दा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़यामत के दिन मोमिन के तराज़ू में कोई चीज़ अच्छे अख्लाक़ से वजनी नहीं होगी। बेशक अल्लाह तआला बदकलाम और बेहूदा गुफ्तगू करने वाले से नफ़रत करता है।"

सहीह: अबू दाऊद: 4799. मुसनद अहमद: 6/442. अदबुल मुफ़रद: 270.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, अबू हुरैरा, अनस और उसामा बिन शरीक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस सहीह है।

2003 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الكُوفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ.

2003 - सय्यदना अबू दर्दा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: "मीज़ान में अच्छे अख़्लाक़ से वजनी कोई चीज़ नहीं रखी जायेगी और यक़ीनन अच्छे अख़्लाक़ वाला उस (अख़्लाक़) की वजह से रोजेदारी और नमाज़ी का दर्जा पा लेता है।"

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है।

2004 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ.

2004 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से उस चीज़ के बारे में पूछ गया जो ज़्यादातर लोगों को जन्नत में दाख़िल करवायेगी। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "अल्लाह का तक़्वा और अच्छे अख़्लाक़।" नीज़ आप(ﷺ) से उस चीज़ के बारे में पूछा गया जो ज़्यादातर लोगों को जहन्नम में दाख़िल करवायेगी, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मुंह और शर्मगाह।"

हसन इब्ने माजा: 4246. मुसनद अहमद: 2/291. अदबुल मुफ़रद: 289. इब्ने हिब्बान: 476.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस सहीह ग़रीब है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन इदरीस यह यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान औदी के पोते हैं।

2005 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،

2005 - अबू वहब बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) ने हुस्ने अख़्लाक़ की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि

أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الخُلُقِ فَقَالَ: هُوَ بَسْطُ الوَجْهِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الأَذَى.

खन्दा पेशानी से पेश आने से मुराद, नफ़ा बख़्श चीज़ का ख़र्च करना और तकलीफ़ों को रोक लेना है।

सहीह.

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ وَالعَفْوِ

63 - एहसान व नेकी और माफ़ करना.

2006 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلاَ يَقْرِينِي وَلاَ يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُّ بِي أَفَأَجْزِيهِ؟ قَالَ: لاَ، أَقْرِهِ قَالَ: وَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالغَنَمِ، قَالَ: فَلْيُرَ عَلَيْكَ.

2006 - अबू अहवस (رحمه الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं एक आदमी के पास से गुज़रता हूँ वह मेरी मेहमान नवाजी नहीं करता, (अगर) वह मेरे पास से गुज़रे तो क्या मैं उसे (उस काम) का बदला दूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "नहीं। बल्कि तुम उसकी मेहमान नवाजी करो।" रावी कहते हैं: आप(ﷺ) ने मुझे मैले कपड़ों में देखा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया; "क्या तुम्हारे पास माल है?" मैंने कहा: जी हां! ऊँट, बकरियां हर क़िस्म का माल अल्लाह ने मुझे अता किया है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: "फिर वह तुम्हारे ऊपर नज़र आना चाहिए।"

सहीह: अबू दाऊद: 4063. निसाई: 5223.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, जाबिर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और अबू अहवस का नाम औफ़ बिन मालिक बिन नज़ला जुशमी है।

أَقْرِهِ का मानी है तुम उसकी मेहमान नावाज़ी करो और ": القري" जियाफत (मेहमान नवाज़ी) को कहा जाता है.

2007 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ

2007 - सय्यदना हुज़ैफा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम इम्मआ" न बनो कि तुम कहो : अगर

الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا.

लोग नेकी करेंगे तो हम भी नेकी करेंगे और अगर वह ज़ुल्म करेंगे तो हम भी ज़ुल्म करेंगे, बल्कि तुम अपने आप को इस बात पर आमादा करो कि लोग नेकी करेंगे तो तुम भी नेकी करोगे और अगर बुराई करेंगे तो तुम ज़ुल्म नहीं करोगे।"

ज़ईफ़.

तौज़ीह: إِمَّعَةً : यह कहना कि मैं लोगों के साथ हूँ। यानी जैसे वह करेंगे वैसे ही मैं करूंगा इसकी तशरीह हदीस में ही मौजूद है।

وَطِّنُوا: किसी काम पर अपने आप को आमादा कर लेना। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 1266)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं।

64 بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الإِخْوَانِ

64 - भाइयों से मुलाक़ात करना.

2008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ البَصْرِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ القَسْمَلِيُّ هُوَ الشَّامِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً.

2008 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने मरीज़ की तीमारदारी की या अल्लाह की रजामंदी के लिए अपने भाई से मुलाक़ात की तो एक आवाज़ देने वाला उसे पुकारता है कि तुझे मुबारकबादी हो, तुम्हारा चलना मुबारक हुआ और तुमने जन्नत में जगह ले ली है।"

हसन: इब्ने माजा:1443. मुसनद अहमद: 2/326. अदबुल मुफ़रद:345

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू सिनान का नाम ईसा बिन सिनान है। नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी साबित से बवास्ता अबू राफ़ेअ, अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इसमें से कुछ हिस्सा नबी(ﷺ) से रिवायत किया है।

65 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

65 - हया का बयान.

2009 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ.

2009 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "हया ईमान (की शाखों में) से(एक शाख) है और ईमान का अंजाम जन्नत है जबकि बेहूदा गुफ्तगू गुनाह से ताल्लुक़ रखती है और गुनाह जहन्नम में ले जाने का सबब है।"

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 11/23. इब्ने हिब्बान: 608. हाकिम: 1/52.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर, अबू बकरह, अबू उमामा और इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

66 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأَنِّي وَالعَجَلَةِ

66 - तहम्मुल मिज़ाजी (बुर्दबारी) और जल्दबाजी का बयान.

2010 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْتُ الحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ وَالاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

2010 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सर्जिस मुज़नी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "अच्छी आदत, तहम्मुल मिजाज़ी और मियाना रवी (इख़्तियार करना) नबुव्वत के चौबीस हिस्सों में से एक हिस्सा है।"

हसन: अल-मोजमुल औसत: 1021.

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन ग़रीब है।

अबू ईसा कहते हैं: हमें क़ुतैबा ने वह कहते हैं हमें नूह बिन कैस ने अब्दुल्लाह बिन इमरान से बवास्ता

अब्दुल्लाह बिन सर्जिस (رضي الله عنه), नबी करीम(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है इसमें आसिम का ज़िक्र नहीं है लेकिन नस्र बिन अली की हदीस सहीह है।

2011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الحِلْمُ، وَالأَنَاةُ.

2011 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने क़बील-ए-अब्दुल कैस के सरदार से फ़रमाया था : "तुम्हारे अन्दर दो आदतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसंद करता है: एक बुर्दबारी और दूसरी तहम्मुल (तहम्मुल मिजाज़ी) से काम लेना। "

मुस्लिम: 17. इब्ने माजा: 8188.

तौज़ीह: أَشَجّ عَبْدِ الْقَيْسِ : बहरीन के इलाक़ा अब्दुल कैस के वफ़द के सरदार मुराद हैं। उनका नाम मुन्ज़िर बिन आइज़ (رضي الله عنه) था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इस बारे में अशज असरी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

2012 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

2012 - सय्यदना सहल बिन साद साइदी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "ताम्मुल (तहम्मुल मिजाज़ी) अल्लाह की तरफ़ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ़ से है। "

ज़ईफ़: अल-कामिल: 5/ 1982. अल-मोजमुल औसत:5702.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। बाज़ (कुछ) उलमा ने अब्दुल मुहैमिन बिन अब्बास बिन सुहैल पर जरह करते हुए उसके हाफ़िज़े की वजह से उसे ज़ईफ़ कहा है और अशज बिन अब्दुल कैस का नाम मुन्ज़िर बिन आइज़ था।

67 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفْقِ

67 - नर्मी का बयान.

2013 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ

2013 - सय्यदना अबू दर्दा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसे नर्मी से उसका हिस्सा मिल गया तो उसे भलाई का

ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ.

हिस्सा मिल गया और जिसे नर्मी के हिस्से से महरूम कर दिया गया उसे भलाई के हिस्से से महरूम कर दिया गया।"

सहीह: 2002. नम्बर हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, जरीर बिन उबैदुल्लाह और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

68 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

68 - मज़लूम की बद्दुआ का बयान.

2014 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

2014 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ़ रवाना किया तो आप ने फ़रमाया, "मजलूम की बद्दुआ से बचना क्योंकि उसके और अल्लाह तआला के दर्मियान पर्दा नहीं होता।"

बुख़ारी: 1496. मुस्लिम: 19. अबू दाऊद: 1584. इब्ने माजा: 1783. निसाई: 2435.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू मअ्बद का नाम नाफ़िज़ है। नीज़ इस बारे में अनस, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

69 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ (ﷺ)

69 - नबी(ﷺ) का अख़्लाक़

2015 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2015 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने दस साल रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत की, आप(ﷺ) ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और जो काम मैंने किया उसके बारे में यह भी नहीं कहा कि तुमने यह क्यों किया है?

عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ، وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ," وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلاَ مَسِسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلاَ حَرِيرًا وَلاَ شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلاَ عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

और जो नहीं किया उसके बारे में यह नहीं कहा कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों में सब से अच्छे अख्लाक़ वाले थे, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की हथेली से ज़्यादा नर्म कोई हरीर व रेशम नहीं छुआ और न ही मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पसीने से उम्दा कोई कस्तूरी या ख़ुशबू सूंघी।

बुख़ारी: 2768. मुस्लिम: 2309. अबू दाऊद: 4773.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा और बराअ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है।

2016 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.

2016 - सय्यदना अबू जदली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह(ﷺ) के अख्लाक़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, "रसूलुल्लाह(ﷺ) न बदकलामी की आदत रखते थे और न ही कभी कभार बदकलामी करते थे, बाज़ारों में शोर करने वाले थे और न ही बुराई का बदला बुराई से देते थे बल्कि माफ़ कर देते और दर गुज़र करते।

सहीह: इब्ने अबी शैबा:8/518. मुसनद अहमद: 6/174. शमाइल:347

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अब्दुल्लाह जदली का नाम अब्द बिन अब्द था जिन्हें अब्दुर्रहमान बिन अब्द भी कहा जाता था।

70 - किसी के साथ अच्छा वक़्त गुज़रना.

70 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْعَهْدِ

2017 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं मुझे नबी(ﷺ) की किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं आया जितना मुझे खदीजा (رضي الله عنها) पर आया और अगर मैं उनके ज़माने को पाती तो मेरा क्या हाल होता, उसकी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उन्हें बहुत याद करते थे और अगर आप कोई बकरी ज़बह करते तो ख़दीजा (رضي الله عنها) की सहेलियों को तलाश कर के उन्हें तोहफ़ा भेजते।

बुख़ारी: 3816. मुस्लिम: 4235. इब्ने माजा: 1997.

2017 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

71 - आला अख्लाक़ का बयान.

71 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الأَخْلاَقِ

2018 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बेशक तुममें से मुझे सब से ज़्यादा प्यारे और क़यामत के दिन मेरे करीब बैठने वाले वह हैं जो तुममें से अच्छे अख्लाक़ वाले हैं और तुममें से मुझे सब से ज़्यादा नफ़रत वाले और क़यामत के दिन मुझ से दूर बैठने वाले लोग, बहुत बोलने वाले, लोगों पर बदज़बानी करने वाले और तकब्बुर करने वाले हैं।" लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ثرثارين और متشدقين को तो हम जानते हैं مُتَفَيْهِقُونَ कौन हैं? आप ने फ़रमाया, "तकब्बुर करने वाले।"

2018 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ،

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ

सहीह लिगैरिही: सहीहुत्तर्गीब: 2897. तोहफतुल अशराफ़:3054.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है।

الثرثار : बहुत कलाम करने वाला और مُتَشَدِّقٌ वह होता है जो लोगों पर बहुत बातें करे और उन पर बदज़बानी करे। नीज़ बाज़ (कुछ) ने इस हदीस को मुबारक बिन फज़ाला से बवास्ता मुन्कदिर सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) के ज़रिए नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। इसमें अब्दु रब्बिही बिन सईद का ज़िक्र नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है.

72 بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

72 - लअन तअन करना.

2019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا.

2019 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "मोमिन बहुत ज़्यादा लअन- तअन करने वाला नहीं होता।"

सहीह: अदबुल मुफ़रद: 309. अबू याला: 5562. हाकिम: 1/47.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से भी मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ बाज़ (कुछ) ने इसी सनद से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "यह बात मोमिन के शायाने शान नहीं है कि वह लानत करने वाला हो" और यह हदीस मुफ़स्सिर (वाजेह करने वाली) है।

73 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ

73 - ज़्यादा गुस्से का बयान.

2020 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

2020 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा: आप(ﷺ) मुझे कोई चीज़ सिखलाइए और बहुत ज़्यादा न सिखाना ताकि मैं उसे याद रख

عَلِّمْنِي شَيْئًا وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيهِ، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ تَغْضَبْ.

सकूं, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "तुम गुस्सा मत करो।" उस ने कई मर्तबा यह बात की आप(ﷺ) हर दफ़ा फ़रमाते "गुस्सा मत करो।

सहीह: बुख़ारी: 6116. मुसनद अहमद: 466. बैहक़ी: 10/105

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू सईद और सुलैमान बिन सुर्द (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इस तरीक से हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन आसिम असदी है। "

74 بَابٌ فِي كَظْمِ الغَيْظِ

74 - गुस्से को ज़ब्त करना.

2021 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الحُورِ شَاءَ.

2021 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस जुहनी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया हालांकि वह इसे जारी करने की ताक़त रखता था तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे तमाम लोगों के सामने बुलाएगा यहाँ तक कि उसे इख़्तियार देगा कि जिस हूर को चाहे पसंद कर ले। "

सहीह: अबू दाऊद: 4777. इब्ने माजा: 4186.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

75 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْلاَلِ الكَبِيرِ

75 - बड़ों की इज़्ज़त करना.

2022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بَيَانٍ العُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّحَّالِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

2022 - अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "कोई नौजवान किसी बुज़ुर्ग की उसकी उम्र की वजह से इज़्ज़त करता है तो अल्लाह तआला

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ.

उसके लिए ऐसे आदमी को मामूर कर देते हैं जो उसके बुढ़ापे के वक़्त उसकी इज्ज़त करेगा।"

ज़ईफ़: अल-मोजमुल औसत: 5899. अल-कामिल: 3/898.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी शैख़ यज़ीद बिन बयान की सनद से ही जानते हैं। अबू रह्हाल अंसारी एक और रावी है।

76 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَهَاجِرَيْنِ

76-एक दूसरे से मुलाक़ात करने वाले दो आदमी

2023 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ الْمُهْتَجِرَيْنِ، يُقَالُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

2023 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, फिर उन दोनों दिनों में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क न करने वालों को बख़्शा जाता है। सिवाए एक दूसरे से तरके मुलाक़ात करने वाले दो आदमियों के, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: उन्हें वापस लौटा दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें।"

मुस्लिम: 2565. अबू दाऊद: 4916.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और एक हदीस में यह भी है कि उन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें। और मुहताजिरैन से मुराद एक दूसरे की मुलाक़ात ख़त्म करने वाले हैं और यह ऐसे ही हैं जैसा कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़े।"

77 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ

77 - सब्र का बयान.

2024 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَاسًا مِنَ

2024 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है अंसार के कुछ लोगों ने नबी(ﷺ) से माँगा तो आप(ﷺ) ने उनको माल दिया,

الأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

उन्होंने फिर सवाल किया तो आप(ﷺ) ने उनको दिया, फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया, "मेरे पास जो माल भी हो मैं तुमसे छिपा कर उसे हरगिज़ ज़खीरा नहीं करूंगा। जो बे परवाह होना चाहता है अल्लाह उसे बे परवाह कर देता है। जो शख़्स सब्र की आदत डाले अल्लाह उसे सब्र की तौफीक़ देता है और किसी को सब्र से बेहतर और वसीअ (बड़ा) कोई चीज़ नहीं अता की गई।"

बुख़ारी: 1469. मुस्लिम: 1053. अबू दाऊद: 1644. निसाई: 2588.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस इमाम मालिक से فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم और فَلَم أَدَّخِرَهُ عَنْكُم दोनों तरह से मर्वी है लेकिन दोनों का मानी एक ही है कि मैं उसे हरगिज़ तुम से रोकूंगा नहीं।

78 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِي الوَجْهَيْنِ

78 - दोग़ला आदमी.

2025 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ذَا الوَجْهَيْنِ.

2025 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सब से बुरा आदमी दो चेहरों[1] वाला होगा।"

बुख़ारी: 6058. मुस्लिम: 2526. अबू दाऊद: 4872

तौज़ीह: (1) यानी एक कौम के पास उनकी तरफ़दारी और दूसरे लोगों के पास उनका तरफ़दार, बिलकुल मुनाफ़िक़ की तरह।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अम्मार और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

79 - चुगल खोरी का बयान.

79 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّمَّامِ

2026 - हम्माम बिन हारिस से रिवायत है कि एक आदमी सय्यदना हुज़ैफ़ा बिन यमान (رضي الله عنه) के पास से गुज़रा तो उनसे कहा गया कि यह शख़्स लोगों की बातें हाकिमों तक पहुंचाता है। तो हुज़ैफा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, "मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना "जन्नत में क़त्तात दाख़िल नहीं होगा" सुफ़ियान कहते हैं : क़त्तात से मुराद चुगल खोर है।

बुख़ारी: 6056. मुस्लिम: 105. अबू दाऊद: 4871.

2026 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يُبَلِّغُ الأُمَرَاءَ الحَدِيثَ عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالقَتَّاتُ النَّمَّامُ ..

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

80 - सोच समझ कर बात करना.

80 بَابُ مَا جَاءَ فِي العِيِّ

2027 - सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, "हया और कम बोलना ईमान की दो शाखें हैं (जबकि) बेहूदा गुफ़्तगू और ज़्यादा बातें करना निफ़ाक़ की दो शाखें हैं।"

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 11/44. मुसनद अहमद: 5/269.

2027 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الحَيَاءُ وَالعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ، وَالبَذَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू गस्सान मुहम्मद बिन मुतर्रिफ़ की सनद से ही जानते हैं। नीज़ العِي कमगोई (किल्लते क़लाम, कम बालने) को कहते हैं, البَذَاء बेहूदा क़लाम और البَيَان ज़्यादा बातें करने को कहा जाता है जिस तरह यह खुत्बा देने वाले हैं जो खुत्बा देते हुए क़लाम को वसीअ (बड़ा) करते हैं और लोगों की खूब तारीफ़ करते हैं जिस से अल्लाह राजी नहीं होता।

81 - कुछ बयान जादू होते हैं.

81 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

2028 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) के ज़माना में दो आदमी आए, उन्होंने खुत्बा दिया तो लोगों ने उनके क़लाम पर तअज्जुब किया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमारी तरफ़ देख कर फ़रमाया, "बेशक कुछ बयान जादू (की तरह तासीर रखते) हैं या फ़रमाया, "बाज़ (कुछ) बयान जादू की तरह जादू होते हैं। "

बुख़ारी: 5767. अबू दाऊद:5007.

2028 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अम्मार, इब्ने मसऊद और अब्दुल्लाह बिन शखीर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है।

82 - आजिज़ी का बयान.

82 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعِ

2029 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "सदक़ा माल को कम नहीं करता, अल्लाह तआला किसी आदमी को माफ़ कर देने की वजह से इज्ज़त में इजाफा कर देता है और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख़्तियार करता है अल्लाह उसे बलंद कर देते हैं। "

मुस्लिम: 2588. दारमी:1683. मुसनद अहमद: 2/235.

2029 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुर्रहमान बिन औफ़, इब्ने अब्बास, अबू कब्शा अन्मारी (ﷺ) जिनका नाम उमर बिन साद है, से भी अहादीस मर्वी हैं और यह हदीस हसन सहीह है।

83 - ज़ुल्म का बयान.

83 بَابُ مَا جَاءَ فِي الظُّلْمِ

2030 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ज़ुल्म क़यामत के दिन अँधेरा होगा।''

बुख़ारी: 2447. मुस्लिम: 2579.

2030 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, अबू मूसा, अबू हुरैरा और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इब्ने उमर (رضي الله عنه) के तरीक से हसन ग़रीब सहीह है।

84 - नेअ्मत में ऐब न निकाला जाए.

84 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ العَيْبِ لِلنِّعْمَةِ

2031 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आप उसे पसंद करते तो खा लेते वर्ना छोड़ देते।

बुख़ारी: 2563. मुस्लिम: 2063.

2031 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हाज़िम अश्जई कूफा के रहने वाले थे। उनका नाम सलमान था और अज़्ज़ा अश्जइया के आज़ादकर्दा थे।

85 - मोमिन की ताज़ीम करना

85 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ

2032 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मिम्बर पर चढ़े फिर आप ने बलंद आवाज़ से फ़रमाया, "ऐ वह लोगो! जो अपनी ज़बान से ईमान ला चुके हो

2032 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَالجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ

دْلِهِمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ.

और ईमान उनके दिल तक नहीं पहुंचा, तुम मुसलमानों को तकलीफ़ न दो, उन्हें आर मत दिलाओ, और न ही उनके ऐब तलाश करो। क्योंकि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई के ऐब ढूंढता है अल्लाह तआला उसके ऐब तलाश करेंगे और अल्लाह तआला जिसके ऐब तलाश करे उसे रुस्वा कर देगा। ख़्वाह वह अपने मकान के अन्दर ही हो। " रावी कहते हैं: इब्ने उमर (رضي الله) ने एक दिन बैतुल्लाह या काबा की तरफ़ देखा तो कहने लगे: तू किस क़दर अज़मत वाला है और तेरी हुर्मत किस क़दर अजीम है! लेकिन मोमिन अल्लाह के यहाँ तुझ से भी बड़ी हुर्मत वाला है।

हसन: इब्ने हिब्बान: 5763

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हुसैन बिन वाकिद की सनद से ही जानते हैं।

इस्हाक़ बिन इब्राहीम समरकंदी ने भी हसन बिन वाकिद से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ अबू बर्ज़ा अल अस्लमी (رضي الله) भी नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत करते हैं।

86 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَارِبِ

86 - तजर्बा का बयान.

2033 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَلِيمَ إِلاَّ ذُو عَثْرَةٍ، وَلاَ حَكِيمَ إِلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ.

2033 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "बुर्दबार नहीं होता मगर लग्ज़िश[1] खाने वाला हो और दाना नहीं होता मगर तजर्बा वाला। "

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 3/8. इब्ने हिब्बान: 193. हाकिम: 293.

तौज़ीह: (1) عَثْرَة :लग्ज़िश, लड़खड़ाना, यह लफ़्ज़ عثر से निकला है जिसका मानी है ठोकर खाकर

Sherkhan
9825 696 131

फिसलना, ज़रबुल मसल है। من سلك الجدد أ من العثار , हमवार जगह चलता है वह ठोकर से महफ़ूज़ रहता है। (अल-मोजमुल वसीत:पृ. 690)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

87 - जो चीज़ मिली न हो उसका इज़हार करना.

87 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

2034 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

2034 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसे कोई चीज़ (बतौर तोहफ़ा) दी जाए फिर वह (वसाइल) पा ले तो उसका बदला दे दे और जिसे मोयस्सर न हो वह उसकी तारीफ़ करे। जिसने तारीफ़ की यक़ीनन उसने शुक्रिया अदा कर दिया। जिसने उसे छिपा लिया उसने नाशुक्री की और जिसने अपने आपको उस चीज़ से आरास्ता किया जो उसे मिली नहीं तो वह झूठ के दो कपड़े पहनने वाले की तरह है।"

हसन: अदबुल मुफ़रद: 215. बैहक़ी: 6/182. इब्ने हिब्बान: 2415

वज़ाहत: इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बक्र और आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और आपके फ़रमान (وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ) से मुराद है कि उस ने नेमत का कुफ़्र (ना शुक्री) की।

88 - नेकी पर दुआ देना.

88 بَابُ مَا جَاءَ فِي الثناء بالمعروف

2035 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ

2035 - सय्यदना उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, जिसके साथ कोई अच्छाई की जाए तो वह करने वाले को यह कह दे कि "अल्लाह

الخِمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

तुम्हें बेहतर जज़ा दे" तो यक़ीनन उसने बहुत अच्छी सना वाली दुआ दे दी। "

सहीह: عمل اليوم والليلة निसाई: 180. इब्ने हिब्बान:3413.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन जय्यद ग़रीब है। उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस मर्वी है। मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी) से पूछा तो वह इसे नहीं जानते थे।

अबू ईसा कहते हैं, मुझे अब्दुर्रहीम बिन हाज़िम बल्खी ने बताया कि मैंने मक्की बिन इब्राहीम को फ़रमाते हुए सुना कि हम इब्ने जुरैज मक्की के पास थे, उनके पास एक साइल ने आकर सवाल किया तो इब्ने जुरैज ने अपने खाज़िन से कहा: इसे एक दीनार दे दो। उस ने कहा: मेरे पास एक ही दीनार है अगर उसे दे दिया तो मैं भी भूका रहूंगा और आप के अहलो अयाल भी। रावी कहते हैं: उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगे: उसे दे दो। मक्की (बिन इब्राहीम) कहते हैं: (एक दफ़ा फिर) हम इब्ने जुरैज के पास थे कि उनके पास एक आदमी ख़त और थैली लेकर आया जो उन्हें उनके किसी भाई (या दोस्त) ने भेजा था उस ख़त में लिखा था कि मैंने पच्चास दीनार भेजे हैं। रावी कहते हैं: इब्ने जुरैज ने उस थैली को खोल कर गिने तो वह इक्यावन दीनार थे उन्होंने अपने खाज़िन से कहा: तुमने एक दीनार दिया था अल्लाह तआला ने तुझे वह भी वापस कर दिया और पच्चास दीनार मजीद अता कर दिए।

ख़ुलासा..

- वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आना फ़र्ज़ है जबकि उनकी नाफ़रमानी करना कबीरा गुनाह है।
- वालिद के दोस्तों, वालिदा की सहेलियों और उसकी बहनों का एहतराम किया जाए।
- क़तअ रहमी करना (ताल्लुक़ तोड़ना) कबीरा गुनाह है जबकि सिला रहमी रोज़ी और उम्र में बरकत का बाइस है।
- वालिदैन को अपनी औलाद पर शफ़क़त करना ज़रूरी है।

- बेटियों और बहनों की अच्छे तरीक़े से परवरिश और इस्लामी तरबियत करने वाले के लिए जन्नत की बशारत है।
- यतीम की किफ़ालत करना जन्नत में नबी(ﷺ) की रिफाक़त का सबब है।
- इस्लाम हर किसी के लिए ख़ैर ख़्वाही का जज़्बा रखने का दर्स देता है।
- तीन दिन से ज़्यादा क़तअ कलामी जायज़ नहीं है।
- एक हमसाये के दूसरे पर बहुत हुक़ूक़ हैं, लिहाज़ा उनका ख़याल रखना ज़रूरी है।
- किसी के एहसान पर उसका शुक्रिया अदा किया जाए।
- रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़, ईंट, पत्थर, काँटे वग़ैरह को हटा देना भी सदक़ा है।
- सखी अल्लाह के करीब जबकि कंजूस उसकी रहमत से दूर होता है।
- मेहमान की मेहमान नवाज़ी अपनी ताक़त और इस्तिताअत के मुताबिक की जाए। सच्चाई जन्नत में और झूठ जहन्नम में ले जाने का सबब है।
- बदक़लामी, बेहूदा गुफ़्तगू बेहयाई और लअन तअन करना मोमिन के शायाने शान नहीं है।
- बद गुमानी रखना मना है।
- किसी- किसी मौक़ा पर हस्बे मजलिस मज़ाक (खुश तबई) की जा सकती है।
- तहम्मुल मिजाज़ी से काम लें. यह सिफ़त अल्लाह को बहुत पसंद है।
- गुस्से को पी जाना दानाई है।
- चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा।
- कोई आप से अच्छा सुलूक करे तो उसे दुआ दें।